राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का सत्ताईसवां दिवस [संख्या : 15

मंगलवार,

19 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

वन क्षेत्र/वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु नवीन कर्मचारियों की भर्ती

342. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर जिले में कितना हैक्टेयर वन क्षेत्र कहां-कहां पर स्थित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु कितने अधिकारी/कर्मचारियों के पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कर्मचारियों की कमी के कारण वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण/कटान/खनन की रोकथाम व वन्य जीवों की सुचारु रूप से देखभाल नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार वन क्षेत्र एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु नवीन कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जोधपुर जिले में कुल 20137.67 हैक्टेयर वन भूमि है। जिसका विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले में कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर एवं उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण प्रपत्र 'ब' पर संलग्न है।

(3) वन क्षेत्रों की सुरक्षा उपलब्ध स्टाफ से ही की जा रही है। स्टाफ की तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों में प्राथमिकता पर की जाती है। इसके अतिरिक्त,

(श्री परसादीलाल)

वर्ष 2013 में वनरक्षकों के दिनांक 01.04.2010 के पश्चात् रिक्त पदों को भरने हेतु वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 हेतु विज्ञप्ति जारी की जाकर परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। जिसमें उप वन संरक्षक, जोधपुर में 4 एवं उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर में 8 वनरक्षकों की सीधी भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, खण्ड तीन के अनुसार मैंने वन भूमियों पर अवैध खनन व वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में पूछा है। क्या यह सही है कि राजस्थान और राजस्थान में विशेषकर अलवर, कोटा, करौली, भरतपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर व जोधपुर जिलों में वन विभाग के क्षेत्रों में अवैध खनन, पेड़ों की कटाई, वन्य जीवों की असुरक्षा के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं, यदि हां, तो सरकार ने इनकी रोकथाम के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं, कैसे रोकेंगे? स्पष्ट करें। दूसरा, क्या यह सही है कि जोधपुर जिला वन्य जीवों के शिकार की दृष्टि से अति संवेदनशील है? क्या पिछले पांच वर्षों में जोधपुर जिले में गोडावण, कुर्जां, काले हिरण, चिंकारे, मरू लोमड़ी, रोजडे, सुअर, प्रवासी पक्षियों के शिकार के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, यदि हां, तो कहां-कहां, कितने-कितने? स्पष्ट करें। क्या यह सही है कि पिछले 15 वर्षों में रेंजर्स, वनपाल, वनरक्षक व अन्य कर्मचारियों की पदोन्नतियां व नई भर्तियां नहीं हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी पदोन्नतियां, नई भर्तियां, उड़न दस्ते, चौकियां लगाकर विजिलेंस गठित कर वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने का विचार रखती है? इसे भी स्पष्ट करें? राज्य सरकार को केन्द्र से केम्पा मद में वन सुरक्षा व वानिकीकरण कार्य के लिए कितनी राशि मिली? उसमें से कितनी व्यय हो चुकी और कितनी बकाया है, इसे भी स्पष्ट करें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि विभिन्न जिलों में वन क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि है, आपने जोधपुर जिले का सवाल पूछा था मैंने जोधपुर जिले का पूरा विवरण आपको दे दिया है। दूसरी बात, अवैध शिकार के मामले में आपने पूछा, सुरक्षा के लिए दीवार के बारे में पूछा, जोधपुर जिले में जो सुरक्षा की दीवार है, अध्यक्ष महोदय, हमने 46 किलोमीटर की दीवार वहां विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है। जहां अवैध शिकार के मामले हैं, फोरेस्ट वालों की तरफ से जो सूचना मेरे पास हैं, चार साल में वहां

(श्री परसादीलाल)

पर 215 के करीब अवैध शिकार के मामले वहां दर्ज हुए हैं। उन पर नियमानुसार कार्यवाही की है, कोर्ट में चालान किये। जो नामालूम थे उनकी तलाश जारी है और वहां पर वन क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बनने के बाद, अवैध कटान के मामले भी वहां पर हैं, अवैध खनन के मामले भी वहां पर हैं। उसमें नियमानुसार हर बार पैनेल्टी वगैरह वसूल की जाती है और उनके कोर्ट में चालान किये जाते हैं। आप चाहे तो वर्षवार जो चालन पेश किये हैं, वह मैं आपको बता दूं, वह भी मैंने मंगवा लिए हैं। हम चाहते हैं कि फोरेस्ट लैण्ड़ पर जो भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध खनन है उसको हटाने के लिए विभाग ने वहां पर प्रभावी कार्यवाही की है और इस साल बहुत बड़ी संख्या में फोरेस्ट पुलिस की मदद से जोधपुर शहर और आसपास से अतिक्रमण हटाये हैं। वन भूमि सुरक्षित रहे, फोरेस्ट में जो भी वन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा के भी वहां पूरे इंतजाम हैं। जो रिक्त पद हैं, वह परीक्षा का जैसे ही नतीजा आएगा, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जोधपुर में जो भी पद वैकेंट हैं, उन सबको हम भर देंगे। वहां पर पूरी सुरक्षा हो, पूरा फोरेस्ट डवलप हो, वहां पर पेड़ लगें, अवैध अतिक्रमण हटें, इसके लिए पूरे विभाग को हमने निर्देशित कर दिया है। किसी तरह के विवरण की बात हो, कितनी पैनेल्टी ली, कितना क्या लिया, वह सारा विवरण मैंने विभाग से मंगवाया है और इसमें आपकी भावना के अनुसार प्रभावी कार्यवाही करने के लिए विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, वन्य सुरक्षा और वानिकीकरण के लिए केम्पा में जो आपको मिले उसमें 600 करोड़ रुपए की राशि अभी तक बकाया है। यह क्यों नहीं आप व्यय कर पा रहे हैं?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केम्पा में जो सहायता मिली हमने उसी के उपयोग से 46 किलोमीटर की दीवार बनाई है। और पैसा हमने भारत सरकार से मांगा है। नरेगा में बनाई है, दूसरी विभिन्न मदों में भी, 13वें वित्त आयोग से भी हमने दीवार बनाई है, केम्पा का पैसा भी मिला है, उस सबका हमने उपयोग किया है और हम कोशिश करेंगे पूरे फोरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार से केम्पा में और पैसा आए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि राजस्थान में जब तक

(श्री देवी सिंह भाटी)

गांव और समाज का कंट्रोल था तब वनों को कोई भी असुरक्षा नहीं थी, वन्य जीव को कोई असुरक्षा नहीं थी और न अवैध खनन होता था। जब से आपका फोरेस्ट एक्ट बना है, जब से आपका वाइल्ड़ लाइफ एक्ट बना है, जब से माइनिंग एक्ट बना है तब से यह सारा अनियंत्रित हो गया, क्या यह सही है?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, मैं आपकी बात को ना नहीं कहूंगा, मानव प्रवृत्ति बढ़ी है, अवैध माइनिंग की भी बढ़ी है, कटान की भी बढ़ी है, अतिक्रमण की भी बढ़ी है उसको रोकने के लिए विभाग समय-समय पर कानून बनाकर और अभी सरकार में एक और आर्डिनेंस का डिसीजन हुआ है। जब विधेयक आ जाएगा, कानून बन जाएगा तो माननीय सदस्य आप देखना कि कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि वहां पर अवैध माइनिंग करे, वहां पर किसी तरह का अवैध काम करे। हमारा नया विधेयक जो अभी केबिनेट ने पास किया है उसके आने के बाद वनों की सुरक्षा की, पूरी कोशिश सरकार कर रही है कि वनों को कैसे बचाया जाए, वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जब तक समाज और गांव का कंट्रोल था ...(व्यवधान) तब तक हमारे वन, वन्य जीव, खनन सब सुरक्षित थे। इसलिए धीरे-धीरे यह कानून की किताबें हटाइए और समाज और गांव को कंट्रोल दीजिए तभी व्यवस्था होगी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सज्जन कटारा।

उदयपुर-ग्रामीण में बिलानाम कृषि योग्य भूमि पर काबिज कृषक

343. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर-ग्रामीण में बिलानाम जमीन पर कृषि हेतु काश्तकारों ने कब्जे कर रखे हैं? यदि हां, तो ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 या अन्य किसी माध्यम से बिलानाम भूमि पर वर्षो से काबिज (कृषि योग्य भूमि) काश्तकारों को भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह दिल्ली वाला जितना भी हल्ला हुआ है, कितनी भी फांसी की सज़ा, या 20 साल की सज़ा दे दो, रास्ता नहीं बनेगा। आप सब गवाह हो, कई बुजुर्ग बैठे हों, अमीन खानजी, क्या कभी किसी गांव में ऐसी घटना हुई थी जब कानून नहीं था? दिल्ली जैसी कोई घटना नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह दिल्ली की घटना का प्रश्न नहीं है, यह वन्य जीवों का प्रश्न है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान) 10 परसेंट तो कुंवारे मरते थे, तब भी कोई घटना नहीं हो सकती थी। जब से यह कानून बने तब से यह सारी अव्यवस्था हुई है।

श्री अध्यक्ष: राजस्व मंत्रीजी।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां, यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर-ग्रामीण के अन्तर्गत तहसील बडगांव में कुल 56 (ग्राम पंचायत कडिया 3, भताला 4, रामा 6, मदार 16, वरड़ा 13, घार में 14) एवं तहसील गिर्वा में कुल 367 (ग्राम पंचायत कानपुर 58, सवीना ग्रामीण 18, डाकन कोटडा 56, डोडावली 13, बछार 4, काया 57, चणावदा 29, बुझडा 14, पडुणा 14, टीडी 23, नाई 19, अलसीगढ़ 8, सरू 20, बारापाल 13, जावर 21) प्रकरण बिलानाम भूमि पर कब्जे के दर्ज हुए हैं।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 के नियम 20 में सिवायचक भूमियों पर अतिक्रमणों को नियमित करने का प्रावधान है। उपखण्ड अधिकारी को सलाहकार समिति के परामर्श से यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के विशिष्ट या सामान्य अनुदेशों के अधीन अतिक्रमी को बेदखल करने के बजाय उसे नियमित कर दे, बशर्ते कि वह भूमिहीन है तथा उसके पास समस्त भूमि जिसमें अतिक्रमित भूमि भी सम्मिलित है, नियमों में दी गई सीमा से अधिक नहीं हो। विभागीय आदेश क्रमांक प.6(7)राज-4/77/02 दिनांक 10.01.2013 के द्वारा सिवायचक भूमियों पर दिनांक 01.01.2005 तक कृषि हेतु किए गए अतिक्रमणों को नियमित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में बिलानाम भूमि पर आदिवासी गरीब काश्तकार कुल 394 कब्जे हैं

(श्रीमती सज्जन कटारा)

जिस पर वर्षों से काश्त कर रहे हैं जिन्हें राज्य सरकार के 2013 में चलाए गए प्रशासन गांवों के संग अभियान में भूमि आबंटित की गई या नहीं? इन कब्जाधारियों को क्या सरकार नियमन करने का विचार रखती है? खण्ड दो, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिलानाम भूमि पर निम्नानुसार कब्जे हैं। धार में 14, वरड़ा में 13, कानपुर में 58, सवीना ग्रामीण में 18, डाकनकोटड़ा 56, डोडावली 13, बछार 4, काया 57, चणावदा 29, बुझड़ा 14, पडुणा 14, टीडी 23, नाई 19, अलसीगढ़ 8, सरू 20, बारापाल 13 और जावर 21, कुल 394 कब्जे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहूंगी कि इन कब्जाधिकारियों को सरकार पट्टे देने का विचार रखती है, या कब तक? अलाटमेंट में, अभी चलाए गये अभियान में मेरे विधान सभा क्षेत्र की पैराफेरी में गांव आ गए हैं जिससे भी समस्या आ रही है। यूआईटी भी उनको एनओसी नहीं दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव बसे हुए हैं उनमें पट्टे देने में दिक्कत आ रही है, मेरे को जवाब चाहिए सरकार से, कि क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन आदिवासी गरीब काश्तकारों को पट्टा कब तक दिया जा सकेगा?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जैसा मैंने कहा तहसील बडगांव में कुल 56, गिरवा में 366 बिलानाम भूमि पर कब्जे दर्ज हुए हैं। इसमें से 228 प्रकरण तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और बाकी उदयपुर नगर विकास न्यास, नगर विकास प्रन्यास के पैराफेरी क्षेत्र में आते हैं इसलिए जो पैराफेरी क्षेत्र में आ गए हैं उनका तो नियमों के अन्तर्गत नियमन हो नहीं सकता और जो ग्रामीण क्षेत्रों के 228 प्रकरण हैं उसके बारे में यह जो 228 कब्जे हैं जिन काश्तकारों के, वह आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद उसके साथ-साथ खसरा परिवर्तनशील की नकल साथ में लगाएंगे, वह यह साबित करेंगे कि उनका कन्टीन्यू पजेशन है, अगर लगातार उनका कब्जा है, यह साबित होने पर, सारे प्रूफ देने के बाद ही उस पर विचार किया जा सकता है। जहां तक 228 मामले हैं अभी प्रशासन गांव के संग शिविर चला, उसमें इनका किसी का कोई आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन करेंगे तो उसमें नियमों के तहत परीक्षण करवा लेंगे और परीक्षण करवाने के बाद नियम योग्य केस पाए गए तो उस पर उसके अनुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। एसडीओ की अध्यक्षता में अलाटमेंट और नियमन की कमेटी बनी हुई है जिसमें एमएलए भी मैम्बर है, प्रधान भी मैम्बर है और सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच भी उसमें मैम्बर है। तभी उस पर विचार

(श्री हेमाराम चौधरी)

किया जाना सम्भव हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आवेदन करने की बात है फिर उसके बाद में नियमन की शर्तें हैं उसको पूरी करने के पश्चात् ही नियमन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह।

ब्यावर के सेदरिया खेल स्टेडियम हेतु अवाप्त भूमि

344. श्री शंकर सिंह (ब्यावर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ब्यावर के सेदरिया के निर्माणाधीन खेल स्टेडियम की भूमि पर काबिज व्यक्तियों को भूमि और मकान का आश्वासन देकर बेदखल किया गया था यदि हां तो कितने व्यक्तियों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि 1 वर्ष के बाद भी नि:शुल्क भूमि और मकान नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार हटाये गये निर्धन व्यक्तियों को शीघ्र ही नि:शुल्क भूमि/मकान आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी नहीं। ब्यावर के ग्राम सेदरिया निर्माणाधीन खेल स्टेडियम की भूमि पर अतिक्रमियों को भूमि या मकान देने का आश्वासन देकर बेदखल नहीं किया गया था। हालांकि बेदखली के बाद नगर परिषद, ब्यावर की साधारण सभा दिनांक 08.06.2012 में ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु ग्राम सेदरिया के खसरा नम्बर 1075/3 की नगर परिषद की भूमि पर इन अतिक्रमियों को आरक्षित दर पर नियमानुसार भूखण्ड आबंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। नगर परिषद, ब्यावर की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव दिनांक 08.06.2012 में खेल स्टेडियम की भूमि पर अतिक्रमियों को ग्राम सेदरिया के खसरा नम्बर 1075/3 में भूखण्ड आरक्षित दर पर आबंटित

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

करने का निर्णय लिया गया था। साधारण सभा के प्रस्ताव में जिस खसरे पर पुनर्वास का निर्णय लिया गया था उस खसरे में पूर्व से ही लोग बसे होने के कारण समस्त अतिक्रमियों के पुनर्वास हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने से अतिक्रमियों को ग्राम सेदरियां खसरा नम्बर 1075/1 में पुनर्वास योजना प्रस्तावित की गयी थी। बाद में उस भूमि पर तुलसासिंह बनाम नगर परिषद, ब्यावर व अन्य का वाद न्यायालय में संस्थित होने से भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकी। माननीय न्यायालय के निर्णय होने के उपरान्त ही परिषद हित में गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(3) प्रश्न के इस भाग का उत्तर प्रश्न के भाग दो के उत्तर में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम का निर्माण पिछले चार साल से सहभागिता योजना के अन्तर्गत शुरू करवाया गया था। दस प्रतिशत राशि विधायक कोटे से जमा करवाकर कार्य शुरू करवाया गया था और जब भी माननीय खेल मंत्री जी आते हैं, वहां पर कहा गया कि खेल स्टेडियम हम बनवाकर रहेंगे, आज तक वह शुरू नहीं करवाया गया। उसके ऊपर अतिक्रमण था, सन् 1988 से वह जमीन खेल स्टेडियम के नाम पर दर्ज है तो वह अतिक्रमण कैसे हो गया? अतिक्रमण भी लोगों को हटाया तो उनको किस प्रकार वापस पुन: बसाने का काम भी, सरकार का होना चाहिए था लेकिन नगर परिषद में प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव संख्या इतने पर यह सूची संलग्न है उसके अनुसार हम लोगों को मकान आबंटित कर रहे हैं लेकिन करते-करते चार साल तो हो गए, कब तक कर पाएंगे समय सीमा निर्धारित की जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 40 बीघा जमीन तत्कालीन कलक्टर ने 1988 में खेल स्टेडियम के लिए अलाट की थी और जिस जगह यह खेल के मैदान के लिए जमीन अलाट की गई थी उस वक्त करीब 44 अतिक्रमी थे। अतिक्रमियों के कुछ तो मकान बने थे, कुछ पर वैसे ही कब्जे कर रखे थे। उनको निश्चित

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

तौर पर उस वक्त हटाया गया था लेकिन नगर परिषद के द्वारा कोई इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया कि हम आपको मकान की जगह मकान दे देंगे और भूमि की जगह भूमि दे देंगे, उसके उपरान्त भी नगर परिषद ने पहली 26.9.2011 को अपनी साधारण सभा की बैठक बुलाई, लेकिन वह साधारण सभा की बैठक स्थगित हो गई और फिर 29.9.2011 को फिर साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। उस साधारण सभा की बैठक में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तो 20 मैम्बर थे और 12 कांग्रेस के मैम्बर थे उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद चैयरमेन ने नोट आफ डिसैंट डाला, नोट आफ डिसैंट डाला तो वह राज्य सरकार के विचाराधीन आया। राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि बगैर विचार किए हुए किसी भी प्रस्ताव को खारिज साधारण सभा नहीं कर सकती। उसके उपरान्त 8.6.2012 को यह फैसला किया गया कि 1075/3 पर जिस पर कि कब्जे हैं उसके स्थान पर 1075/1 पर जो साठ बीघा जमीन है, उस पर इनको बसा दिया जाए। वह भूमि निश्चित तौर पर नगर परिषद के कब्जे में है। सिर्फ एक दस बाई दस का मकान तुलसासिंह ने बना रखा है जिसमें विवाद है। तो सरकार यह डायरेक्शन अब दे रही है नगर परिषद को कि बाकी जितनी भी जमीन हैं, उन पर पुनर्वास जल्दी से जल्दी कर दिया जावे। आपने इसके लिए, जो आपने कहा कि निर्माण नहीं हुआ, चारदीवारी बन चुकी है, आपने भी अपने विधायक कोष से साढ़े सात लाख, आठ लाख रुपये दिए हैं, स्पोर्टस काउंसिल ने 50 लाख रुपये दिए हैं, उनको 19 लाख रुपये और देना बाकी है। आपकी भी एक अनुशंसा आई है कि 20 लाख रुपये मैं और देने को तैयार हूं लेकिन अभी तक दिए नहीं हैं। वह आप जल्दी भिजवा दो ताकि इस पर जल्दी काम हो जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री सी.एल. प्रेमी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि 30 लाख रुपये एक साल से पड़े हुए हैं, एक साल से दिए हुए विधायक कोटे से, इनका भी जवाब नहीं आया।

केशोरायपाटन में चम्बल नदी से सिंचाई सुविधा हेतु कार्य योजना

345. श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के गांव ढीकोली व रोटेदा चम्बल नदी के समीप स्थित है व इस कारण यहां नहरी पानी समय पर एवं उचित मात्रा में नहीं पहुंच पाता है।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में स्थित 10,000 बीघा जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु चम्बल नदी से लिफ्ट परियोजना के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी हां। ढीकोली व रोंटेदा चम्बल नदी के पास स्थित हैं, इन गांवों को पानी अनन्तपुरा वितरिका से दिया जाता है। ये गांव अनन्तपुरा वितरिका की टेल पर स्थित हैं। इस वर्ष टेल पर पानी पहुंचाया जा चुका है।

(2) जी नहीं। चम्बल नदी घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र घोषित होने के कारण वर्तमान में कोई भी लिफ्ट परियोजना विचाराधीन नहीं है।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2012-13 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नहरों के जीर्णोद्धार के लिये 1274 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे, इस योजना के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से कार्य आपने करवाये हैं, कृपया बताएं।

दूसरा, मेरा यह क्वश्चन है कि गांधी सागर में 1300 फीट से अधिक पानी होने के बावजूद भी किसानों को इस बार टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। कृपया उसका भी मंत्रीजी बताएं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): अध्यक्ष महोदय, यह केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र के दो गांवों का प्रश्न है। उसमें पानी की स्थिति, जो विभाग ने पहुंचाया है, वह मैं आपके माध्यम से निवेदन कर देता हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): काले चश्मे में दिख रहा है?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): जी, साहब, देखना पड़ता है।

रेलन अवधि, अपने यहां अध्यक्ष महोदय, पलावा बोलते हैं, इनके यहां रेलन अवधि, रेलन का काम होता है वह रोटेंदा में 28.10.2012 से 21.11.2012 तक, 25 दिन तक पानी दिया गया। ढीकोली में 22.11.2012 से 10.12.2012 तक, 19 दिन पानी दिया गया। प्रथम और द्वितीय के लिये रोटेंदा में 26.12.2012 से 30.01.2013 तक 36 दिन पानी दिया गया। ढीकोली में 12.01.2013 से 22.01.2013 तक पानी पहुंचाया गया। द्वितीय और तृतीय, रोटेंदा गांव में 12.02.2013 से 22.02.2013 तक दिया गया और ढीकोली में 13.02.2013 से 22.02.2013 तक पानी दिया गया। रोटेंदा तृतीय और चतुर्थ, रोटेंदा ग्राम में 01.03.2013 से लगातार अब भी चल रहा है।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि नहरों की मरम्मत के अभाव में एवं विभागीय लापरवाही से कितने क्यूसेक पानी बेकार जाता है। यह मेरा क्वेश्चन है। एक मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि गांधी सागर, जहां से पूरी चम्बल का पानी गांधी सागर में आता है, फिर राणा प्रताप सागर में आता है उसके बाद जवाहर सागर में आता है, उसके बाद कोटा बैराज में आता है। गांधी सागर के ऊपर मध्य प्रदेश ने बहुत सारे एनीकट बना रखे हैं। इसलिये राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिलता है। उनके अधिकारी और हमारे राजस्थान के अधिकारी मिलकर के, अभी बीच में जब इनकी मीटिंग हुई उसमें भी झगड़ा हुआ, इसलिये भी वहां के किसानों को एल.एन.जी., आई.एम.जी. में पानी नहीं मिला। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन नहरों के लिये आप बाड़ाबंदी करने की घोषणा करेंगे? ताकि किसानों को उसका सही पानी मिले। बाड़ाबंदी करना चाहते हैं क्या आप, मंत्रीजी यह बताएं?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बहुत अच्छा सुझाव है। उसमें आप बाड़ाबंदी कर दो। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और हमारी राजस्थान कैनाल में सारी जगह सिस्टम लागू है तो यह फुल-प्रूफ सिस्टम है। उसके बाद में आपके कोई प्रोब्लम नहीं आएगी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना):

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि केशवरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं बाड़ाबंदी की बात, तो बाड़ाबंदी के लिये सब जन-प्रतिनिधियों की हम मीटिंग बुलाएंगे, उनके विचार जानेंगे। निश्चित रूप से इस चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में पानी का बहुत दुरुपयोग होता है। पानी खेत में से आता है, चला जाता है। फिर उसी नदी में वापस आ जाता है, नालों से बहकर जाता है। इसीलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में भी घोषणा की थी और इसमें भी घोषणा की है, 1274 करोड़ रुपये की, इन नहरों को पक्का करने के लिये, इनकी वितरिकाओं को पक्का करने के लिये, उसके बाद ही बाड़ाबंदी पर विचार किया जा सकता है। यह सारे जन-प्रतिनिधि अगर उसके बारे में सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसमें आगे कदम बढ़ाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत यादव।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 346. ...(व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय अध्यक्षजी, इनसे यह पूछें कि 1274 करोड़ रुपये में से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने काम हुए, यह आप बतायें। यह तो बताया नहीं आपने। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पक्का करने की कहां जरुरत है। पूरा क्षेत्र हमारे गंग कैनाल में, इन सारे में, आई.जी.एन.पी. जब बनी थी ...(व्यवधान) उस समय बाड़ाबंदी लागू थी।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): यह 1274 करोड़ रुपये में से कितने करोड़ रुपये इन्होंने मेरी विधान सभा में खर्च किये। यह बता दें आप।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पक्का करने की कहां जरूरत है। यही एक फुल-प्रूफ सिस्टम है।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): आप यह पूछ लें कि 1274 करोड़ रुपये, जो बजट में पिछली बार कहे, उनमें से मेरी विधान सभा में कितने का काम कराया और नहीं कराया तो किन अधिकारियों की लापरवाही से काम नहीं हुआ?

कोटकासिम (अलवर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों/कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास

346. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामहेत सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटकासिम में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद सृजित हैं एवं सृजित पदों के विरुद्ध कितने चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिये कोटकासिम में राजकीय आवास निर्मित कराये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आवास कब एवं किस एजेन्सी से निर्मित कराये गये तथा उक्त आवासों के निर्माण पर कितना व्यय किया गया व निर्माण पश्चात किस विभाग को सौंपा गया? क्या निर्मित आवास रहने योग्य नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिये निर्मित भवन सुरक्षा की दृष्टि से रहने योग्य नहीं होने के कारण कोई भी चिकित्सक/कर्मचारी राजकीय आवास में नहीं रहते हैं? यदि हां, तो आवास सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के अधीन आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटकासिम में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के 25 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 16 पदों पर चिकित्सक एवं अराजपत्रित कर्मचारी कार्यरत/पदस्थापित हैं तथा 9 पद रिक्त हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2008 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सकों हेतु 03 एवं अन्य कर्मचारियों हेतु 03, कुल 06 आवास निर्मित किये गये थे। उक्त आवासों का निर्माण कार्य मैसर्स एस.एम. तिवारी, बांदीकुई द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अभियांत्रिकी शाखा की देखरेख में किया गया था। आवासों के निर्माण पर राशि रुपये 44.30 लाख व्यय हुए तथा इन आवासों को निर्माण पश्चात चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटकासिम को दिनांक 11.09.2008 को सौंपा गया।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटकासिम में वर्ष 2008 से पूर्व के 2 राजकीय आवास निर्मित अत्यधिक पुराने हैं। उक्त दोनों आवास पुराने होने के कारण इनके निर्माण व लागत तथा सुपुर्दगी सम्बन्धी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं।

जी नहीं। सभी निर्मित आवास रहने योग्य हैं।

(3) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटकासिम में वर्ष 2008 से पूर्व निर्मित 2 राजकीय आवासों में से एक आवास में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, डा. नरेश यादव मार्च, 2012 से तथा दूसरे आवास में श्रीमती कमलेश चौधरी, एलएचवी (पातेय वेतन) मार्च, 2012 से निवास कर रही हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्मित 06 आवासों में से 04 आवासों में क्रमश: श्री रामकृष्ण यादव, ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर प्रबंधक (संविदा) अगस्त, 2009 से, श्री रामसिंह कोलावत नर्स श्रेणी-प्रथम नवम्बर, 2008 से, श्रीमती सुमन गुप्ता, नर्स श्रेणी-द्वितीय नवम्बर, 2008 से, एवं श्री टीकाराम यादव, नर्स श्रेणी-द्वितीय नवम्बर, 2008 से रह रहे हैं। तथा सभी सरकारी आवास सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हैं। अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो पैरा नम्बर 'एक' के साथ जो परिशिष्ट लगाया है, जो बहुत सारे पद खाली हैं डाक्टर्स के, इनको कब तक भर देंगे।

जो आवास बने हुए हैं, दो तो बहुत पुराने हैं, जो आपने स्वयं ने माना, जिसका रिकार्ड नहीं है और जो आवास बने हैं उनमें आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जो निर्माण कार्य में त्रुटि रह गई है उनको कब तक ठीक करा देंगे।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल पर जो रैफर किया है माननीय रामहेतजी ने, वह प्रमोशन की पोस्ट्स हैं। डी.पी.सी. का हमारा प्रोसीजर कम्पलीट हो गया है। इसको हम जल्दी से जल्दी, जो यह प्रमोशन की पोस्ट्स हैं इनको हम जल्दी भर देंगे।

जहां तक आवास का ताल्लुक है, वैसे तो हमने वे एक्जामिन करवा लिये थे, जितने भी रेजीडेंसेज हैं, हमने पाया कि वह रहने के लिए सुरक्षित हैं,

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान) (दुरू मियां)

मगर उसके बावजूद भी हम उनकी दुबारा जांच करवा लेंगे। अगर किसी चीज में, उसमें रिपेयर की जरुरत हुई तो हम जल्दी से जल्दी उसमें रिपेयर करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अनिल जैन।

झालावाड़ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की भाषा प्रयोगशाला का पुन:संचालन

347. श्री अनिल जैन (खानपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लैंग्वेज लेब की स्थापना की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लेब में अब तक कितने छात्र/छात्राओं ने अंग्रेजी भाषा सीखने का लाभ प्राप्त किया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त लैंग्वेज लेब संचालित नहीं की जा रही है? यदि हां, तो संचालित नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार छात्रों की स्किल, भाषा आदि को विकसित करने हेतु उक्त लैंग्वेज लेब शीघ्र शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. दयाराम परमार): (1) जी हां। झालावाड़ जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सत्र 2007-08 में लैंग्वेज लेब की स्थापना की गई थी।

(2) उक्त लेब में सत्र 2007-08 में 50 छात्र, सत्र 2008-09 में 60 छात्र/छात्राओं ने अंग्रेजी भाषा सीखने का लाभ प्राप्त किया।

(3) जी हां। महाविद्यालय द्वारा प्रयास करने पर भी छात्र/छात्राओं के आवेदन प्राप्त नहीं हुए। संदर्भ प्रशिक्षित व्यक्ति की भी उपलब्धता के अभाव में वर्तमान में यह लेब संचालित नहीं हो पा रही है।

(4) जी हां। आगामी सत्र 2013-14 में यदि छात्र/छात्राओं की अपेक्षित संख्या अंग्रेजी भाषा सीखने हेतु आवेदन करती है तो यह लेब प्रारम्भ की जा सकती है।

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कालेज विद्यार्थियों, स्किल्ड लेबर डवलपमेंट और रोजगार-परक बारीकियों को सिखाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के समस्त 27 कालेजों में इसे शुरू किया गया था? क्या बजट के अभाव में झालावाड़ में यह लेब बंद की गई? जब छात्रों की बढ़ोतरी हो रही थी तो क्यों बंद की गई? जैसा कि आपने बताया कि बजट के अभाव के कारण बंद नहीं की गई है तो आपके प्रिंसिपल ने समाचार पत्रों में वक्तव्य दिया है कि बजट के अभाव में यह बंद की गई है। और जब आप यह बता रहे हैं कि पहले वर्ष में 50 छात्र थे और अगले वर्ष में 60 छात्र हुए तो जब छात्रों की बढ़ोतरी हो रही थी तो फिर यह क्यों बंद की गई और आगामी सत्र में आप इसे चालू करने के लिए कह रहे हैं तो आपने बजट का प्रावधान किया है क्या? जब तक आप इसे चालू ही नहीं करेंगे तो छात्रों के आवेदन कहां से आएंगे? इसलिए पहले इसे चालू करना आवश्यक है। क्या आप यह चालू करेंगे?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी सत्र में शुरू करने के लिए, इस साल में हम सभी 142 कालेज में लेब शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए हमें बजट प्राप्त हो गया है और आगामी प्रथम चरण में हमने 40 महाविद्यालयों में, यह प्रत्येक महाविद्यालय में 15 लाख रुपया खर्चा करके लेब शुरू की जाएगी उसमें 40 में आपका महाविद्यालय भी सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रश्न संख्या- 348

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री वासुदेव देवनानी।

प्रदेश में आशा सहयोगिनियों के रिक्त पद

349. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में आशा सहयोगिनी के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम स्तर पर आशा सहयोगिनी की क्या भूमिकाएं हैं व इनको मानदेय का भुगतान किस आधार पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) क्या उक्त आशा सहयोगिनियों को प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो अभी तक कितनी आशा सहयोगिनियों को यह किट उपलब्ध कराया गया है तथा इस किट में क्या-क्या सामग्री व उपकरण दिए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, महिला व बाल विकास।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) राज्य में आशा सहयोगिनियों के 54915 पद हैं व जनवरी 2013 में 44952 पदों पर आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं। जिलेवार तथा वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) ग्राम स्तर पर आशा सहयोगिनी की भूमिकाएं मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं:-

1. परिवार सम्पर्क करना व निम्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर परिवार सम्पर्क के दौरान परामर्श देना :-

1. किशोर स्वास्थ्य
2. गर्भावस्था व प्रसव
3. टीकाकारण
4. बाल स्वास्थ्य एवं पोषण
5. गर्भपात
6. परिवार कल्याण साधन
7. यौन जनित रोग/एड्स
8. टी.बी./मलेरिया/मोतियाबिंद/कुष्ठ रोग
9. व्यक्तिगत सफाई व स्वच्छता

2. गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच तथा टीके लगवाना एवं प्रसव पश्चात देखभाल करना।

3. गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना।

4. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन करना।

5. एमसीएचएन दिवस पर बच्चों को टीकाकरण हेतु टीकाकरण सत्र पर ले जाना।

(श्री परसादीलाल)

6. योग्य दम्पत्तियों को महिला व पुरुष नसबंदी के लिए प्रेरित करना।

7. अन्तराल साधनों का वितरण करना।

8. टी.बी./मलेरिया/कुष्ठ रोगों के मरीजों की पहचान करना व उन्हें परामर्श देकर उपचार लेने हेतु प्रेरित करना।

मानदेय का विवरण-

(अ) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आशा सहयोगिनी को 01.04.2012 से 1100 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट अभिभाषण 2013-14 में मानदेय 500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई है।

(ब) आशा सहयोगिनी एक स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता है। अत: स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा सहयोगिनी को विभिन्न गतिविधियों के सम्पादन हेतु मुख्य रूप से निम्नानुसार प्रेरक राशि दिए जाने का प्रावधान है :-

- प्रसव का पंजीकरण एवं 3 जांच करवाने पर 100/- रुपए प्रति महिला।
- प्रसव पश्चात् प्रसूता की 42 दिन तक देखभाल करने पर 100/- रुपए प्रति महिला।
- संस्थागत प्रसव (केवल ग्रामीण क्षेत्र में) हेतु प्रेरित करने पर 150/- रुपए प्रति महिला।
- मातृ एवं शिशु मृत्यु की सूचना देने पर 50 रुपए प्रति केस।
- टी.बी. का पूर्ण उपचार करवाने पर 250/- रुपये प्रति व्यक्ति।
- मलेरिया रोगी का पूर्ण उपचार करवाने पर 50/- रुपए प्रति व्यक्ति।

मोतियाबिंद के उपचार हेतु प्रेरित कर आपरेशन करवाने पर 175/- रुपए प्रति केस।

कुष्ठ रोगी का पंजीकरण एवं पूर्ण उपचार करवाने पर	पी.बी. केस का रजिस्ट्रेशन	100/- रुपए
	पी.बी. का पूर्ण उपचार	200/- रुपए
	एम.बी. केस कर रजिस्ट्रेशन	100/- रुपए
	एम.बी. का पूर्ण उपचार	400/- रुपए

पुरुष नसबंदी करवाने पर 200/- रुपए प्रति केस।

(श्री परसादीलाल)

● महिला नसबंदी करवाने पर 150/- रुपए प्रति केस।

● एक या दो बच्चों पर नसबंदी करवाने पर 1000/- रुपए प्रति केस।

● कुपोषण उपचार केन्द्र से डिस्चार्ज शिशु का 3 माह तक फालोअप करने पर 200/- रुपए प्रति केस।

● नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना के अन्तर्गत निर्धारित दिनों पर प्रसूता के घर पर जाकर 42 दिन तक मां व शिशु की देखभाल करने पर 250/- रुपया प्रति केस।

● बच्चे की एक वर्ष तक आयु पूर्ण होने से पूर्व पूर्ण टीकाकारण करवाने पर 100/- रुपए प्रति बच्चा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने पढ़ लिया।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं पढ़ूंगा न, नहीं तो हाउस में कैसे आएगा?

● बच्चे की दो वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व पूर्ण टीकाकारण करवाने पर 50/- रुपए प्रति बच्चा।

● मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन आशा द्वारा गर्भवती महिला व बच्चों को टीकाकरण हेतु मोबिलाइज करने पर 150/- रुपए प्रति सत्र।

● प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक बैठक में उपस्थित होने पर 100/- रुपए प्रति बैठक।

● ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन करवाने हेतु 100/- रुपए प्रति बैठक।

(3) जी हां। आशा सहयोगिनियों को प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2010-11 में 41900 आशा सहयोगिनियों को यह किट उपलब्ध करवाया गया था। वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में क्रमश: 7373 एवं 2677 आशा दवा किट क्रय कर शेष आशा सहयोगिनियों को दवा किट उपलब्ध करवाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। किट में उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री निम्नानुसार है:-

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह तो उत्तर में आ गया मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं पढ़ रहा हूं न, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको सवालों से तो तकलीफ नहीं होती। देवनानीजी से आपकी कोई नाराजगी है क्या?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): मंत्रीजी, धीरे-धीरे पढ़ो। समझ में नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिए।

क्र.सं.	**किट में उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री**
1.	फोलिक एसिड और फेरस सल्फेट (बड़े)
2.	आरल रिहाईड्रेशन साल्ट आईपी 20.5 जीएन (डब्ल्यूएचओ फार्मूला)
3.	पेरासीटामोल टेबलेट आईपी 500 एमजी
4.	डाईक्लोमाईन टेबलेट आईपी 10 एमजी
5.	पावीडिन लोडाईन आईटमेंट यूएसपी 5 प्रतिशत
6.	एबसोरेंट काटन आईपी 500 जीएम
7.	जन्टाइन वाइलेंट टापिकल साल्यूशन यूएसपी 50 एमएल 1 प्रतिशत
8.	पेरासीटामोल सीरप आईपी 125 एमजी/5 एमएल

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जल्दी पढ़ रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। आप थोड़ा समझाइए।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

नार्थ इंडिया आई.टी. पार्क प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

350. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत 3 वर्षो में नार्थ इंडिया आई.टी. पार्क प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ने बीकानेर व जैसलमेर जिले में कब-कब कितनी-कितनी कृषि भूमि खरीदी तथा अब तक कुल कितने एकड़ भूमि की खरीद हुई?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि नार्थ इंडिया आई.टी. पार्क प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा बीकानेर व जैसलमेर जिले में खरीदी गई भूमि की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई? यदि हां, तो शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कम्पनी ने राजस्थान में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि पाक सीमा के साथ लगे बीकानेर, कोलायत व जैसलमेर में भूमि खरीदने की कोई अनुमति सरकार से ली थी? यदि हां, तो अनुमति कब व किस स्तर पर जारी हुई?

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) गत 3 वर्षों में नोर्थ इंडिया आई.टी. पार्क लिमिटेड कम्पनी द्वारा बीकानेर जिले की तहसील कोलायत में क्रय की गई भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**दस्तावेज दिनांक**	**गांव का नाम**	**क्षेत्रफल बीघों में**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	19.9.2010	अराजी जीतू सिंह	40
2.	19.9.2010	शरह किसनायत	15
3.	19.9.2010	शरह किसनायत	15
4.	19.9.2010	शरह किसनायत	15
5.	19.9.2010	शरह किसनायत	15
6.	03.03.2010	शरह किसनायत	11.18
7.	03.03.2010	शरह किसनायत	15
8.	03.03.2010	शरह किसनायत	15
9.	03.03.2010	शरह किसनायत	15
10.	03.08.2011	गजनेर	9.18
11.	04.06.2012	मगनेवाला	32
12.	11.06.2012	चक मुलाजमान	13
13.	11.06.2012	चक मुलाजमान	150
14.	11.06.2012	चक मुलाजमान	16
15.	11.06.2012	चक मुलाजमान	50
		कुल योग	407.16
		एकड़	254.47

(श्री हेमाराम चौधरी)

जैसलमेर जिले में गत तीन वर्षों में उक्त कम्पनी द्वारा कृषि भूमि क्रय नहीं की गयी है।

(2) जी नहीं। नोर्थ इंडिया आई.टी. पार्क प्रा. लि. कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। कम्पनी द्वारा क्रय की गई भूमि प्रतिबन्धित थाना क्षेत्र से बाहर होने के कारण अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खण्ड 'एक' में कहा है कि नोर्थ इंडिया आई.टी. पार्क प्रा. लि. कम्पनी ने बीकानेर के कोलायत में 19.2.2010 से 11.6.2012 तक 407 बीघा जमीन खरीदी और आपने जो परिशिष्ट 'अ' लगाया है, उसमें कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर की सूची में लिखा है राबर्ट बढ़ेरा सन आफ राजेन्द्र बढ़ेरा 35 लोधी स्टेट, नई दिल्ली और दूसरा रखा है मोरीन बढ़ेरा सन आफ राजेन्द्र बढ़ेरा, 162, न्यू फ्रेण्ड्स कालोनी, नई दिल्ली। क्या यह सही है कि इन्हीं के नाम से राबर्ट बढ़ेरा के नाम से स्काई लाइट हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ब्ल्यू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्काई लाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, रियल अर्थ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, नार्थ इंडिया आई.टी. पार्क प्राइवेट लिमिटेड, लाइफ लाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनवेव एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, राइट लाइन एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर इन्फ्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी कम्पनियों में भी क्या जो आपने परिशिष्ट 'अ' में जिन राबर्ट बढ़ेरा का नाम उल्लेखित किया है, क्या वह और भी कम्पनियों में बोर्ड आफ डायरेक्टर हैं, जिन्होंने जमीन खरीदी? नम्बर एक। नम्बर दो जो जमीन खरीदी, वह जमीन क्या राजस्थान सीलिंग एक्ट के अनुसार चूंकि कम्पनी को एक यूनिट मानी है तो वह सीलिंग एक्ट की परिधि में आती है? दूसरा, जमीन खरीदने पर उसका प्रयोजनार्थ बताया जाता है। किस प्रयोजन के लिये इन्होंने जमीन खरीदी? कृपया यह बतायें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केवल नोर्थ इंडिया आई टी पार्क प्रा. लि. के द्वारा क्रय की गयी जमीन के बारे में प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष: उसी के सम्बन्ध में खाली जवाब देना है। जवाब केवल उसी के सम्बन्ध में देना है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इसके अलावा राजस्थान में और कितनी कम्पनियां हैं, किस-किस कम्पनी ने कितनी-कितनी जमीन खरीदी है, उसके बारे में इन्होंने पूछा नहीं। मैं कहां से बता दूं मुझे पता नहीं। राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लुटाओ राजस्थान को। (व्यवधान) लुटाओ राजस्थान को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोर-शराबा एवं नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): ×××

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भी भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोर-शराबा एवं सदन कूप में प्रवेश एवं नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोर-शराबा एवं सदन कूप में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भी भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (हाथ के इशारे से मना किया)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा वैल में लगातार नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों के द्वारा नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, बैठें। आसन पांवों पर है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

कृपया शांति बनाये रखें। कृपया विराज जाएं।

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड कोटा में 900 अवधिपार ऋणियों की वसूली पर अत्यधिक ब्याज वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

   कृपया विराजें।

2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र बाली की कतिपय माडा

(श्री अध्यक्ष)

चयनित ग्राम पंचायत एवं ग्राम जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में हैं, को टाडा योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

3. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती अनिता भदेल एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में स्थित एलसी गेट संख्या 46 मदार-दोराई बाइपास के आर.ओ.बी. को स्वीकृत नहीं करने से नागरिकों के आन्दोलित होने के सम्बन्ध में।
5. श्री सुखराम कोली एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से आराजी खसरा नं. 2406 एवं 2700 सीमा हिण्डौन सिटी जिला करौली की फर्जी स्टाम्प पर भूमि को भूमाफियाओं द्वारा भूमि हड़पने एवं सम्बन्धित दलित परिवारों को जान से मारने की घमकी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाने की घोषणा के उपरान्त भी उक्त अधिनियम नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7. श्री अब्दुल सगीर खान एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में डांग विकास योजना के अन्तर्गत विगत 4 वर्षों से विकास कार्य नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
8. श्री हरिसिंह रावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम की कतिपय ग्राम पंचायतों को वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से कृषि भूमि विद्युत कनेक्शनों के वर्ष 2009 एवं 2010 के आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेकर इसी वर्ष कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।
10. श्री रामहेत सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आबंटन में सभी महाविद्यालयों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की अधिकतर सड़कें टूटी-फूटी होने से आम-जन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

13. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा सम्भाग के ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा मनमानी व अवैध वसूली किये जाने से किसानों में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

14. श्री अभिषेक मटोरिया एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में गड़बडी होने, विवादित परीक्षा परिणाम जारी होने, एक दर्जन से अधिक परीक्षाओं को न्यायालय में चुनौती देने से अभ्यर्थियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

15. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, सदस्य की ओर से मदरसा शिक्षा एवं उर्दू शिक्षा में हुई गम्भीर अनियमितता, फर्जी नियुक्तियों का प्रकरण उजागर होने के बाद 128 पैराटीचर्स की सेवाएं समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

16. श्री विजय बंसल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट के चारों ओर बहने वाली नहर से सिल्ट निकासी के कारण एक कालेज की छत व नहर की मोटवाल गिरने से हुई जनहानि के सम्बन्ध में।

17. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से असंगठित खनन श्रमिकों के कल्याण एवं प्रशिक्षण के लिए कारगर उपाय नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य श्री अभिषेक मटोरिया, श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, श्री विजय बंसल एवं श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

1. श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बून्दी बिजोलिया नैनवां लाखेरी रोड का बून्दी में बाइपास बनाने के सम्बन्ध में।
2. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के सिविल हवाई अड्डे का विस्तार करने के सम्बन्ध में।
3. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कालेज के अराजपत्रित कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में प्राकृतिक आपदा के कारण रबी की फसल को हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में।
5. श्री बनवारी लाल सिंघल, सदस्य की ओर से राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 में वर्ष 2008 में किए गये संशोधन का पुन: परीक्षण करने के सम्बन्ध में।
6. श्री राजकुमार रिणवा, सदस्य की ओर से जयपुर शहर की स्टेशन रोड पर विशेष ध्यान देकर उसमें सुधार करने के सम्बन्ध में।
7. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 को चार लाइन का बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने के सम्बन्ध में।
8. श्री प्रेमचन्द नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गेता से माखीदा के बीच चम्बल नदी पर बनने वाले पुल का निर्माण कार्य लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से राज्य के लगभग 20 जिलों में निवास करने वाले कीर जाति के अन्य विशेष पिछड़ा वर्ग एस.बी.सी. में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती बसन्ती देवी मीणा, सदस्य की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत 163 महिला पर्यवेक्षकों (ग्राम सेविकाओं) को 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री भरोसी लाल जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के कतिपय ग्राम एवं ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के सम्बन्ध में।

12. डा. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की बीकानेर से छतरगढ़ एवं कतिपय अन्य सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना को आज पढ़ा हुआ माना जा रहा है क्योंकि काफी लम्बी बहस चलेगी।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेखों की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अभिषेक मटोरिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में विवादों के चलते अभ्यर्थियों में व्याप्त आक्रोश

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत दो वर्षों से द्वितीय श्रेणी अध्यापक, पी.टी.आई. एच.एम. एकाउंटेंट, जूनियर एकाउंटेंट, आर.जे.एस. एस.आई., एल.डी.सी. ऐसी तमाम भर्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग की देरी की वजह से, गफलत की वजह से, नाकामी की वजह से, कभी भर्ती परीक्षा पत्रों में गड़बड़ी की वजह से, कभी आरक्षण के प्रावधानों को लेकर और दो वर्ष में दो दर्जन से अधिक मुकदमे न्यायालय में भी इस कारण जा चुके हैं।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(12.10 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिसकी वजह से राजस्थान के लाखों बेरोजगार नवयुवकों को बार-बार कोर्ट-कचहरी और वकीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आये दिन इनके द्वारा धरने-प्रदर्शन दिये जा रहे हैं और जिसके परिणामस्वरूप जो व्यक्ति धरने-प्रदर्शन देता है, गफलत में, आनन-फानन में आर.पी.एस.सी. जल्द से जल्द उनका परिणाम घोषित कर देती है, पुन: न्यायालय में जाकर संशोधित परिणाम घोषित होता है, पुन: जाकर तीसरी बार परिणाम यहां देखने को मिले।

मैं आपके समक्ष तारीख वाइज बताना चाहूंगा कि किस प्रकार, किस-किस भर्ती में आर.पी.एस.सी. द्वारा कितना समय लिया गया। सर्वप्रथम 29 दिसम्बर को गणित और सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम के बाद नियुक्ति नहीं मिलने पर सभी जन प्रतिनिधियों को पत्र दिया व रोष प्रकट करके जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया। उसके बाद सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित परिणाम तीसरी बार जारी हुआ। सर्वप्रथम यह परिणाम 5 मार्च को हुआ, संशोधित परिणाम 20 सितम्बर को हुआ उसके बाद पुन: यह परिणाम जारी हुआ। आयोग के इतिहास में पहली बार किसी भी भर्ती परीक्षा का तीन बार परिणाम जारी हुआ।

उसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की सामाजिक नियुक्तियों पर राजस्थान हाई कोर्ट ने पुन: रोक लगा दी, 4 दिसम्बर, 2012 को। उसके बाद अकाउन्टेंट व जूनियर अकाउन्टेंट की भर्ती में विवादित प्रश्नों को चुनौती मिली, पुन: उस पर रोक लग गयी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी सीट पर आइये और बताइये। (व्यवधान) अपने आसन पर विराजिये, उसके बाद कुछ बोलिए। हां, अभिषेकजी।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): उसके बाद लेखाकार व कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 का परिणाम संशोधित करके जारी किया गया और पुन: असन्तुष्ट अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे। आयोग ने गत वर्ष 28 दिसम्बर को तीसरी बार परीक्षा परिणाम जारी किया। जिसके परिणामस्वरूप 500 से अधिक अभ्यर्थी जिन्होंने इसमें भाग लिया वो इससे

(श्री अभिषेक मटोरिया)

वंचित रह गये। आयोग द्वारा गठित प्रथम व द्वितीय विशेषज्ञ समिति, दो बार एक्सपर्ट कमेटियों का गठन किया गया। उनके उत्तरों में पच्चीस पहले में और द्वितीय प्रश्न पत्र में नौ बार ऐसे प्रश्न पाये गये, जिनको निरस्त किया गया।

उसके बाद सहायक लोक अभियोजक की चयन प्रक्रिया में पाबन्दी हाई कोर्ट द्वारा लगायी गयी क्योंकि पूर्व में 74 व बाद में 96 अभ्यर्थी उत्तीर्ण पाये गये थे। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, 6 नवम्बर, 2012 को हाई कोर्ट ने लेखाकार भर्ती अनियमितता मामले में आर पी एस सी की कार्य शैली पर सवाल उठाते हुए संविधान के तहत आर पी एस सी को जो कार्य सौंपा गया था, हाई कोर्ट का मानना था कि यह कार्य आर पी एस सी ढंग से नहीं कर रही। यह वहां के वर्डिंग्स थे कि आर पी एस सी नाकारा हो चुकी है। यह आघात देने वाला विषय है कि इतने संसाधन होने के बावजूद आर पी एस सी अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रही और अनियमितताओं की वजह से न्यायालय का अनावश्यक रूप से समय जाया हो रहा है। यह न्यायालय की टिप्पणी थी 6 नवम्बर, 2012 को जितेन्द्र कुमार जालान की याचिका पर सुनवाई करते हुए।

उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, हैडमास्टर भर्ती में ओ बी सी श्रेणी की विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को हाई कोर्ट ने आर पी एस सी से कहा कि आप आरक्षण देने के मामले में नियम कायदों का पूर्ण रूप से पालन करें और तयशुदा आरक्षण के तहत ही इनको दें क्योंकि हैडमास्टर भर्ती में महिलाओं का कुल तीस प्रतिशत आरक्षण देय है। जिसमें विधवाओं को आठ व तलाकशुदा महिलाओं को दो, इस बात का पालन आर पी एस सी करे, यह हाई कोर्ट के आदेश थे।

इसके बाद, पुन: राजस्थान हाई कोर्ट ने दो राज्य कर्मचारी के आर पी एस सी प्री परीक्षा में शामिल हुए दो कांस्टेबलों के कट आफ मार्क्स लाने के बावजूद उनको नियुक्ति नहीं देने पर आर पी एस सी को फटकार लगाई। उनके मार्क्स थे 213 व 206 जबकि कट आफ थी 160, हाई कोर्ट में जाकर इनको राहत मिली।

17 अक्टूबर, 2012 एल डी सी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2011-12 में दूसरे फेज में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंकों की बाध्यता...

श्री उपाध्यक्ष: कृपया थोड़ा संक्षिप्त करें। बहुत देर हो गयी। (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): उसके बाद प्रथम फेज में पेपर में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक लाने के बावजूद हाई कोर्ट ने गलत माना था ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल अभिषेक मटोरिया का।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, आपका अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें अभिषेकजी, इनसे प्रभावित न हों।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ...(व्यवधान) इसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सामाजिक विज्ञान व गणित विषय के विवादित प्रश्नों के मामले में आर पी एस सी को पुन: न्यायालय ने निर्देश दिया। जिसके तहत 22 प्रकरणों को विवादित माना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजें, समाप्त करिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित हो रहा है, इनका अंकित नहीं हो रहा।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): एच एम भर्ती परीक्षा में एक एक्सपर्ट कमेटी 20 दिसम्बर, 2012 को पुन: फेल हो गयी और इसके बाद उत्तर कुंजी में गल्तियां एक हजार...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें। आप सदन के सदस्य हैं, कृपा करके विराजें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): नागौर में 100-100 रुपये में पेपर बिका और यह पेपर सरेआम नागौर जिले में यह देखने को मिला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, आप विराजिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): हाई कोर्ट में आर टैट 2012 की परीक्षा के बाद बाजार में पेपर बिकने व अनियमितता के मामले में ...(व्यवधान) नोटिस दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष एक मिनट विराजिये। आप बोलिएगा उसके बाद। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, सदस्य वही बनकर आता है सदन में, जिसका ज्ञान कम नहीं हो। इस तरह से जो हर मैटर में, हर तथ्य में, इस तरह से अपना ज्ञानवर्द्धन करेंगे तो सदन की बात पूरी नहीं हो सकेगी। यदि कोई सदस्य बोला, उसके बाद कितने भी हैं, आप रूल्स पढ़िये, नहीं हो तो मेरे चैम्बर में आकर बोलें, आपको बोलना है तो ढंग से बोलें। वह माननीय सदस्य अपनी पूरी बात नहीं कर पाये, उसके बाद दूसरा नाम पुकारना पड़ा। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उनको? यह मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप भी इनको थोड़ा सा, मैं नहीं कहता, यह सब समझदार हैं, आसन के अलावा सब समझदार हैं। आसन तो आप कहते हैं जो करता है। इसलिए कृपा करके कहां क्या हुआ, कहां क्या नहीं हुआ, यह अच्छी बात नहीं है। आसन इसको मतलब यूं नहीं मानता कि भई, आप बिना ज्ञान के उठाओ। (व्यवधान) आप अपनी बात समाप्त करिये। (व्यवधान) ऐसे करेंगे तो कोई जवाब नहीं है। आसन का अपना स्वविवेक काम करेगा। आप देखिये पहलवानजी, आपका सरनेम पहलवान है इसलिए आसन भी आपका सम्मान करता है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद 20 दिसम्बर, 2012 को ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मटोरियाजी ने जो विषय उठाया, जिस संस्था के द्वारा राजस्थान के उन सब टेलेन्टेड लड़कों का सलैक्शन होता है। अब तक यह क्रेडिट रही है आर पी एस सी की कि फेयर सलैक्शन होता है, सही चयन होता है। लेकिन जो सूची उन्होंने पढ़ी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक । न्यायालय ने जिस प्रकार से आर पी एस सी के सलेक्शन में कमियां निकालते हुए जिस ढंग के कमेंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कसे हैं, मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस विषय को सामान्य रूप से नहीं लिया जाए। आर पी एस सी की वर्किंग के बारे में जो भी सरकार के पास अधिकार निहित हैं, उन अधिकारों का उपयोग करें, आर पी एस सी की प्रतिष्ठा को भी बचाएं और जिन बच्चों के मन में कम से कम एक जगह फेयर सलेक्शन की जो आशा अभी तक बंधी हुई है उसको न तोड़ने दें। नहीं तो इसके परिणाम भी गम्भीर होंगे और न्यायालय हरेक में दखलंदाजी करके, जितनी भी उनकी परीक्षाएं हैं उन पर रोक पर रोक, रोक पर रोक लग रही है। एक तरफ बच्चा नौकरी के लिए तरस रहा है दूसरी तरफ आर पी एस सी की व्यवस्था में जिस प्रकार के कमेंट कसे जा रहे हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि आर पी एस सी के चेयरमैन पर भी जिस तरीके से ए सी बी ने जिस ढंग की अपनी निगाहें गाड़ी हैं, यह सामान्य बात नहीं है। सरकार इस पर बहुत चिन्ता करे और चिन्ता करने के बाद यह जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जिस ढंग से भी उसकी व्यवस्था ठीक हो सकती है वह करने का प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपकी बात समाप्त हो गयी, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। आपके सदस्य आपको नहीं बोलने देना चाहते, मैं क्या करूं?

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अब तो सब शांत हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जो चीज आसन चाहता है उसमें विघ्न यदि माननीय सदस्य डालेंगे तो...

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मैं एक मिनट में समाप्त कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बिलकुल कन्क्लूजन पर ...

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही, मैं पूर्ण रूप से उससे सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो अपनी बात कहिए, नेता प्रतिपक्ष की बात अंकित हो गयी।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अब आप बोलने दोगे तो मैं अपनी बात कहूंगा, आप बोलने नहीं देते हो। अभ्यर्थियों ने जब आर पी एस सी से अपनी ओ एम आर शीट मांगी, हाई कोर्ट ने 5 सितम्बर को आदेश दिया, 11

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सितम्बर को आर पी एस सी ने इनको जला दिया और जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो बताया कि वहां पर पानी भर गया था जिसके परिणामस्वरूप उनको वहां पर ओ एम आर शीट नहीं दी गयी।

11,865 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती पुन: 10 फरवरी, 2013 को लटकी, 4683 द्वितीय श्रेणी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का आज तक ढाई साल बाद इन्तजार, उसके बाद विशेष रूप से एस बी सी अभ्यर्थी, जिनके मैरिट में अंक ऊपर थे, उनको भी आज दिनांक तक नियुक्तियां नहीं दी गयीं। दु:ख की बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि माननीय मंत्री महोदय डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी द्वारा बार-बार सम्पर्क करने पर, उनको पत्र लिखने पर भी जवाब नहीं आया। चीफ सैक्रेटरी सी के मैथ्यू द्वारा उनको पत्र लिखने पर उप शासन सचिव आर पी एस सी ने कहा कि इनको नियुक्तियां दे दी जाएंगी। डेढ़ साल बाद तक आज तक उनको नियुक्तियां नहीं दीं।

और तो और एच एम भर्ती परीक्षा में आर पी एस सी की एक्सपर्ट कमेटी फेल हो गयी और सही जो उत्तर थे, उदाहरण के तौर पर जब यह पूछा गया कि 2010-11 के दशक में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौनसा है तो सही उत्तर जयपुर था परन्तु सुजस के हिसाब से जो उन्होंने उत्तर दिया उसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर और माडल की उत्तीर्ण परीक्षा में बाड़मेर एक्सपर्ट कमेटी द्वारा बताया गया जबकि यह जयपुर उत्तर था।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): इस प्रकार का जो कुंजियों में जो फर्क पाया गया उन पर भी आर पी एस सी गौर करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा। किसी माननीय सदस्य को कोई इंटरवीन करना हो तो हाथ खड़ा करके इजाजत ले लें। बीच में बोलेंगे तो सदन में व्यवधान होता है...(व्यवधान) अब आप, इनकी बात समाप्त हो गयी। वह आपका नहीं था...(व्यवधान) आप पहले बहुत... (व्यवधान) अशरफी लाम्बा। यह नहीं है। यह स्थगन है उसका। विराजिये... (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये आप...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिला दो...

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने इजाजत नहीं दी है। माननीय लाम्बाजी, बोलिये। आपका अंकित नहीं हो रहा है। न्यायालय में होने के बाद सदन में नहीं आना चाहिये फिर भी आपको मौका मिल रहा है। यह न्यायालय का मैटर है। इसमें साफ लिखा है। आ गया। इसके कारण से अब उसको समाप्त करिये आप।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल लाम्बाजी।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं स्पष्ट कर दूं आप विराजिये...(व्यवधान) मुझे स्पष्ट करने दें। आप विराजिये। विराजो...(व्यवधान) आप नहीं मान रहे हैं बात। माननीय लाम्बाजी, आप बोलिये। आपका अंकित हो रहा है। केवल लाम्बाजी का अंकित होगा...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल लाम्बाजी। लाम्बाजी, आप बोलिये। आपका अंकित हो रहा है। केवल लाम्बाजी का अंकित होगा। आप बोलिये। आपका अंकित हो रहा है...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल लाम्बाजी का अंकित होगा। आप तो बोलिये आपका अंकित हो रहा है। केवल आपका अंकित हो रहा है।

मदरसा एवं उर्दू शिक्षा में समाप्त पैराटीचर्स की सेवाएं

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से तो सरकार ने मदरसा बोर्ड में...(व्यवधान) 3500 पदों पर संविदा आधारित मदरसा बोर्ड में की गयी इसमें से 128 लोगों को वापस निकाला गया और मदरसा बोर्ड ने कमेटी बनाकर...(व्यवधान) आज तक उन 128 लोगों को वापस नहीं लिया गया...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को तो सम्भालें...(व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बोलिये। आपको पूरा टाइम मिलेगा...(व्यवधान) केवल अशरफीजी का...(व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अनुशासन में रहेंगे तो रहेगा। अनुशासन बिगाड़ने पर कोई जवाब नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं जवाब होगा और अनुशासनहीनता करेंगे उसको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा पार्टी ने नोटिस दिया तो भी। जो अनुशासनहीनता करेंगे उसको पार्टी के नोटिस के बाद भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। केवल अशरफीजी का...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अपनी हिम्मत इतनी मत बढ़ाओ। शान्त बैठ जाओ आप। सीमा में रहिये आप। आपकी सीमा पता है आसन को। बैठिये आप। अशरफीजी बोलिये। हां-हां, बिलकुल सही है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। सीमा में रहिये। इस सदन में किसकी क्या सीमा है, आसन की सीमा याद है। आप बैठिये। मैं बोलना चाहता था, उसका बताना चाहता था, आप आसन की नहीं सुन रहे हैं। समझदार हैं...(व्यवधान) लाम्बाजी बोलिये आप। अनुशासन में रखने की जिम्मेदारी आसन की है आपके सहयोग से...(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से तो राजस्थान मदरसा बोर्ड में भर्ती चालू हुई। इस भर्ती में भी इतनी धांधली हुई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते ही नहीं हो इनको। आर पी एस सी के पक्ष में बोल रहे हैं आप...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। अब कल का काम मत करिये आप... (व्यवधान) आप बोलिये। उर्दू के टीचर्स के मामले को लाइटली मत लीजिये। आप बोलिये...(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मैं बोल रहा हूं। बोलने देंगे तो ही बोलूंगा मैं। जो मदरसा बोर्ड में भर्ती हुई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: लाम्बाजी आप बोलिये। पूरा बोलिये, जितना कहना चाहो...

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उसमें भी मदरसा बोर्ड में एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कर रहे हैं और जो...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय यह किसका है? शिक्षा मंत्रीजी का मामला है ना?

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): जिसने गड़बड़ी की उस सचिव को तो मदरसा बोर्ड से हटा दिया गया लेकिन इस सचिव को अल्पसंख्यक मामलात बोर्ड में डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट दे दी गयी। आप बताइये, 9 साल बाद मदरसा अल्पसंख्यक बोर्ड में भर्ती हो रही है उसमें भी गड़बड़ी हो गयी और यहां के जो चेयरमैन हैं मदरसा बोर्ड के वह अपनी इस गलती को छिपाने के लिये अभी जयपुर में दस दिन पहले तालीमी कान्फ्रेंस की गयी। उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बुलाया गया। वहां पर यह कहा गया कि हम अल्पसंख्यकों को बहुत कुछ देंगे। जो पैराटीचर्स वर्षों से चल रहे हैं उनको परमानेंट करेंगे लेकिन अभी यहां मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में पैराटीचर्स का नाम भी नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में और जो चेयरमैन हैं उन्होंने 40-40 हजार रुपये लेकर ऐसे अध्यापकों को लगाया जिन्होंने अर्जी भी नहीं दी। जिन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दी...

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको विघ्न मत डालिये। विघ्न डालेंगे तो आप... (व्यवधान) आसन की त्रुटि, त्रुटि नहीं मानी जाती...

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): 128 टीचर्स को तो हटा दिया लेकिन उसकी अभी तक वापस भर्ती नहीं की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से 10/10/2012 को एक आदेश आया राजस्थान मदरसा बोर्ड में कि केन्द्र ने जो एक स्कीम बनायी है मदरसा आधुनिकीकरण के लिये एस पी क्यू ई एम, बहुत बड़ा है लेकिन शार्ट में एस पी क्यू ई एम कहते हैं इसमें 5 करोड़ 47 लाख रुपये दिये। इसमें पी टी जी और टी जी टी के अध्यापक लगाने थे, आज तक एक भी इसमें टीचर नहीं लगा। आज तक 10/10/12 के बाद एक भी यहां टीचर नहीं लगा और यह पैसे यूं के यू ही वापस भारत सरकार को चले गये। मदरसा बोर्ड के हालात बहुत खराब हैं।

मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा जो पैराटीचर्स हैं, 3500 मदरसों में 5792 पैराटीचर्स हैं, वर्षों से लगे हुये हैं, उनको नियमित किया जाये। इनका मानदेय बजट में अभी मुख्य मंत्रीजी ने 600 से 800 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। मैं चाहता हूं कि इनका न्यूनतम मानदेय 12 हजार किया जाये और जो वर्तमान में 400 रुपये वार्षिक दिये जाते हैं इनको 1 हजार रुपये किया जाये।

अभी कई मदरसे ऐसे हैं वहां पर टीचर नहीं हैं। कम्प्यूटर मदरसा बोर्ड ने एक-एक तो रख दिये लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। आज पूरे राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी अल्पसंख्यकों को मनाने जा रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन युवा क्या कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप संक्षिप्त करें थोड़ा।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): संक्षिप्त तो कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाये। जो मदरसा बोर्ड के मैम्बर कर रहे हैं उनसे न कराकर उच्च स्तरीय जांच करायी जाये।

यह जो भारत सरकार की स्कीम है एस पी क्यू ई एम इसमें जो मदरसा टीचर लगाने हैं वह लगाये जायें। सरकार ने पहले तो सौ उर्दू टीचर, सौ-सौ किये थे, वह तो लगे नहीं। अब इस घोषणा पत्र में मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम एक हजार टीचर उर्दू लगायेंगे। वह भी नहीं लगे, कब लगेंगे? जब आप 100 टीचर 2 साल में नहीं लगा सके तो आप 1000-1000 टीचर 4 महीने में क्या लगा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही मांग करता हूं कि हमारे इस मदरसा बोर्ड को सुधारा जाये और जो चेयरमैन है उसको तत्काल हटाकर उसकी जांच कराई जाये। जो 170 हटाये हैं, अभी भी फर्जी टीचर वहां लगे हुए हैं उनकी जगह जो मेरिट में आ रहे हैं उनको लगाकर नौकरी दी जाये। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। कुछ बोलना चाहते हैं माननीय मंत्री जी।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): हां, क्यों नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अब शांति रही तो जवाब आया।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): उपाध्यक्ष महोदय, नागौर से आने वाले सदस्य ने जो मदरसा बोर्ड में अनियमितताओं की बात कही, यह कुछ हद तक बात सही है। मदरसा बोर्ड की ज्यों ही अनियमितताएं, संविदा पर जो टीचर लिये गये थे, उनको परमानेंट अपाइंटमेंट का तो कोई सिलसिला ही नहीं था। संविदा पर जो पैराटीचर लिये गये थे उसमें इन्होंने अनियमितताएं कीं। जिन लोगों की अनियमितताएं सामने आयीं, उन सारे पैराटीचरों को हटा दिया गया। उनको मानदेय भी राजस्थान में कोई टोटल 80 हजार रुपये पेमेंट हुआ है। बाकी सभी का पेमेंट भी रोक दिया गया है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने एक जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच रिपोर्ट से गवर्नमेंट सहमत नहीं हुई। इसलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्टर, अल्पसंख्यक विभाग को आदेश दिया है और वह जांच कर रहे हैं। डायरेक्टर सक्षम है और डायरेक्टर की जांच आते ही जिन-जिन लोगों ने अनियमितताएं और धांधली की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, ठहरो ना 2 मिनट।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): नम्बर दो, जितने भी मदरसा बोर्ड के डायरेक्ट अधिकार थे, वह अधिकार भी हमने रोक दिये। आइंदा कोई भी पैराटीचर का ट्रांसफर मदरसा बोर्ड नहीं करेगा। मदरसा बोर्ड का अपाइंटमेंट भी गवर्नमेंट करेगी।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): चेयरमैन को हटा रहे हो या नहीं?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): मदरसा बोर्ड की एसपीक्यू स्कीम भी गवर्नमेंट स्तर पर स्वीकृत होगी और बिलकुल ईमानदारी से कदम उठाया जायेगा। उनकी धांधली के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। श्री विजय बंसल।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब इस पर क्वेश्चन नहीं होता है। इतना ज्यादा आ गया, अब आप विराजें।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और, एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय विजय बंसल। अब नहीं।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): एक प्रश्न और है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय विजय बंसल ...(व्यवधान) आप सीमा में रहिये ना, कृपया विराजें।

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अब शांति हो गयी है। बहुत गम्भीर मामला है, आरपीएससी वाला जो मैटर है...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आर्डर में तो लाओ ...(व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अब शांति हो चुकी है, जवाब दिला दो। मंत्रीजी बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जो चाहते हो वह नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): आरपीएससी वाला मामला बहुत गम्भीर है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल श्री विजय बंसल का अंकित होगा...(व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, अपना कोई प्रस्ताव लाइये। वह इनका प्रस्ताव था। प्रस्ताव लाइये, किताब पढ़िये। इसमें सब लिखा है, बैठिये ...(व्यवधान) हां, विराजिये, विराजिये।

भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट स्थित नहर से सिल्ट निकासी में कारित जनहानि

श्री विजय बंसल (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर रियासत की स्थापना के साथ भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। उसी के साथ उस दुर्ग के चारों ओर सुजान गंगा के नाम से एक नहर का निर्माण कराया गया था। यह सुजान गंगा शहरवासियों के लिए एक जीवनदायिनी नहर थी।

श्री उपाध्यक्ष: बैठकर बात नहीं करते माननीय सदस्य। यह भी लिखा है इसमें।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): इसके चारों ओर कुएं बने हुए थे। जिनका शुद्ध पानी पेयजल के काम आता था।

उपाध्यक्ष महोदय, नगर परिषद के गंदे पानी के नालों द्वारा इसमें गिराव होता रहा और जो शुद्ध जल से इस सुजान गंगा को वर्षा के समय भरने के काम आने वाले नाले में लोगों ने अपने सेफ्टी टैंक के पाइप डाल दिये। इसके कारण यह नहर सिर्फ एक बड़ा सेफ्टी टैंक बनकर रह गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, 1998 में श्रीनाथ शर्मा, एडवोकेट द्वारा इसके जीर्णोद्वार के लिए एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गयी थी। हाई कोर्ट ने जब निर्देश दिये तब शुद्ध जल भरने के लिए एक नया नाला निर्माण आरएसआरडीसी के मार्फत बनना तय हुआ था। दुर्भाग्य की बात है कि साढ़े 3 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी वह नाला गलत तरीके से बनाया गया और यह प्रश्न इस विधान सभा में भी उठा था। यह निर्णय हुआ था कि जिन इंजीनियरों ने इस नाले निर्माण में अनियमितता की है, उनसे पैसा उनकी तनख्वाह में से वसूल किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात हाई कोर्ट के निर्देश पर करीब ढाई करोड़ रुपये इस नहर की सिल्ट निकासी के लिए नगर सुधार न्यास, भरतपुर ने खर्च किये। उसका परिणाम यह रहा कि पानी का दबाव खतम होने के कारण एक छात्रा कालेज की छत गिरी और जिससे एक छात्रा की मौत हो गयी तथा 12 छात्राएं गम्भीर रुप से घायल हो गयीं। इतना ही नहीं, इस नहर की चारों तरफ की मोटवाल जगह-जगह से टूट चुकी है। प्रशासन द्वारा बैरीकेडिंग करके वहां से आना-जाना बंद किया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी कहना है कि कथनी और करनी में सरकार क्या करती है। अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान में पुराने बने हुए मकानों को नियमित करने के लिए अभियान चलाया गया था। लेकिन पुरातत्व विभाग की आड़ में इस नहर के 300 मीटर दूर 1965 से पूर्व बने हुए मकानों का भी नियमन नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में घना पक्षी विहार जो कि पूरे हिन्दुस्तान में पक्षियों का एक ही नेशनल पार्क है, स्थित है। देश और विदेश से अनेक पर्यटन वहां उनको देखने के लिए आते हैं। इसके साथ-साथ कोई दूसरा स्थान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया संक्षिप्त करें।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी इस बजट के पैरा संख्या 217 में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की 7 झीलों नाथूवास व सिंहाड़-नाथद्वारा, दायबतालाब-बांसवाड़ा, गेप सागर-डूंगरपुर, कायलाना-जोधपुर, घड़सीसर-जैसलमेर एवं जेतसागर-बूंदी के विकास हेतु 378 करोड़ रुपये की परियोजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है। इसी तरह से 152 करोड़ रुपये की एक योजना जिला प्रशासन ने बना कर झील संरक्षण योजना में राज्य सरकार को भेजी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सातों की घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भरतपुर की तरफ भी ध्यान देकर इस नहर के जीर्णोद्धार के लिए उक्त योजना को झील संरक्षण योजना में लेकर उसका काम करायें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवा दें। बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं मंत्रीजी को इस स्थिति के लिए...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर रियासत एक ऐसी रियासत रही जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाये।

श्री उपाध्यक्ष: अगर मंत्रीजी जवाब दें तो मुझे एतराज नहीं है।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): है कहां मंत्रीजी?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

असंगठित खनन श्रमिकों के कल्याण व प्रशिक्षण के कारगर उपायों का अभाव

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, असंगठित खनन श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी कारगर उपायों को अविलम्ब लागू करने की आवश्यकता पर। प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति असंगठित क्षेत्र के खनन श्रमिकों के श्रम से ही प्राप्त होता है। लेकिन प्रदेश में इन्हीं असंगठित खनन श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब है। एक तरफ असंगठित होने के कारण इन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ परीक्षण की आवश्यकता नहीं होने से यह अपने कार्यस्थल पर अनेकों बार दुर्घटनाग्रस्त

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हो जाते हैं। इनके लिए सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था नहीं होने के कारण खनन की डस्ट से अस्थमा, टीबी जैसे जानलेवा रोगों से यह ग्रसित हो जाते हैं। असंगठित खनन श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के अभाव में खनन प्रक्रिया और खनन श्रमिकों का जीवन दोनों ही बदतर हालातों में गुजर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली आवश्यकता है कि खनन संचालन और खनन प्रक्रिया से सम्बन्धित विषयों तथा माइनिंग, ब्लास्टिंग आदि विधाओं के परीक्षण, खनन क्षेत्रों से सीधे सम्बन्धित विषय आईटीआई और पोलीटेक्निक कालेजों में आरम्भ किये जावें। इसी क्रम में मेरा निवेदन है कि प्रदेश में प्रत्येक खनन क्षेत्र में एक खान संचालन और खनन प्रक्रिया परीक्षण सूचना केन्द्र होना चाहिए। जहां पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक प्रस्ताव मेरे निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर से विश्व प्रसिद्ध जोधपुर पत्थर उत्खनन क्षेत्र के लिए प्रस्तुत किया गया।

माइनिंग इन्जीनियर एसोसिएशन के जो इण्डिया हैड हैं, मेरा अनुरोध है, क्षेत्र में एक वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्र और सूचना केन्द्र के निर्माण का व्यय वहन करने और स्वयं केन्द्र के संचालन की सहमति देकर सरकार को भूमि आबंटन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि जन उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सरकार ने तीन साल से अटका रखा है इस कारण से क्षेत्र के असंगठित खनन श्रमिकों की प्रशिक्षण व्यवस्था प्रारम्भ नहीं हो पा रही है। मेरी मांग है कि सरकार अविलम्ब उक्त भूमि का आबंटन करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी समस्या यह है कि असंगठित क्षेत्र होने के कारण इन श्रमिकों का स्वास्थ्य और परिवार सुरक्षा सदैव खतरे में रहती है। लगातार खनन प्रक्रिया के कारण टीबी, अस्थमा, सिलिकोसिस जैसे रोगों के साथ सदैव दुर्घटना का भय रहता है परन्तु इस हेतु किसी प्रकार के बीमे का प्रावधान नहीं है। ऐसे में श्रमिकों का जीवन लगातार खतरों में बना रहता है और परिवार इस तनाव में जीता है कि न जाने कब क्या हो जाये तो उनका क्या होगा। पूर्ववर्ती वसुन्धरा राजे सरकार के समय बनी असंगठित श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा योजना को भी गत चार वर्षों से उपेक्षित कर दिया गया। इस कारण असंगठित क्षेत्र के खनन श्रमिक और उनके परिवार अपने आपको असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, अब यहां खनन मंत्रीजी भी नहीं हैं, मुझे इस बात का जवाब कौन देगा, आप इस बात का मुझे आज जवाब जरूर दिलवायें। मेरा निवेदन है कि खनन पर विभिन्न प्रकार के सेस लगाकर करोड़ों रुपयों की वसूली होती है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप संक्षिप्त करें, सूर्यकान्ताजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उक्त सेस वसूली की राशि इन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर व्यय की जाये। पूर्ववर्ती सरकार की स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना प्रभावी ढंग से लागू की जाये। मेरी मांग है कि जोधपुर के सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध जोधपुर पत्थर के खनन श्रमिकों के लिए माइनिंग इन्जीनियर एसोसियेशन द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भूमि अवाप्त कराई जाये। खनन श्रमिकों के लिए विशेष घोषित सिलिकोसिस बीमारी के इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय, सूरसागर में डिजिटल एक्सरे सहित समस्त उपकरण अविलम्ब उपलब्ध कराये जायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहती कि इस सरकार ने नहीं दिया, मगर इस सरकार ने देने के बावजूद भी अभी तक भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। असंगठित खनन श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपने बहुत कुछ बता दिया। काफी टाइम हो गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रही हूं, मेरी बात तो सुनो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप खुद ही डिस्टर्ब करके अगले का सारा वातावरण ही खराब कर देते हो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ऐसे करेंगे तो मैं तो भूल जाऊंगी मेरी बात को।

श्री उपाध्यक्ष: आपको काफी टाइम हो गया इसलिए कह रहा हूं, समअप करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): खनन विधवाएं, माइनिंग में औरतें भी काम करती हैं। माइनिंग, ब्लास्टिंग आदि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्षेत्र

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

के आईटीआई एवं पोलिटेक्निक कालेजों में प्रारम्भ किये जायें। जोधपुर में विश्व प्रसिद्ध जोधपुर पत्थर के खनन श्रमिकों के लिए आवासीय योजना बना कर आवास उपलब्ध कराये जायें। खनन श्रमिकों के लिए मास्क और हेल्मेट सहित सुरक्षा उपकरणों की नि:शुल्क उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई मंत्री नहीं, कोई जवाब क्या देवे, मैंने बोला और वह आपने सुन लिया, मंत्री तो हो यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड हुआ है सब, आपका कथन रिकार्ड हो गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप जवाब तो दिलवाओ, इतना महत्वपूर्ण सवाल है, श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। कोई न कोई जवाब तो दिलवाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जवाब दिलवाओ आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: 295 तो पढ़े हुए माने गये।

पर्ची।

डाक्टर दिगम्बर सिंह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): बहुत महत्वपूर्ण यह मामला है, गरीबों का मामला है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय विपक्ष के नेता आप भी कहो। इतने महत्वपूर्ण मामले के अन्दर कोई जवाब देने वाला नहीं है तो फिर सरकार क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो। यहां सदन में महत्वपूर्ण नहीं होता है हर मामला। माननीय दिगम्बर सिंहजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सरकार का मतलब क्या हुआ? सरकार का मतलब क्या है? (व्यवधान) खाली नारे ही दे रहे हैं गरीब-गरीब करके, गरीबों की कोई सुनने वाला ही नहीं है। माननीय विपक्ष के नेता आप बोलिये। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपकी यह है न, पर्ची निकली है आपकी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह है, इससे पहले एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जोधपुर के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जीरो आवर में व्यवस्था नहीं होती है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मेरी बात सुनिये। मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जीरो आवर में व्यवस्था नहीं होती है। आप अपनी पर्ची पर बोलिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक मिनट माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनिये। उस समय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जीरो आवर में व्यवस्था नहीं होती है इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं न। अब वह अंकित होगा जो जीरो आवर में होता है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं न, वह बाद में।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जीरो आवर में नहीं, मैं आपको बाद में इजाजत दूंगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जीरो आवर में नहीं होगा। बाद में आयेगी तो इजाजत मिलेगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मेरा विनम्र निवेदन है कि जीरो आवर में व्यवस्था नहीं होती, इसके बाद में कोई नियम में आता होगा तो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको नहीं बोलना? (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मेरी सुन लीजिये आप। आप लोग जान-बूझकर मैटर को डायल्यूट कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि इस पर बहस हो। आप नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आसन अनुरोध करना चाहता है। (व्यवधान) इसकी मतलब आप नहीं चाहते। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

आप सुनना ही नहीं चाहते। हां, विराजो। मेरी बात सुनना क्यों नहीं चाहते? (व्यवधान)

माननीय श्री शंकर सिंहजी, नहीं बोलना चाहते हैं? – अनुपस्थित।

माननीय श्री सुखरामजी, नहीं बोलना चाहते हैं? – अनुपस्थित।

माननीय आप मेरी सुनना नहीं चाहते। आप मेरा सुनना नहीं चाहते तो क्या होगा?

माननीय ज्ञानदेवजी आहूजा और मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा, मेरी सुनोगे, सारा मौका मिलेगा, जान-बूझकर कुछ सदस्य इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं, आसन से बोल रहा हूं। बोलिए, नहीं मैंने तो ज्ञानदेवजी को बोल दिया।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष: ज्ञानदेवजी, हां, बोलिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है आपने।

श्री उपाध्यक्ष: ज्ञानदेवजी का नाम पुकारा है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन का नियम है, नाम पुकारने के जस्ट बाद में कोई माननीय सदस्य सीट पर नहीं हो, सदन में रहें, सीट...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं सीट पर ही था।

श्री उपाध्यक्ष: आप बात सुनिए, आप बात सुनना नहीं चाहते।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं सीट पर था।

श्री उपाध्यक्ष: बात नहीं सुनना चाहते क्या? मेरा विनम्र निवेदन है, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मेरी बात पूरी नहीं करने दोगे तो फिर बिजनेस क्या बढ़ेगा? इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। (व्यवधान) मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप उसका निष्कर्ष निकाल रहे हो। कोई माननीय सदस्य यदि सदन में भी है और यहां से, आसन से नाम पुकारा, वह खड़ा नहीं होगा तो अनुपस्थित माना जाएगा ...(व्यवधान) आप बात तो सुनिए लेकिन आज इसको एक्ससेप्शन देता हूं। यह नियम नहीं माना जाएगा और सुनिए, आइंदा से मेरा विनम्र अनुरोध है जिस-जिस मैटर में आप चाहते हो डाइल्यूट कर रहे हो, मैं बुलवाना चाहता हूं, आप बोल नहीं रहे हैं, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, वहां बोलते नहीं, कोई भी मेम्बर वहां बोले, बिजनेस में जो रखेगा, आसन उसकी पालना सुनिश्चित करेगा। माननीय दिगम्बर सिंहजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो कागजात दिये थे, सदन के नेता ने, मैंने सारे कागजों को देखने के बाद मेरी संतुष्टि नहीं हुई इसलिए मैंने स्पीकर साहब को पत्र लिख दिया कि जैसी हाउस की इच्छा थी, वह कमेटी सदन की बनाकर के, इन सारे कागजों को देखकर के अपनी राय दे दे, वह मैंने अपना पत्र दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं होगा। मैंने इजाजत नहीं दी है, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आसन को आपने कोई बात इंगित करके अनुरोध किया है, आसन का फर्ज बनता है कि इस चीज को सदन में स्पष्ट करे, उसी के आधार पर मैं आसन से स्पष्ट कर रहा हूं। आपने माननीय अध्यक्षजी को लिखा है, 21 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है। अध्यक्षजी यहां विराजमान हैं, आप उनसे कारण पूछ सकते हैं, अध्यक्ष के ऊपर, यह सही है कि सारे अधिकार उपाध्यक्ष को होते हैं, आसन को होते हैं लेकिन अध्यक्ष की भावना के ऊपर, यहां पर से कोई निर्णय नहीं हुआ, आप अध्यक्षजी से बात कर लीजिए, निर्णय हो जाएगा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भरतपुर शहर की स्कीम नं. 3 में भू-माफिया द्वारा अवैध कब्जा

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन पर यूआईटी, भरतपुर के द्वारा एक 1996 में स्कीम नम्बर 2 एक्वायर की गई और एक्विजिशन में सेक्टर नम्बर 3, स्कीम नम्बर दो का उसमें श्रीमती हरबेजी पत्नी हुण्डाप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण और सूर्य प्रकाश पुत्र हुण्डाप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण इनकी जमीन का अधिग्रहण हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें काफी लोगों ने मुआवजा की राशि अपनी ले ली, 75 बीघा जमीन ऐसी थी जिसका मुआवजा लोगों ने नहीं लिया, जो उसके मालिक थे और वह जमीन डि-एक्वायर कर दी गई 2005 में सरकार के द्वारा...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कालीचरणजी, खड़े-खड़े कोई बात नहीं करेगा, भले ही सदन के लीडर हों। बैठें, विराजें। अगर बात करें तो खड़े-खड़े कोई बात नहीं करेगा। लीडर हो या अपोजीशन लीडर, कोई भी हो, खड़े-खड़े बात नहीं करेंगे सदन में।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह हरबेजी और सूर्यप्रकाश जिनका नाम मैंने अभी लिया, इन्होंने हरबेजी ने 158737 और चेक नम्बर 488450 दिनांक 5 अप्रैल, 2005 को प्राप्त कर लिये। इसी तरह से सूर्य प्रकाश जिसका बेटा है, वहां इनकी बराबर की जमीन थी, उसने भी 158373 रुपये 5 अप्रैल, 2005 को चेक नम्बर 463449 से प्राप्त कर लिये। अपनी मुआवजा राशि लेने के बाद इन्होंने भरतपुर के कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी ....

श्री उपाध्यक्ष: यह पार्टी के बारे में थोड़ा कम करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अब जो है तो क्या करूं मैं?

श्री उपाध्यक्ष: आपका मैटर डाइल्यूट हो जाएगा ...(व्यवधान) हर मामले में बोलना उचित नहीं है न, इससे डाइल्यूट हो जाता है। माननीय सदस्य, कोई न कोई किसी न किसी पार्टी का मेम्बर होता है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद आलोक शर्मा, एक भू-माफिया पैदा हुआ भरतपुर के अन्दर ....

श्री उपाध्यक्ष: नाम ले लीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक कुन्दन प्रधान है, नगर पंचायत समिति का जो हमारे माननीय सांसद हैं, उनका छोटा भाई है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, यों नाम मत लीजिए सांसद का।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सांसद का भाई।

श्री उपाध्यक्ष: सांसद उठाओ, एमएलए उठाओ, नाम मत लीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): और पार्टी का पदाधिकारी कांग्रेस का आलोक शर्मा दोनों ने रात-रात में मिलकर प्रशासन से मिलीभगत करके, प्रशासन को कुछ पैसे टके खिलाकर और रात-रात में बाउण्डरी वाल कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास पेमेंट की रसीद है। यह सूर्यप्रकाश को जो पेमेंट हुआ, चेक से, उसके चेक नम्बर, उसके दस्तखत, यह जो हरबेजी का पेमेंट हुआ, उसके चेक का नम्बर, उसके दस्तखत यह सब मौजूद हैं।

(13.00 बजे)

यह लिस्ट मेरे पास मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास दोनों के शपथ पत्र भी मौजूद हैं जिनमें हरभेजी ने और सूर्यप्रकाश ने, दोनों ने शपथ पत्र दिया है- मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि योजना संख्या 2 सैक्टर नम्बर 3 में मेरी कृषि भूमि अवाप्त की गई है तथा मेरी भूमि का अवार्ड जारी किया गया है। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उक्त भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हूं। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरी खातेदारीशुदा भूमि पर राज्य सरकार, राजस्व मण्डल या राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा नगर सुधार न्यास कोई निर्णय लेती है तो मुझे मान्य होगा। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरी भूमि का कोई निर्णय मेरे पक्ष में नहीं हुआ तो मुआवजा राशि को राज्य सरकार में जमा कराऊंगा तथा मेरी चल-अचल सम्पत्ति से वसूल करने का अधिकार सरकार को होगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे शपथ पत्र होने के बावजूद भी ये भूमाफिया क्या सरकार के ऊपर हो रहे हैं? क्या वहां के जिला प्रशासन के ऊपर हो रहे हैं? माननीय मंत्री महोदय आ गये हैं, भरतपुर के यूआईटी का मामला है, भरतपुर में जो यूआईटी का चेयरमैन है, यूआईटी का सैक्रेटरी है और ये जो दो भूमाफिया एक आलोक शर्मा और कुन्दन सिंह हैं, इन दो भूमाफियाओं ने कम से कम 6-7 करोड़ रुपये की भूमि का ऐसा जबरदस्त रात-रात में ताण्डव करके उसके बाउण्ड्रीवाल की है, कब्जा किया है। माननीय मंत्री महोदय, विराजे हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे इन्सान हैं और सरकार की सारी झोंक को भी आप ही झेलते हैं। मेरा निवेदन है कि यह भरतपुर के जनहित का मामला है और इसमें जांच कराने

(डा. दिगम्बर सिंह)

का आप हमें आश्वासन दें जांच करायें और अगर उन्होंने गैर वाजिब बाउण्डरी वाल बनाई है तो आप प्रशासन को हिदायत दें कि मंत्री महोदय, उसको तुरन्त तुड़वायें और उसका कब्जा सरकार ले।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब जब आपने मुझे अच्छा ही कह दिया तो मैं आपकी बात को टालूंगा भी कैसे।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रभावित हो जाते हो इतना कहने से? माननीय मंत्रीजी, आप प्रभावित हो जाते हैं क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसलिए जो आपने जांच करवाने की कही है तो बिलकुल जांच भी करवा लेंगे और अगर अतिक्रमण कर रखा है, नाजायज कब्जा कर रखा है तो उसको भी अविलम्ब हटवाने का प्रयत्न करेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): धन्यवाद साहब, थैंक्यू।

श्री उपाध्यक्ष: बंसलजी, आप समझ गये सब। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): रातों-रात एक्वायर्ड भूमि जिसका मुआवजा लिया गया है....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। माननीय श्री शंकर सिंहजी। मंत्री जी के जवाब के बाद कुछ भी नहीं, उन्होंने स्वत: ही बता दिया।

जयपुर के मानसरोवर थाने में दर्ज प्रकरण सं. 134/12

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार पुलिस के ऊपर हमारी सरकार कहती है, हमारी ईमानदार, गांधीवादी सरकार और सबके साथ में न्याय करने वाली सरकार का परिचय देने वाली सरकार में आज पुलिस के अन्दर इस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं कि एक पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमे को साल भर हो गया, 8-8 जांच अधिकारी चेंज हो गये। 8-8 जांच अधिकारियों ने उन मुल्जिमों को दोषी माना है उसके बावजूद भी हमारी पुलिस हाथ पर हाथ धरे रहती है क्योंकि मुल्जिमों के मामा जो पुलिस में सी.आई. हैं उनके द्वारा मानसरोवर थाने के जो थानाधिकारी हैं उनके ऊपर प्रभाव से दबाव डाल कर 8-8 जांच अधिकारी चेंज हो गये। आठों ने उन मुल्जिमों को दोषी माना है। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने

(श्री शंकर सिंह)

भी उनको गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया, वहां उनकी बेल खारिज हुई, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल खारिज की उसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सेम-डे उनको गिरफ्तार करके पेश करें। लेकिन यहां की पुलिस मिलीभगत करके पीड़ित जैन परिवार जो ब्यावर का रहने वाला है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि....

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, आप विराजें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इस प्रकार ऐसे अत्याचार हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे देख रही है, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय से इस पर मुझे विश्वास दिलाया जाए कि उन मुल्जिमों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें षड्यंत्र रचकर...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जो 452 की धारा लगी हुई है उस धारा को भी हटवाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। कह रहे हैं कि 452 में तो मुल्जिम गिरफ्तार हो जाएंगे इसलिए इसको 451 कैसे किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें सौदेबाजी चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय से इसमें जवाब दिलवाया जाए कि कैसे उसको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकदमा नम्बर 134/12 मानसरोवर थाने का मैटर है। इसी प्रकार आप मुझे विश्वास दिलायें कि कब तक मुल्जिम गिरफ्तार हो जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, आप विराजें न। आपने फरमा दिया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मंत्रीजी से जवाब तो दिलवा दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मंत्रीजी तो खड़े ही नहीं हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब मंत्रीजी दें तो मैं ना नहीं करूंगा। अब आप विराजें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): पुलिस कम से कम यह तो बता दे कि हम एक महीने में गिरफ्तार करेंगे या छह महीने में।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जो जांच के बारे में विषय उठाया है, मानसरोवर थाने का प्रकरण संख्या 134/12 है...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, यह भी ध्यान रखें कि हाई कोर्ट के आर्डर की पालना सदन नहीं करता है, सदन करता है जो भी है। इस तरह के मामले आने ही नहीं चाहिए यहां।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इसके पहले एक प्रकरण और दर्ज हुआ है जो 133/12 है। इन दोनों ही प्रकरणों में स्थानीय थाने में प्रकरण दर्ज होने के साथ ही कार्यवाही भी की गई थी, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इनको पाबंद भी किया गया था। वर्तमान में भी जैसा माननीय सदस्य स्वयं फरमा रहे हैं, इसमें जांच जारी है और निश्चित रूप से इसमें समयानुसार फैसला किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री सुखरामजी। माननीय श्री सुखरामजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16-16 चोटें आई हैं, उस दामाद को घायल करके घर में डाल दिया, 16-16 चोटें आई हैं, मरने की स्थिति में हो गया....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री सुखरामजी, आप बोलिये, उनका अंकित नहीं हो रहा है। केवल सुखरामजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद व विभिन्न विषयों की स्वीकृति

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिला पहले से ही अत्यन्त पिछड़ा हुआ है और वहां की जो कालेज है, यहां हमारे शिक्षा मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, जो धौलपुर कालेज है वह बदहाली की स्थिति में है। धौलपुर जिले में एकमात्र राजकीय कालेज है जिसमें सिर्फ दो विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं चलती हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मेरा सीधा जो विषय है वह यह है कि हमारे धौलपुर जिले का एकमात्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में संचालित है उसके प्राचार्य का पद 3.9.2012 से रिक्त चल रहा है। इसके साथ-साथ जो उप-प्राचार्य का पद है वह एक वर्ष से रिक्त चल रहा है, वहां पर जो लैक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं उनके 10 पद रिक्त चल रहे हैं और जो सहायक तथा मंत्रालयिक कर्मचारी हैं, उनके 10 पद रिक्त चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी दुर्गति तो यह है कि वहां पर जो महाविद्यालय की लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आज कोई स्टाफ नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब जनता के जो

(श्री सुखराम)

बच्चे हैं, हो सकता है कि बड़े अधिकारी और अन्य संभ्रान्त वर्ग हैं वे तो अपने बच्चों को प्राइवेट कालेज में पढ़ा लेते हैं परन्तु जो गरीब का बच्चा है, बच्चियां हैं उनके पढ़ने का एकमात्र स्थान यह स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। परन्तु इसमें स्थिति इतनी खराब है कि जो प्रशासनिक भवन है वह बहुत पुराने समय की राजाओं के समय की बिल्डिंग है उसमें चल रहा है और कभी भी उसमें कोई न कोई दुर्घटना भविष्य में हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा कालेज है जिसमें लगभग ढाई से तीन हजार बच्चे-बच्चियां अध्ययनरत हैं परन्तु वहां पीने के लिए स्वच्छ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, वहां पर सिर्फ इतिहास और अर्थशास्त्र में एम.ए. की कक्षाएं चलती हैं। दूसरी जो पी.जी. की क्लासेज हैं वे भी सीमित विषय में चलती हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो पी.जी. की क्लासेज हैं वो हिन्दी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में अगर स्वीकृत हो जाती हैं तो निश्चित रूप से धौलपुर की जो छात्र-छात्राएं हैं, उनका भला होगा। तीसरा, जो यू.जी. की क्लासेज हैं उनमें अगर संस्कृत और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वहां क्लासेज स्टार्ट हो जाएं तो वहां के बच्चे आपको बहुत धन्यवाद देंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां इस कालेज में है, वह यह है कि यह कालेज धौलपुर से करीब दो किलोमीटर दूर पड़ती हैं और जो छात्राएं वहां पर अध्ययन करने के लिए जाती हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जो कर्मचारी हैं....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप थोड़ा छोटा करें। संक्षिप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उनको यूजीसी का वेतनमान आपने लागू किया है उसमें उनके कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि उनका वेतनमान बकाया है वह उनको नहीं दिया गया है और इसके साथ-साथ जो अन्य सुविधाएं हैं, उनका भुगतान किया जाये और आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ...एक मिनट और आपसे कहूंगा कि इसके साथ-साथ जो लॉ कालेज है, उसकी भी बहुत दुर्गति है। मैं क्या कहूं, वहां शुरु नहीं हो रहा है। वहां जल्दी से जल्दी लॉ कालेज को स्वीकृत कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं सिर्फ एक मिनट में बात खतम कर रहा हूं। हमारे वहां पालीटेक्नीक कालेज है, उसकी क्लास सवाई माधोपुर में चलती है, उसको धौलपुर में चलवाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: यह पर्ची है। उसके ऊपर एक ही बोलते हैं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): और धौलपुर और बसेड़ी के बीच में बाड़ी पड़ता है। पूरे धौलपुर जिले में कन्या महाविद्यालय नहीं है और इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह बाड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाड़ी में अगर गर्ल्स कालेज खुल जाये तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। यह बाड़ी का मामला नहीं है। यह धौलपुर है। माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मंत्री महोदय, थोड़ा सा,... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये आप। हंस रहे हैं आप। कितना गम्भीर विषय है। (व्यवधान) आपने लॉ कालेज की बात कही थी। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): यहां मंत्रीजी द्वारा जवाब दिया गया था। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): वहां लड़कियों की सुरक्षा की स्थिति खराब है। (व्यवधान) बहुत खराब स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। मंत्री लोग बहुत सतर्क हैं। हर बात का जवाब देना चाहते हैं। फिर हमें कोई एतराज नहीं है।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप हंस रहे हैं। ये मुझे रोता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है, मैं रोने वाला नहीं हूं, बहुत निर्दयी आदमी हूं, मुझे किसी पर दया भी नहीं आती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना जवाब आने दो। नहीं तो मैं अगला विषय लेता हूं। डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब नहीं।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सदस्य ने धौलपुर महाविद्यालय को लेकर जो चिंता व्यक्त की है, उसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की, दोनों पोस्ट खाली हैं। डीपीसी जारी है। जैसे ही डीपीसी हो

(डा. दयाराम परमार)

जायेगी, आपके यहां प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भर देंगे। नौ लेक्चरर्स की पोस्ट खाली हैं, उनको भरने के लिए चयन की प्रक्रिया के लिए आरपीएससी को निवेदन कर दिया गया है। जैसे ही चयनित आदमी मिल जायेंगे, उनको भी भर देंगे। बाकी छोटी-मोटी पोस्टें खाली हैं, उनको तो भर देंगे।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): लड़कियों के लिए बस, लड़कियों के लिए बस... (व्यवधान) लड़कियों के लिए बस, लड़कियों के लिए बस। (व्यवधान) पहले भी बस चलती थी। पहले भी बस चलती थी। पहले भी बस चलती थी। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): लॉ कालेज की बात का क्या हुआ? (व्यवधान) लॉ कालेज के भवन निर्माण का वादा मुख्य मंत्रीजी ने... (व्यवधान) आप जवाब दीजिये मुख्य मंत्रीजी की बात का...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): उसमें भी हम तीनों खड़े हुए थे। उसमें भी हम तीनों खड़े हुए थे। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया। लॉ कालेज का वादा किया था मुख्य मंत्रीजी ने। (व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जब मुख्य मंत्रीजी ने एश्योर किया है तो आपको उस पर विश्वास, यकीन करना चाहिए कि इसको... (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): चालू कब? चालू कब? (व्यवधान) एक साल हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: केवल ज्ञानदेव आहूजा। माननीय ज्ञानदेवजी आहूजा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ज्ञानदेवजी आहूजा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के केन्द्र परिवर्तन में अनियमितता

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में राजस्थान विश्वविद्यालय का अपना एक विश्वास है और आज उसकी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

विश्वसनीयता पर, उसके विश्वास पर आघात किया जा रहा है। राजस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लगभग 700 निजी महाविद्यालयों में लगभग 10 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और इनके 368 महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र हैं। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने नाम लिख कर दिया। कार्यवाहक कुलपति के द्वारा भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता फैला कर 368 में से 345 का केन्द्र तो बदल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, और 23 को यथावत् रखा है और 23 उन केन्द्रों को यथावत् रखा है जो पहले से अनियमितताओं के कारण से पकड़े गये हैं, अनियमितताओं वाले कालेज हैं। पक्षपात किया गया है। वे किनके समर्थक हैं, किनके नहीं, मैं इसके भी विवाद में नहीं पड़ता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। शहर, कस्बे और गांव में एक से अधिक महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र होने के बाद भी एक महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र को यथावत् रखा गया तथा शेष को बदल दिया गया। यह बहुत ही अन्याय और द्वेषतापूर्ण, पक्षपातपूर्ण अनियमितता है। आप इन अनियमितताओं की जांच करें। साथ में, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि निजी कालेज की क्षमता, केपेसिटी 50 से लेकर 300 विद्यार्थियों की है लेकिन उन पर 1000 से 2500 विद्यार्थियों का भार लाद दिया गया है। वहां फर्नीचर नहीं है, बैठने के लिए बड़े कक्ष नहीं हैं, वीक्षक नहीं हैं। पूरी तरह असुविधा है। इन असुविधाओं को आप कैसे दूर करेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन 23 परीक्षा केन्द्रों को यथावत् रखने का निर्णय एवं 345 महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र परिवर्तित करने का निर्णय पूर्णतया पक्षपात, भ्रष्टाचारपूर्ण है, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को, इनमें 40 से 45 प्रतिशत लड़कियां हैं, छात्राएं हैं। छात्राओं को दूर-दराज के परीक्षा केन्द्रों पर जाना पड़ता है। इसमें कितनी कठिनाई होगी? और आपको यह भी निवेदन करें, 16 मार्च को इनकी प्रायोगिक परीक्षा, प्रेक्टिकल परीक्षा होने वाली है, जो प्रारम्भ नहीं हो पायेगा।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

60-65 वर्ष की आजादी के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में पहला यह आघात है। राजस्थान विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता खतम करने का प्रयास यह अनियमिततापूर्ण किया गया है और उन बच्चियों को जाना पड़ेगा। 16 मार्च को प्रेक्टिकल शुरु नहीं हो पायेंगे।

आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब निजी कालेज, प्राइवेट कालेज केन्द्र विश्वविद्यालय को को-आपरेट नहीं करेंगे, 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी, छात्राएं भी, जब किसी असंतोष के कारण से मैदान में आयेंगे। निजी महाविद्यालय जिस स्थिति में आपने खड़े किये हैं, पंगु बनाकर आपने खड़े किये हैं। उनके साथ न्याय करें और इन 10 लाख विद्यार्थियों के परीक्षा केन्द्र को यथावत् रखते हुए, परीक्षा केन्द्र न परिवर्तित करते हुए आप इनको न्याय दिलायें। कोई भी अनियमितता हुई या असंगति हुई या असंतोष हुआ उसके कारण प्रदेश में जो शोर होगा तो इससे राजस्थान सरकार पर भी आंच आयेगी और इसकी नैतिक जिम्मेदारी विश्वविद्यालय हो या विद्यालय हो या कोई भी संस्थान हो, इंस्टीट्यूशन हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि इन 10 लाख विद्यार्थियों को आप न्याय दिलायें। आप कृपा करें। आपने अभी धौलपुर का उत्तर दिया है, कृपा करके इन विद्यार्थियों के साथ न्याय करें और उनके परीक्षा केन्द्र यथावत् रखें। यही मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये। माननीय श्रीमती चन्द्रकांताजी मेघवाल।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): वे जवाब दे रहे हैं साहब।

श्री उपाध्यक्ष: अब देंगे तो मुझे कोई एतराज थोड़े ही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): दे रहे हैं जवाब। दे रहे हैं जवाब।

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं तो मुझे एतराज नहीं है। लेकिन ये सब बोलते हैं ना, इसलिए मैं डरता हूं। आसन को डर लग जाता है कभी-कभी। आप सबके रहते हुए भी आसन डर जाता है। सभी बोलने लग जाते हो तो मैं क्या कर सकता हूं। अब आप तो विराजिये कृपा करके।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है। परीक्षाओं की व्यवस्था बदली है लेकिन इसके पीछे हमारा कारण यह था कि सामूहिक नकल होने की बहुत सारी

(डा. दयाराम परमार)

शिकायतें आईं और उन शिकायतों को आगे काबू पाने के लिए हमने कुछ परीक्षा केन्द्रों को बदला है। यह ध्यान रखा गया है कि 15-16 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर किसी विद्यार्थी को जाना नहीं पड़े। अब परीक्षा के लिए प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रवेश पत्र जारी हो गये हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र बदलना सम्भव नहीं है। लेकिन जहां सेंटर दिये हैं, वहां पर कहीं-कहीं बिल्डिंग या अन्य व्यवस्था कम है और लड़कों की संख्या ज्यादा है तो उनके लिए टेंट लगाना, फर्नीचर इत्यादि की सारी व्यवस्था यूनिवर्सिटी करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: चन्द्रकांताजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मंत्री महोदय, परीक्षा केन्द्रों को यथावत् रखने में कहां कठिनाई है? यह टेक्नीकल भी नहीं है, प्रेक्टिकल भी नहीं है। आप कृपा करें, आप इन परीक्षा केन्द्रों को यथावत् रखने के आदेश फरमायें। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप कृपा करें इन पर। आप सज्जन मंत्री हैं। आप इन पर कृपा करें।

अवधिपार ऋण एकमुश्त समझौता योजना की समयावधि का विस्तार

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्षजी, कोटा में लगभग 900 अवधि पार ऋणियों को 15-12-2010 द्वारा एनपीए ऋणों में कमी लाने, बकाया राशि वसूल कर पुन: सावचक्र में लाने हेतु ओटीसी योजना 2011 में लागू की गई थी और जिसकी अवधि 13-3-2012 थी लेकिन बैंक की प्रतिनिधि सभा और संचालक मण्डल के चुनाव होने के कारण से अवधिपार ऋणी जो थे, वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाये एवं पूर्ववर्ती योजना में एकमुश्त समझौता योजना अन्तर्गत ऋण जिस ब्याज दर पर स्वीकृत किये गये थे, वह अथवा 10 प्रतिशत जो भी अधिक थी, इसी दर से साधारण ब्याज वसूलने की योजना थी, परन्तु योजना 10-15 वर्ष पूर्व के अवधिपार ऋणों को वसूलने की थी। उक्त समय ऋणों में ब्याज दर 14 से 20 प्रतिशत थी उक्त समय ऋणों में ब्याज दर 14 से 20 प्रतिशत थी, दण्डीय ब्याज दर लगने के बाद यह ब्याज दर 22 प्रतिशत हो गई।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप संक्षिप्त करें क्योंकि स्पीकर्स...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बस एक। जबकि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

वर्तमान दरें 11 से 14.50 प्रतिशत तक ही है। उक्त योजना ऋण देने के समय की ब्याज दर से अधिक अवधि पार राशि वसूलने का प्रावधान होने के कारण, पूर्व ब्याज दर अधिक होने के कारण कालातीत ऋणी जो थे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाये। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि पुन: एकमुश्त समझौता योजना 2011 जो थी उसकी समयावधि बढ़ाई जाय ताकि जो 900 लोग कोटा के ऋणी हैं वह इसका लाभ ले सकें, यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ब्यावर के फ्लोराइड प्रभावित 199 गांवों को बीसलपुर से जलापूर्ति

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के 199 गांवों के...(व्यवधान) आप विराजिये। जब तक आसन पर जो यहां है, वह बैठ नहीं जाएं। 199 गांवों के फ्लोराइडयुक्त पेयजल प्रभावित गांवों को बीसलपुर से जलापूर्ति करने के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पीने के पानी के लिए...

श्री उपाध्यक्ष: आप केवल ध्यान आकर्षित करिये, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, अभी नहीं, अभी तो...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हां साहब, मैं ध्यान आकर्षित ही कर रहा हूं न। पंचायत समिति जवाजा के 199 गांवों का सर्वे 2007 में हो गया था और उसका सर्वे होने के बाद में जब हमारी सरकार थी...

श्री उपाध्यक्ष: आप ध्यान आकर्षित करिये, इनका स्टेटमेंट आयेगा, फिर आप यह बातें बोलना।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि पंचायत समिति जवाजा के 199 गांवों को बीसलपुर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभाग की नीति निर्धारण के हिसाब से 2007 में जब राशि स्वीकृत हो गई थी, विधान सभा...

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये आप, आ जायेगा, फिर दोबारा पूछ लेना सारा। माननीय मंत्रीजी। अभी आपको मौका मिलेगा शंकर सिंहजी, अब इसके बाद मौका मिलेगा, मंत्रीजी को बोलने दो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के 199 गांवों को फ्लोराइडयुक्त पेयजल प्रभावित गांवों को बीसलपुर से जलापूर्ति के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय का।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ब्यावर से आने वाले सदस्य ने जो फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या के बारे में अवगत कराया और उन्होंने यह भी कहा कि जो 199 गांव ब्यावर के हैं उनके लिए 2007 में उनकी स्वीकृति हो गई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लोराइडयुक्त जो गांव हैं 199 ब्यावर के, इनके लिए पीपीसी की मीटिंग हुई थी 2007 में, 3 दिसम्बर, 2007, उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति ही जारी हुई थी उसमें कोई भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई थी। प्रशासनिक स्वीकृति का मायने जब तक नहीं होता अगर आप फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं करायेंगे और सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति आप चाहे दर्जनों निकाल दें, उनकी कोई अहमियत नहीं होती माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण में बीसलपुर से नसीराबाद, यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो टेल एंड में आते हैं, आपके जो जवाजा के 199 गांव हैं, प्रथम चरण में बीसलपुर से नसीराबाद तक पानी पहुंचाने का कार्य पूर्ण किया गया और उसमें 282 करोड़ उसमें उनके इनवेस्टमेंट किया गया और उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय चरण में नसीराबाद से ब्यावर, उसके लिए 60 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई 26 मई, 2011 को और यह एक्सपेक्टेड है कि 31 मार्च, 2013 तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से ब्यावर तक का कार्य पूर्ण हो जायेगा और जब नसीराबाद से ब्यावर तक का कार्य पूर्ण हो जायेगा उसके बाद में जो कलस्टर 199 विलेजेज हैं माननीय ब्यावर से आने वाले सदस्य के, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवाजा पंचायत समिति के 199 गांवों को पानी की जो आगे योजना बनाई है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में भी, इनको

(डा. जितेन्द्र सिंह)

तो बल्कि एप्रिसिएट करना चाहिए कि 2013-14 में पैरा 57 (10) उसमें 199 गांवों के लिए बीसलपुर का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिया है, मैं समझता हूं इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता इसके लिए। नम्बर टू, उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर का पानी आने के लिए समय लगेगा, इसके लिए आलरेडी वहां व्यवस्था है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां इनके 199 गांवों में तीन पाइप्ड स्कीम्स हैं और नौ इनके पम्प्स एण्ड टैंक्स स्कीम्स हैं और 187 हैण्ड पम्प स्कीम्स हैं। आफकोर्स जो फ्लोराइड इफेक्टेड विलेजेज हैं उनमें सबसे ज्यादा टारगेटेड माननीय हमारे ब्यावर से आने वाले सदस्य के अपने 199 गांवों में, उनमें उपाध्यक्ष महोदय, 109 गांव उनमें जो फ्लोराइड की मात्रा है वह 1.5 मिलिग्राम पर लीटर है और 69 विलेजेज में 1.523 मिलिग्राम पर लीटर है और जो 21 गांव ऐसे हैं माननीय, यह जो 1.523 मिलिग्राम पर-लीटर है, यह असेप्टेबल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय और तीन मिलिग्राम पर लीटर एण्ड अबाव है वह असेप्टेबल नहीं है। उसमें उपाध्यक्ष महोदय, हमने 17 में, 17 इनके जो हैण्ड पम्प हैं वहां डिफ्लोराइडेशन यूनिट लगा दी है जो करीब अस्सी-अस्सी हजार की है। बचे हुए पांच हैं उनमें भी, उपाध्यक्ष महोदय, लगा देंगे। उसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय वहां महत्वपूर्ण है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए इनके 43 एससी एसटी बस्तियों में सिंगल फेस हमने लगाये हुए हैं और 63 गांवों में जहां पर उनके हमने अलग से टांकों की व्यवस्था कर रखी है जिसमें 124 टांके स्वीकृत थे, 107 का कार्य पूर्ण हो गया, 90 पर हैण्ड पम्प्स लगा दिये गये हैं और मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है उसका कार्य 2013-14 में प्रारम्भ कर दिया जायेगा और 36 माह में पूर्ण कर दिया जायेगा जिसके लिए कि आपने अभी कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: संतुष्ट?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 36 माह तक तो यह सरकार भी नहीं रहेगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं चार साल से इनसे निवेदन कर रहा हूं कि यह पानी जल्दी स्वीकृत कर देते तो कम से कम गांवों में पानी पहुंच भी जाता। अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं लास्ट समय में जब सरकार का समय ही जाने का समय हो गया है तब जाकर के...

श्री उपाध्यक्ष: सरकार तो जब तक प्रजातंत्र रहेगी, पार्टी की बात मत करिये आप। सरकार जनता की होती है, अपने काम की बात करिये यहां।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अब पार्टी की, कांग्रेस की सरकार, वर्तमान जो सरकार है, अब वर्तमान की सरकार जो जाने का समय आ गया है अब जाकर के उन्होंने...

श्री उपाध्यक्ष: वर्तमान में तो चुनाव की प्रक्रिया है, आप तो अपनी बात करिये, अपनी बात करिये। माननीय शंकर सिंहजी, एक मिनट विराज सकते हैं आप। दुबारा पूछिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जी।

श्री उपाध्यक्ष: यह माननीय आप से तो लिहाज में नहीं कह पा रहे, शंकर सिंहजी कह रहे थे कि साहब हमें अजमेर को और ब्यावर को पानी देना था और बरसात कम होती है तो बीसलपुर बांध में पानी कम आता है जैसा इस साल कम आया तो गति कम है पानी देने की। तो यह बीसलपुर बांध बारह महीने भरा रहे इसके लिए जो आपने ब्रह्माणी नदी, ट्रिब्यूटरी ढूंढी है उस पर काम करायेंगे तो क्या हमारे राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा होगा? अब यह भी आप बता दीजिये, आप इसको क्यों नहीं बता रहे आप। बोलिये। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महादेय, उन्होंने यह जो पानी अभी मंत्रीजी ने बताया है स्वीकृत करके चालू करने के लिए, इसके टेण्डर कब तक चालू कर देंगे, अभी भी यह लास्ट समय में, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह वाहवाही लूटने के लिए इस काम, वाहवाही के लिए पास कर दिया है काम को, लेकिन चालू नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि यह अप्रैल के पहले सप्ताह में टेण्डर लग करके कार्य चालू हो जाना चाहिए और जो क्षेत्र श्री सीमेंट के मजदूर लोग वहां काफी लोग रह रहे हैं उस एरिया में भी एक पानी की टंकी और उस लाइन में भी पानी को जोड़ा जाना चाहिए। इस बीसलपुर के पानी से उनको भी जोड़ने के लिए मेरा आग्रह है। मंत्रीजी उसमें भी बतायेंगे क्या वह भी लोग, मजदूर लोग रहते हैं उस एरिया में, उनको भी पीने का पानी मिल जाना चाहिए। 199 गांवों को अपन जोड़ रहे हैं तो श्री सीमेंट के एरिये के जो क्षेत्र के लोग हैं...

श्री उपाध्यक्ष: ठीक, ठीक। संक्षिप्त करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उनको भी उसमें जोड़ा जाय, ऐसा मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय इस पर आप जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: हां, विराजिये आप, विराजिये। मंत्रीजी। यह बेगूं के पास वाली की भी बता देना आप।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सतत प्रक्रिया होती है, पानी के प्रोजेक्ट्स बड़े-बड़े होते हैं और यह सतत प्रक्रिया होती है कि किसकी सरकार से चालू हो, किसकी सरकार पर कम्पलीट हो।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई मतलब नहीं है, वह महत्वपूर्ण बात है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): वह आप जैसा फरमा रहे हैं तो यह जो सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा करी है इसमें पैसा अलाट करके, 250 करोड़ अलाट करके काम प्रारम्भ किया है, यह कोई हवाई कार्य नहीं किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और यह कार्य, इस पर कार्यवाही चालू है और आपका यह कार्य प्रारम्भ हो जायेगा हमारे विदिन टू मंथ्स और 2000, यह आप जो कह रहे हैं कि इसमें कब सरकारें आयेंगी और जायेंगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारों से लेना-देना नहीं है। यह 36 मंथ इसका एक प्रेस्क्राइब टाइम होता है जिसको टेण्डर मिलेगा 36 महीने में अगर पूर्ण नहीं किया तो he will be penalized. इसलिए यह पूर्ण हो जाएगा। आपको तो मेज थपथपानी चाहिए, मुझे दुःख है कि आप मेज ही नहीं थपथपाते हो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप ब्रह्माणी नदी के बारे में तो एश्योरेंस तो दे ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान) जो पानी की टंकी बनाई गई है।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये पहलवानजी, कुछ कहना है आपको?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरी प्रार्थना यह थी कि मांग आपके और हमारे क्षेत्र में है। भाई, शंकरजी भी पानी मांग रहे हैं, अच्छी बात है।

श्री उपाध्यक्ष: भारतवर्ष में है, आप तो राज्य की बात कर रहे हो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मालपुरा विधान सभा क्षेत्र अपने ज़िले के अन्दर है। अपना जिला पूरा प्यासा बैठा है। किसी गांव में कोई लेना देना है नहीं और नदी वहां से आती है माउंट आबू से और ब्यावर, भीलवाड़ा वहां से होती हुई आती है तो उसका इतना पानी वहीं रोक लिया जाए। यहां से पाइप लाइन दबाकर ले जाएंगे, 500 करोड़ का खर्चा होगा। उस पर एक छोटा सा बना करके जो एक जिलों को पानी देना है। वह वहां दे दो, माउंट आबू चाहिए उतना पीछे रोक लो, भीलवाड़ा को चाहिए उतना पीछे रोक लो लेकिन यह कितनी बड़ी पैसे की दुरुपयोग है। वहां का पानी बीसलपुर लाकर के फिर यहां का पानी पाइप लाइन दबाकर ले जाकर के लिफ्ट के द्वारा जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें आप। आपकी बात रिकार्ड हो गई है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): दूसरी, मेरी छोटी-सी प्रार्थना है। मंत्रीजी की बात पर मुझे बड़ी हंसी आती है इतनी घोषणाएं की हैं टोटल....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। अब आप विराजिए। यह आपका सब्जैक्ट नहीं है, शंकरसिंहजी का है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं एक चुटकुले से खतम करता हूं जिसमें सारा सारांश आ जाएगा। एक आदमी घोड़े पर चढ़कर के भीख मांग रहा था। एक घर के आगे जाकर के उसने भीख मांगी तो घरवाली ने कहा आगे बढ़। तो वह घोड़े पर बैठा-बैठा बोला कि भीख तो दे चाहे मत दे, लेकिन मेरे ठाठ-बाट को देख ले। काम तो कुछ होना ही नहीं है, घोषणाएं तो देखें। अगले बीस वर्ष तक सरकारें काम करेंगी ना तो भी यह यही कहेंगे कि यह हमारी घोषणा थी। घोषणा तो आते ही चालू कर देते हैं लेकिन यह कब तक पूरी होंगी?

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिए आप। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ओम बिरला, सदस्य, विधान सभा, कोटा शहर में नाईट्रोजीनस खाद उत्पादक व केमिकल्स इकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाने पर भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय श्री बिरलाजी।

कोटा में खाद व केमिकल इकाइयों के प्रदूषण फैलाने पर भी कार्यवाही का अभाव

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा शहर में नाईट्रोजीनस खाद उत्पादक व केमिकल्स इकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाने पर भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कोटा में जो प्रदूषण की बात है उस पर ध्यान आकर्षित किया है। इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट इस प्रकार है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कोटा जिले में तीन नाइट्रोजीनस खाद उत्पादक इकाइयां एवं 5 केमिकल

(श्री परसादीलाल)

इकाइयों को उनके उच्छिष्ट को उपचारित कर परिसर के बाहर निस्त्रावित करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत सम्मति प्रदान की है। ग्राम पलायथा के निकट स्थित मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लिमिटेड, ग्राम गड़ेपान, जिला कोटा (यूनिट प्रथम) एवं मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लिमिटेड, ग्राम गड़ेपान, जिला कोटा (यूनिट द्वितीय) द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान उपचारित उच्छिष्ट का निस्त्राव कालीसिंध नदी में किया जाता है। कोटा शहर के समीप स्थित 5 उद्योगों- श्रीराम फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल, श्रीराम नगर, कोटा (यूरिया), श्रीराम विनायल एण्ड कैमिकल इण्डस्ट्री, श्रीराम नगर, कोटा (स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर), श्रीराम विनायल एण्ड कैमिकल इण्डस्ट्री, श्रीराम नगर, कोटा (पी.वी.सी. रेजिन), श्रीराम विनायल एण्ड कैमिकल इण्डस्ट्री, श्रीराम नगर, कोटा (कास्टिक सोडा), श्रीराम विनायल एण्ड कैमिकल इण्डस्ट्री, श्रीराम नगर, कोटा (कैल्शियम कार्बाइड), मैसर्स डी.सी.एम.एस.सी.एल. के परिसर में स्थित हैं एवं इन पांचों उद्योगों का उपचारित उच्छिष्ट उक्त परिसर के एक ही निकास के द्वारा होता है। एक अन्य केमिकल इकाई मैसर्स श्रीराम रेयन्स (टायर कोर्ड), श्रीराम नगर, कोटा का भी उपचारित औद्योगिक उच्छिष्ट का निस्त्राव उसके परिसर से होता है। उक्त दोनों परिसरों से निस्त्रावित संयुक्त उच्छिष्ट दो बंद पाइप लाइनों के माध्यम से लगभग 1.3 किलोमीटर के पश्चात् कंसुआ नाले में (रायपुर रोड ब्रिज के पास) वाहित हो रहे अनुपचारित घरेलू उच्छिष्ट के साथ मिल जाता है। इस सम्मिलित उच्छिष्ट में अधिकांश मात्रा घरेलू उच्छिष्ट की रहती है, जो कि अलनिया नदी एवं चन्द्रलोही नदी में वाहित होता हुआ अंततः ग्राम मानस के पास चम्बल नदी में मिल जाता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उद्योगों से निस्त्रावित उपचारित उच्छिष्ट के मानक निर्धारित हैं एवं इन्हीं मानकों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मति जारी करते समय उद्योग पर अधिरोपित करता है एवं उद्योगों के परिसर के निस्त्राव बिन्दु पर निस्त्रावित उपचारित उच्छिष्ट की समय-समय पर जांच करता है ताकि निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित की जा सके। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत रिसीपीयन्ट बाडी के मानक निर्धारित नहीं हैं। मानकों का निर्धारण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया

(श्री परसादीलाल)

जाता है एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का दायित्व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योगों से निस्त्रावित उपचारित उच्छिष्ट के लिए निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करना है। कोटा स्थित मैसर्स श्रीराम रेयन्स, श्रीराम नगर, कोटा एवं मैसर्स डी.सी.एम.एस.सी.एल. परिसर से निस्त्रावित किए जाने वाले उपचारित औद्योगिक उच्छिष्ट के नमूने एकत्रित किये गये जो कि मानकों के अनुरूप हैं। विश्लेषण प्रतिवेदन का विवरण निम्नानुसार है। विश्लेषण भी आपको बताऊं, माननीय सदस्य, कापी मिल गई है आपको?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, मिल गई है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): जो भी यह जांच करवाई है इनके मानक जो निर्धारित हैं उसी के अनुरूप कहीं भी, कोई भी, किसी भी चीज का मानक से ज्यादा कोई भी चीज का प्रदूषण करना हुआ नहीं पाया गया है। इसमें नीचे लिखा है- उल्लेखनीय है कि नदी तथा नालों के जल की गुणवत्ता के मानक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्धारित नहीं हैं, तथापि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विभिन्न जल स्रोतों के जल के उपयोग के आधार पर किये गये वर्गीकरण के अनुसार चम्बल नदी को वर्ग सी अर्थात पीने का स्रोत, प्रचलित उपचार के बाद, में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता की जांच तीन स्थानों यथा अकेलगढ़ (जिला कोटा), रंगपुर गांव के पास (जिला कोटा) एवं रामेश्वर घाट (जिला सवाई माधोपुर) पर कर रहा है। उक्त तीनों स्थानों में गत तीन वर्षों (जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2012) में लिये गये नमूनों के विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि चम्बल नदी के इन तीनों स्थानों के जल नमूनों में पी एच तथा टोटल कालिफार्म आर्गेनिज्म्स केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वर्ग सी के जल स्रोतों के लिये निर्धारित मानकों की सीमा के अन्दर पायी गयी। जबकि डिजाल्व्ड आक्सीजन एवं बी.ओ.डी. की मात्रा कुछ माहों को छोड़कर शेष माहों में निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत चन्द्रलोही नदी के चम्बल नदी में विसर्जन के पश्चात मानस गांव के निकट कोई भी जल नमूना एकत्रीकरण स्थल चिह्नित नहीं है। इस कारण पूर्व में मानस गांव के निकट चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता की

(श्री परसादीलाल)

जांच नहीं की गई। तथापि राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा हाल ही में दिनांक 4.2.2013 को मानस गांव के निकट (चन्द्रलोही नदी के चम्बल नदी में विसर्जन के पश्चात) चम्बल नदी के जल का नमूना एकत्रित किया गया। जिसके विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुसार जल की गुणवत्ता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल स्रोतों के जल के उपयोग के आधार पर किये गये वर्गीकरण वर्ग सी अर्थात पीने का स्रोत, प्रचलित उपचार के बाद लिये निर्धारित मानकों (कैटेगिरी सी) की सीमा के अन्दर पाई गई है।

चन्द्रलोही नदी, अलनिया नदी व कंसुआ नाले में संरक्षित वन्य जीवों व इनके नजदीक बसे स्थानीय निवासियों के जीवन तथा की जा रही खेती पर औद्योगिक उच्छिष्ट के कारण प्रतिकूल प्रभाव सम्बन्धी कोई अध्ययन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा नहीं कराया गया है। राज्य मण्डल द्वारा उद्योगों से निस्त्रावित उपचारित उच्छिष्ट की जांच निर्धारित मानकों को दृष्टिगत रखते हुए की जाती रही है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों एवं संदर्भित औद्योगिक इकाइयों के संचालकों के बीच गठजोड़ का संदेह निराधार है। अत: राज्य मण्डल के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से चार क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जिन इकाइयों को आपने परमीशन दी उनके अन्दर क्या-क्या उत्पाद निकलते हैं? उन पांचों इकाइयों को अलग-अलग परमीशन दी गई है या एक साथ परमीशन दी गई है और उससे निकलने वाले उच्छिष्ट कहां निकलते हैं कहां उसके नमूने लिये गये हैं, कब-कब नमूने लिये गये हैं और इन नमूनों से मनुष्यों और वन्य जीव की धारा शिड्यूल 'ए' के तहत आने वाले उन जानवरों पर क्या-क्या इंपेक्ट पड़ सकते हैं और उनका प्रभाव भविष्य में मनुष्य पर क्या हो सकता है, जानवरों पर क्या हो सकता है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग हमारे राजस्थान के लिए आवश्यक है और औद्योगीकरण राज्य के विकास के लिए भी आवश्यक है लेकिन मुख्य मंत्रीजी खुद मानते हैं कि औद्योगिक विकास अगर हमारे व्यक्ति के जीवन को पर्यावरण और उसकी जिन्दगी से खिलवाड़ करने वाला हो तो उन उद्योगों को सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत जिन नियम और प्रक्रियाओं में उन्हें परमीशन दी गई है उन नियम और प्रक्रियाओं की पालना सुनिश्चित हो, समय पर सुनिश्चित हो ताकि कोई भी उद्योग, उद्योगपति जो

(श्री ओम बिरला)

उससे धन कमा रहा है उस धन में तो उद्योगपति का हिस्सा है लेकिन उसके पर्यावरणीय प्रभाव से आने वाली पीढ़ियां और मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है जो वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हम सब संकट में आ जाएंगे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरी चिन्ता इसी में है। माननीय मंत्री महोदय मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बारे में एक साथ पूछ लूं या आप कहें तो क्रोस क्वेश्चन पूछ लूं कि इन उद्योगों का औचक निरीक्षण कब-कब किया गया और उक्त उद्योगों के द्वारा उच्छिष्ट के माध्यम से प्रदूषण हुआ, उसकी शिकायत कब-कब की गई और इनकी कब-कब मेडिकली या पर्यावरणीय स्टडी की गई कि इन निकलने वाले जो इसमें से निकलते हैं मुख्य रूप से कार्बाइड, एसीड, स्लरी, लैड, मर्करी इन सब से मनुष्य और जानवरों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है मेडिकली और क्या जीवन के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय बता दें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि इनसे क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको पहले ही जवाब में बताया है माननीय सदस्य, इन मानकों का, कितने मानक होंगे, क्या होंगे इसका निर्धारण भारत सरकार करती है स्टेट का एन्वोयरमेंट डिपार्टमेंट केवल जो भारत सरकार मानक निर्धारित करती है, उनकी पालना करता है। मैंने आपको जवाब में भी जो आपको भिजवाया है उसमें भी कहा है कि किसी भी पाइंट पर...(व्यवधान) एक मिनट। कहीं भी जो हमने जांच करवायी है 8.3.2011 को, 14.12.2011 को, 9.10.2012 को और उसके बाद करवायी 2.3.2011 को अभी हाल ही हमने आपका यह सवाल लगने के बाद भी जांच करवायी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कहीं भी किसी भी मानक का वेस्ट वाटर में या उसको निकालने में कहीं भी, किसी भी केटेगरी में कोई उनका उल्लंघन नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, जब इन मानकों का उल्लंघन होगा, उससे ज्यादा उसमें प्रदूषित होगा। इसमें जो हमारी रिपोर्ट है, हाल ही अभी हमने एक सर्वे कराया, आपका सवाल लगने के बाद 13.3.2013 को, इसमें भी किसी भी केटेगरी में किसी भी मानक का कोई उल्लंघन वहां पर नहीं पाया गया है और आप कहेंगे दुबारा आप जिसकी भी और जांच कराना चाहें मैं जांच कराने को विभाग को कह दूंगा और मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी भी तरह का कोई मानक का उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से नियमानुसार जो भी कार्यवाही है वह विभाग करेगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी में सिद्धांत मान कर चलते हैं गांधीजी को। गांधीजी ने यह कहा था कि औद्योगीकरण मानवता के लिए अभिशाप है। क्यों औद्योगीकरण के पीछे लगे हो, क्यों बरबाद कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: गांधीजी को पूरा हिन्दुस्तान ही नहीं मानता है, पूरा विश्व मानता है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पांच हजार साल में कभी कोई उद्योग नहीं लगाया और सोने की चिड़िया थी। हिन्दुस्तान का 33 परसेंट शेयर था एक्सपोर्ट में दुनिया में। कहां औद्योगीकरण के पीछे लगे हो, क्यों बरबाद कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं कि मानक तो भारत सरकार तय करती है। माननीय मंत्री महोदय, क्या इन मानकों के आधार पर क्या राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कभी नमूने लिये, और जो नमूने लिये गये वे तमाम नमूने, जब आपने इंडस्ट्रीज को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग परमीशन दी है? और आप खुद जवाब में कह रहे हैं कि इन परमीशनों के बाद कौन सा अपशिष्ट कहां छोड़ा जाएगा, मेरा दावा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जवाब में बता दें कि श्रीराम फर्टीलाइजर केमीकल्स के अन्दर जो पांच उद्योग हैं उन पांच उद्योगों की क्या अलग-अलग परमीशन दी गई है और अगर अलग-अलग परमीशन दी गई है तो क्या उनसे गिरने वाले रसायन, उसमें लगने वाले क्रेशर और क्रेशर से होने वाली डस्ट और कार्बाइड के आधार पर जो चीजें फैल रही हैं, मैं स्टडी टेबल करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस स्टडी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो अमोनिया गैस है, वह लोगों को अस्थमा कर देती है और अस्थमा से व्यक्ति जिन्दा नहीं रह सकता। उसके श्वास रोग हो जाता है। अभी मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया ने जब कोटा में एक स्टडी की थी तो उसमें इन तमाम उद्योगों के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष: अब वो स्पष्टीकरण मांग लिया न आपने। हां, मांग लिया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, तो स्पष्टीकरण मांग रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार उद्योगपतियों के दम पर और उद्योगपतियों

(श्री ओम बिरला)

से सांठ-गांठ करके उन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए प्रश्न उठाया है मैंने। हम उद्योगों के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उद्योगों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़े, उनकी जिन्दगियां खराब हो जाएं, यह भी हम सहन नहीं करेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरे प्रश्नों को स्पेसिफिक जवाब दे दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। वहां के किसी अधिकारी ने कोई गड़बड़ की हो तो कार्यवाही करें उसके खिलाफ, कौन अधिकारी हैं वहां पर।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि इनको परमीशन किस तरह दी जाती है, जल व वायु अधिनियमों में प्रत्येक इकाई को अलग-अलग सम्मति दी जाती है। दूसरा, एक जो मानक की बात आप कह रहे हैं कि मानकों का उल्लंघन हुआ। आप कहें जिस इकाई का, आप कहो तब मैं उसका दुबारा सर्वे करवा दूंगा और कोई गलती पाई गई मानकों के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका उत्तर मैं पढ़ देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, अब समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ मत होने दो माननीय, उपाध्यक्ष महोदय। अगर इस विधान सभा में आने के बाद भी इन उद्योगपतियों को इसी तरीके से संरक्षण मिलता रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो राजस्थान के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अमराराम, सदस्य विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। श्री अमराराम (अनुपस्थित)।

श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। केवल श्री शिवजीराम मीणा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

याचिका

भीलवाड़ा-सुवाणा-कोटड़ी-पण्डेर-सावर की सड़क का चौड़ाईकरण

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एमडीआर-7 भीलवाड़ा-सुवाणा-कोटड़ी-पण्डेर-सावर की सम्पूर्ण सड़क का 7 मीटर चौड़ाईकरण करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पेमाराम, सदस्य विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। माननीय श्री पेमाराम (अनुपस्थित)।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

मेजर ओ.पी. यादव, सभापति प्राक्कलन समिति 'क', 2012-13 समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। मेजर ओ.पी. यादव केवल।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां माननीय सदस्य, मेजर ओ.पी. यादव। माननीय यादव साहब।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन 'क' समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 7)

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'क' 2012-13 के 7वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 7)

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर लाल अहारी, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2012-13 समिति के 7वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2012-13 के 7वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013, श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य–वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री उपाध्यक्ष: श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य–वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य–वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य–वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य–वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री उपाध्यक्ष: श्री परसादीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14, अनुदान की मांग व विचार एवं मतदान। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, गृह राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस एवं श्री रामकिशोर सैनी, कारागार राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या-17 कारागार, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्ताव करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16-पुलिस की प्रस्तुति

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 30,41,19,88,000 (अक्षरे तीस अरब इक्तालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): मेरा रह गया साहब, जेल का। (व्यवधान) दिन आज ही है।

श्री उपाध्यक्ष: हम तो सोचते थे कि आप सम्मिलित ही हो।

मांग संख्या 17-कारागार की प्रस्तुति

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,03,54,08,000 (अक्षरे एक अरब तीन करोड़ चौवन लाख आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्व विदित है कि किसी भी सभ्यता को सुरक्षित रखना और किसी भी राष्ट्र को संरक्षित रखना और किसी भी प्रदेश को व्यवस्थित रखने के अन्दर जिस बल का मुख्यत: कर्तव्य बनता है उसको हम पुलिस बल के नाम से आंतरिक सुरक्षा के कर्तव्य का निर्वाह करने वाले पृष्ठभूमि में उसके चरित्र को हम पुलिस की नीति और कृति के स्वरूप में जानते हैं और पहचानते हैं। आज पुलिस को भी मानवाधिकारों के प्रति जवाबदेही के परिवर्तित मानव के अधीन कार्य करना पड़ता है। मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार मैंने आपसे निवेदन किया था कि पुलिस का जो वास्तविक चेहरा है वह पुलिस का डीजी या पुलिस का आईजी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग चल रही है और पुलिस का कोई अधिकारी यहां नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप अधिकारियों की तरफ इंगित मत कीजिए। आप विराजिए, अधिकारियों से कोई लेना-देना नहीं है, वह सरकार के मंत्री जानें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): फिर घर पर जाकर दे लेंगे भाषण।

श्री उपाध्यक्ष: अधिकारियों को क्या देखना, सरकार को देखना है, आपकी बात सरकार सुनेगी। यह अच्छी बात नहीं है, अच्छी परिपाटी नहीं है। उनको याद करो आप।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा किसी भी विभाग का चाहे वह पुलिस बल हो, चाहे वह कोई और विभाग हो, उसके क्षेत्र में जो कार्य करता है, जो उसका फील्ड आफिसर है जिसका आमजन से रोज किसी न किसी कारण से वास्ता पड़ता है, उसका व्यवहार कैसा है, उससे उस विभाग की छवि प्रतिबिंबित होती है। आपके विभाग का वास्तविक चेहरा डीजी नहीं है, आईजी नहीं है, एसपी नहीं है, वह कांस्टेबल है, वह हैड कांस्टेबल है, वह थानेदार या इंचार्ज है जिसका फील्ड़ में रोजमर्रा किसी न किसी व्यक्ति के साथ साक्षात्कार होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपने जिस कार्यशैली को जन्म दिया, हमने 1861 के कानून को बदलकर 2007 का वर्तमान में जो कानून है उसको प्रारूप प्रदान किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पिछली बार मैंने आपसे एक निवेदन किया था और आपने प्रत्युत्तर में यह बात कही कि जो आपका फील्ड़ आफिसर है वह किस व्यवस्था में कार्य कर रहा है। मैंने उनके वेतन की विसंगतियों के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया था। मैंने उसकी परिस्थितियों के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया था। आखिर वह व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है जिसको हम कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, क्या उसके परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व नहीं है? क्या उसको अपने समाज में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करना होता है? कम से कम हम इस बात के लिए तो मंथन करें कि जिसको 24 घंटे हम ड्यूटी पर लेते हैं, 24 घंटे यह व्यक्ति ड्यूटी पर खड़ा रहता है, सेना का जवान भी जो हमारी बाहरी सुरक्षा का कवच है उसके पास भी उसके परिवार का पालन करने के लिए केन्द्र सरकार की ऐसी-ऐसी योजनाएं हैं जिससे वह अपने परिवार का जीवन यापन सही ढंग से कर सकता है। अगर आप सेना के जवान की तुलना आपके पुलिस बल के कांस्टेबल से कर ले, वह भी तो जवान है। यह आंतरिक सुरक्षा का कार्य करता है वह बाहरी सुरक्षा का कवच है। मुझे बताइए, आपने

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सारे नियम बना रखे हैं अगर वह कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल होगा या इंस्पेक्टर होगा तो अपने रेवेन्यू सर्किल में उसका पदस्थापन नहीं हो सकता।

(14.00 बजे)

आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह न्याय करेगा इसलिए उसके सर्कल से बाहर उसका पदस्थापन होता है। अगर आप आईएएस, आईपीएस हैं और उस जिले में रहने वाले हैं तो आपका पदस्थापन उस जिले में नहीं हो सकता। आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप उस जिले के साथ न्याय करेंगे। अब यह बात बताइये कि आपका मुख्य सचिव राजस्थान का रहने वाला है तो उसको भी अधिकार नहीं है कि वह राजस्थान का मुख्य सचिव बने, उससे अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। जब पुलिस में वर्दी पहनने के बाद में मानव जीव के चरित्र में परिवर्तन हो जाता है और सिविल सेवा के अन्य विभागों में जो लोग कार्यरत हैं उनका चरित्र परिवर्तन नहीं होता? हमने आखिर 1861 में ब्रिटिश सरकार के समय जो हमने नियम बनाए थे और हमने दृष्टिगत आधार पर 2007 में हमने नियमों में परिवर्तन किया तो हमारी सोच में परिवर्तन क्यों नहीं आया? मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सबसे पहले तो वह बात पूछना चाहता हूं जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने भी आपको इंगित की थी । आप आरपीएस के प्रमोशन के ऊपर, आपके अधिकारियों के प्रमोशन पर आप 54 साल का आपने एक राइडर लगा रखा है और आपने कहा कि यह हमारा काम नहीं है यह केन्द्र का काम है। आपने पिछले वर्ष यह बात कही थी, मैं पूछना चाहता हूं एक वर्ष बीत गया, आपने क्या केन्द्र को इस आयु सीमा को परिवर्तित करने के लिए पत्र लिखा? यह 54 वर्ष की सीमा तब थी जब 55 वर्ष के अन्दर रिटायरमेंट एज थी। आज 60 वर्ष की रिटायरमेंट एज हो गई है। 54 वर्ष की अगर उम्र प्राप्त कर लेता है तो 6 साल के लिए उसको आप लोग प्रमोशन नहीं देते। आपने खुद ने कहा था आपके हाथ की बात नहीं है, तो हमें कम से कम यह तो बताएं कि एक साल में आपने क्या लिखा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग की सबसे ज्यादा आलोचना होती है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए भ्रष्टाचार कहां है, इस विभाग में है। सबसे ज्यादा अधिकारों का दुरुपयोग कहां होता, इस विभाग में होता है। मैं पूछता हूं, इस विभाग में जो आदमी आता है वह आपके और हमारे परिवार में से ही तो आता है। तो क्या वर्दी पहनने से और विभाग में जाने से उसके चरित्र में इतना परिवर्तन हो जाता है कि हम उसको चरित्रहीन की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

परिभाषा में परिभाषित करने लग जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान से सुनने से पहले हमें वास्तविकता को जानना होगा। मैं स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो और नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की वास्तविक परिस्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर यह विभाग किन परिस्थितियों में अपने सेवा को अंजाम दे रहा है। इससे आपने और हमने बहुत अपेक्षा कर रखी है। डकैतों से आपको बचाए रखे, चोर और लूटेरों से आपको बचाए रखे, रोजमर्रा के अपराध से आपका संरक्षण करें लेकिन इसकी वास्तविक परिस्थिति क्या है । मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं चैप्टर 17 के अन्दर पुलिस स्ट्रेन्थ एक्सपंडीचर और इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा है। आपके राजस्थान की क्या है, जहां सम्पूर्ण राष्ट्र का 133 पर लेक डेनसिटी है पुलिस की, आपके यहां 107 है, जबकि आपके यहां सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। आपका क्षेत्र बाकी प्रदेशों से ज्यादा है और आपकी स्ट्रेन्थ क्या है पर लेक 107, इन कान्स्टेबल और पुलिस वालों से आप यह अपेक्षा करते हैं कि अपराधियों को नियंत्रित रखें, अपराधियों को पकड़ कर उनको अन्जाम दिलवाएं, आपके पास स्ट्रेन्थ और इन्फ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। अगर और आपकी बात कह लें तो पर हण्डरेड किलोमीटर में आपके पास कितने हैं, 100 किलोमीटर के दायरे में आपके पास कितने पुलिसकर्मी हैं जो आपको सरंक्षण प्रदान कर सकें, आप लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। जहां सम्पूर्ण भारत का एवरेज 49.2 है, यह मैं आपको 2009-2010 के आंकड़े दे रहा हूं, इसमें हो सकता है, बाद में आंकड़े बदल जाएं, या और कुछ ऊपर आ जाएं लेकिन आंकड़ा आज भी वहां की वहां ही खड़ा रहेगा। राजस्थान कहां है, हर 100 किलोमीटर पर जहां एवरेज पूरे देश का 49.2 है, राजस्थान का 21 है। अगर हम इसकी तुलना दिल्ली, चण्डीगढ़, पांडेचरी, त्रिपुरा से करें तो वहां तो 216, 436, 693, 4118 और 4334-45 तक चले जाते हैं, अगर दिल्ली की बात करें तो, प्रति 100 किलोमीटर वहां 4345 है और प्रति 100 किलोमीटर राजस्थान को देख लिया जाए तो 21 है। आप हमसे अपेक्षा करते हैं और इन लोगों से अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली, हालांकि दिल्ली भी अब बदनाम हो चुका है।

(14.05 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

पिछले दिनों एक घटना ऐसी घटी कि दिल्ली के बारे में कोई नाम लेना नहीं चाहता। कुछ दल तो सरकार की वजह से नहीं लेना चाहते और कुछ

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

वहां कीर्ति और कृतियों की वजह से नहीं लेना चाहते। आखिर हम इस पूरे के पूरे दल से किस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं? मैं इस पृष्ठभूमि में इसलिए गया हूं, जब आगे कहूंगा वह बात आपको नकारात्मक लगेगी। जो वास्तविकता है, वह बताने का मेरा कर्तव्य था। अब आप यह पूछेंगे, इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद हमारी परिस्थिति क्या है। अब आप शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल कास्ट के सम्बन्ध में आपका आंकड़ा देख लीजिए, आपके प्रतिवेदन के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है कि हमारे यहां क्राइम अगेन्स्ट शिड्यूल कास्ट बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपका आंकड़ा देता हूं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान अकाउण्ट्स फोर 22.4 परसेंट एंड 14.8 आफ दा टोटल कैसेज। आल ओवर इंडिया के जो कैसेज हैं 31594 कैसेज में सर्वाधिक अगर कैस हैं तो यू.पी. में हैं और राजस्थान में है। आप देंगे इनको, इनको प्रताड़ना देंगे कि आपके रहते हुए यह क्यों हो रहा हैं। मैं यह पूछता हूं, आज की हालत तो आप देख लीजिए, पहले तो पुलिस वाले के हाथ में कम से कम एक डण्डा तो मिलता था, कुछ दिनों पहले एक ऐसी घटना घटी कि अब तो डण्डा भी नहीं मिलेगा, बंदूक मिलना और पिस्टल मिलना तो बाद की बात है क्योंकि डण्डा मारने के पहले वह यह मानेगा कि कहीं नेता इस डण्डे से मेरे पर ही प्रहार क्यों न कर दें। 15 दिन पहले जो घटना घटी, उसमें जिस प्रकार का सरकार ने रवैया अपनाया, उससे किसी भी पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ सकता। यह बात मानी कि आपमें और हममें गुण और अवगुण हो सकते हैं लेकिन पूरे के पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर देना और इस बात को लांछित कर देना, हमने कमिश्नरेट प्रणाली क्यों लागू की थी, हमने कमिश्नरेट प्रणाली इसलिए लागू की थी कि इस प्रणाली के रूप में हम बेहतर प्रशासन और बेहतर कानून व्यवस्था दे पाएंगे। मजिस्ट्रेट को और पुलिस को एक समान लाकर खड़ा कर दिया था। उसने क्या गुनाह किया, अगर वहां धारा 144 की बाध्यता को स्वीकार नहीं करता और इस विधान सभा में जहां आप और हम बैठे हैं यहां कोई न कोई बल सहित चढ़ आता तब भी आप उसको प्रताड़ित करते, उसने वहां रोका तब भी आपने उसका प्रताड़ित किया। आखिर ऐसी कौन-सी व्यवस्था है, आप मुझे बता दीजिए। पुलिस बल को आप हिदायत कर दीजिए कि अगर आपको इस प्रकार के बल का प्रयोग करना है तो पहले घुटनों के बल बैठिये, शिष्टाचार से हाथ जोड़िये, नमस्कार करिये और अगले को यह कहिये कि कृपा करके ऐसा काम मत करिये अन्यथा या तो आपका बुरा होगा या मेरा होगा, लेकिन एक बात

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सुनिश्चित है उनका होगा या नहीं होगा, पुलिस अगर नहीं रोकेगी तब भी उसका बुरा होगा और अगर वह रोकेगी तब भी उसका बुरा होगा। सभापति महोदय, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बाहर गलियारों में जो आदमी खड़े हैं यह खाकी वर्दी में क्यों नहीं हैं, इनको आपने सफेद वर्दी क्यों पहना रखी है? यह इस पुलिस कांस्टेबेरी के ही तो आदमी है। अगर हमको खाकी वर्दी से इतनी चिढ़ है तो इस वर्दी का आप रंग बदल दीजिए। सफेद वर्दी को जितना हमने लांछित किया है उतना खाकी वर्दी को पुलिस वाले ने लांछित नहीं किया क्योंकि उसकी खाकी वर्दी को लांछित कराने का अगर कोई प्रारूप तैयार करता है तो आपका और मेरा कोई जनप्रतिनिधि प्रारूप तैयार करता है। किसके गांव में, थाने में, कौन थानेदार लगेगा, आपने तो, प्रतिपक्ष के नेता, आपने तो बैठ कर 2007 का नियम बनाया था, एक भी नियम का आपने कानून का आप पालन कर रहे हो क्या? जिस व्यवस्था को आप कानून पालना के लिए कहते हो उसके लिए जो कानून बनाया गया उसकी पालना क्या सरकार कर रही है क्या? आदरणीय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सम्पूर्ण हमने उस वक्त नियम बनाये, आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्डस बना लिए, स्टेट बोर्डस बना लिए, आपने उसमें यहां तक व्यवस्था की है कि अगर किसी गांव में क्राइम कमिट हो जाता है तो हम विलेज गार्ड भी देंगे। किसी व्यक्ति को आकर उस क्राइम के बारे में रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है वह स्वयं उस क्राइम का रिकार्ड करवाएगा पुलिस थाने में आकर। आप बताइये, आपने किया क्या? 2007 से 2013 आ गया, 6 वर्ष हमने बिता दिए।

आखिर हमने जो खुद ने कानून बनाया था उसको आपने दरकिनार कर दिया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। मेगा सिटी की बात कर रहे हैं, मेट्रो आप यहां चलाएंगे। आप वर्ल्ड सिटी का स्वरूप प्रदान करने के लिये जयपुर में प्रयत्नशील हैं, स्वागत योग्य है। आदमी की सोच यह होनी चाहिए कि हमें कम से कम पूरा का पूरा जो लक्ष्य हमारा यह है, ऐसा होना चाहिए कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोगों के लिये यहां आम आदमी लालायित हो जाए। बाध्य नहीं हो, लालायित हो जाए। लेकिन उसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपके मेगा सिटी के क्राइम जो आई.पी.सी. के माध्यम से हुए हैं, आपके जितने मेगासिटी के क्राइम हैं, यह टेबल 2-ए, अगर आप लोग जांचना चाहें तो टेबल 2-ए है और चैप्टर है 2, क्राइम इन मेगा सिटीज, जयपुर का क्या हाल है। मैं 2009-10 का

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आपको आंकड़ा दे रहा हूं। 2010-11 और 2011-12 के मैं नहीं दे रहा हूं, मंत्री महोदय, 2009-10 का आंकड़ा दे रहा हूं। 2009-10 के आंकड़े में रेट आफ क्राइम जयपुर में 722 थी, 722.4, आपका स्टेट का एवरेज कितना था, 252 था। लेकिन आपके जयपुर का एवरेज कितना था, 722 था। करो आप इनको प्रताड़ित, न इनके पास आदमी हैं क्राइम को रोकने के लिये, न इनके पास में क्राइम को रोकने की व्यवस्था है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्राइम कैसे रुकेगा। यह बगैर बंदूक के, बगैर हथियार के क्राइम रोक लेंगे क्या? तो इनके हथियारों का कौन संरक्षण करता है। इनके हथियारों को कौन रिपेयर करता है। इनके हथियारों की मरम्मत कौन करता है? आर्मरर करता है। आपने आर्मरर कितने लगा रखे हैं? टोटल आपके पास में मेरे ख्याल से सौ के आंकड़े से भी कम हैं। अगर मैं आर्मरर का आपको बताऊं तो सौ के आंकड़े से भी कम हैं। इन आर्मरर से आप लोग, इनके 70 हजार तकरीबन हथियार हैं जिसमें आधुनिकीकरण के नाम पर 35 हजार हथियार अत्याधुनिक हैं। जो हर वर्ष किसी न किसी की मरम्मत मांगते हैं। आप और मैं गये हुए होंगे। आप कम से कम अंतर-आत्मा से कहिये। कई बार हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है तो उस वक्त आर.ए.सी. की टुकड़ी या पुलिस की टुकड़ी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इनके आर्म्स की तो यह हालत है कि जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये गन फायर करते हैं, इनके गनों के ट्रिगर नहीं खुलते। उस वक्त इस कांस्टेबल के प्रति या उस हैड-कांस्टेबल के प्रति लोग-बाग़ अंगुली उठाने लग जाते हैं। हमने लज्जित और तिरस्कार करने के लिये इस पूरी की पूरी संस्था को सड़क पर छोड़ रखा है। हर व्यक्ति इनको उप-नामों से जानता है। कोई हफ़्ता वसूल करने वाले के नाम से जानता है, कोई करप्शन करने वाले के नाम से जानता है, कोई राठौड़ी करने वाले के नाम से जानता है। हमने इतने उप-नाम इनको दे दिये कि ये तो खुद का चरित्र भूल गये कि इनका कार्य क्या था।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दिनों आपके यहां एक बहुत बड़ी घटना घटी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप खुद वकील हैं। मैं आपका ध्यान सीआर.पी.सी. के उस एक्ट पर आकर्षित करना चाहता हूं, सेक्शन पर, सीआर.पी.सी. का सेक्शन 129. Dispersal of assembly by use of civil forces. यह इसको पूरा डिफाइन करता है कि अगर मोब मेंटेलिटी हो जाए, लॉ एण्ड आर्डर और पब्लिक, एक बात और भी आपको

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सोचनी पड़ेगी। ला एण्ड आर्डर अपनी जगह है। ला एण्ड आर्डर और पब्लिक आर्डर में क्या फर्क है। जब पब्लिक आर्डर डिस्टर्ब होने वाला हो तो पुलिस को आखिरी वह हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है जो उसके लिये वांछनीय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह पूरा एक्ट अगर पढूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। Dispersal of assembly by use of civil forces. Any Executive Magistrate or Officer in-charge of Police Station or in the place of such Office in charge, any Police Officer not below the rank of Sub Inspector may command any unlawful assembly or any assembly of 5 for more persons." धारा 144 तो इसी बात को डिफाइन करती है I am not a Lawyer. I am just a general person. अब धारा 144 इसी में डिफाइन हो गयी। वह यह कार्य नहीं करे तो वह न करने के लिये यहां दोषी और कर ले तो आपने दोषी मान लिया। 129, अगर आप यह भी पढ़ लो, 131 Power of certain arms forces officer to disperse assembly. आप 129 के साथ यह 131 भी पढ़िये। मंत्री महोदय, दोनों को पढ़ने के बाद में आप यह बताइये कि आपका और हमारा यहां कोई नेता आ जाता है और हम कोई रैली कर लेते हैं तो रोज बड़े-बड़े अक्षरों में छपता है कि सम्पूर्ण जनता को परेशानी हुई, सम्पूर्ण जनता को परेशान होना पड़ा। जब इस प्रकार का कृत्य हो जाए तो सम्पूर्ण जनता को परेशान न होना पड़े, उसके लिये अगर कोई पुलिस कार्य करे तो आप यह कह दो कि यह बदली हुई परिस्थितियों में विवशता में लिया हुआ निर्णय था। अगर हमारा कार्य हो तो भी पुलिस विवश, पुलिस अपना कार्य करना चाहे तब भी पुलिस विवश और अगर अपना कार्य कर ले तो कानून के सामने विवश। अब मैं इसी का आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं हवाला देना चाहता हूं मार्कण्डेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्र के उस निर्णय का। अब आये दिन, मुझे एक बात बताइये। आपके पास एक रिकार्ड होना चाहिए, सरकार के पास में। आपके जितने उच्चाधिकारी हैं, कितनी बार, कितने महीने में कितने रोज न्यायालय जाते हैं। डी.जी. से लगा करके चीफ सैक्रेटरी कितनी बार न्यायालय में बुलाए जाते हैं? न्यायालय में किस प्रकार का व्यवहार होता है? आपका और हमारा किस प्रकार से व्यवहार होता है? आमजन जो वहां जाता है उसका व्यवहार कैसा होता है? मैं उस निर्णय की, उस प्रति की वह लाइन आपको पढ़ाना चाहता हूं, जिससे आपको यह पता लगे कि हमने जिनको मर्यादित समझकर मर्यादाओं में रहने की अपेक्षा की थी, आप और हम अमर्यादित हो जाते हैं तो कई इकाइयां हैं जो हम पर टिप्पणी कर देती हैं। यह गैलेरी में बैठने वाली इकाई से लगाकर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

न्यायालय तक हम पर टिप्पणी कर देता है कि इन जन-प्रतिनिधियों को आचरण नहीं कि किस प्रकार से इनको अपने आचरण का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। यह यू.पी. का एक केस था। यह सुप्रीम कोर्ट में लगा था। यह सुप्रीम कोर्ट वाले केस के अन्दर उन्होंने स्पष्ट लिखा है। ''Judges should not have any ego problem." यह ज्यूडिशियरी के बारे में बोल रहा है। यह बात मैं सड़क पर नहीं कह सकता हूं। वरना यही पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने आयेंगे कि आप कंटेम्प्ट में बुला लिये गये हों। मैं अक्षरश: वह बात इसीलिये पढ़ रहा हूं कि अपने मन की बात पढ़ दूंगा तो भी कंटेम्प्ट में आ जाउंगा। इसलिये जस्टिस की जो कही हुई बात है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। समय इस पर जरुर लगेगा लेकिन आज की इस चीज का सार इससे निकलकर आएगा। अभी एक सज्जन फरमा रहे थे आर.पी.एस.सी. के बारे में कि आर.पी.एस.सी. काम नहीं कर सकती। आये दिन कानून व्यवस्थाओं के नाम पर, परिचलन के नाम पर, नियमों के नाम पर आये दिन लोगों को, बेरोजगार लोगों को जो रोजगार मिले उस पर कानून हस्तक्षेप करता है। इसमें साफ लिखा है ''Judges should not have any ego problem in particular Members of the Higher Judiciary, High Court and Supreme Court should have a great modesty and humility." वह आपसे अपेक्षा कर रहा है। न्यायपालिका से अपेक्षा कर रहा है that "you should have modesty and humility. The High Court Judges have tremendous powers and flaunting these powers unnecessarily only brings the judiciary to disrepute.'' यह मेरे शब्द नहीं हैं। इसलिये उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसमें चार-पांच चीजों का उल्लेख किया है। उन्होंने यह कहा है ''In large number of cases, when they come before the High Court, the High Court summons the officials. Sometimes it is not possible.'' हर बार यह सम्भव नहीं है कि डी.जी. या चीफ सैक्रेटरी जाएं। उन्होंने यह कहा है, आप अधीनस्थ अधिकारियों को बुला लीजिए। लेकिन उसको इज्जत के साथ बैठाइये। इज्जत से उससे बात करिये और जो जानकारी प्राप्त करनी है, आप प्राप्त करिये। यह स्ट्रिक्चर्स स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने पास किये हैं। अगर मैं यह पूरा पढ़ने लग जाउंगा तो मैं आपका समय व्यतीत नहीं करना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में टिप्पणी करे, वह कम से कम इस जजमेंट की कापी जरुर पढ़ ले। इस जजमेंट में, आर.पी. सिंह वर्सेज मलेरिया निरीक्षक संघ का जो केस था उसका लास्ट पेज का, 287 का जो इन्होंने कम्पेंडियम दिया है

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और कन्क्लूड किया है तो उसके 'ए' से लेकर 'जी' तक को पूरा पढ़ लेना। अगर वह पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा कि जिस पुलिस से आप और हम अपेक्षा करते हैं और जिस विभाग से आप और हम अपेक्षा करते हैं उस विभाग की वास्तविक परिस्थिति क्या है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस सारे के सारे परिदृश्य के अन्दर एक चीज जो सामने आती है, हम आखिर, इतने कांस्टेबुलरि में जो लोग-बाग़ हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, हैड-कांस्टेबल्स हैं, इनके परिवार हैं। आप और हम चाहते हैं, हमारे परिवार का बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। यह अपने गृह निवास के सर्किल में नहीं लग सकते। आप और हम, कम से कम इतनी तो हमारे पास में राजकोष में राशि है।

हर जिले में पुलिस लाइन के साथ में आप एक विद्यालय खुलवा दीजिए सी.बी.एस.ई. पैटर्न का। जिसमें इनके बच्चे पढ़ सकें। केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं कि नहीं खोले जाते हैं? तो केन्द्रीय विद्यालय के पैटर्न पर राजस्थान की सरकार इन पुलिस बल के लिए हर जिले पर एक विद्यालय खोले। 12वीं तक की शिक्षा का गृह विद्यालय हो जहां पर बच्चे और बच्चियों के, दोनों का पढ़ने का हो। आखिर यह कांस्टेबल और यह हैड कांस्टेबल, ये तो चाहेंगे कि इनके बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा मिले।

इनके पास रहने को घर नहीं है। अगर मैं आपको उन मापदंडों के बारे में बताऊं तो दस हजार गृह आप लोग बना रहे हो पिछले चार साल से। अभी तो घर बन कर तैयार नहीं हुए और प्रतिपक्ष के नेता भी यहां पर विराजे हुए हैं। हमारे सामने कई बार यह बातें आईं।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2009, 2010 और 2011 में पुलिस बल के कितने लोगबाग मरे। यह पुलिस बल तो सबसे ज्यादा बदनाम बल है। आपने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा कि इनके घर का भी कोई व्यक्ति जब मरता है तो इनको भी उतना ही दु:ख होता है जितना आपके और मेरे घर का व्यक्ति मरे। और फिर वह अपराधी के हाथों से मरे तो उसका कितना दु:ख होता होगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपकी पुलिस केजुअल्टीज का, चेप्टर-20 है। उसमें है-"178 during 2011. 178 police personnel have been injured on duties. Out of these 145 i.e. 81.46% have been injured by other criminals." अपराधियों से हम हमारे पुलिस वालों को मरवा रहे हैं और फिर हम यह अपेक्षा करें कि यह आपकी और हमारी हिफाजत करेंगे?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जब तक मंत्री महोदय और मुख्य सचेतक महोदय, आपके गाड़ी के आगे पुलिस की फ्लेग लगाई हुई वह गाड़ी, भोंपू लगाकर नहीं चले तब तक पता ही नहीं पड़ता कि मुख्य सचेतक महोदय पधारे हैं और मंत्री महोदय, यह कब से होने लगा? मैं भी उस परिवार से आता हूं 1966 और 67 में मेरे पिता भी मंत्री थे। यह कभी भी कायदा नहीं रहा कि मंत्रियों के आगे एस्कार्ट चले। सिर्फ मुख्य मंत्री के आगे एस्कार्ट चलती थी। आपने इन पुलिस वालों को ताबेदारी करने के लिए खड़ा कर दिया। कोई जज जाए तो एस्कार्ट जा रही है। जज का ससुर जाए तो एस्कार्ट जा रही है। मंत्री जाए तो एस्कार्ट जा रही है। मंत्री का साला जाए तो एस्कार्ट जा रही है और अब तो कोई-कोई सत्ता पक्ष के ऐसे विधायक हैं कि वे खुद जाते हैं तब भी एस्कार्ट जाती है। करवाइए आप इनको एस्कार्ट उपलब्ध करवाइए। एन.एच.-8 पर कितनी एस्कार्टिंग व्हीकल्स निकलती हैं कि हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ये ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा दिल्ली में? आप और मैं ट्रैफिक में फंस गए तो अपने तो डंडे पड़ जाएंगे। या तो इतनी बहबूदी रखो कि आप इतने लोकप्रिय हो कि आपके चेहरे को देखकर ही भीड़ हट जाए। उस पुलिस वाले की वर्दी को दिखा-दिखा कर, ओहदा का रुतबा क्यों दिखाना चाहते हो आप? और हम तो एन.एच. -8 पर रहते हैं। मंत्री महोदय, एक साइरन लगाकर जाती है तो थोड़ी देर में फिर पता लगता है कि एक साइरन लगाकर फिर आ रही है कि यह कौन गए साहब? यह फलां वी.आई.पी. गए और यह कौन आए? तो यह साहब, फलां वी.आई.पी. के परिवार वाले आए। मैं मुख्य सचेतकजी, आपको तो इसलिए इंगित कर गया कि आप ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेरा यह निवेदन है कि आप बहुत विद्वान सदस्य हैं सदन के। पहले तो आपने वकीलों के मामले में पुलिस को डीमारलाइज करने की बात कही और इस वैल के अन्दर आकर किसने सदन का समय बाधित किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके किस आचरण को हम सही मानें?

सैकण्ड चीज, आप मंत्री के साले की बात कर रहे हैं यह जो एस्कार्ट है, इसका पूरा स्टडी कर लो। क्या राजनेता ही इस बात के लिए दोषी है या क्या कोई अधिकारी भी है? चीफ सैक्रेटरी के आगे लगती है। डी.जी. के आगे लगती है। पुलिस के आला अधिकारियों के आगे लगती है। इनके बारे में भी आपके मुखारविंद से एक-दो शब्द निकल जाएं। आपकी सरकार के दौरान भी

(डा. रघु शर्मा)

यह सब व्यवस्थाएं चलती आ रही थीं तो सभी चीजों पर अपन खुलासा बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने जब मंत्री का नाम लिया न तो गृह मंत्री का नाम नहीं लिया। आप मेरे एक-एक वाक्य को ध्यान से पकड़ो, एक-एक शब्द को। और मैंने आपका नाम इसलिए लिया था कि मुझे मालूम था कि आप कम से कम इसको रहम दिल से यह देखें। मैंने 1966 के समय में मंत्रियों की क्या व्यवस्था थी, उसका लिया और मैंने मेरे पिता का, उनके यहां पर एस्कार्ट नहीं लगती थी। उतने बड़े तो हम भी थे कि यह जानते थे कि पुलिस वाला कौन होता है और एस्कार्ट किसे कहते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): वह बाद में लगने लगी है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैं तो आपको निवेदन करूं कि मैं तो व्यक्तिगत गाड़ी से जाता हूं अभी भी और मेरे को एस्कार्ट का शौक नहीं है लेकिन एस्कार्ट की यह व्यवस्था जिस पर आप चिंता जाहिर कर रहे हैं यह कम से कम नेता, प्रतिपक्ष बैठे हैं। इनके आगे भी लग रही है तो कुछ बात करो तो फिर सारी बातें करो। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैंने किसी व्यक्ति को इंगित नहीं किया।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): यह आपके ऊपर नहीं कह रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने संस्था को इंगित किया है। जो-जो इस संस्था में आते हैं और जो-जो आपकी इन सेवाओं का...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखिए माननीय, आपने कहा कि मंत्री के साले। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जो-जो आपकी इन सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं वे सारे इसमें हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि आपने कहा कि मंत्री के साले। तो या तो नाम बता दो। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ये मंत्रीजी नहीं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कौन से मंत्री का साला?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): वह मंत्री जिनके साले के सामने एस्कार्ट लगती है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कौन से मंत्री?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब मैं नहीं बता सकता। मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह क्या बात हुई?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): विराज जाओ आप। और हो सकता है कि वह मंत्री हमारे समय में रहे हों। अब तो बराबर हो गया न मामला? हो गया न बराबर मामला? ठीक है, ऐसा रख लीजिए। आपको क्या दिक्कत है? मैं तो यह कह रहा हूं कि इनसे अगर हम यह सेवाएं ले रहे हैं तो इनकी सेवा के नियमों में है क्या? इनकी सेवा के नियमों में है क्या? और ले रहे हैं तो जैसे प्राइवेट आप क्रिकेट खिलवाते हैं, आर.सी.ए. को यह कहते हैं कि इन कांस्टेबल को अगर लेंगे तो इन कांस्टेबल्स के, पुलिस वालों के पैसे जमा करवाओ। आपको और मुझे एस्कार्ट की जरूरत है तो पैसे जमा करवाओ और एस्कार्ट लो। लो न क्या दिक्कत है? यह प्रोविजन है। आपके 2007 के एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आप सिक्योरिटी ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी की आवश्यकता है तो Pay for it. लेकिन रुतबे से ले जाए, हर चीज की व्यवस्थाओं के अन्दर हम यह मानें कि हम इनसे सारी की सारी सेवाएं लें और उसके उपरांत भी यह कहें कि ये सेवा-भावी रहें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, एक चीज और स्पष्ट कर दो। सिर्फ मैं तो, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि आप कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते लेकिन जो रेड कार्नर वारंट है जिन लोगों के खिलाफ आज, जिनके पासपोर्ट जब्त हैं और जो भगोड़े हैं आज देश के, क्या भारतीय जनता पार्टी के पांच साल के दौरान शासन में उनको किस केटेगरी में एस्कार्ट दी गई थी? आप यह भी बता दो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप एन्टाइटल नहीं हो, आप किस केटेगरी में ले रहे हो?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक्चुअली मुख्य सचेतक महोदय, मैं नहीं चाहता था...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): यह आपके लिए नहीं है। यह सबके लिए जो गलत हो रहा है उसके लिए कह रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट। मैं कर लूंगा। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि मुझे नहीं मालूम की कौन भगोड़ा है या किसके खिलाफ रेड कार्नर वारंट है और उसमें कितनी सूचियों में किस-किस के नाम हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जब आपने इतनी बात...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): राव साहब, मैं बहुत अदब से आपको कह रहा हूं। एक मिनट के लिए...(व्यवधान) यहां पर बहस हो गई। यहां पर एस.एम.एस. स्टेडियम पर एक आई.जी. स्तर के अधिकारी को यह कहा जाता था कि तेरी फीत उतरवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): फिर कर लेना, पहले आप मुझे कर लेने दो। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इतनी अच्छी बहस हो रही है। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हो? यह फ्री-स्टाइल में फिर बोल लेना। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अच्छी बहस कर रहा हूं। एक आदमी जिसके रेड कार्नर वारंट है। जो भगोड़ा है इस देश का। वह एस.एम.एस. स्टेडियम में आई.जी. स्तर के अधिकारी को कह रहा था कि तेरी फीत उतरवा दूंगा। अभी बात करता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपकी मुख्य मंत्री का नाम लेता था, छोटे शब्दों में कि अभी वसु से बात करता हूं, अभी तेरी फीत उतरवाता हूं, यह क्या बातें हुई थीं? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह इतनी अच्छी बात कह रहे हैं आप क्यों इसको कहीं ले जा रहे हो? (व्यवधान).

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आप सरकार लिए बैठे हो न, किसने रोक रखा है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): रेड कार्नर वारंट है। लेकर आ जाओ उसको यहां पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): करो न कार्यवाही। करो न आपकी सरकार है। बार-बार कह रहे हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वहां पर लन्दन में जाकर क्यों मिलते हो? यहां पर लेकर आओ। अरेस्ट करेगी गवर्नमेंट। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि आप हिम्मत करो। वहां लन्दन में जाकर मिलने की क्या जरूरत है? यहां पर लाओ न। अरेस्ट करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 36 हजार भगोड़े हैं आपके पुलिस रिकार्ड में। एक क्वेश्चन के उत्तर में आपने कहा था कि 36 हजार भगोड़े हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वे भगोड़े वैसे नहीं हैं। (व्यवधान) उन भगोड़े की बात कही कि जो पुलिस के आई.जी. को कह दें कि तेरी फीत उतरवा दूंगा। वे ऐसे भगोड़े नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं, और पूछ लें और कोई आपके दिमाग में हो वह भी।

श्री सभापति: यह जनरल बात कर रहे हैं मुख्य सचेतक महोदय, पुलिस की जो जनरल स्थिति है, उसके ऊपर कह रहे हैं। उस पर सदन में चर्चा हो रही है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर मेरे किसी कथन से किसी भी व्यक्ति को आक्षेप पहुंचा हो या उसके सदमा पहुंचा हो सदमा तो पहुंच सकता है क्योंकि सच्चाई बोलने पर सदमा पहुंचता है लोगों के। कइयों के ब्लड-प्रेसर हो जाता है। लेकिन अगर मेरे किसी भी कथन से मेरा अभिप्राय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, मेरा अभिप्राय संस्था विशेष से था। और संस्था विशेष का मतलब वह हुआ चाहे वह संस्था जन-प्रतिनिधियों की हो। चाहे वह संस्था ब्यूरोक्रेसी की हो। चाहे वह संस्था और किसी की भी हो। और मैंने यह कहा था कि हम इनसे वे सेवाएं ले रहे हैं, जिन सेवाओं को लेने का न तो हमारा अधिकार है और न इनसे हम अपेक्षा करते हैं। अब मुझे आप यह बात बताइए कि जब आपने रेड कार्नर वारंट की बात ही कर ली, मैं तो आपको एक हवाला देता हूं। 8.5.2010 को एक वारंट इश्यू हुआ था।

और यह अदालत है मुख्य सिविल न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुजानगढ़ का। मुझे यह बता दीजिये इस अपराधी को, जिसके खिलाफ आज भी वारंट खड़ा है, इसको पकड़ कर आपने क्यों छोड़ा? न मैं अपराधी का नाम ले रहा हूं, न मैं अपराधी की बात कह रहा हूं, मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूं। एफ आई आर नं. 78/2010 है। 131 का जवाब है मेरे पास में यहां पर। अगर मैं इसको उखेड़ने लग जाऊंगा ना, तो व्यक्तिगत आक्षेप आ जायेगा। मुझ पर अंगुली उठ जायेगी कि यह राजपूत समाज का है। लेकिन कम से कम आप यह तो ध्यान रखो कि आखिर हम इन पुलिस वालों से क्या काम

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कराना चाहते हैं। डण्डे भी यह खायें, डण्डे हमारे भी यह खायें, प्रताड़ित भी यह हों और फिर भी प्रभावित नहीं हों और मनोकामना तो हम यह करते हैं कि मनोवैज्ञानिक तकनीक से यह अपने चरित्र को सौहार्दपूर्ण रखते हुए सारी समस्याओं को झेलते हुए आपके और हमारे लिये उत्कृष्ट सेवाएं दें। आप यही तो चाहते हो इनसे? करवाइये आप इनसे काम। अधिकारियों के जानवरों से लगाकर नेताओं के जूते तक यह साफ करते हैं। फोटो छपी है। कोई यू.पी. में छपी है, कोई कहीं छपी है। मैंने यू.पी. का नाम इसलिये ले लिया कि फिर आप उद्वेलित हो जायेंगे कि पता नहीं राजस्थान का कौन नेता है, जो जूते साफ करवाता है। हमारे तो नेता खुद ही अपने जूते साफ कर लेते हैं। वह चाहते ही नहीं हैं कि इस प्रकार का कृत्य कोई करे। गांधीवादी हैं सब। हम सब गांधीवादी हैं। आप ही नहीं हैं। आपने कोई मोनोपोली नहीं ले रखी है, ये पेटेंट नाम नहीं है। हम सब गांधीवादी हैं। जब तक सदन में हैं गांधीवादी हैं, जब घर पर चले जायेंगे सामंतवादी हो जायेंगे। कौन आदमी है जो यह कहता है कि मैं गांधीवादी नहीं हूं। लेकिन गांधीवादी होने के बाद में उपनिवेशनकाल में जो नियम लागू हुए, ब्रिटिश सरकार ने बनाये कि कांस्टेबलरी की क्या हरकत होनी चाहिये और उससे किस प्रकार का काम लेना चाहिये। उस नियत और नियम से और उस मानसिक परिवर्तन से हम बाहर नहीं निकले।

आदरणीय, मैं सिर्फ इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं अगर 15 वर्ष पहले कुछ गलती हो गयी थी ना, तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक रेल दुर्घटना हुई थी 15 वर्ष पहले और उस वक्त भारत सरकार के तत्कालीन रेल मंत्री ने उस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर त्याग पत्र देकर पद से दूर हो गये थे। फिर, आदरणीय, अगर इतनी बड़ी घटना घट गयी कि जयपुर के कमिश्नर को जाना पड़ा तो नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार में बैठने वाले किसी की होती है। अब आप अंगुली उधर क्यों कर रहे हैं? ना तो आप उनकी जगह ले सकते हैं, ना वह आपकी जगह ले सकते हैं। अब आप जहां हैं, सदन की भलाई इसी में है कि वह वहां बैठे रहें और आप यहां बैठे रहें। सभापतिजी, यह सुनिश्चित करें कि यह दोनों बैठे रहें, खड़े रहकर बीच में व्यवधान न डालें। वरना आपके यहां भी मार्शल है सिर्फ वह खाकी में नहीं है, वह सफेद ड्रेस में है।

श्री सभापति: ऐसी जरूरत ही नहीं आयेगी राव साहब।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं, जरूरत इनकी वजह से पता नहीं हो सकता है मेरे को प्रताड़ित करने की बात आ जाये।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, आपकी विद्वता पर किसी को शक नहीं है। आप अच्छे सुझाव दे रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं, आज तो शंका हो गयी थी और वह भी मुख्य सचेतकजी को। दो के सामने ही मुख्य लगता है या तो मुख्य मंत्री के सामने लगता है, या मुख्य सचेतक के सामने लगता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हम सब इस बात के लिये सहमत नहीं हो सकते क्या? आपके जितने भी क्राइम रिसर्च के पेपर्स आये हैं, पूरे नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो पर रिसर्च के पेपर्स पड़े हैं। एक-एक बात यह कहती है कि जिससे हम आठ घंटे काम करवा कर तनख्वाह दे रहे हैं, उससे हम 24 घंटे की नौकरी करवाते हैं। हम इनकी तनख्वाहों में, इनके भत्तों में, इनके अलाउंसेज में हम परिवर्तन क्यों नहीं करते? अगर हम सब्सिडाइज फूड कैंटीन के माध्यम से सेना के जवान को दे सकते हैं तो इनको राशन क्यों नहीं दे सकते? अगर हम उनके लिये स्कूलें खोल सकते हैं तो आन्तरिक सुरक्षा के लिये इनके बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम क्यों नहीं कर सकते? यह तो जिले में भी नहीं लग सकते, अपने घर के सर्कल में भी नहीं लग सकते। आप और हम इनके बच्चों के अध्ययन के लिये तो कर लें। वरना मानव विकास सूचकांक में पुलिस एक ऐसा विभाग रह जायेगा जिसके बच्चे अपनढ़ रह जायेंगे और बिगड़े हुए बच्चे क्या करते हैं, यह आपको और हमको मालूम है। इनके परिवार अगर इस प्रकार से प्रताड़ित होते रहे, तो अपराधबोध से ग्रसित होकर आप और हमको अपराधी घोषित करेंगे कि आपने हमारी व्यवस्था नहीं की। हमारा भी इस समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व है। हमारा भी परिवार के प्रति कोई उत्तरदायित्व है। जो अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता, जिसके मन में आत्मसम्मान नहीं हो, जिसके मन में स्वाभिमान नहीं हो, वही किसी दूसरे के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता और यह वह वर्ग है जो अपने स्वाभिमान और स्वावलम्बन के लिये पूरे प्रदेश और प्रदेश की जनता के स्वाभिमान और स्वावलम्बन की रक्षा करता है।

आज यह हमसे अपेक्षा करते हैं, कहते हैं मैस का भत्ता बढ़ा दो। पूछिये आप अपने डी जी साहब से, इनके खाने बनाने के जो किचन हैं, उनमें

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

टेम्परेरी लोग-बाग़ काम करते हैं। आ जायें तो आ जायें, नहीं तो नहीं आयें। आपको और मेरे को तो थानेदार डण्डा बताता है, उस लांगरी के सामने तो वह भी हाथ जोड़ता है मेरे दो वक्त की रोटी बना जा, नहीं तो मेरा सिपाही क्या खायेगा। परमानेन्ट है क्या आपके पास, बता दो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पास में ढाबे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): वह देखिये, सिविल लाइन से आने वालों में बिलकुल बात पकड़ ली। फिर यह कहां जाते हैं? वहां जाते हैं जहां इन्होंने कहा। और वहां वाला शिकायत करता है कि यह तो पेमेंट ही नहीं करके गया। अब उसको 70 रुपये का तो आप भत्ता दे रहे हो, वह अगर दो वक्त की रोटी भी खा ले, 35 रुपये तो उसकी एक वक्त की रोटी पर ही हो गये। राजकुमारजी, आप बता दीजिये एक व्यक्ति की रोटी पर कितना खर्चा पड़ता है एक व्यक्ति का और वह तो 24 घंटे काम कर रहा है। शारीरिक क्षमता से पसीना बहा रहा है। वह उसकी खुराक भी आपसे और मेरे से ज्यादा होनी चाहिये। शारीरिक पौष्टिकता, डी जी साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं आप पता नहीं इन जवानों को व्यवस्थित रखने के लिये, शारीरिक बल देने के लिये 10 किलोमीटर दौड़ायें या ना दौड़ायें, लेकिन कल को अगर कानून व्यवस्था के अन्दर आपके दल को भागना पड़े तो 10 किलोमीटर की दौड़ सही ढंग से लगा लें, 15 दिन पहले आपने यह उदाहरण दे दिया। वहां से छोड़ कर इनको भागना पड़ेगा अन्यथा प्रताड़ित हो जायेंगे, परेशान हो जायेंगे।

इस व्यवस्था को लागू करना है। आज इनके खिलाफ सब बोलेंगे। आंकड़े देंगे यहां से। कितना क्राइम ग्राफ बढ़ गया, कितना क्राइम का स्ट्रक्चर बढ़ गया? मैं भी बता दूंगा वह सारे आंकड़े मेरे पास में भी हैं। लेकिन मुझे मालूम है इनकी क्या परिस्थिति और क्या परेशानी है। आर्म्ड कोर्प्स के सम्बन्ध में डी.जी. साहब मैंने निवेदन किया है, आपका हथियार नहीं चलेगा न, तो अपराधी भी भय नहीं खायेगा। उसको मालूम है आपका हथियार जंग खा चुका है। हम चाहते हैं कि गृह सचिव अगर यहां है इस बात के लिये, एक मिनट मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं आखिर इनके बारे में निर्णय तो कोई लेगा और निर्णय अगर मंत्रीजी लेंगे तो मंत्रीजी, आप बता दीजिये एक निर्णय आपने लिया हो जिसमें होम सैक्रेट्री की राय नहीं आई हो, जिसमें डी जी की राय नहीं हुई हो। आप गृह मंत्री के नाते इन सबको बिठा कर विभाग के सम्बन्ध में जानकारी लेंगे और अगर मेरी दी हुई जानकारी सही पाई गई तो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इन सबकी आवश्यकता पड़ेगी। इन सबकी आवश्यकता पड़ेगी, आप निर्णय लीजिये। निर्णय लेकर जो कुछ आपको करना है, करिये वरना यह हथियार, हथियारखाने में पड़े-पड़े जंग खा जायेंगे और जब अपराधियों पर चलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हथियार चलने से इंकार कर देगा।

माननीय सभापति महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पास में आंकड़े हैं, उनमें सबसे ज्यादा हमारे लिये चिन्ताजनक है, वह जुवेनाइल क्राइम का आंकड़ा है। जो बच्चों में बढ़ती हुई क्राइम की प्रवृत्ति है। इस चीज को हम अगर देखें तो हम पायेंगे कि राजस्थान में भी एक वर्ष के अन्दर अगर हम 2009-10 का आंकड़ा देखें तो 785 ऐसे क्राइम्स हैं। राजस्थान में चिन्ताजनक बात इसलिये है कि राजस्थान की डेंसिटी आफ पापुलेशन दूसरों की डेंसिटी से कम है। हम महाराष्ट्र की डेंसिटी से या केरल की डेंसिटी से नहीं ले सकते और इसमें सबसे बड़ी चिन्ता की जो बात है, वह यह है कि इन बच्चों को कानून व्यवस्था के प्रति, जो इनको एक कानून व्यवस्था के प्रति एक डर रहना चाहिये, कानून के प्रति जो उनको सजगता रहनी चाहिये और कानून से खौफ भी खायें और कानून से शिक्षा भी लें और कानून को निभाने की प्रवृत्ति उसके चरित्र में भी हो, यह हमारे लिये सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। बहुत से लोगों को उद्वेलित भी कर दिया। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपको यह मालूम है आर जे एस की वर्दी और आपकी वर्दी के भत्तों में कितना फर्क है। आप इसकी तुलना तो करिये। आपका व्यक्ति 24 घंटे में 18 घंटे वर्दी में रहता है। न्यायिक सेवा का व्यक्ति नहीं रहता। और जब वह न्यायपालिका में जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह वर्दी में जाये, क्योंकि वहां से आर्डर पास हुआ हुआ है।

और अगर आप वर्दी का भत्ता देखें तो आरजेएस वाला तो ज्यादा लेता है और आप तो उससे भी कम देते हैं जबकि मैंने तो यह देखा है कि सभी विभागों में अगर कोई वर्दी पहनता है तो वह पुलिस वाला ही पहनता है बाकी के लिए तो वर्दी का कोड लागू होता है या नहीं होता।

सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बल की हम और आप सबको आवश्यकता है। इस सभ्यता को सुरक्षित रखने की, इस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

संस्कृति को सुरक्षित रखने की और इस मानव जीव जिसको हम पुलिस बल के नाम से जानते हैं इसकी स्वयं की व्यथा और वेदना की सम्भाल के लिए ऐसे सुनियोजित समयावधि के साथ हम कार्यक्रम पेश करें। इससे सदन भी फक्र के साथ यह कह सके कि हमने उनके लिए यह व्यवस्था की थी और हम यह चाहते हैं कि इस सभ्यता के लिए आप पुरजोर से व्यवस्था करो। जिसकी सभी नेताओं ने कल्पना की थी और कामना की थी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और कारागार की अनुदान मांगों पर आज मुझे इस चर्चा में भाग लेते हुए बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

आज की इस चर्चा में मेरे से पूर्व वक्ता शाहपुरा से आने माननीय सदस्य जिन्हें सम्माननीय राव नाम के नाम से बोलते हैं। जब बहुत बार पहले भी बोलते हुए देखा है लेकिन आज जब वह बोल रहे थे पूर्ण रूप से हमें एक कन्फ्यूज वक्ता के रूप में लग रहे थे। कान्सेप्ट जिसका क्लियर होता है, महात्मा गांधीजी के आदेशानुसार सदन में वह वही बोलता है जो सच्चाई होती है। आज से आठ दस दिन पहले एक बड़ा काण्ड हुआ, जयपुर शहर में हुआ, बुद्धिजीवियों में हुआ। इनका स्टेटमेंट हम सुन रहे थे। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उस समय ई-टीवी पर बोलने का मौका मिला। ई-टीवी वालों ने मेरे से पूछा कि यह वकील समुदाय और पुलिस के बीच में जो कुछ हुआ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मेरे से पूर्व वक्ता प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक जो बैठे हुए हैं, उस दिन वह थे और मैं अंधेरे में साइड में पेड़ के पास खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि इनको देखते हैं, साढ़े सात, आठ बजे का टाइम था, कि यह कहते क्या हैं आखिर। इनका स्टेटमेंट अगर आप सुनो, ये कह रहे हैं हमें शांति चाहिए, हमें समाज में सम्मान से जीने का हक चाहिए लेकिन अगर उस वक्त का स्टेटमेंट अगर आप सुनें, जिस तरीके से पुलिस को कटघरे में खड़ा करके अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि जैसे घी डाल-डाल कर समाज को उद्वेलित करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हों, पूरे समाज को स्टेटमेंट के जरिये कहां ले जाना चाहते हैं और आज, हमने इनको भी बोलते हुए सुना, आज बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि महात्मा बुद्ध की बहुत ही ज्ञान की बात कह रहे हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लम्बे समय से, आदिकाल से अगर आप

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

देखें तो हमेशा यह व्यवस्था रही है कि लोग अपराधी भी रहे हैं, राम राज भी रहा है, उस राज में रावण राज भी रहा है, चन्द्रमा जैसे के ऊपर दाग लगा है तो उसकी हिस्ट्री भी यह कह रही है कि कैसे-कैसे अपराधी उस वक्त भी हुए हैं। वह दाग कह रहा है हमको, अपनी परम्परा कह रही है, जिसको अपन पढ़ते आये हैं। आज जब राव साहब बोल रहे थे, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, या तो व्यवस्थाओं का पूरा चरित्र चित्रण किया इन्होंने या उस आदिकाल से जो भी पुलिस या सुरक्षा के रूप में या राज पिछले जमाने में 1861 से पहले पुलिस राज बना उससे पहले भी जब राजा-महाराजा राज चलाते थे, उस इंटेजीजेंसी की एक विंग भी रखता था, पुलिस व्यवस्था भी रखता था और वह यह चाहते थे कि समाज में सभी समान रूप से सम्मान को प्राप्त करते हुए चलें। यह व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है लेकिन जिस तरीके से आज मेरे विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी रेडिकल चेजिंग की है। बहुत बड़ी-बड़ी वह व्यवस्थाएं की हैं जिन व्यवस्थाओं को हम नहीं कर पाये। यह तो बतायें कि आज किस तरीके का स्टाफ चाहिए। किस तरीके की व्यवस्था चाहिए।

सभापति महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं, जब तक समाज में सोशल सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होगी तब तक समानता नहीं आ पायेगी और समानता तब तक नहीं आ पायेगी जब तक कि एक गरीब आदमी अपनी झोंपड़ी के अन्दर सोता हुआ अपने आपको न तो महफूज महसूस करेगा, न आपका अधिकार प्राप्त किया हुआ महसूस करेगा। वह तभी करेगा जब राज्य सरकार की नीतियां और उन नीतियों के तहत पुलिस व्यवस्था, वह एक मजबूत क्रिमिनल के साथ उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। गरीब के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। एक जरूरतमन्द के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए और एक पीड़ित के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। उन सबको जो बाहुबल और ताकत के बूते पर सम्मान से नहीं जीने देना चाहता है उसके प्रति पुलिस का क्या व्यवहार होना चाहिए। यह अपने आप में निर्धारित होना चाहिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आदरणीय रमेशजी, मैं रास्ता बताता हूं। आज से डेढ़ सौ साल पहले और उससे आगे का इतिहास ले लीजिए। जब तक समाज और गांव का कन्ट्रोल था, क्या कभी दिल्ली जैसा प्रकरण किसी गांव में हुआ? जबकि गांव में दस परसेंट तो कुंवारे मर जाते थे। तब भी कोई

(श्री देवी सिंह भाटी)

ऐसी घटना नहीं होती थी क्योंकि समाज और गांव का कन्ट्रोल था। यह देश परम्पराओं से चलने वाला है। कानून के किताबों से नहीं चलाया जा सकता। चाहे अमेरिका देख लो वहां न्यूयार्क की गलियों के अन्दर चाहे वहां की जेलों में जो फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा है। वहां की जेलों की हालत देख लो आप चाहे इंग्लैण्ड में देख लो, इटली में देख लो। सारी जगह यही हालात रहेंगे। कानून की किताब से कभी भी रास्ता नहीं बनेगा।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे श्रद्धा के योग्य माननीय सदस्य ने जो कहा, सामाजिक दबाव या सामाजिक भय और सामाजिक व्यवस्थाओं को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है लेकिन आज पुलिस पर बहस हो रही है। पुलिस के पूरे ढांचे को अपन हटा नहीं सकते।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्यों नहीं हटा सकते? आप अंग्रेजों की नकल क्यों करते हो? यही तो सबसे बड़ा संकट हो गया। आजादी के समय जनता को विश्वास दिया गया था कि हम आजादी के बाद अंग्रेजों के सारे काले कानून हटा देंगे और जनता का राज होगा। कहां है वह जनता का राज? अब तो कम्पनियां आ गयीं। अब न तो सरकार की चलेगी, न कोई अफसरशाही की चलेगी। जो कम्पनी आदेश करेगी वही करना पड़ेगा।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मेरा आज की पुलिस मांग पर, हमारी राज्य सरकार ने जिस तरीके से यथासम्भव ...(व्यवधान) अब क्या करूं मैं, बाबो सा सामने आ गये जब? मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से मुख्य मंत्री महोदय ने जो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया, इन्फ्रास्ट्रक्चर पुलिस का डवलप हो और इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ संसाधन दिए जाएं, इसके लिए 2010-11 में आठ हजार कांस्टेबल की भर्ती की गई। जिसकी कमी हम अक्सर महसूस करते आये हैं और इसके बाद बारह हजार कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रियाधीन है जो बहुत जल्दी हो जाएगी। प्रस्तावित दस हजार कांस्टेबल्स की जो भर्ती का दिया है, उससे हम यह मानकर चलेंगे कि कोई दो राय नहीं कि हम जब तक पुलिस का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं करेंगे तब तक पुलिस उसके अभाव में न्याय पूरा दे पाने में असक्षम ही नजर आयेगी।

इसी के साथ-साथ, मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से कहना

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

चाहूंगा कि 6-6 एडिशनल एसपी, 12-12 डीएसपी के कार्यालय, 10 पुलिस थाने ऐसे जिन्हें चौकी से बढ़ा कर थानों में परिवर्तित किया गया, 24-24 नई-नई चौकियां, इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में मुख्य मंत्री महोदय ने यह महत्वपूर्ण कदम आगे रखा है। पुलिस के परिवारों और उनके सामाजिक कल्याण के लिए 25 करोड़ का बजट मुख्य मंत्री महोदय ने इसमें प्रावधान रखा है। मैं यह मान कर चलूंगा कि यह भी उनके परिवार के कल्याण के लिए काफी हद तक सफल रहेंगे।

इसी के साथ-साथ, इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम को डवलप करने के लिए जो 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, यह अपने आप में, जिस तरह से ट्रैफिक की बढ़ोतरी बड़ी स्पीड से हो रही है तो हम यह मान कर चलेंगे कि इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय का यह प्रावधान हम लोगों के लिए भी कारगार रहेगा।

पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशंस के बारे में मैं कहना चाहूंगा। पहले भरतपुर में हमारी सरकार ने डिक्लेयर किया और बीकानेर में अभी-अभी प्रावधान और प्रस्ताव पास किया गया है इस बजट के जरिये, क्योंकि आज कल क्राइम हाई टेक हो गया और हाई टेक क्राइम में अब यह पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को अगर उसकी जानकारी ही नहीं देंगे तो इसमें कोई दोराय नहीं कि कंट्रोल करने में काफी दिक्कतें आयेंगी। यह दो इंस्टिट्यूशंस बनाने से हम यह महसूस कर रहे हैं कि इसमें कोई दोराय नहीं, आगे चल कर पुलिस का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा और हम लोगों को आगे काम करने में मदद मिलेगी।

6 कारागार नये बनाने के लिए पिछली बार जो प्रोविजन रखा गया था, उसमें 600 जेल कर्मियों की भर्ती का प्रावधान इस बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने रखा है और हम यह मान कर चल रहे हैं कि इससे जो 6 जेलों का प्रावधान था, उनकी बिल्डिंग कम्प्लीट हो गयी तो उनके अन्दर कर्मचारी भेजने में भी सुविधा रहेगी।

गृह मंत्री महोदय, आप बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि नीमकाथाना की सब जेल के लिए मैंने आपको पहले भी बजट में कहा था और मैं अब भी कहना चाहूंगा कि वहां एक बहुत ही छोटी-सी जेल है, बहुत पुराने जमाने की कोई हवेलीनुमा और उसमें ओवरक्राउड हो जाती है कैदियों की और जब कभी दो अक्टूबर को या जब कभी हम जाते हैं, हम उनसे हालचाल पूछते हैं तो एक

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

ही बात सुनने को मिलती है कि इसमें पैर ही सीधे नहीं होते। यह एक तरह से अमानवीय अत्याचार है, देखा जाए तो हमें क्राइम से घृणा करनी चाहिए क्रिमिनल से घृणा नहीं करनी चाहिए और जब क्राइम से घृणा करेंगे तो हम उन लोगों को वे मूलभूत सुविधाएं तो मानव अधिकार के तहत तो दें जिसके वे अधिकारी हैं। वहां हमारे पास नीमकाथाना में काफी जमीन है, आप मेहरबानी करके एक नयी जेल की बिल्डिंग की मन्जूरी देंगे और हम यह सोच रहे हैं कि इससे न-केवल मानवीय दृष्टिकोण अपने आप में सार्थक सिद्ध हो पायेगा बल्कि मानव अधिकार भी ऐसा है कि चाहे जेल में कोई भी गया, उसको कम से कम 6 फिट, 7 फिट लम्बी जमीन तो मिले वहां लेटने के लिए। नीमकाथाना में ज्यादा से ज्यादा 60-70 कैदियों की जगह है और डेढ़-डेढ़ सौ, पौने दो सौ-पौने दो सौ कैदी हो जाते हैं और बहुत दयनीय स्थिति होती है और वहां नहाने-धोने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने पुरानी वाली हवेली को ही ठीक करके उसको जेल का रूप दे दिया। नयी जेल बनाइये, जगह को बढ़ाइये और समय के हिसाब से हमें आगे चलना चाहिए और इनके प्रति हमें मानवीय दृष्टिकोण भी रखना चाहिए।

पुलिस मांग में अभी सामने से जो बता रहे थे, इसमें कोई दोराय नहीं, इनके ज्यादातर थानों में, गृह मंत्री महोदय, क्या हो गया, साढ़े तीन-तीन हजार रुपये में आप इनके रसोइये रखते हैं, उनको परमानेंट करते नहीं, हम तो यह देखते हैं कि ज्यादातर शाम के वक्त यह अपनी रोटियां ढूंढते फिरते हैं कि खाना कहां मिलेगा, खाना कहां मिलेगा, आप मेहरबानी करके उन रसोइयों को स्थायी करें जिनको यह लोग लांगरी कहते हैं और कम से कम एक मिनिमम वेजेज के आधार पर उनकी छह-साढ़े छह हजार की तनख्वाह रखें जिससे पार पड़े।

आम सिपाही के लिए, डी.जी. साहब भी बैठे हैं, गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी ए.एस.आई., कोई भी सब-इन्सपेक्टर, कोई सर्कल इन्सपेक्टर अपने जिले में नहीं रह सकता, सिपाही अपनी तहसील में नहीं रहना चाहिए लेकिन सर्कल वाली प्राब्लम क्या लगा रखी है? सर्कल तो उनकी जरूरत के मुताबिक बनता है जिसमें डेढ़-डेढ़, दो-दो तहसील आ जाती हैं तो कम से कम इस सिपाही को, जो सबसे नीचे मेहनत करता है, काम करता है, एक ओबिडिएंट है पूरे अधिकारियों का, उसको भी अपने घर की सुविधा उसके पास हो, नजदीक पहुंचने का आप चांस दें। यह कैसा बेतुका एक आर्डर

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

पास कर रखा है कि वह सर्कल में नहीं रहेगा, आप तहसील वाला पास करें कि वह तहसील में नहीं रहेगा। बस ठीक है। नीचे से नीचे जितनी आप मजबूत कर सकते हैं वह हो पायेगी। मेरा आपसे यही निवेदन है।

हरियाणा की तर्ज पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। सब-इन्सपेक्टर तक के एग्जाम में जो बैठते हैं वह पांच परसेंट रिजर्वेशन होता है सिपाही का, इससे उनका मनोबल बढ़ता है कि हम भी अधिकारी बन सकते हैं और यहां, यहां उनका कोई रिजर्वेशन नहीं। तो मेहरबानी करके यह भी एक प्रावधान आप इसमें रखवाने की कोशिश करें।

अभी-अभी पिछली बार सब-इन्सपेक्टर लिये थे, गृह मंत्री महोदय, आप गम्भीरता से सुनना, ये लिटिगेशन के मामले बनने से हमारे दस हजार, बारह हजार, जो बाइस हजार सिपाही हम लेना चाह रहे हैं वे फिर रुक जायेंगे, अधिकारी लेना चाह रहे हैं तो फिर रुक जायेंगे। अभी 600 के लगभग सब-इन्सपेक्टर लिये, 66 के लगभग सब-इन्सपेक्टर फेल हो गये थे किसी वजह से, वे कोर्ट के जरिए फिर आ गये, अब उनको इन्हीं में शामिल करेंगे तो फिर 66 हटाने पड़ेंगे और जब आप 66 हटायेंगे तो फिर वे कोर्ट में जायेंगे तो हम अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत तो नहीं कर पायेंगे, जिसकी हमें उम्मीद है कि हम न्याय दे पायेंगे, उन नौजवानों को, जो चांस ढूंढ रहे हैं कि हम सब-इन्सपेक्टर में अच्छे एग्जाम से पास होकर आ गये लेकिन जो आये हैं पीछे, आप उनके लिए और पोस्ट बढ़ा दीजिए, 66 पोस्ट बढ़नी चाहिए, न कि उनमें से 66 को कम करके आप न्याय दिलायेंगे। अगर यह न्याय दिलायेंगे तो फिर वह अन्याय हो गया, फिर वे हाई कोर्ट जायेंगे और हाई कोर्ट जाने पर फिर दिक्कत आयेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह सब व्यवस्थाएं आप करें।

आज की गृह की जो मांग है, पुलिस और कारागार, कारागार की जो मांग है इसमें यही कहना चाहूंगा कि पुलिस का इन्फ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक मजबूत भी किया है हमारी सरकार ने। एक बीट की जो बात कर रहे थे कि बीट वाले के पास कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो पहला बजट सत्र था उसमें हमने बीट की मांग रखी थी, अधिकारियों ने, हमारे डी.जी. साहब ने, बाकी सब ने उन पर बड़ी गहराई से मनन किया और आज हम देख रहे हैं कि गांव-गांव के अन्दर बाकायदा लिखा जा रहा है कि आपके यहां का बीट का सिपाही यह है, यह इसके मोबाइल नम्बर हैं और इसके यह मोबाइल नम्बर आप कांट्रेक्ट कीजिए।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

गृह मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी राज या कोई भी स्टेट अपने ला एण्ड आर्डर को जब मेंटेन कर पायेगी तब उसकी इन्टेलीजेंसी फास्ट होगी, मजबूत होगी और हाइटेक होगी। आज क्रिमिनल बहुत ही जबरदस्त हाइटेक हो गये तो आप मेहरबानी करके इस इन्टेलीजेंसी में, जो आप सी.आई.डी. टाइप का डिपार्टमेंट रखते हैं, आप उस पर भी ध्यान दें।

गृह मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे नीमकाथाना के एक ऐसे केस पर दिलाना चाहता हूं, मेरे नीमकाथाना का डोकन का सरपंच, जिसकी एफ.आई.आर. नम्बर है 122/11, सरपंच भगवाना राम गूजर और उसकी 75-76 साल की उम्र में सरेआम हत्या कर दी गयी। हत्या करने वालों के परिवार में सिपाही और एक हैड-कांस्टेबल है, उन लोगों ने बड़ी चतुराई से, जबरदस्त गेम खेला कि इस हत्या करने में यह आठ-दस जो शामिल हैं सब के सब जेल में जायेंगे, तो उन्होंने तीसरे दिन ही उठा कर एक फौजी को पेश कर दिया कि, मैंने किया है। उससे बार-बार पूछा जाए, भई, मैंने की है। हम यह कह रहे हैं कि जब इलाका कह रहा है, गवाह कह रहे हैं कि यह मजबूत आदमी 75 साल का, इतने मजबूत भगवाना रामजी गूजर थे कि वह एक से मरे नहीं, एक आदमी से मरने की जुर्रत नहीं और उसके भयंकर चोट सिर में और पैरों में लगी हुई और चोट की संख्या बीस-बाइस और यह कहे एक आदमी ने बड़े तरीके से चोट मारी खड़े हो-होकर एक ही जगह, बाकायदा तरीके से उसको मारा। यह हत्या का केस, इसके बाद में यह केस ऊपर अधिकारियों के पास चला गया, अधिकारियों ने उसको झुन्झुनूं एडिश्नल एस.पी. के पास भेज दिया, उसका बेटा बार-बार जगह-जगह रोता रहा कि, मेरे बाप को मार दिया। वह कांग्रेस पार्टी का सरपंच था, मैं इसलिए नहीं कह रहा लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह एक सम्मानित व्यक्ति था और उसकी सरेआम हत्या हो गयी और उसके बाद में एडिश्नल एस.पी. झुन्झुनूं ने जांच कर ली लेकिन वह कांस्टेबल और एक हैड-कांस्टेबल जो एक तो नीमकाथाना में ही लगा रहता है, उसका नाम हम आपको बाद में बतायेंगे, उसका भाई, जो मर्डर करने वाला है, जो भी इन्वेस्टीगेशन का आफिसर आता है उसी को सैट कर देता है और एक श्रीमाधोपुर लगा हुआ है, वह चालानी गार्ड में नीमकाथाना आता रहता है और इस केस को सफल नहीं होने दिया। इस केस में जितने भी मुलजिम बनाये एडिश्नल एस.पी. झुन्झुनूं ने तो वे हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने डाइरेक्शन दी कि इमिजिएट यह चालान पेश करें लेकिन बीच में फिर एक ए.डी.जी.

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

महोदय आये और उन्होंने इसको डिले करने के लिए और एक कांसपिरेसी रची और उसको फिर साइड में कर दिया। अब आज के चार-पांच दिन के बाद फिर हाई कोर्ट में तारीख है, हाई कोर्ट कहेगा कि आपने जो जांच की है आप उसमें चालान क्यों नहीं करते, लेकिन यह चाहते हैं कि इसको डिले करके इसको बेनिफिट, अगर सरेआम मर्डर होने लग गये और उस मर्डर में चालाक लोग अगर इस तरीके से करने लग गये ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इतना लम्बा क्यों कर रहे हो? आप मिल लेना गृह मंत्रीजी से, बात कर लेना। (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): जो भी मेरी घटना है वह मैं बता रहा हूं। सामने वालों को तो आपने खूब टाइम दे दिया। (व्यवधान) मेरे ख्याल से पुलिस व्यवस्था को सुधारने में तो कुछ कहा नहीं, चित्रण ही करते रहे। चित्रण करते रहे और जो हम यथार्थ बात कह रहे हैं, हमें भी टाइम दीजिए।

मुख्यमंत्री महोदय ने इसके साथ-साथ महिला सुरक्षा के लिए टोल फ्री महिला लाइन की एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें कोई भी अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए कभी भी कहीं से भी टेलीफोन कर सकती है, हमारी पूरी टीम जो मुख्य मंत्रीजी के द्वारा बनायी गयी है वह टीम काम करेगी और सभी महिलाओं को सम्मान से जीने का हक और अधिकार मिले, इसकी पूरी व्यवस्था करने की भरपूर कोशिश की है।

ग्राम रक्षक के रूप में अभी जो बता रहे थे, अभी बता रहे थे कि सभी व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से होती हैं, इसमें कोई दोराय नहीं ग्राम रक्षक वहीं का होगा और ग्राम रक्षक नीचे के, ग्रास रूट के ऊपर हर इन्फोर्मेशन को कलेक्ट करने में पुलिस का सहयोग करेगा।

(15.00 बजे)

हर इन्फार्मेशन में यह बताने के लिए फ्री होता है कि क्या काण्ड हुआ रात को, किस गांव में क्या बात हुई। 9177 भर्तियां मुख्य मंत्री महोदय ने जो की हैं ग्राम रक्षक की, यह अपने आप में कीर्तिमान है। स्टेप तो सुधार का इसे कहा जाता है। अभी जो बता रहे थे हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी तो तीस-चालीस हजार की भर्ती कर दी, कितने प्रमोशन कर दिए? प्रमोशन अटके हुए थे अधिकारियों के लम्बे समय से, 25-25, 30-30 साल से

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

और वह प्रमोशन रुकने से फ्रस्ट्रेशन में रहा हमारा अधिकारी और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से काम नहीं कर पाए।

तो मेरा यह निवेदन है आपसे कि राजनेताओं का भी यह धर्म बनता है कि ब्यूरोक्रेसी को हम अपने तरीके से लेकर चलें। ब्यूरोक्रेसी का मान सम्मान रहेगा तब व्यवस्थाएं भी बन पाएंगी। अगर ब्यूरोक्रेसी को डेमेज करने की कोशिश की या फ्रस्ट्रेशन में लाकर उनके साथ अन्याय करने की कोशिश की तो इसमें कोई दोराय नहीं, गलत रहेगी।

मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। कल विधान सभा के अन्दर एक आई ए एस अफसर के ऊपर जिस तरीके का लांछन लगाया गया, यह शर्म है विधान सभा के अन्दर, चाहे आई ए एस अफसर को हटा दीजिए लेकिन उसके ऊपर चरित्र का आरोप, और चरित्र का आरोप उसके लिए। जो हमारे वहां दुग्ध डेयरी की चेयरमैन है, उसके साथ जोड़कर सरेआम नग्न नाच किया गया। यह बिल्कुल गलत है। विधान सभा में से यह हटना चाहिए वह जो कल की लाइन है। आप किसी के बारे में केस बना नहीं, फोटो खींची नहीं, रेप पकड़ा नहीं गया, कोई रात को, दिन में पकड़ी नहीं गयी। आप उसके ऊपर आरोप लगा दें और वह इसलिए कि उसने कहीं से चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़ने के कारण ही बस। यह सरासर अन्याय है। इस विधान सभा का उपयोग सकारात्मक सोच के लिए, विकास के लिए और क्षेत्र की जनता की महफूजी और सम्मान के लिए होना चाहिए। न कि स्वयं के हितों के लिए होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ग्यारसारामजी कोली।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं इसी क्रम में आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी देश को, प्रदेश को, घर को चलाने के लिए सुरक्षा सिस्टम की आवश्यकता होती है। जब सुरक्षा सिस्टम ही सुचारू रूप से काम न करे या यह कह दे कि उनकी सुविधाओं में कमी हो, उनको निहत्था कर दिया जाए, उनके ऊपर कोई ध्यान न दिया जाए, तो यह सिस्टम को मेंटेन करने वालों की भी जिम्मेदारी होती है।

निश्चित रूप से हर कार्य के दो पहलू होते हैं कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक कार्य होते हैं। तो मैं इन दोनों बिन्दुओं पर अपनी राय प्रस्तुत

(श्री ग्यारसाराम कोली)

करना चाहूंगा। पुलिस विभाग जहां अपने कार्य को अंजाम देने में यह सुना जाता है कि नाकामयाब रहती है, उसके कारण उनको सुविधाओं का अभाव है। तो सबसे पहले, सभापति महोदय, किसी से काम लेने के लिए यह जरूरी है कि उसको सुविधा प्रदत्त की जाए। मंत्री महोदय, यहां विराजमान हैं, अगर उनका डिस्क्रप्शन यहां किया जाए तो बहुत समय लगेगा और सभापति महोदय आप घंटी बजा देंगे कि कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, काफी माननीय सदस्यों को बोलना है इसलिए जितने अच्छे सकारात्मक सुझाव हो, आप दें।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): मैंने तो सभापतिजी, अभी शुरूआत ही की है और मुझे कभी बोलने का समय भी नहीं मिलता। मेरी बात तो सुन लीजिए कम से कम। आप कहेंगे तो मैं तो बैठ जाता हूं, अपनी बात को खतम कर देता हूं।

श्री सभापति: नहीं, आप बोल लो, मना कौन कर रहा है आपको?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): रगड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): मैं पुलिस की कार्य शैली के बारे में एक उदाहरण आपको बता देता हूं मेरी विधान सभा का। कैला देवी बयाना तहसील में एक स्थान है। वहां एक पहाड़ी है जिस पर एक लीज है सिलिका सैण्ड की। उस सिलिका सैण्ड में से डेली पचास से सौ ट्रक भर कर के बाहर जाते हैं। प्रदूषण विभाग की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। इतना ब्लास्ट होता है वहां, प्रतिदिन ब्लास्ट होता है। पुलिस विभाग को पता है, मंत्री महोदय को अच्छी तरह से पता है कि वहां तलहटी में तीन गांव बसते हैं, जसवन्त नगर, महचौरा कलां और बादोली।

जिस समय ब्लास्ट होता है तो उस समय त्राहि-त्राहि मच जाती है, धूल के गुब्बार छूटते हैं और मकानों में चहल-पहल हो जाती है और उनमें दरारें भी पड़ गयी हैं और डेली पड़ती है। बच्चे डर जाते हैं जिस समय वह धमाके होते हैं। लेकिन इसको संरक्षण अगर देता है तो पुलिस विभाग देता है। मैं खुले रूप से कहता हूं कि पुलिस की मिलीभगत से वहां ब्लास्ट किये जाते हैं और कोई आदमी अगर वहां उसको रोकने की कोई बात करता है तो राजनीतिक संरक्षण से उसको रोका नहीं जाता। पूरे नियमों को ताक पर रख कर, मैं खूब जानता हूं कि डेढ़ किलोमीटर की परिधि में ऐसे ब्लास्ट नहीं किये

(श्री ग्यारसाराम कोली)

जा सकते और उसकी दूरी है 750 या 800 मीटर। यह मंत्री महोदय की जानकारी से कोई परे नहीं है, यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा मैटर है।

तो सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा मंत्रीजी इस पर गौर से ध्यान दें और वहां जनता को बचाएं अन्यथा वहां किसी दिन ब्लास्ट से हजारों की तादाद में आदमी मर जायेंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इतना गम्भीर मामला है, गृह मंत्री महोदय, बरबाद कर दिया हमारे प्रदेश को।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ऐसे कृत्यों से, मैं नाम नहीं लेता लेकिन जिले के पुलिस के अधिकारी हों या प्रदेश के अधिकारी हों, वह इससे अछूते नहीं हैं। मैं यह भी कहता हूं कि आप उसको समझ लीजिए बस यही कहने में सार है बार-बार।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह तो सिलिकोन वैली का कह रहे हैं, बर्बाद कर दिया और हमारे जिले में गृह मंत्रीजी कितना जबर्दस्त पुलिस का संरक्षण है। जितना अवैध खनन जिप्सम का हो रहा है, किसी से छिपा नहीं। रोक लो, कभी तो रोको उसको।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): वहां का एक ए एस आई कैला देवी पुलिस चौकी पर तो, सभापति महोदय, जिस समय ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होने की जगह से पचास गज की दूरी पर खड़ा रह कर के दो कांस्टेबलों की सहायता से उसको संरक्षण देता है और यह पुलिस के कारनामें है।

हम एक तरफ जहां पुलिस को संरक्षण देना चाहते हैं वहां उनसे काम भी कराना चाहते हैं लेकिन उनको गलत जो संरक्षण राजनैतिक मिलता है इसके लिए मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, इसको संरक्षण न दें।

भगौड़ा माननीय शाहपुरा से आने वाले हमारे विद्वान माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा मैटर उठाया था। कोर्ट से भगौड़ा घोषित हो जाते हैं इसके बाद में पुलिस नहीं पकड़ पाती और इसी जिले में या इसी प्रदेश में वह आदमी रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। सरकार चाहे उधर की हो या इधर की, सरकार के लिए शर्मनाक इससे कोई गलत बात नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर कामां का प्रधान प्रजेण्ट प्रधान है, भगौड़ा घोषित हो गया।

डीग के कोर्ट से और कोर्ट से जब उस पर बचाव पक्ष की एप्लीकेशन

(श्री ग्यारसाराम कोली)

लगायी वह भी खारिज हो गयी। इसी जिले में रह रहा है और आज तक पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। क्यों? यह जीता जागता पालिटिकल संरक्षण है। सभापति महोदय, नाम इसलिये नहीं ले रहा हूं कि आप लोग कहेंगे, नाम मत लीजिये।

दूसरा उदाहरण, दिनांक 5 दिसम्बर, 2012 की वह हृदय विदारक घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। निवेदन करता हूं। सूरज सिंह सन आफ रामसिंह जाट, निवासी जोतरोली। इसका सरेआम मर्डर किया गया। पहले उसको मारा। मारने के बाद ट्रैक्टर से कुचला गया। एफ आई आर दर्ज हुई। जिला विख्यात काण्ड है, स्टेट विख्यात काण्ड है लेकिन आज तक उसके मारने वालों को पकड़ना तो दूर की बात पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसके घर चली जाये। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उनका नाम जाकर गांव में ले ले। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि भरतपुर से चलकर गाड़ी उस गांव में घुस जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक, अकर्मण्यता, इसके पीछे भी राजनीतिक जो सत्ता पक्ष बैठा है इसका खुला सपोर्ट है कि पुलिस के अधिकारियों को निष्क्रिय कर दिया गया। वहां नहीं जा सकता पुलिस का अधिकारी। एस पी नहीं पकड़ सकता। डी वाई एस पी नहीं पकड़ सकता है। उसकी हिम्मत नहीं है उस गांव में जाने की। क्योंकि ऊपर आका बैठते हैं जयपुर में और यहां से जब निर्देश निकलते हैं एस पी को कि नहीं जाओगे। मुलजिमों को नहीं पकड़ोगे। मर गया, मर जाने दो। इससे ज्यादा...(समय समाप्ति-सूचक घंटी) और क्या हो सकता है। सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य अब आप समअप करो।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): बस मैं अपनी बात को बहुत जल्द, आपको अखर रही होगी मैं जानता हूं और आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे, यह भी मैं जानता हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं क्यों नहीं बोलने दूंगा? समय नहीं है। 44 सदस्यों को बोलना है। कल रात को मालूम है सदन कितने बजे तक चला और कितने सदस्य गम्भीर हैं। 17-18 परसेंट से ज्यादा सदस्य...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): मैं पुलिस और आई ए एस अधिकारी...(व्यवधान)

श्री सभापति: कितने बोलने वाले क्योंकि सदन में नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): यहां पुलिस की अकर्मण्यता बताऊंगा आपको...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप लम्बा बोलेंगे न तो, मैं अलाउ नहीं करूंगा... (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): और पुलिस के योग्य अधिकारियों की विशेषता भी बताऊंगा। आप यह देखिये चाहे आई ए एस अधिकारी हो। उन अधिकारियों..(व्यवधान)

श्री सभापति: अब विशेषता बताने लगे एक-एक घंटा लगेगा। आप अच्छा बोलेंगे तो भी एक घंटा, बुरा बोलेंगे तो भी एक घंटा। यह तो मामला ही ऐसा है पुलिस का...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): कैसे देश चलेगा, कैसे प्रदेश चलेगा.. (व्यवधान)

श्री सभापति: बात बोल दो आप...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सभापति महोदय, ऐसा नहीं है पुलिस में सभी भ्रष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि सभी आई ए एस भ्रष्ट हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपको क्या कहा कि कोई अच्छा सकारात्मक सुझाव हो तो दो आप। यह पूरा राजस्थान जानता है। पूरा सदन जानता है... (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): मैं आ रहा हूं। उसी बात पर तो आ रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति: आ जाओ आप जल्दी। इतना घूम-घूमकर मत आओ आप।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): मैं मेरे जिले की या मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही तो बात कर रहा हूं। इससे ज्यादा मैं...(व्यवधान) मैं जोधपुर की बात नहीं कर रहा हूं। गोपालगढ़ काण्ड आप देखिये। एक ईमानदार आई ए एस अधिकारी, एक ईमानदार आई पी एस अधिकारी को किस तरह से प्रताड़ित किया जिन्होंने जनता को बचाया, सुरक्षा की और पुलिस पर प्रश्नचिन्ह लगा कर, आई ए एस अधिकारी पर आपने प्रश्नचिन्ह लगा कर इस सरकार ने उनके साथ क्या किया वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे योग्य अधिकारियों को अगर

(श्री ग्यारसाराम कोली)

प्रोत्साहित नहीं किया गया, ऐसे आई ए एस अधिकारी जिनका नाम कृष्ण कुमार है। आई पी एस अधिकारी जिनका नाम हिंगलाजदान है। ऐसे अधिकारियों को सही काम करने पर भी प्रताड़ित करते रहे और सरकार में किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आपकी कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप...(व्यवधान) श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): कोई आपका संरक्षण करने वाला नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 15 मिनट हो गये आपको।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): अब तो मैं एक मिनट और लूंगा। पुलिस...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप क्यों खड़े हो गये?

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): इन्फोर्मेशन दूंगा...(व्यवधान)

श्री सभापति: उनके बोलने के बाद आप बोलना। मैं नहीं बोलूंगा अब के...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सभापति महोदय, मैं यह जानता हूं कि आपको यह बात अखर रही है लेकिन ऐसे कृत्य से, कुकृत्य कहना चाहिये या दवाब कहना चाहिये प्रत्येक सरकार का दायित्व है कि चाहे पुलिस विभाग हो, या अन्य विभाग हो, चैप्टर पुलिस का चल रहा है। मांग पुलिस की है। अधिकारियों को दबाया भी नहीं जाये और यदि वह काम नहीं करते हैं तो उनको प्रताड़ित भी किया जाना चाहिये और इसमें आवश्यकता है आपके कानून का लचीलापन...(व्यवधान)

श्री सभापति: बस अब आप...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): प्लीज। एक मिनट हुआ ही नहीं। मैं जल्द ही खतम कर देता हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति: फिर मेरे को अपना निर्देश देना पड़ेगा, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): इन कानूनों को जो आपने बना रखा है इनमें जो लचीलापन है इनको कम करो कृपया।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि अब असीमित अधिकार जो दे रखे हैं आपने इनको कम किया जाये ताकि उन पर रोक लग सके। असीमित अधिकार रहेंगे तो ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे। न आप रोक पायेंगे, ना मैं रोक पाऊंगा और सरकार तो इस समय राजस्थान की जैसी है वैसी आप जानते ही हो। यह तो जिसके लिये न्यायालय कह चुका है निकम्मी सरकार है। इसमें कोई दम नहीं है और जनता को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती।

सभापति महोदय, समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंहजी खाचरियावास...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): वहां उसमें परमीशन की जरूरत नहीं है जसवन्तजी...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, कुछ हमको भी कहने का अधिकार है कि नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): है। बिलकुल है। आपको भी है। आपको क्यों नहीं है? आप सरकार हो।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): हम लोग यहां सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक बैठते हैं और हम लोगों को आप बोलने के लिये एक मिनट का मौका भी नहीं देते हैं ऐसी क्या परेशानी है हमसे? नहीं है, तो फिर हम यहां से उठ कर चले जाते हैं। लौट कर भी नहीं आयेंगे कभी यहां पर। क्या मतलब है? मेरे धौलपुर जिले का मैटर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाई कोर्ट द्वारा, एफ आई आर हुई भाजपा के पूर्व विधायक +++ के खिलाफ। आज तक पुलिस ने 7 महीने हो गये, 7 महीने में आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसी पुलिस को क्या परेशानी है कि क्यों नहीं कार्यवाही करना चाहती है? तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारियों से मैंने बात कर ली। एक साल इन्होंने लगा दिया। अब कहते हैं कि 16 साल पुराना मुकदमा है। 16 साल क्या इसमें तो 16 सौ साल हो जायेंगे तो भी न्याय नहीं मिल पायेगा। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? बी जे पी की सरकार थी तब तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। अपनी सरकार के अधिकारियों को जाने क्या हो गया, वह भी नहीं पूछते हैं। अधिकारी तो इस सरकार के वही बैठे हैं, कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? मैं तो यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, कहीं जांच अगर आपकी

(श्री गिर्राजसिंह)

यहां की लोकल पुलिस नहीं कर पा रही है तो इसको सी बी आई के लिये भेज दो। क्या परेशानी है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दे दो आप। दे दें आप। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): मैं इसको टेबल करना चाहता हूं...

श्री सभापति: हां, ठीक...

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): अगर आपकी अनुमति मिले तो... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपके ध्यान में आ गयी बात। गृह राज्य मंत्रीजी के ध्यान में आ गयी बात...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ऐसे काम नहीं होगा। मैं तो इससे परेशान हो चुका हूं..(व्यवधान)

श्री सभापति: आ गयी। गृह राज्य मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो आप मुझे बता दें। आप इसकी जांच करा लो सही। जो भी कोई दोषी होगा.. (व्यवधान)

श्री सभापति: संसदीय सचिव माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, एफ आई आर बंदी प्रत्यक्षीकाण याचिका...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): मैं टेबल करना चाहता हूं सभापति महोदय। टेबल करने में क्या हर्ज है? (व्यवधान)

श्री सभापति: बोल देना ना उधर...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने खुद ने कहा था आप बोलो। आपने खुद ने कहा था आप बोलिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ट्रैजरी बैंच के सदस्य और संसदीय सचिव अगर इस तरह...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, सभापति महोदय, आपके टाइम में देखो, जल्दबाजी में ही खड़े होकर...(व्यवधान) खुद ने कहा। आपने खुद ने कहा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप तो मंत्री हो। मंत्री को...(व्यवधान) मंत्री की तरह उत्तर दे रहे हो आप...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पूरा सदन देख रहा है, यह आपने कहा खुद ने, बोल लो अब आप...(व्यवधान) आपने खुद ने कहा। आपको पूरा हाउस देख रहा है। मीडिया देख रहा है...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप दोनों की माया कोई नहीं समझ पाया। अभी 7-8 साल तो हो गये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर ट्रैजरी बैंचेज इस तरह बोलेगी उसका मतलब यह होगा सरकार से सरकार के संसदीय सचिव...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने खुद ने कहा अच्छा कि आप बोलो...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): यह सरकार भी चली गयी। इसमें आपकी सरकार भी इससे पहले 5 साल रही है आपने भी कोई कार्यवाही नहीं की...(व्यवधान) आपकी भी सरकार इससे पहले थी उसने भी कोई कार्यवाही नहीं की...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दूसरा, माननीय सभापति महोदय, जो सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम इंगित करके बता रहे हैं। एक्सपंज कराइये आप। एक्सपंज कराइये। उन्होंने आरोप लगाये पूर्व विधायक का नाम लेकर, उसे एक्सपंज कराइये।

श्री सभापति: मैं दिखवा लूंगा। वह होगा मैं एक्सपंज कर दूंगा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अच्छा...(व्यवधान)

श्री सभापति: हां, कोई होगा तो मैं एक्सपंज कर दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक्सपंज कराइये।

श्री सभापति: हां, मैं कर दूंगा। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। वो डिमांड का निष्कर्ष निकल चुका, जितना पैसा लेना है ले लो।

श्री सभापति: दे दी व्यवस्था मैंने।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): 1996 की एफआईआर है। सभापति महोदय, अगला आदमी सन 96 से चक्कर लगा रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब तो बात हो गयी ना।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): यह इस सरकार की ही बात है। जिसकी भी सरकार हो, बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हो गया, सब कुछ बता दिया। टेबल कर दिया, अब उसके बाद में क्या है ...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): बात है गरीब को न्याय दिलाने की। यह नहीं कि अपनी ही सरकार की बात हो। सरकार उनकी भी आयी थी। हमसे पहले सरकार इनकी हो गयी। हमारी भी सरकार बीच में आ चुकी है। लेकिन उस गरीब को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस जांच को सीबीआई को भिजवा दो। लोकल पुलिस कोई भी कुछ भी नहीं कर पायेगी। 16 साल से अब तक न्याय नहीं मिला। सभापति महोदय, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच के सीबीआई के आदेश करा दो। उस गरीब को न्याय मिले।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एफआईआर नंबर बताओ, थाना बताओ कौनसा है?

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): 147, निहालगंज थाना, धौलपुर ... (व्यवधान) इसके सम्बन्ध में मैं मंत्रीजी से भी मिल लिया। आपके डीजी साहब से भी मिल लिया। कपिल गर्गजी से भी मिल लिया। मैंने एक को भी नहीं छोड़ा है और धौलपुर पुलिस अधीक्षक के यहां तो कम से कम बीसों चक्कर लगा दिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्रीजी, यह क्या हो रहा है?

श्री सभापति: अब तो विराजो, माननीय सदस्य।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): मैं तो यह चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। उसकी जांच करा ली जाये अच्छी एजेंसी से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जब आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है तो यह बत्ती लिये क्यों घूम रहे हो? सुन ही नहीं रहा है तो यह बत्ती लिये क्यों घूम रहे हो? (व्यवधान) संसदीय सचिव बने घूम रहे हो, त्याग पत्र दो न।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): वह हमारे घर का मामला है, वह हम आपसे नहीं पूछेंगे ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपसे पूछकर थोड़े ही ली है बत्ती (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी कोई सरकार में सुन ही नहीं रहा है ...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): वह हमें आपकी जरूरत नहीं है। हमें राजनीति नहीं करनी, हमे तो सिर्फ गरीब को न्याय दिलाना चाहते हैं कि उसको न्याय मिले ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोलें ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप हाउस को तो आर्डर में लाइये, यह माथाफोड़ी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लाल बत्ती लेकर घूम रहे हो... (व्यवधान) सरकार के संसदीय सचिव हो।

श्री सभापति: बात हो गयी न। किसी का अंकित नहीं होगा, सिर्फ प्रताप सिंह खाचरियावास का अंकित होगा ...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: आप बार-बार क्या कहना चाह रहे हो? (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, हाउस आर्डर में लाओ ...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: गृह राज्य मंत्रीजी, आप इनकी व्यक्तिगत सुनवाई करके, कार्यवाही करवा दें ...(व्यवधान) क्या मामला है इनका, जो बैठ कर के ... (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: विराजो अब आप ...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: अब आप विराजो तो सही।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): सभापति महोदय, प्रकरण की पूरी जानकारी कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: रिप्लाई देंगे तब बोल देंगे, आप रूको तो सही... (व्यवधान) श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: सदन अभी स्थगित हो रहा है? अभी डिमांड तो चलने दो आप, विराजो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: मैंने कह दिया न ...(व्यवधान) मैंने व्यवस्था दे दी, आप आसन की व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं हो? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सभापति महोदय, आपको कह दिया, रिकार्ड पर बात आ चुकी, जैसा माननीय संसदीय सचिव ने अपनी बात फरमायी, प्रकरण की जानकारी करवा कर के, माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप विभाग इस पर पारदर्शिता से कार्य करेगा। यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं करुंगा... (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: गृह राज्य मंत्रीजी ने सदन को आश्वस्त कर दिया। आपको आश्वस्त कर दिया, अब आप क्या चाह रहे हो? (व्यवधान) अब आप विराजो ...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अब बात पूरी हो गयी गिर्राज सिंहजी, बात हो गयी पूरी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करुंगा कि आप जब चेयर पर बैठते हैं तो आप भी कानून-कायदों से बंधे हुए हैं। आप बार-बार ऊपर से डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि आप खड़े होकर के बोलिये। आप पहले सदन को तो आर्डर में लाया करो। आप बार-बार ऊपर से कह रहे हैं बोलिये, बोलिये। कहां से बोलें? सरकार के मंत्री खड़े होकर के बोल रहे हैं। मंत्री का भी कोई सम्मान होता है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सभापति महोदय, यह पुलिस की मांग पर चर्चा चल रही है। जब देश की सफलता की बात होती है तो देश की सेना की चर्चा जरूर होती है और यह बात आगे बढ़ कर आती है कि हिन्दुस्तान की सेना का अपना एक मोरल है। जब पाकिस्तान की सेना की बात आती है तो एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि पाकिस्तान के लोकतंत्र को हमेशा सेना चैलेंज करती है, इसलिए पाकिस्तान में अव्यवस्था है। लेकिन आंतरिक नियंत्रण की जब बात आती है तो स्टेट, केन्द्र और उनकी आंतरिक पुलिस का जो व्यवहार होता है, जो काम करने की शैली होती है, वह सरकार की असफलता, सफलता को भी इंगित करती है।

सभापति महोदय, आज जब पुलिस की मांग पर चर्चा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान वह प्रदेश है जिसकी चर्चा हिन्दुस्तान के अच्छे प्रदेशों में होती है। लोग आज भी राजस्थान की बहुत तारीफ करते हैं और यह कहते हैं कि यदि अमन चैन कहीं देखना हो तो राजस्थान में चले जाओ। जयपुर में चले जाओ। राजस्थान के और किसी सिटी में चले जाओ। आज भी राजस्थान की पुलिस का लोग मान-सम्मान करते हैं और यह मानते हैं कि और प्रदेशों की पुलिस से राजस्थान की पुलिस अच्छी है।

सभापति महोदय, यहां पर जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा इस तरह की बात करते हैं कि आपके राज में इतनी गोलियां चलीं, हमारे राज में इतनी गोलियां चलीं। हमारा आंकलन हमेशा यही रहता है कि इन्होंने तो 23 बार गोली चलाई, 100 लोगों को मार दिया। हमने कम लोगों को मारा। लेकिन हमारा वे आफ स्टाइल सरकारों का, पुलिस का इस तरह का हो कि आम जन में इस बात का विश्वास बने कि पुलिस मेरी है, मेरी रक्षा करने के लिए है और सरकार भी इस तरह का सिस्टम डवलप करे कि जिसमें पुलिस को भी अधिकार मिले और जनता को सिक्योरिटी मिले। इसी के तहत राजस्थान की सरकार ने पुलिस को अधिकार भी दिये। अधिकार देने का नजरिया नजर आता है।

आप राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज निकलो तो आपको लगेगा कि सेक्रेटेरिएट से भी भारी पुलिस को जो दफ्तर मिला, जो खासा कोठी इनको दी गयी उससे पुलिस का मनोबल बढ़ना चाहिए, और बढ़ा भी। वहां से जब भी कोई निकलता है तो यह जरूर पूछता है कि अरे वाह, ऐसा पुलिस मुख्यालय। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कोई कसर नहीं रखी पुलिस को अधिकार देने में, पुलिस का मनोबल बढ़ाने में और यह नजर भी आता है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सभापति महोदय, आप मुझे यह बता दो कि आजादी के इन 65 वर्षों में सबसे ज्यादा यदि राजस्थान में एसीडी ने कार्यवाही की है तो इन 4 वर्षों में की है। यह सरकार की इच्छा को दर्शाता है। एसीडी अपने आप नहीं चलती है। राजस्थान की सरकार की भावनाओं को देख कर ही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कार्य करता है। 4 साल में रिकार्ड टूट गये। किसी भी विभाग को नहीं छोड़ा। आप आश्चर्य करेंगे कि एसीडी ने जो कार्यवाही की उस कार्यवाही में सबसे ज्यादा पुलिस वाले पकड़े गये। रिकार्ड उठाकर देखो तो पुलिस ने ही पुलिस को सबसे ज्यादा पकड़ा। हर विभाग में पकड़ में आये। यह बहुत बड़ा काम हुआ कि सरकार और एसीडी ने मिलकर आज जो इस देश को चुनौती मिल रही है। इस देश में सबसे बड़ा एक इश्यू चल रहा है करप्शन। करप्शन को लेकर हर मीडिया में सब जगह चर्चा चल रही है कि करप्शन रुकना चाहिये कुछ भी हो जाये। आज हमारे सिस्टम में क्या हो गया, समाज में बच्चे की शादी हो जाये तो वह भी क्या बात करेंगे? मास्टर लगा है लेकिन कमाई नहीं है ऊपर की बाकी सब काम बढ़िया है। सिस्टम में आ गया। पुलिस में लगा तो कहेंगे कि पुलिस में कांस्टेबल बना है, तनख्वाह तो कम है पर ऊपर का मामला ठीक ठाक है। यह जो सिच्युएशन पैदा हो गई उसमें हमारे समाज की सोच भी यह हो गई कि हर आदमी यह सोचने लगा है कि मुझे मेरा वेतन मिल रहा है लेकिन उसके अलावा भी मुझे कुछ न कुछ चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, जब पुलिस पर चर्चा चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस 24 घण्टे ड्यूटी देती है। पुलिस को देख कर यदि कहीं हंगामा हो रहा है तो आम आदमी का मनोबल बढ़ता है। कोई बच्ची गली से निकल रही हो और खाकी वर्दी वाला देख ले और परेशानी हो तो उसको लगता है कि मेरे साथ कोई सिक्योरिटी खड़ी है।

यह सब चलता रहेगा, यह जिन्दगी का हिस्सा है, कभी उतार कभी चढ़ाव, यह लड़ाई, झगड़े, झंझट हो जाते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में लेकिन इसको लेकर इतना बड़ा तूल दिया जाये और यह कहा जाये कि सरकार पुलिस का मोरल गिरा रही है, सरकार पुलिस का मोरल नहीं गिरा रही है, सरकार पुलिस का भी मोरल बढ़ा रही है, समाज का भी मोरल बढ़ा रही है, सरकार की एक ही नीयत है।

मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब मैं चीफ मिनिस्टर के साथ बैठा था, जयपुर का मामला था, उन्होंने हमको बुलाया था, उनकी नीयत साफ थी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कि यह दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं, यह मामला निपटना चाहिये, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिये लेकिन इस बात को लेकर इस तरह से प्रचारित किया जाये कि हटा दिया। परमानेंट रखें क्या? क्या फर्क पड़ता है, आप दो-तीन साल रह लिये, यदि एक कमिश्नर चला गया तो दूसरा आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, यह तो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस बात को लेकर इतना तूल दिया जा रहा है कि ऐसा हो गया। यह परम्परा का एक हिस्सा है, एक जाता है दूसरा आता है, इसको इस वे में समझा जाये कि प्रताड़ित करने के लिए, पुलिस का मोरल डाउन करने के लिए किया गया हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि पुलिस को जितना सम्मान राजस्थान की सरकार दे रही है, राजस्थान के लोग दे रहे हैं वह कम नहीं है लेकिन गृह मंत्रीजी, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, मांग पर चर्चा हो तो कुछ नई बात निकल कर आनी चाहिये। सारा फैसला मुख्य मंत्रीजी करें, यह भी जरूरी नहीं है, हम मंत्रियों की भी कोई मोरल ड्यूटी है, आपको भी ध्यान रखना चाहिये। सिपाही के लिए 30 वर्ष की सेवा में 3 पदोन्नतियां अगर हम दे दें तो उसका मोरल बढ़ेगा। आपके सिपाही को 3 पदोन्नतियां नहीं मिलती हैं। मेरी कांस्टेबलों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि सबको प्रमोशन मिलता है, हमें नहीं मिलता है, सब-इन्सपेक्टर तो एडीशनल एसपी बन जाता है, आरपीएस है वह भी आगे तक आईजी, एडिश्नल डीजी तक पहुंच जाता है और आईपीएस है वह डीजी तो बनता ही है लेकिन हमें नहीं मिलता, हमें भी मिलना चाहिये। यदि आप कांस्टेबल को 3 पदोन्नतियां देंगे, उसका मोरल बूस्ट होगा, उसको लगेगा कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, कल मिलेगा, कल मैं भी अधिकारी बन सकता हूं।

जो मैस भत्ते वाली बात मुझे बताई गई, मुझे आश्चर्य हुआ, अब कितना है मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन उसमें भी यह कर दिया कि एएसआई तक 1500 रुपये ले लो और उसके ऊपर 1700 रुपये ले लो, इसमें भूख तो बराबर है ऐसे में उसको भी उसका अधिकार मिले और अधिकार मिलने के साथ गृह मंत्रीजी एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार चुपचाप में मूवमेंट चलते हैं और ऐसे मूवमेंट चलते हैं, मैं एक दिन अख़बार पढ़ रहा था, आजकल विभाग के सब अधिकारी मिल कर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, बोले हम चालान की राशि बढ़ायेंगे, पहले कम है क्या? लूटोगे क्या राजस्थान की जनता को? वह बना कर भेज देंगे, हम कागज पढ़ेंगे नहीं, कोई भी रोका जाये

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

उसके 300 ले रहे हो, कल 1500 चालू हो जायेंगे। खाने को रोटी नहीं वह 1500 रुपये कहां से लायेगा? वह मोटर साइकिल जब्त करा लेगा, जब्त करा लेगा तो वह कई दिनों तक पैदल घूमता रहेगा। यह पैसे से, टार्गेट से सिस्टम नहीं बदला करता और ऐसे में हमें यह तय करना चाहिये कि हम नियमों का सरलीकरण करें, हमारी पुलिस का इकबाल बुलन्द हो। यदि कोई आदमी रोड पर चल रहा है, वह ट्रैफिक पुलिस वाले को देख कर यह नहीं समझे कि यह मुझे पकड़ने के लिए खड़ा है, वह ट्रैफिक पुलिस को देख कर यह समझे कि यह ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए खड़ा है।

राज उनके पास था, चाहे हमारे पास है, आज भी आम आदमी सड़क से निकलता है तो उससे आंखें बचाता हुआ निकलता है। उसके साथ यदि बच्चे बैठे हैं तो आज तक कोई मंत्री निकला है सड़कों पर? चुपचाप जाकर देखा कि किस चौराहे पर क्या हो रहा है? क्या कोशिश की? यह हमारा इकबाल इसी में है कि हम रुक जायेंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा, कहीं माथा फोड़ी नहीं हो जाये, क्या हमने सच्चाई से बोध किया? राज इनके पास था तो भी सड़कों पर वही स्थिति थी और राज हमारे पास है तो भी सड़कों पर वही स्थिति है। आखिर उस बच्चे में हिम्मत पैदा होनी चाहिए, वह बच्चा गिड़गिड़ाता है, मेरे पापा को जाने दो, मेरी मम्मी को जाने दो, पुलिस वाले अंकल, छोड़ दो। यह क्या है? क्या हर जगह कोई एमएलए निकलेगा वहां से और रोक कर कहेगा ऐसा मत करो और यदि वह रुक गया, कोई बात हो गई तो मीडिया कहेगा कि एमएलए साहब खड़े होकर फैसला करवा रहे हैं। यह इकबाल होना चाहिए।

मैं हर बार यह बात कहता हूं कि यह सत्ता रेगिस्तान की रेत है, हाथों से चली जाएगी, हवा के साथ तो दुनिया बहती है, जो हवा के विपरीत चलते हैं लोग उनका सम्मान करते हैं। लोग पत्थर फेंकें और हम भी बराबर पत्थर फेंक कर कहें कि हम भी भीड़ के साथ खड़े हैं। कोई पत्थर फेंक रहा है, हिम्मत उसको कहते हैं जो जाकर रोक दे और कह दे अब आप पत्थर नहीं फेंक सकते, आप गलत कर रहे हैं। आप रास्ता रोक रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं हूं। यह हिम्मत हमको पैदा करनी पड़ेगी।

मैं इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई दूंगा, एसीडी को बधाई दूंगा। एक नहीं, दो-दो एसपी पकड़े, आरपीएस पकड़े, थानेदार पकड़े, कांस्टेबल पकड़े, पटवारी पकड़े, तहसीलदार पकड़े, आरएएस आफिसर पकड़े,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

ईवन उप शासन सचिव पकड़े। हर अधिकारी को पकड़ा और पकड़ने के बाद भी आप देखो, करप्शन कितना अन्दर घुस गया, रात को खबर आ रही है टीवी पर कि एसपी साहब पकड़े गये, सुबह वापस खबर आ रही है एएसआई साहब पकड़े, फिर खबर आ रही है तहसीलदार भी पकड़े गये, फिर खबर आ रही है बाबू पकड़ा गया, फिर खबर आ रही है खान विभाग में कोई पकड़ा गया। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार करने वालों के हौंसले बढ़े हुए हैं। इस बात के लिए गहलोतजी कि एसपी को पकड़ा, चाहे वह किसी भी अधिकारी को पकड़ा, सरकार ने एसीडी की पीठ थपथपाई लोगों में एक दहशत पैदा हुई, लोगों को लगा कि एसीडी अच्छा काम कर रही है और लोग कहने लगे कि यह सरकार करप्शन के खिलाफ लड़ रही है।

कल मुझे आश्चर्य हुआ जब हमारे खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य वैल में आ गये, आकर उन्होंने कहा कि एसीडी में डिप्टी या एडिश्नल एसपी लेवल के ऐसे अधिकारी भी लगे हुए हैं जिनके ऊपर 16 सीसीए के नोटिस हैं, इसको चैक किया जाना चाहिये कि एसीडी जिसकी इतनी बड़ी छवि है, जिसके नाम की पूरे हिन्दुस्तान में इसलिए चर्चा इसलिए हो रही है कि हम रोजाना किसी न किसी को पकड़ रहे हैं। सब लोग एसीडी की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे में गृह मंत्रीजी, यह चैक किया जाना चाहिए कि एक विधायक यदि वैल में आकर कहे कि 16 सीसीए का नोटिस किसी के खिलाफ हो और वही पकड़ने जा रहा हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन पता चलना चाहिए और लोगों में पारदर्शिता की हमारी छवि जानी चाहिये।

जब यह बात चल रही है, जब सरकार की बात आई, बार-बार मेरे सामने के सदस्य हमेशा टार्गेट की बात करते हैं, जब पुलिस पर चर्चा हो रही है, यह कोई कांग्रेस और बीजेपी की चर्चा नहीं है, चर्चा सरकार की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस की असफलता या सफलता है। हमारी भी सफलता और असफलता इससे जुड़ी हुई है। गृह मंत्रीजी, मैं आपसे कहूंगा कि सबके प्रमोशन चल रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में सीआई स्तर के जो लोग हैं, उनके प्रमोशन नहीं हुए हैं। आपको चैक करना चाहिये, वह भी उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारा भी प्रमोशन हो, हमको भी मौका मिले, हम भी डिप्टी बनें। पुलिस में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है उस भ्रष्टाचार की स्थिति के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि एक एसपी पकड़ा जाता है और यह बात आती है कि बंधी ली जा रही है तो बंधी ली जा रही है, यह प्रूव हो गया तो बाकी सब

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जगह ज्यादा मानिटरिंग की जरूरत है। प्रूव भी पुलिस वालों ने किया है, डीजी ने किया है, एसीडी के डीजी ने किया, होम मिनिस्टर ने किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ठप्पा लगा दिया और सरकार के इशारे पर ही सब कुछ होता है, मुझे पता है। एक एसपी पर कार्यवाही मुख्य मंत्रीजी की इच्छा के बिना नहीं हो सकती। जब पकड़ में आते हैं तो आईपीएस को आईपीएस पकड़ता है, एक-एक नहीं, दो-दो एसपी, ऐसे में मैं आपसे गृह मंत्रीजी, निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस स्तर पर ऐसा है तो कामों में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, जवाबदेही पुलिस की ज्यादा है। यदि यह मंथली सिस्टम खुलकर आया है और सरकार इसको रोकना चाहती है तो हमको ऐसी तैयारी करनी चाहिये कि टोटल ही काम ट्रांसपरेंट हो और कहीं पर भी इस तरह की शिकायत आए तो मोरल बूस्ट हो पब्लिक का और जहां तक पुलिस की बात है, अनुशासन की बात है, पुलिस का सबसे ज्यादा काम पब्लिक से पड़ता है और जब पब्लिक से पड़ता है तो थाने में पुलिस के पास जाएं, चाहे रोड पर पुलिस के पास जाएं तो उसको यह लगना चाहिए कि पुलिस वाला किसी से बदतमीजी करेगा तो उसका नियंत्रण बड़े अधिकारी भी करेंगे, सरकार भी करेगी। जहां पुलिस का मोरल उठाते हैं तो उसके साथ-साथ यह भी जरूरत है कि पब्लिक और पुलिस में संवाद बना रहे। आज, गृह मंत्रीजी, यह क्यों नहीं हो सकता कि जब यह प्रूव हो जाए कि कोई बाहर की गाड़ी आ रही है या स्टेट की गाड़ी है, रोड पर है, फैमिली के साथ चल रही है, यह प्रूव हो जाए कि इसके पास एक कागज है, दो कागज हैं तो उसकी जान लोगे क्या? कम से कम यह तो कानून में प्रावधान करो कि एक भी कागज है तो हम उसको छुट्टी दें, प्रूव हो गया कि यह ठीक है, उसको यह नहीं करें बस चल कर आ रही है यूपी से, जा रही है अजमेर, ठोक दिया बोले जब्त, भाग कर कहां जाएगा, कार जा रही है, वह जब्त, वह ट्रैफिक वाले एक में ही काम लगा देते हैं सारा का सारा। तो वह गाली शुरू होती है, पुलिस वाले से लेकर मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री तक गालियां देता है क्योंकि जो परेशान हो गया, वह गाली देगा, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन हमारी मानीटरिंग का रोल है, हमारी मानिटरिंग इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि उसकी हिम्मत नहीं हो, उसको लगे कि राज के लोग माफ नहीं करेंगे, यदि जनता पर जुल्म होगा और जहां तक पुलिस की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, पुलिस कोशिश करती है, लोगों को बचाती है, फायरिंग भी करनी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पड़ती है, पुलिस को, पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ती है, पुलिस को बलिदान भी देना पड़ता है और इस सदन में हम फूल मोहम्मद के बलिदान को नहीं भूल सकते। बहुत बड़ा अन्याय एक थानेदार के साथ हुआ, जिसके घर का कोई जाता है, उसके घर में हमेशा मातम होता है, वह हमेशा याद करते हैं। अभी बीच में, सभापतिजी, एक उदाहरण दूंगा, अभी राहुल गांधीजी यहां पर आए और कोई किस्सा सुनाया, तो जयपुर में कुछ लोग मेरे साथ बैठे थे, मुझे कहा कि राहुल गांधी नाटक करना सीख गया। मैंने कहा कि तेरा बाप मरेगा, तब मैं कहूंगा कि तू भी नाटक कर रहा है। उसने मेरे से उसी वक्त माफी मांगी और कहा सारी। मैंने कहा कोई अपने पिता का, अपनी दादी का सच्चा किस्सा बता रहा है, वह भी तुमको नाटक लग रहा है, उसने खुद ने कहा कि जिस दिन मेरी दादी को गोलियां लगीं तो मैंने मेरे पिता को रोते हुए देखा। शाम को जब मैंने बैडमिंटन खेलने के लिए कहा तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जो तेरे साथ बैडमिंटन खेलते थे, उन्होंने ही तेरी दादी को मार दिया। इस बात पर भी लोगों को राजनीति नजर आई कि राहुल गांधी नाटक कर रहा है। आज जिसके घर का कोई जाता है, फूल मोहम्मद का बलिदान हो गया, बहुत बड़ी बात है, उसने मुकाबला किया, अकेला रह गया, फोर्स को भागना पड़ा, मजबूरी हो गई। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसे में कई जगह पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ती है, लाठी चार्ज भी करना पड़ता है, अब यह सिस्टम हमको सरकार, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे लेकिन हम ऐसा कुछ बैलेंस करें कि लोगों को लगे कि इकबाल है, जिस तरह एसीडी धड़ाधड़-धड़ाधड़ अपना काम कर रही है, वैसे हम ऐसे रूल्स रेगुलेशन तय करें, एक जो सड़क पर खड़ा है ट्रैफिक के लिए, वह ट्रैफिक की चेकिंग करेगा और इस दौरान...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी, सभापतिजी, हमारी पार्टी का टाइम होगा। हमारा जो यह ट्रैफिक वाला खड़ा है, वह ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन तय करेगा और जो थाने में बैठा है, वह कानून व्यवस्था की स्थिति तय करेगा लेकिन यह तय हो जाए, उसको बाउण्ड करें हम कि आप सिर्फ इन नियमों के तहत इतनी कार्यवाही कर सकते हैं, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, आपकी एक लिमिट है, यदि एक भी कागज है, उसको जाने दो, यदि कोई थाने में आ रहा है और आने के बाद यदि दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं और वह मामला थाने में निपट सकता है तो यह कोई प्रेस्टिज इश्यु नहीं है कि हमें कोटा पूरा करना है, एक यह सिस्टम चल रहा है,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

क्या है, मार्च आ रहा है, चालान पूरा करना है, मार्च आ रहा है, एफआईआर इतनी तो दर्ज करनी ही हैं, इतना तो मुकदमा दर्ज करना ही है, वह आदेश कौन देता है, मेरे तो समझ में ही नहीं आता। लोकतंत्र में राज तो वोट से तय होता है, आदेश यह कहां से चल रहा है, मार्च आ रहा है, इतने तो पैसे चाहिए ही, मार्च आ रहा है, इतने केस तो होने ही चाहिए। ये सच्चाई है कि आम आदमी, वह बेचारा, थानेदार कह देगा, कांस्टेबल कह देगा, साहब, वायरलेस चल रहा है, हमारे ऊपर से आदेश आ रहा है, हमको ऐसा करना है, ये नियंत्रण, ये राज का नियंत्रण होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये मंत्रियों का नियंत्रण होता है। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि ये आप जरूर ध्यान देना, चालान की राशि इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाई है, वह राशि किसी भी कीमत पर नहीं बढ़नी चाहिए। यदि बढ़ेगी, मंत्रीजी, तो वही हश्र होगा, जो यूजर चार्ज का हुआ था, आप सुन लेना, बहुत गलत मेसेज जाएगा, पूरा राजस्थान जानता है, हर आदमी यह समझता है। मैंने यूजर चार्ज के वक्त भी कहा था कि ये यूजर चार्ज हटेगा, हर कीमत पर हटेगा, वही स्थिति आ जाएगी, 500 के 1500 करने की बजाय हम बाउण्ड करें, लोगों को समझाएं कि ऐसे हम गरीब को नहीं मार सकते, हमारा बजट महंगाई से लड़ने वाला है, हमारा बजट गरीबी को मिटाने वाला है, हमारा बजट झोंपड़ी की आवाज को सुनने वाला है, हमारा बजट मां, बहन, बेटी के आंसू रोकने वाला है, हमारा बजट सोशियल सिक्योरिटी को तय करता है कि हम सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, हमारा बजट वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन का राइडर हटाता है इसलिए हमारे कानून कायदे इन अधिकारियों के जरिये, यदि ये बात ऊपर तक आए कि हम चालान के रूप में वैसे राशि लेना चाहते हैं, उसका गलत मेसेज जाता है इसलिए आपको इसको देखना है और जहां सड़क दुर्घटनाओं की बात आई, मैं मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा, यह तो तय हो जाना चाहिए। बहुत सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसके लिए अकेली पुलिस जिम्मेदार नहीं है, इसलिए हमारा पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, सब मिल कर सड़क दुर्घटनाएं रोक सकते हैं, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए आप कोशिश भी कर रहे हैं, मुझे पता है, गृह सचिव की सड़क दुर्घटना में डेथ हो जाना और वह भी जयपुर में, वहां पर गृह मंत्रीजी, पहले गृह मंत्रीजी रहे, वह भी घूमते हैं, डीजी भी घूमते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी घूमते हैं, सारे लोग घूमते हैं, कोई नहीं चाहता कि दुर्घटना घटे। लेकिन इसमें हमारी थोड़ी सी लापरवाही, हमें जो सिस्टम तय करने के छोटे-छोटे काम उनकी जिम्मेदारी तय की जाए,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सम्बन्धित थानों को भी यह अधिकार दिया जाए कि आपको जहां-जहां पर सड़कों पर यह चिन्ह नहीं लगे हुए हैं, रेड लाइट्स नहीं हैं, जहां डिवाइडर की जरूरत है, डिवाइडर नहीं हैं आपको अधिकार है, सम्बन्धित डिपार्टमेंट को बुला कर, उनको कर सकें जिससे जिंदगियां बच सकें। बहुत हालात खराब हैं, दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, जगह-जगह जयपुर में, रात भर जाग कर हमने जयपुर में जगह-जगह कट बंद किये, और हमने यह तय किया कि कैसे भी दुर्घटनाएं रूकें ओर दुर्घटनाएं रोकने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम रोक नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, गृह मंत्रीजी, पासपोर्ट बनना, उसमें पुलिस की भूमिका होती है और पासपोर्ट बनाने में कई बार वह खून के आंसू रो लेता है, आज हम इस सिस्टम का सरलीकरण कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह भागता घूमता है इधर उधर, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, पासपोर्ट हर आदमी बनवाना चाहता है, उसका हम और सरलीकरण करें कि उसका पासपोर्ट जिन जिन लोगों की ड्यूटी है उसमें, उनका बन सके, क्या फर्क पड़ रहा है? पासपोर्ट के लिए कम से कम एक की जगह, अलग-अलग जगह बढ़े और जहां सिटीज हैं, उनके लिए अलग-अलग जगह पुलिस वाले वेरीफाई करें, किसी को इमरजेंसी चाहिए तो उसको इमरजेंसी करें। और इसके अलावा, मैं मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा कि पासपोर्ट बनने के अलावा, ये जो जेलों के हालात हैं, उन हालातों का मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन जेलों में जो जेलर बन गया, वह अपने आप को यह समझता है कि मैं मालिक हो गया और वह चाहे जैसे ही अपने सिस्टम को चलाना चाहे। मैं आज कह रहा हूं आपसे, जेल में फोन आज भी चलते हैं, उसके लिए मैं यह नहीं कह रहा कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, जेलर जिम्मेदार है, मेरे पास आ जाता है फोन कई बार, कहां से बोल रहा है तो बोला जेल में हूं, कि यार तू तो बड़ा महान आदमी है, तू जोरदार आदमी है तो बात होती है तो बोला हां। आज यह हालत है, वह नियम यदि बने तो पूरा बने, उसमें यह नहीं हो सकता कि आज नियम बने और उसमें यह हो जाए कि साहब, ठीक है, जेल तो जैसे चलेगी, वैसे ही चलेगी, जेलों में हम सुविधा भी दें, लोगों को अधिकार भी मिले और यह सुरक्षित हो कि भाई, जेल में यदि कोई गया है और वहां पर, मैं तो कहूंगा कि जेल में जाने के नाम से आदमी डरता है, आज कोई एमएलए जाना ही नहीं चाहता है कि काहे के लिए अपन किसी से मिलने के लिए ही क्यों जाएं, क्या पता अपना ही नम्बर आ जाए कभी। इससे कोई फर्क

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

नहीं पड़ता, यदि डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो लोग निकल कर आए हैं, आज इस जेल में आप क्या समझते हो, एडीजी बंद, आई जी बंद, एसपी बंद, थानेदार बंद, एएसआई बंद, कांस्टेबल बंद, अब वे बंद और उनके साथ नेता तो होते ही रहते हैं, उनको तो गिनाने की जरूरत ही नहीं है, नेता तो नार्मल चीज है, क्या हो गया? नेता तो होते ही हैं, अपने सदन के भी बंद हैं, मैं मानता हूं इस बात को तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये सब बंद लेकिन वह न्याय की अपनी एक प्रक्रिया है, वह तय करती है।

लेकिन जेलों की स्थिति तो सुधरनी चाहिए। इसके अलावा, मैं कुछ सुझाव और देना चाहूंगा। हथियारों की बात आई, मैंने 2-4 घटनाएं पढ़ीं तो मुझे अच्छा लगा कि राजस्थान की पुलिस के मुखिया ने चैलेंज के रूप में उनको पकड़ लिया। मुझे पढ़ कर आश्चर्य हुआ, (व्यवधान) अपन तो रखते ही नहीं वरना फिर तो कोई ही निपटा जाए। वहां जोधपुर में फायरिंग करते हुए कैदियों को छुड़ा कर ले गये। उसके बाद मुझे लगा कि राजस्थान की पुलिस हिम्मत दिखायेगी और 4-5 दिन में इन्होंने पकड़ लिया उससे राजस्थान की बात रह गई। बड़ा गलत मैसेज गया कि कोर्ट में फायरिंग करते हुए घुसे और अपराधियों को छुड़ा कर ले गए। एक जगह तीन पुलिस वालों को मार दिया और एक कैदी को मार दिया। उसके लिए कोई पुलिस जिम्मेदार नहीं है। हमारे पास एक अलग से ऐसी फोर्स हो जिसमें यंगस्टर्स हों और जहां जरूरत हो वहां वे उस ढंग से तैयार रहें, खुद मरें नहीं और ऐसे अपराधियों के हौसले भी नहीं बढ़ें।

मैं एक बात और कहूंगा कि हथियारों के लाइसेंस में हम सबसे ज्यादा कंजूस हैं। रहना चाहिए कंजूस लेकिन वहीं कंजूस रहना चाहिए जहां पर जरूरत है। आज हम पिछले चार-साढ़े चार वर्षों में उन लोगों को लाइसेंस नहीं दे रहे, उनका रिन्यू नहीं कर रहे जो खुद मिलिट्री से रिटायर होकर आए हैं, ऐसे लोगों की बड़ी-बड़ी गन्स हैं। वे कह रहे हैं कि खाने के लिए रोटी नहीं हैं और 50 लाख रुपये की बंदूकें हैं, उनको बेच दूं तो मेरा घर चल जाए। मेरे पिताजी की थाने में जमा हैं और मेरा लाइसेंस बन जाए तो मैं बेच कर रोटी खा लूं। वह रखना नहीं चाहता, वह उसको बाहर लाना चाहता है जो उसकी सम्पत्ति है। एक जगह कहीं गंगानगर में गड़बड़ हो गई, वह तो आपके टाइम पर नहीं हुई, पहले ही हो गई और यदि गड़बड़ हो गई तो उस गड़बड़ के जरिये हम असली आदमी को भी गन का लाइसेंस नहीं देना चाहें, यह बिल्कुल गलत है, यह

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

परम्परा नहीं बननी चाहिए। सभापतिजी, मैं आपके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह हथियारों के लाइसेंस में आपको अपने जवाब में आज बताना चाहिए। आप नीति निर्धारित कर दीजिए कि इन-इन नियमों के तहत लाइसेंस मिलेगा, जिनके लाइसेंस जमा हैं उनको इस तरह से मिलेगा, जिनके परिवार में लाइसेंस रहे हैं उनको इस तरह से मिलेगा। सभापतिजी, मैं अंत में, आज के दिन पुलिस के कुछ लोग जिनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने जो अपनी डिमांड्स मुझे बताई कि स्पेशल-पे और मैस भत्ता क्रमश: दो हजार से तीन हजार किया जाना चाहिए। अन्य विभागों के समकक्ष कांस्टेबल यह चाहता है कि मुझे थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर तनख्वाह तो दो। गलत क्या कह रहा है? यदि उसकी तनख्वाह बहुत कम है तो उसे बढ़ानी चाहिए। अभी हमने होमगार्ड की तनख्वाह बढ़ाई तो आप आश्चर्य करोगे कि उसकी आंख में चमक आ गई। वह होमगार्ड का जवान पुलिस की तरह ड्यूटी कर रहा है। वह कह रहा है कि उसके बढ़े तो 80 रुपये हैं लेकिन उसकी चमक, उसका वज़न 80 किलो बढ़ गया। वह कह रहा है कि मुझे 9000 रुपये मिल जाएंगे, मेरे मौज हो गई और यह बड़ा काम है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने हर सैक्टर में काम किया, हर आदमी को रिलीफ दिया, हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी सरकार है, मुझे कुछ मिलेगा। जब हरेक यह उम्मीद करे तो पुलिस वालों को भी अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा, 8 घंटे की ड्यूटी की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस वालों का रूतबा होता है। सभापतिजी, आपके जरिये मंत्रीजी से कहूंगा कि 8 घंटे की ड्यूटी की बात पुलिस वाले करते हैं, इसमें भी मैं इतना कहूंगा कि पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती समय-समय पर हो, समय-समय पर इनके प्रमोशन हों, समय-समय पर इस तरह की योजनाएं चलें। मुझे एक दिन बहुत अच्छा लगा जब यह आया कि इनके मुखिया दौड़ रहे थे और 10 किलोमीटर दौड़ लिये और हर डिस्ट्रिक्ट में गये। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि यह तो दमखम वाला काम है और कई लोगों के रास्ते में पसीने छूट गये। यह बड़ी चैलेंजिंग बात है कि हमारी पुलिस के पास टाइम ही नहीं है क्योंकि सड़क पर ही इतना दौड़ लेती है लेकिन इनको इस तरह की एक्टिविटीज में भी हम शामिल करें कि उनकी भावना हमेशा आम आदमी के प्रति रहे। सभापतिजी, मैं इतना कहूंगा कि हमारी राजस्थान की सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने पुलिस के प्रति जितने प्रावधान किए उसमें कोई कमी नहीं। सभापतिजी, मैं एक बात अंत में और कहूंगा। पुलिस

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कमिश्नरेट सिस्टम जयपुर में लागू हुआ। मैं शुरू में इसके खिलाफ था और यह चाहता था कि अलग-अलग सैक्टर के अलग-अलग एस.पी. होने चाहिए, अलग-अलग पावर होनी चाहिए। यह मेरी अपनी सोच है और मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी कहा था। लेकिन नया जमाना आया, बोम्बे में कमिश्नर, दिल्ली में कमिश्नर, सब जगह कमिश्नर लग गए और हमने यहां भी लगाये। मैं यह नहीं कह रहा कि इसमें परिवर्तन कीजिये लेकिन एक ही जगह प्रेशर बिल्ड-अप होने से ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म डवलप करें, हमारा सिस्टम अच्छा है, कमिश्नर लगा दिया, सब कुछ हो गया लेकिन एक आम आदमी बंद हो गया तो पहले तो एसडीएम के घर पर आसानी से उसको ले जाते लेकिन अब डिप्टी साहब सुनवाई करेंगे और कौनसे डिप्टी हैं यह जनता को पता ही नहीं है। वह रात भर पड़ा है क्योंकि डिप्टी साहब तो पुलिस वाले हैं, मर्जी हो तब तो सुनें नहीं तो नहीं सुनें। पहले आसानी से उसकी जमानत हो जाती थी लेकिन आज वह परेशान हो रहा है। कोई जरूरत थोड़े ही है कि हर आदमी आपके और हमारे पास आ जाएगा। आज उसको लगना चाहिए कि ऐसा हम सरलीकरण करें कि जो काम पहले आसानी से हो रहा था वह काम आज भी हो सके। सभापतिजी, मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि इस राज की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि राज ने गोलियों के भरोसे राज करने की कोशिश नहीं की। राज ने अभी सबसे बड़ा मामला वकीलों और पुलिस का हुआ उसको बड़े तरीके से निपटाया। उसी तरह से, सारे मामलों में मुख्य मंत्रीजी और सरकार ने यह कोशिश की कि अमनचैन बना रहे, गोली के जरिये राज नहीं किया जाए, ताकत जरिये राज नहीं किया जाए, ऐसा मैसेज नहीं जाए जैसे पिछली बार 23 बार गोलियां चलीं, 100 लोग गोलियों से मारे गये, इस तरह का संदेश नहीं जाए। वह संदेश नहीं गया और सरकार यह संदेश देने में कामयाब रही कि पुलिस, प्रशासन और सरकार जनता के साथ मिल कर समाज में ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं जिससे राजस्थान में अमनचैन बना रहे और राजस्थान एक माडल स्टेट के रूप में आगे बढ़े। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी के सरकार के संचालन का जो स्लोगन है, वह है संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार चलाने का। खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल भी बात की, आज भी सिविल लाइंस से आने वाले माननीय सदस्य ने बात

(डा. रघु शर्मा)

की। बहुत अच्छा संदेश गया है राजस्थान के अन्दर जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान में काम किया यह मुख्य मंत्रीजी की सोच का नतीजा है। लेकिन सवाल यह है कि इस फोर्स की विश्वसनीयता बनी रहे इसके लिए मंत्रीजी मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट में एक विंग तो ऐसी हो जिस पर कोई अंगुली नहीं उठे। इस सदन में कल भी अंगुली उठी, आज भी उठी। इसलिए जब भी हम एंटी करप्शन ब्यूरो में लगायें तो उसका प्रोफाइल पुलिस डिपार्टमेंट जाने कि इसके पूरे सर्विस काल के दौरान कहीं इस पर विभागीय कार्यवाही हुई या नहीं, यह खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है या नहीं, लोकायुक्त की कोई टिप्पणी तो इसके खिलाफ नहीं है और उसके बाद उसकी सम्पत्ति। क्योंकि ए.सी.बी. न केवल ट्रेप करती है, ए.सी.बी. आय से अधिक सम्पत्ति की भी बात करती है, वे केसेज भी पकड़ते हैं। सम्बन्धित अधिकारी जो ए.सी.बी. में काम करता है उसकी आय से अधिक सम्पत्ति तो नहीं है। यह सारा ब्यौरा लेने के बाद ए.सी.बी. में नियुक्ति दी जानी चाहिए। ये जो दो घटनाएं पाइंट आउट हुई, मैं यह समझता हूं कि इनकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए कि ऐसे लोगों को किसने ए.सी.बी. में लगाया और क्या यह अधिकार उनको मिला हुआ है कि जिनके ऊपर 16 सीसीए का चार्ज लगा हुआ है लोकायुक्त की तरफ से, तो क्या उनको चोरी पकड़ने का काम दिया जा सकता है? यह स्थिति गम्भीर है और इसको माननीय मंत्रीजी अपने जवाब के समय स्पष्ट करेंगे और आगे ध्यान रखेंगे।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): सभापतिजी, केवल एसीडी में ही क्यों, फील्ड पोस्टिंग भी क्यों दी जा रही है? कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको फील्ड पोस्टिंग भी दी जा रही है जिनको 16 और 17 सीसीए के नोटिस दिये हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय सभापतिजी, सिविल लाइंस से आने वाले माननीय सदस्य ने और उससे पूर्व शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पुलिस की व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हमारा अलवर जिला पिछले चार साल में बारूद के ढेर पर पहुंच गया। उसका कारण रहा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया गया और पुलिस का मनोबल गिराया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को एक घटना की याद दिलाता हूं कि तिजारा मुंसिफ कोर्ट में अपराधी आते हैं

(श्री रामहेत सिंह)

और गोलियां चला कर पुलिस की कस्टडी में से हार्डकोर क्रिमिनल को, सभी अपराधियों को छुड़ा ले जाते हैं और डेढ़ किलोमीटर बाजार के बीच में गोलियां चलती रहीं और जो पुलिस वाला, खाकी वाला दिखा वह अपनी जान बचाने के लिए ट्रक, बस या गाड़ी के नीचे छिप गया। उनके पास हथियार नहीं थे और जो हथियार थे वे इतने खराब थे कि उनको डर लग रहा था कि कहीं आपने चलाया तो ये अपराधी वापस आपको नहीं मार दें। इसी तरह से, दूसरी घटना हुई कि अपराधी को पुलिस पकड़ने गई, अपराधी कुए में गिर गया तो उसकी मौत हो गई और अपराधियों को संरक्षण देने वाले गिरोह ने सड़क को जाम कर दिया, वहां डीएसपी से लेकर सिपाही तक सबकी पिटाई हुई।

(16.00 बजे)

कुछ लोगों के छर्रे लगे। पुलिस के अन्वेषण को कोसने का प्रयास किया। यही नहीं हुआ, जब यह जानकारी अलवर के पुलिस अधीक्षक को मिली, मैं धन्यवाद देता हूं उन मिस्टर तुकाराम चाल्के, एस.पी. अलवर को, उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ उनकी ही भाषा में निपटेंगे। गोली का जवाब गोली से देंगे और तीसरे दिन उनका बिस्तर राजस्थान की सरकार ने बांध कर बाहर भेज दिया। उसी का परिणाम है कि हरियाणा के अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जब तिजारा में आती है। आठ पुलिस थानों की हरियाणा की पुलिस जिसमें चार-चार इंसपेक्टर, सब-इंसपेक्टर, लगभग 80-90 लोग थे पुलिस के, जब हरियाणा के अपराधी को पकड़ने गये तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने तिजारा और किशनगढ़ बास की पुलिस को बुलाया तो पुलिस मौके पर नहीं गई। हरियाणा की पुलिस को बांध लिया, हथियार छीन लिया। आखिर में पुलिस के अधिकारियों ने मिल कर, बीच में कोई उनके दलाल को लाकर पुलिस को छुड़वाया, उन अधिकारियों के हथियार दिलवाये। ऐसे हालात हैं।

खुले आम गौ-तस्करी होती है। अलवर में खुले आम अवैध खनन होता है। वहां पर डीजल-पैट्रोल खुले आम दो नम्बर का बना कर बेचा जाता है और यही नहीं, किसी भी थाने का रिकार्ड ले लो। आजकल तो गौ-तस्करी के काम में पुलिस का खुले रूप से सहयोग रहता है। अवैध कब्जा कराना और गौ-तस्करों को संरक्षण देना, गौ-निकासी को करना, पुलिस का मैन काम हो गया है।

मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से, बांदीकुई से

(श्री रामहेत सिंह)

लेकर भिवाड़ी तक जितने भी थाने पड़ते हैं चाहे अलवर का सदर थाना हो, चाहे मालाखेड़ा का थाना हो, चाहे किशनगढ़ का, ये पुलिस के एसएचओ रात को एक बजे से लेकर सुबह चार बजे तक अपने संरक्षण में गौ-तस्करी कराते हैं। यह मेरा खुला आरोप है। आप जांच कराइये। सारे पुलिस वालों के मोबाइल की काल डिटेल्स निकलवाओगे तो साफ रूप से आपको समझ में आ जायेगा कि कौन-कौन पुलिस का सिपाही, एसएचओ, सरे आम सड़क पर खड़ा होकर, अपराधियों से मिल कर गौ-कशी निकलवा रहा है। ऐसा ही नहीं है, गिरोह बना रखे हैं।

विद्युत विभाग की बात करें। मैंने विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से पूछा था, अलवर जिले में पिछले तीन साल के अन्दर 4,500 एफआईआर दर्ज हुई हैं जो ट्रांसफार्मर्स चोरी की हैं और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 10 एफआईआर खोली हैं जिसमें अपराधी पकड़े गये हैं और बड़े गर्व से पुलिस ने कहा कि हमने सामान बरामद किया है, उसकी कीमत 80,000 रुपये है। मैंने जब यह पूछा कि यह जो माल गया है, अपराधी ले गये, उसकी कीमत क्या है? तो लगभग 27 करोड़ रुपये के विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर्स चार साल में चोरी हुए हैं।

इसी तरह से, हम बात करें अवैध खनन की। अवैध खनन की यह हालत है कि रोजाना पुलिस के संरक्षण में हरियाणा के खनन माफिया राजस्थान में आते हैं और अवैध खनन करके हजारों ट्रक निकलते हैं। वहां पर फोरेस्ट और पुलिस की चौकी बनाई। सरकार ने स्पेशल रूप से फोरेस्ट की चौकियां स्थापित कीं। एसीडी जाकर पहुंची, एक चौकी को चैक किया तो रात के 9 बजे से 12 बजे तक जिस चौकी पर ड्यूटी थी, 4.48 लाख रुपये एसीडी ने एक चौकी से बरामद किया तो आठ चौकी हैं और पूरी रात की गणना करें तो लगभग 30-40 लाख रुपये रोज की वहां इन्कम होती है। ऐसी हालत है। ऐसा संरक्षण दे रखा है।

इसी तरह से, हम अपराधों की बात करें। वहां पर खुले आम मर्डर हो जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की बात करता हूं। नरेन्द्र सोनी का शाम को छह बजे मर्डर हुआ, उसके घर पर कोई उसकी गर्दन काट गया। पूरा बाजार बंद हुआ, पूरे दिन बंद रहा और यह हालत है कि 9 फरवरी, 2012 से आज तक उस अपराधी को नहीं पकड़ा गया और अब पिछले महीने किशनगढ़ के एसएचओ ने एफआर लगा दी। अभी कहा कि पुलिस के लोग बड़े

(श्री रामहेत सिंह)

संवेदनशील होने चाहिए। यह संवेदनशीलता का उदाहरण है। यह पिछले दिनों अख़बार में छपा था। राजस्थान पत्रिका और भास्कर ने इसे प्रमुखता से छापा था। ''अपराधी निडर है, पीड़ित भटकते दर-दर'' इस तरह की खबर राजस्थान पत्रिका ने अपने 16-1-2013 के अंक में छापी। इसमें दो-तीन हवाले दिये हैं। दुष्कर्म के मामलों में सुस्ती पर देश भर में उग्र विरोध उठा है। आरोपियों को फांसी की सज़ा की मांग की गई है, लेकिन राजनेताओं ने अन्याय नहीं होने देने की बात ठोकी है लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ और है। उस खबर में मालाखेड़ा और किशनगढ़ थाने में बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले की चर्चा की है। मैं एफआईआर लेकर आया हूं। एफआईआर 353/2012, जो किशनगढ़ थाने में दर्ज हुई। एक बालिका जो 13-साढ़े 13 साल की थी, उसको जबरदस्ती गिरोह बना कर दो-तीन लोग उठा कर ले गये। उसको पुलिस ने चार दिन बाद बरामद किया। पुलिस ने बयान ले लिये, 164 में उसने अपराधी और सह-अपराधी का नाम ले लिया लेकिन अपराधी और सह-अपराधी आज तक नहीं पकड़े गये। पुलिस कह रही है कि मुलजिम की तलाश में हैं, मुलजिम हाथ नहीं आ रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अख़बार भी है, पुलिस के अधिकारियों के साथ उनके फोटो छपते हैं, लेकिन अपराधी आज तक नहीं पकड़ा गया और अल्टीमेटली होता यह है कि गरीब लोगों की लड़की को अगर इस तरह से अपहरण करके ले जायें, उनके साथ दुष्कर्म होगा और वह पकड़े नहीं जायेंगे तो आखिरी में वह राजीनामा करने पर मजबूर होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह 353/2012, पीएस किशनगढ़ में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें बलात्कारी कब तक पकड़े जायेंगे और आज तक नहीं पकड़े गये तो जो पुलिस के सम्बन्धित अधिकारी हैं जिन्होंने संरक्षण दे रखा है, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

इसी तरह से, अलवर में वाहन चोरी का मामला है। अलवर में 2010 में 1,540 वाहनों की चोरी हुई, 2011 में 1,522 वाहनों की चोरी हुई और हालात यह हैं कि दुपहिया वाहन की चोरी की तो आजकल एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं। पुलिस में जाओगे तो कहते हैं कि एक तारीख को आ जाना, एफआईआर दर्ज हो जायेगी और हालत यह है कि एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और पुलिस वाले बता देते हैं, दो-चार-दस मिनट में, आधा घंटे में जिसकी मोटर साइकिल चोरियां होती हैं, उसके पास फोन आ जाता है कि भैया,

(श्री रामहेत सिंह)

10,000 रुपया दे जा और तेरा वाहन ले जा। दुर्भाग्य यह है कि किसान अगर मंडी से अपना माल बेच कर जाता है तो यह सुरक्षित अपने घर पहुंचेगा कि नहीं, उसका ट्रैक्टर सुरक्षित रहेगा कि नहीं? सरसों या गेहूं जो बेचा है, उसकी रकम को भी घर पहुंचा देगा कि नहीं? यह भी संशय बना रहता है।

कर्मचारी जो नौकरी पर जाता है और शाम को वापस लौटता है तो उसके दिमाग में यह रहता है कि यह मोटर साइकिल जिसको तू घर लेकर जा रहा है, इस पर तू सुरक्षित पहुंचेगा कि नहीं? कहीं तेरी हत्या करके मोटरसाइकिल को तो नहीं ले जायेंगे? वहां पर गैंग बनी हुई है। पुलिस को सब पता है लेकिन पुलिस का भी कहीं न कहीं उससे सोफ्ट कार्नर है, संरक्षण है।

हमारे यहां तिजारा के अन्दर तीर्थयात्री आते हैं। सब पुलिस वालों को आईजी, एसपी, डीजीपी तक पता है, वहां से यात्रियों को उठा लिया गया। दूर ले जाकर उनको टोर्चर किया, उनके साथ बदसलूकी की और उनको इतना डरा दिया कि थाने में आये तो थाना एसएचओ तिजारा ने कोई रेस्पोंस नहीं दिया। आखिरी में उनसे यह दबाव बना कर लिखवा लिया कि हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते, वह अपने ग्वालियर चले गये।

अभी कांग्रेस का नेता, जो अलवर से पार्षद रहा है, सहपत्नी आ रहा था, नई बोलेरो थी, उसकी गाड़ी को रात के 11 बजे छीन लिया गया। यह जो अलवर से लेकर भिवाड़ी रोड है, इस पर तो आये दिन गाड़ियों को छीन ले जाते हैं, अपराधी पुलिस से मिले हुए हैं, पुलिस का संरक्षण है। मैं कहना चाहता हूं, यह किस तरह की कानून व्यवस्था है और इसमें आप क्या करना चाहते हैं? जब मंत्रीजी जवाब दें तो इन अपराधों के बारे में बतायें कि इन अपराधों को रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे?

एक बात और कहना चाहता हूं। अवैध खनन पर जहां हमारे जिले में बहुत ज्यादा अवैध खनन होता है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए 2009 और 2010 में, कुल मिला कर 2011 तक 186 मुकदमे दर्ज हुए। इसी तरह से, अवैध शराब के बारे में 178 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन डीजल-पैट्रोल, मावा और नकली घी बनाने पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यह पुलिस के संरक्षण में होता है। जिसको अवैध डीजल बनाना है, अवैध पैट्रोल बनाना है, अवैध रूप से भट्टी लगा कर काम करना है, वह सब पुलिस से मंथली पहले तय कर लेते हैं।

(श्री रामहेत सिंह)

आपने देखा होगा, जिस तरह से राजस्थान में भी कई जगह एंटी करप्शन ने पकड़ा है। लक्ष्मणगढ़ का डीवाईएसपी पकड़ा गया, सदर थाने का इन्चार्ज, एसएचओ जो आज तक नहीं पकड़ा गया। एक महिला के साथ कुकर्म कराते हैं और कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति से 5-6 लाख रुपये लेकर उसको रफा-दफा करने की बात करते हैं। मामला एसीबी में चला जाता है और आज तक वह फरार है। मैं चार्ज लगाना चाहता हूं, सभापति महोदय, सरकार के ऊपर कि अलवर में 7-7, 8-8 इंसपेक्टर पुलिस लाइन में पड़े हैं, वहां पर लगा रखा है, लेकिन सदर थाना का जो इन्चार्ज है, वह सब-इंसपेक्टर रैंक का अधिकारी लगा रखा है जो ऊपर से अपनी पहुंच बताता है, खुले आम जमीन पर कब्जे कराता है, खुले आम गौ-तस्करी में लिप्त है। मैं दावा करता हूं, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक की अगर उसकी काल डिटेल और उसके स्टाफ की काल डिटेल मालूम करोगे तो जितने भी मेरे इलाके में मिर्जापुर में अवैध रूप से गाय और ऊंट को लाकर वहां पर अवैध तस्करी करते हैं, गौ-कशी होती है उसमें पुलिस का निश्चित रूप से योगदान रहता है, उसके संरक्षण के बिना नहीं हो सकती। ऐसी हालत में हम जहां अमन चैन की बात करते हैं और यह सोचते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक कर रही है, मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरथल के अन्दर कापर वायर की एक फैक्ट्री पर, जो कस्बे के बीच में इण्डस्ट्रियल एरिया है, लगभग पन्द्रह-बीस अपराधी आते हैं और उस फैक्ट्री को घेर कर बंधक बना कर के उन मजदूरों को सारा कापर, लगभग पन्द्रह लाख का, चोरी कर ले जाते हैं। हालत यह है कि इण्डस्ट्रियल एरिया में रात को कोई ट्रक आ गया और वह अगर उसने पुलिस चौकी के पास नहीं खड़ा किया, पुलिस चौकी के पास खड़ा करेंगे तो पुलिस वाले पैसा लेते हैं और इण्डस्ट्रियल एरिया में खड़ा करते हैं तो उसके टायरों को उतार ले जाते हैं। इसी तरह से, बीबीरानी में भी पुलिस की चौकी, जो अस्थाई चौकी है उसके सामने तीन घटनाएं हुई जो दुकानें चार-चार, पांच-पांच लाख की चोरी हुई है, पूरे अलवर जिले की पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है, वह वहां कोई लगना नहीं चाहता थानों में और जो लगते हैं, जो पुलिस से, अपराधियों से मिले हुए हैं वह सीधे सीएमओ से आदेश लेकर जाते हैं, न नेताओं को गांठते हैं, न पुलिस अधिकारियों को गांठते हैं, लूट-खसोटने का अभियान चला रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, अलवर जिले के लिए पुलिसिंग की व्यवस्था ठीक

(श्री रामहेत सिंह)

हो, जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको वहां से हटाया जाये और आगामी अमन चैन, आम आदमी सुख से जी सके, उसको लगे कि कानून का राज है तो आपको अलवर जिले में विशेष रूप से चिंता करनी पड़ेगी। यही कहते हुए मैं चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोठूका, बीबीरानी और जोहड़िया आप नई चौकी स्थापित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद। श्री शाले मोहम्मद। (अनुपस्थित) श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस के बारे में डिबेट हो रही है और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस जहां पुलिस का नाम आता है वहां आम आदमी और बच्चों में जो छवि निकल कर आती है वह एक बहुत ही डरावनी छवि उनको नजर आती है कि पुलिस तो एक टेरर उनके दिमाग में रहता है और जिस प्रकार का माहौल हम आज देख रहे हैं, जिस प्रकार की रोजाना एफआईआर दर्ज हो रही है, जो प्रकरण अखबारों में हम देख रहे हैं उसमें हम अगर देखें तो जो अपराधी हैं उनमें कहीं भी पुलिस का कोई डर, कोई टेरर कोई नजर नहीं आता है। एक पुलिस की वर्दी में इतनी शान्ति है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती होता है तो उसको पहनते ही उसे गर्व का अहसास होता है और मैं समझता हूं कि जो एक देश सेवा का माद्दा लेकर जो व्यक्ति उस वर्दी को पहनता है उसकी ताकत उससे कई गुना बढ़ जाती है लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, आज जो हम सुन रहे हैं, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज माननीय सदस्यों ने जो कहा और बाद में भी बोलेंगे और सभी सदस्यों की एक ही राय है कि किस प्रकार से हम क्राइम पर कंट्रोल करें, किस प्रकार से जो आम आदमी है, अगर आज की तारीख में सबसे ज्यादा डर अपराधियों का किसी के मन में है तो वह आम आदमी है। वह पहली बात तो अपराधियों से डरता है और उसके बाद कोई उसके साथ घटना हो जाती है तो वह पुलिस में जाने से भी डरता है। वह यह सोचता है कि मैं पुलिस में जाऊंगा तब कहीं मेरे साथ इससे ज्यादा खराब व्यवहार तो कहीं नहीं हो जायेगा। आज, माननीय मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा, आज क्या हम यह नहीं सोचते कि किस प्रकार का व्यवहार हमारी पुलिस के लोगों का हो रहा है। आज पुलिस के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा भी हमले हो रहे हैं और पुलिस थानों में भी घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या हम इस ओर ध्यान देना नहीं चाहते? हमें आज आवश्यकता है कि हम इस

(श्री टीकाराम जूली)

ओर ध्यान दें। एक जो पुरानी परिपाटी चली आ रही है पुलिस की, उस परिपाटी को छोड़ कर आज मैं समझता हूं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमारे पास तो ऐसे हथियार हैं कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं वह डर के मारे हथियार चलाना नहीं चाहते कि पता नहीं वह चलेगा या नहीं चलेगा और वहीं अपराधियों के पास अत्याधुनिक टेक्नोलाजी से लैस हथियार हैं तो हमारे जवान क्या उनका मुकाबला कर पायेंगे? आज हमने जो पुलिस को गाड़ियां दे रखी हैं, आज अपराध हो गया है, कहते हैं कि अपराधियों को पकड़ो, पर मुझे नहीं लगता कि जो साधन हमारे अवेलेबल उनको हैं उन संसाधनों के दम पर वह अपराधियों को पकड़ पायेंगे। आज हमें इस प्रकार की एक सोच बदलनी होगी कि जो सुविधाएं आज पुलिस को हैं, जो सुविधाएं हमारे जवान को हैं, चाहे वह जवान को, उनके वेतन सम्बन्धी मांग हो, उनके भत्तों सम्बन्धी मांग हो, उनके प्रमोशन की मांग हो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य प्रताप सिंहजी ने उन बातों के बारे में बताया है लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे जवान की जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, उनको भी हम पूरा करें। उसके बाद में डिपार्टमेंट के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनको हम पूरा करें और उसके बाद हम यह देखें कि क्राइम किस प्रकार से हो रहा है और एक पारदर्शिता के तहत क्योंकि आज अगर सबसे ज्यादा कहीं अंगुलि उठाई जाती है, बात हो चाहे बिना बात हो, नेता और पुलिस इन दोनों पर अगला आदमी तुरन्त ही कोई भी कमेंट्स कर सकता है बिना किसी प्रूफ के। क्योंकि ज्यादातर मामले ऐसे हो गये, ज्यादातर मामले इसी प्रकार के आये हैं कि नेता और पुलिस पर जो मर्जी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। आज हमें आवश्यकता है कि हमारी जो फोर्स है उसको हम मोडिफाई करें। आज कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ मैं नहीं समझता कि जब तक उसमें कोई सिफारिश कहीं भी किसी भी प्रकार की, चाहे आम आदमी आंदोलन करे, चाहे वह रोड जाम करे, या कोई जन प्रतिनिधि फोन करे, उसके बाद वह फाइल चले, मैं नहीं समझता कि कोई मुकदमा आज ऐसा पेंडिंग हो कि सोलह साल बाद उस मुकदमे के लिए कहा जाये। क्या हमारी मानीटरिंग नहीं है कहीं भी, क्या हम इसको कहीं भी क्रोस चैक नहीं करते, काउंटर चैक नहीं करते कि किस प्रकार की फाइलें, किस प्रकार के मुकदमे अगर कहीं कोई दर्ज हो गया तो उस पर कोई कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है। आज मैं कहना चाहूंगा कि एससी.एसटी. के कितने मुकदमे ऐसे हैं जिनमें आपने अपराधियों को पकड़

(श्री टीकाराम जूली)

कर उनके खिलाफ चालान पेश किया है। वह इतने लज्जित हो जाते हैं, चक्कर काट-काट कर कि महीने, दो महीने में वे राजीनामा करने पर विवश हो जाते हैं। अगर हम रिकार्ड उठा कर देखेंगे इस प्रकार के प्रकरणों में तो ज्यादा से ज्यादा मामलों में एफ.आर. लगी मिलेगी। आज हमें यह चीज देखनी होगी, आज हमें उस व्यक्ति के बारे में सोचना होगा जिसके साथ कोई अपराध हुआ है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमें कोई ऐसा सिस्टम डवलप करना होगा, आज कोई भी व्यक्ति कोई मुकदमा दर्ज कराता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे लगता है कि उसकी जो जांच है वह सही नहीं हुई और वह किसी भी जन प्रतिनिधि के पास पहुंचता है या किसी बड़े अधिकारी के पास पहुंचता है और उसके बाद वह तफतीश चेंज हो जाती है और तफतीश चेंज होने के बाद में मान लो यह साबित हो जाता है कि पहले जो इसका जो अनुसंधानकर्ता था उसने जांच सही नहीं की और उससे बड़े अधिकारी ने उस जांच को गलत साबित करते हुए दूसरी जांच दे देता है तो आप जिस व्यक्ति ने गलत कार्यवाही की थी उस पर कार्यवाही करने का अपन क्या विचार रखते हैं? आज किसी में कोई डर ही नहीं है, जो मर्जी, जो पुलिस चाहे, उस प्रकार का आपका प्रकरण, उस प्रकार का चालान पेश कर सकती है।

और हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे यह मालूम रहे कि मेरी फाइल में आज क्या हो रहा है। जब उसे पता चलता है कि इस केस में तो चालान पेश हो गया और जो आठ मुलजिमों के इसमें नाम लिखवाये थे, उनमें से छह का नाम निकाल कर के दो लोगों के नाम चालान पेश कर दिया है। एक ट्रांसपेरेंसी का युग आया है, एक हाई टेक्नोलाजी का युग आया है, आज सारी चीज़ें इन्टरनेट पर आ रही हैं। आज हम क्यों नहीं, जो भी हमारा एफआईआर दर्ज कराने वाला है उसको उसके केस की रोजाना या वीकली उसको हम प्रोग्रेस क्यों नहीं बता सकते? आज हमारे उच्च अधिकारियों तक उसकी प्रोग्रेस आनी चाहिए कि कहीं भी कोई मुकदमा किसी थाने में दर्ज हुआ है उसकी पूरी, क्योंकि आज सारा एफआईआर का जो सिस्टम है वह कम्प्यूटराइज है। हमारी एफआईआर कम्प्यूटराइज दर्ज हुई है तो क्या हम उसका स्टेटस नहीं ले सकते? स्टेटस आता है लेकिन मुगम में आता है। एक साथ आता है कि इतने प्रकरण दर्ज हुए, इतने प्रकरण फाइल हो गए, इतने चालान पेश हो गए, बाकी इतनी चोरी की घटनाएं हुईं और इतनी लूट की घटनाएं हुईं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि हम केसवाइज कोई एक इस प्रकार से एक स्पेशल सैल गठित

(श्री टीकाराम जूली)

करें। जो सिर्फ इस चीज पर नजर रखें कि जो मामले दर्ज हुए हैं उनमें सही तौर पर कार्यवाही चल रही है या नहीं चल रही है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो पुलिस है उसको भी हाइटेक होना पड़ेगा। आज हर जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में हमें जो बहुत ज्यादा स्रोत और जिसके आधार पर हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं वह हमारा नेटवर्क है। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर, सीसीटीवी कैमराज के आधार पर हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब जल्दी सम-अप करें।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं अपनी बात। इस प्रकार के कैसेज, जो हमारे शोरूम हैं, दुकानें हैं या कोई बड़े इंस्टिट्यूट हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे के दम पर हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा हमारे अलवर पुलिस को, जिन्होंने अलवर शहर में इस प्रकार के सीसीटीवी कैमरे लगा कर के इस प्रकार की एक शुरूआत की है कि पूरी मानिटरिंग होती रहे। लेकिन हमारा जो जीपीएस सिस्टम है उसके बारे में हमारा एसपी रिपोर्ट करता है उसके दो बाद में उसकी जानकारी, हमारी काल डिटेल, हमारी लोकेशन उनमें निकल करके आना शुरू होती है। इसमें कोई ऐसा साफ्टवेयर सिस्टम खुद अपना डवलप करें जिसके आधार पर हम जब चाहें तुरन्त उसी वक्त उस चीज की लोकेशन मालूम हो और हम अपराधियों पर कार्यवाही कर सकें। एक बहुत बड़ी विसंगति इस चीज की भी है कि कोई भी थाना, चाहे वह अलवर ज़िले का हो, चाहे वह भरतपुर ज़िले का, वह बांसवाड़ा का हो, चाहे भीलवाड़ा का हो, सब में वहीं संख्या है। अगर अपराधों की हम बात करें तो आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कहीं अपराध हो रहे हैं तो अलवर ज़िले में हो रहे हैं। 14 हजार से ज्यादा एफआईआर वहां दर्ज हुई हैं। दूसरे जिले ऐसे भी हैं जिनमें 2 हजार एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस प्रकार का जो गैप है माननीय मंत्री महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जिस आधार पर क्राइम हो रहा है, जिस आधार पर एफआईआर दर्ज हो रही है। उसी आधार पर हमारे जो थाने हैं...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): उनमें स्टाफ की व्यवस्था की जाए। आज हमारा जो अलवर का जिला है वह बार्डर का जिला है। आधा जिला हमारा हरियाणा से लगता है और आधा जिला भरतपुर से लगता है और उस वजह से, क्योंकि क्राइम उधर बहुत ज्यादा है, इण्डस्ट्रीज आ रही हैं, हमारे थानों में इतनी संख्या है कि गांव का जो डवलपमेंट है या गांव के जो अपराध होते हैं उनके आधार पर स्टाफ लगायें। आज मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि हाइवे पर रोजाना लूट और चोरी की घटना हो रही है, यह बात सही है। वहां उतने ही लोग हैं, उन लोगों को आप चाहे थानों में रख लें, चाहे आप पुलिस चौकी में रख लें, चाहे उनसे हाइवे पेट्रोलिंग करा लें। जब तक हम हाइवे पेट्रोलिंग पुलिस के बारे में अलग से नहीं सोचेंगे। आज हमने जिप्सी तो अलग दे दी हाइवे पेट्रोलिंग की परन्तु स्टाफ तो वहीं से उन्हीं थानों में से हम लगा रहे हैं। एनएच-8 बहरोड़ और शाहजहांपुर-नीमराणा होते हुए निकलता है। आज यह जिस हाइवे की बात कर रहे हैं मेगा हाइवे भिवाड़ी से अलवर और अलवर से रामगढ-नोगावा होते हुए सोना गुड़गांव की बात करे। सबसे ज्यादा क्राइम इन जगहों पर हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन जगहों के आसपास अलग से चौकियां बने, उन थानों का स्टाफ बढ़े। अलवर जिले में ज्यादा क्राइम है तो अलवर जिले की पुलिस की व्यवस्था ज्यादा हो। इसके साथ-साथ, मुख्य तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि एक एडिशनल एसपी हैडक्वार्टर का जो पद है वह अलग से सृजित किया जाए। जो कि इस व्यवस्था की पूरी मानिटरिंग करें। आज जो पदस्थापित हैं, वह फील्ड में जा ही नहीं पा रहे हैं, वह तो हैडक्वार्टर वहीं का काम देखते हैं। बड़ी मुश्किल से आपके जो नार्म्स हैं कि इतने दिन में थाना चैक करना होगा, इतने दिन में डीएसपी कार्यालय चैक करना होगा, बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचते हैं। वह कहीं आमजन की बात सुनने के लिए, आम आदमी की बात सुनने के लिए कभी जा ही नहीं रहे हैं। इसलिए उनके लिए इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे खुद के क्षेत्र में कैरवावाल एक जगह है जो कि बहुत ज्यादा थाने से करीब 15-20 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और बार्डर है, वहां पर और उधर से आते हैं और क्राइम करके निकल जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि वहां पर चौकी बने। अकबरपुर जो पुलिस चौकी है, उसको थाने में क्रमोन्नत किया जाए। इसके साथ-साथ, एनसीआर का जो हमारा जिला है अलवर, नेशनल केपिटल रीजन में होते हुए भी क्या हम वह सारी सुविधाएं अलवर जिले की

(श्री टीकाराम जूली)

पुलिस को मुहैया करवा रहे हैं? आज हमारे एक तरफ हरियाणा है, वहां सभी सुविधाओं से लैस पुलिस है और थोड़ा सा आगे चलते ही दिल्ली है। जहां दिल्ली पुलिस का अपने आप में नाम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली और हरियाणा में गुड़गांव है वहां कमिश्नरेट प्रणाली है और उसके बाद अलवर। अलवर जिले को भी आप स्पेशल दर्जा देते हुए, स्पेशल वहां पर पुलिस की व्यवस्था करायें और पुलिस के अधिकारियों की व्यवस्था करायें। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आज हम पुलिस पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में पुलिस का मुखिया है उसको स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे रखा है। मैं यह चाहता हूं कि केबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो अभी जयपुर में घटना हुई है वकीलों और पुलिस की, उसमें भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास समय की कमी होगी, पूरा प्रदेश देखते हैं, बहुत सारे विभागों को देखते हैं। शायद केबिनेट मिनिस्टर होता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती थी। माननीय सभापति महोदय, वकीलों की जो यह घटना हुई उसमें जिस प्रकार से पुलिस की भूमिका रही, वह भूमिका ठीक नहीं है। वकीलों का जुलूस गया और जुलूस जाने के बाद में वहां पर, कुछ सीनियर मोस्ट वकील भी थे, हमारे पूर्व मंत्री माननीय भंवरलालजी शर्मा भी थे। जिनके बारे में माननीय भैरोसिंहजी शेखावत ने कहा था कि यह सोने से खरा है, ईमानदार हैं, सीनियर वकील है, आंखों से दिखता नहीं है, उनके ऊपर भी आंसू व गैस के गोले छोड़े गये। उनको भी हास्पिटल में भर्ती होना पड़ा। बहुत सारे सीनियर वकील थे, आखिर पुलिस को जब मालूम था कि इतना बड़ा वकीलों का जुलूस आ रहा है, सीनियर मोस्ट वकील हैं, तो माननीय गृह मंत्री महोदय, उनको वार्ता के लिए बुला सकते थे। उनको बुला कर के उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते थे और इस प्रकार की अशांतिपूर्ण घटना को रोक सकते थे। लेकिन इनके पास पावर नहीं है इनके पास शक्तियां नहीं हैं कि वकीलों को कोई आश्वासन दे सकते थे। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक बेरीकेड तोड़कर मान लो, चले गये तो पुलिस को यह हक नहीं कि वहां जाते

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

ही, बेरीकेड तोड़ते ही लाठी चला दे, दो-तीन बेरीकेड होने चाहिए और इस प्रकार से एकदम किसी भी जुलूस पर लाठी चलाना, गोली चलाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना यह कानून व्यवस्था की समस्या का समाधान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में और हमारे प्रदेश में कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं दुबई गया था वहां सोने की दुकानें लोग-बाग़ पर्दा लगा कर छोड़ जाते हैं, पर्दा भी नहीं लगाते, चोरी नहीं होती है। मैं जापान गया था वहां एक एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति के खून आ गया लेकिन वह शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। कोई आपस में झगड़ा नहीं। पुलिस आई और दोनों पक्षों का मौका-मुआयना किया और ले गई और हास्पिटल ले गई। गंगटोक है अपने यहां, वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी अच्छी है। क्यों नहीं, हम इस प्रकार के सख्त कानून बना सकते हैं जिसके आधार पर लोग-बाग़ कानून से डरें और पुलिस से भी डरें। मेरा सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, कि जो ट्रैफिक के एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटर व्हीकल के तहत एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें धारा 279 ए, ओवरलोड या लापरवाही से वाहन चलाने पर अधिकतम पांच साल की सज़ा का प्रावधान निश्चित रूप से होना चाहिए। अभी कितना प्रावधान है? अभी छह माह की सज़ा या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों। एक हजार रुपये का जुर्माना दे दे तो छूट सकता है आदमी। लापरवाही से आप गाड़ी चलाइये एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, कानून है। आप इस कानून में प्रावधान कीजिये। 304 बी, लापरवाही से वाहन चलाने से दुर्घटना के कारण मौत होने पर चालक फरार हो जाए तो उसे दो साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मेरा अनुरोध है कि ये सज़ा का ही प्रावधान होना चाहिए किसी व्यक्ति ने लापरवाही से किसी को मार दिया और उसको सज़ा में जुर्माना हो रहा है। यह प्रावधान कानून में बदलना चाहिए और इस प्रावधान को बदल करके पांच साल कम से कम उसको सज़ा होनी चाहिए इस प्रकार का प्रावधान हो और राज्य सरकार इस प्रकार के प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार को लिखे।

माननीय सभापति महोदय, धारा-336, लापरवाही से दूसरों की जान जोखिम में पड़ने की सम्भावना पर तीन माह की सज़ा या ढाई सौ रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब इसमें यह जुर्माने का प्रावधान तो हटाना

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

चाहिए न। ये क्या, जुर्माना या सज़ा, जुर्माना या सज़ा। धारा-335 लापरवाही से किसी को चोट लगने से जान खतरे में पड़ने पर 6 माह की सज़ा या पांच सौ रुपये का जुर्माना। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार को लिखे और आईपीसी की धारा में चेंजेज करवाये। धारा-338 है, लापरवाही के कारण किसी को गम्भीर चोट लगने के कारण जान की जोखिम पड़ने पर दो साल की सज़ा या एक हजार रुपये का जुर्माना। अब सब ये जो इम्पोर्टेंट मामले हैं इन सब में निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति ये जुर्म कर रहा हो, उसको सज़ा मिल सके। यह ब्रिटिश काल का कानून है और ब्रिटिश काल के कानून में ब्रिटिश आफिसर के द्वारा यदि किसी की लापरवाही से किसी की डेथ हो जाए गाड़ी चलाते हुए तो ब्रिटिशर्स को एग्जम्प्ट करने के लिए इस प्रकार के कानून बनाये गये थे। आज उन कानूनों की कोई औपचारिकता नहीं है उनकी कोई संगति नहीं है, उन विसंगतियों को निश्चित रूप से हमें दूर करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, 185 एमवी एक्ट, दारू पीकर चलाते हैं, फाइन का प्रावधान है। दारू पीकर चला रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं और प्रावधान क्या है, जुर्माने का। यह नान बेलेबल होना चाहिए। इम्प्रीजनमेंट का प्रावधान होना चाहिए इसमें। 494, 497 एक पति या पत्नी के रहते हुए सैकण्ड मैरिज, इसके प्रावधान हैं लेकिन पुलिस इन्वेस्टीगेशन नहीं करती है और पूरी रिपोर्ट नहीं देती है। जिसने एक पति रख लिया, एक पत्नी रख ली, दो पत्नी रख ली, तीन पत्नी रख ली, उसके बाद भी उसको सज़ा नहीं मिलती है, ये कानून के प्रावधान हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा 379, 380, 457 चोरी की धारा में 320 और 321 में कम्प्रोमाइज भी कर सकता है व्यक्ति। यह कम्प्रोमाइज किसलिए? ये कम्प्रोमाइज के प्रावधान हटने चाहिए। 498, 406 का दुरुपयोग हो रहा है दहेज प्रथा के तहत। इतना दुरुपयोग हो रहा है कि दहेज प्रथा के मामले में बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। किसी की भी नेचुरल डेथ हो जाए या किसी की और किसी कारण से डेथ हो जाए तो मां-बाप, पति, देवर-देवरानी वह सब जेल में ही पड़े रहते हैं। कई किस्से ऐसे हैं जिनसे जेल में मिल कर आते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब, हमारे को तो पता ही नहीं है। बूढे मां-बाप परेशान हो रहे हैं तो इस प्रकार के

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

प्रावधानों को चेंज करना चाहिए। एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। निश्चित रूप से हम सब लोगों को विचार करना चाहिए, आखिर हम सब विधायक हैं। हम सब लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और एक प्रस्ताव राजस्थान विधान सभा में लाना चाहिए कि केन्द्र सरकार इन मामलों को देखे। इन मामलों में सख्ती से कदम उठाये। प्रावधानों को चेंज करे और ये जो 498, 406 एससी/एसटी एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है, निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए। 304ए, ड्राइवर एक्सीडेंट करता है थाने में बेल हो जाती है। थाने में बेल हो जाती है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोर्ट में। मैं समझता हूं कि ये जो प्रावधान हैं इन सबको निश्चित रूप से हमको देखना चाहिए, ताकि जो अपराध करता है उस पर अंकुश लगे और उसको पुलिस का डर हो। आज जयपुर शहर में भी हम देखते हैं, थानों की लिस्ट है मेरे पास में, कितनी नफरी कम है। अपन जयपुर शहर में सुरक्षा चाहते हैं। अभी मेरे साथी ने कहा कि साहब, हमारे अशोकजी पींचा सदस्य हैं, एफआईआर नंबर 258, 7.12.2012, पचास लाख से ऊपर की चोरी हो गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, जब वे पुलिस के काफिले में जा रहे थे और उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ तो उन्होंने पुलिस के लोगों को कहा कि आप लगाम कसो तो माननीय स्टेट मिनिस्टर महोदय, आप भी जरा लगाम कसिये और इस प्रकार की घटनाएं नहीं हों और इस प्रकार की घटनाओं को हम रोकें और अपराधियों को हम पकड़ें, इसके लिए लगाम कसने की आवश्यकता है। नफरी बहुत कम है। आज प्रताप नगर में 21 कांस्टेबल कम हैं, जवाहर सर्किल में 21 कम हैं, शिवदासपुरा में 31 कम हैं, कालवाड़ में 24 कम हैं बहुत सारे थानों में कम हैं। पुलिस के लोग-बाग़ ही नहीं हैं। उनके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड है कि वे काम ही नहीं कर सकते। आज हर तीसरे दिन पुलिस पर हमला हो रहा है। राजस्थान सरकार का ये रिकार्ड है कि हर तीसरे दिन पुलिस पर हमला हो रहा है। सबसे अधिक पुलिसकर्मी यहां पिटे हैं। जोधपुर में 108, बीकानेर में 143, अजमेर में 124, जयपुर में 251, टोंक में 106, झुंझुनूं में 81, सीकर में 56, श्रीगंगानगर में 58 ये पूरी घटनाएं हैं। हर तीसरे रोज पुलिसकर्मी पिट रहे हैं पुलिस का डर नहीं है। साइबर क्राइम हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, साइबर क्राइम हो रहा है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। साइबर थाना बना दिया लेकिन एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि साइबर थाने का जो इंचार्ज है

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

उसकी खुद की ई-मेल आईडी भी नहीं है। मोबाइल से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं बैंकों से। बैंकों के खातों में ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। कम्प्यूटर ईमेल से इंटरनेट के द्वारा आर्थिक जगत में अपराध हो रहे हैं लेकिन हमारे यहां का साइबर थाना प्रभावशाली नहीं है। डी.जी. साहब बैठे हैं, जाकर देखिये उस थाने में क्या हालत है। मैं स्वयं गया था। खुद इंचार्ज साहब कहते हैं कि हम क्या करें, साहब, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। पैसा दे दिया उसके बाद भी हमारा ई-मेल आईडी नहीं है मोबाइल नहीं है हमारे पास में, किस प्रकार से हम इन्वेस्टिगेशन करें? इतने बड़े-बड़े आर्थिक अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं और उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। पैसा दे दिया लेकिन उसके बाद भी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ थाने का। जयपुर शहर में यदि कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो उसका कोई इंचार्ज नहीं है। कई बार मैंने इंचार्ज साहब को कहा कि साहब, आप जरा देखिये ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं लोग फेक अकाउंट खोल रहे हैं, फेक ई-मेल भेज रहे हैं और वहां पैसे ट्रांसफर हुए हैं इनको पकड़िये तो वे कहते हैं कि साहब, हमको ला एंड आर्डर में लगा रखा है हम किस प्रकार से इनका इन्वेस्टिगेशन करें।

माननीय सभापति महोदय, फेसबुक, मोबाइल, इंटरनेट ये बहुत बड़े क्राइम हैं, इन पर निश्चित रूप से हमको लगाम लगानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज हुई, फिर चालान हुआ, कितना टाइम लगा चालान पेश करने में और कितने परसेंट लोगों के चालान हुए? आखिर उसमें टाइम लगता है क्रिमिनल्स को पनिश्मेंट नहीं होता है। हमारे यहां यह इन्वेस्टिगेशन सिस्टम होना चाहिए कि कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, उसमें से कितने परसेंट लोगों का चालान हुआ है और चालान के बाद में पनिश्मेंट कितना हुआ है और फिर कितने लोगों को जेल में सज़ा हुई है। मेरे हिसाब से 80 परसेंट अपराधी बच जाते हैं। हमारे यहां यह सिस्टम है, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): एक मिनट। आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि अपराधी में खौफ हो, अपराधी डरे। पुलिस से डरे, पुलिस की वर्दी से डरे। जिस प्रकार का खौफ बाहर के मुल्कों में है उस प्रकार का खौफ हमारे यहां भी हो। वह भी इंसान हैं, हम भी इंसान है। कानून में परिवर्तन करके हम इस प्रकार का काम कर सकते हैं।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस की जब सीधी भर्ती हो रही है, मैं यह कह रहा हूं कि डाक्टर्स की कमी है, डाक्टर्स वहां जा नहीं रहे हैं, टीचर्स की कमी है लेकिन कांस्टेबल के 10 हजार पदों के लिए 12 लाख आवेदन आए हैं, आप कांस्टेबल भर्ती तो कीजिए। क्या दिक्कत है कांस्टेबल भर्ती करने में? लेकिन भर्ती ही नहीं हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कांस्टेबल भर्ती हो उसकी बेसिक ट्रेनिंग कम्प्यूटर से हो। मालखाने में ज्यादातर आइटम इंश्योरेंस कम्पनी के हैं अगर उनको छुड़ाया जाए तो थाने से माल कम होगा। थानों में सीसी टीवी, एसीएएमएआर की अनिवार्यता हो ताकि थानों में होने वाले हादसों की जांच हो सके। माननीय सभापति महोदय, थानों में मुलजिमों की डाइट 15 रुपए है जिसको बढ़ाया जाए। बेसिक ट्रेनिंग में एक विशेष मानवाधिकार एवं आपदा प्रबंधन का कोर्स होना चाहिए। आपदा प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है, कभी भी आ सकती है। हमारे जितने भी पुलिस के जवान और अधिकारी हैं उनकी एक सोच होना चाहिए कि कोई भी आपदा हो जाए, आग लग जाए, आतंककारी घटना हो जाए, कोई और दुर्घटना हो जाए तो उसमें किस प्रकार से हम लोगों को बचा सकें और उनको सहायता पहुंचा सकें, इस प्रकार की व्यवस्था पुलिस के अधिकारियों में होनी चाहिए, पुलिस को बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रत्येक सिपाही के पास में एक वायरलैस होना चाहिए। थानों पर आधुनिक इन्वेस्टिगेशन रूम होने चाहिए। आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, थर्ड ग्रेड का इन्वेस्टिगेशन तो अब बंद हो गया और कई बार करते भी हैं तो वह गलत करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रूम होना चाहिए। हमारे यहां आदर्श थाने होने चाहिए। जिस प्रकार से यह विधायकपुरी थाना है हमारी सरकार ने बनाया था। माननीय मंत्री महोदय, आप जाकर देखिए कई इस प्रकार के थाने हैं, जो आदर्श थाने हैं, जहां पर विकलांग भी जा सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अब कृपया।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जहां पर पूरी तरह एफआईआर दर्ज होती है और वहां पर कैदियों से भी अच्छा व्यवहार होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों के वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए ताकि वह लोग भी आराम कर सकें। सभापति महोदय, स्टाफ की नफरी पूरी हो, आपने मुझे समय दिया आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और पासपोर्ट के मामले

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

में भी मेरे साथी विधायक बोलना चाहते हैं कि ...(व्यवधान) सही ढंग से हो जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: बोल जाएंगे, आप विराजो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (अनुपस्थित) ।श्री रूपारामजी डूडी।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस पर जो डिमांड हो रही है उसमें मेरे सभी साथियों ने अपने अपने सुझाव दिए। राजस्थान में जिस तरह से अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं इसकी रोकथाम के लिए हम बराबर व्यवस्था नहीं करेंगे तो प्रतिदिन यह बढ़ती जाएगी और प्रदेश की हालत खराब हो जाएगी। मैं मेरे जिले की बहुत बड़ी घटना और आपराधिक मामले के बारे में आपको बताना चाहता हूं। फोगावट हत्याकांड एवं जीवणराम गोदारा हत्याकांड के बहुत ही बड़े अपराधी ने एक गेंग के रूप में पूरे प्रदेश में काम किया। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं नामजद एवं ईनामी कुख्यात अपराधी आनन्दपाल सिंह को 13 नवम्बर, 2012 दीपावली को एसओजी एवं एटीएस की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किया। इन्हें पकड़ने में कामयाब यह टीम निरन्तर सक्रिय थी। इस कार्यवाही को अंजाम देने वाले एसओजी एवं एटीएस के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को इन्हें पकड़े जाने के फलस्वरूप देय ईनाम पारितोषिक, पदोन्नति या अवार्ड ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को दिये जाने की फाइल पत्रावली चलाई हुई है जो कि इन अपराधियों को निरन्तर संरक्षण देकर इनकी मदद कर रहे थे। इन्हें गिरफ्तारी से बचा रहे थे। वास्तव में जिन अधिकारियों, कर्मचारियों ने अपनी जान

(श्री रूपाराम डूडी)

जोखिम में डाल कर इनको गिरफ्तार किया, आज उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि मोटर साइकिल नम्बर आरजे 14 एचएस 1013 की फरवरी, 2011 से फरवरी 2012 तक की लोगबुक व मोटर साइकिल नम्बर आरजे 14 एचएस 9115 की 1 अगस्त, 2012 से लोगबुक की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि यह दोनों वाहन इन अपराधियों को पकड़ने के लिए कहां-कहां किसके माध्यम से घूमे, इसका आज ईनाम के समय कहीं कोई नामोनिशान नहीं है। वर्ष 2010 में एडीजे कपिल गर्ग साहब द्वारा इनकी गिरफ्तारी की मुहिम चलाई गई थी, वही टीम सरकारी घोषणाओं की हकदार है। गिरफ्तारी से कुछ दिन पूर्व ही आनन्दपाल सिंह जयपुर के बिड़ला आडिटोरियम में अपनी पुत्री के स्कूली कार्यक्रम में आया था जिसकी जानकारी राज्य के पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के पास थी लेकिन तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इसकी भी जांच कराई जाए। उसी वक्त एसपी शान्तनू सिंह एवं सीआई मदनसिंह दरोगा के घर पर आनन्दपाल सिंह रात भर जयपुर में रुका, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? उनके घर पर वह पूरी रात रहा था और बिड़ला आडिटोरियम में जब उनकी बच्ची को ईनाम दिया गया, वहां वह उस प्रोग्राम में शामिल हुए। आज भी जेलों में आनन्दपाल सिंह, बलबीर बानूडा, दातार सिंह, सुरेश पाटीदार, रामसिंह परावा, दातारसिंह के भाई मनजीत सिंह, रुपेन्द्रपाल सिंह आदि जेल में बंद रहकर जेल के बाहर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जेलों में इन्हें अलग-अलग नहीं रखा जा रहा है। यह आये दिन षड्यंत्र रच रहे हैं एवं अपराध को अंजाम दिला रहे हैं। इन्हें जेलों में सुख-सुविधा एवं मोबाइल सेवा गैर कानूनी तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। अन्दर बैठ कर यह अपराधी लोग अपना कारोबार चला रहे हैं। इन्हें कहां-कहां से किस प्रकार से संरक्षण मिला हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए थी। लेकिन पकड़ने के बाद में पुलिस ने किसी तरह की उच्च स्तरीय जांच नहीं की एवं उनको इस तरह से रखा गया।

(16.45 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि गिरफ्तार सभी अपराधी गवाहों एवं उनके परिजनों तथा इनके विरुद्ध केस दर्ज कराने वालों को आये दिन जान से मारने की धमकियां एवं डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं। आनन्दपाल

(श्री रूपाराम डूडी)

सिंह की गैंग का तानाबाना बहुत बड़ा फैला हुआ है। यह गैंग राजस्थान के 10 जिलों में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, अजमेर, जयपुर, नागौर व बिजोलिया, विजयनगर, किशनगढ़, कुचामन, लाडनूं, सुजानगढ़, डीडवाना व राज्य के बाहर भी अन्य राज्यो में अवैध वसूली, गैर कानूनी कारोबार, लूट, चोरी, डकैती, हत्या के प्रयास, डराने धमकाने, जमीनें हड़पने, प्रतिबंधित हथियार खरीदने बेचने व अपने पास रखने के तमाम गैर कानूनी कार्यों का साम्राज्य फैला हुआ है, लेकिन आज तक जांच अधूरी है। इनके पास जो हथियार पकड़े गये एके 47 है, कार्बाइन है, 12 बोर हैं, बुलेट प्रुफ जाकिट हैं। यह सारे किसके माध्यम से इनको मिले। इनको 2006 से लेकर 2012 तक किन-किन लोगों ने संरक्षण दिया? इन लोगों के पीछे कौन हैं, इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। राजस्थान पुलिस के संरक्षण के कारण यह लोग इतने लम्बे समय तक घूमते-फिरते रहे और अवैध काम के लिए इनको पूरी छूट मिलती रही। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं इन अपराधियों के परिजनों, गैंग सदस्यों एवं उनके परिजनों व मित्र मंडली के नाम आज भी अकूत सम्पत्तियां मौजूद हैं, नामी बेनामी सम्पत्तियां मौजूद हैं। बैंकों में खाते हैं, लाकर हैं। सरकार द्वारा इनकी ऐसी सम्पूर्ण अवैध सम्पत्ति को जब्त नहीं किया गया है। खातों की जांच भी नहीं की गई है। फर्जी आईडी कहां, किसने, किस आधार पर बनाई, इसकी भी जांच नहीं की गई है। इन अपराधियों के पास एके 47, कार्बाइन, 12 बोर, बुलेट प्रूफ जाकिट, जर्मन गन, मैंने अख़बार में पढ़ा कि शायद एक ही गन थी, इस तरह के हथियार इनके पास पहुंचे। कहां से यह हथियार प्राप्त हुए, एक आतंकवादी संगठन के द्वारा ही यह हथियार मिल सकते हैं।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी बना कर करने के लिए मैंने सीएम साहब को और डीजी साहब को भी निवेदन किया लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। गृह मंत्रीजी को मैंने इस बारे में निवेदन किया लेकिन गृह मंत्रीजी के, शायद यह मेरे काबू के बाहर का मामला दिख रहा है, हो नहीं सकता। गृह मंत्रीजी, मैं इस मामले में यह चाहता हूं कि यह सीआईडी, सीबी, भारत सरकार के द्वारा जांच करवाई जाए तो इनके पीछे कौन-कौन हैं, कहां से हथियार मिले, जहां तक मेरी जानकारी में है, जो टीमें यहां काम कर रही थीं, इन टीमों के पास में पूरे 6 साल का रिकार्ड है और इनके टेलीफोन टेप किए गए। जो मिलिट्री में अफसर है, आंतकवादियों को मार गिराया, उनके हथियार मिले, जहां तक मेरी जानकारी

(श्री रूपाराम डूडी)

है, मिलिट्री के एक गनमैन के द्वारा जिनका नाम आपके टेलीफोन, टेपरिकार्डर में है जे.डी. खान, जो सुजानगढ़ के रहने वाले हैं उनके द्वारा मिलिट्री की गाड़ी से 6 राइफल सप्लाई के लिए इनको लाकर दी गई। आपको इसकी पूरी तरह से जानकारी है। मैं यह चाहता हूं कि इतना बड़ा जुल्म होने के बाद, राजस्थान सरकार, पुलिस और अधिकारी सब कान में तेल डाले हुए हैं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि इस बारे में पूरी जानकारी लेकर, जो सब लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो। किन-किन लोगों ने संरक्षण दिया, यह 6 से 12 तक किन-किन लोगों के सम्पर्क में रहे, इन लोगों का इतना लम्बा टाइम, कौन-कौन पास कराने में थे और किन लोगों का आशीर्वाद था, इस बात का खुलासा होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा गम्भीर मामला है, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। एक से एक अपराध में लोग जुड़ते जा रहे हैं, इन लोगों को देख कर दूसरे लोग भी कमा कर खाने से विचलित होकर, कि इस तरह के काम में अपन लग जाएं, इन लोगों के साथ लग जाएं, अपन भी इस तरह से मौज मस्ती करेंगे। मैं यह मांग कर रहा हूं कि जो उनके पास गाड़ियां हैं और पुलिस के पास जिन गाड़ियों के नम्बर आए हैं, टेलीफोन के माध्यम से टेप किए गए, उन गाड़ियों को, कितनी गाड़ियों को सीज किया और किन-किनके पास वह गाड़ियां है और अभी तक क्यों नहीं सीज की गईं? इनकी जो बेनामी सम्पत्ति है उनको जब्त क्यों नहीं किया जा रहा है, इस बारे में पूर्णत: जांच होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा-मोटा अपराध का मामला नहीं है। एक नहीं, सैकड़ों केस इनके खिलाफ हैं, डकैती के, लूट के, मर्डर के। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि सुजानगढ़ हत्याकाण्ड में धोले दोपहर इन्होंने हत्या की। उस हत्या से पहले एक नरसिंह बानूड़ा का अपहरण किया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रूपारामजी, एक मिनिट, आप किसी अधिकारियों को नामजद नहीं, पदनाम बोल दें। आवश्यक हो तो उपयोग करें, नाम का उपयोग नहीं करें।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि नरसिंह बानूड़े का सीकर से अपहरण किया, स्कार्पियों गाड़ी थी और उसको चार दिन तक, रामसिंह परावा गांव गए तो रामसिंहजी परावा ने कहा कि कल सुजानगढ़ मेरे साथ घटना हो गई, धोले दोपहर वह गए और फायरिंग की, चार आदमियों के गोली लगी और उसके बाद 15 किलो मीटर जाकर एक आदमी को मार गिराया। उसके बाद में चार दिन तक उस बानूड़े को नरसिंह बानूड़े को

(श्री रूपाराम डूडी)

लिए घूमते रहे और उससे 10 लाख रुपये फिरौती के लेने के बाद में उसको बांटड़ी स्टेशन पर ड्राप करके वह लोग बोम्बे के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में, गुजरात में एक्सीडेंट हुआ, यहां की एसओजी की टीम गई, बोम्बे में जाकर भर्ती कराया। यहां से एसओजी की टीम जाने से पहले तीन अस्पताल चेंज कर दिए। उस बानूड़े को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और वहां किसी को गिरफ्तार नहीं कर सके। एक रामसिंह परावा ही ऐसे थे, उनकी हालत खराब थी, सीरियस थे, मरने की स्थिति में थे, तो वहां से उसको एक को गिरफ्तार किया, उनके साथ दो लड़कों को और गिरफ्तार किया। संदीप नाम बता कर, फर्जी नाम बता कर, वह बीकानेर के रहने वाले हैं और बीकानेर से पांच लाख रुपये इलाज के लिए लेकर फ्लाइट से गए थे। बीकानेर में कांता कथूरिया कालोनी में रहने वाला एक आदमी, उनको बोम्बे भेजा। मेरा निवेदन है कि पुलिस के वहां गिरफ्तार करने के बाद में यहां लाकर संदीप नाम से जिस लड़के को गिरफ्तार किया उस लड़के को भी छोड़ दिया, तो मैं यह मानता हूं कि इसके पीछे पूरी तरह से लोग सपोर्ट में हैं और इतने बड़े अपराधी होने के बाद में उनको बचाया जा रहा है। इस जांच को एक टीम बना कर, राज्य स्तरीय टीम बनाएं और इसमें पूरी तरह से जांच हो। सीआईडी, सीबी से इसकी जांच कराने का निवेदन कर रहा हूं। यह मैं आपको बिल्कुल पुख्ता रिपोर्ट के साथ में कह रहा हूं। आपने मेरे को टाइम दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): इसके साथ-साथ, रामकिशन जो पेशे से वकील हैं वह सिनोदियाजी के लड़के के मर्डर में मुलजिम थे और गवाह थे। उन गवाहों को मराने के लिए मध्यप्रदेश से जो आदमी लेकर आए थे वे लोग पकड़े गए। उस वकील का एटीएस या एसओजी ने चालान कर दिया, जयपुर में यहां घूमता रहा और आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे गम्भीर और क्या बात हो सकती है? सदन के सदस्य होते हुए उसके लड़के का मर्डर हुआ और उसमें मुलजिम और मुलजिम होते हुए उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया, बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपा करके इसमें गम्भीरता दिखायें और राजस्थान में इस तरह का मैसेज दें कि आम आदमी का जीना दूभर नहीं हो और आम आदमी आराम से जी सके, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती प्रोमिला कुण्डाराजी।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्षजी, आज मांग संख्या 16, 17 पर बोलने का मुझे मौका मिला।

श्री उपाध्यक्ष: गम्भीरता से बोलें पाइंटेड बात, क्योंकि समय की बात है ना।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): मैं बैठ जाती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वह तो आपकी इच्छा है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): मैं तो पहली बार, न तो राज्यपाल के अभिभाषण पर, न बजट पर, किसी पर नहीं बोली और अब बोल रही हूं तो आप कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वह पार्टी से पूछिये। पार्टी का नाम है लेकिन चूंकि समय के लिए भी पार्टी...

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ठीक है उपाध्यक्षजी। उपाध्यक्षजी, पिछले टाइम देखा जाता था कि विवाह होता था और बच्ची का रिश्ता आता था तो पूछा जाता था कि बच्चा क्या कर रहा है, पता चलता कि पुलिस में है, तो बड़े स्वाभिमान से बच्ची के माता-पिता, परिवार वाले कहते कि हमारा होने वाला जंवाई पुलिस में है, बहुत अच्छा माना जाता था रिश्ता और शादी हो जाती थी। आजकल के दौर में जब भी लड़के का रिश्ता लड़की के पास आता है तो मां-बाप यह पूछते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। पता चलता है कि लड़का पुलिस में है तो मां-बाप कहते हैं कि हमें माफ करो, पुलिस में है तो हम नहीं करेंगे। कारण बहुत से हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह सिरियस बात कहना चाहती हैं, इसको मजाक में मत लीजिए। कोई बात होगी। माननीय सदस्या को बोलने दें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): एक तो कारण यह है कि पुलिस वैसे ही बदनाम है। दूसरा, चार साल से देखने में आ रहा है कि पुलिस हर जगह पिट रही है। कोई भी मां-बाप नहीं चाहेगा कि उसका जंवाई सड़क पर पिटता हुआ दिखे या रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, क्योंकि आजकल पुलिस वाले भी बहुत पकड़ में आ रहे हैं। सीबीआई बहुत पकड़ रही है। इसलिए हर मां-बाप चाहता है कि मेरी बच्ची का रिश्ता ऐसी जगह हो जो सम्मानजनक पद पर हो, अच्छी नौकरी करता हो।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो एसीबी पकड़ती है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): बड़ा शोचनीय विषय है यह।

श्री उपाध्यक्ष: एसीबी भी पुलिस की ही है ना?

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): नाम तो पुलिस का आ रहा है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल हर तरह से पुलिस बदनाम है। करें तो बदनाम, नहीं करें तो बदनाम। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रही हूं, अभी बजट में घोषणा की कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की 30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना की जाएगी। मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप यह मैनेजमेंट सिस्टम तो चालू करें लेकिन ट्रैफिक में जो भी आएं, उनको यह जरूर बता दें कि जो पैसे का जो लेनदेन है वह किस मैनेजमेंट के तरीके से करोगे आप। प्राय: देखा जाता है, मैं चाकसू जाती हूं तो शिवदासपुरा थाने के आगे दो ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, एकदम जस्ट सामने। ट्रकों को या और सवारी गाड़ियों को, लोडिंग गाड़ी को रोके रखते हैं। मेरी गाड़ी दिख जाती है तो मुंह फेर लेते है, नहीं दिखती तो 100-200 रुपये उनकी जेब में होते हैं, यह हकीकत है। वहां पर जितनी भी दुकानें हैं, वहां एक दुकान है, वहां एक आदमी है, जो यह लेनदेन करता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पुलिस जो बदनाम हो चुकी है, चाहे वह ट्रैफिक पुलिस हो या दूसरी पुलिस हो, कैसे सुधारा जाए।

(17.00 बजे)

जैसा कि भाटी साहब ने कहा था कि समाज अगर सुधर जाएगा तो पुलिस, कानून की कोई जरुरत नहीं है। तो समाज को सुधारने के लिये भी पुलिस को ही काम दिया जाता है। क्योंकि जो भी अपराधी आता है, जब तक पुलिस अपने सुविचारों से या उसको किसी तरह से जो जेल में बंद होते हैं, उनको अच्छी बातें या उनके अच्छे व्यवहार, जो जेलों में काम होता है उनको करवायें तो हो सकता है, धीरे-धीरे उनके मानसिक विचार चेंज हों। सामाजिक रहन-सहन में वह आने लग जाएं।

मेरा यह कहना है कि ट्रैफिक पुलिस जो कोटखावदा मोड़ पर रहती है। मैंने शायद पहले भी यह बात कही थी कि ओवर-लोड सवारियों की जो गाड़ी है, उसमें आये दिन ओवर-लोड सवारी गाड़ी जाती रहती है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है आराम से, या चाय की थड़ी पर चाय पीती मिलेगी या किसी ठेले के पास जो उसमें सब्जी है, टमाटर, खीरा खाती हुई मिलेगी। कोटखावदा मोड़ पर आप जाकर देखियेगा। मैंने कई बार बता दी यह बात। ट्रैफिक पुलिस वालों को बोला मैंने कि आप यहां खड़े-खड़े चाय पी रहे हो, वहां पर देखो,

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

सवारी गाड़ी कैसे लद कर जा रही है। उन्हें रोकते क्यों नहीं हैं? लेकिन अभी तक कोई असर ही नहीं हो रहा। मंत्रीजी, आप बहुत सरल विचार के हैं तो आपको थोड़ा कड़क होना पड़ेगा। जब तक आप आदेश नहीं देंगे इस तरह का कि कोई भी ऐसा काम नहीं हो, आप जानकारी नहीं लेंगे तब तक इसमें सुधार नहीं आएगा।

मैंने पहले भी बताया था कि चाकसू विधान सभा में पहले चोरियां नहीं हुआ करती थीं। लेकिन पता नहीं चार साल में क्या हुआ है, चोरियां बहुत होने लगी हैं। एक शेर कहना चाहूंगी,

‘तू इधर-उधर की न बात कर, तू बता यह काफिला क्यों लुटा
मुझे रहजनों से है क्या गरज, तेरी रहबरी का सवाल है’।

तो आप पर सवाल उठता है, मंत्रीजी, इसलिये कह रही हूं कि चोरियां इतनी हो रही हैं। माधोराजपुरा पंचायत के अन्दर आप यह देखिये कि छह बार, 6 दिसम्बर को हुई चोरी, 6 दिसम्बर से अब तक पांच बार चोरी हो चुकी है। उससे पहले घरों में दहशत थी कि रात के 8 बजते ही लोग-बाग़ डण्डा लेकर खड़े हो जाते थे। क्योंकि कब, कौन, किसके घर में आ जाए। माथा फोड़ दे, पत्थर लेकर आते थे। पत्थर फेंकते थे या लाठी से मारते थे, या उनके हाथ में चाकू-छुरा हुआ करता था। उससे मारकर उनके वहां चोरी करके ले जाते थे। इस तरह की चोरियां हुईं। लेकिन आज साल भर होने को आ रहा है और 6 दिसम्बर से अब तक जो पांच बार चोरी हुई है, गणेश मंदिर में हुई है, जैन मंदिर में हुई है, जिसमें चार बहुमूल्य पत्थर की मूर्तियां लेकर गये। आज दिन तक उनका पता नहीं चला। मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो माधोराजपुरा में भी थाना खोला जाए। चौकी से काम नहीं चलेगा। क्योंकि चौकी के सामने वह जैन मंदिर था, वहां पर चोरी हुई। लेकिन अभी तक इन चोरों का पता नहीं चला। न वहां पर साल भर से चोरियां हुईं, उनका पता चल रहा है। किसने किया, किसने नहीं किया। सबसे बड़ी बात, अभी हाल की बात है एक तारीख को जो पोखर की हत्या हुई, आज 19 तारीख हो गई। लेकिन अब तक पता नहीं चला उन हत्यारों का कि कहां गये, कहां नहीं गये। जबकि वहां पर, वे खुलेआम घूम रहे हैं। उसकी हत्या किस प्रकार हुई है, वह भी आपको मैंने बता दी थी। उसकी राख का भी नमूना नहीं लिया गया। उसकी राख, पता चले वह विस्फोटक पदार्थ कहां से आया। इस तरह की सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो इस पर थोड़ा गौर करें और जल्दी से जल्दी हत्यारे

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

का पता चले। छह महीने पहले दो बच्चे तालाब में डूबे हुए मिले थे। उनकी हत्या हुई थी। मेरे पास दोनों की एफ.आई.आर. की कापी है। उन हत्यारों का अभी तक पता नहीं चला जबकि नामजद लिखा हुआ है कि किसने हत्या की है। लेकिन अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। उससे 7-8 महीने पहले दो दिन के अंतराल में सैनी समाज के तीन बच्चों की लाश कुएं में मिली थी। उनका भी अभी तक पता नहीं चला। उनको भी सुसाइड केस बना दिया गया। मेरे कहने का मतलब है मैं मानती हूं कि पुलिस के पास बहुत काम होता है। जब भी कोई मंत्री आता है, बाहर से कभी वी.आई.पी. आते हैं तो बेचारे, बेचारा ही कहना पड़ेगा, रात-दिन लगे रहते हैं वह लोग। हमें भी दया आती है। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि यह 8-8, 6-6, साल-साल भर के केसेज को वह लोग सोल्व नहीं कर सकें। इस सब से सरकार के ऊपर अंगुली आती है। जनता सरकार को देखती है, पुलिस वालों को नहीं देखती। वह यही कहेगी कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सो रही है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप और हम उस तरह के कड़े आदेश पुलिस प्रशासन को नहीं देंगे, तब तक वह काम नहीं करेगा। आपको सख्त होना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि यह जो केसेज मैंने बताये हैं उन पर ध्यान दें। 19 तारीख हो गई, अब तक उस हत्यारे का पता नहीं चला। उसके बाप की क्या हालत है, पता नहीं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी। यह जनता की राय है जो मैं आपके सामने कह रही हूं।

सुर है न ताल है, बस नाम की सरकार है,
जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, बस में नहीं रफ्तार है
जिम्मेदारी से इन्कार है, बस नाम की सरकार है
आंख दिखाते लोग हार कर, क्रोधित होते बात-बात पर
चुप बैठे हैं, पर समझदार हैं, बस नाम की सरकार है
इतना उन्नत अर्थशास्त्र है, डगमग नैया मंझदार है
भूखा आदमी पानीदार है, बस नाम की सरकार है
सूखे वन-उपवन तरसे, अति और अनावृष्टि में उलझे
यही इनका कारोबार है, बस नाम की सरकार है।

यह सब जनता की राय है। सरकार के ऊपर से उनका विश्वास उठ चुका है। वह यही चाहती है कि कब सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, गरीबों की

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

तरफ ध्यान दे। आपकी घोषणाओं से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, जब तक कि उनको न्याय नहीं मिले। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अलाउद्दीनजी आजाद।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम।

श्री उपाध्यक्ष: इनके बाद आप आ रहे हैं। फिर धानकाजी आएंगे। (व्यवधान) आप तो बोलिये। समय की बात है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट की मांग के बारे में और जेल डिपार्टमेंट की मांग की बारे में बहुत सारांश से अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय देवीसिंहजी भाटी और माननीय खाचरियावासजी बोले तो मैं सुन नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं, आप तो अपनी बात कहें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): इनसे सीखने को मिलता है। मगर मैं बहुत सारांश में यह बात कहना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बातचीत करने में एक तरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। यहां भी, इस न्याय के मंदिर में एक तरफा बात करने लग गये लोग-बाग़ और दूसरों की तरफ इशारा करने लग गये, थुक्का-फजीती करने लग गये, आलोचना-प्रत्यालोचना करने लग गये। दोनों तरफ की बातचीत रखनी चाहिए तब समाज में सुधार होगा। पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें नि:सन्देह, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि वाकई बदनाम, नाम पुलिस का आते ही लोगों के नाक-भौंह सिकुड़ जाते हैं। नेताओं का नाम आने पर भी सिकुड़ जाते हैं। उनके लिये यहां पर अभी कुछ नहीं हुआ। किसी पर उल्टे-सीधे लोगों ने यहां भ्रष्टाचार के आरोप लगाये। मगर मैं पहली बार देख रहा हूं राजस्थान पुलिस में कि हम 50 तरह से यह आलोचना करते आ रहे हैं कि पुलिस पकड़ती है, दूसरे लोगों को पकड़ती है, कभी अपने लोगों को नहीं पकड़ती है। पिछले इन 3-4 सालों में जो भ्रष्टाचार के केस पकड़े गये हैं, उनमें एक रिकार्ड मामला है कि आप रोजाना सुनिये, वह भ्रष्ट लोग रोजाना पकड़ में आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में यह एक संदेश है कि वास्तव में ईमानदारी से उनको पकड़ा जा रहा है। जो लोग पकड़ रहे हैं उनकी ईमानदारी पर किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता। 1134 आदमी अब तक पकड़े गये हैं। 178 आदमी उसमें गजेटेड आफिसर हैं। 88 पुलिस के आदमी उसमें पकड़े गये हैं। हर तरह की बेईमानी

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

के अलग-अलग सिटी में पकड़े गये। इस सरकार ने जो भ्रष्टाचार के बारे में लोग बात करते हैं, एक उदाहरण दिया है देश के सामने कि अगर ईमानदारी से भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जाए तो एक रिकार्ड कायम किया जा सकता है। इसलिये पिछले साल में जिन भ्रष्ट लोगों को हर डिपार्टमेंट के छोटे और बड़े लोगों को पकड़ा गया है, वह एक उदाहरण है। इसके लिये प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस बदले हुए परिवेश में हजारों तरह के गुण्डों और बदमाशों ने और बहुत बड़ी भीड़ और बहुत बड़ी आबादी बढ़ जाने के बाद में अपने तरीके, चोरी के तरीके, मारने के तरीके, हत्या के तरीके, अपहरण के तरीके, नये-नये तरीके ईजाद कर लिये हैं।

यह सही है कि उतने उपकरण, उतनी सुविधाएं, उतने साधन जो हमको उपलब्ध करवाने चाहिए वे हम उपलब्ध नहीं करवा पाए। माननीय देवीसिंहजी भाटी ने कहा कि समाज का भी कुछ कर्तव्य होता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बार-बार जवाब मत दो, आप तो अपनी बात कहें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप यह देखते हैं कि समाज में भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है और यहां पर न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जितने अपराध होते हैं उन अपराधों को, न्यायपालिका कब छोड़ दे, कितने लम्बे कर दे, उसके बारे में सबसे बड़ी जिम्मेदार आज की तारीख में जो है वह न्यायपालिका है, उसका भी सही नहीं है।

अभी वकीलों के और पुलिस वालों के मामले में बातचीत की गई। इस स्थिति में लोग ड्यूटी देते हैं। आप ड्यूटी दीजिए। लोगों को रोकिए तो कुछ नहीं। आप पिटाई मत करिए तो आप कहते हैं कि पिटाई नहीं की। उसके बाद में यह हो जाता है कि अगर एक ऐसी स्थिति को रोकने की कोशिश की गई तो फिर दोषारोपण करके अदालत यह फैसला कर देती है कि इन्होंने यह गलत किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह की अराजकता रही और इसी तरह के हालात न्यायपालिका करती रही। इसी तरह की, आज पूरे प्रदेश में इस बात की है कि इस तरह से पुलिस के लिए किसी समय में आनन्द लालजी मुल्ला ने यह कहा था कि यह आर्गेनाइज्ड गैंग आफ गुंडाज है मगर आज मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा वह भी सही कहा था मगर यह भी सही है कि आज यूनियनबाजी के

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

नाम पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और मन चाहे जायज, नाजायज करके पूरे समाज की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देते हैं। एक एक्सीडेंट हो गया तो लोगों द्वारा चार-चार, पांच-पांच, आठ-आठ घंटे तक जाम लगा दिया गया। किन-किन लोगों को क्या-क्या परेशानी है? इनती-गिनती के पुलिस के लोग क्या उनको रोक पाते हैं? उनके बारे में लोगों ने कभी नहीं सोचा। हास्पिटल में बड़ी सीरियस हालत में आदमी गया। मरीज मरा और उसके बाद में घर वालों ने डाक्टर्स को, सबको मारना चालू कर दिया। तो याद रखिए कि कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए हमें कई मापदंड अपनाने होंगे। एक तरफ तो हमें सुविधाएं बढ़ानी होंगी। एक तरफ तो लोगों को प्रशिक्षण देना होगा। एक तरफ लोगों को चरित्र को ऊंचा करके और ऐसे लोगों को, चरित्रवान लोगों को आगे लाना होगा जो इसको राष्ट्रीय दृष्टि से, ईमानदारी से पूरा कर सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 50, जो चोरियों का मामला चला है। जो सारे मामले चले हैं। इनमें मैं एक कारण बताना चाहता हूं। मैं प्रशासन में वर्षों रहा हूं और सख्ती के लिए मैं मशहूर रहा हूं। मैं यह कह देता हूं कि अगर शराब 80 परसेंट, चाहे पुलिस वाले जुर्म करे, चाहे दूसरी जनता करे या गुंडे, सजायाफ्ता, मफ़रूर करे, वह उनका काम एक सबसे बड़ी शराब है। शराब से यह स्थिति हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस विभाग के मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले चेकिंग की जाए। वह यह की जानी चाहिए कि थानों में या किसी भी स्थानों पर पुलिस का शराब पीने वाला आदमी मिल जाए तो उसको उसी वक्त घर भेजना चाहिए।

इस मौके पर मैं जेल के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह यह कि इस पूरे राजस्थान में जितने भी जिले हैं, मंत्रीजी नहीं हैं जेल के...(व्यवधान) मंत्रीजी ही जेल के नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं। यह सरकार है। नोट हो रहा है आपका। आपका नोट हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अच्छा। पूरे जितने जिले हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कौन कर रहा है? बताओ, कोई कर रहा है तो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नोट कर रहे हैं। स्टाफ कर रहा है, हमारे यहां से कापी जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): संसदीय कार्य मंत्री अपनी चर्चा में मशगूल हैं और ऊर्जा मंत्रीजी नींद ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यहां से कापी जाएगी।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): जितने जिले हैं सब जगह पर जिला स्तर पर जेल है। एक सवाईमाधोपुर ही ऐसा जिला है कि जहां पर जिला जेल ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जहां पर सज्जन पुरुष रहते हों, वहां पर जेल की क्या जरूरत है?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पर जो जिला है वह अपराध के मामले में बहुत ऊंचा ग्राफ रखता है राजस्थान में। कितने ही अपराध करने वाले लोग-बाग़ अब तो वहां से भागे हुए हैं, चार साल से अपराधों की स्थिति अब थोड़ी कंट्रोल में है और ऐसी स्थिति है मगर वह जेल वहां पर जरूर होनी चाहिए। आप उनको निर्देशित करें कि सवाई माधोपुर जिला स्तर पर भी जेल हो। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय पर सब कुछ ठीक कर दिया। माननीय श्री जीवारामजी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की डिमांड पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। सब कुछ हम पुलिस से करवा लें यह अपेक्षा भी करना गलत होगा। पूरे भारत में वर्तमान में जो नम्बर-1 पुलिस है वह बोम्बे की है और सैकण्ड नम्बर पर हमारी राजस्थान पुलिस आती है, पूरे भारत में। उनको आपने जो संसाधन दिए हैं, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वे तो आपके दिए हुए संसाधनों के मुकाबले ज्यादा काम कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है। आज ग्रामीण क्षेत्र में आपने उनको एक महेन्द्रा डी.आई. जीप दे रखी है। तस्करों के पास 200-250 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ियां हैं और फिर आप उस जीप से उस गाड़ी को पकड़ने की अपेक्षा करते हैं तो इसमें पुलिस का कहां पर दोष है? आप उनको बढ़िया गाड़ियां दो।

समाज में जिस प्रकार से संसाधनों की बढ़ोतरी होती है उसके साथ-साथ अगर विभाग को भी आप संसाधनों की पूर्ति करते रहेंगे तो यह इनके काम में खरे उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।

(श्री जीवाराम चौधरी)

ऐसे-ऐसे मुकदमे हमारी राजस्थान की पुलिस ने सुलझाए हैं कि किसी एक ग्रामीण क्षेत्र से कोई एक लड़की को लेकर भाग गया। केरल चला गया, त्रिवेन्द्रम चला गया, कोच्ची चला गया, वहां से भी जाकर, ढूंढ कर इन्होंने उस बच्ची को लाकर दिया है। आज अपेक्षा तो अपन सब करते हैं। उसके बाद हमारे लोगों का भी कितना इंटरफियरेंस है इस डिपार्टमेंट में? साहब, हमारा कार्यकर्ता है, छोड़ दो। 10 है तो 6 रख लो। यह तो हम ही करवाते हैं न? फिर इनको दोष देते हैं। इनकी व्यवस्था, कई थानों में आज बाउण्ड्रीज नहीं हैं। किसी ने कोई गाड़ी पकड़ी, कोई मोटर साइकिल पकड़ी, कोई दारू पकड़ी, कोई ऐसा कीमती सामान पकड़ा तो वे रखेंगे तो पुलिस थाने में न? रात को टायर चेंज करके, नए टायर निकाल देते हैं और उस गाड़ी में पुराने टायर डाल देते हैं, वह टायर चेंज हो जाते हैं। नया इंजन है तो उस इंजन को भी क्योंकि थानों पर चारदीवारी नहीं है। आज लगभग सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने थानों में कम्प्यूटर दे रखे हैं। मोबाइल आने के बाद में पुलिस में काफी कुछ काम करने का अच्छा मौका इनको मिला है और यह कर भी रहे हैं।

हमारे पूरे प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि हमारी राजस्थान पुलिस के कुछ अधिकारी अपने निजी खर्चे पर तो शायद विदेशों में घूम कर आए होंगे, मेरा यह निवेदन है कि दूसरे देशों में किस प्रकार की व्यवस्था है, उनको दिखाने के लिए साल में एक-एक थाने के पूरे स्टाफ को दस-दस दिन उनको विदेश में भेजना चाहिए और वहां की व्यवस्था उनको दिखानी चाहिए कि वहां के थाने कैसे हैं। सिंगापुर का थाना आप जाकर देख लो तो आपको लगेगा कि मैं फाइव स्टार होटल में आ गया हूं। अमरीका में अगर आज कोई नेशनल हाई-वे पर एक्सीडेंट हो जाता है तो दस मिनट में गड़-गड़ करता हुआ हेलिकाप्टर आ जाता है और वही हेलिकाप्टर ले जाकर उस पेशेंट को हास्पिटल के ऊपर लैंड करके दस, पन्द्रह मिनट, आधे घंटे में उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। यह व्यवस्था है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप तो हिन्दुस्तान की बात करें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): हमारे यहां पर आप अपेक्षा रखते हो हद से ज्यादा और संसाधन इनको देते हो सीमित। इनको सारी बढ़िया सुविधाएं दो। ड्यूटी इनसे 18-18 घंटे लेते हैं 24 घंटे में से। यह भी तो इंसान हैं, इसी समाज से जाते हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अपन भी 24 घंटे देते हैं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मेरा निवेदन है कि इनको विदेश घुमाने के लिए अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप विधायक कोटे से परमिट करें। हम साल के पांच-पांच, दस-दस लाख रुपए इनको देंगे ताकि इनका स्टाफ वहां जाकर घूम कर आए और थोड़ा देखकर आए कि वहां पर क्या व्यवस्था है।

आज थानों की हालत के बारे में कहना चाहूंगा कि जो जीपें हैं उनको बदला जाए और उनको अच्छी गाड़ियां दी जाएं और जिन-जिन थानों में बाउण्ड्रीज नहीं हैं, वहां पर बाउण्ड्रीज बनाई जाएं ताकि वे उस व्यवस्था का बनाये रखें। मैं तो राजस्थान पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे कई केस इन्होंने सुलझाए हैं। चक्कर यहां पर पड़ता है कि दारू की 10 लाख की गाड़ी पकड़ी किसी कांस्टेबल ने तो उसका श्रेय सी.आई. ले रहा है या थानेदार ले रहा है। नहीं। ऐसे अच्छे कर्तव्य करने वाले लोगों को आपको पुरस्कार देना चाहिए और हर साल आपके डिपार्टमेंट की व्यवस्था से उसको सम्मानित करना चाहिए ताकि उस जवान का हौसला बढ़ा रहे जिससे और भी अच्छा कार्य वह करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे समय दिया। आप घंटी बजाओगे उससे पहले मैं ही बैठ जाना उचित समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे पता था यहां आपमें कितनी सहृदयता है, कितनी सज्जनता है। समय पर आप अपनी बात समाप्त कर दोगे, इसलिये पहले आपको मौका दे दिया। माननीय श्री वासुदेवजी देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम 30 अरब से ज्यादा पुलिस विभाग की, और एक अरब से ज्यादा कारागार विभाग की मांगों को पास करने के लिये विचार कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बाकी से मैं कम समय ही लूंगा। बात हो गयी मेरी। हम विचार करने के लिये बैठे हैं। यह पैसा आम जनता के टैक्स का पैसा है। आम जनता इसलिये टैक्स देती है कि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हमारा घर सुरक्षित रहे, हमारी महिलाओ की आबरू सुरक्षित रहे और सज्जन लोग आराम से जी सकें और अपराधियों में डर पैदा हो। गांधीजी भी कह गये थे, यह पुलिस के बारे में कहा उन्होंने, कि मालिक नहीं, सेवक है और थानों में लिखा रहता है-'मेरे योग्य सेवा'। लेकिन

(श्री वासुदेव देवनानी)

वास्तव में आम आदमी, जो आज अनुभव कर रहा है, वह इसके विपरीत कर रहा है। आज चारों ओर लग रहा है कि न महिलाएं सुरक्षित हैं। यदि सवेरे घर से निकलती हैं तो चेन स्नेचिंग, मंदिर दर्शन करने के लिये निकलती हैं तो चेन स्नेचिंग हो जाती है। रात को पति के साथ लौटती हैं तो सुरक्षित नहीं हैं। घर बंद करके यदि बाहर जायेंगे तो उस समय उनका मकान टूटा हुआ मिलेगा। मैं बैंक से पैसे निकलवा कर अपने घर की ओर आता हूं तो लूट हो जाती है। यानी इस प्रकार का लगता है कि शायद कहीं कानून नाम की चीज नहीं है। सरकार नाम की कहीं चीज नहीं है। इस प्रकार का अनुभव जब आमजन में होता है तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है। सरकारें तो एक बनेंगी, दूसरी आयेंगी और इससे निश्चित रूप से कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि कहीं गोलीकाण्ड हो, कहीं कोई अनाचार हो, किसी भी सज्जन व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो। कोई भी सरकार यह मन से नहीं चाहती। लेकिन जब इस प्रकार का हो रहा है तो हमको आकलन करना पड़ेगा, हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार की अवस्था क्यों है? मैं केवल कुछ आंकड़ों के द्वारा बताना चाहूंगा कि आज पुलिस में इतने पद खाली पड़े हैं 205 आई पी एस के पद हैं, उनमें 44 खाली पड़े हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व उप पुलिस अधीक्षक के 795 पद हैं, उनमें से 230 खाली हैं। लगभग 20 से 25 पर्सेण्ट खाली हैं और 71 हजार से ज्यादा जब कांस्टेबल के पद हैं, इनमें भी खाली पड़े हैं। जब इतने पद खाली रहेंगे तो यह किस प्रकार से अपनी नौकरी कर पायेंगे? यदि राजस्थान की जनता से इन पदों को भर देंगे तो लगभग 950 जनता पर एक पुलिसकर्मी है। आप उससे क्या-क्या अपेक्षा करेंगे? वह आपके वी आई पी की भी रक्षा करेगा। उनके साथ भी दौड़ेगा। कहीं लूट होगी, कहीं खसोट होगी, कहीं चोरी होगी, कहीं बलात्कार होगा। सारे मामले हम केवल पुलिस पर डालते हैं। लेकिन पुलिस के लिये हमने कभी विचार किया क्या, कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? और इस पर सरकार भी गम्भीर नहीं है। सरकार को केन्द्र सरकार से पुलिस विभाग के लिये पैसा मिलता है। 2011-12 के अन्दर आपने 2,448 लाख रुपये खर्च ही नहीं किये और 2012-13 के अन्दर विभाग ने 8,680 लाख और 5,786 लाख आयोजना और आयोजना भिन्न में प्रस्ताव राज्य सरकार के पास में भेजे हैं। जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल रहा है, अभी तक उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है। जब आप इस प्रकार का उपेक्षित व्यवहार करोगे और उनको उपकरण नहीं दोगे

(श्री वासुदेव देवनानी)

तो फिर पुलिस से ज्यादा अपेक्षा करना कठिन है। फिर भी यदि मूल्यांकन करेंगे तो आज हर वर्ष हमारे यहां जो अभियोग हैं, उनके दर्ज होने की संख्या बढ़ती जा रही है। 2010 में 1,62,957 अभियोग दर्ज हुए तो 2011 में बढ़ते-बढ़ते 1,65,000 हो गये, 2012 में बढ़ कर 1,70,000 हो गये। अब 2013 के गिनना चाहेंगे तो और अधिक होंगे।

हम पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं के बारे में बहुत सेंसेटिव बन रहे हैं, बनने भी चाहिये। और उनके प्रति हम कितने हैं, 2010 के अन्दर 18,906 प्रकरण दर्ज हुए, 2011 के अन्दर बढ़ कर 20,700 हो गये और 2012 के अन्दर 21,975 हो गये। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। बलात्कार की घटना की बात करेंगे तो बलात्कार की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। जबकि होना यह चाहिये कि क्रमश: कम होते जाने चाहिये। लेकिन 2010 में 5,171 तो 2012 में जाकर 2,049 हो गये। हम एस सी के लिये भी बहुत बड़ा सोचते हैं कि एस सी पर अत्याचार बंद होने चाहिये। कई नियम और एक्ट बने हुए हैं। लेकिन एस सी में भी 14 परसेंट अपराध बढ़े हैं। यह आज राज्य की स्थिति है। इसके साथ-साथ आज राजस्थान के अन्दर जो सबसे बड़ी समस्या है, वह बंगलादेशियों के घुसपैठ की है। आज बंगलादेशी घुसते आ रहे हैं और उसके लिये अजमेर बड़ा सेंसेटिव शहर है। आते हैं, रहते हैं। कुल मिला कर पिछले तीन वर्षों में 100 बंगलादेशियों को पकड़ पाये हैं। जबकि राजस्थान के अन्दर लगभग साढ़े 4 लाख बंगलादेशी इस समय हैं। और तो और हम जाली भारतीय मुद्राओं को पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके असली सरगना को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आज पाकिस्तान से आये नोट पकड़े गये। अजमेर में 85 हजार से अधिक के नकली नोट पकड़े गये, कहीं लाखों में पकड़े जा रहे हैं, कहीं हजारों में पकड़े जा रहे हैं। लेकिन उसमें जो छोटा-मोटा एक नोट बेचता हुआ, या दस नोट वाला होगा तो पकड़ लेंगे, लेकिन उसका सरगना कौन है, उस तक आज तक भी नहीं पहुंच पाये।

शराब की तस्करी, मादक पदार्थ की तस्करी, यह तो अति हो रहे हैं। लेकिन यह जो चीजें हो रही हैं, बढ़ रही हैं, इनके पीछे जहां पुलिस में संसाधनों की कमी है, लेकिन साथ में पुलिस विभाग क्या कर रहा है, वह मेरे अजमेर के एस पी का, जिस तरह एसीपी ने उसको पकड़ा, मैं समझता हूं सारे विभाग का सिर और हमारा सिर शर्मसार हो गया। यानी एस पी मंथली ले रहा है। 10 सी आई हैं उसमें और दो एस आई हैं और तो और एक एडिशनल

(श्री वासुदेव देवनानी)

एस पी है। हम चाहते हैं कि अपराधियों को पकड़े। पुलिस से अपेक्षा करें कि अपराधियों को पकड़े, लेकिन आज एडिशनल एस पी 2 जनवरी से फरार है। उसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। माननीय गृह राज्य मंत्रीजी, हम तो कहते हैं आप पकड़ो, दोषी कोई भी हो। हमने नहीं पकड़ा। आपकी ए सी बी ने पकड़ा है। जरा उसको पकड़ो तो सही, आज दो ढाई तीन महीने होने जा रहे हैं। वह पकड़ में नहीं आ रहा है।

अभी साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक प्रकरण और हो गया। वहां पर फाइनेंसियल एडवाइजर, करोड़ों रुपये उसकी प्रोपर्टी पकड़ी गयी और उस प्रोपर्टी के बाद किस तरह से खाते हुए, मैं समझता हूं, बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर हमारे यहां हो क्या रहा है? उस फाइनेंसियल एडवाइजर को लाया कौन? हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पुराने चेयरमैन। जरा उस चेयरमैन की भी जांच करो तो सच्चाई मालूम होगी। केवल जो पकड़ा गया और करोड़ों रुपये की उसकी प्रोपर्टी तो आपने पकड़ ली, लेकिन आपने उस चेयरमैन को नहीं पकड़ा। इसी तरह जब पुलिस एस पी को भी आपने पकड़ा है, दलाल पकड़ा गया है, लेकिन वह मंथली, जिसको कहा गया है, उसके कहां तक तार हैं, क्या केवल एस पी तक ही तार थे या आगे भी कहीं तार हैं? यह जरा जांच का विषय है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन वह जांच का विषय है कि वह मंथली कहां जा रही थी, उसको पता लगायें और साथ में ए सी पी ने अपनी एफ आई आर के अन्दर आर पी एस सी के चेयरमैन का नाम लिखा है। उससे आज तक आपने पूछताछ नहीं की। मैं सदन से, गृह राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एफ आई आर में किसी का भी नाम होता है, वह सच है कि झूठ है, वह अलग विषय होगा, लेकिन कम से कम उससे पूछताछ तो होती है। हममें से भी किसी का नाम होता है तो थाने में बुलाकर पूछताछ होती है। उससे कम से कम पूछताछ तो करो। वह जो दलाल आपने पकड़ा है, वह दलाल एक थैला लेकर उनके घर गया था। जब वह बाहर निकला तो उसके हाथ में थैला नहीं था, तो आखिर क्या था? कुछ पता तो लगाया जाये। सच्चाई तो जनता के सामने आये। आर पी एस सी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लागू होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विश्वसनीयता पर आता है, पुलिस विभाग की विश्वसनीयता पर आता है। लेकिन यह सब जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आखिर भ्रष्टाचार के आरोप में कमी किसकी है? जो भ्रष्टाचार निरोधक डिपार्टमेंट है, उसको आप यदि

(श्री वासुदेव देवनानी)

अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दोगे, तो वह कैसे विचाराधीन करेंगे? आपकी रिपोर्ट में है कि 2012 तक ....

श्री उपाध्यक्ष: आप थोड़ा संक्षिप्त करें। 10 मिनट हो गये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बाकी जितनों को समय दिया है, मैं उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने 2012 के अन्दर 956 विचाराधीन थे, होना चाहिये था कम होते जायें। 2013 में 1126 हो गये और 1126 में 800 तो अन्वेषणाधीन बता दिये, 156 में अभियोजन नहीं मिला और बाकी 60 स्वीकृति के लिये भेजे जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के यहां तय होना चाहिये सरकार में, कि हम अभियोजन की स्वीकृति इतने दिन में दे देंगे। कहीं एक तय तो करो 15 दिन में देंगे, महीने में देंगे, दो महीने में देंगे, तीन महीने में देंगे। कोई तय तो करो कि हम इतने दिन में स्वीकृति दे देंगे। इतने दिनों के अन्दर अन्वेषण पूरा हो जायेगा। इतने दिनों के अन्दर उसका चालान पेश होगा। जब तक यह नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था चल नहीं पायेगी। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है ...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अभी मैं अजमेर पर आ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं सात मिनट ही बोला हूं। बाकी सबको आपने 15-15, 20-20 मिनट दिये हैं। उपाध्यक्षजी, मैं विषय को रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: जीवारामजी का तो पांच मिनट में ही हो गया। आपको बारह मिनट हो गये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आज अजमेर बड़ा सेंसेटिव शहर है। वहां दरगाह शरीफ भी है, पुष्कर भी है। ऐसे सेंसेटिव शहर के अन्दर कानून व्यवस्था अच्छी बने। पिछले दिनों जैन मंदिरों में चोरी हुई है। हाथीभाटा में हुई है, नला बाजार में हुई है, दरगाह क्षेत्र में हुई है, गोधा गुवाड़ी में हुई है, छतरी योजना में हुई है। एक भी चोर को पकड़ा नहीं गया है। हत्याएं हुई हैं। उनका पर्दाफाश नहीं हुआ है। पिछले दो वर्ष में 88 हत्याएं जिले में हुई हैं। आपने उनका पर्दाफाश नहीं किया। वहां पर रावत समाज के

(श्री वासुदेव देवनानी)

संत की, वहां पर महन्त की हत्या हुई है। वहां पर सिन्धी समाज के लोगों की हत्या हुई है। पर्दाफाश तो करो। हमने कहा कि हत्याएं हो जाती हैं, पुलिस अपना काम करेगी लेकिन कम से कम उनका पर्दाफाश करके जनता का विश्वास तो आप जीतो। यह मेरा आपसे निवेदन है।

आज वहां पर सरेआम महिला का मंगल सूत्र लूटा गया। महिला सुबह निकल रही थी। उसका छह तोले का मंगल सूत्र था। वह चोरी हो गया। लूट ले गये। ये सारी स्थितियां हैं। इनसे निजात दिलाने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो ठीक रहेगा। मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात पूरी करूंगा।

आप भी चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक हो। हम भी चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक हो। सारा सदन चाहता है कि कानून व्यवस्था ठीक हो तो फिर उसके लिए मिल कर एक सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी। आज परिस्थितियां बदल गयी हैं। पहले वाली परिस्थितियां नहीं रहीं। इसलिए सबसे पहले तो पुलिस की नफरी बढ़ायी जाए। यदि नफरी घटेगी तो, नफरी कम होगी तो एक थाने पर या चौकी पर तीन लोग, चार लोग, दस लोग करेंगे क्या? आप नफरी बढ़ायें।

दूसरा, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवायें जिसके आधार पर कम्प्यूटर, सारी आधुनिक जो टेक्नोलाजी आयी है, उसकी इनको आप ट्रेनिंग करायें।

तीसरा, सबसे बढ़िया सुझाव मेरा यह है कि पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हो। चाहे हम हों या आप हों। हम लोग ही टेलीफोन करते हैं कि अमुक को छोड़ दो। अगर वह दोषी है तो उसको छोड़ने के लिए हम क्यों टेलीफोन करते हैं।

साथ ही, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इन कांस्टेबल्स को जीवन में कम से कम एक प्रमोशन की तो व्यवस्था करो। कई कांस्टेबल तो कांस्टेबल से ही रिटायर हो जाते हैं। आज कल आपने परीक्षा लेकर प्रमोशन का जो शुरू किया है, जो पुराने आदमी हैं, वे परीक्षा में पढ़ नहीं पायेंगे। उसकी आप परीक्षा लेंगे? उसकी तुलना में सुनिश्चित करो कि उसको भी प्रमोशन मिल जाए।

उपाध्यक्षजी, कारागार के सम्बन्ध में एक सुझाव दूंगा कि अजमेर में केन्द्रीय कारागार की जो स्थिति है, बाहर से भी कई कैदियों को वहां लाया

(श्री वासुदेव देवनानी)

जाता है, आज वहां पर 20 प्रतिशत से अधिक बन्दी हैं। जिले के जो कारागार हैं उनसे 54 प्रतिशत से अधिक वहां पर बन्दी हैं। वहां की स्थिति खराब है। अन्दर बैठ कर लोग गैंग चलाते हैं। कितनी सिम वहां पर पकड़ी गई हैं, कितनी बार मोबाइल पकड़े गए हैं। जांच हुई है, फिर भी पकड़े गए हैं। कम से कम वहां पर कठोरता करो। यह बात भी सही है कि होगा कैसे? आपको पता है कि प्रहरी के कितने पद खाली हैं? कुल 2300 प्रहरी के पद स्वीकृत हैं। उनमें से 1200 पदों पर ही लोग काम कर रहे हैं। 50 परसेंट प्रहरियों के पद खाली हैं। अधिकारियों के लगभग 40 परसेंट पद खाली हैं। जब मुख्य प्रहरी और प्रहरी ही नहीं होंगे तो जेल से कैदी भागेंगे और वह जेल में जो चाहेंगे वह होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, माननीय देवनानीजी। समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरी राय है कि वहां पर आप प्रहरियों की नियुक्ति करें। साथ ही वहां पर जैमर लगायें ताकि कारागार की व्यवस्था ठीक हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर लाल अहारी। (अनुपस्थित) श्री लाल शंकर जी घाटिया।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, आज पुलिस और कारागार के सम्बन्ध में मांग पर बोलता हुआ यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने पुलिस को सशक्त बनाने के लिए जो कार्यवाही की है, पुलिसकर्मियों के परिवार कल्याण हेतु 25 करोड़ रुपये की राशि देकर मरम्मत कार्य कराने का जो निर्णय लिया है, यह बहुत ही उत्तम निर्णय है। प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने हाई-वे पर पैट्रोलिंग के लिए सौ गाड़ियां देने का जो प्रस्ताव किया है, उससे कई प्रकार की दुर्घटनाएं और अवैध कारोबार घटेंगे। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि उसमें कई प्रकार की सुविधाएं होंगी लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर जिले में एक तो रामसागड़ा थाना खोला। इसके लिए प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री लालशंकर घाटिया)

डूंगरपुर मुख्यालय पर एससी, एसटी महिला थाना खोला। इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एससी, एसटी महिला थाने में डीएसपी की पोस्ट रिक्त है। मैं आशा करता हूं कि हमारे वहां पर नफरी की जरूरत है, वहां स्टाफ बढ़ाया जाए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा।

विशेषकर मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के युग में मुलजिम के साथ पुलिस का मुकाबला करना छोटी-मोटी बात नहीं है। हमारे क्षेत्र के अन्दर जब कहीं से सूचना मिलती कि किसी गाड़ी में कोई अवैध सामान जा रहा है तो सबसे पहले पुलिस वालों को सरकारी जीप में हीटर लगाना पड़ता था। जब तक वह हीटर लगाते तब तक मुलजिम पांच-दस किलोमीटर दूर निकल जाते। उसके बाद पुलिस वाले दौड़ते। तो उनको कोई हाथ नहीं लगता। उपाध्यक्षजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हाईवे पैट्रोलिंग के लिए आधुनिक गाड़ियां दी जाएं जिससे अवैध वाहनों को पकड़ने में बड़ी उपलब्धि हासिल हो सके।

मैं आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस में कई ईमानदार आदमी भी हैं। जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, उसको इनाम तो नहीं मिलता बल्कि रेंज के बाहर जरूर कर दिया जाता है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो आदमी अच्छा काम करे उसको प्रमाण पत्र और सुविधा मिलनी चाहिए लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो आदमी अच्छा काम करते हैं, मेरे यहां बिच्छीवाड़ा थाने में 20 किलो अफीम पकड़ी थी। यदि 20 किलो की कीमत लगायी जाए तो कोई कम नहीं होती है। मेरा अन्दाज है कि बिच्छीवाड़ा में कम से कम 17 गाड़ी दारू की पकडी गई जो लाखों करोड़ों की सम्पत्ति है लेकिन बाद जाकर एक थानेदार का ट्रांसफर हो गया। मैंने न तो उसको हटाने के लिए लिखा और न किसी ने कोटा में मांग की लेकिन पता नहीं किस कारण से उसको वहां से अवधि के पूर्व ही हटा दिया गया। यह एक संवेदनशील बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई आदमी ईमानदारी से काम करे तो उसको सहयोग देना चाहिए।

मैं आपसे यह भी मांग करना चाहूंगा कि हमारे यहां जितनी भी पुलिस के पास गाड़ियां हैं सब की सब पुरानी जीपें हैं। वहां जीपें नहीं देकर अच्छी गाड़ियां दी जाएं।

(श्री लालशंकर घाटिया)

मेरे डूंगरपुर जिले में एक ही जेल है। उसमें चार विधान सभा क्षेत्र लगते हैं। चौरासी, सागवाड़ा, आसपुर और डूंगरपुर, ये चारों आते हैं। उस जेल में रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि वहां पर जेल के लिए पांच बीघा जमीन अलाट करवायी जा चुकी है, वहां पर नया जेलखाना बनाने के लिए कुछ न कुछ राशि स्वीकृत की जाए और कैदियों को रहने की अच्छी व्यवस्था की जाए। यह मैं मांग करना चाहता हूं।

उपाध्यक्षजी, पुराने समय की जेल है, जेल में कई प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे वह टायलेट सम्बन्धी हों, चाहे वह कपड़े धोने सम्बन्धी हो, चाहे खाने का मैस भत्ता सम्बन्धी हो, उसमें थोड़ी सी राशि बढ़ानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा।

मेरा एक और निवेदन है कि पुलिस विभाग में जो भी अच्छा काम करे, कभी-कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं जैसे किसी बाप के नाम से बारह बोर का लाइसेंस है, रिवाल्वर का लाइसेंस है या बन्दूक का लाइसेंस है, अगर उसके बेटे के ऊपर किसी प्रकार का अपराध नहीं हो तो मैं यह आशा करता हूं कि वह उसके पक्ष में जांच रिपोर्ट भेज कर उसका लाइसेंस बनाने में सहयोग दें। यह मैं आपसे आशा करता हूं।

इसके अलावा, जो जो भी आपने बीट बांट रखे हैं, मैं एसपी साहब और थानेदारजी के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो भी अच्छे लोग हैं उनसे पूछताछ कर जो भी फर्जी मुकदमे दर्ज करवाये जाते हैं, उनकी जानकारी करें ताकि वहां अच्छे काम हों। यह मैं आपसे आशा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार मेरे माड़ा में आगजनी का प्रकरण हुआ, मैं मानता हूं कि पांच से दस या पन्द्रह आदमी मकान जलाने वाले हो सकते हैं लेकिन जब मकान जलते हैं तो देखने वाले भी होते हैं, बुझाने वाले भी होते हैं और लगाने वाले भी होते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि ऐसे मुकदमे में जो मुलजिम हैं उनको छोड़ा नहीं जाए लेकिन जो निर्दोष आदमी मकानों को बुझाने के लिए आया है या देखने के लिए आया है, सिर्फ वीडियो देख कर उनको मुलजिम बनाया जाता है यह गलत है, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सही जांच होनी चाहिए और दोषी आदमी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

मेरे डूंगरपुर में एस.सी., एस.टी. थाना है उसमें डीवाई.एस.पी. का पद रिक्त है, उसको भरा जाए। यह मैं आपसे मांग करता हूं। इसी प्रकार मेरे वहां पर डूंगरपुर में कार्यालय सहायक का पद अभी भी रिक्त है, लेखाकार का भी एक पद रिक्त है, वरिष्ठ लेखाकार का पद भी रिक्त है, इसी प्रकार मेरे यहां पर पुलिस निरीक्षक के सात पद हैं उसमें से छह पद भरे हुए हैं, एक पद रिक्त है। इसी प्रकार से उप-निरीक्षक 37 पद हैं इसमें से 19 थानेदार लगे हुए हैं और 18 पोस्टें वेकेंट हैं। हैडकांस्टेबल की कम से कम 100 पोस्टें हैं उनमें से 84 कार्यरत हैं और 16 पद रिक्त हैं। मैं गृह मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि मेरे वहां पर थाने तो खोल दिये लेकिन वहां पर थानों में थानाधिकारी नहीं हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे वहां पर 18 थानेदारों की कमी है, उसको बहुत ही शीघ्र पूरा किया जाए। अभी आने वाला समय इलेक्शन का समय होगा।

दूसरी बात, मेरे यहां पर एम.बी.सी. का जो जाप्ता रहता था, एम.बी.सी. के जो जवान रहते थे, कहीं भी किसी प्रकार का झगड़ा फसाद होता था, उसको शांत करने में उनकी अहम भूमिका होती थी। लेकिन हमारे मेवाड़ भील कोर का जो जाप्ता डूंगरपुर में रहता था उसको बांसवाड़ा में स्थानान्तरित कर दिया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से और हमारे मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि जो एम.बी.सी. के जवान हमारे डूंगरपुर में थे उनको यथा स्थान डूंगरपुर में रखा जाए और डूंगरपुर में शांति व्यवस्था बनी रहे।

यह मैं आपसे मांग करते हुए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। माननीय श्री सूरजभान धानकाजी।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16 पुलिस, मांग संख्या-17 जेल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

महोदय, आज जो पुलिस की भूमिका है वह बहुत विस्तृत है और जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है और मरने तक पंडित की जरूरत पड़ती है, उसी

(श्री सूरजभान धानका)

प्रकार हमारी पुलिस की हर जगह जरूरत पड़ती है, चाहे कोई अच्छी जगह शादी हो रही हो, चाहे कोई धरना हो रहा हो, चाहे कोई नेता आ रहा हो। हर जगह पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कहते हैं कि 'दब के खा तो रजके वाह', पंजाबी में एक है कि 'दबके खा तो रजके वाह'। जैसे पहले खेती होती थी बैलों की ...

श्री उपाध्यक्ष: यह नहीं होती है तो खाओ मत खाओ तो पेट भर के खाओ, ऐसा नहीं होता क्या?

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): जैसे पहले बैल हुआ करते थे, अगर उनको अच्छा खिलाते थे तो अच्छी जमीन जोतते थे, आज जो पुलिस के बारे में तरह-तरह की बात आती है तो उतना ही हमें उनका वैलफेयर भी देखना पड़ता है। पुलिस कितनी व्यस्ततम रहती है, चाहे उसको छुट्टी नहीं मिले, चाहे घर में कोई बीमार है, छुट्टी नहीं मिलती तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे पुलिस की नफरी में बढ़ोतरी की जाए। पिछले साल भी इसके लिए बात आयी थी।

हमारी पुलिस कहां कमजोर होती है कि जहां लचर कानून होते हैं, वहां उनका मनोबल गिरता है। इसमें हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम भी अपराधी को बचाने का काम करते हैं तो पुलिस का मनोबल ऐसा हो कि अपराधी बचे नहीं और निर्दोष मारा न जाए। यह आत्म बल होना चाहिए।

अब वैलफेयर के बारे में निवेदन है, जो जवान 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है उसके लिए अच्छा खाना हो। वर्दी के लिए अभी मेरे को बताया कि जवान को 90 रुपये मिलते हैं, महोदय, क्या 90 रुपये में कोई कमीज भी सिल कर देता है? यह चीजें हैं।

मैस भत्ता हो, जो इनके ड्यूटियों पर रहते हुए इनके बच्चों के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था हो।

हथियार, अभी आज मैंने अख़बार में पढ़ा कि हमारे नये वैपन्स आये हुए हैं वे जंग खा रहे हैं, उनको ट्रेनर नहीं मिल रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग देने के लिए अधिकारी नहीं हैं, तो इसकी व्यवस्था करें। बाबा आदम के जमाने की राइफल थ्री नाट थ्री, वह अभी तक है जबकि अपराधियों के पास नये इक्विपमेंट आये हुए हैं, नयी गाड़ियां उनके पास होती हैं तो हमारे जवानों को भी नये इक्विपमेंट्स दिये जाएं, नये वैपन्स दिये जाएं जैसे ए.के. 47, असाल्ट,

(श्री सूरजभान धानका)

एल.एम.जी. कारबाईन, 7.62 एम.एम.। तो जो अपराधियों से और दोषियों से लड़ने के लिए अगर हमारे पास सही हथियार नहीं होंगे तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पायेंगे, हमारे पुलिस वाले मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

गाड़ियां कई जगह ऐसी हैं, मेरे रेणी थाने में है, यह तो कहते हैं कि गाड़ियों को पकड़ो, मैं कहता हूं कि उनके स्टार्ट होने तक चोर भाग जाता है, पैदल भी नहीं पकड़ सकता।

मेवात में, हमारे मेवात इलाका लगता है जहां गायों की तस्करी होती है, गाड़ियों के टक्कर मार कर चले जाते हैं तो कोई ऐसे भारी बेरीकेड्स हों, उनको रोकने के लिए।

लाइसेंस के बारे में कहीं गंगानगर में गड़बड़ी हो गयी तो यह जगह थोड़ी है, आप समझते हैं कि जब भी अपराध होता है तो मेरे ख्याल से 90 परसेंट, 95 परसेंट गैर लाइसेंसी हथियारों से होता है, लाइसेंस वाला बहुत सोच समझ कर कृत्य करता है।

थानों की बिल्डिंग है, मेरे राजगढ़ थाना अभी तक पुराने, जर्जर राजाओं के समय के उसमें रह रहे हैं, जहां कोई सुविधा नहीं, मंत्री महोदय, और वह ऐसी जगह है कि अगर कोई घटना हो जाती है, चूंकि मेगा हाई-वे निकल गया, आये दिन अपराधी उधर से गुजरते हैं, वहां वह थाना ऐसी जगह है, संकरी गली है, मेरे ख्याल से अगर वह एक घंटे भी बीच में रुक सकते हैं, आधे घंटे में समय पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनका भार जो है, उचित जगह पर थाने की व्यवस्था करें।

मेरे लक्ष्मणगढ़ में चार किलोमीटर पर थाना बना दिया जबकि लक्ष्मणगढ़ पुराना थाना है, उसमें जरूरत है तो चौकी की है, उसकी नफरी चौकी की लगायें ताकि कस्बे में बढ़ते हुए अपराधों को काबू किया जा सके।

एक पाटन का ठेकड़ा है जो गढ़ी रेणी और लक्ष्मणगढ़ के बीच में काफी डिस्टेंस है, वहां आपराधिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है तो मैंने पिछले साल भी मांग की थी कि एक चौकी की वहां स्थापना करें। कोठी नारायणपुर में चौकी के लिए जगह नहीं है, किसी प्राइवेट चौबारे में रह रहे हैं। हाई-वे पर पैट्रोलिंग ड्यूटी की व्यवस्था करें क्योंकि हाई-वे पर आये दिन गो-तस्कर, अपराधी निकलते हैं।

मांग संख्या-17 जेल में मैंने पढ़ा कि सजायाफ्ता कैदी और विचाराधीन कैदियों को एक जगह रखा जाता है कई जगह।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो विधायक हैं, देखते क्या हो इंस्पेक्शन करिए जेल का। समय पर सूचना देकर जेल का इंस्पेक्शन भी करिए। समाप्त करो। (व्यवधान)

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अभी पूछेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें कांग्रेस बी जे पी कुछ नहीं है, माननीय सदस्य। सदन का सदस्य सदन का सदस्य है। आप थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करते जा रहे हो। सब देख रहे हैं, पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है कि यहां क्या चर्चा हो रही है।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अच्छा साहित्य, नैतिक शिक्षा का वहां प्रचार-प्रसार हो। दूसरा, जो मोबाइल की आए दिन घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से सब अपने परिवार के साथ, हमेशा आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होता है। कभी परिस्थितिवश अगर वह गलती कर जाता है तो उसमें सुधार भी आता है। उसमें मेरा यह निवेदन है कि मोबाइल नहीं होंगे अगर वहां एक टेलीफोन एक्सचेंज फिट कर दिया जाए और उसकी निगरानी हफ्ते में एक दफा हो।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): एक मिनट साहब।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। बहुत कुछ कह दिया आपने। माननीय डा. जसवन्त सिंह यादव। चार-चार मिनट में बैठें ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सबको बीस-बीस मिनट दिये...

श्री उपाध्यक्ष: आप विशेष कहना चाहो तो पांच मिनट ले लीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह कोई बात नहीं है, साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार भी बैठी है, +++

श्री उपाध्यक्ष: अधिकारियों को आप +++ ये शब्द हटा दीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या शब्द कहूं वह बताओ।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार अलग है। मैंने आपको बोलने की इजाजत दे दी उसी ढंग से बोलिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं तो पार्टी के समय में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पार्टी कोई नहीं है, आप सदन के सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं। पार्टी के बाहर बहुत घूम रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ठीक है, आपने मेरा यह टाइम ले लिया यह आपमें से कटेगा।

श्री उपाध्यक्ष: पार्टी के नाम से आये हो लेकिन हो सदन के सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इस सुशासन को सवा चार साल हो गये। अभी मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि क्राइम के अन्दर हमारा राजस्थान चाहे वह दुष्कर्म हो, छेड़छाड़ हो, लूट हो, हत्या हो, डकैती हो, मर्डर हो, कार चोरी हो, मोटरसाइकिल हो, बैंक डकैती हो, इतना गौरव प्राप्त कर लिया कि हिन्दुस्तान में तीसरे रैंक पर है। अभी बहुत अच्छी बात हो रही थी कि ए सी डी वाले रोज पकड़ रहे हैं। अब सवा चार साल तो इन्हीं का राज है, जिसका गृह मंत्री भी खुद मुख्यमंत्री है। तो सवा चार साल के अन्दर जब ही तो ए सी डी वाले पकड़ रहे हैं जब डिपार्टमैंट्स में चोर बैठे हैं, रिश्वतखोर बैठे हैं।

आज अगर मंत्रीजी मनन करें, थोड़ी भी सोचने की अगर शक्ति रखें तो यह विभाग के मंत्री का, स्वयं मुख्यमंत्री का फेल्योर है कि ए सी डी वाले पकड़ रहे हैं। किसको पकड़ रहे हैं, आम जनता को तो नहीं पकड़ रहे हैं ना। एस पी पकड़ा जा रहा है, एस पी के ऊपर और आगे छापे पड़ रहे हैं, उन फाइलों को आगे दबा दिया जाता है। चोरी में भी चोरी और गृह मंत्रीजी खुश हो रहे हैं कि मेरे राज में तो लोग पकड़ रहे हैं। पकड़ किसको रहे हैं जब रिश्वतखोरी हो रही है तब ही तो पकड़ रहे हैं। ईमानदार अधिकारियों को तो नहीं पकड़ रहे।

पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर हम तीसरे नम्बर पर आ गये हैं क्राइम के अन्दर। मेरा अलवर जिला इतना शांत जिला था और यह सरकार आते ही ऐसा हो गया है कि ना कोई सुरक्षित है, चाहे जिसको मार दिया जाता है, चाहे जिसको लूट लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, धीरे बोलिये आप बात कर रहे हैं तो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): शाम को लोग 6 बजे जाने के अन्दर भी डरते हैं। ऐसा कोई नहीं है, यहां तक कि पहले यह भी नहीं हुआ करता था।

श्री उपाध्यक्ष: आवाज मैं सुन रहा हूं, वे डिस्टर्ब हो रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): गैंग की गैंग आती है, लोगों की

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

भैंस चोर ली जाती है, दस-दस आदमी आते हैं। आज यह कहा गया कि अजमेर के एस पी पकड़े गये तो बाकी मंत्रीजी ने किसी और की निगरानी की है क्या या मंत्रीजी ने सबको सर्टिफिकेट दे दिया कि बाकी एस पी तो ईमानदार हैं। जितना करप्शन इस समय बढ़ा हुआ है, हमारा कोई ये नहीं है कि हम पुलिस वालों के खिलाफ हैं पर सच्चाई क्या है कि हम इस व्यवस्था से पीड़ित हैं। ओवरलोड ट्रक जा रहे हैं, कानून बन गया, कोर्ट ने कानून दे दिया, किसी को भी नजर नहीं आता। गौ-तस्करी के ट्रक भर कर जोधपुर से अलवर तक चले जाते हैं। बीच-बीच में पैसे देते हैं, किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा, डी जी पी साहब यहां बैठे हुए हैं, मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं इनकी नजर में नहीं आता कि यह ट्रक कितने जिलों को पार करता हुआ गया तो आखिर कौन एस पी, कौन एडिशनल एस पी या कौन एस एच ओ इसमें दोषी है। अगर एकाध के खिलाफ, इसका मुख्य कारण है कि न तो हमारे मंत्रीजी कभी कोई मानीटरिंग करते। मुझे आज भी याद आता है यह किसी के खिलाफ नहीं हैं, चौधरी चरण सिंहजी से कहा कि आपने रेवेन्यू जैसा डिपार्टमेंट कैसे ठीक कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं ने मानिटरिंग की है, मैं स्वयं गया हूं खुद पटवारी तक, जब जाकर यह डिपार्टमेंट सही हुआ है। वी पी सिंहजी जब फाइनैंस मिनिस्टर बने तो देश के एक ईमानदार का गौरव प्राप्त कर गये, इसलिए कर गये कि वे छोटे-छोटे बैंकों में भी चले गये खुद।

आज मंत्रीजी अगर निरीक्षण करें जाकर किसी भी थाने का, किसी भी चौकी का अकस्मात आना-जाना रहता है। दस मिनट की फुर्सत के अन्दर पूरे राजस्थान के अन्दर अगर डी जी पी लेवल का अधिकारी जाए, चैकिंग करने वाले बहुत होते हैं पर यह खुद जाएं तो इससे जनता का भी मनोबल बढ़ेगा और पुलिस के अन्दर काम करने वालों के अन्दर भी मुस्तैदी आएगी। मंत्रीजी एक भी थाने का निरीक्षण नहीं करते, चले जाते तो कौनसी बड़ी बात हो रही थी? आपको जिम्मेदारी दी।

चौबीस घंटे की बात अभी मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि पुलिस वालों की भी 24 घंटे की नौकरी है और हमारी भी 24 घंटे की नौकरी है, कोई रात में 12 बजे फोन कर देता है तो राजनीति में आए हैं तो 24 घंटे की नौकरी लेकर आए हैं। पहले दिन से ही पता है कि पुलिस में तो 24 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी, किसी ने बाध्य नहीं किया। लेकिन आज जो थानों के अन्दर सबसे बड़ी स्थिति हो गयी, थाने का मतलब है कमाऊ पूत तैयार करना।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

अधिकारी, मंत्री घर में हैं और अपराधियों ने फील्ड सम्भाल रखा है तो यह तो अपराध तो बढ़ेंगे ही। अगर मंत्रीजी फील्ड सम्भाल लें, दो दिन भी अगर चले जाएं महीने में चार दिन भी चले जाएं तो मेरे ख्याल से अपराधी फील्ड से भाग जाएं।

अब रही बात, कुछ कमियां भी हैं। सेना का एक कांस्टेबल या कोई अधिकारी अगर बोर्डर पर मर जाता है तो हम उसको शहीद का दर्जा देते हैं कि देश के लिए मर गया। पुलिस का कोई अधिकारी या कांस्टेबल मारा जाता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, वह किसके लिए कुर्बानी दे। मेरे यहां का एक केस मुझे अभी भी याद है कि एक कांस्टेबल ड्यूटी पर नहीं था, यह बात कठूमर की है खेड़ली थाने की। वह ड्यूटी पर नहीं था, वहां डकैत आए, वहां आदेश मिला पुलिस वालों को कि पुलिस की गाड़ी गयी पर उस सिपाही ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए ड्यूटी पर ना होते हुए भी वह उससे भिड़ गया और वह शहीद हो गया। पर किसी ने जाकर उसको पूछा नहीं, बस पुलिस वाले एक दिन का भत्ता जिले वाले दे देते हैं। अगर यही किसी धर्मवाद में फंस जाता, किसी और में फंस जाता तो दस बीस लाख दे देते पर ऐसे बहादुर सिपाही के लिए गवर्नमेंट ने घोषणा नहीं की। तो मंत्रीजी जो अपनी ड्यूटी पर कुर्बानी देते हैं ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा प्रावधान करें जिसको शहीद का दर्जा मिले, उसकी सुविधा मिले। चाहे वह अधिकारी हो, सिपाही हो तो निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और इससे उनको काम करने में और भी आनंद आएगा कि अगर मैं अपने फर्ज के लिए कुर्बान हो गया तो मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लोग मेरे ऊपर नाज करेंगे। इससे लोगों के अन्दर और ज्यादा भावना काम करने की बढ़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष: आपने तो पूछा ही नहीं कि ऐसा प्रोवीजन डालिए कि वह ड्यूटी से बहादुरी से कोई संघर्ष करके मरा हो तो प्रोवीजन डालिए नौकरी मिले उसके बच्चों को। आन ड्यूटी माना जाना चाहिए।

(18.00 बजे)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, नौकरी पर तो था पर छुट्टी गया हुआ था।

पहले उसकी एक और भी बड़ी कुर्बानी देखिये कि वह लड़का, वह कांस्टेबल, वह सिपाही छुट्टी पर होते हुए भी उसने पुलिस के, अगर वह अपनी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

कुर्बानी नहीं देता तो पुलिस की जो गाड़ी से गये थे वह आठ-दस पुलिस के लोग मारे जाते। ऐसों को तो बहुत बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिये इस तरह के...

श्री उपाध्यक्ष: अधिकार है वैसे मुख्य मंत्रीजी को।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हमारे जेल मंत्रीजी बैठे हुए हैं। यह हमारे जेल मंत्रीजी का हाल है। जेल मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष: करीब 10 मिनट हो गये हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप एक बार जाकर बहरोड़ की जेल का निरीक्षण कर लो। दो बैरक हैं जिसमें 70 कैदियों की संख्या निमित्त है और इसके अन्दर ढाई सौ कैदी भर रखे हैं तो शायद बूचड़खाने की भी एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। अपराधी तो हैं, पर हैं तो वह मनुष्य ही। उन दोनों बैरकों को मुझे एक बार देखने का मौका मिला। क्योंकि मुझे किसी आकेजन पर कम्बल बांटने थे। मैं वहां गया, पूछा, देखा। न रोशनदान है, न हवा है, न घूमने की जगह है। मतलब अगर आज सही मायने में कहीं अमानवीय जिन्दगी देखने दें, और जेल की व्यवस्था देख लें, जेल में कुछ सुधार कर सकते हो तो। आज मंत्री हो, कल नहीं रहोगे। वैसे भी जाने वाले हो आप लोग। तो कम से कम रहते हुए कुछ तो कर जाओ। अपना उदाहरण कुछ तो प्रस्तुत कर जाओ कि जब कोई आदमी आता है तो अपनी छाप छोड़कर जाता है। बहरोड़ तो हाईवे पर है। कोई अच्छा उसमें सुधार कर नहीं सकते। आप जायेंगे तो देखेंगे। मैंने आपको पत्र भी लिखा है। पता नहीं आपने वह पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मुझे नहीं पता। पर मैंने आपके नाम से पत्र भी भेजा...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी इच्छानुसार समय हो गया है। जितना आप चाहते थे उतना मिल गया।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक व्यवहारिक बात है, गृह मंत्रीजी, बहरोड़ और बानसूर के अन्दर डिप्टी आफिस है। बहरोड़ बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया भी है। बहरोड़ का एस पी लगता है अलवर जो बहरोड़ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): और बहरोड़ से एडिशनल एस पी का आफिस बना रखा है आपने भिवाड़ी। अब एक आदमी अगर बहरोड़ से चल

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

कर वह एडिशनल एस पी के आफिस जाये, फिर एस पी के आफिस जाये तो मेरे ख्याल में दो दिन के अन्दर पहुंच पाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो राजनीति से दूर हट कर व्यवहारिक होनी चाहिये कि या तो बहरोड़ के अन्दर ही आप एडिशनल एस पी का आफिस खोल दो क्योंकि बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया बन चुका है। बहुत ज्यादा लोग बाहर के यू पी और बिहार के आ गये हैं। मैक्जिमम क्राइम बढ़ चुका है। ऐसे में यह व्यवहारिक नहीं है कि वह भिवाड़ी जाये और भिवाड़ी से अलवर आये। आपको वहां चौकियों की संख्या और बढ़ानी चाहिये और इस पर तो आपको गौर फरमाना चाहिये यह व्यवहारिक परेशानी है सभी को...

श्री उपाध्यक्ष: अब यादव साहब, थोड़ा सा आप विराजिये कृपा करके, 12 मिनट हो गये हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): और मैं चाहूंगा यह औरों ने भी कह दी जीपें खड़ी हुई हैं...

श्री उपाध्यक्ष: एतराज करेंगे दूसरे सदस्य कि इनको मौका ...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, पर उपाध्यक्ष महोदय, जो खटारा जमाने की जीपें आप कहते हैं कि बजट, बजट तो सरकार देगी। दो। कौन मना कर रहा है? हमारे हाथ में तो है नहीं। अगर मैं गृह मंत्री हूं तो एक दिन में ही बजट कर दूं क्योंकि देश के लोगों की सुरक्षा का सवाल है। टूटी गाड़ियां, किसी तरह की भी व्यवस्था नहीं, तो आपसे निवेदन है एक तो जो ड्यूटी पर कुर्बान हो, उसको शहीद का दर्जा दो...

श्री उपाध्यक्ष: अब धन्यवाद ले लीजिये। धन्यवाद।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नयी गाड़ियां दो और बहरोड़ के अन्दर एडिशनल एस पी आफिस भी खोलो। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मदन प्रजापत।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्षजी, आप बोलने नहीं देते कभी मुझे। पुरानी मित्रता को भूल गये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर बहस हो रही है। यह बहस राजस्थान प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े हुए विभाग पुलिस और कारागार के ऊपर हो रही है। आज पूरे भारत में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। हमेशा पूरे विश्व में

(श्री मदन प्रजापत)

राजस्थान की जो पहचान रही है चाहे शांति व्यवस्था के मामले में हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, राजस्थान यह शूरवीरों की धरती अपने आप में एक अलग पहचान कायम रखता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सभी के सुझाव प्रदेश की शांति व्यवस्था के बारे में आये। सभी साथ हैं, अपराध रुकें, शांति बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था जिसके हाथ में है, उस विभाग का अधिकारी चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो उनका मनोबल हमेशा बना रहे। यह अपन सबका दायित्व बनता है। जिस विभाग के अधिकारी का मनोबल अगर गिरेगा तो आने वाले समय में बहुत प्राब्लम होगी। मनोबल बढ़ता रहे।

आज अपराध के मामले में मुझे पूरा विश्वास है विपक्ष के सदस्य कोई नहीं चाहते कि राजस्थान में अपराध बढ़ें। चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, सभी चाहते हैं राजस्थान में शांति व्यवस्था कायम रहे। अपराध बढ़ने के कई कारण हैं। अगर हम पुलिस पर ठीकरा फोड़ दें कि पुलिस और थाने के अधिकारी शांति व्यवस्था अकेले कायम कर देंगे, और भी कई कारण हैं। समाज का भी दायित्व बनता है। समाज का सहयोग भी जरूरी है। बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण, बाहर के लोगों का आना-जाना और बढ़ती हुई जनसंख्या प्रमुख कारण है। हम मानते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सुन रहे थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या 4 साल में इतना परिवर्तन हो गया, इतने अपराध बढ़ गये, इतना राजस्थान पीछे चला गया, यह अन्य जो बातें आ रही थीं, पुलिस बदनाम जरूर है लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं हमेशा तरबूज कटता है। पुलिस चाहे कठोर निर्णय ले तो भी पुलिस को नुकसान होता है। ढिलाई बरते तो भी पुलिस का नुकसान होता है। कहावत है छुरी पर तरबूज चाहे ऊपर रहे या नीचे, हमेशा तरबूज को कटना पड़ता है। छुरी कभी नहीं कटती।

हाल ही में 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ उसमें इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। बड़ी-बड़ी बातें जो कह रहे थे, विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कैसे कायम रह सके। कैसे व्यवस्था से निपटा जाये। सरकार का दायित्व ज्यादा है लेकिन थोड़ा दायित्व विपक्ष का भी है। इन्होंने धर्म नहीं निभाते हुए और तूल दिया। इस मामले में वोटों के लिये जो हंगामे खड़े किये, मैं दावे के साथ कहता हूं वोट पुलिस के लगते हैं

(श्री मदन प्रजापत)

वकीलों के भी लगते हैं लेकिन सवाल वोट का नहीं। कानून व्यवस्था, जो भी हुआ, प्रदेश में यह घटना दुबारा नहीं हो। अपन सबका दायित्व बनता है। जवाबदारी बनती है।

बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। रबर की गोलियां चल गयीं, आंसू गैस के गोले छूट गये। माननीय, उस मुंह से शोभा नहीं देता है जिन्होंने असली गोलियों से सौ-सौ लोगों को मारा। रबर की गोलियों की बात करते हुए हंगामा खड़ा करते हैं और आग में घी डाल कर राजस्थान में जो अमन चैन बना हुआ है उनको तोड़ने का काम करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जब बात आती है। माननीय गुप्ताजी हों, चाहे भाई जीवारामजी हों। कोई सिंगापुर का उदाहरण दे रहा है। कोई जापान का दे रहा है। आज गुजरात और एम पी का उदाहरण आपने किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। छत्तीसगढ़ का उदाहरण किसी माननीय सदस्य ने नहीं दिया। आज हमें कहते हुए गर्व है चाहे एम पी हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, इनकी तुलना में आज भी राजस्थान चाहे शांति के मामले में हो, चाहे अपराध के मामले में हो, हर मामले में राजस्थान, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, हमें गर्व महसूस होता है कि बाकी राज्यों की तुलना में आज भी राजस्थान में अच्छी व्यवस्था है। आज कोई एम पी, छत्तीसगढ़ का उदाहरण नहीं दे रहा है। जापान जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके राज में पुलिस ने कैसे काम किये वह दुनिया जानती है कि जब पूर्व माननीय मुख्यमंत्री विदेश से आयीं उनके स्वागत समारोह में पुलिस द्वारा गेट पर गृह राज्य मंत्री को रोका गया और पुलिस वाले आपके मंत्री को नहीं पहचानें कि हम नहीं जानते राजस्थान का मंत्री कौन है? राजस्थान का गृह राज्य मंत्री कौन है?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां से बात आ गयी। यहां तो पुलिस का है...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उन्होंने नहीं पहचाना। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो? बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज भ्रष्टाचार के मामले में... (व्यवधान) चाहे राजस्थान की सरकार हो उन्होंने जो कठोर निर्णय लिये कि अधिकारी कितना ही बड़ा हो या छोटा, गुनहगार को सज़ा मिलेगी। यह निर्णय लेने की हिम्मत राजस्थान की सरकार में है। राजस्थान की पुलिस में है। आप

(श्री मदन प्रजापत)

एक भी निर्णय नहीं ले सके। एस पी हो, चपरासी हो, चाहे गुनहगार हो, उनको सज़ा मिलेगी। जो सही काम करेगा उनको इनाम मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप घंटी बजाने वाले हैं...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मैस के मामले में दो बात मेरे ऐरिया की निवेदन करता हूं...

आज मैस के बारे में और भी माननीय सदस्यों को सुझाव आये। भूख बराबर लगती है, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे अधिकारी हो। 200-250 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा कि मैस भत्ते में जो परम्परा बनी हुई है, मुझे माननीय मंत्रीजी के ऊपर भरोसा है कि उन परम्पराओं को तोड़ कर, खाने के मामले में एक समान दृष्टि से मैस भत्ता किया जाये। ताकि जो कांस्टेबल 24 घंटे सेवा करते हैं उनमें लगेगा कि राजस्थान में हर साल मैस भत्ता बढ़ाया, यह हमें खुशी है। लेकिन यह निर्णय और किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 6 एडिशनल एस.पी. कार्यालय खोले गये, उसमें बालोतरा में भी खोलने का जो निर्णय लिया है, बालोतरा को जो सौगात दी है, उसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा बालोतरा में ग्रामीण पुलिस थाने की जरूरत है। ट्रैफिक पुलिस के लिए अस्थायी पुलिस अधिकारी का पद सृजन है, उनको स्थायी करके पोस्ट स्वीकृत की जाये, क्योंकि बालोतरा अभी जिला बनने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूधवा, बालोतरा और बाड़मेर रोड के बीच में है, वहां पुलिस चौकी की जरूरत है। वहां 50 किलोमीटर नेशनल हाई-वे है और वहां रिफाइनरी भी आ गयी। वहां आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। रिफाइनरी के 50 किलोमीटर में अगर चौकी नहीं होगी तो यह दुर्घटनाएं बढ़ेंगी।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और निवेदन करता हूं कि जो हमारा सबसे पुराना थाना मंडली है, उस थाने को यथावत् रखा जाये। हम सुन रहे हैं कि उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। थाना और भले ही खोला जाये लेकिन पुराने थाने को यथावत् रखा जाये।

(श्री मदन प्रजापत)

उपाध्यक्ष महोदय, बालोतरा थाने में एक भी क्वार्टर नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में क्वार्टरों के मामले में भी आप निर्णय लेंगे। इसके अलावा, मैस भत्ते आप समय-समय पर बढ़ायें। भर्ती के मामले में दूसरे विभागों में भले ही पद खाली रहें, रिक्त रहें लेकिन जहां सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को कि आपने पद सृजित किये हैं, पोस्टें काफी भरी हैं और भी प्रक्रियाधीन हैं। लेकिन मैंने जो लिस्ट देखी है उसमें पूरे चाहे अधिकारी हों, चाहे कांस्टेबल हों, उनकी काफी रिक्त पोस्टे हैं, उनको तुरन्त भरी जायें। क्योंकि सभी मांग करते हैं कि अमन चैन रहे।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टें बाकी विभागों में रिक्त रह जायें, लेकिन पुलिस और सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों में एक भी पद खाली ना हो। मैं एक बात निवेदन करता हूं कि पालिसी का जो मैटर है, जो पालिसी बनी, कई भाषाएं हैं, कई भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अगर भरतपुर साइड का अधिकारी बाड़मेर लग जाये, वहां कहीं क्राइम ज्यादा है, कहीं क्राइम कम है, उनकी नजरों में अगर वह उसके समान, एरिया के हिसाब से देखते हैं तो वहां व्यवस्था बिगड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कैलाश चन्द भंसाली। अब आप विराजें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मैंने सुना है कि पालिसी टूटी है, अगर एक भी अधिकारी पालिसी के तहत तोड़ा गया, यह पूरी पालिसी हटाई जाये। हमें पूरा विश्वास है कि अगर नहीं टूटी 8 साल और 16 साल वाली तो हमें कोई एतराज नहीं। हमें सुनने में आया है कि यह पालिसी, चाहे एक-दो अधिकारी भी हटें या लगें, पालिसी तो पालिसी होती है। अपना भाषण समाप्त करते हुए, आप सब को धन्यवाद देता हूं और पुन: निवेदन करता हूं कि आपने समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और कारागार की मांग संख्या 16 और 17 पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। राजस्थान में पुलिस की छवि अन्य प्रदेशों से बेहतर है। यहां प्रारम्भ से ही, जब से देश आजाद हुआ है, यहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत कड़ा

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

अनुशासन रखते हुए राजस्थान की पुलिस का नाम आगे रखा है। यहां के अधिकारियों ने बड़े ही जटिल आपराधिक प्रकरण सुलझाये। चाहे क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग का मामला हो, सुमेधा दुर्लभजी का या मिहिर जैन का हो और जोधपुर के श्री गौरव जैन का जो 2 माह तक बंद रहे, उस मामले को सुलझाने में जोधपुर के कमिश्नर श्री दक साहब का बहुत बड़ा हाथ था और साथ में एडिशनल एस.पी. ज्योति स्वरूपजी का।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन जिस बात की आज यहां चर्चा हो रही है, जब से बजट सैशन शुरू हुआ है, हर कोई एक ही बात कह रहा है कि सरकार की निगरानी के बावजूद कोई एस.पी. इतना भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? सारे भारत में एस.पी. कम्युनिटी पर एक दाग लगा दिया है। लेकिन मेरा स्वयं का अनुभव है कि वह जब जोधपुर में एस.पी. थे तो मैंने स्वयं मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि 5 किलो सोना जो लाया गया है, उसमें एस.पी. जान-बूझकर उस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उसमें एडिशनल एस.पी. को बलि का बकरा बनाया गया और उनका ट्रांसफर कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ कर पुलिस के सम्मान की फिक्र करनी चाहिए। मैं विशेष रुप से कहता हूं कि इनमें जो अच्छा काम करे उसको पारितोषिक दिया जाना चाहिए। जोधपुर के पास सुरेश चौधरी का जो मर्डर हुआ, उसमें उनको शहीद का दर्जा दिया जाये और उसकी फैमिली को पेंशन दी जाये।

इसी प्रकार, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जैन समाज का अहिंसक मौन जुलूस 29.09 को जोधपुर में निकाला गया था। उसमें पुलिस ने बहुत हथकंडे किये, हवाई फायर किया था, पानी के गोले दागे तथा 3 हजार प्रबुद्ध महिला एवं व्यक्तियों पर अत्याचार किया तथा केस बनाने की भी व्यवस्था की थी। मैं स्वयं उस आंदोलन में अगुवा था। मुझे पीटा गया और मेरे पर लाठियां बरसायी गयीं। दूसरे दिन मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बावजूद कि कमिश्नर और एस.पी. साहब पुलिस के जुल्म की जांच करेंगे, उनकी आज तक न तो रिपोर्ट आयी है और न ही उनको किसी तरह की सज़ा दी गयी है। सब लोग अपनी जगह पर हैं। केवल एडिशनल एस.पी. का ट्रांसफर कर दिया गया। जबकि उनका बिलकुल दोष नहीं था। उन्होंने हमारी मदद की थी मौन जुलूस के लिए।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

इसी तरह से, नगर निगम में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जनता के अतिक्रमण के नाम पर छोड़ना, रखना, तोड़ना, यह सब पैसों के लेन-देन से करते हैं। नगर निगम और पुलिस कर्मचारियों की लेनदारी, भागीदारी साथ होती है। दीपावली पर आतिशबाजी के लाइसेंस लेने में भी इसी तरह से किया जाता है। दशहरा, गणेश उत्सव, रामनवमी, बारावफात के उत्सव में जब डांस के लिए परमिशन ली जाती है, माइक की परमिशन ली जाती है, उसमें भी इसी तरह का खेल खेला जाता है।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा चौराहों पर पीली लाइट नहीं होने से आम आदमी रैड लाइट से हरी लाइट होने पर ज्यों ही निकलता है तो उसका चालान भर दिया जाता है। अजीतगांव, समदड़ी थाने में अस्थायी चौकी है, वहां स्थायी चौकी की जाये। पंचायत समिति सोमलवाड़ा में भी स्थायी चौकी और पूरा स्टाफ दिया जाये। यातायात नियंत्रण हेतु पीली लाइट सब जगह लगायी जाये। गुमटियां बहुत बड़ी हैं, उनको छोटी करें ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा मिल सके। एक तरफा यातायात के लिए, एक्सीडेंट जोन में सड़कें चौड़ी की जायें। शहर के भीतर के भागों में सड़कें चौड़ी की जायें। रिक्दिया भैरूंजी चौराहे का निर्माण किया जाये।

यूआईटी सोजती गेट, मोहनपुरा में भाटी चौराहे पर फ्लाई ओवर बने। आधे से अधिक कांस्टेबलों को जगह-जगह डयूटी पर रखा जाये। पुलिस चौकियों पर इक्विपमेंट रखे जायें। दूसरे प्रदेशों से जब प्रेमी-प्रेमिकाओं को बरामद करके लाया जाता है तो पुलिस वाले वैरीफिकेशन के नाम पर उन्हें तंग करते हैं और यहां तक कि पुलिस थाने में रेप कर देते हैं। यह बड़े शर्म की बात है।

पुलिस यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया, कोई इंटरनेशनल एकेडमी पुलिस एकेडमी हो, उसमें 500 करोड़ रुपया कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेंगे। उसमें विकास के लिए पूरा पैसा दिया जाये। परमिट लेने में भी कम टैक्स लिया जाये। व्हिकल लाइसेंस में फोटो मशीनें ज्यादा लगायी जायें। पुलिस में रिटायरमेंट की एज 54 से बढ़ा करके अधिक की जाये। उन्हें सेवा का पूरा लाभ दिया जाये। सर्वाधिक भ्रष्टाचार पुलिस विभाग में है इसलिए आम आदमी और यह चरित्र बदलना बड़ा ही मुश्किल है।

श्री उपाध्यक्ष: अधिक पाइंट बता दोगे तो फिर याद नहीं रहेगा।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): बांग्लादेश से अवैध प्रवेश करके आये लोगों को चिह्नित कर उनके वोटर कार्ड वापिस लिये जायें और उनको बीपीएल का फायदा नहीं दिया जाये। पतियों की आज कल अगर कोई पत्नी शिकायत कर देती है तो वह शिकायत करके जेल में सास, ससुर, देवर, जेठानी को भिजवा देती हैं। इससे मुक्ति दिलायी जाये। पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार अंतिम छोर तक है। आम आदमी बहुत दुःखी है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): दो मिनट लूंगा, सर, मैं कारागार के बारे में बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जोधपुर वालों को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मेरा निवेदन है कि उसकी बाउण्ड्री 18 फीट की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: जोधपुर का किला बहुत ऊंचा है, विराजिये आप।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): जेलों में मोबाइल रखकर बहुत गडबड़ करते हैं। (व्यवधान) जेल तोड़ने वाले औजार उनके हाथ में नहीं आयें।

चौथा, हस्त उद्योग, उसकी मार्केटिंग के लिए हाट विकसित किये जायें। कोर्ट या अस्पताल वाहन में ले जाने के समय कम से कम थानेदार या आतंकी हो तो साथ में सीआई भी साथ में जाये। इनकी लघु शंका भी सिपाही कड़ी निगरानी में कराये। इसके अलावा, जोधपुर सेंट्रल जेल के पास में रेलवे स्टेशन आ गया है, इसका दूसरा गेट चौड़ा किया जाये, वहां की अच्छी व्यवस्था की जाये। मोहनपुरा के ट्रैफिक को कण्ट्रोल किया जाये और जोधपुर में सबसे बड़ी दिक्कत यातायात की है उसको एक तरफा करके जगह-जगह पर अच्छे सिगनल्स लगाये जायें जिससे ट्रैफिक कण्ट्रोल करने में मदद मिले।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। अब आप विराजें। माननीय श्री मंगलारामजी गोदारा। (व्यवधान) अब आप बैठ जायें। कितने पाइण्ट बता दिये और किसी ने नहीं बताये इतने।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस और कारागर पर आपने बोलने का टाइम दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं मेरे क्षेत्र की थोड़ी समस्या है वह बताना चाहता हूं क्योंकि बाकी तो सुझाव माननीय सदस्यों ने सब ने दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: पाइण्टवाइज।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): पाइण्टवाइज बताता हूं। मेरे सेवना थाना अभी पिछले बजट सत्र में खुला था तो सेवना थाने की बिल्डिंग के लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिए व्यवस्था करे। सीओ आफिस, डूंगरगढ़ की बिल्डिंग के लिए व्यवस्था करायें। दूसरा मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं, कांस्टेबल की जो तनख्वाह है वह थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर की जाये तो बढ़िया रहेगा क्योंकि 24 घण्टे में 17-18 घण्टे ड्यूटी एक सिपाही देता है और तनख्वाह कम होती है तो वह घर जाता है तो उसको पढ़ाई के लिए, कपड़ों के लिए, घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और घर जाने के बाद में उसको घर की परेशानी और उधर ड्यूटी की परेशानी। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी तनख्वाह कम से कम थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर की जाये तो बढ़िया रहेगा क्योंकि इससे वह सिपाही अच्छा काम करेगा और उसमें आपका करप्शन भी कम होगा।

दूसरी जो भत्तों की बात, मैस भत्ते की बात है वह बराबर करने चाहिये, मेरा भी सुझाव है और आज के युग में मैं तो कहता हूं कि और बढ़ाने चाहिए। श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में पहले जो थाना था उसकी जगह अभी चौकी है तो वहां कस्बे में एक और थाना खोल दिया जाये तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि वहां का एरिया, डूंगरपुर का काफी विकसित हुआ है और वहां क्राइम बढ़ रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर थाना खोला जाये तो अच्छा रहेगा। आपने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: मैं पहलवानजी, आपको टाइम दे सकता हूं लेकिन आप कहते ही विराज जाइएगा। (व्यवधान) आप विराजें पहले, मैंने इजाजत नहीं दी, दे सकता हूं अभी तो।

माननीय सदस्य, श्री रणवीर पहलवान।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मुझे तो टाइम भी पैसे में ही लेना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: इस सदन को अनुशासित रहना सिखाओ आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नपे तुले शब्दों में बोलूंगा, टेप ले आओ, गलत नहीं बोलूंगा। पुलिस में हमारे ही बहन भाई हैं। यह कोई पाकिस्तान से आये नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है कि पुलिस को और सीबीआई को समदृष्ट रखा जाये। वह दबाव में काम नहीं करेगी, हमारे

(श्री रणवीर पहलवान)

ही बहन-भाई हैं, दिन-रात वह खड़े रहते हैं, इधर से राजनेताओं का दबाव, उधर से किसी को पकड़ ले, कोई बदमाश मर जाये तो जेल का डर रहता है, वह किस तरह क्या करे यह समझ में पुलिस की भी नहीं आ रहा । माननीय डीजी साहब भी बैठे हैं, होम डिपार्टमेंट भी बैठा है, माननीय गृह मंत्रीजी भी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह आप इंगित नहीं करेंगे, कतई नहीं। मंत्रीजी को कहो कि आपका डीजी क्या है, क्या नहीं है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): डीजीपी साहब को और इनको निकाल दो, डर तो उनसे लगता है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): डर उनसे लगता है, मेरी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष: आप ज्यादा बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जायेगी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): पुलिस विभाग को समदृष्ट होना चाहिए। चूंकि अपराध दो प्रकार के हैं, विचारणीय और अविचारणीय। यह निश्चित करने के लिए कि विचारणीय अपराध है तो उसमें चाहे मुख्य मंत्री हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, वह बचेगा नहीं और जेल में डाल दिया जायेगा तो मेरी गारंटी है अपराधों पर अंकुश लगेगा। अभी हालत यह है कि यह पुलिस वाले भाइयों द्वारा गोली चलाई जा रही है, यह गोली पुलिस वाले नहीं चला रहे हैं, यह हम चलवा रहे हैं। जनता में जा-जाकर इतने बडे-बड़े असत्य बोल कर आते हैं और वह काम पूरे होते नहीं। सरकार हमारे हाथ में आ जाती है और उसके उपरान्त वह अपना हक मांगने आते हैं तब इनको लट्ठ देकर खड़े कर देते हैं, पुलिस वालों को बंदूक देकर खड़े कर देते हैं। एक लाख नौजवान प्रति वर्ष भर्ती किये जायेंगे, यह घोषणा पूरे राजस्थान में कर दी गई, उसके उपरान्त राज मिल गया अब वह नौजवान तो नौकरी मांगने आयेगा न अब? इनको खड़ा कर देते हैं, बेरिकेड्स लगाकर और वह तोड़-फोड़ करे तो गोली चलेगी और गोली चलेगी तो यहां से इनका ट्रांसफर होना है। डीजी बदलेगा, एसपी बदलेगा, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अगर हमने असत्य बोलकर सरकार ली है तो हमें भी जेल में डाला जाये। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें छोड़ा जाये। मेरी प्रार्थना है...

श्री उपाध्यक्ष: चालान तो होता है, पूरे एविडेंस होते हैं, एविडेंस होने के बाद ही तो चालान होता है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं भी मेरे विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं तो मेरा वहां टेप किया जाये कि मैं क्या-क्या असत्य बोल रहा हूं और उसके उपरान्त पूरा नहीं करता हूं तो मुझे जेल में डाला जाये ताकि राजनेता दुबारा आगे से असत्य नहीं बोले। जनता शान्त रहे, वोट तो डालने ही पड़ेंगे न? मुख्य मंत्री घोषणा कर देंगे तो हमें भी सरकार पाने के लिए उससे छह गुणा ज्यादा घोषणा करनी पड़ेगी, फिर उसको पचास गुणा, एक होड़ लग जायेगी, इसमें कोई फालतू चीज नहीं, जनता में आक्रोश फैलता है, मिलता है नहीं उसे और हम इतने बड़े-बड़े असत्य, यह भी दे देंगे, वह भी दे देंगे, आसमान दिखा देते हैं, स्वर्ग दिखा देते हैं, मिलता उसे कुछ नहीं है, फेमिन पर गारा खोदनी होती है।

खैर, नम्बर दो पर पुलिस लूट। यह भी सही है कि पुलिस में कुछ ईमानदार हैं तो कुछ बेईमान हैं। एक हमारे वहां पर बकरी मर गई। उसका मालिक रो रहा था, थानेदार गया तो थानेदार ने कहा कि क्या बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र के पास की बात है तो उसने कहा कि मेरी बकरी मर गई तो उसने कहा कि रोता क्यों है, उसने कहा कि हजार की थी तो थानेदार ने हजार रुपये उसको दे दिये और कहा कि पांच आदमियों के नाम भी लिखवा जा, वह लिखवा गया। शाम को ही पांच आदमियों को बुलाकर जूत मारे तो उन्होंने कहा कि साहब हमने मारी ही नहीं, उनसे पांच-पांच हजार रुपये लेकर कहा कि आप भी पांच-दस के नाम लिखवा जाओ। पूरे गांव से सुबह तक ढाई लाख की बकरी बेच दी। यह बकरी बेचना बंद कर दो मेरी प्रार्थना है। वह बुलाता रहा पूरे गांव को और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है, मैं इसमें कोई वह नहीं करता।

नम्बर तीन, हमारे राज्य के अन्दर, राजस्थान में बहुत से भाई ऐसे हैं जो फौज में हैं और फौज से रिटायर होकर आ गये। मैं समझता हूं कि पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा फौजी राजस्थान के हैं। आज हमारे शहरों में अगर राजस्थान में 100 में से 90 प्रतिशत व्यापारी गन मैन रखते हैं और पुलिस का गन मैन उनको बड़ा भारी पड़ता है। अगर इन फौजी भाइयों का लाइसेंस बन जाये तो हमारे यहां बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से गन मैन रख रखे हैं यहां दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये में तो

(श्री रणवीर पहलवान)

हमारे इन भाइयों को रख दिया जाये ताकि एक कालोनी के जो व्यापारी हैं और वहां 25-30 गन मैन फौजी वहां लगे हुए हैं तो वहां अपराध नहीं होने देंगे, वह निकलने भी किसी को नहीं देंगे, वह कम तनख्वाह में काम कर देंगे और उनका भी काम चल जायेगा।

तो यह जो लाइसेंस पर अंकुश लगाया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस से यहां जो चौमूं से यहां तक और अजमेर से यहां तक बहुत मरते देखे होंगे वह तो चश्मा लगाकर अंधा भी ले लेता है पर रिवाल्वर, गन के लाइसेंस से अब तक कोई नहीं मरा है आज तक। .98 प्रतिशत, माफ करें, 98.99 प्रतिशत अपराध हुए ही नहीं उनसे, .001 प्रतिशत हुए हैं तो वह बनाये जायें ताकि वह फौजी भाई यहां नौकरी कर ले।

नम्बर तीन, एसीडी, एसीडी इतनी महान है, जिसकी कोई सीमा नहीं। चाहे जिसकी तो गर्दन भचाक से काटते हैं और चाहे जिसको अभयदान दे देते हैं। 2300 आदमी रेड हैण्ड ट्रेप ऐसे हैं जो पकड़े गये, पकड़ने के उपरान्त आज तक उनका चालान पेश नहीं किया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक सीआई था ले-देकर वैशाली नगर में एसएचओ था, पकड़ा और पकड़ कर दो महीने में उसका चूरमा बना कर नौकरी से बर्खास्त करके घर भेज दिया। क्या जब दुनिया ही रिश्वत खा रही है, अभी जो एसीटीओ पकड़ी है उसने साफ कह दिया, सभी खा रहे हैं तो क्यों मुझे दु:खी कर रहे हो अकेली को और उस एक एसएचओ हमारा इतना बुरा लग रहा था, नहीं तो वह 2300 आदमी सरकार के कौन से दामाद लगते हैं जिनके चालान पेश नहीं किये गये 1993-94 से अब तक यहां पर। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजनीति का जो दबाव है पुलिस पर, वह समदृष्ट नहीं है, न तो गृह मंत्री और मुख्य मंत्री की जांच कौनसा कर लेंगे एसपी? सब ट्रांसफर, उनके नीचे है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं इसलिए कह रहा हूं कि गृह मंत्री, यूडीएच मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, मुख्य मंत्री का भाई, कइयों की वीडियो फिल्में रुपये लेते हुए बनाई थीं मैंने और उसको पूरे भारत के टीवी चैनलों पर दिखाया था। आज तक चालान पेश नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: एक बात दस दफा रिपीट नहीं करते हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं दस दफा करूंगा। मैं मरूंगा तब तक करूंगा, यह सब सामान्य बात नहीं है।

(श्री रणवीर पहलवान)

इनकी जांच कौन करेगा, गृह मंत्री की जांच मैंने कर दी, मेरे परिवार को, प्राणों को खतरे में डाल कर जांच कर दी और उस जांच का नतीजा यह निकला कि अपराधी मैं और वह संत बन गये तो साहब, हम दोनों में एक अपराधी तो है, वह मेरे पैसे दिलवाये जाएं, जो लाखों रुपये ले रखे हैं उन्होंने और उनका चालान पेश किया जाए ताकि आगे राजनेता को भी इसका डर रहे कि ऐसा हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि भ्रष्ट कांग्रेस में नहीं हैं, विपक्ष में नहीं हैं या मैं धरती का ईमानदार हूं, पर मैं जिस फिल्म में गृह मंत्री के चार गाड़ी, दो पुलिस की लगी रहती हैं, पता चलता तो मेरा एनकाउंटर करवा देते और मेरी पूरी समाधि बनवा देते विधान सभा के बाद ....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरी प्रार्थना है, इससे पारदर्शिता होगी, चाहे अपराधी मैं हूं, बचना नहीं चाहिए, चाहे अपराधी विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): पूरी पुलिस को सम्पर्क करके दोनों की पक्ष के 11-11 सदस्य नियुक्त कर दिये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: फिर समझौता टूट जाएगा, विराजिए आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): गृह मंत्री की जरूरत नहीं रहेगी, उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई एकदम पता चल जाएगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, धन्यवाद।

श्री मान सिंहजी – अनुपस्थित।

माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरूआत एक शेर से करता हूं ताकि बहुत सारी बातें उसमें शामिल हो जाती हैं समय कम है, आप मुझे पन्द्रह मिनट ही बोलने देंगे।

रास्ते आंख से ओझल हैं, सफर जारी है, जाने किस अहक के आगाज की तैयारी है, जिस तरफ देखिए मजलूम फरियादी है, जिस तरफ भी देखिए, जालिम की तरफदारी है।

दूसरा शेर और सुनाता हूं, बाद में और सुनाऊंगा।

खंजर है कि इंसाफ के सीने में गड़ा है,

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ज्ञानदेवजी अब की बार आप सारा समय ही शेरों के न्योछावर कर दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कानून भी, आपको इसमें तो मजा आना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, सारा सदन सुनना चाहता है शेर और शायरी, खंजर है कि इंसाफ के सीने में गड़ा है, कानून भी चुपचाप खड़ा देख रहा है, लोगों के लबों पर मसावत के चर्चे हैं, जहनों में ...(व्यवधान) मगर जहर भरे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लिख कर किसने दिया?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपने।

श्री उपाध्यक्ष: यह आवाज कैसे आ गई?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): समय मत खराब करिए मेरा।

श्री उपाध्यक्ष: जो खड़ा हो, उसी का माइक बोलना चाहिए न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान में कानून व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से चरमराई हुई है, इसका दोषी कौन है, मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं उनमें से हूं सिपाही से लेकर डीजीपी तक अपने हिसाब से मैं काम करवा लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बोलिए अपनी बात।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): किन्तु अलवर जिले में राहजनी, लूटमार, फिरौती, सोने की नकली ईंट, जिसको टटलू कहते हैं, नकली नोट, अवैध खनन, अवैध और नकली हथियार, सिंथेटिक दूध, मावा, पनीर, घी और श्रीखण्ड इत्यादि अलवर में बनता है लेकिन खुशी की बात है कि मादक पदार्थों, मोटर साइकिल चोरी, बोलेरो की चोरी, बहुत सारी बातें आ गई, अवैध खनन और क्या-क्या, जाली नोट इन सब के बावजूद भी वर्तमान एसपी ने बहुत सुखद तरीके से कंट्रोल किया है और बड़ी-बड़ी गैंग पकड़ी है, मैं उनके लिए इस सदन में प्रशंसा करता हूं, वर्तमान एसपी महोदय की, स्थिति ऐसी है कि जिले में थाने तो खोल दिये हैं लेकिन पर्याप्त नफरी नहीं है, इस नफरी के बारे में बाकायदा मैं पूरे डेटा लाया हूं, पूरी संख्या लाया हूं, समय कम है, एसपी साहब हैं, तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, उप अधीक्षक पूरे हैं, सहायक पुलिस अधीक्षक पूरे हैं लेकिन पुलिस निरीक्षक 20 में से 18 हैं, 2 कम हैं, इसी प्रकार से उप पुलिस सीपी 36 कम हैं, टोटल होने चाहिए 89, 50 हैं, 36 कम हैं, उप निरीक्षक एमटी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

भी 94 होने चाहिए 55 हैं, 36 कम हैं, सहायक उप निरीक्षक भी कम हैं और इसी प्रकार से कांस्टेबल की पूरी संख्या, समय कम है इसलिए अलवर जिले में 2080 में से 1511 कांस्टेबल हैं और 126 महिलाएं हैं, टोटल 1660, मंत्री महोदय, 420 संतरी कम हैं, कांस्टेबल 420, इसको पूरा करें। मैं एक बहुत आश्चर्यजनक तरीके से आपके सामने फिगर रखता हूं, हमारा भिवाड़ी सेक्टर है, भिवाड़ी सेक्टर हरियाणा की सीमा से लगा हुआ है और उसके साथ है जिला रेवाड़ी, उसके साथ है मेवात, उसके साथ है महेन्द्रगढ़। भिवाड़ी सेक्टर क्षेत्र के साथ में, रेवाड़ी जिले का 1594,104 किलोमीटर है और आबादी है 7 लाख 65 हजार, जो मैंने एनसीआर से मंगवाई है, मेवात में 1862 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, आबादी है 903 लाख और महेन्द्रगढ़ में 902 लाख, 1899 लेकिन अकेले भिवाड़ी सेक्टर का 2400 स्क्वायर किलोमीटर है, आप आश्चर्य करेंगे, वर्ष, 2010 में 2773 अपराध हुए, भिवाड़ी के थाने हैं 10, उनकी संख्या मैं बताता हूं, और 2011 में 3120 और 2012 में 3729, वहां अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्र हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और उन औद्योगिक क्षेत्रों का जो मैं आपको जो थाने बने हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र लगभग 10 हैं, इनमें भिवाड़ी, कूकड़ा, भिवाड़ी फेज तृतीय, चोपनकी, तिजारा, बहरोड़, शाहजहांपुर, नीमराणा, माण्डल ये 10 थाने वहां भिवाड़ी सेक्टर में हैं लेकिन वहां पर पोजीशन क्या है, यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पुलिस का सुदृढ़ीकरण कैसा है, माननीय मंत्री महोदय, आप जरा गौर फरमाएं, मैं पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए कह रहा हूं और जैसा आपकी जानकारी में हो, उसकी पूर्ति आप करें, नौ में पुलिस अधीक्षक, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दो उप अधीक्षक, पांच इंसपेक्टर एवं 700 अन्य रैंक नियोजित वहां कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी हैं, जिला रेवाड़ी में पुलिस अधीक्षक, दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तीन उप अधीक्षक, आठ इंसपेक्टर, 1500 अन्य रैंक के कर्मचारी हैं, संतरी और कांस्टेबल इत्यादि। जिला महेन्द्रगढ़ में एक पुलिस अधीक्षक, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दो डीएसपी...

श्री उपाध्यक्ष: आप संक्षिप्त करें, थोड़ा सा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय मैं इसकी जानकारी दे रहा हूं मैं कोई और बुराई नहीं कर रहा हूं आपकी।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो जो आपका अधिकार है वहां तक तो सीमित रहते हैं, आप, बाकी आप थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अलवर जिले में इसी प्रकार से नफरी कम है और भिवाड़ी सेक्टर में कुल तीन सौ पुलिस कर्मचारी हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीएसपी हैं दो, बहरोड़ और भिवाड़ी, आप बताइए कैसे मुकाबला हो?

इसी प्रकार से, वहां मोबाइल सर्विसेज का, जो आपके पीसीआर हैं, एक एक जिले में 5-5, 6-6 हैं, क्रेन हैं, एम्बुलेंस हैं, हरेक जिले की मैं संख्या बताऊंगा तो समय लगेगा लेकिन भिवाड़ी में मात्र एक मोबाइल पीसीआर गाड़ी और बहरोड़ में दो हाई-वे व हाई-वे पर 5-5, 7-7 पीसीआर हैं। आप ताज्जुब करेंगे, ये पूरे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दुष्कर्म पीड़िता का नाम सार्वजनिक करना आईपीसी की धारा 228 के अन्तर्गत अपराध है किन्तु फिर भी पुलिस की वेबसाइट में, सीएमओ की वेबसाइट में अभी तक उनका नाम जो पीड़िता है, दुष्कर्म पीड़िता, उसका नाम लिया जा रहा है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कम से कम वह नाम हटवा दें, मेहरबानी करके, वह नाम हटवा दें। ताकि उसकी और बदनामी न हो।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात नोट कर ली।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक कारागार के सम्बन्ध में क्योंकि आज 16 और 17 के बारे में चर्चा है। कारागार के बारे में हर बार मैं रखता हूं, आपके सामने निवेदन है, कारागार का माननीय गृह मंत्री महोदय, आप नोट करें। सेंट्रल जेल होना चाहिए अलवर में, क्योंकि सेंट्रल जेल की...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समय हो गया, कारागार से दूर ही रहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): दो मिनट सिर्फ। सारी क्षमता रखते हैं और अलवर जेल में 830 इस समय कैदी बंद हैं, सजायाफ्ता 325 हैं, आजीवन कारावास 230 हैं, कारागार में उद्योगशाला भी है, जिसके लिए और बजट चाहिए, 65 बीघा जमीन है, सारे नार्म्स, सारे प्रतिमान पूरे करते हैं, सेंट्रल जेल की, अलवर की जेल, कृपा करके सेंट्रल जेल बनाएं। बीच में एडिश्नल डीजी ओमेन्द्रजी भारद्वाज से मैं मिला था। मैने उनसे भी निवेदन किया।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आखिर में, एक मिनट, सिर्फ पुलिस के लिए ही, आज राव राजेन्द्र सिंहजी ने जो शुरू किया है, पुलिस की सब लोग बड़ाई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं इसलिए आप उसको तो सुनें साहब, पहली बार हो रहा है, विपक्ष के विधायक भी बोल रहे हैं आपके।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, डर लगता है आपकी वह देखता हूं तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): डर आपको नहीं लगना चाहिए मेरे से, वह मैं भी सुनाता हूं आपको ...(व्यवधान) एक शेर और सुनाऊंगा बस। पुलिस के बारे में इतना मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मंत्री महोदय, पुलिस की सुविधाओं के लिए नया ड्यूटी चार्ट बनाएं, उनके लिए नया वेज बोर्ड बनाने के लिए कोई कमेटी गठित करें, मैं अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मुझे, मैं संतरी रहा हूं पुलिस में, मुझे बहुत सारी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एक शेर और सुन लें बस।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: यदि सदन की सहमति हो तो माननीय मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत, सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाने का, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16-पुलिस, मांग संख्या 17-कारागार पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पेश करता हूं।

जिस तरह हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने 6 तारीख को राजस्थान सरकार का बजट पेश किया था इसमें कई तरह की सौगातें दी गई थीं। उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलकर आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पुलिस के लिए

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

और जो हमारे प्रतिनिधियों की डिमांड या प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकतानुसार कई तरह की घोषणाएं की हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 6 एडिशनल एस.पी. कार्यालय राजस्थान में खोलने का निर्णय लिया वह बहुत ही सराहनीय है। 12 नवीन वृत्त कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया है, 10 पुलिस चौकियों को थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा, 11 नये थाने स्थापित किए जाएंगे और 24 नई पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी। सबसे बड़ा इन्होंने जो निर्णय लिया है कि प्रदेश की सभी 9177 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम रक्षक लगाये जाएंगे ताकि वहां ग्रामवासियों की जो भी कोई समस्या होती है तो ग्राम रक्षक उनकी समस्या का समाधान कर लेगा और वहां पर अपराधियों में भय रहेगा। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस मोबाइल वैन की घोषणा की है वह बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश के अन्दर, पूरे भारतवर्ष में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत-गलत निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक टोल फ्री पुलिस मोबाइल वैन की घोषणा की है। अभी वह सभी सम्भागीय मुख्यालयों में लागू होगी और इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो मैस भत्ते की घोषणा की है, वह बहुत ही सराहनीय है। मैं भी इसमें यह कहना चाहता हूं कि मैस भत्ता सभी को समान रूप से पैसा दिया जाए चाहे 1750 रुपये हो या 2000 हो। इस सम्बन्ध में मेरे पास कई डीवाईएसपी के भी फोन आये हैं कि डीवाईएसपी को भी मैस भत्ता मिलना चाहिए तो यह भी जोड़ा जाए। सवा चार साल के कार्यकाल के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे मकराना के अन्दर जो कार्य किए हैं वे बहुत ही सराहनीय हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूर्व गृह मंत्री शांती धारीवाल जी और मौजूदा गृह मंत्री बेनीवालजी का कि हमारे पूर्व सरकार के कार्यकाल में मकराना में काम होते थे उन सबका छुटकारा इस चार साल के कार्यकाल के अन्दर मिल गया है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में हमारे मकराना में कई तरह के अवैध खनन वाले खनन माफिया, भूमाफिया थाने के मार्फत् खानों में कब्जे होते थे, खानों में गोलियां चलती थीं जिससे कई आदमी वहां मकराना में मारे गये थे। परन्तु जब से माननीय अशोकजी गहलोत की सरकार बनी है, तब से वहां एक भी इस तरह का कांड नहीं हुआ। यह सारा का सारा श्रेय हमारे मुख्य मंत्रीजी पर और पूर्व हमारे गृह मंत्री शांती धारीवाल पर जाता है। उस समय जब वो गृह

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

मंत्री थे तो उन्होंने स्पेशल कह दिया था कि इस तरह से मकराना में खानों में कब्जे होते हैं और पुलिस खानों में जाकर इंटरफेयर करती है यह बहुत ही गलत है क्योंकि यह खनिज विभाग का मामला है, खनिज विभाग चाहे उसी हाल में खानें चालू रहेंगी। पहले पुलिस चाहे जिस खान पर ताला लगा देती थी, चाहे जिस खान पर कब्जा करा देती थी पर आज चार साल के कार्यकाल में इस पर पूरा अंकुश लग गया है इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद पेश करना चाहता हूं।

मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलकर मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वे आपको बताना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले छह महीने पहले हमारे गच्छीपुरा थाने को डेगाना सी.ओ. के अण्डर में कर दिया गया तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको वापस मकराना सी.ओ. के अण्डर में किया जाए क्योंकि गच्छीपुरा उप तहसील भी बन गई है और मुंसिफ कोर्ट, एसडीएम कोर्ट सारे मकराना के अन्दर चलते हैं इसलिए वहां के क्षेत्रवासियों को डेगाना में देने से बहुत परेशानी हो रही है।

दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मकराना के अन्दर एक बाजोली ग्राम पंचायत है, एक खेड़ीशिला, ग्राम रतनास के जो गांव हैं जो परबतसर में पिलवा थाने के अन्तर्गत हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाजोली से पिलवा की 45-50 किलोमीटर है तो आप इसे गच्छीपुरा थाने के अन्दर संचालित रखें ताकि इसकी दूरी 10-15 किलोमीटर हो जाए।

मेरी तीसरी मकराना की जो समस्या है वह ट्रैफिक पुलिस की है। पूरे नागौर जिले में सबसे ज्यादा अगर व्हिकल, गाड़ियां हैं तो मकराना के अन्दर हैं और वहां ट्रैफिक पुलिस की बहुत भारी कमी है। वहां एक हैड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां दो हैड कांस्टेबल और 10 कांस्टेबल की वहां पर नियुक्ति की जाए ताकि वहां पर सुचारु रूप से ट्रैफिक की व्यवस्था हो सके।

मैं आपको चौथी समस्या बताना चाहता हूं कि हमारे मकराना थाने के अन्दर जो गाड़ियां जीपें, बोलेरो वगैरह हैं वे बहुत ही खटारा हो चुकी हैं, बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं। क्योंकि वहां पर आये दिन घटनाएं घटती रहती हैं और गाड़ियों के किलोमीटर भी पूरे हो चुके हैं इसलिए वहां पर नई गाड़ियां देने की आप घोषणा करें ताकि सुचारु रूप से वहां पर कार्य हो सके।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

पांचवीं समस्या आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र में बोरावड़ ग्राम पंचायत बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, वहां पर पुलिस चौकी है तो उस पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया जाए ताकि वहां के ग्रामवासियों को उसका फायदा मिल सके और वहां आने-जाने की दूरी है और समस्या उनको होती है उससे निजात मिल सके।

छठी समस्या मैं मेरे मकराना की बताता हूं कि वहां पर नफरी की संख्या बहुत ही कम है और अगर नफरी की संख्या बढ़ेगी तो वहां पर आये दिन चोरियां या अन्य घटनाएं होती हैं उनके अन्दर भी कमी आयेगी।

सातवीं समस्या मेरे मकराना में यह है, अभी हाल ही में डी.जी. साहब के आदेशानुसार आरएसी का कम्पनी मुख्यालय डीडवाना में घोषित हुआ है तो हम चाहते हैं कि हमारे मकराना में आरएसी लगे क्योंकि हमारे छोटी-मोटी कोई घटना हो जाती है तो आरएसी वाले नागौर से, अजमेर से, जयपुर से बुलाने पड़ते हैं इसलिए मकराना में यह कमी दूरी करें ताकि हम इसका फायदा उठा सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओम बिरला। नहीं बोलना चाहते क्या? माननीय श्री ओम बिरला, कोटा दक्षिण।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्याप्त समय आप दो तो बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: समय की कोई शर्त नहीं है, सीमा नहीं है, मैंने आपको पुकारा है आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गृह और कारागार की मांग पर चर्चा हो रही है। इस राजस्थान की विधान सभा के अन्दर जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2009 के अन्दर राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने वक्तव्य में कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर एक महिला मुख्य मंत्री होते हुए महिला की चेन खींची जा रही है, बुनियादी सवालों पर बात करने वालों को लाठियां मारी जा रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लूट हो रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस शासन को चार वर्ष हो गये हैं और शायद चार साल के शासन के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में अपराध पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया है, किसी महिला की चेन नहीं खींची जाती, लूट और डकैती नहीं होती, अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान मुख्य

(श्री ओम बिरला)

मंत्री पहले भी मुख्य मंत्री रहे थे और अगर वे जानते थे कि इन अपराधों को रोका नहीं जा सकता, अपराधों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता तो उन्हें पूर्ववर्ती सरकार पर इस तरीके के आरोप लगाने का भी अधिकार नहीं था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस राजस्थान के अन्दर कोई शहर नहीं बचा जिसके अन्दर चलती महिला की चेन नहीं खींची हो। जवाब में गृह मंत्रीजी बता दें कि राजस्थान का ऐसा कोई जिला है जहां पर चलती महिला की चेन नहीं खींची गई, उसका पर्स नहीं छीना गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इस सरकार के अन्दर, मेरे पास कोई कागज नहीं है मैं आंकड़ों के आधार पर भी कह सकता हूं कि महिलाओं पर अत्याचार के अन्दर चाहे वह चेन स्नेचिंग का मामला हो, चाहे लूट-डकैती का मामला हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दु:ख और पीड़ा होती है कि 394 नाबालिग बच्चियों के साथ इस राज के अन्दर बलात्कार होता रहा। इतना ही नहीं बलात्कार पीड़ित बच्ची अस्पताल में तड़फती रही यहां की महामहिम उसकी पीड़ा और दर्द को समझने गईं लेकिन यहां के राज करने वाले लोगों ने उसकी पीड़ा और दर्द को नहीं समझा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राज के अन्दर नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं और नाबालिग सुरक्षा के नाम पर सरकार केबिनेट में बैठकर निर्णय कर रही थी। शादी की उम्र 18 साल और यौन सम्बन्ध की उम्र 16 साल। क्या दिशा है इस सरकार की? मंत्रिमण्डल में बैठे लोगों, अगर वे देश के राजनैतिक दल इस बात को नहीं करते तो शायद तुम्हारे राज में तो वह नाबालिग बच्चियां दुष्कर्मों का शिकार होतीं और उसको कानून के दायरे में लाकर यह कहते कि यह कानून का पक्ष है कि 16 साल की नाबालिग बच्ची यौन सम्बन्ध बना सकती है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की सरकार के गृह मंत्रीजी बता दें, ऐसे गृह मंत्री जब असहाय हों, जिस राज का गृह मंत्री मुख्य मंत्री हों, उस राज के अन्दर मुख्य मंत्री जवाब दें...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पार्लियामेंट में बोल रहे हो या असेम्बली में बोल रहे हो?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पार्लियामेंट में ही बोल रहा हूं, असेम्बली में भी बोल रहा हूं। सात करोड़ जनता का अधिकार भी था। कानून बनाने के पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राज के अन्दर हम बहुत बड़ी-

(श्री ओम बिरला)

बड़ी बात कर रहे थे। सरे-आम राजधानी जयपुर के अन्दर जिस प्रकार से डकैतियां हुईं। अभी तीन दिन पहले की खबर थी। तीन खबरों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक महिला को धमकाया और धमकाने के बाद आरोपियों ने कहा, हम जयपुर में ही हैं, समझ लेना और दूसरा पहलू देखो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस सड़कों पर। विश्वास खो चुकी है राजस्थान की पुलिस इस सरकार से और इसीलिए पुलिस को पहली बार राजस्थान के इतिहास के अन्दर, मैंने भी राजनीति की 35 साल उम्र देखी है। कभी पुलिस के अधिकारी सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ आक्रोश के रूप में विधान सभा से बाहर निकलो तो नारेबाजी करते नजर नहीं आते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान का कोई जिला नहीं बचा जहां पर पुलिस और पुलिस की महिलाएं इस राज के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरी हों। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस कानून के राज की ये बात कर रहे थे कि हमारा कानून का राज है। हम कानून से राज चला रहे हैं। हम किसलिए जनतांत्रिक सत्ता में बैठे हैं कि हमारा सत्ता पर नियंत्रण हो, नीचे के सिस्टम पर नियंत्रण हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की पहल नहीं थी। यह तो पुलिस अधिकारियों का निर्णय था। जिस तरीके से एक जिले के अन्दर एक महीने पहले प्रशिक्षित आईपीएस पकड़ा जाये। हिम्मत देखो, इस सरकार के अन्दर नीचे का कारिंदा एक महीने बाद वहां का एसपी पकड़ा जाये। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार एफिडेविट दे सकती है कि इन अपराधों के बाद, इस करप्शन के बाद राजस्थान में कोई एसपी और नीचे का करप्शन सिस्टम समाप्त हो गया है। आप करप्शन समाप्त कर नहीं सको, आप बालिकाओं के बलात्कार को रोक नहीं सको, आप महिलाओं की चेन स्नेचिंग को रोक नहीं सको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को तो शर्म आ जानी चाहिए जिनको हम जेल के शिकंजे में डाल देते हैं, वे जेल से अपराध कर रहे हैं। वे जेल से अपराध ही नहीं कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जेल से हत्याएं करा रहे हैं, डकैती करा रहे हैं, लूट-खसोट करा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम इसलिए सरकार में बैठे हैं कि जेल में डालने के बाद भी वह अपराधियों से मिलकर षड्यंत्रपूर्वक हत्या, लूट, डकैती, अवैध वसूली कर लें? हम इसलिए सत्ता में बैठे हैं क्या? अगर हमारा इतना भी नियंत्रण नहीं कि हम जेल के

(श्री ओम बिरला)

बाहर के अपराधों को रोक नहीं सकें। वह जेल में चला जाये तो जेल के अन्दर अपराध को रोक नहीं सकें, फिर काहे के लिए हम बैठे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय, हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। यह दर्द आपका भी हो सकता है, यह दर्द मेरा भी हो सकता है लेकिन जेल के अन्दर से अपराध नियंत्रण तो हम कर सकते थे। जेल के बाहर अपराध आप नियंत्रित कर नहीं सको, जेल के अन्दर अपराध नियंत्रित आप कर नहीं सको।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान कुछ बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस राज के अन्द्र 9,337 दुर्घटनाएं होती थीं। बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हमने बहुत बड़ा ओहदा यातायात नियंत्रण पर लगा रखा है। हमने रोडवेज ट्रांसपोर्ट भी बना रखी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस राज के अन्दर सड़क दुर्घटनाओं से 9,335 लोग हर वर्ष मरते हैं। आज ट्रांसपोर्ट मंत्री और गृह मंत्रीजी एक ही जगह हैं, क्या हमने उन मंत्रालयों को लूट-खसोट करने की छूट दे रखी है या उस लूट-खसोट में से कुछ हिस्सा हमारा आता है? फिर हम सरकार में किसलिए बैठे हैं? सड़क पर खुले आम लूट हो, यातायात का अधिकारी लूटे। एक दिन के अन्दर जब छह-छह अर्थियां उठती हैं ना तो कलेजा फट जाता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए। विधान सभा में हम चिल्लाकर कहते हैं, कानून बनाओ। कोई दुर्घटना करने वाला व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसको सज़ा मिले। हम अंग्रेजों के कानून में परिवर्तन नहीं करना चाहते। आजादी के 65 साल बाद भी उस कानून में परिवर्तन नहीं हुआ। कितने लोग आज हैं जो अपंग हो जाते हैं, कई जिंदगी और मौत से जूझते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग, यातायात विभाग और पुलिस, तीनों आपके अण्डर में आते हैं। उसकी कार्य योजना बनानी चाहिए।

आपने रोड सेफ्टी कौंसिल बनाई। रोड सेफ्टी कौंसिल में कितना पैसा खर्च किया, कितनी दुर्घटनाएं रोक लीं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 22 प्रतिशत दुर्घटनाएं इस राज में बढ़ी हैं। मैंने पहले ही कहा था, इस सदन के अन्दर हमें पूरी बात कहने दो। अगर हमारी बात गलत हो तो गृह मंत्री जो असहाय हैं, फिर भी जवाब सुनेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना अनुरूप ...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सही-गलत का फैसला कहां से होगा? आप तो अख़बार पढ़कर सारी बात बोल रहे हो। सारी अख़बार की बात है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोई नहीं है। अख़बार का एक भी बिन्दु हो, 9,348 में 9,337 भी अगर बता दें तो ओम बिरला रिजाइन कर देगा यहां से विधान सभा से। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष: उत्तेजित नहीं करें माननीय सदस्य। माननीय मुख्य सचेतक से ज्यादा बिजी हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह नेक काम अभी क्यों कर रहे हो?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह तो आप भी आ जाना।

श्री उपाध्यक्ष: उनको उत्तेजित मत करो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): और आप मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, केकड़ी से लड़ाने के लिए पार्टी... (व्यवधान) इसके लिए भी तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप उत्तेजित मत होइये। आप उत्तेजित मत होइये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखो, आपको आना हो तो मैं रोक नहीं सकता। आपका स्वागत है। लेकिन यह नेक काम छह महीने बाद कर लेना, अभी जल्दी क्या है।

श्री उपाध्यक्ष: उत्तेजित मत होइये आप। अपनी बात समाप्त करिये आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और कानून और सरकार इसलिए है कि हम अपराधों पर नियंत्रण कर सकें। मैं एक-एक आंकड़ा आपको दूं कि आपके महिला अत्याचार, आपके प्रभारी मंत्री +++ यहां आये थे...

श्री उपाध्यक्ष: नाम नहीं, ये नाम नहीं। नाम नहीं। आप डिलीट कर दें। नाम नहीं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): +++ साहब ने...

श्री उपाध्यक्ष: वे सांसद हैं, उनका नाम नहीं लिया जा सकता।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अच्छा, नाम नहीं लेंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वे आपसे मिले थे क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपके बड़े नेता आये थे।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपके बड़े नेताओं ने कहा कि राजस्थान के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष: हां, वह केन्द्र में कोई मंत्री हो तो आप मंत्री शब्द कह सकते हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जिस तरीके से एससी एसटी पर अत्याचार बढ़ रहे हैं...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ये +++ कौन हैं?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): केन्द्रीय मंत्री साहब। केन्द्रीय मंत्री आपके बास हैं। आपके बास हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हां? नहीं हैं अभी केन्द्रीय मंत्री।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतकजी, जब मैं मना कर रहा हूं, आप नाम ले रहे हो। वापस उनका नाम आयेगा रिकार्ड में।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उसको निकलवाना ही है।

श्री उपाध्यक्ष: पहले डिलीट कर दिया था, मैं अब आपका भी डिलीट करा रहा हूं। ये जो नाम आया है, कृपया नाम डिलीट कर दीजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि राजस्थान में एससी एसटी पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। 18.3 प्रतिशत एससी एसटी पर अत्याचार बढ़े हैं। उन्होंने इस सरकार को चेताया।

महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि राजस्थान के अन्दर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। 18 प्रतिशत अत्याचार बढ़ चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर देश के अन्दर अपराध रिकार्ड में तीसरे नम्बर

(19.00 बजे)

पर है कोटा में दूसरे नम्बर पर है। इनके नेता चिंता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, योजना आयोग ने इनके प्रस्ताव को यह कह कर लौटाया कि आप पहले महिला अत्याचार की जो बढ़ती संख्या है, बलात्कार, चेन स्नेचिंग की घटना है, उस प्रस्ताव के लाने के पूर्व महिला सुरक्षा के इंतजाम के लिए आप इंतजाम करके इस प्रस्ताव को लाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब की सदन की एक ही चिंता है कि जिस तरीके से नये अपराध हो रहे हैं, यह अपराध, शायद

(श्री ओम बिरला)

स्वायत्त शासन मंत्रीजी नहीं हैं, यह खुद भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, जिस तरीके से भूमाफियाओं के अन्दर थाने चले गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज थाने भूमाफियाओं के संरक्षण में चल रहे हैं। कानून की चिंता नहीं है उनको, किस भूमि का मामला किस तरीके से निबटाना है, कोटा चले जाओ, जयपुर राजधानी में चले जाओ, जहां-जहां भूमि के दाम बढ़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जिस तरह से थाने भूमाफियाओं के संरक्षण में चल रहे हैं, यह हम सबके लिए चिंता का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप, संक्षेप, संक्षेप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कभी विचार किया कि जिन भूमाफियाओं के अपराध रिकार्ड दर्ज हुए हैं, जो भूमाफिया आइडेंटिफाई है, वांछित है, क्या हमारे इर्द-गिर्द घूमते हैं। क्या सरकार के संरक्षण में भूमाफिया अगल-बगल में रहकर उन थानों से लेकर, पुलिस से लेकर नये अपराध आर्थिक जगत में वहां माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा अपराध जगत की भूमि हुआ करता था, लेकिन अब अपराधियों ने मर्डर करना छोड़ दिया, चाकू चलाना छोड़ दिया, आज नये अपराध जमीन की खरीद-फरोख्त और जमीन पर कब्जा करना और वह थानों से मिलकर जिस तरीके से अपराध की नई दिशा बनी है, यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब की चिंता एक ही है, जिसे तरीके से बार-बार मैं चिल्लाता रहा इस सदन के अन्दर, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपके मुख्य सचेतकजी इशारा कर रहे हैं आपको बैठने के लिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): दो मिनट में। मैंने इस सदन में कहा था कि यहां मानव की तस्करी हो रही है, बच्चों का बाल श्रम कराया जा रहा है। लगातार रोजाना कोई न कोई दिन घटना आ रही है। मैंने कहा था बच्चियों की भी तस्करी हो रही है। मैं फिर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि सरकार की इच्छा हो तो इस देश के अन्दर, इस प्रदेश के अन्दर जिस तरीके से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आ रहे हैं और बांग्लादेशियों के कारण यह अपराधियों की शरणस्थली बन रहा है, इसको भी रोकना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अमन चैन बनाये, सरकार अपराधों पर नियंत्रण करे

(श्री ओम बिरला)

और इन चार साल के अन्दर बच्चियों पर, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, एससी. एसटी. पर अत्याचार, भूमाफियाओं को संरक्षण, जेलों से अपराधियों को संरक्षण जिस तरीके से आम जनजीवन असुरक्षित महसूस कर रहा है उसके बाद भी सरकार में बैठे लोग अगर उनका प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण नहीं है तो उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री नवलकिशोरजी मीणा । माननीय श्री नवलकिशोर मीणा। (अनुपस्थित) माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंहजी। (अनुपस्थित) माननीय श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार पर चर्चा हो रही है, इस पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामने से चर्चाएं आ रही हैं कि चार साल में यह हुआ, वह हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार करूंगा कि इस बार जो पुलिस के लिए बजट में घोषणा की है, अब तक के इतिहास में बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में नया पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया और आगामी वर्ष में बीकानेर में भी किया जायेगा। संभागीय मुख्यालय भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना, इतना करने के बाद भी सामने से धन्यवाद नहीं दे रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में सात नये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जायेंगे, पन्द्रह नये वृत्त कार्यालय खोले जायेंगे, पैंतीस थाने, एक साथ पैंतीस थाने राज्य में खोलना इतिहास में पहला मौका है जिसमें उन्नीस नये थाने और सोलह चौकियों को क्रमोन्नत करके कुल पैंतीस थाने, इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर पर्यटन थाने, जयपुर मैट्रो थाना, यह सम्मिलित है। इसके अलावा, 44 नई पुलिस चौकियां आज तक नहीं खोली गईं, 44 नई पुलिस चौकियां खोली जायेंगी। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 38 महिला थानों सहित 57 थानों को जहां सब इंसपेक्टर हैं, उनको निरीक्षक स्तर के किये जायेंगे, 57 थानों को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास में यह पहली बार इतने कार्यालय स्वीकृत किये गये हैं, निश्चित रूप से इससे कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होगी, पुलिस तंत्र मजबूत होगा और प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से सुरक्षा मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होमगार्ड

(श्री भगवान सहाय सैनी)

स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 220 रुपये से 300 रुपये किया गया, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्रीजी बैठे हैं, पुलिस भर्ती में होमगार्डस को शामिल किया जाय, एक कोटा फिक्स किया जाय कि जो भी पुलिस की भर्ती हों उसमें पचास प्रतिशत होमगार्ड से भर्ती की जाय जिससे इनको भी मौका मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र में सी.ओ. कार्यालय गोविन्दगढ़ में खोला गया और अभी बजट में प्रस्तावित कस्बा चौमूं में चौकी, जाटावाली में चौकी और चौमूं तहसील के खेजरोली में चौकी खोली गई, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं कस्बा लगभग एक लाख की आबादी का हो चुका है और चौमूं के वर्तमान थाने का, जो कमिश्नरेट जयपुर में आता है, क्षेत्र बहुत लम्बा है, आबादी काफी बढ़ गई है, बस्तियां बढ़ गई हैं तो मेरा आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि चौमूं में कोतवाली थाने की स्थापना की जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं थाने की नफरी बढ़ाई जाय, एएसआई, एसआई के पद काफी दिनों से खाली हैं, उनको भरा जाय और चौमूं में ट्रैफिक पुलिस पहले ग्रामीण पुलिस की थी, अब कमिश्नरेट में आने से केवल दो कांस्टेबल वहां पर रहते हैं, दो कांस्टेबल के भरोसे चौमूं की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती। जो वर्तमान स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, उनकी सोच यह है कि जब ट्रैफिक पुलिस है तो हम इसमें क्यों इंटरफियर करें जबकि दो ट्रैफिक पुलिस वालों के भरोसे चौमूं में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। माननीय गृह राज्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि चौमूं में एक एसआई, एक एएसआई और दस ट्रैफिक पुलिस के पद स्थापित करें और चौमूं में जितने भी प्रकरण होते हैं चालान वगैरह ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उन चालानों का निस्तारण ट्रैफिक पुलिस द्वारा चौमूं में ही किया जाय, उनको वर्तमान में जयपुर आना पड़ता है, बड़ी दुविधा होती है। चौमूं विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण थाने सांगोद, कालाडेरा, गोविन्दगढ़ थाने की नफरी बढ़ाई जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, जो जयपुर कमिश्नरेट के लिए नया क्षेत्र बढ़ाया गया है, चौमूं उसमें लिया, जहां-जहां नये क्षेत्र में पीसीआर, चेतक सेवा चल रही है, इनमें जो उनका काम है, उस काम के अलावा यह बंधी का काम करते हैं, इस पर अंकुश लगाया जाय। थानों में रात को निरीक्षण करके जो शराब पीकर ड्यूटी करते हैं, उन पर अंकुश लगाया जाय। शराब न पीने वाले अधिकारियों की टीम बनाकर रात्रि

(श्री भगवान सहाय सैनी)

निरीक्षण करवाये जायें और ड्यूटी पर शराब पिये हुए पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। जो रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा और शराब पिया हुआ मिलेगा तो वह क्या रक्षा कर सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए टोल फ्री महिला सुरक्षा लाइन स्थापित की जायेगी और 9177 ग्रामीण रक्षक भर्ती किये जायेंगे। निश्चित रूप से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हेमसिंह भडाना।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस व कारागार पर मांग संख्या 16 व 17 पर करीब तीन घंटे से पुलिस की कार्य प्रणाली, पुलिस की व्यवस्था किस तरह से हो ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा अपराधों पर अंकुश लगाकर सही साम्राज्य स्थापित किया जा सके, इस बात पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे।

(19.10 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो या तीन बातें बताना चाहता हूं। इस राजस्थान में पिछले चार साल में पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाना चाहती है। लेकिन कांग्रेसी सरकार के राजनीतिक दबाव के कारण पूर्ण रूप से अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और अपराधी सरेआम खुले में घूम रहे हैं। उनको राजनीति संरक्षण मिल रहा है, उनको राजनीतिक दबाव के कारण यह राजस्थान की पुलिस पूर्ण रूप से अपना काम करना नहीं चाहती। 24 अप्रैल, 2012 में तिजारा पुलिस थाने में मुलजिमों को कोर्ट के अन्दर लाया गया और बदमाशों का गिरोह हथियारों से लैस होकर के आया और ए.सी.जे.एम. कोर्ट के सामने फायर करता हुआ पूरे कस्बे के बीच में, जो हमारे वहां से एक मंत्री भी हैं, उनके विधान सभा क्षेत्र की घटना बता रहा हूं। वह बदमाश उन अपराधियों को कोर्ट के अन्दर से छुड़ाकर सरेआम ले गया और उसका आज तक भी कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि सरेआम राजनीतिक संरक्षण के दबाव के कारण अपराध पर अंकुश नहीं लग पाये हैं। हमको सोचना होगा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी की कोई कौम नहीं होती है। अपराधी की सिर्फ एक ही परिभाषा होती है अपराधी। दूसरा

(श्री हेमसिंह भडाना)

उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी बताया था, इस बात को, और पूरा राजस्थान गवाह है, इस बात का कि टपूकड़ा थाने के अन्दर एसएचओ पिछले साल, एक साल भी नहीं हुआ है, अपनी स्वयं की सर्विस रिवाल्वर से कनपटी पर गोली लगाकर आत्महत्या कर लेता है। उसकी वजह क्या है? न वह आर्थिक तंगी में था, न कोई पारिवारिक कलह थी, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब नहीं था। उसकी वजह थी कि वह ईमानदार अधिकारी था, वह अपराधों को, लूटने वाले गिरोह को, चोरी करने वालों को, मर्डर करने वाले को और उन अपराधियों को जो हरियाणा में तस्करी करने ले जाते हैं, उनको बचाने का काम नहीं करता था। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उसने मजबूरन यह स्थिति पैदा कर दी कि या तो नौकरी से हटो या उस अपराध को संरक्षण दो और उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ? उस सब-इंस्पेक्टर ने स्वयं की अपनी जीवन लीला खतम कर दी। इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती है और वह जिस थाने के अन्दर तैनात था। शायद टपूकड़ा, भिवाड़ी, तिजारा, कोटकासिम, किशनगढ़, शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड़ यह थाने ऐसे हैं जो पुलिस की दृष्टि में एक नम्बर के थाने हैं। एक नम्बर का थाना वही होता है जहां पर लूट खसोट, दुर्घटनाएं, अवैध खनन, अवैध माइनिंग और आये दिन जो नकली सोने की ईंट होती है। उसका सारा कारोबार बढ़ने का उस भिवाड़ी, तिजारा एरिया के अन्दर होता है। ऐसी जगह पर, वहां पर थानेदार हत्या करता है तो इसका मतलब यही है कि 100 परसेंट सरकार की पारदर्शिता नहीं है, सरकार का मन नहीं है कि अपराधियों पर अंकुश लगा सके। सरकार का मन नहीं है, माननीय मंत्रीजी, मैं आपको निश्चित रूप से पूछना चाहूंगा कि उस सब-इंस्पेक्टर की मौत का कारण क्या था? क्या इसके पीछे आपने कोई जांच बिठाई या कोई कमेटी बिठाई या सरकार का कोई स्टेटमेंट आया? कोई नहीं आया, अपराधियों ने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तीसरी, बात बताना चाहूंगा आपको कि गोपालगढ़ काण्ड हुआ था। गोपालगढ़ काण्ड के अन्दर स्थिति यह हो गई थी कि अगर गोली काण्ड नहीं होता तो निश्चित रूप से थाने में जितने भी जन प्रतिनिधि बैठे थे। जितने भी अधिकारी बैठे थे, एसपी बैठा था, कलक्टर बैठा था, उस पर जनता ने चढ़ाव कर दिया और निश्चित रूप से उन्होंने अपनी स्वयं की जान बचाने के लिए फायरिंग करना पड़ा। मजबूरन आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं और आपकी सरकार ने क्या दण्ड दिया उसको? आपकी सरकार ने उस

(श्री हेमसिंह भडाना)

एसपी, कलक्टर को प्रमोशन करने के बजाय आपने उसको सज़ा दी, सस्पैण्ड। उसी गोपालगढ़ काण्ड के अन्दर आज कोई अपराधी किसी के घर चाय पी ले या उसके घर पहुंच जाए तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर पकड़ लाती है और एक हिस्ट्रीशीटर की मोटरसाइकिल पर आपके कांग्रेस का एक बहुत बड़ा पदाधिकारी उसी गोपालगढ़ काण्ड के अन्दर जाते हैं। सरकार की मंशा नहीं है और सरकार ने यह लाइसेंस दे रखे हैं कि खुलेआम गुण्डागर्दी करो, खुलेआम अपराध करो। पुलिस वालों से कहो कि हमारी जब तक सरकार है तब तक किसी भी अपराधी को, किसी भी गुण्डे को पकड़ने नहीं दिया जाएगा, यह काम आपकी सरकार कर रही है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा निश्चित रूप से जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी अच्छा काम करें, नेक काम करे तो निश्चित रूप से वह सम्मानित होना चाहिए। लेकिन यह करते नहीं हैं। अभी हमारे एसपी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया था और अपराधों पर अंकुश लगाया। लेकिन उनके अंकुश लगाने के बीच में राजनीति व्यक्ति, दो-दो मंत्री आये दिन हर थाने में फोन करते हैं कि इनको छोड़ दीजिए, इनको जाने दीजिए। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा अपराध और सबसे ज्यादा अपराध की श्रेणी है तो इस समय अलवर जिला एक नम्बर पर है। नकली सोने की ईंट अलवर ज़िले के अन्दर बनती है और बिकती है। अलवर ज़िले के अन्दर मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा चोरी होती है, अलवर ज़िले के अन्दर सबसे ज्यादा एसी गाड़ियां, बोलेरो गाड़ियां सारी चोरी होती हैं और मेवात के थानों के अन्दर सरकार ने खटारा जीपें दे रखी हैं जिनकी स्पीड 40 और 60 है। अपराधी 150-200 किलोमीटर से चलने वाली गाड़ियों में बैठ कर के आते हैं और अपराध करके चले जाते हैं। इस पर हम सबको सोचना होगा। इस सरकार से, मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन चारों थानों में करीब डेढ़ हजार चोरी के मुक़दमे एक साल के अन्दर हुए हैं। इन थानों में 20 या 25 थानों में यह स्थिति है कि गाड़ी कहां गई? नुव में गई, कहां गई, हथेण में गई, कहां गई, हरियाणा में गई। हरियाणा सीमा लगती है, उसमें एक मोटरसाइकिल का दस हजार दे दो, बोलेरो का लाने का पचास हजार दे दो और स्कार्पियों का लाने का डेढ़ लाख रुपये दे दो तो खुद थाने वाले मजबूर होकर यह कह देते हैं कि हमको पता है फलाने थाने में आपकी गाड़ी है। फलाने व्यक्ति के पास आपकी गाड़ी है, लेकिन हम मजबूर हैं उसको लाने में, आप अपनी व्यवस्था स्वयं करके वह गाड़ी लेकर आइए।

(श्री हेमसिंह भडाना)

मैं आपको एक नई बात और बता रहा हूं पिछले दिनों पूरे समाचार पत्रों में छपा था। सब जगह लिखा हुआ था, हरियाणा की पुलिस एक गाय चोरी प्रकरण में, भैंस चोरी प्रकरण में और मोटरसाइकिल प्रकरण में बहुत बड़े गैंग को पकड़ने के लिए मेवात गांव में आई। जैसे ही गांव में आई, इतने हौसले बुलंद हो गये कि पूरे गांव ने, वहां राजस्थान की पुलिस भी मौजूद थी, उनको घेर लिया और बंदी बना लिया। उसका फोटो आया, टीवी में आया, प्रिंट मीडिया में आया, सबको पता है और आज तक जिन्होंने अपहरण किया पुलिस को वह खुलेआम घूम रहे हैं। एक नई बात है हमारे यहां, पहली बात मोटरसाइकिल वह रखता है, बोलेरो वह रखता है, स्कार्पियों वह रखता है जो आर्थिक सम्पन्न हो, अच्छा धनवान व्यक्ति हो लेकिन गरीब व्यक्ति क्या रखता है? भैंस, बकरी, गाय, भेड़ और इससे क्या यह हमारे लिए शर्म की बात हो सकती है कि हमारे गांव के अन्दर अलवर ज़िले में मेरे थानागाजी, टहला, नारायणपुर, प्रतापगढ़, राजगढ़ यहां से सरेआम एक-एक गाड़ी के अन्दर बीस-बीस भैंस को उठा कर के रात को पार कर ले जाते हैं और बेचारा गरीब मजदूर किसी और चोर को माध्यम बना कर के उनको छुड़ाता है और पुलिस असहाय होती है। ऐसी स्थिति हमारे अलवर ज़िले के अन्दर हो रही है। राजस्थान की पुलिस की स्थिति आप सब के सामने जगजाहिर है। ऐसी हालत में हमको सोचना होगा और इस राजनीतिक दबाव को हटाना होगा। पुलिस को राजनीतिक संरक्षण से बचाना होगा और अलवर ज़िले में चोरियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अपराधियों को पकड़ना होगा और जो लिखा होता है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, उसके ठीक विपरीत आज हो रहा है। अपराधी थाने में आते हैं, अपराधी भू-माफिया हो रहे हैं, अपराधी ज़मीनों का सौदा कर रहे हैं। अपराधी हरियाणा से आते हैं और राजस्थान के अन्दर कम डीएलसी रेट पर जमीन लेकर के और पुलिस संरक्षण से वह अपनी जमीन छुड़वाते हैं। बेचारा गरीब पुराना काश्तकार जिसका नाम नहीं है, वह क़ाबिज़ है बीस साल से, वह व्यक्ति तरस रहा है, उस जमीन के लिए, वह उस पर क़ाबिज़ है, अपने बाल बच्चों को लेकर के बैठा है लेकिन हमारी पुलिस मूकदर्शक बनी बैठी है। पचास हरियाणा से गुण्डे आये और उनकी जमीन को खाली कराया और उस व्यक्ति को घर से बेदखल कर दिया और पुलिस चुपचाप बैठी है। चूंकि पुलिस को निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस भी उस मामले में मूकदर्शक रह जाती है, असहाय हो जाती है। उसका खूब काम करने का मन होता है उनमें भी आत्मा है उनमें भी वही खून है, हमारे भाईबंधु हैं लेकिन

(श्री हेमसिंह भडाना)

मजबूरी, ऐसी व्यवस्था कर दी कि पहली बार 'ए' क्लास थानों में से, जहां हमेशा एस.पी. पोस्टिंग दिया करते थे एसएचओ की, वह पहली बार एसपी के यहां से पोस्टिंग न होकर के गृह मंत्रालय से पोस्टिंग जाती है। अभी रामहेतजी ने बताया कि निश्चित रूप से महिला उत्पीड़न का मामला चल रहा है पूरे हिन्दुस्तान में हाहाकार हुआ। कोई फांसी की सज़ा की बात कर रहा है, 353/2012 माननीय गृह मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अभी भी बताया था कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हमारे रामहेतजी गये और चार महीने से अपराधी खुलेआम राजनेताओं के साथ फोटो, खुलेआम भू-माफियाओं के साथ फोटो, खुलेआम घूम रहा है और पुलिस उसको पकड़ने में असहाय है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जब एफआईआर नंबर बता दिया, जब उसका पुलिस थाना बता दिया, उसके बाद अपराध की प्रवृत्ति बता दी। जांच लीजिये। उस फाइल को मंगाइये और जो अपराधी है कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे हमारा सगा भाई ही क्यों न हो, उसको अरेस्ट कीजिये, यह आप में क्षमता होनी चाहिए। मेरे भाई और साथी हैं, मित्र हैं प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि बहुत पारदर्शिता है, यह होना चाहिए। ए.सी.डी. ने अच्छा काम किया, मैं भी मान रहा हूं बहुत अच्छी बात थी होना चाहिए लेकिन होता नहीं है यह। होता नहीं है, होना चाहिए अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा काम आप लोग करो तो निश्चित रूप से हम धन्यवाद देंगे। लेकिन ऐसा काम लग नहीं रहा जो कि धन्यवाद का कारण हो। बहुत से साथियों ने तो कहा कि चौकी खुल जाए, थाना बन जाए तो सारा हो जाएगा। चौकी थाना क्या खाक करेंगे, जब आपका संरक्षण हट जाएगा तो चार पुलिस वाले जूते देकर बंद कर देंगे। माननीय सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री करण सिंह।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, पुलिस कारागृह पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, बड़ी लंबी-चौड़ी चर्चा मैंने कोटा शहर से आने वाले हमारे विधायक का भाषण बड़े जोश-खरोश से सुना। मेरा नंबर बोलने में नहीं था पर मैं भी भाग कर आया। मैंने कहा कि मुझे भी बुलाओ। हमारे सचेतक महोदय रघु जी से विनती की तो बड़ी मुश्किल से नंबर आया। बहुत लंबा-लंबा भाषण सुनने को मिला। अच्छी बात है आपका

(श्री करणसिंह)

धर्म आपने निभाया क्योंकि धर्म नहीं निभाओगे तो टिकट कट जाएगा तो धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। पर मैं कहना चाहता हूं पुलिस पर पक्ष और विपक्ष जो चर्चा करे, उसमें हम किस तरह से क्राइम पर कंट्रोल करें, किस तरह से हम आम जनता की सुरक्षा करें, किस तरह से हम कानून-व्यवस्था को मेंटेन करें, इस सब की जिम्मेदारी हम सब जो विधायक चुन कर आते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी होती है। मैं यह मानता हूं और हम देख रहे हैं कि साढ़े चार साल के शासन में किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस शासन को चलाया और हम सदन में बैठ कर कुछ भी आरोप-प्रत्यारोप लगा दें, मगर बाहर जनता जानती है कि जिस तरह से फैसले हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं और किस तरह से कानून-व्यवस्था को कंट्रोल करके और शांतिपूर्ण कायम करने का जो काम किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग जो सदन में बैठे हैं, सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने कई बार प्रयास किया कि इस राजस्थान में माहौल खराब हो। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि इस राजस्थान में अशांति फैले। मैं उस चीज पर बाद में आऊंगा, पहले मेरे सुझाव दूंगा क्योंकि मैं फिर मेरे सुझाव दे नहीं पाता हूं और मेरा सुझाव बाद में कंट्रोवर्सी में आ जाता है इसलिए मैं पहले पुलिस व्यवस्था में जो कमी है, उस पर बोल दूं नहीं तो फिर मुझे मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं पहले पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए अपनी बात कहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस में जो स्टाफ की कमी है यह वास्तव में इस पर गम्भीर चिन्तन करने का विषय है। थानों में पुलिस कर्मचारी नहीं हैं, उनके पास जीप व्यवस्था नहीं है, जीप ठीक नहीं होती है। कई बार हमारे मंत्री जाते हैं और वह गाड़ी आगे चलती है प्रोटोकोल में तो वह गाड़ी हमारा साथ नहीं पकड़ पाती। कई बार हमारी गाड़ी को रुकना पड़ता है और उस गाड़ी को फिर हमें आगे लगाना पड़ता है और फिर आप बताइये किस तरह से हम पुलिस से क्राइम करने वालों को पकड़ने की उम्मीद करेंगे। एक तो इनको पूरी तरह से जो सुविधाएं हैं, वे देनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इनको जो साधन-सुविधाएं हैं, पूरी हम मुहैया करायें। आज की तारीख में हाइटेक क्राइम होने लग गया। मोबाइल के माध्यम से गाड़ी-घोड़ों के माध्यम से जिस तरह से भूमाफिया और जिस तरह से बड़े-बड़े तस्कर और जिस तरह से अवैध खनन करने वालों के पास बड़ी-बड़ी

(श्री करणसिंह)

गाड़ियां, करोड़ों रुपये का कारोबार, वे किसी तरह से डरते नहीं है। इसलिए हमको उस तरह से सोचते हुए इनको विकसित करना पड़ेगा। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिस तरह से आई.टी. के माध्यम से, मैं इस माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अब जमाना है कि जैसे आर.पी.एस. की आप भर्ती करते हैं तो इसमें भी टेक्निकल इंजीनियर आना चाहिए। पुलिस की भर्ती में टेक्निकल व्यक्ति होना चाहिए, ताकि जो साइबर केफे के थ्रू और जो मोबाइल के थ्रू क्राइम्स आजकल पकड़े जा रहे हैं उसमें इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्राइम्स को पकड़ सकें। ऐसा मेरा सुझाव है।

दूसरा इनकी भोजन व्यवस्था, नाश्ता व्यवस्था। यह वास्तव में एक शर्म की बात है। इनके नाश्ते और भोजन व्यवस्था के लिए जो फंड है, उसको बढ़ाना चाहिए। इससे इनका मनोबल गिरता है। कई बार लांगरी में इनको जो खाना मिलता है वह ठीक तरह से नहीं मिल पाता है, बजट कम होता है और खाना अगर उनको नहीं मिलता है तो पुलिस का जो जवान है वह कमजोर होता है, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता है उसके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए हमें जो भी करना है, मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इनकी पूरी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। कई बार इनके पास जहां इनके थाने होते हैं, पुलिस चौकी होती है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, रहने के क्वाटर्स नहीं होते हैं, बैड्स वगैरह नहीं होते हैं, तो ये सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। क्योंकि चौबीस घंटे पुलिस का जवान नौकरी करता है और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम चाहे कितने ही बड़े भाषण दे दें, पर सड़क पर जब कपड़े फटते हैं न, तो सबसे पहले पुलिस वाले ही बचाने आते हैं नेताओं को, अगर पुलिस नहीं हो तो चाहे करण सिंहजी हो, चाहे दूसरे राठौड़ साहब हो, किसी के कपड़े बचने वाले नहीं हैं। कपड़े ये ही बचाते हैं, थाने में पहले रिपोर्ट ये दर्ज होती है, उसके बाद कुछ करते हैं तो इनके नेता लोग ही हम लोगों के हाथ बांधने के प्रयास करते हैं। कितनी बड़ी घटना हुई राजस्थान में, किसने माहौल बिगाड़ा, किसने आग लगाई, किसने बुलाया और बुलाकर के कहा कि गोलियां चल रही हैं बाहर। आंखें बंद थीं क्या हमारी, आपने वाहवाही लेना चाही, किस तरह का माहौल बनाना चाहते थे आप, क्या जनता में संदेश देना चाहते थे आप? क्या आपका इरादा था? आपका इरादा पूरा हो जाए तो पूरे देश को आप जला कर रख दें। आप इस तरह का हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं, इस तरह का राजस्थान बनाना चाहते हैं। इस तरह की आपकी सोच रही है। हिन्दुस्तान में

(श्री करणसिंह)

हमेशा आपकी जो सोच रही है वह फिरकापरस्ती की रही है। आपने कभी सोचा कि शांति-व्यवस्था रहे। आपके राज को हमने देखा है चार साल पहले। क्या नहीं किया आपने? कितनी गोलियां चलाई गुर्जरों पर, कितने किसानों को मारा आपने? क्या आपका कानून था क्या, कोई व्यवस्था थी क्या? सड़कों पर लोग पड़े हुए थे, जाम था पूरे हिन्दुस्तान का। ट्रेनों के रास्ते बंद थे। बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं कि भूमाफिया पैदा हो गये। कौन थे भूमाफिया कोटा में? मैं पूछना चाहता हूं सदन में अनन्तपुरा कच्ची बस्ती की जमीन पर कब्जा किन लोगों का है? माननीय सभापति महोदय, जांच करा कर देखिये। एक भूमाफिया है, उसके कारण पिछली सरकार के समय में मैं नाम नही लेना चाहता हूं, अनन्तपुरा कच्ची बस्ती है, और मैं कोटा का प्रेसीडेंट रहा हूं और जो साथी बोल रहे हैं मेरे आमने-सामने थे और जीता मैं। इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे मित्र हैं वे, हम दोनों ने साथ-साथ शुरूआत की और वे लम्बा-लम्बा भाषण देते हैं तो मुझे बड़ा दुःख होता है। भाषण तो दो पर भाषण में ताकत दिखाते हैं, 'माननीय सभापति महोदय, धरती पर आकर देखिये, आसमान में तारे टपक रहे हैं।' यह क्या बात होती है? इस बात को धीरे बोलो। 'कोई सरकार नजर नहीं आती है माननीय सभापति महोदय, हिला देंगे हम आपको। जनता जवाब देगी, माननीय सभापति महोदय।' ये बातें कहां की आती हैं? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नाटक कम्पनी नहीं है ये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): 'माननीय सभापति महोदय, जनता जवाब देगी।' ये क्या बात हो गयी? ये कहां की बातें आईं? (व्यवधान) तरीका बता रहा हूं मैं। मेरे कालेज के इलेक्शन में भी, माननीय सभापति महोदय, इसी तरह भाषण दिया था। इन भाषणों से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। हम सबकी जिम्मेदारी है इस देश को चलाने की। जनता ने वोट दिया है हमको। शांति होनी चाहिए, किसी का घर नहीं जलना चाहिए, किसी की बेटी नहीं मरनी चाहिए, किसी का बेटा नहीं मरना चाहिए और अगर हम सब मिल करके इस शांति को कायम नहीं करेंगे तो इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। कानून हम बनाते हैं, आर्डर हम देते हैं सरकार को। पुलिस वाले क्या करेंगे? एक तरफ तो बोलते हैं कि बंद कर दो और एक तरफ कहते हैं कि छोड़ दो। क्या करेंगे पुलिस वाले? अभी क्या हुआ राजस्थान में, क्या दुर्दशा हुई, किस तरह पुलिस काम करेगी? क्या इनके हाथ बांध कर रखना चाहते हो? कैसे कानून-व्यवस्था संभलेगी?

(श्री करणसिंह)

माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्थाएं हैं और उनको ही अख़बार वाले छापते हैं, हमारी कोई छापता ही नहीं है। हमें तो हमारे दल वाले ही नहीं बुलाते, बडी मुश्किल से लड़-झगड़ के बोलने का नंबर आया है मेरा। मैं कहता हूं कि मुझे बुलाया करो, मैं इनका जवाब देने के लिए पैदा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि झालावाड़ में और बारां में जबरदस्त भू-माफिया क्राइम था, अवैध धंधे थे, बिहार बनने वाला था। अगर कांग्रेस का राज नहीं आता तो आम जनता सुरक्षित नहीं रहती। वह बैठे झालावाड़ के हमारे भाई, भू-माफिया गुंडे और झालावाड़ में भवानीमण्डी थाने में नगर पालिका का एक चेयरमैन +++ ने सरेआम पुलिस को ठोका, एनडीपीएस वालों को ठोका ...(व्यवधान) एनडीपीएस का बहुत बड़ा तस्कर, पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। सिफारिश थी ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नाम नहीं बोलें। यह एक्सपंज कर देना।

श्री करणसिंह (छबड़ा): क्योंकि माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह किस तरह की बहस करा रहे हो आप? अगर आप इसको ठीक मानते हैं तो कराओ ना, अगर आप इसको ठीक मानते हो तो कराओ। (व्यवधान) यह राजस्थान की विधान सभा है या रंगमंच है? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) थोडा तो बड़प्पन दिखाओ, वरिष्ठ हो ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ...(व्यवधान) पागल हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) यह क्या करवा रहे हो आप?

श्री सभापति: माननीय सभापति बोलने में क्या बात है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, यह रंगमंच नहीं है विधान सभा है, विधान सभा। यह क्या मजाक बना रखी है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप जिस तरह से बोलते हो उसी तरह से बोलो आप।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं कहना चाहता हूं भवानीमण्डी के +++ ने सरेआम पुलिस को पीटा। डीवाई एसपी और एसडीओ को भागना पड़ा, बजरंग सिंह डीवाई एसपी थे, मुझे मालूम है। माननीय सभापति महोदय, कोई भी चार साल तक उस भू-माफिया का, गुंडे का कुछ नहीं बिगाड पाए। माननीय सभापति महोदय, आज वह जेल में है। आगरा की पुलिस पकड कर लाई उसको। माननीय सभापति महोदय, +++, अभी सरेआम ब्लाइंड मर्डर हुआ है भारतीय जनता पार्टी का वह जिला अध्यक्ष है। गलत काम कौन कर रहा है और हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री के ऊपर एक दाग नहीं है, हमारे नेताओं के ऊपर। इन चार साल में अगर किसी ने गलत काम किया तो हमारे कांग्रेस के नेता ही जेलों में गये हैं। आज हमारे कांग्रेस के नेता जेलों में बंद है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहीं भी इस तरह को प्रोत्साहन करने का काम नहीं किया। पुलिस की छवि सुधरी है, पुलिस पर विश्वास बढ़ा है, पुलिस पर आदमी का विश्वास कायम हुआ है, उसको तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। कोई बोलता है, महिलाओं की चेन टूट गई। किसके दिमाग में लिखा है कौन क्राइम करेगा, चेन तोड़ने वाला कब आयेगा, किस के घर में कौन घुस जाएगा? बेरोजगारी की समस्या है। आज से पहले नहीं टूटी क्या? अभी तो चेन ही टूटी है पहले तो 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिला से बलात्कार हुआ है। आंकडे बताऊं क्या, बोलूं क्या? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, पुष्कर में क्या हुआ? बलात्कार, मर्डर ...(व्यवधान) पहलवान जी, हमारे साथ रहोगे तभी सुरक्षित रहोगे। माननीय सभापति महोदय, पुष्कर में ...(व्यवधान) ब्रह्माजी का पवित्र स्थान, वहां क्या होता था, माननीय सभापति महोदय, केबरा डांस, रंगरैलियां, बार डांस, हुक्का, रात को 11-11 बजे शराब, महफिलें चलती थीं, यह क्या था, कौनसी संस्कृति लाना चाहते थे? उसको सुधारने का काम अगर किसी ने किया है तो वह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है। हमको संस्कारित बनाने का काम किया है तो वह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है। कटारिया साहब गृह मंत्री थे, इनका सिर झुका रहता था। कटारिया साहब सज्जन पुरुष थे, इनका सिर झुका रहता था। कम से कम यह कहते तो थे मुझे शर्म आती है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरी चलती नहीं है और आज कटारिया साहब सम्मान के साथ कम से कम खुली सांस तो ले रहे हैं। वह जमाना था, क्या नहीं होता था? इसलिए ज्यादा जोर से बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं एक बात और कहूंगा..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब खतम करो ना।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, फोरेस्ट की जमीन पर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): +++ बुलाओ, खूब बुलाओ ...(व्यवधान) बुलाओ, बुलाओ। (व्यवधान) खुद का भी +++ और विधान सभा का भी +++ ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, जनता ने चुन कर भेजा है ...(व्यवधान) मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है क्योंकि जो आवाज को दबाने वाले थे उनकी आवाज को दबा कर मैं सदन में आया हूं। एनडीपीएस के नाम पर निर्दोष लोगों को जेल में ठूंस दिया। जिसके अफीम के पट्टे थे, मीणा, गुर्जर, धाकड़, लिस्ट बनती थी, लोगों को गलत ठूंस दिया गया, माननीय सभापति महोदय, उनकी आत्मा तो दुःख पा ही रही है, उनके परिवार की आत्मा भी दुःख पा रही है, वह जेलों में सड़ रहे हैं, इस बात को सदन में नहीं बोलूंगा क्या? कितने लोगों को ठूंस दिया? जिन तस्करों ने क्राइम किया है, उनको बंद नहीं किया है और गरीब किसानों को, अफीम का पट्टा क्या ले लिया उसने, उसको जेलों में भर दिया।

श्री सभापति: श्री सुखराम कोली।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ऐसा काम किया, वह सदन में नहीं बताऊंगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, पुलिस का विश्वास पैदा कीजिए, पुलिस का सम्मान बढ़ाइए, पुलिस को सुविधा दीजिए, पुलिस को फंड दीजिए, पुलिस को लग्जरी गाड़ी दीजिए, पुलिस को लैपटाप दीजिए ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री करणसिंह (छबड़ा): पुलिस को मोबाइल दीजिए और पुलिस को धन्यवाद दीजिए, जय हिन्द।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस और कारागार की डिमांड पर बहस चल रही है। हमारे माननीय सदस्य अभी तुरन्त कह रहे थे कि सभी महिलाएं सुरक्षित हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि चेचट थाने में महिला कांस्टेबल के साथ क्या हुआ था, यह भी थोड़ा बता देते। किस तरह से रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ, यह चीज भी यहां रखते तो शायद बेहतर था। आपकी पुलिस में क्या हो रहा है इसका छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, फूल मोहम्मद का क्या हुआ? फूल मोहम्मद का आपको यहां नाम लेना चाहिए था। कितनी

(श्री सुखराम)

बार पुलिस पिटी है, क्यों पिटी है? सभापति महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट में जो अधिकारी वर्ग बैठा हुआ है इसमें सीधा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, जो भरतलाल मीणा है, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं और यह आरपीएस से आईपीएस की पदोन्नति हेतु जा रहे हैं जबकि, सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जब किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और उसके साथ-साथ एडीजे में केस विचाराधीन हो ऐसे किसी भी अधिकारी को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता, फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा सकती और यह भरतलाल मीणा को किस तरह से प्रमोशन दे रहे हैं यह भी थोड़ा बता देते।

एक बड़े गम्भीर विषय की बात है, आप कभी ध्यान देना कि पुलिस की कैप पर अशोक चक्र लगा हुआ है। यह अशोक चक्र प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और हम नहीं लगा सकते, कोई साधारण इंसान नहीं लगा सकता, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है जो अशोक चक्र जो कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की शान है, उसे अपनी कैप पर धारण करता है परन्तु यही पुलिस डिपार्टमेंट महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़, महिला कांस्टेबल का किस तरह से शोषण, यह भी माननीय सदस्य अगर थोडा सा यहां रखते तो ज्यादा बढ़िया था। सभापति महोदय, आज जिस तरह से पूरे राज्य में हत्या, डकैती, इत्यादि क्राइम हैं, उस क्राइम में जिस तरह से वृद्धि हो रही है यद इन कांग्रेस भाइयों को यह नहीं दिखता कि जब एक बाप की बेटी की इज्जत लुटती है तो वह बाप किस तरह से रो रहा है, शायद उसके आंसू इनको दिखाई नहीं दिए। एक पति के सामने उसकी पत्नी की किस तरह से इज्जत लूटी जाती है शायद इन माननीय सदस्यों को दिखाई नहीं दिया। जब एक पुत्र की पिता के सामने हत्या की जा रही है शायद यह इनको दिखाई नहीं दिया। जब यही पुलिस वाले एक हत्या को किस तरह से सुसाइड का रूप देते हैं, यह भी इनको दिखाई नहीं दिया। यह तो हमारी शान है, अशोक चक्र इनकी कैप पर धारण है और उस शान को किस तरह से यह मिटाते हैं, यह भी माननीय सदस्य यहां कहते । किस तरह से इस सदन का, यहां पर चिल्ला-चिल्लाकर मखौल उड़ाया गया, यहां पर किस तरह से बात रखी गई, मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य के लिए यह शोभा नहीं देता? हम विचार कर रहे हैं पुलिस की कमियों पर, हम विचार कर रहे हैं पुलिस की आवश्यकताओं पर, दोनों चीज रखनी चाहिए थी। परन्तु हम सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहां पर अपनी बात रखते हैं। मैं ज्यादा न जाकर सीधी अपनी बात पर आता हूं।

(श्री सुखराम)

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह डकैती में 10.71 परसेंट की वृद्धि हुई है क्या इनको दिखाई नहीं देता क्या? लूट में 11 परसेंट की वृद्धि, अपहरण में 1.22 परसेंट की वृद्धि । मैं समझता हूं कि बलात्कार में जिस तरह से, माननीय सदस्य अगर पढ़े हों, तो देख लें कि 13.83 परसेंट की जिस तरीके से बलात्कार के केस में वृद्धि हुई है, क्या यह माननीय सदस्य को दिखाई नहीं दिया? यहां ताली बजा रहे हैं हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हमारे लिए यह किया, किया होगा, प्रत्येक सरकार करती है। आपके मुख्य मंत्रीजी ने क्या अलग से कर दिया क्या? आपके मुख्य मंत्रीजी ने किया है, जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के आधार पर किया है। कोई भी सरकार अपने घर से पैसा नहीं लगाती, जनता के टैक्स में से प्रत्येक योजना मद में खर्च करती है, तो इन्होंने कोई अलग से नहीं किया यहां पर। दूसरी, चोरी की घटना में 10.50 परसेंट वृद्धि और कुल जो अपराध है 3.22 परसेंट की वृद्धि हुई है। इसको देखते तो निश्चित रूप से इनकी आंख खुलती। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से यह सब चीज होनी चाहिए। हमारा धौलपुर है, धौलपुर में भी हमारा जनसंख्या अनुपात है, जनसंख्या अनुपात में चाहे राजाखेड़ा हो, धौलपुर हो, बसेड़ी हो, बाडी हो, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो जिला है यह जिला वास्तव में ही हमेशा से कुख्यात रहा है। यहां का प्रत्येक इंसान पिछड़ेपन का शिकार रहा है। पुलिस की अनदेखी का हमेशा शिकार रहा है। मैं राहुल प्रकाशजी को धन्यवाद दूंगा, हरेन्द्र महावरजी को, कि जिस प्रकार से इन्होंने राहुल प्रकाशजी ने, विकास कुमार जी ने जो मापदण्ड स्थापित किए थे हम आज कम से कम चैन की सांस ले रहे हैं। यहां पर अधिकारी किस तरह से अनदेखी करते हैं, सिर्फ अपने चहेतों को, मैं तो समझता हूं कि इस पुलिस के पास दो ही काम हैं, या तो नेताओं की चापलूसी करना या अपनी जेबें भरना। कोई भी मंत्री आता है अपनी शान-शौकत समझता है, चार गाड़ी आगे लग रही हैं, चार पीछे चल रही है, मंत्रीजी उसमें बैठे हुए हैं, यह कहां की बात है? आपको जनता दिखाई नहीं देती? जयपुर में मंत्रीजी जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। सामान्य जनता और उनके केस उनको दिखाई देने चाहिए। हमारा धौलपुर है, हमें राजस्थान का पता नहीं क्या है, क्या नहीं, हमें तो धौलपुर की ज्यादा मालूम रहती है, कि विकासजी और राहुल प्रकाशजी नहीं होते तो आज जिस तरह से हमारा धौलपुर क्राइम की ओर बढ़ रहा था, उसमें प्रतिबन्ध नहीं लगता। सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण

(श्री सुखराम)

बिन्दु, कि पूरे राजस्थान के जितने एसपी हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू पुलिस डिपार्टमेंट में अगर किसी ने कलेक्ट किया है तो धौलपुर के हरेन्द्र महावर ने किया है और किसी भी अधिकारी ने उसकी पीठ नहीं थपथपाई। अन्य डिपार्टमेंट से कितना परसेंट, शायद पन्द्रह सौ प्रतिशत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया है। एक तरफ जब अधिकारी अपनी जेबे भरने लगे हैं और दूसरी तरफ वह एसपी इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है पर कोई भी अधिकारी। हो सकता है कुछ कमियां हैं पर उन कमियों को, पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरना चाहिए। इसके साथ-साथ निश्चित रूप से पुलिस की कमी है पर इस दृष्टिकोण को दूसरे दृष्टिकोण से देखे। राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? आपके पास कान्स्टेबल कम हैं, आपके पास एसआई रैंक के अधिकारी कम हैं, आप उनकी भर्ती करें, जो नफरी कम है उसे बढ़ाए। दूसरी तरफ कहते हैं कि पुलिस वाला 100 रुपये लेता है,जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, निश्चित रूप से लेता होगा। जब वह 24 घण्टे ड्यूटी कर रहा है, मैं समर्थन नहीं कर रहा परन्तु मैं दूसरी तरफ आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूं कि अगर एक पुलिस वाला डांग क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा है उसने 100 रुपये ले लिए तो आपने क्या कभी यह देखा कि उसकी जो तनख्वाह है वह थर्ड ग्रेड टीचर से भी कम है। जो थर्ड ग्रेड का टीचर 8 घण्टे ड्यूटी करके सिर्फ कुर्सी तोड़ता है और यह बिचारे हाथ में राइफल लेकर, जो क्रिमिनल है, उनसे मुकाबला करने के लिए ही खड़े हैं, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्या इनका वेतन होना चाहिए। इनकी वर्दी का भत्ता क्या होना चाहिए, इनको क्या सुविधाएं होनी चाहिए? अधिकारी वर्ग बैठा है, जितने भी अधिकारी हैं वह अपने बंगलों में जाकर सोते हैं, अधिकारी को गाड़ी-बंगले मिल रहे हैं, सभी सुविधाएं मिल रही है पर यह कान्स्टेबल वहां 24 घण्टे ड्यूटी दे रहा है, उसकी सुख-सुविधाओं से कोई लेना-देना नहीं है। हां, इतना जरूर होता है कि उससे अगर कोई बेगार करानी है तो मैं समझता हूं सामन्तशाही की जिस तरीके से अधिकारियों की चलती है तो सिर्फ और सिर्फ कान्स्टेबल पर चलती है, चाहे वह महिला कान्स्टेबल हो या पुरुष कान्स्टेबल हो। अगर एसपी साहब को सब्जी मंगानी है तो कान्स्टेबल लेने जाएगा, बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो कान्स्टेबल जाएगा, यह कहां की सामंतशाही है, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि कान्स्टेबल की, पुलिस की कमी है, जब तक हम अपने पुलिस बल का मनोबल नहीं

(श्री सुखराम)

बढ़ाएंगे, जब तक हम उसकी सुख-सुविधा में वृद्धि नहीं करेंगे निश्चित रूप से हम उससे अच्छे भविष्य की कामना नहीं कर सकते। एक तरफ हम लॉ एंड आर्डर की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बलि का बकरा बनाते हैं। मुझे यह बता दें, राजस्थान में जब भी किसी कान्स्टेबल पर आपत्ति पड़ी है तो किस अधिकारी ने उनको सपोर्ट किया है? जब किसी को बलि का बकरा बनाया जाता है तो सबसे पहले कान्स्टेबल बलि का बकरा बनता है। वह अधिकारी बलि का बकरा क्यों नहीं बनता जिसके आर्डर से वह वहां गया है, काम करने के लिए? अगर रेस्पोन्सेबिलिटी किसी की आती है, केस फंस गया, किसी के लट्ठ दे दिया, तब वह कान्स्टेबल मरना है और नहीं दिया तो भी कान्स्टेबल मरना है। जयपुर का छोड़ दें, जहां पर कमिश्नरजी को हटाया, एसपी साहब, दो-तीन और हटाए थे परन्तु इस केस को छोड़कर जहां भी बलि का बकरा बनाया जाता है कान्स्टेबल को ही क्यों बनाया जाता है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि अधिकारी अगर छुट्टी ले लें, अगर उसे भरतपुर से, धौलपुर से कहीं दूसरे जिले से जयपुर आना है, तुरन्त उस पर कोई न कोई एवीडेंस डाल देंगे, कोई न कोई सरकारी ट्यूर डाल देंगे, वह गाड़ी लेकर जयपुर आ जाएगा। अगर कान्स्टेबल, उसकी बच्ची बीमार है, बच्चा बीमार है या उसको कोई आवश्यक कार्य हो गया, अगर उसे जाना है तो उसे लिखित में पहले अपने कम्पनी कमाण्डर को देना पड़ता है, कम्पनी कमाण्डर दूसरी जगह सूचित करेगा, यह कहां का न्याय है? अधिकारी के लिए सब मनमानी और कान्स्टेबल के लिए कुछ नहीं, इनकी पदोन्नति, इनकी छुट्टी। जो अन्य सिविल कर्मचारी हैं 8 घण्टे ड्यूटी करते हैं, यह बिचारे 24 घण्टे ड्यूटी करते हैं, निश्चित रूप से इनके मनोबल में कमी आई है। पुलिस का उपार्जित अवकाश 30 दिन का मिलता है जबकि इनकी हार्ड ड्यूटी को देखते हुए इनको कम से कम 50 या 60 दिन का प्रावधान होना चाहिए। मैं समझता हूं, हम यहां चिल्ला रहे हैं, यहां पर कुछ होने वाला नहीं है। जितनी भी पुलिस नफरी है। गृह राज्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं और मुझे कहते हुए जरा भी हिचक नहीं है कि इन जैसा बिलकुल ढीला आदमी आज तक किसी भी कैबिनेट में नहीं है। अगर इनको कोई एक कागज दें, कान्स्टेबल अगर कोई कागज दे रहा है, जांच के लिए दे दिया तो 6 महीने तक वह घूमता रहेगा। हमारे यहां कहावत है कि थानेदारी गरम की और दुकानदारी नरम की। गृह मंत्रीजी आप पुलिस से कहते हो कि मुलजिमों से बड़ी शालीनता से पेश आएं, क्या यह पुलिस वाले यह कहें

(श्री सुखराम)

कि आओ मुलजिम जी बैठो, आपके लिए चाय आ रही है, काफी आ रही है, क्या वह क्राइम को स्वीकार करेगा, क्या कन्ट्रोल होगा। आप खुद की विनम्रता ही भाषा लिए हुए हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप किसी एसपी को फोन करोगे तो एसपी भी आपके फोन को तवज्जो नहीं देते, शायद मैं समझता हूं कि यह बहस करना उचित नहीं है। अगर यहां पर मुख्य मंत्रीजी होते, हम तो सीधे-सीधे मुख्य मंत्रीजी से इच्छा कर सकते हैं कि अगर वह यहां पर कुछ चीजें पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति, अगर उनकी जरा भी संवेदनशीलता हो तो इनकी जो समस्या है उनका समाधान करें। सभापति महोदय, एक और है, महिला कान्स्टेबल। मैं समझता हूं कि शायद पुलिस कान्स्टेबल तो फिर भी कैसे भी ड्यूटी कर लेता है, पर पुलिस डिपार्टमेंट में अगर सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है तो महिला कान्स्टेबल का हो रहा है।

अगर उसने अपने अधिकारी की बात नहीं मानी और उसके मन माफिक कार्य नहीं किया तो उसे ऐसी जगह फील्ड पोस्टिंग दी जाती है कि उसको रात के 11 बजे ड्यूटी, अगर सिटी से बाहर देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में देंगे तो वह कैसे ड्यूटी कर पाएगी। अगर उसकी बात नहीं मानी तो निश्चित रूप से उसे ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है कि उसे कागजों में ड्यूटी कहेंगे परन्तु उसे मानसिक रूप से प्रताड़ना देने के लिये इस तरह से उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। दूसरा, जो क्राइम बढ़ रहा है, एक तरफ हम क्राइम रोकने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस के संसाधन हैं, वह इतने सीमित हैं कि उन सीमित संसाधनों से अगर एक तरह से मैं यह कहूं कि घोड़े की नाल में पैर बांध दिये और उससे कहते हैं कि दौड़ो। पुलिस डिपार्टमेंट, एक तरफ उसके गले में मानवाधिकार का एक पट्टा डला हुआ है, कुछ कह नहीं सकता है। दूसरी तरफ गृह मंत्रीजी का पट्टा डला हुआ है तो तीसरी तरफ मुख्य मंत्रीजी का दबाव पड़ा है। चौथी तरफ किसी न किसी मंत्री के रिश्तेदार का कोई न कोई दबाव पड़ेगा। उस समय उससे कहेंगे कि आप जांच करो। तो कैसे वह जांच कर सकता है।

सभापति महोदय, मैं एक और कहना चाहूंगा कि एक दूसरा डिपार्टमेंट है, किसी ने उसको नहीं छूआ। वह भी एक आरक्षी दल है। वह कहीं न कहीं आपके द्वारा दिये हुए मानदेय पर जीवित है। होमगार्ड के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जबकि यह होमगार्ड पुलिस को सपोर्ट करता है। परन्तु होमगार्ड का जो जवान है, वह भी शिकार होता है। जो ड्यूटी लगाने वाला है जब तक उस

(श्री सुखराम)

ड्यूटी लगाने वाले को पैसे दे देते हैं तब तो उस होमगार्ड के आदमी को ड्यूटी पर पहुंचा दिया जाता है। अगर वह पैसा नहीं देता है तो उसको वहां से वापस कर दिया जाता है। उसे कोई न कोई उस पर नोट डाल कर घर बैठा दिया जाता है। मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग के साथ-साथ होमगार्ड की भी, उनको स्थाई करने की आवश्यकता है। उनको अच्छी सुविधाएं देने की आवश्यकता है। होमगार्ड की अन्य जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए, शारीरिक दक्षता को देखते हुए उनको परमानेंट करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। आप अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन अब समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सभापति महोदय, एक केस है, एफ.आई.आर. नम्बर 27/12, गृह राज्य मंत्रीजी, अगर थोड़ी सी भी चल रही हो तो एक केस को, इसको देख लेना कि आपके पुलिस की क्या करतूत है।

श्री सभापति: बस ठीक है, ठीक है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): एफ.आई.आर. नम्बर 27/12, थाना रुदावल ...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 9 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9 बजे तक बढ़ाया गया।

थोड़ा संक्षिप्त करें आप। संक्षिप्त करें आप। अच्छा बोल रहे हैं। आपने अच्छे सुझाव दिये। पर अब एफ.आई.आर. और यह छोड़ो आप। यह तो एफ.आई.आर. बात करते रहना। एफ.आई.आर. का क्या मतलब? (व्यवधान) बता देना।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री सुखराम (बसेड़ी): सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से, एफ.आई.आर. नम्बर 27/12, थाना रुदावल, वहां का जो डीवाई.एस.पी. है, बयाना का डीवाई.एस.पी.। यह दलित गरीब आदमी है। पहले तो एक प्राइवेट कम्पनी ने इसके साथ फर्जीवाड़ा किया। इसके बाद जब इसने एफ.आई.आर. कराई रुदावल थाने में तो वहां का जो डीवाई.एस.पी. है, उस डीवाई.एस.पी. ने इस पर दबाव दिया। जब यह दबाव में नहीं आया तो इसके विरोध में मोटर साइकिल की चोरी का आरोप, कहा या तो राजीनामा कर, यह डीवाई.एस.पी. पर आरोप है, यह डीवाई.एस.पी. पर आरोप लगा रहा हूं, इस चीज को प्रूफ कर सकता हूं कि उस पर दबाव डाला। जब दबाव नहीं चला तो उसने उन गुण्डों से मिल कर उसको मोटर साइकिल में उलझाया। (व्यवधान) धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। (व्यवधान) अब आप बिलकुल समाप्त करें। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मांग संख्या-16 गृह एवं मांग संख्या 17-कारागार पर पिछले तीन घण्टे से लगातार वाद-विवाद हो रहा है।

श्री सभापति: तीन घण्टे नहीं, छह घण्टे से।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कई सदस्यों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कई सदस्यों ने सरकार के चार साल के कार्यकाल पर सवालिया निशान खड़े किये। सभापति महोदय, आप मेरे को 10-20 मिनट का टाइम दे देना।

श्री सभापति: आप सुझाव देना और अच्छा बोलना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं भूमिका बनाकर फिर ढंग से बोलूंगा।

श्री सभापति: भूमिका मत बनाओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): फिर तो जल्दी-जल्दी होगा।

सभापति महोदय, वर्ष 2012 के अन्दर भारतीय दण्ड संहिता में 2011 की अपेक्षा अपराधों में राजस्थान में 3.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिला अत्याचार अपराधों में गत वर्ष की अपेक्षा 5.83 प्रतिशत की वृद्धि रही।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजस्थान के पड़ौसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात से अन्तर्राज्यीय अपराधियों की सक्रियता, संगठित अपराधों के अन्तरराज्यीय व अन्तरराष्ट्रीय प्रसार, संचार और परिवहन के साधनों में व्याप्त विस्तार की सामान्य वृद्धि हुई है। आज प्रदेश के अन्दर जिस पुलिस बेड़े पर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा का भार है, उस पुलिस बेड़े में आई.पी.एस. के 205 में से 44 पद रिक्त हैं। आर.पी.एस. के 795 में से 230 पद रिक्त हैं। पुलिस अधीनस्थ सेवा, पुलिस निरीक्षक, सी.सी. के 1162 में से 253 पद रिक्त हैं। सभापति महोदय, उप निरीक्षक, पी.सी. के 4084 पदों में से 1805 पद रिक्त हैं। इस बजट में भी इन पदों को भरने के लिये अभी तक कुछ तय नहीं किया गया। सहायक उप निरीक्षक, पुलिस 5661 पद, रिक्त पद 1698, हैड कांस्टेबल 10033 में से 2147 रिक्त और कांस्टेबल 71414 में से 12267 रिक्त पद। अन्य राजपत्रित अधिकारी व मंत्रालयिक कर्मचारी जो भी हैं, वह 30 प्रतिशत पुलिस बेड़े के अन्दर रिक्त पड़े हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार पुलिस आयोजना व कल्याण के लिये बजट के अन्दर सरकार ने प्रावधान रखा है। जिसको पुलिस आयोजना का कल्याण, राजस्थान पुलिस हितकारी निधि, बेनेवोलेण्ट फण्ड, इसमें राज्य सरकार ने 2012-13 में 185 लाख रुपये स्वीकृत किये। मेरा सुझाव है कि इसके साथ-साथ पुलिस कल्याण निधि, दोनों के अन्दर बढ़ा कर जो पुलिसकर्मी अपराधियों से लड़ता हुआ शहादत प्राप्त करे, उसके परिवार को और गम्भीर बीमारी आदि के इलाज के लिये जो यह फण्ड है, इसको बढ़ाकर पांच लाख रुपये और 10 लाख रुपये तक किया जाना उचित रहेगा।

सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में, लगभग 10 जगह प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे हुए। गोपालगढ़ काण्ड कांग्रेस सरकार के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह है। पुलिस की गोलियों से लोग मरे और इस सरकार के हाथ खून से सने हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के भी हाथ खून से सने हुए थे। तब घड़साना, रावला, सोहेला गोलीकाण्ड और 80 गूजरों को भी गोलियों से मारा गया।

सभापति महोदय, आज प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की बात करें तो सी.आई. फूल मोहम्मद को सरेआम जला दिया गया और उच्च अधिकारी छोड़ कर भाग गये। पुलिस का इकबाल कैसे प्रदेश में कायम रहेगा? लोगों का

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हौसला इतना बढ़ जाए कि एक इंस्पेक्टर को तेल छिड़क कर आग लगा दें। यह पुलिस के इकबाल की स्थिति है।

(20.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक के लड़के की जो हत्या की गई और गवाहों को धमकाने के लिए जेल से, मध्य प्रदेश से सुपारी किलर लाए गए। वे सुपारी किलर जिस रामकिशन, वकील के साथ रुके और मिले, वह रामकिशन, वकील आज भी कांग्रेस के राज में जयपुर की सड़कों पर खुला घूम रहा है। राजस्थान की पुलिस उस रामकिशन को नहीं पकड़ पा रही है।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के अन्दर जो मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है। हमारे छोटू जाट का राजसमन्द जिले के अन्दर पुलिस ने एनकाउंटर किया। उस पर कोई गम्भीर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं थे। बाड़मेर से कल्याणपुर थाने की पुलिस रोजनामचे में दिनेश को गिरफ्तार करना बता रही थी कि दिनेश को पकड़ने के लिए टीम गठित की और दिनेश को पकड़ने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में छोटू मिल गया तो इसलिए उसको मार दिया। उस बात को लेकर मैंने सदन में पहले भी यह मामला उठाया था। उसकी सी.बी.आई. जांच सरकार को करवानी चाहिए। हमारे समाज को बहुत बड़ी ठेस इस मामले से लगी है।

बाबूलाल, जोधपुर जिले का ही बाबूलाल पुत्र श्री रतनाराम जाट, जिसकी लाश तीन दिन तक जेठानिया गांव के अन्दर पड़ी रही और गांव के जागीरदारों ने उस लाश को वहां पर जलाने नहीं दिया और सारा काम वहां विधायक के इशारे पर हो रहा था। फिर 42 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदारों के वहां पर ले जाकर उस लाश को जलाया। माननीय सभापति महोदय, अगर मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले में आदमी अपने गांव में अपना अंतिम संस्कार ही नहीं कर पाए तो मुझे लगता नहीं है कि कोई कानून की स्थिति अच्छी राजस्थान के अन्दर होगी।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर जिले के कैरूं गांव का सरपंच सुरेश चौधरी जो कांग्रेस का पदाधिकारी भी था और उसने भू-माफियाओं से लड़ते हुए, सरकारी जमीन को खाली करवाते हुए, अतिक्रमणमुक्त करवाने के लिए लड़ाई लड़ी। अपराधियों ने उसको मार दिया। पूरा समाज उद्वेलित था।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जोधपुर में धरने-प्रदर्शन हुए। राजस्थान की विधान सभा में मामला उठा। एक जन-प्रतिनिधि चाहे वह सरपंच, प्रधान, विधायक या सांसद हो और वह भू-माफियाओं से लड़ते हुए इस तरह से शहादत प्राप्त करे तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, उस परिवार की मांग थी। न तो उसको शहीद को दर्जा मिला और आज भी पांच आरोपी पकड़ से बाहर हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों ही जोधपुर जिले के, जोधपुर शहर के अन्दर शिवलाल विश्नोई अपनी मां के साथ, बच्चों के साथ जब जा रहा था। कोई ऐसा गम्भीर अपराध उस पर नहीं था। फिर भी कमिश्नरेट की पुलिस, तीन थानों की पुलिस ने उसका पीछा किया और उसकी गाड़ी को टक्कर मारी। उसकी गाड़ी पुलिया से नीचे गिर गई। शिवलाल की मां की मौके पर ही मौत हो गई। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): शिवलाल भी, माननीय सभापति महोदय, 2 मार्च को दुनिया में नहीं रहा। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई और सरकार के पुलिस के मुखिया जोधपुर में थे। उनसे कोई बात हुई होगी प्रतिनिधि मंडल की। पांच लाख रुपये जरूर उनको मुआवजे के मिले लेकिन पूरे समाज की भावनाओं को ठेस लगी।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मृतक के आश्रित को नौकरी के साथ-साथ जिन पुलिस कर्मियों...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं दो मिनट लूंगा साहब, दो मिनट।

श्री सभापति: सिर्फ एक मिनट। एक मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, पूरे परिवार और जो पुलिस कर्मी इसमें दोषी हैं, इस मामले की जांच भी सी.बी.आई. से कराएं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति कहां से ठीक होगी? डी.जी. साहब से मिलने जाए तो मोबाइल बाहर रखवा देते हैं एम.एल.एज. के, एम.पी. का मोबाइल बाहर रखवा देते हैं और कितना भी वरिष्ठ नेता हो, वह डी.जी. से अन्दर मिलने जाने के लिए मोबाइल को...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप क्या यह मोबाइल और यह क्या मतलब? आप मिलने जा रहे हैं तो...(व्यवधान) पुलिस की डिमांड पर तो अपने सुझाव दो। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? ... (व्यवधान) एक मिनट।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, सरकार के अन्दर...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी। अब आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं दो मिनट ए.सी.डी. पर बोलूंगा साहब। मेरा कल भी मामला था। दो मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज एंटी-करप्शन ब्यूरो राजस्थान के अन्दर लग रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्त में ही रह गया है पूरा। तीन-तीन मामले जिनमें ट्रेप हुए...(व्यवधान)

श्री सभापति: वे तो बातें सारी आ गईं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ट्रेप के मामले में एफ.आई.आर. लगी और लोकायुक्त ने जिस एडिशनल एस.पी. के खिलाफ 16 सी.सी.ए. की चार्जशीट देने के और भ्रष्टाचार का दोषी मानकर पुलिस को कार्यवाही के लिए लिखा वह एडिशनल एस.पी. भीमसिंह डीका, जिसके अन्दर कल सदन में व्यवस्था दी गई थी और मंत्रीजी ने जवाब भी दिया था कि भीमसिंह डीका चार्जशीटेड है और ऐसे अधिकारी को फील्ड में नहीं रखा जाए। यह ए.सी.बी. किसी एक जाति की या किसी एक हिसाब की संस्था नहीं हो सकती कि आप गिन-चुनकर पकड़ो। चाहे जिसको पकड़ लो और चाहे जिसको छोड़ दो। यह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है।

श्री सभापति: आप ऐसे कैसे? माननीय सदस्य, अब आप विराजो।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय सभापति महोदय, जाति का क्या मतलब है इससे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में बोलूंगा साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: इस तरह से नहीं माननीय सदस्य, अब तो आपका अंकित भी नहीं होगा। अंकित नहीं होगा आपका। श्री महेन्द्र चौधरी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा माननीय सदस्य, अब आप बोले जाओ। (व्यवधान) आप आसन की बात को भी नहीं मान रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: अब कोई अंकित नहीं हो रहा है आपका। श्री महेन्द्र चौधरी। श्री महेन्द्र चौधरी का अंकित होगा। माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: श्री हनुमानजी बेनीवाल, विराज जाएं। अब आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 - पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार पर आज पिछले छह घंटे से सदन में चर्चा हो रही है। कानून-व्यवस्था, सरकार का कोई भी मुखिया अपने शासन काल में यह चाहते हैं कि कानून-व्यवस्था अच्छी बनी रहे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, बतौर गृह मंत्री, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि इस सवा चार साल के कार्यकाल के अन्दर उन्होंने राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से कानून-व्यवस्था अच्छी रखी, उसकी पूरी प्रशंसा न केवल राजस्थान बल्कि हिन्दुस्तान के अन्य स्टेट्स में भी राजस्थान की चर्चा हो रही है।

इसके साथ-साथ में, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य इस सदन में तेज आवाज के अन्दर इस प्रकार से अपने आपको संबोधित कर रहे थे कि जैसे ऐसे लग रहा हो कि इस शासन के अन्दर पता नहीं क्या हो गया हो और उनके शासन के अन्दर पता नहीं क्या हुआ हो। जब भी इस सदन में चर्चा होगी गृह और कारागार की तो

(श्री महेन्द्र चौधरी)

पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन को उसमें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व मुख्य मंत्रीजी के शासन काल को उसमें याद किया जाएगा। पूर्व गृह मंत्रीजी के शासन काल को उसमें याद किया जाएगा। पूर्व गृह मंत्रीजी जो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, गृह मंत्री होते हुए उनके वक्तव्य, जो उस समय अखबारों, समाचार पत्रों के माध्यम से हमको पढ़ने को मिलते थे।

आज जब उसको हम सदन में दुबारा दोहराते हैं तो हमें चिन्ता होती है इस बात की, कि प्रदेश का गृह मंत्री खुद की सरकार, खुद का शासन और कैबिनेट मंत्री होते हुए जब उनकी पुलिस पिटती थी और जब चर्चा होती तो गृह मंत्री यह कहते थे, मैं अपने आपको असहाय महसूस कर रहा हूं। जब अपराध होते थे तो इन्हीं पूर्व गृह मंत्रीजी के स्टेटमेंट आते थे अख़बार के अन्दर, कि अपराध हर युग में होता है। सतयुग में भी भगवान राम के समय सीता का हरण हो गया था। इस प्रकार के वक्तव्य दे-देकर इन्होंने अपने कार्यकाल के अन्दर जो इनका समय हुआ, उस समय को इन्होंने व्यतीत किया।

यही नहीं, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 13वीं विधान सभा है और इनके शासन काल के अन्दर कानून-व्यवस्था जितनी लचर रही, उतनी आज तक दूसरे शासन के अन्दर नहीं रही। 21 बार का गोलीकाण्ड, 100 लोगों की मौत, जब भी कोई वक्ता चाहे पक्ष का बोलेगा, चाहे विपक्ष का बोलेगा, इस 21 बार के गोलीकाण्ड और 100 मौतों को हमेशा इस सदन के अन्दर याद किया जायेगा, दोहराया जायेगा। यह इनके माथे के ऊपर एक कंलक है।

आज बात करते हैं इस सरकार ने क्या कर दिया, किस प्रकार की व्यवस्था कर दी। अपने शासनकाल के अन्दर, इनके शासनकाल के अन्दर पुलिस पिटती रही। 1548 बार इनके पांच साल के कार्यकाल के अन्दर पुलिस की पिटाई हुई है। मुख्य मंत्री का काफिला जा रहा हो, उसके अन्दर मुख्य मंत्री जा रही हों, सारे मंत्री जा रहे हों और सारे अधिकारी जा रहे हों, और उसके अंदर लालबत्ती लगी हुई गाड़ी को कोई चोरने का प्रयास करे, यह इनके शासनकाल के अन्दर हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर के अन्दर जहां पर लोग देवी की पूजा करने जाते थे, भगदड़ मच गयी। उसमें 216 नवयुवकों की मौत हो गयी। उस वक्त के वर्तमान शासक जसवन्त सिंह ने स्टेटमेंट

(श्री महेन्द्र चौधरी)

दिया कि लोगों को सब्र रखना चाहिये था। देवी कहीं भागकर तो नहीं जा रही थी। एक जिम्मेवार व्यक्ति का इस प्रकार का स्टेटमेंट, और क्या किया उस वक्त सरकार ने? तत्कालीन कलक्टर हो, पुलिस अधीक्षक हो या उप-अधीक्षक हो, उनको कुछ समय के लिये हटा दिया, लेकिन किसी दबाव में आकर वापस उनकी नियुक्ति बहुत अच्छे पदों पर कर दी।

इसके अलावा, जयपुर का माणक चौक थाना, जहां का रिकार्ड चोरी हो गया। 1500 फाइलें गायब हो गयीं। इन फाइलों का इनके पूरे शासनकाल के अन्दर पता नहीं चल पाया कि वह कहां गयीं? बैंक डकैतियों का इतिहास, यह मैं आन रिकार्ड कह रहा हूं। इनके शासनकाल के अन्दर जितनी बैंक डकैतियां हुईं, हो सकता है दूसरे के शासनकाल में भी बैंक डकैतियां होती रहीं, लेकिन जितनी इनके शासनकाल में बैंक डकैतियां हुईं, उतनी 65 साल के अन्दर किसी भी शासनकाल में नहीं हुई, जितनी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अन्दर हुईं।

दलित की बात करते हैं। कांग्रेस के चार साल के शासनकाल के अन्दर क्या किसी दलित की नाक में नकेल डाली गयी है? क्या किसी दलित को घोड़े से उतारा गया है? इनके शासनकाल के अन्दर दलित की नाक में नकेल डाली गयी है, दलित को घोड़े से उतारा गया है। इस प्रकार का काम भी इनके शासनकाल में हुआ है। आज क्या हो रहा है?

बीजेपी के शासन के अन्दर पुलिस का मिसयूज किया गया। वह अधिकारी जिनका मिसयूज किया, वह चाहे ए डी जे हो, चाहे डी आई जी हो, चाहे एस पी हो, आज जेलों में पड़े हैं। उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि वह किस मामले के अन्दर जेल में पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, इनके शासनकाल के अन्दर रोजाना तीन हत्याएं और तीन बलात्कार होते आये हैं। इसके अलावा, और भी जो इनके कार्यकाल के अन्दर, जयपुर के अन्दर मुख्य मंत्री आवास से सटा हुआ सुखम् गार्डन, जहां पर 50 वर्षों से अधिक समय से 6 परिवार के 44 सदस्य रहते थे, उनको उन्होंने मध्य रात्रि को बलपूर्वक निकाला, वह इनके शासनकाल के अन्दर हुआ। (व्यवधान)

(20.10 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके अलावा, हां वह भी आ जायेगा। सरपंचों पर बलपूर्वक किया

(श्री महेन्द्र चौधरी)

गया। अपहरण के मामलों में, इनके शासनकाल के अन्दर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। माननीय न्यायालय ने 500 से अधिक बच्चों की गुमशुदगी के मामले में इनकी सरकार को उस वक्त फटकार लगाई। इसके बाद इनके समय के अन्दर जितने कार्य हुए, उसके अन्दर नसीराबाद केन्द्रीय विद्यालय का यौन शोषण कांड में अपराधियों के प्रति सरकार का क्या रवैया रहा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी इनके कार्यकाल में हुआ। इनकी पूर्व मुख्य मंत्री के झालरापाटन में 28 दलित परिवारों को बेदखल कर दिया गया। यह भी इनके शासनकाल में हुआ।

इसके अलावा, माह जुलाई, 2008 में पूर्व मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले धौलपुर के ग्राम धोबिकापुरा में तीन सगे भाइयों सहित चार दलितों की नृशंस हत्या करने वाले अभियुक्तों के प्रति सरकार का किस प्रकार का उस टाइम रवैया रहा होगा? यह भी इस माध्यम से जाना जा सकता है।

मिड-डे-मील के अन्दर हर सरकार प्रयास करती है कि बच्चों को जो मिड-डे-मील दिया जाता है, उसके अन्दर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। लेकिन इनके शासनकाल के अन्दर मिड-डे-मील के अन्दर भी दलित बच्चों के साथ में भेदभाव होता था। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस शासनकाल के अन्दर जितना हुआ, अभी पूर्व में बातें आई थीं, रावला-घड़साना-सोहेला, यह जो कांड हुए हैं, कभी भी इन कांडों को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी सरकार के समय के अन्दर जो इनके चेहरे के ऊपर बदनुमा दाग है। इनकी मुख्य मंत्रीजी के +++, इस प्रकार के पत्र पूरे राजस्थान के अन्दर प्रचलित रहे हैं। आज हम कह सकते हैं हमारे पूर्व के सदस्य, जो यहां पर तारानगर से जीतकर आये हैं, हम जब यहां पर पहली बार सदन में आये हैं। हम सोचते थे, इनको हमने यहां बोलते हुए देखा। इन्होंने मुख्य मंत्रीजी के लिये जो शब्द काम में लिये। कहा राजस्थान के कमजोर मुख्य मंत्री हैं। +++ दुबारा पता नहीं, इनको बजट प्रस्तुत करने का मौका मिले या नहीं मिले। मौनी बाबा की सरकार है। पूत के पग पालने में दिख रहे हैं। इस प्रकार के शब्द इन्होंने काम में लिये। उसके बाद इनके माननीय सदस्यों ने इस सदन के अंदर चाहे +++ कहो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त में, संक्षिप्त में कहें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): चाहे फन्नेखां कहो, चाहे नूर कहो, चाहे

(श्री महेन्द्र चौधरी)

गरूड़ पुराण कहो, चाहे बाइबिल कहो, चाहे +++, इस प्रकार के शब्द प्रथम सत्र के अन्दर इन्होंने काम में लिये। द्वितीय सत्र में चाहे +++ कहो, चाहे +++ कहो, चाहे +++ कहा और तृतीय सत्र में एक माननीय मंत्री महोदय को इन्होंने बपौती भी कहा, और उसके बाद में +++ इस प्रकार के शब्द इस सदन के अन्दर आये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर सरकार, कानून बनाने वाली सरकार, अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य करण सिंहजी कह रहे थे इस सरकार ने शासन सम्भालने के बाद शराब को अपना परम मित्र बनाया। शराब को अपना मित्र बनाकर, आज पता है शराब शांति की शत्रु है, लेकिन इनके लिये शत्रु नहीं थी। इन्होंने शराब को परम मित्र बनाया। स्कूलों के पास में शराब की दुकानें खोलीं और मदरसों के सामने दुकानें खोलीं, मंदिरों के पास में शराब की दुकानें खोलीं और जो शराब की दुकानें इनके शासन में 10 बजे तक खुली रहती थीं, इस कांग्रेस के शासन के अन्दर उन शराब की दुकानों को रात 10 बजे से घटाकर रात के 8 बजे तक कर दिया। यह इस कांग्रेस के शासनकाल के अन्दर हुआ। इसके अलावा, इनके शासन में अधिकांश व्यक्ति शराब में मस्त रहने लगे और उनके बीवी-बच्चे भूख से पस्त होने लगे। यह नारा देते थे हर बच्चे को दूध पिलाओ। एक गिलास दूध पिलाओ। अब जब इनको पता हो, जब इसके बाप को आप 10 बजे तक शराब पिला रहे हो, इसका बच्चा दूध कैसे पियेगा? इस प्रकार के होर्डिंग लगाये जयपुर के अन्दर बड़े-बड़े। और तो और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर एक होटल के अन्दर आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद् की एक बैठक आयोजित हुई इनके शासनकाल के अन्दर। उसमें आपत्तिजनक ढंग से रामनामी और रूद्राक्ष माला धारण करने वाली बालिकाओं ने सत्कार के नाम पर शराब परोसी। दोषियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुष्कर में शराब के नशे में विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। पुष्कर में ही कलक्टर और एस पी की मौजूदगी में शराब की मस्ती में विदेशियों के साथ में खुले रूप से नंगे नाच हुए इनके शासनकाल के अन्दर। जयपुर कलेक्ट्रेट में बार बालिकाओं के साथ में इनके शासनकाल में अश्लील नृत्य हुए। जमवारामगढ़ और सवाई माधोपुर में डांस पार्टी के नाम पर नंगे नाच हुए इनके शासनकाल के अन्दर। इनके शासनकाल के अन्दर जहरीली शराब से 56 मौतें हुईं। कोलायत में 34 व्यक्ति मारे गये। अलवर में 12 व्यक्ति मारे गये, सांगानेर में 04 व्यक्ति मारे गये कंवलियास, भीलवाड़ा के अन्दर 03 व्यक्ति मारे गये और मुक्ता का बास,

(श्री महेन्द्र चौधरी)

झुन्झुनूं के अन्दर 03 व्यक्ति मारे गये। महारानी वाइन्स के नाम से दुकानें खोल दीं पूरे प्रदेश के अन्दर। नाम ही महारानी वाइन्स कर दिया। इससे आप प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते थे? इनकी सरकार ने युवा शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया। बच्चों को दूध पिला दो। और तो और 90 बी के नाम पर घोटाले हुए। 90 बी का नाम जब भी याद किया जाएगा तो उसके लिए पिछली बीजेपी की सरकार को याद किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) 8 पीएम और दूसरा, वह तो इनको सारा ध्यान ही है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करो महेन्द्रजी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अब मैं समाप्त ही कर रहा हूं। बस एक मिनट और बोल देता हूं। सुझाव तो सारे आ ही गये सदस्यों की ओर से।

90 बी, कैट वाक, 8 पीएम यह इस प्रदेश की कानून व्यवस्था थी। इनके पूर्व उप राष्ट्रपति द्वारा...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, अब आप हमको भी इसी तरह बोलने दोगे।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): +++, पुलिस के अण्डर में है यह। (व्यवधान) अभी कटारियाजी बोल देंगे। आप चिन्ता मत करो। ...(व्यवधान) चार-साढ़े चार साल के कार्यकाल के अन्दर क्या राजस्थान के अन्दर कहीं कालीन चोरी हुए? क्या सीएम हाउस में रात को साढ़े बारह बजे बाद में सिगरेट से आग लगी? यह किस प्रकार की कानून व्यवस्था थी उस टाइम? पूर्व उप राष्ट्रपति भैरों सिंहजी शेखावत द्वारा पूर्व मुख्य मंत्री के ऊपर साढ़े बारह हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप इस सदन के अन्दर लगा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, किसे बुलवा रहे हैं आप?

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका है? पुलिस की डिमाण्ड है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय महेन्द्रजी, आज पुलिस और कारागार की डिमाण्ड है। कृपया वहीं तक सीमित रहें। सदन में अव्यवस्था फैलती है। इससे सन्देश अच्छा नहीं जाता।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): कालीन चोरी का मुकदमा बना दिया था। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): भ्रष्टाचार की रोकथाम और दारू की रोकथाम पुलिस विभाग का दायित्व बनता है इसलिए बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें। पुलिस से जोड़ कर कहिए। डिमाण्ड से जोड़ कर कहिए। ऐसे नहीं।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मैं सरकार को, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को, गृह मंत्री के तौर पर बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो उद्वेलित हो रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि उद्वेलित नहीं हों। हमारे पास में अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है। (व्यवधान) कल जैसा कि खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान विश्वविद्यालय के एक पूर्व अध्यक्ष पर जो आरोप लगाया था, उसी प्रकार का एक फिर आरोप है राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष पर कि आपके छात्र जीवन के अन्दर आपने क्या-क्या किया था। कौनसे थाने के अन्दर, कौनसी पुलिस ने आपको पकड़ा था कि तौलिया लपेट कर आपको भागना पड़ा था। हम उस चीज पर नहीं आना चाहते लेकिन आप खुद इस चीज के लिए आ सकते हैं। आपकी नेता के कार्ड बांटे गये थे। आपकी नेता पर किताबें बांटी थीं, उनके जीवन के ऊपर।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, किस पर बोल रहे हैं यह? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आप समाप्त करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओटा रामजी देवासी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे टाइम पर तो आपने 07 मिनट में ही घंटी बजा दी। इनको आप आधा-आधा घंटा बुलवा रहे हैं। मेरे को पांच-सात मिनट ही बोलने दिया आपने। (व्यवधान) वह आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की डिमाण्ड पर बोल रहे हैं क्या? (व्यवधान) आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और कारागार की मांग संख्या 16 एवं 17 के अन्तर्गत पुलिस के सम्बन्ध में चर्चा करना

(श्री ओटाराम देवासी)

चाह रहा हूं। सिरोही विधान सभा क्षेत्र में चोरी की हो रही वारदातों, घरेलू व सामाजिक तौर पर प्रताड़ित करने के मामले, गौ तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए शिवधर व कैलाश नगर में पुलिस थाना स्थापित करने तथा कालिन्द्री थाने को अपग्रेड करते हुए नफरी बढ़ाने की मांग करता हूं।

महोदय, सिरोही जिले में विगत समय से हो रही चोरी की वारदातों की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही में चोरी की वारदातों को रोकने की कोई प्रभावी व ठोस योजना नहीं है जिससे चोरियों को अन्जाम देने वालों पर अंकुश लगाया जा सके।

महोदय, सिरोही जिले में विगत समय में सिरोही में मण्डवारिया, गोड़ली व शिवगंज तहसील सहित दर्जनों गांवों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं लेकिन पुलिस चोरी की वारदातों को न तो खोल पा रही है और न ही रोक पा रही है। मैं विशेषकर मण्डवारिया व गोड़ली गांव में हुई चोरी की वारदातों को ध्यान में लाना चाहूंगा कि चोरी की घटना हुए लम्बे समय के उपरान्त भी आज दिन तक चोरी का खुलासा नहीं हो पाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि सिरोही जिले में कानून व्यवस्था के तौर पर पुलिस की बीट प्रभारी योजना के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। सिरोही जिले में कौनसा गांव अथवा शहर किस बीट में है और उसका प्रभारी कौन है, यह उस गांव अथवा शहर में निवास करने वाले आम जन की जानकारी में भी नहीं है और न ही कहीं पर इसके सूचना प्लग लगाये गये हैं जिससे बीट में प्रभारी का नाम और नम्बर हो जिससे उस बीट में किसी प्रकार के अनैतिक कार्यों और वारदातों की सूचना गांव का आम नागरिक पुलिस को दे सके। यह मेरा मामला था।

दूसरा, यह था कि कारागार, माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मेरे सिरोही जिला हैड क्वार्टर पर कारागृह में कैदियों की सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बार-बार और पहले भी कैदी जेल तोड़ कर भाग गये थे उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी तरफ पूरा ध्यान दें। यही मेरी मांगें हैं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री मेवा रामजी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पुलिस और कारागार पर आज चर्चा हो रही है और ऐसा महत्वपूर्ण विषय, प्रदेश की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से उद्योगों का विकास हो रहा है, बाहर से कम्पनियां और जो मजदूर आ रहे हैं, उसी से अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। उस ग्राफ को रोकने के लिए आज आवश्यक है कि पुलिस किस तरह से मजबूत हो और किस तरह से संसाधनों में वृद्धि की जाए।

बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जो वास्तव में आज जो महत्वपूर्ण कमी है तो वह कांस्टेबल्स की कमी है। अफसरों की कमी है। मेरे से पूर्व भी यह सारी बातें बतायी गयीं। नफरी बिलकुल कम है। आज आवश्यकता है उस नफरी की पूर्ति करने की। भले ही और कहीं पद रिक्त हों लेकिन पुलिस के अन्दर रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।

बजट के अन्दर अभी काफी नये थाने खोले। सीओ आफिस खोले, एडिशनल एसपी का कार्यालय भी खोला, गाड़ियां देना, यह सारी व्यवस्थाएं बजट के अन्दर की गई हैं किन्तु अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम सब मिल कर, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, जिस तरह से चर्चाएं चल रही थीं, कहीं हास्पिटल में इलाज के दौरान किसी की मौत हो जाए तो वहां किस तरह से तोड़-फोड़ और प्रदर्शन करें और कहीं हाई-वे पर एक्सीडेंट तो वहां जाम लग जाता है, उसमें सहयोग के लिए हम एक दूसरे की मदद के लिए किस तरह से जाकर शामिल हो जाते हैं।

और आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा ही होगा कि यहां जयपुर शहर के अन्दर किस तरह से एक बुद्धिजीवी वर्ग वकील और पुलिस आमने-सामने हो गये। मेरे से पूर्व भी प्रतिपक्ष में बैठे हुए पुलिस के प्रति काफी बातचीत भी कर रहे थे परन्तु उनसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह से वैल में आकर, किस तरह से उस धरने के अन्दर वहां जाकर उनको उत्तेजित किया, अगर यह उनका साथ नहीं देते और उनको कहते कि इस मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाओ और उसमें सहयोग करते तो आज यह इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं होता और यह घटना भी घटित नहीं होती। बड़े दुःख की बात है।

मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान की सरकार, हमारे मुख्य मंत्रीजी चाह रहे हैं कि किस तरह से यह भ्रष्टाचार खतम हो और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस चार साल के अन्दर ए.सी.बी. के द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार खतम करने के लिए, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, यह राजस्थान में अपने आप में एक इतिहास रचा है।

(श्री मेवाराम जैन)

आज आप देख रहे हैं कि हमेशा टीवी और अख़बार में देखते हैं कि आज इतने पकड़े गये, भ्रष्टाचारी के साथ जो दलाल हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, इससे आज इतना भय है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं और पैसा लेने वाले हैं, वे डर रहे हैं और उनमें एक खौफ है कि हमारी सोच, हमारे मुख्य मंत्रीजी और पुलिस प्रशासन की वजह से भ्रष्टाचार के इन अपराधियों को पकड़ा जा रहा है।

आज आवश्यकता है कि जिस तरह से यह चोरियां हो रही हैं, चाहे वाहन चोर के गिरोह हों, इनको कैसे रोकें और पुलिस को इसमें सख्ती की भी आवश्यकता है। इसमें कई कमियां हैं, किस तरह से इसमें सुधार करें, इस पर हमें विचार करना होगा। पुलिस का किस तरह से हम मनोबल बढ़ायें, किस तरह से चाहे उनके प्रमोशन की बात हो, बात चली रसोइया परमानेंट नहीं, उनकी तनख्वाह की बात हो, यह सारी बातें हैं। पुलिस को किस तरह से मजबूत करें, किस तरह से राजस्थान में अच्छी कानून-व्यवस्था हो, हम सब को मिलकर इस पर चर्चा करनी होगी।

मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं कहता हुआ यही कहूंगा कि जो भी इस प्रदेश में इस तरह से अच्छी व्यवस्था देने के लिए आवश्यक है, चाहे वह कर्मचारियों की भर्ती हो, उनको संसाधन देना है, बिल्डिंगें हैं, चाहे उनके भत्ते की बात है, जितना भी पुलिस को मजबूत कर सकें इसके लिए हम सब को आकर सहयोग करें ताकि प्रदेश की शांति व्यवस्था अच्छी रहे। इसलिए हम पक्ष और विपक्ष दोनों को यह सोचना होगा कि इसमें हम सहयोग करके आगे बढ़ें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुदान की मांगें 16 और 17, पुलिस और कारागार पर चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पुलिस का ध्येय वाकई आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय हो परन्तु बहुत ही खेद का विषय है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पुलिस की कार्य पद्धति से स्थिति यह है कि आम जन इससे भयभीत हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं एक पुलिस परिवार की हूं, मेरे को मालूम है कि पुलिस का क्या रवैया होना चाहिए और पुलिस को कैसे काम

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

करना चाहिए। अभी कई वक्ताओं ने सब ने अपनी-अपनी बात कही है मगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला होते हुए भी एक तो पुलिस की नफरी में बहुत कमी है। पुलिस के आफिसर के जितने भी पद हैं, करीब-करीब सब ही खाली पड़े हुए हैं। अपन एक तरफ तो पुलिस को दोषी मान रहे हैं कि पुलिस यह नहीं करती, पुलिस वह नहीं करती, पुलिस करेगी कहां से? पुलिस के पास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि जिससे वह काम कर सके। हर व्यक्ति यह चाहता है पुलिस, मेले वगैरह हों तो पुलिस चाहिए, शादी ब्याह हो तो पुलिस चाहिए, कोई जुलूस है तो पुलिस चाहिए तो पुलिस के पास पर्याप्त नफरी भी नहीं है तो पुलिस कैसे व्यवस्था करेगी?

जैसे अभी हम थाने में गये, हम जाते हैं तो सब की ड्यूटी लगी हुई होती है, कोई कोर्ट में जायेगा, कोई इधर जायेगा, थाने में एक ही आदमी नहीं मिलेगा तो फिर मैं तो आकर यही कहूंगी कि थाने के अन्दर कुछ नहीं मिला, थाना खाली मिला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला मेरा कहना यह है कि जोधपुर में पुलिस कमिश्नर लागू तो कर दिया आपने, बहुत अच्छा है पुलिस कमिश्नर लागू हो गये मगर उनके पास व्यवस्था कहां है? व्यवस्था कुछ भी नहीं है, व्यवस्था नाम की नहीं है। व्यवस्था का तो यहां तक है कि पुलिस कमिश्नर साहब को बैठने की भी व्यवस्था नहीं की, डाक बंगले को तोड़फोड़ करके और इस तरीके से किया, लोग आकर ठहरते थे उसको आधा पोरशन करके वहां पर कमिश्नर साहब को बैठाया। जयपुर के बाद दूसरे नम्बर पर जोधपुर है, जोधपुर के अन्दर अगर यह सरकार चाहती तो नयी फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनाती, दस-बीस करोड़ सैंक्शन करती तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बनती मगर वह नहीं कर के यहां पर व्यवस्था की। खैर वह कोई बात नहीं, आपकी बात है। कम से कम आप यह तो कर ही सकते हैं कि जोधपुर में अच्छे कमिश्नर वगैरह सब लगा दिये, डीवाई.एस.पी. पूर्व पद खाली पड़ा है, एक पद पर दो आदमी काम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी.सी.पी. पूर्व पद खाली, डी.सी.पी. पश्चिम का पद खाली, डी.सी.पी. ट्रैफिक का पद खाली, डी.सी.पी. क्राइम एण्ड विजिलेंस का पद खाली, डी.सी.पी. बोरानाड़ाका पद खाली, डी.सी.पी. एस.सी., एस.टी., खेल का पद खाली। ऐसे करके सारे पद खाली खाली करके एक-एक का गिनूं तो आप देखिये 15 पोस्टें खाली हैं, 15

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पोस्टें खाली हैं तो फिर अपन कैसे कह सकते हैं कि काम करो। यह तो सरकार की कमी है कि अगर पोस्टें खाली हैं तो क्यों हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक और निवेदन है कि नीचे बहुत ज्यादा पद खाली हैं तो अब नफरी नाम की नहीं रही है, तो अगर एक पुलिस चौकी के अन्दर दस आदमी होने चाहिए तो मेरे ख्याल से चार भी नहीं मिलेंगे, 50 परसेंट भी नहीं मिलेंगे। थाने के अन्दर 100 होने चाहिए तो मेरे खयाल से 50 भी नहीं मिलेंगे। और कुछ आदमी हैं तो वे इधर-उधर लगे हुए हैं, उनका यहां मैं विवरण करूं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं खुद एक उसी परिवार की हूं। मैं इसके बारे में तो नहीं कहूंगी।

मैंने वह जमाना देखा है बख्तावर सिंहजी थे, बलदेव रामजी थे, बिल्लीमोरिया थे, वह जमाना देखा है। पुलिस के अधिकारी स्वयं गश्त लगाते और रात को खुद गश्त में जाते और साल के अन्दर तीन दफे मार्चिंग करते तो लोगों को भय रहता। आज तो सब कह रहे हैं क्राइम बढ़ गया, वह बढ़ गया, उसके अन्दर अपन भी दोषी हैं। क्राइम क्यों बढ़ गया? क्राइम इसलिए बढ़ गया क्योंकि अपन खुद कहीं बाहर भी नहीं निकलते हैं, अपन ए.सी. की हवा अन्दर खाते रहते हैं और बेचारे कांस्टेबल मारे जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे को टोकना मत।

श्री उपाध्यक्ष: हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक यही महकमा ऐसा है, सारे डिपार्टमेंट हैं मगर इन पुलिस कर्मचारियों को ...

श्री उपाध्यक्ष: आप तो मुझे यह बता दो कि कितने मिनट और लेंगे आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरी तब बात होगी मैं खतम कर दूंगी, मेरे को ज्यादा नहीं कहना।

श्री उपाध्यक्ष: कर दीजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक यही डिपार्टमेंट ऐसा है, इनको न तो रविवार की छुट्टी है, न शनिवार की छुट्टी है, न शुक्रवार की, इनके हफ्तेभर में कोई छुट्टी नहीं होती, इनका काम है ड्यूटी करना। आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, सब को छुट्टियां मिलती हैं, इनको होली-दीवाली भी छुट्टी नहीं मिलती है, यह कोई वकालात नहीं करेगा।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अभी मेरे कई भाइयों ने तरह-तरह की बातें कहीं, यहां मैं कोई उसके ऊपर नहीं जाऊं, न मैं किसी की निंदा करूं मगर मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर अपने को पुलिस को मजबूत बनाना है तो इनकी व्यवस्थाओं के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके मैस का खाना बनता है वहां पर जाकर देखा, मैं आपको सही कह दूं, मैं मेरी गाय को भी डालूं तो भी वह नहीं खाये, इनके मैस का खाना इतना खराब बन रहा है। इसके ऊपर आप कभी ध्यान दो और पुलिस वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दो।

जब कभी भी पूर्व उपराष्ट्रपति और भैरोंसिंहजी यहां पर मुख्यमंत्री रहे, जब कभी भी अगर बात करते तो पुलिस वालों की तारीफ करते या पुलिस वालों को जितनी फैसेलिटी देनी है भैरोंसिंहजी देते तो मेरे पिता जी जाकर भैरोंसिंहजी को पुष्प हार पहनाते और वे खुश होते।

मेरा आज बोलने का कोई मूड नहीं था, हालांकि तैयारी सब करके लायी मगर मेरे को मेरे फादर सामने नजर आने शुरु हो गये। अगर मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगी तो फिर मैं यहां पर विधान सभा में भी क्या हूं? अगर इनके बारे में कोई बात नहीं कहूं तो फिर क्या मतलब हुआ? तो मैं उस भावना को देख करके और भावुक होकर के बोली हूं। अगर आज यह वर्दी पहने हुए होते तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, फिर भी इन सब अधिकारियों को देखकर मेरे को ऐसा लगा कि कौनसी वह पुलिस थी और कौनसी यह पुलिस है। अभी कोई भाई कह रहे थे कि यह किया, यह किया, नहीं किया है, सबसे ज्यादा आप, कांग्रेस ने किया है। अगर पुलिस का मनोबल भी घटा है तो आप लोगों ने घटाया है बाकी स्टेट के टाइम जो पुलिस थी वह पुलिस अब नहीं है। मैंने उस पुलिस को देखा है एक कांस्टेबल निकलता तो एक थानेदार के बराबर था। मेरे स्वयं के पिताजी देवराजजी कल्ला सबसे पहले कोतवाल थे जोधपुर के अन्दर सिटी पुलिस के अन्दर। पहले पुलिस लाइन पर ही हाथी बंधते थे, वहां पर सबसे पहले कोतवाल मेरे पिताजी रहे थे और आज भी उनकी वहां स्टेच्यू लगी हुई है। मुख्य मंत्रीजी का मूड है कि मैं वहां उनको पुष्प हार पहनाने जाऊंगा और उन्होंने कुछ रिनोवेट भी करवाया है। तो उनका इतना भाव था।

आज की तारीख के अन्दर मेरा यह सोच है कि अगर अपन पुलिस

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

को मजबूत करेंगे तो अब मैं मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहूंगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं कह कर सूरसागर विधान सभा क्षेत्र चौपासनी हाउसिंग बोर्ड है, कोई भी मकान के ताला लगाकर जा नहीं सकता है। आज यह स्थिति है कि अगर कोई ताला लगाकर चार घण्टे भी बाहर गया और वापिस आएगा तो उसको घर साफ मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो इनके पास व्यवस्था नहीं है और बदमाश लोग हैं वह भी पुलिस वालों से छिपे हुए नहीं होते, उनको सब मालूम होता है। मगर आज हाउसिंग बोर्ड के अन्दर चेन स्नेचिंग कोई भी महिला बाहर निकली नहीं, मन्दिर गयी नहीं, कोई बच्चे को स्कूल छोड़ने गयी नहीं चेन स्नेचिंग हो गयी। भले ही आप रिपोर्ट मंगवा लो। मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रही हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सूरसागर के अन्दर और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में जितनी नफरी ज्यादा से ज्यादा आप देंगे तो व्यवस्था होगी। वहां मोटर साइकिल बाहर रखें तो चोरी, कार हो तो कार ले जाते हैं। मतलब वहां तो चोरी का एक प्रचलन सा है हाउसिंग बोर्ड के अन्दर, तो मैं यह चाहूंगी कि वहां पर व्यवस्था हो।

दूसरी बात मेरी है कि सूरसागर के अन्दर एक भुरटिया है, मैं तो कुछ बोली भी नहीं हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग इतने बोले उतना तो मैं कुछ बोली भी नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बारह मिनट हो गये आपको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): वहां पर पुलिस चौकी की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा कहना है सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में आज से दो साल हो गये, मिस्टर अशोक दवे की हत्या हुई थी, आज तक पुलिस ने उनका पता नहीं लगाया, आज तक भी कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। एक जमाने के अन्दर अगर किसी अधिकारी को कहीं पकड़ता तो उसके खिलाफ एक्शन होता अब आजकल कोई बोलने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि सूरसागर क्षेत्र के अन्दर देव नगर में थाना खुलना चाहिए, नफरी ज्यादा होनी चाहिए और सारी व्यवस्था हो। आपने मेरे को जितना भी बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने तो बहुत कुछ दे दिया। सम्माननीय रविन्द्रजी बोहरा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया मुझे बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष: चार-पांच नाम नीचे दिया है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैंने पहले ही बहुत-बहुत मेहरबानी कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: हुआ तो आज यही है, पता चल गया कि नाराज नहीं हो जाए कहीं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं आपका और हमारे व्हिप साहब का बहुत-बहुत आभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस राजाखेड़ा क्षेत्र से मैं आता हूं वह ऐसा क्षेत्र है कि एक तरफ तो नेशनल हाई-वे है, दूसरी तरफ चम्बल है, बीच में बीहड़ हैं, यू पी, एम पी से लगा है। ऐसी विचित्र स्थिति के अन्दर हम फंसे हैं और पूर्वी राजस्थान में सबसे दूर का विधान सभा क्षेत्र है और पुलिस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक ऐसा क्षेत्र रहा है काफी अरसे से कि वहां के राजनेताओं ने पुलिस का पूरा-पूरा राजनैतिक उपयोग किया है। कुछ जाकर थोड़ा सा इस दृष्टि से बचा है मुझे कहने में बड़ी खुशी है कि आजकल जो पढ़ा-लिखा लड़का आ रहा है जो नवयुवक आ रहा है, इस पद्धति को उलटने में, रोकने में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। वर्तमान धौलपुर के एस पी, पूर्व एस पी इनका मैं आभारी हूं राहुल प्रकाशजी, हरेन्द्र कुमारजी का।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो पूर्व एस पी बताइये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आप तो मुझे बोलने दीजिए, टोकिये मत। कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो आप टोकते नहीं हो और हम बोलते हैं तो टोकने लग जाते हो। हमारा धारा प्रवाह ही खतम हो जाता है। यह क्या तरीका हुआ साहब।

श्री उपाध्यक्ष: परिपाटी सही नहीं रहेगी।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हम भी पुलिस के हिमायती हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अधिकारियों की बड़ाई कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हमको यही मौका मिलता है अपनी बात कहने का और आप बीच में टोक देंगे तो हमारा धारा प्रवाह खतम। हम बैठ जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: राजाखेड़ा से हमेशा अच्छे लोग चुनकर आये हैं, आज दिन तक एक भी ऐसा आदमी नहीं आया जिसको अच्छा नहीं कहते हो।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मान्यवर, सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर एक चौदह साल की लड़की को स्कूल जाते में अगुवा कर लिया गया और 21 दिसम्बर हो गयी, ब्राह्मण की पुत्री थी, राजाखेड़ा बंद रहा, राजाखेड़ा में बहुत आक्रोश है। स्थानीय पुलिस की सारी कोशिशों के बावजूद भी उस लड़की का आज तक पता नहीं लगा।

मैं आपसे, इस सदन से, अधिकारियों से यह कहना चाहता हूं कि यह सोचें उन माता-पिता का क्या हाल होगा और राजस्थान में जैसाकि मैं कई दिनों से सुन रहा हूं, कई जगह बच्चे अगुवा हो रहे हैं। आज जिस तरह साइबर क्राइम के लिए आपको एक सैल की जरुरत है उसी तरह इन बच्चों को जो राजस्थान में अगुवा किया जा रहा है, चाहे वह कांग्रेस के एम एल ए हों चाहे बी जे पी के एम एल ए हों, तकलीफ सबको होती है। इन बच्चियों को रिकवर करने के लिए कोई न कोई तंत्र डवलप किया जाए। हमारे वर्तमान एस पी ने सब प्रकार के प्रयोग कर लिये लेकिन कोई प्रयोग की सफलता अभी तक सामने नहीं आई।

इसलिए मैं आपके माध्यम से अफसरान को, मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि कृपा करके इस कार्य में कुछ गति लाएं, स्थानीय अधिकारियों से पता करें कि उन्हें किस प्रकार की समस्या आ रही है। मैं नहीं समझता हूं कि राजस्थान की पुलिस ऐसी अक्षम है, वह जिस काम को सोच ले, उस काम को करके रहती है। धौलपुर की पुलिस तमिलनाडु से बदमाशों को पकड़ कर लाई, जिसने सिपाही को मारा। अपनी सोच पर आ जायेंगे तो ये सब कुछ कर सकते हैं।

मान्यवर, राजाखेड़ा का थाना, चौकी के बारे में कहना चाहता हूं। थाना कोई पचास साठ साल पुराना है। राजशाही के समय का है। आजकल थानों की जो जरुरत है, जिस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए कार्य शैली के लिए उसके लिए वह बहुत अक्षम है। राजाखेड़ा के अन्दर पांच-छह बीघा जमीन में कहीं राजाखेड़ा से लगी हुई, नया थाना बनाया जाए। दो चौकियां हैं, एक चौकी थाने के अन्दर बनाई जाए। थाने के स्थान पर और दूसरी चौकी को जो धौलपुर बस स्टैण्ड पर है, उसके लिए भी वांछित स्थान लेकर नई बिल्डिंग बनायी जाए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राजाखेड़ा का काफी बड़ा हिस्सा

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

बीहड़ और चम्बल से लगा हुआ है। दूसरे स्टेट के शैतान लोग आए दिन राजस्थान में घुस कर भी वारदात कर जाते हैं, स्पेशली मेरे इलाके में। उसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि नई चौकी बनाए जाए, आर ए सी के गार्ड लगाये जाएं ताकि लोग सुरक्षित जीवन जी सकें।

मैं पुलिस के बारे में यह बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान की पुलिस में कोई कमी नहीं है इसमें अगर कोई कमी है इसको राजनीतिक तूल बना दिया गया है। लोग अपने हालात को सुधारने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए इसका दुरूपयोग करते हैं। जैसे ही पुलिस का यह महकमा राजनीति से मुक्त हो जाएगा, नये रिजल्ट आने लगेंगे, यह पुलिस नये रूप में आने लगेगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सिपाही से लेकर निरीक्षक स्तर तक के लोगों को एक सम्मान दो, उनकी तकलीफों को सुनो। कई सदस्य साहबान ने इस बारे में अपनी बात कही भी है और मोटे तौर पर जो चीज समझ पाया हूं मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पदोन्नति में भेदभाव एक आई पी एस अफसर, आर पी एस अफसर 5 से 10 साल में आप उसका प्रमोशन कर देते हैं, जबकि सिपाही से लेकर हैड कांस्टेबल तक 15 से 20 साल में किसी तरह से प्रमोशन पाता है। सिपाही, हैड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ए एस आई, यह तो फील्ड के लोग हैं। अधिकारी थोड़े ही भागते हैं, भागते तो यह लोग हैं। आपने टाप हैवी कर दिया, बाटम उतना हैवी नहीं हुआ। मैं जब छोटा बच्चा था एक आई जी ही राजस्थान को चलाता था। आज कितने डी आई जी हैं? कितने डी जी पी हैं? कितने आई जी हैं? अधिकारियों को तो आपने सुरक्षित कर दिया। अधिकारी राजस्थान का कम्पेरेटिवली इंडिपेंडेंट है। नीचे के स्तर के अधिकारी वह तो जमीन में ढकेले गये हैं। पटवारी की तनख्वाह भी नहीं पाता वह सिपाही। 24 घण्टे की नौकरी करता है। उसके भी बाल बच्चे हैं। 8 घण्टे वाले को छुट्टी भी ज्यादा मिलती हैं। इसको छुट्टी भी कम मिलती हैं। हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी कम मिलता है। यह कैसा अन्याय है? और फिर हम कहते हैं पुलिस भ्रष्ट है। जब तक आप आर्थिक सम्पन्नता नहीं दोगे, उन सिपाहियों के बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, इनके पढ़ाई के साधन नहीं होंगे तो यह तो किसी न किसी तरीके से गलत या सही तरीके से, यह देख रहे हैं अफसर का बच्चा कैसे पढ़ता है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं? तो फिर इनके बच्चों में क्या कमी है? इनको भी पढ़ने का वही मौका मिलना चाहिये। इन्हें भी तरक्की करने का वही मौका

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

मिलना चाहिये इसलिये वह गलत काम की तरफ बढ़ जाते हैं। जिस दिन राजस्थान का सिपाही, हैड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, यह थोड़ी सी ईमानदारी पर आ जायेंगे ना पुलिस का बिलकुल स्वरूप बदल जायेगा। अत: मैं आपसे, पूरा महकमा बैठा है, आला अफसर बैठे हैं, सदन बैठा है, मैं कहना चाहता हूं पदोन्नति में भेदभाव कम करिये। उनको भी पहले लाइये। समानान्तर लाइये। वह भी इन्सान हैं। वेतन में भेदभाव कम करिये। मिटाइये।

जिस तरह केन्द्र के अन्दर केन्द्रीय विद्यालय हैं, इनके लिये, राजस्थान सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिये भी सम्भागीय स्तर पर शुरूआत करें। फिर जिला स्तर तक जाएं। केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल बनाये जाएं। इनके बच्चों का जीवन सुरक्षित किया जाये। यह हमको करना पड़ेगा। अगर यह रास्ते पर नहीं आये, यह असुरक्षा की भावना में रहे तो हम कोई भी सुरक्षित नहीं हैं, न अफसर, न विधायक और न सरकार।

जिस तरह का जयपुर में अभी हाल फिलहाल में काण्ड देखा गया, पुलिस को डी-मोरलाइज किया गया। कौन आर्डर देता है? या तो आर्डर करने वाले को आप कहिये, उनको सलाह दीजिये, यह जवान, आप जो कह रहे हैं वह कर रहे हैं। इन्होंने अपने आप जाकर थोड़े ही डंडा चला दिया, कुछ चला दिया? और फिर आप हमारी सुरक्षा भी चाहते हो। हाई कोर्ट की सुरक्षा भी चाहते हो। कुछ ऐसी स्थिति बननी चाहिये ऐसी कोई घटना नहीं हो और पुलिस का मनोबल बना रहे। हमें हर हालत में पुलिस का मनोबल इस राजस्थान की सुरक्षा हेतु बनाये रखना पड़ेगा, वरना हमारा जीवन बहुत असुरक्षित है।

इसके साथ-साथ, जिस तरह के देश में, प्रदेश में तरह-तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं। अब वह पुलिस नहीं रही केवल डंडे वाली पुलिस जिससे आपने कोई भी काम करा लिया। अब इस पुलिस के अन्दर पढ़े-लिखे नौजवान आने लग गये हैं। जो आपको पहले नहीं मिलते थे। इन नौजवानों को आप नये प्रशिक्षण दीजिये। किसी को साइबर क्राइम का दीजिये। किसी को इकोनोमिक आफेंस का दीजिये। किसी को जो बच्चे अगुवा हो रहे हैं, मोटर साईकिल खो रही हैं, मोटर साईकिल लोग उठा रहे हैं, गाड़ियां चोरी हो रही हैं, चेन स्नेचिंग हो रही हैं।

इसके अलावा, एक बात कहना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस पुलिस को आपने ट्रैफिक में लगा रखा है...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट समय बढ़ाना है। आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था इसलिये बैठा हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट बाद में बोल लेना आप अभी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पौने दस बजे तक बढ़ा दिया जाए। पौने दस बजे माननीय मंत्री महोदय का जवाब आ जाए और मांगें पारित होने तक समय बढ़ जाए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): 11 बजे तक। जब तक सदस्य बोलें तब तक बढ़ाया जाए। क्या मतलब है?

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की राय है कि सदन का समय 9 बजकर 45...(व्यवधान) नहीं...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): जब तक सदस्य बोलें तब तक बढ़ाया जाये...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन का समय 9 बजकर 45 मिनट पर मंत्रीजी का जवाब और डिमाण्ड पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की राय है कि सदन का समय 9 बजकर 45 मिनट तक और... ऐसे नहीं होता है, सदन का समय थोड़े ही ना होता है... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, कल भी इसी तरह बात हुई थी...

श्री उपाध्यक्ष: वह कल की नहीं है, यह परिपाटी मत डालिये आप तो समय, टाइम...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन का समय...

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय मंत्री का जब तक जवाब...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): प्रस्ताव तो मैं करूंगा ना सर...

श्री उपाध्यक्ष: आपको राइट है। आप जैसा चाहोगे उस तरह से है...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैंने प्रस्ताव किया है कि यह नियत

(डा. रघु शर्मा)

किया जाये कि पौने दस बजे मंत्रीजी जवाब दें और डिमाण्ड पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की राय है कि सदन का समय 9 बजकर 45 मिनट तक तो वाद-विवाद होगा उसमें। इसके बाद मंत्रीजी का जवाब होगा। जब तक मंत्रीजी रिप्लाई देंगे तब तक के लिये बढ़ाया जाये डिमाण्ड पर, डिमाण्ड पारित होने तक?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9 बजकर 45 मिनट तक और डिमाण्ड पारित होने, मंत्रीजी के जवाब तक बढ़ाया जाता है।

माननीय श्री रविन्द्र जी बोहरा...(व्यवधान) अब जो स्थिति है, आपके सामने आया है प्रस्ताव। आप उसकी कल्पना करिये...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने कहा 9 बजकर 45 मिनट तक बढ़ाता हूं, डिमाण्ड पारित होने तक बढ़ाता हूं। एक निश्चित समय तो कोई हो। निश्चित समय तो तय करो...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय से बात हुई है। नेता प्रतिपक्ष से बात होने के बाद ही यह मान ली गयी है...

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों के क्या बात होती है आप हमारे, सदन के सामने तो रखते नहीं हो...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय नेता प्रतिपक्ष से वार्तालाप के बाद में यह व्यवस्था मानी गयी है...

श्री उपाध्यक्ष: और जब माननीय मुख्य सचेतक महोदय बोलें, तब आपको बोलना चाहिये। जब सदन के आसन से कोई...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने समय बढ़ाया ना, आपने दो बार सदन का समय बढ़ा दिया। एक तो 9.45 तक बढ़ा दिया, फिर डिमाण्ड पारित होने तक बढ़ा दिया...

श्री उपाध्यक्ष: आपके सामने आया है प्रस्ताव...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक समय तय करो ना...

श्री उपाध्यक्ष: आपने इनको नहीं कहा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): या तो वह डिमाण्ड पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है तब तो समझ में आता है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): 9.45 पर मंत्रीजी का जवाब होगा और डिमाण्ड पारित होने तक यह समय बढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये। मैं खुद कन्फ्यूज हूं।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह और कहना चाहूंगा। धौलपुर जिले में बहुत बड़ा कारोबार रेत का, चम्बल बजरी का होता था लेकिन सरकार के प्रतिबन्ध को ज्यादा तेजी दिखाते हुए पुलिस ने अनेक लोगों पर प्रतिबंधित क्षेत्र में रेत खनन की वजह से मुकदमे लगा दिये। बहुत से लोग आज तक केवल अपने पेट के लिये, वह कोई चोर नहीं थे, बदमाश नहीं थे, डकैत नहीं थे, वह तो केवल अपने बच्चों को पालने के घर में रोज दो वक्त की रोटी लाने के लिये रेत चला रहे थे। ऐसे मुकदमों को सरकार वापस ले।

दूसरी बात, बाड़ी, बसेड़ी में और राजाखेड़ा में जहां पर अदालतें हैं वहां छोटी-छोटी जेलों का निर्माण हो ताकि लोग सुरक्षा की दृष्टि से कैदी रखे जा सकें। कैदी भागे नहीं। यह बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यहां पर मौजूद...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, तबीयत तो खराब नहीं है मोहनजी की?

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): मोहनजी, तबीयत ठीक है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): तबीयत ठीक है?

(21.00 बजे)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजाखेड़ा का पद आपने निरीक्षक स्तर का कर दिया। निरीक्षक वहां है ही नहीं और महीनों से नहीं है। अगर आपने वहां निरीक्षक पद किया है तो यह माना होगा कि यहां निरीक्षक की आवश्यकता है। राजाखेड़ा मैंने आपको बताया कि बहुत संवेदनशील जगह है, आपसे निवेदन है कि वहां निरीक्षक का पद ही नहीं, राजाखेड़ा के आसपास जितनी चौकियां हैं, देवली में थाना है, मनिया में थाना है, इनमें जितने भी खाली स्थान हैं, उनको भरने की चेष्टा करें ताकि आने वाले

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

समय में लोग अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपको और बोलना हो तो बोलिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और इस बार टोका नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अब्दुल सगीर खां।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16, पुलिस और 17, जेल पर अपने विचार रखना चाहूंगा। अपने विचार प्रकट करने से पूर्व इस शेर के साथ आगाज करना चाहूंगा,

'इंसान जालिमों की हिमायत में जाएगा,
और यही हाल है तो कौन अदालत में जाएगा।
निजामे मैकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी,
उन्हें मिलता है जामे मय जिन्हें पीना नहीं आता।
उन्हीं को सौंप दी तकदीर गुलिस्तानों की
जिनको दामन की पता है न गिरहबानों की'।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, एक वकील होने के नाते मुझे इस बार इत्तेफाक हुआ और मैंने यह राजस्थान पुलिस का प्रतिवेदन पढ़ा। बड़ी ही अच्छी प्रार्थना और बड़ा ही अच्छा गीत कि

'जन रक्षा संकल्प हमारा, जन सेवा ईमान,
आरक्षी का धर्म एक है, त्याग और बलिदान'।

काश, यह चरितार्थ हो जाये तो राजस्थान एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत प्रदेश हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो क्राइम का इंडेक्स है उसको मैं बार-बार रिपीट ना करके यह कहना चाहूंगा कि यह गौरव हासिल हुआ राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री को कि राजस्थान नम्बर तीन है क्राइम के इंडेक्स में पूरी इंडिया के अन्दर। गृह मंत्री का इंडिपेंडेंट चार्ज होना चाहिए। लेकिन मुख्य मंत्रीजी गृह विभाग को भी अपने पास रखे हुए हैं। शांती कुमारजी धारीवाल अच्छा-खासा काम कर रहे थे। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने गृह विभाग को भी अपने पास रखकर सारे राजस्थान की कानून-व्यवस्था को चौपट करके रख दिया।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

उपाध्यक्ष महोदय, यह दावा किया गया कि हमारे राज में कोई भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुआ। मैं यहां से कोट करना चाहूंगा, मैं अपनी कोई मनगढ़ंत बात नहीं कहता, सिर्फ 2012 में 6 साम्प्रदायिक दंगे हुए, जहां पर गरीबों की मौत हुई, इंसानों की मौत हुई। कितने लोग घायल हुए 15 कम्युनल टेंशंस डिफरेंट पार्ट आफ राजस्थान, यह सेक्यूलर, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष इस सरकार ने रिकार्ड तोड़ दिया। इसमें गोपालगढ़ का मेंशन नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर गोपालगढ़ की गूंज है और इसका श्रेय यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब को जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कत्ल हुआ एक सी.आई. साहब का, फूल मोहम्मद साहब को शहीद किया गया। इसका यश भी आपको जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक फ़ेहरिस्त लेकर पूरे 5 साल के 10-15 किस्से सुनाये। लेकिन मैं अगर इस फेहरिस्त को पढ़ूं तो लाखों की तादाद में केसेज रजिस्टर्ड हैं, चाहे वह रेप का हो, किडनैपिंग का हो, एब्डक्शन का हो, महिलाओं पर अत्याचार का हो, नाबालिग बालिकाओं के साथ में बलात्कार का हो। हिन्दुस्तान के अन्दर एक गैंग रेप हुआ और हिन्दुस्तान जागृत हुआ। उस वक्त यह बात रखी गयी कि बहुत मजबूत कानून होना चाहिए। मैं आपको अपने अनुभव की बात, एज ए वकील, आपको बताना चाहता हूं कि कानून जो भी आज की तारीख में है, वह कानून भी मजबूत है। सवाल है कि जब हमारी पुलिस इनवेस्टिगेशन करती है और केस कमजोर, गवर्नमेंट वकील कमजोर, अदालत में जाता है तो सच्चा केस भी असत्य साबित हो जाता है। कभी इस पर आपने तवज्जोह की कि जो एक ए.एस.आई. एक मर्डर केस की तफ्तीश कर रहा है, उसका कितना व्यावहारिक ज्ञान है कानून के बारे में। उसको उतना ज्ञान नहीं होता। वह एफीशिएंसी नहीं है और अगर एफीशिएंसी नहीं है तो रेट आफ कन्वीक्शन कम होगी। आज इस रिकार्ड से भी यह साफ है कि 5 प्रतिशत से ऊपर रेट आफ कन्वीक्शन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी. और एस.टी. ने जो केसेज किये उनमें से 60 प्रतिशत में एफ.आर. लग गयी, फाइनल रिपोर्ट। नो एविडेंस, कानून बनाते हो कि एस.सी., एस.टी. की हम हिफाजत करेंगे, माइनोरिटी की हम हिफाजत करेंगे और आपने 60 प्रतिशत केसों को बताया कि यह असत्य हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं गृह राज्य मंत्रीजी से कि इस किताब में, इस प्रतिवेदन में यह नहीं बताया है कि 60 प्रतिशत केसेज अगर असत्य थे तो असत्य

(श्री अब्दुल सगीर खां)

कम्प्लेंट करने वालों के विरुद्ध कितनों के कार्यवाही की? यह कानून में है। आपकी यह संख्या जो लाखों में आती है वह अपने आप कम हो जाये, अगर पुलिस झूठे कम्प्लेनैंट के विरुद्ध कार्यवाही करना शुरू कर दे। लेकिन पुलिस को लगता है कि यह एक काम और बढ़ जायेगा। इसे कौन करेगा?

लिहाजा इस तरह से जो क्राइम हो रहे हैं, हमारी सोच इतनी रहती है कि जो भी सरकार रहती है, नो डाउट वह सरकार जिम्मेदार होती है। क्योंकि हम वादा करते हैं अवाम के साथ कि हम आपको महफूज रखेंगे। यह हमारा एक पैरामीटर है कि हमारी सरकार कामयाब है क्योंकि हमने इस प्रदेश के अन्दर शांति और अमन कायम रखा। लेकिन जब शांति और अमन बिगड़ जाये तो वह सरकार उसके लिए जिम्मेदार है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भी सरकार थी, चंद बातें आपने गिनायीं। यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही पुलिस थी, वही खाकी वर्दी थी। राजस्थान के अन्दर जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा तनाव पैदा हुआ। लेकिन कोई भी साम्प्रदायिक दंगा जयपुर के अन्दर हमारी सरकार ने, आदरणीय वसुन्धरा राजे सिंधिया ने नहीं होने दिया। माइनोरिटिज के बारे में, बीजेपी की सरकार होती है तो माइनोरिटिज इनसिक्योर महसूस करती है, लेकिन आप विश्वास कीजिये कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी तो राजस्थान का अल्पसंख्यक, राजस्थान का मुसलमान ज्यादा महफूज था।

उपाध्यक्ष महोदय, आप दावा करते हैं कि आप चैम्पियन हैं, आप रक्षक हैं, आप नाखुदा हैं, आप ही महफूज रखोगे अल्पसंख्यकों को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह का आपका कानून बना है और उस कानून का आपने जिस तरह का इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान में किया है, राजस्थान का एस.सी., एस.टी. और माइनोरिटी यहां कराह रहा है। महिलाएं कराह रही हैं, महिलाओं पर दमन हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। मेरे जिले धौलपुर से आठ अपहरण के केसेज हुए। इन्होंने तो एक ही महिला की पीड़ा कही है। राजाखेड़ा की 14 साल की बच्ची को किडनैप किया गया। मेरे समाज की चार बच्चियों को किडनैप किया गया और उसकी गुहार लगवाई गई और जब गुहार लगी, प्रेशर पड़ा तो दो बच्चियों को रिकवर भी किया गया। यह क्या आलम है? आपकी सरकार कमजोर है, जयपुर में बैठी हुई है तो हौसले बढ़े हुए हैं क्रिमिनल्स के। मुझे यह कहते हुए बड़ी शर्म आती है, मैंने देखा है यह एचओ एक्ट, हैबिचुअल ओफेंडर एक्ट..

श्री उपाध्यक्ष: आपको टोकने की इच्छा नहीं है लेकिन समय का फिर भी ध्यान रखें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): हैबिचुअल ओफेंडर एक्ट के तहत पूरे राजस्थान में एक ही गुण्डे के खिलाफ कार्यवाही की है, मात्र राजस्थान में एक गुण्डा है? कितने हैबिचुअल ओफेंडर होंगे राजस्थान में लेकिन स्टेटिस्टिक्स को बदलने के लिए बहुत सारी कार्यवाही की है। 151 में, 107 में, 122 में, वगैरह-वगैरह लेकिन एचओ एक्ट, हैबिचुअल ओफेंडर एक्ट उसमें पूरे राजस्थान के अन्दर तीन कार्यवाही, तीनों ही गुण्डे यह नहीं पता कि वह तीन गुण्डे कौनसे हैं, बाहर हैं या अन्दर हैं लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों के बावजूद, यह आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 2012 में कानून व्यवस्था चरमराई, कम्यूनल राइट्स हुए हैं। वकीलों की पिटाई हुई है, सरपंचों की पिटाई हुई है, अध्यापकों की पिटाई हुई है, एक समाज का नाम बताओ जो आपकी लाठियों का शिकार न हुआ हो। यह सरकार एक घड़साना को लेकर, मैं बार-बार इस टेप को सुनता रहता हूं, घड़साना में गोली चली, घड़साना में गोली चली, आपने तो वकीलों को नहीं छोड़ा। अदालत में घुसकर उस पाक मंदिर को नापाक किया। आज तक पुलिस कभी, मैंने भी वकालत की है, पुलिस की मजाल नहीं कि कोर्ट के प्रिमिसेज में घुस जाये लेकिन पुलिस कोर्ट के अन्दर गई, जजेज के थप्पड़ जड़े। दस दिन तक पूरा राजस्थान तनाव में, क्या होगा। जूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव में कोनफ्लिक्ट, क्लैश है, हाई कोर्ट ने आर्डर पास करता है, पुलिस नारे लगाती है। मैंने जिंदगी में नहीं देखा पुलिस वर्दी पहनकर हड़ताल के नारे लगाये। एसपी, आईजी, डीआईजी, सब एक राय बनी कि यह क्या होने वाला है, जूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव, दोनों में क्लैश, हाई कोर्ट के आर्डर की पालना होगी कि नहीं होगी फिर भी जो प्रिंसीपल सेक्रेटरी हैं उनका कोई कमिटमेंट नहीं, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हाई कोर्ट के आर्डर के बाद। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस गलतफहमी में न रहें कि आपकी बड़ी रोजी पिक्चर है। मेरे धौलपुर के अन्दर हत्या होती है सुबह, सैनी समाज, जिसके मुख्य मंत्रीजी मसीहा हैं, उसी समाज के एक नौजवान की हत्या कराई जाती है, हायर्ड किलर्स, कोंट्रेक्ट किलर्स, बाहर से बुलवाये जाते हैं और सुरेश कुशवाहा की मौत होती है। मैंने तीन बार, चार बार विधान सभा में मामला उठाया है, उसकी मौत कर दी गई, मार दिया गया, सारे सबूत पुलिस के हाथ में है, हत्यारा उद्योगपति है, जिसकी मृत्यु हुई सुरेश कुशवाहा, नौजवान बच्चा, उसके बाप के आंसू, एक गाय जिस तरह से रोती है, आपका हृदय

(श्री अब्दुल सगीर खां)

विदारक सीन, पूरा समाज आंदोलित, आईजी साहब के पास, डीआईजी साहब के पास, हमारे गृह मंत्रीजी तशरीफ रखते हैं, उनके पास, सारी जगह, जहां विधायक होगा, जो पूरा समाज गुहार करे, तीन महीने तक एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी नहीं और वह उद्योगपति +++, सीना ठोक कर कहता है, मेरी सैटिंग है, मैंने एनजीओ को 11 लाख रुपये दिये हैं जो रिलेटेड है किसी बड़ी ताकत के साथ। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह से लूट मार हुई और यह सरकार देखती रही। एक मर्डर केस के मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं कर पाये, अभी तफ्तीश बदल दी है, खानापूर्ति हो रही है, मुझे पता है कि लाखों रुपये बांटा जा रहा है, लोगों के पास पहुंच रहा है, पैसे के बल पर मर्डरर खुले आम घूम रहा है और इस तरह की स्थिति रही तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की आज इस तरह की स्थिति है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे मंत्रीजी ने अपनी बात रखी, अपनी पीड़ा रखी, पीड़ा जो सरकार के अन्दर मंत्री है उसकी पीड़ा को सुनने वाला नहीं है कोई तो इस सगीर की पीड़ा को कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? आज जब रहा नहीं गया तो कांग्रेस के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने अपनी पीड़ा इस सदन के सामने रखी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल इस बात को इंगित कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मामला हो, मुझे पता नहीं कौनसा केस है, और क्या केस है लेकिन मुझे यह पता कि यह मंत्रीजी की पीड़ा है। आईजी साहब से मिल लिये, डीजी साहब से मिल लिये, यह स्टेटमेंट है इस विधान सभा में अभी हुआ है, सौ बार मिल लिये, परन्तु क्या स्थिति है आपकी सरकार की। आप डींगें मार रहे हो, आप बड़े सीने ठोक रहे हो, हमने यह किया, हम यह कर रहे हैं, आपका मंत्री रो रहा है, आपका विधायक रो रहा है। मंत्रीजी खुद...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): संसदीय सचिव की आज सुबह जो पीड़ा थी और कल मुझे भी आपने व्यवस्था देकर बैठा दिया कि जवाब आ जायेगा। कब आ जायेगा जवाब, विधान सभा खतम होने के बाद आयेगा हमें बताओ आप कि कुछ कार्यवाही हो रही है कि नहीं हो रही है। इनकी तकलीफ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह बोल रहे हैं, उनको बोलने दें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी जब आप जवाब दें तो मैंने अपना जो केस बताया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मतलब किसी को चला कर मार दें ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ...(व्यवधान) सुरेश कुशवाहा की हत्या की गई है एक उद्योगपति द्वारा। (व्यवधान) संसदीय सचिव रो रहे हैं, आप बताओ। (व्यवधान) इस केस के अन्दर मुलजिमों की गिरफ्तारी कब होगी?

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय सचिव यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कब बोलेंगे फिर? (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): यह नंगा नाच बंद कराइयेगा। धौलपुर के अन्दर एक तरफ खनन माफिया है, खनन का खनन कर रहे हैं, नेता, लाखों रुपये वहां के जो बाहर के पहले के प्रिडिसर्स थे एसपी साहब, वह तो कहते थे यहां विधायकजी दो ही चीजें हैं एक रेता है और ट्रैफिक है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति है तो कृपया उस स्थिति को सुधारें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर का विकास हुआ है एक्सपांशन जहां पर हो रहा है तो कम से कम मैंने मांग की थी कि दो-तीन चौकियां, एक कालेज जहां गर्ल्स पढ़ती हैं वहां चौकी स्थापित की जाये और मचकुण्ड रोड पर चौकी स्थापित की जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यह फिर निवेदन करना चाहूंगा कि

मुंसिफों सोच कर सज़ा बख्शो
आपसे आगे भी एक अदालत है

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री शंकर सिंहजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से गांधीवादी सरकार का गुणगान किया जा रहा है उसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि मांग संख्या 16 और 17 के ऊपर राजस्थान में कानून नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। राजस्थान में जंगल राज स्थापित हो चुका है, जिधर देखो उधर ही अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजर आ रही है। आम जन पुलिस से अपने व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उम्मीद लगाता है लेकिन राज्य का नजारा कुछ अलग ही नजर आ रहा है। थानों में पुलिस कर्मचारियों के साथ

(श्री शंकर सिंह)

बलात्कार, मर्डर जैसी घटनाएं हो गई हैं। आज आपके शासन में कोटा जिले के थाने में कार्यरत महिला कर्मचारी माया यादव के साथ बलात्कार कर मर्डर हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले पुलिस कर्मचारी के बच्ची के साथ थाने में कार्यरत पुलिस के कर्मचारियों द्वारा ही बलात्कार किया गया। राजधानी जयपुर में तो कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। आये दिन अखबारों में चोरी, लूट, डकैती की घटनाएं आम हो गई हैं और अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है फिर भी हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा सुशासन दे रहे हैं। जिस प्रकार मैंने सुबह भी बताया था कि मानसरोवर थाने के अन्दर मुकदमा नम्बर 134/12 में आठ बार जांच चेंज हो गई फिर भी पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय राज मार्गों पर लूटपाट और ये घटनाएं आम हो गई हैं। जिस प्रकार आपकी सरकार के अन्दर, आपके शासन के अन्दर सीआई फूल मोहम्मद को जिंदा जलाया गया, अजमेर जिले के हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आपके और आपकी सरकार के वर्तमान सदस्य जो हमारे भाई नाथूरामजी हैं, उनके बेटे की दिनदहाड़े अपहरण करके हत्या कर दी गई और आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। इस सरकार से और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोपालगढ़ प्रकरण, आज भी वहां आग ठण्डी नहीं हुई है। हमारे वहां ब्यावर में ज्योति हत्या कांड, पुष्कर के अन्दर सूरज हत्या कांड, मोटा सिंह रावत की हत्या, कई हत्याएं ऐसी हैं जो आज तक आपकी पुलिस खोल नहीं पाई है और आप बड़े ऊंचे-ऊंचे लाव लगा रहे हो, मैं तो यह कहना चाहता हूं इस सरकार के अन्दर अगर थोड़ा बहुत भी दम है तो आपके जो कांग्रेस के लीडर थे और इस देश के प्रधान मंत्री रहे सम्माननीय राजीव गांधी के हत्यारों को आप क्यों नहीं फांसी दिलवा पा रहे हैं? उसके लिए आपकी सरकार और आपके नेता, उनको बचाया जा रहा है। राजस्थान की बात ही मैं कह रहा हूं, साहब, जिस प्रकार अभी आप कह रहे हो कि कालीन चोरी हो गया, अब कालीन चोरी का आप आरोप लगाने जा रहे हो, अब सरकार कौन चला रहा है? आप चला रहे हो, आपने आयोग बैठा कर के जांचें करवा दीं, उसके बाद में भी आप कुछ नहीं कर पाये। और आपके हाथ में शासन है, आप जांच कराते, जांच में जितने भी जो आरोप, सारे के सारे झूठे पाये गये और उस झूठ के पुलिंदे को इस सदन के सामने रखने का क्या औचित्य है, अच्छा शासन चलाने के लिए अच्छी बात करनी चाहिए, झूठे आरोप लगाना और इस सदन को गुमराह करना एक बेतकल्लुफ बात है, साथ में,

(श्री शंकर सिंह)

आपकी सरकार में जो आप अच्छे कह रहे हो, पूर्व सरकार के ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं और हम तो यह कह रहे हैं आपकी सरकार के अन्दर आपके अधिकारी और कर्मचारी तो पता नहीं, करप्शन और अपराध, जिस प्रकार ये अपराधी जो अपराध करते हैं लेकिन आपके शासन के अन्दर आपके सदन के सदस्यों और आपके मंत्री ने भी उस मामले में लूट मचा रखी है। पूरा राजस्थान देख रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप कैसे शासन चला रहे हैं फिर भी आप कह रहे हो, हम शासन बहुत अच्छा चला रहे हैं और सुशासन चला रहे हैं, ये राजस्थान की जनता बैठी-बैठी आपको दोनों आंखों से टुकर टुकर नजरों से देख रही है। आप यह भूल जाओ, कहीं सपना कि हम वापस सत्ता में आ रहे हैं, हम यह कर रहे हैं, आपको सत्ता के सपनों से दूर हो जाना चाहिए, ऐसा शासन मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। (व्यवधान) आप सुनो, ध्यान से सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसी राजस्थान के इतिहास के अन्दर हत्या और निकम्मी सरकार कभी नहीं आई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंहजी, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, थोड़ा समय का ध्यान रखें। क्योंकि और भी वक्ता बोलने हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना है, थोड़ा समय का ध्यान रखें। इधर प्रदीप कुमार सिंहजी को भी बोलना है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप ज्यादा कह रहे हो तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मंत्रियों पर चार्ज लगा रहे हैं कि मंत्री लूट रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट होना चाहिए कि कौन मंत्री लूट रहा है और इस तरह माननीय सदस्य बोलते जाएंगे हर किसी के लिए ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो आम चर्चा है ओर कहीं ऐसी जरूरत ही नहीं, पेपर ...(व्यवधान) न्यूज पेपरों के अन्दर विद प्रमाण नाम के साथ में आती है, आप भी पढ़ते हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हमारा निवेदन है इसको एक्सपंज किया जाए या फिर ये स्पेसिफिक आरोप लगाएं कि कौन माननीय, कौन मंत्री लूट मचा रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नेता प्रतिपक्ष को भी बुला लें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रदीप कुमारजी, समय का ध्यान रखें क्योंकि माननीय कटारियाजी को भी बोलना है, गुलाब चन्दजी को भी। (व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले चार सालों में जो सुशासन दिया है उसकी झलक आज हमें पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही है। जब से इस विधान सभा में हम लोग चुन कर आए हैं, हर बार, साल में दो बार, चाहे वह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो, चाहे बजट हो, हम एक ही काम कर रहे हैं लगातार, एक दूसरे की आलोचना और प्रत्यालोचना, होना यह चाहिए, इस सदन में यह तय होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, उसके बजाय हम टाइम एक्सटेण्ड करते जा रहे हैं और आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप हम पर आरोप लगाते जा रहे हैं, मैं इस बात को ज्यादा उचित नहीं समझते हुए सीधी अपनी बात पर आता हूं।

पुलिस के ऊपर आज मांग पर बहस हो रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस को अभी और सुविधाएं और साधन देने की जरूरत है और उसके लिए सरकार की तरफ से कोई कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, उच्च अधिकारी उसमें हों, जन प्रतिनिधि उसमें हों और इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की जानी चाहिए जिससे अपराधों पर कंट्रोल किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं पुलिस का सिपाही भी एक आदमी है, इंसान है, मैं गांव में रहता हूं, जब से वर्ल्ड बैंक का फंड आने लगा है पुलिस में तो निश्चित रूप से थानों की बिल्डिंगों में सुधार हुआ है लेकिन अभी और सुधार करने की जरूरत है, जो लम्बी चौड़ी बैरक बनी हुई है, एक सिपाही रात को दस बजे ड्यूटी करके आता है, वह सोता नहीं, उससे पहले बारह बजे ड्यूटी करके आने वाला सिपाही उसमें आ जाता है, जिसको चार बजे ड्यूटी पर जाना होता है, वह उठ जाता है, आदमी दिन रात सो नहीं सकता, 24 घंटे ड्यूटी देता है और फिर वह रात भर का जगा हुआ आदमी, परेशान आदमी, फिर दूसरे दिन ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। वहां जाकर फिर वह झुंझलाया हुआ अपना गुस्सा निकालता है, चाहे वह सही आदमी हो अगला,

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

चाहे गलत आदमी हो, इसलिए इनकी आवासीय व्यवस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए, इनको जो वाहन दिये जाते हैं, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। अच्छा, हमारे जो वायरलैस सिस्टम हैं उनमें अभी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को तो जगाओ।

श्री उपाध्यक्ष: सदन में बैठे सभी सदस्य जगे हुए हैं।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): उनमें अभी सुधार की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दीगोद थाने का सर्किल, एरिया बहुत बड़ा है इसलिए वहां बहुत वर्षों से बड़लियास के अन्दर एक नये थाने की मांग चली आ रही है, अपराधों पर कंट्रोल करने के लिए थानों की सीमा कम की जानी चाहिए, पापुलेशन का दबाव बढ़ रहा है, थानों के अन्दर कर्मचारियों की संख्या कम है, अधिकारियों की संख्या कम है, वह संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और जो बड़े कस्बे में उनमें आबादी तय करके कि इतनी आबादी हो जाने के बाद 5 हजार, 6 हजार, 8 हजार जो तय हो जाए, उसके बाद एक पुलिस चौकी स्थापित की जानी चाहिए और वहां पर उन सब कर्मचारियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में बरून्दणी चौकी का भवन विहीन चौकी है, वर्षों पुरानी चौकी चल रही है, पुरानी कच्ची बिल्डिंग में चल रही है इसलिए वहां पर नई पुलिस चौकी के भवन की भी आज मैं मांग करता हूं।

मांग संख्या 17 पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। माण्डलगढ़ हैड क्वार्टर पर जो कारागृह बना हुआ है, उसमें जो बैरक है, वह बहुत छोटी है और कई बार कैदियों की संख्या अधिक हो जाने से उसमें इंसानों का रहना मुश्किल हो जाता है इसलिए उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, नई बैरक का निर्माण किया जाए और उनके लिए पीने के पानी और कुछ मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविजन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि जो लोग जब तक उनको सजा नहीं होती है, तो वह टेम्परेरी कैदी के रूप में रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, अपराधी नहीं होते हैं कई लोग, उन्हे भी उनके साथ रहना पड़ता है इसलिए इस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। अंतिम वक्ता के रूप में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बहुत मेहरबानी है कि पौने दस बजे चर्चा समाप्त करके मंत्री महोदय जवाब देंगे उसके बीच में आपने मुझे 10-5 मिनट के लिए अवसर दिया। मैं अपने आपको स्वयं ही नहीं समझ पा रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष: दोनों पक्ष सहमत होंगे तो समय बढ़ाया जा सकता है। आपका नाम आपकी पार्टी ने अंतिम में दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है। कारण क्या है कि पुलिस वही है, अधिकारी वे ही हैं। हम लोग समय-समय पर कभी पांच साल यह रहते हैं कभी पांच साल वे रहते हैं लेकिन लगभग फोर्स वही रहती है, उनकी नौकरी 30-35 साल की रहती है और हमारी पांच साल की रहती है। हमारे टाइम पर अपराध ही अपराध हुए और उसके गुनाहगार के रूप में, गृह मंत्री के रूप में मैं यहां खड़ा हूं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि अगर बलात्कार हुए तो मेरे ही टाइम पर हुए, चोरी हुई तो मेरे ही टाइम पर हुई हत्या हुई तो मेरे टाइम पर हुई और इस समय तो बिल्कुल राजा हरिश्चन्द्र का राज आ गया, रामराज्य हो गया, कोई अपराध है ही नहीं, जहां कहीं गलती से एफआईआर लिखा दी तो अनजाने में लिखा दी, या जबरन जाकर लिखा दी। बहुत अफसोस है इसका। हम तर्क के साथ बात करें तो समझ में आ सकता है लेकिन इस तरह से कुतर्क करके अपने आपको दुर्भाग्य में, मैं लगभग 35 साल से 1977 से आ रहा हूं लेकिन आज गृह विभाग की मांग पर गृह मंत्री का मौजूद नहीं रहना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस सदन के लिए क्या हो सकती है? क्या राज है, क्या कानून व्यवस्था चलेगी जब कानून व्यवस्था को चलाने वाला व्यक्ति इस सदन में, आज कम से कम और कोई काम हो सकता है जरूरी, समझ में आ सकता है, बोलें या नहीं बोलें, यह तो मैं भी जानता हूं, मैं भी इस बात को जानता हूं....

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता आज दिल्ली में हैं, प्लानिंग कमीशन की अत्यावश्यक मीटिंग थी इसलिए जाना पड़ा अन्यथा निश्चित रूप से वे यहीं विराजते और आपके साथ जो विचार-विमर्श होता उसमें शेयर करते। उद्देश्य आपका हो या हमारा हो, उद्देश्य सबका यह रहता है कि जो विभाग है उसकी कार्यप्रणाली अच्छी हो, पूरे राजस्थान प्रदेश को उसका लाभ मिले, ला एण्ड

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आर्डर की अच्छी व्यवस्था हो। आपस की एक-दूसरे की चर्चा होती है वह जैसी भी हुई, आपकी तरफ से हुई, इधर से हुई लेकिन सदन के माननीय नेता इस कारण से नहीं आ सके कि वे दिल्ली विराज रहे हैं और प्लानिंग कमीशन की अत्यावश्यक मीटिंग है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): निश्चित रूप से, उनको इस सदन की गृह विभाग की मांग से भी बहुत आवश्यक काम है क्योंकि यह मांग आज और कल तय नहीं हुई है, जिस दिन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसी दिन एक चार्ट बनकर आ गया था और मैं सोचता हूं कि हम अपने आपको भले ही कुछ भी कहकर बरी कर दें लेकिन राजस्थान की सात करोड़ जनता आज इस बात को जरूर जानना चाहेगी कि राजस्थान का गृह मंत्री चाहे वे सदन के नेता हों, आज की तारीख में इस मांग के समय में उनका उपस्थित नहीं रहना इस सरकार का पांच साल का जो कार्यकाल रहा, यह गृह विभाग हमेशा इसी तरह से अनजाने, अनिच्छा से चलाने की स्थिति के कारण से आज यह स्थिति है। मैं चाहूंगा कि हम पुलिस की गलती निकालें पर जब तक हम कुछ बेसिक सुधार इस विभाग में नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। पुलिस यही रहने वाली है, अधिकारी यही रहने वाले हैं लेकिन उनके इस कामकाज के बारे में हमारी राजनैतिक दखलंदाजी जितनी कम होगी उतना ही पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करेगा। क्योंकि इतने साल के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूं कि जब कभी भी लाइन इधर से उधर होती है तो....

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): नेता, प्रतिपक्ष तो चार साल तक प्रदेश से बाहर रही, हाउस से बाहर रहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मुझे आपके लिए भी तो थोड़ा काम छोड़ना पड़ेगा न। सभी मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत अफसोस है, आप लोगों को शायद यह अभिमान है कि हम बापी पट्टा लेकर आ गये हैं लोकतंत्र का इसलिए हमारे पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है। इस देश की और प्रदेश की जनता आपको और मुझको देख रही है, पहचान रही है। केवल आपके कह देने से मैं हत्यारा हो गया, क्या मैंने अपनी पुलिस को, जिन परिस्थितियों में मेरी पुलिस वहां मौके पर थी, क्या उनको कुल्हाड़े से काटने के लिए मैं उनको भगवान के भरोसे छोड़ देता? क्या चौकियां जलाते तो मैं उनको भगवान के भरोसे छोड़ देता? चाहे मेरे थाने जलाये जाते तो क्या मैं उनको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भगवान के भरोसे छोड़ देता? मैंने इस सदन में खड़े होकर कहा कि अगर इसका कोई दोषी है तो गुलाबचन्द कटारिया गृह मंत्री के नाते है और मेरा पुलिस का कोई आफिसर इसके लिए दोषी नहीं है और इसका जुल्म है तो मैंने किया है। मैं सोचता हूं कि आज दिन तक किसी अधिकारी ने इस हिम्मत के साथ बात नहीं की होगी क्योंकि मेरी फोर्स की हिम्मत मैं स्वयं हूं। अगर मैं इसका मुखिया हूं तो अच्छा भी मेरा है और बुरा भी मेरा है लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि सबसे बड़ा इस प्रशासन को अगर चुस्त करना हो तो ट्रांसफर पालिसी बनाओ। यह मनमर्जी से इधर से उधर मत भेजा करो। योग्यता के आधार पर व्यक्ति को योग्य स्थान पर लगाओ और उसे फिर काम करने की आजादी दो। उसकी दखलंदाजी से काम नहीं चलेगा। हम हर चीज में दखलंदाजी करके पुलिस को कमजोर करते हैं और फिर उसका रिजल्ट चाहते हैं तो फिर रिजल्ट कहां से मिलेगा? मेरी मान्यता है कि अगर यह पुलिस विभाग अपने आपको ठीक करना चाहे तो दागी लोग तो हरेक विभाग में होंगे, कौनसा ऐसा विभाग है जिसमें दागी लोग नहीं होंगे लेकिन हम इन दागी लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करते और हम उसको धकाने की कोशिश करते हैं और इसके कारण से यह बीमारी इस रूप में बढ़ जाती है। अगर वर्ष में हम 10-20-50 को उनकी सर्विस बुक देखकर, जिस प्रकार का उनका आचरण रहा, उसके आधार पर घर भेजने का सिस्टम अगर चालू करें और 5-50 लोग हमेशा, हर साल घर जाते रहेंगे तो बाकी सारी फोर्स सुधर जाएगी। गलती दो करते हैं और सारी की सारी फोर्स का मनोबल तोड़ते हैं, इससे नहीं सुधरेगा। निश्चित रूप से, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से राजनैतिक दखलंदाजी के कारण से हरेक मांग कर ले जाता है कि यह एसपी मुझे चाहिए, यह डीवाईएसपी मुझे चाहिए, यह थानेदार मुझे चाहिए। क्यों, क्या करना है उनसे? क्या दूध निकालना है? केवल इसलिए कि मेरी चले, मेरी चले, हर आदमी मेरी चले। तो उस गरीब की कौन चलायेगा जिसका कोई धणी-धोरी नहीं है, क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? क्या उसको न्याय मिलना ठीक नहीं समझते हैं? हम जानबूझकर पुलिस का मोरल तोड़ते जा रहे हैं और हम उससे उम्मीद करते हैं कि यह हमारी हर चीज को करे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इन आंकड़ों के आधार पर कब कितना हुआ और आप अपनी पीठ थपथपाये जा रहे हैं। आपने 2011 की हिन्दुस्थान की क्राइम रिपोर्ट देखी है और उसमें देखकर कभी अपना नक्शा देखने की कोशिश की है? केवल अपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपको बचाने के लिए दो गालियां मुझे ठोक दीं, मैंने 72 लोगों को मरवा दिया, मैंने डाका डलवा दिया, मैंने चोरी कर दी, मैंने ही रेप किया होगा किसी सात साल की बच्ची का और मैंने ही मार दिया होगा। यानी इस प्रकार बर्ताव और इस प्रकार की बात करके हम अपने आपको भले ही कितना ही खुश कर लें लेकिन भगवान और जनता आपका और मेरा दोनों का चेहरा देख रही है। आपका अगर यह अभिमान हो तो फिर कभी मिलेंगे तब बताऊंगा कि इसका परिणाम क्या होता है और क्या नहीं होता है। दुर्भाग्य है। अपराध की दृष्टि से राष्ट्रीय बढोतरी एक हजार पर 181.4 है और राजस्थान में अपराध की बढ़ोतरी कितनी है? 252.2 है। 181 राष्ट्रीय अपराध की है, इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा कि अपराध में हम इस स्थान पर हैं। जयपुर पूरे देश में अपराध की दृष्टि से नम्बर तीन पर आया हुआ शहर है। यह उपलब्धि है? गत दो सालों में 1300 से अधिक लोग लापता हैं, चलो होगा। पुलिसकर्मियों की मारपीट की संख्या के बारे में नावां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे पांच साल के राज में 1500 लोगों के साथ मारपीट हुई और मेरे प्रश्न के जवाब में आया है कि आपके राज में केवल मैंने चार साल और समथिंग समय का पूछा था जिसमें 2273 बार पुलिस पिटी है, 12 लोगों की मौत हुई है। कौन जिम्मेदार है? यह जो पुलिस पिटती है या कुछ होता है, पिट भी सकती है, मैं इसमें यह नहीं कह सकता कि कल का कोई ऐसा स्वर्णिम युग आ जाएगा कि कभी पुलिस नहीं पिटेगी लेकिन कम से कम कूटने वाले लोगों को, उन अपराधियों को दण्ड मिला या नहीं मिला इसका फैसला कौन करेगा? अगर पेशी पर ले जाते समय बिजौलिया के पास कांस्टेबल को मार दिया जाता है और कांस्टेबल की बंदूक से एक गोली भी नहीं निकलती है तो फिर क्या करते हैं? अगर फूल मोहम्मद को जला दिया गया और वहां सारी पुलिस तमाशबीन खड़ी थी उन सबको नौकरी से बाहर निकालना चाहिए कि तुम्हारी मौजूदगी में एक एसआई कैसे जलकर खाक हो गया और तुमने अपनी बंदूकों को क्या जमीन में गाड़ दिया था? क्या किया था तुमने उनका? अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा पुलिस का एक अधिकारी मौत के मुंह में जा रहा है और तुम्हारे से डंडा और वह भी नहीं उठता है, यह कौनसी तुम्हारी बहादुरी है? और मैं इस पुलिस से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे माथे पर काला नहीं पोत दिया। एक एसपी पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए। किस मुंह से तुम अपना सीना तानकर कहते हो और तुम कहते हो, वह एक दिन का आदमी था? क्या पहले दिन नौकरी लगा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

था। तुम्हारे एसपी के लिए तुम्हें पता नहीं है कि वह वसूलियां करता है और ऐसा एक एसपी नहीं, मंत्रीजी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऐसे कई एसपी हैं जो थानों से वसूली लेते हैं इसीलिए कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हैं। इसको देखने वाला कौन है? क्या आप और मैं नहीं जानते हैं कि यह व्यवस्था बिगड़ती क्यों है? हम बिगाड़ते हैं इसलिए बिगड़ती है। वही अजमेर का एसपी, जिसको आपने राष्ट्रपति अवार्ड के लिए रिकमण्ड कर रखा था, अगर तीन महीने बाद होता और, वह राष्ट्रपति से अवार्ड लेकर आता तो क्या तुम्हारी पुलिस और विभाग इतना अनजाना है कि वह किस करेक्टर का आदमी है। उस करेक्टर के आदमी को भी बचाना, मैं तो एसीबी को धन्यवाद देता हूं, डीजी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम कोई बहादुर तो है जो एसपी को भी जाकर दबोचकर लाया। वास्तव में यह उसका काम है। अवार्ड तो उसे मिलना चाहिए, उसकी पुलिस को मिलना चाहिए कि जिसने इतनी हिम्मत की कि वह अपने ही अधिकारियों को कम से कम पकड़ कर लाया है।

मुझे आश्चर्य है, आर्थिक अपराधों में हमारी बढ़ोतरी है न, वह देश में सबसे अधिक है। कभी कोई देखने का प्रयास करिये कि आर्थिक अपराधों में 24.13 प्रतिशत की वृद्धि राजस्थान में बढ़ोतरी हुई है। वन, पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा सम्बन्धी अपराधों में राजस्थान हिन्दुस्तान का सिरमौर है। दलित अत्याचारों की दृष्टि से राष्ट्रीय दर है 2.9, जबकि हमारे यहां राजस्थान में 7.5 है। यह जो आपकी क्राइम रिपोर्ट, 2011 है, दलित अपराधों में 21.8 प्रतिशत पूरे हिन्दुस्तान में जितना दलित अपराध हुआ, उसमें से क्राइम रिपोर्ट, 2011 में 21.8 प्रतिशत अकेला राजस्थान है दलित अत्याचारों की दृष्टि से। यह मेरे सवाल के जवाब में दिया है। केवल यह कह कर, अपनी पीठ थपथपा कर यह सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अपराध आगे नहीं होगा, कम या ज्यादा होगा। दो प्रतिशत ऊपर हो सकता है, दो प्रतिशत नीचे हो सकता है। यह कोई उसका मापदण्ड नहीं है लेकिन हमको उस पर कम से कम निगाह तो डालना चाहिए।

प्रदेश में महिला अत्याचारों की दृष्टि से चार वर्ष में 82,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं राजस्थान में। कितने, 82,000 चार सालों में। यह महिला अत्याचार की दृष्टि से क्राइम रिपोर्ट, 2011 के अनुसार राज्य हिन्दुस्तान का चौथे स्थान पर है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सड़क हादसों की दृष्टि से, एक्सीडेंट केस में 76 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और आप जो कहते हैं कि वह भगोड़ा है, यह है, वह है तो कानून आपके हाथ में दे रखा है, आप साढ़े चार साल से कीर्तन कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, वह भगोड़ा तो लंदन में है, सर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वह कहीं भी हो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वहां से पकड़ लायें? वहां से पकड़ लायें?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है, सरकार चला रहे हो। यह बोलने का काम तो हमारे जिम्मे है, आपके जिम्मे तो हमने, राजस्थान की जनता ने कलम दी है। अगर आपके हाथ में कलम चलाने का भी दम नहीं है तो बोलने का अधिकार भी आपके जुबान में नहीं होना चाहिए। आप तो काम करो, एक्शन करो, कौन रोकता है? यह भगोड़े कोई आज के नहीं हैं, हमारे टाइम में भी भगोड़े थे। यह कभी आंकड़ा ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है। आज भी 64,000 लोग राजस्थान में भगोड़े की गिनती में आपकी सूची में आते हैं।

यह जो आपका प्रतिवेदन है, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि हमारी पुलिस की जितनी नफरी चाहिए, वह हमारी पुलिस की नफरी नहीं है। न हम अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड को कवर करते हैं, जो राष्ट्रीय मापदण्ड हमारा है 130 का भी, वह भी हम पूरा नहीं करते हैं और फिर जो कुछ नफरी हमारी है, उस नफरी में हमारे खाली पद इतने अधिक रहते हैं कि आज की तारीख में राजस्थान में पुलिस की टोटल नफरी 81,954 है, उसमें से 16,000 पद आज की तारीख में भी खाली पड़े हैं। यह आप बार-बार जिस बात को कह रहे हैं, मैं सोचता हूं, कमियां निकालना और डिबेट करना तो, हर विषय में पक्ष में भी बोला जा सकता है और विपक्ष में भी बोला जा सकता है। यह पक्ष और विपक्ष करते-करते ही हमने राजस्थान का बंटाधार किया है। हमको सही चीज के लिए एकमत बनना चाहिए कि हम सब एक राय होकर भी इस व्यवस्था को कैसे सुधारें लेकिन इस मंच का उपयोग हमने पक्ष और विपक्ष का किया। तू मेरी पीठ थपथपाना, मैं तेरी पीठ थपथपाऊंगा। तू मुझे गाली देना, मैं तुझे गाली दूंगा और उसके बाद सब मिल कर और मेजें थपथपाना।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह इस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग छीपाबड़ौद के माननीय सदस्य ने किया, आपने देखा होगा, यह न तो आगे चलकर उनको शोभा देगा। कभी जनता आपसे और हमसे सवाल पूछेगी कि यह क्या गली-कूंचे का खेल-तमाशा है क्या? जिस प्रकार से बार-बार आवाज देकर अपन कह रहे हैं, हो सकता है मेरी आवाज में कोई और तीखापन हो या गलती हो सकती है या मैं तुतलाता हूं तो क्या मैं तुतला कर, बार-बार बोल कर इस बात को साबित करना चाहता हूं कि मैं तुतलाता हूं। अब तू ही तुतलाता है। क्या तरीका है यह? क्या तरीका है इस तरह का? (व्यवधान) इतना अभिमान नहीं करना चाहिए।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैंने कहीं भी शब्दों का गलत उपयोग नहीं किया। मेरे शब्द सदन के अन्दर हैं। मैंने एक भी शब्द का उपयोग नहीं किया। मैंने सिर्फ भाषा बदली है, मैंने अपनी शैली बदली है, मैंने शब्दों का व्याख्यान बदला है। मैंने शैली को ऊंचा-नीचा किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने कुछ कहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और भगवान आपको इस प्रकार...और दे। (व्यवधान) नहीं नहीं, मैं तो इस तरह से...

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैंने शब्द गलत नहीं किये हैं। मैंने आपका सम्मान किया। मैंने सदन में आवाज को, प्रजेंस को बढ़ाया है, ऊंचा-नीचा किया है। ओनली वोल्यूम को किया है मैंने। वह वोल्यूम ऐसी थी जिससे विधान सभा में वाइब्रेशन होता था। उस वाइब्रेटेड आवाज की मैंने पुष्टि करके मेरी भावना से इस सदन को बताया है। मैंने कोई गलत बात नहीं की और मैं करता भी नहीं हूं ऐसा। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपका बहुत आभारी हूं। कोई बात नहीं। आपको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप मेरा नोट कर लीजिये, मैंने अगर सदन में कोई गलती की है तो वह मेरे शब्दों को निकाल देंगे। धन्यवाद। वह वाइब्रेशन था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कांस्टेबल की भर्ती की दृष्टि से भी, हमारा काम करने का जो तौर-तरीका है ना, वह तरीका टाइम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बाउंड नहीं है और इसके कारण से हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैंने अपने उस पांच साल के कार्यकाल में 14,178 कांस्टेबल की भर्ती की और हर साल भर्ती की और आपने घोषणा तो की। घोषणा करने के बाद केवल 8,000 कांस्टेबल भर्ती हुए। अभी 10,000 की परीक्षा हुई, कितने महीने हो गये, लेकिन उसकी आगे की प्रक्रिया का क्या हुआ? उसका परिणाम क्या? अब आपने जब चार महीने काम करने के रहे, 12,000 कांस्टेबल और भर दिये। इससे भी पूर्ति नहीं होती है। आज की तारीख में अपन इस सारी स्थिति को समझने का प्रयास करें तो मैं सोचता हूं कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा तो साइबर क्राइम हो रहा है। इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने एक थाने की घोषणा की थी। वह थाना एग्जिस्टेंस में आ गया क्या? वह काम कर रहा है क्या? हमने एक साल पहले इस साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए थाने की घोषणा की थी लेकिन आज की तारीख में भी वह एग्जिस्टेंस में नहीं आया। केवल नौ अधिकारियों के नाम-पते जरूर आ गये, लेकिन वास्तव में मैदान में कहां है? काम कहां कर रहा है, किस जगह कर रहा है, इसके बारे में तो अपने को सोचना चाहिए।

अब पुलिस आधुनिकीकरण की योजना है। अभी मैं जिसको बता रहा था, आप जिसके बारे में कह रहे हो, यह एसीबी ने अजमेर के एसपी को पकड़ा। यही नहीं, आईपीएस अजय सिंह को पकड़ा, एएसआई के मार्फत एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए, दो लाख रुपये की रिश्वत मांगने में उसे पकड़ा। मतलब, यह पुलिस के लिए जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं, ये दागी हो सकते हैं। मेरे समय में भी थे, आज भी हो सकते हैं और आगे भी रहेंगे लेकिन क्या यह पुलिस विभाग है, क्या इसकी आंख में इतना अंधेरा छा गया कि इसको ईमानदार और चोर दिखाई नहीं देता है? दिखाई देता है लेकिन किसी न किसी की छत्रछाया में ये पलते हैं, इसके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होती है।

पुलिस मुख्यालय में आईजी मानवाधिकार आयोग पर पीए के मार्फत 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। यह पुलिस की तारीफ करने लायक चीज है? ये दागी कोई एक दिन में बन गये? एक ही दिन में कोई नई नौकरी लगी थी इनकी? ये आईजी की पोस्ट पर गये, कितने साल तक नौकरी की होगी? इतने समय में हमने कभी यह नहीं देखा? अगर पुलिस की आंख में भी आदमी गुणी और अवगुणी, यह नहीं दिखाई देता तो वह पुलिस की आंख

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ही नहीं हो सकती है। रास्ते में चलते हुए आदमी को देखकर पहचान सकती है कि यह अपराधी है या कौनसा आदमी है? अगर पुलिस की आंखें भी इतनी बंद होंगी।

उपाधीक्षक मन्नाराम मीणा के खिलाफ वकील के माध्यम से यह जो 50,000 रुपये की रिश्वत लेने में पकड़ा गया, वह भी इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है? मुझे अफसोस है, मंत्री महोदय, जब आप जवाब दें।

हमने, राजस्थान ने यह पहला पुलिस एक्ट बनाया, 1861 के एक्ट की कमियों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण से उस समय सभी स्टेट गवर्नमेंट को था कि आप अपना पुलिस एक्ट को बदलो। हमने बड़ा प्रयत्न करके इस विधान सभा के सारे माननीय सदस्य, जो भी पक्ष-विपक्ष के थे, उन सबको लेकर हमने सलेक्ट कमेटी बनाई और उस सलेक्ट कमेटी में 47 घंटे तक हम लोगों ने सीटिंग की कई दिनों तक और उसके बाद एक परफेक्ट कानून बनाया लेकिन वह कानून रद्दी की टोकरी में आज भी पड़ा हुआ है। उस कानून को कहां आगे बढ़ाया हमने, हम कहते तो हैं कि 1986 का एक्ट है, इस एक्ट से क्या हुआ है, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन इसमें धारा 57 में नियम बनाने जो शेष रहे थे वह आज भी शेष पड़े हैं। धारा 20 के अधीन पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम बनाने थे वह रद्दी की टोकरी में है। धारा 57 में वेलफेयर फंड के सम्बन्ध में नियम बनाने थे वह रद्दी की टोकरी में है। निम्न प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए, हमने ग्रामीण गार्ड धारा 22 में किया, वह नहीं बना। पुलिस कमिश्नरी जरूर बनी उसकी भी क्या दुर्गति की। यानी जब हम बनाते हैं तो उसको अधिकार भी देना पड़ता है, उसके अनुसार का स्टाफ देना पड़ता है। वह जब यह कहता है कि मेरे 12 थाना इंचार्ज तो ऐसे हैं जिनका भगवान ही मालिक है उसके बाद भी वह निहत्था खड़ा रहे और उसके बाद भी जिस ढंग का बर्ताव आपने उसके साथ किया, मैं आज भी कह सकता हूं, दोनों पुलिस कमिश्नर जिनको आपने लगाया, मैंने उस दिन भी धन्यवाद दिया था मुख्य मंत्री को कि कम से कम आपने एक अच्छे आदमी को सलेक्ट करके लगाया, उसकी दुर्गति करके जिस ढंग से निकाला, कौन काम करेगा आपके यहां? कौन इस प्रकार से ईमानदारी से आपके लिए जूझता रहेगा, आपने एक कौड़ी की इज्जत नहीं की और आदमी को बाहर निकाल करके फेंक दिया, ऐसे तो कल कोई भी आंदोलन और हड़ताल करेगा, चाहे जिसको भी सूली पर टांग दोगे, क्या इससे प्रशासन चलेगा और इस तरह से काम चलेगा कभी भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिस प्रकार से हमने किया है। यह पुलिस एस्टेब्लिश बोर्ड का गठन करना था धारा 28 के तहत, आज दिन तक हुआ है क्या? दो-दो वर्ष तक, हमने कहा था स्थानांतरण मत करो और स्थानांतरण करते हो तो रहने दो? लेकिन जो शिकायती स्थानांतरण हैं, गलत काम करता है उसको आप हटाओ न, कौन रोकता है, आपको अधिकार है सरकार का, उसमें अधिकार दे रखा है लेकिन आये दिन इधर से इधर, इधर से इधर और फिर जिस प्रकार से आप एक लम्बे समय तक बैठाये रखते हो न एक ही स्थान पर, वह सारे के सारे भूमाफिया बन गये। मेरी गारंटी है इस जयपुर शहर में जितने थाने वाले हैं उसमें से थाने की नौकरी में चाहे वह एसआई और ऊपर के अधिकारी हों, उन सब को खंगालो, उन सब में से प्लाट गिरेंगे, प्लाट। क्या दुर्भाग्य है। हम हटा नहीं सकते उनको, बदल नहीं सके स्थान भी उनका, स्थान बदलने में हमको क्या जोर लगता है? लेकिन हमने पंगु बना दिया डिपार्टमेंट को सारे के सारे को। पुलिस एक्ट की सभी राजनीतिक दलों और जन प्रतिनिधियों ने, हम लोगों ने प्रयास किये। अभी यह आपने देखा, इस कारागृह के बारे में आप सब लोग कहते हैं कि कारागृह में यह हो रहा है, वह हो रहा है, कोई देखने को तैयार है? माननीय मंत्री महोदय, मैंने पहले भी कहा था, मैं भी गुनाहगार हूं उसमें कुछ, मैंने प्रयास किये लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन वास्तव में जिस कारागृह की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा के बारे में मंत्री महोदय ध्यान करो यानी उप कारापाल के 53 पद कुल हैं, कितने आदमी लगे हुए हैं केवल मात्र 11, 42 पोस्ट खाली हैं। क्या करेगा? क्या होगा जेल में? क्या कर सकता है वह? सहायक कारापाल 135 पोस्ट है उसमें से 51 केवल कार्यरत हैं, 84 पोस्ट आज की तारीख में खाली हैं। यह आपने देखा होगा, महा मुख्य प्रहरी, 10 की पोस्ट है, आज की तारीख में 4 खाली हैं। मुख्य प्रहरी 371 में से 123 खाली है और जो आपका प्रहरी है जिसके बिना काम चल नहीं सकता, जिसके बिना जेल चलाई नहीं जा सकती, आपके 2302 की जगह 1102 पोस्ट खाली पड़ी हैं यानी आज की तारीख में आपकी 2900 की स्ट्रेंथ है उसमें से 1287, लगभग 1300 पोस्ट जहां खाली हो और उस पर भी आपके रिटायर्ड लोगों को, किसी होमगार्ड को लगा रखा हो, कुछ एक्स सर्विसमेन को लगा रखा हो, फिर आप इस देश की दुर्गति को कहो कि इसमें से दुर्गति कैसे बचेगी यानी इसके कारण से और इससे भी बड़ी जो कमी रही है, मैं निश्चित रूप से मंत्री महोदय, आपसे मैंने पहले भी कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश भी कागजों में और कोर्टस में खत्म

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हो गई यानी, 1996 के पहले पुलिस कांस्टेबल की सेलेरी और हमारे प्रहरी की सेलेरी बराबर थी। जेल में जितने लोग काम करते थे उनकी और पुलिस की बराबर की थी। आज की तारीख में निगाह डालकर देखा कि पुलिस की सर्विस में उनका वेतनमान कहां चला गया और जेल के लोगों का वेतनमान कहां चला गया, आखिर वह इंसान है, उसके मन में यह नहीं लगता है कि मैं इस जेल में हूं, योग्यता बराबर रखता हूं, मेरा भी इंटरव्यू भी वैसा ही हुआ जैसा उसका हुआ, मेरा सलेक्शन भी आरपीएससी से हुआ, इसका सलेक्शन भी आरपीएससी से हुआ, मुझे इससा आधा वेतन मिलता है, साठ प्रतिशत वेतन मिलता है। कोई वेतन विसंगतियों को दूर करना नहीं चाहता, यहां तक कि न्यायालय का फैसला भी उनके पक्ष में आ गया, उसके बाद भी कागज और फाइलें इधर-उधर घुमा-घुमा करके और उन लोगों का सारा हक मार देते हैं, तो हम किस तरह से इसमें से करेंगे। यह जो एफएसएल है, एफएसएल यूनिट, इस एफएसएल यूनिट को भी गौर से किसी ने देखने का प्रयास नहीं किया। हमने इस एफएसएल की इतनी यूनिटें बनाईं यानी सम्भागीय केन्द्रों पर हमने इसकी लेबोरेट्री बना दी, हमने चल मोबाइल वेन दे दी और प्रत्येक जिले में मोबाइल वेन है उसके बाद भी किसी ने निगाह डाली नहीं कि हमने 2003 में जब हमने चार्ज लिया था तब पेण्डेंसी थी 18230 केस की और उस पेण्डेंसी को हम घटाते-घटाते लाये 10765 पर और उसके बाद, आपके आने के बाद फिर से पेण्डेंसी बढ़ी है, स्टाफ बढ़ा है, व्हीकल बढ़े हैं, सब प्रकार की लेबोरेट्रियां बढ़ी हैं और उसके बाद भी 13772 केस आज की तारीख में पेण्डिंग केस हैं। यानी यह किस बात का इशारा है? आज दिन तक आप पांच साल में अभियोजन का डाइरेक्टर नहीं लगा सके और डाइरेक्टर नहीं लगाकर आप रिजल्ट लाना चाहते हैं, रिजल्ट आयेगा कहां से? जहां डाइरेक्टर...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त कर सकते हैं क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बिलकुल संक्षिप्त, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आपको लगता है तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर देता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, +++ सारी बात ही खतम...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा नहीं रही, प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो उनको पूरा मौका दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: परम्परा का ध्यान है। ध्यान है, क्योंकि 9.45 पर होना था, मैंने खुद ने दस मिनट तक बात नहीं की, फिर भी संक्षिप्त के लिए कहा है। इनकी भावना का अपन को सम्मान करना चाहिए, मन में जब आती है इनके तो...(व्यवधान) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मंत्रीजी के बोलने से पहले एक मिनट साहब मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, गृह राज्य मंत्री एवं श्री रामकिशोर सैनी, कारागार राज्य मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, नावां से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। नहीं-नहीं । नहीं, केवल उनका। केवल गृह राज्य मंत्री। केवल गृह राज्य मंत्री।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल गृह राज्य मंत्रीजी। नहीं, कोई अंकित नहीं होगा, आपका आपसी वाद-विवाद अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, आप शांति से। (व्यवधान) कृपया शांत रहिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कृपया महेन्द्रजी, विराजिये। यह हंसने की बात नहीं है। यह इस तरह से आरोप लगाना अच्छा नहीं है लेकिन सदन की...(व्यवधान) थोड़ा परम्परा का खयाल रखना चाहिए। माननीय गृह राज्य मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की अनुदान की मांग संख्या 16 पर चल रहे वाद-विवाद में 35 से अधिक माननीय सदस्यों ने भाग लिया, 69 सदस्यों ने 210 अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये। एक बजकर पचपन मिनट से चल रही चर्चा में राज्य के विभिन्न क्षत्रों से विभिन्न विषयों के बारे में जिसमें प्रमुखत: एससी.एसटी. प्रकरण की बात, बढ़ती हुई इनकी संख्या, भूमाफिया के कब्जे में पुलिस, एसीबी के द्वारा की गई कार्यवाही, अवैध खनन, कई स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की समस्या, लूट और अन्य प्रकरणों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया। कुछ विषय भी, स्पेसिफिक इश्यूज भी उठाये गये। मैं सभी माननीय सदस्यों का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर आप सब की पक्ष और प्रतिपक्ष की चिंता जायज है।

(22.00 बजे)

पुलिस की कार्य प्रणाली, अधिकारियों द्वारा किये गये बेहतरीन कार्य या कहीं कार्य विशेष पर उस क्षमता का परिचय नहीं किया जाना, यह विषय उभरकर सामने आये। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने उसी अंदाज में बड़ी सहजता और सरलता के साथ पूर्ववर्ती शासनकाल में इस पद की जिम्मेदारी को सम्भालते हुए कार्यों में जो कमी रही, उसको भी माना और इस बात को भी जाना और माना कि आज के समय में भी और आने वाले समय में भी सुधार की सदैव आवश्यकता रही है और रहेगी, यह सत्य भी है। यह भी है कि सत्य है कि सत्तापक्ष के लिए यह महकमा ठीक वैसे ही है जैसे एक मां के लिए उनकी बेटी है और प्रतिपक्ष के अधिकांश सदस्यों के लिए यह महकमा ठीक वैसे ही है जैसे सास के लिए एक बहू है। मैं यह कह सकता हूं कि जिस माहौल में राजस्थान की पुलिस कार्य कर रही है। जैसा यहां का राज्य का बड़ा भू-भाग है, बढ़ती हुई जनसंख्या और अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरीके की विकास की गतिविधियां जिसके चलते कुछ वहां पर कुछ बदलाव भी आये हैं और उन बदलावों के क्रम में आज के इस युग में हर व्यक्ति जागरूक है और जागरूकता के चलते अपने अधिकारों का उपयोग करने के क्रम में इस कानून की दुहाई देते हुए यदि उसके किसी हित पर कुठाराघात हो रहा है तो अपने उस हित को पूरा करने के क्रम में न्याय की आशा करता है और इस क्रम में वह अपने को और अपने प्रकरण को दर्ज कराने के लिए सम्बन्धित थाना तक दस्तक देता है। यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय की पहली और

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

अंतिम सोच है कि हमारे यहां पर पारदर्शिता होनी चाहिए। संवेदनशीलता का गुण उसके चलते जो भी प्रकरण दर्ज होने के लिए आते हैं उनको दर्ज किया जाता है। जिसके चलते आज जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां पर मुक़दमों की संख्या बढ़ रही है जिसका सबसे बड़ा कारण एकमात्र यह है।

लेकिन आज के समय में जिस प्रकार से आबादी का बढ़ता दबाव और जैसा मैंने निवेदन किया हमारे यहां पर तेज गति से जो विकास के पथ पर हम अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे जिले आ रहे हैं जिन जिलों के अन्दर अचानक इण्डस्ट्रियल एरियाज में इस तेज गति के साथ में विकास हो रहा है इन सबकों देखते हुए पुलिस विभाग को भी चुस्त-दुरुस्त किए जाने के क्रम में कार्य किए जा रहे हैं।

मैं सर्वप्रथम आज की चर्चा की जो शुरूआत की थी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य राव राजेन्द्रसिंहजी ने और उन्होंने यह विषय रखा था कि राजस्थान में एस.सी./एस.टी. के प्रकरणों में दर्ज करने में अग्रणी है, स्ट्रेंथ की कमी है। कुछ उन्होंने अपनी ओर से सी.आर.पी.सी. के कुछ धारा 129 और 131 के तहत प्रकरणों के दर्ज किए जाने की बात की। साथ ही साथ, उन्होंने कुछ भगौड़े अपराधियों के विषय में भी यहां सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। मैं यही कह सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि प्रकरण विशेष के बारे में उन्होंने बात फरमायी थी प्रकरण संख्या 78/10 सुजानगढ़ क्षेत्र की। बढ़ते हुए अपहरण की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की थी। माननीय ग्यारसारामजी कोली, इन्होंने भी अपने क्षेत्र विशेष में विशेष रूप से अवैध खनन और इसके बारे में अपनी चिंता प्रकट की थी।

सिविल लाइंस क्षेत्र से आने वाले माननीय विधायक ने ए.सी.बी. के एक अधिकारी के विषय में भी यहां प्रश्न खड़ा किया था। साथ ही साथ, आपने प्रमोशंस की प्रक्रिया के ऊपर भी अपनी ओर से बात रखी थी कि सीआई के भी प्रमोशंस किए जाने चाहिए। क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से हर विभाग में प्रमोशन किये गये, उसी प्रकार से पुलिस विभाग में भी आर.पी.एस. और आई.पी.एस. के जो प्रमोशन किये गये। उससे न सिर्फ विभाग बल्कि इसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई थी, उसी क्रम में माननीय सदस्य की यह भावना है। जिस पर मैं ऐसा सोचता हूं कि आने वाले समय में इस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। जुर्माना राशि में बढ़ोतरी हो और न हो, यह दोनों ही प्रकार के

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

विचार माननीय सदस्यों के आये। हथियार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए, यह विषय भी आया तो मैं माननीय सदस्य, पूर्व में भी इस बात को अनेक सदस्य रख चुके हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से जो प्रावधान किये गये, मैं सिलसिलेवार उस बात को भी आपकी अनुमति से उसको रखूंगा। यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिस इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए...

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): पूर्व के वर्षों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहे और महकमा सुसम्पन्न हो। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्राथमिकता से इसको देखते हुए कार्य किया। फिर भी आरोप प्रत्यारोप यह अधिकार है। एक माननीय अभी यहां पर नहीं विराज रहे हैं, उन्होंने यह और कहा कि आप तो इस्तीफा दे दो। जैसे कि पद पर उन्होंने मुझे ही लाकर के बिठाया था और पूर्ववर्ती समय में जब कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज हो तो उन्होंने अनेकों इस्तीफ़े खुद ने ही ले लिये थे। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि बड़े ढीले हो। उन्होंने उन कसे हुए मंत्रीजी को भी देखा था जिनकी अंगुलियां उस हथियार के ऊपर भी कसी रहीं जिससे निकलती हुई गोलियों ने अनेकों निर्दोषों को शायद मौत के घाट उतार दिया, इस प्रकार का शायद कसा हुआ व्यक्ति चाहते हो? मैं माफी के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पहली और अंतिम प्राथमिकता यही है कि हम एक अच्छे वातावरण के अन्दर पीड़ित पक्षकार को न्याय दिलाने के लिए कार्य करें। उसको न्याय दिलाये जाने के क्रम में जिस प्रकार से अभी एक माननीय सदस्य शंकरसिंहजी रावत ने एक बात रखी कि एक जांच विशेष के अन्दर अनेकों बार वह जांच परिवर्तित होती रही। हालांकि एक विषय यह भी है कि यह भी जांच प्रवर्तित कराने वाले यह भी उनमें से एक व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति जब अपनी जांच इसलिए बदलवाना चाहता है बार-बार और इसके लिए वह आशावान रहता है कि वह चाहता है कि न्याय मिले।

श्री उपाध्यक्ष: आप हर बात का डिस्कसन नहीं करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ...(व्यवधान) किसके बारे में न्याय चाहते हो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): न्याय दिए जाने के क्रम में जांच की प्रक्रिया लम्बित न हो ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप मंत्रीजी, +++ बात बता रहे हो, सही तो बताओ। आप बिलकुल +++ बोल रहे हो, हमने जांच करने के लिए किसी को कहा ही नहीं है। आपकी यह +++ बात है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप माननीय मंत्री होकर के आप कह रहे हो कि जांच चेंज करवाई। हमने कौनसी जांच चेंज कराने के लिए आपको बताया है?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए, केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इस प्रकरण विशेष के लिए ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इसके लिए आप अलग से समय ले लेना, नियमों में प्रोविजन है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मुझे अपने सवाल को वापस लेने के लिए आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य शायद जिस प्रकार प्रकरण को बार-बार उठा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, बात को समझने की कोशिश करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात को सुनिये ...(व्यवधान) आपके एतराज का भी वह जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) बात रखने के क्रम में कोई भी अपनी बात ...(व्यवधान) उनका क्या कारण है मेरे यह समझ में नहीं आता। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में आगे बात रखना चाहता हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जिस विषय को एक बार यहां पर उठाया गया। एक विषय उठाया माननीय सिविल लाइंस से आने वाले सदस्य ने कि भीमसिंह भीका आरपीएस के विरुद्ध यह प्रकरण...

श्री उपाध्यक्ष: आपका आब्जेक्शन नोट कर लिया है आप विराजें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत नियम-16 सी.सी.ए. में किए जाने के सम्बन्ध में है। पुलिस मुख्यालय से दिनांक 5.7.2010 को श्री भीका के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने बाबत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण प्राप्त हुए। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.2.2011 को पैरा 27 एन पर विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत नियम 16 सीसीए किये जाने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको बता दिया न आप बार-बार क्यों? आप विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): दिनांक 11.3.2011 को अपेक्षित जांच प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवा दिये गये। कार्मिक विभाग दिनांक 24.5.2011 को ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आप विराजिये। आप विराजिये। विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): दिनांक 2.7.2011 को ...(व्यवधान) विभागीय जांच ...(व्यवधान) को प्रकरण भिजवाया। इसके क्रम में ...(व्यवधान) विभाग ने ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, कृपया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) 2.4.2012 को जांच प्रतिवेदन जारी कर आरोपों को अप्रमाणित मानते हुए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विघ्न पैदा नहीं करें कृपया शांत रहें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) कार्मिक विभाग को अवगत करवाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजोगे तब है न। केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) जांच प्रतिवेदन प्रशासनिक विभाग ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजिये। बिरलाजी, उनको वकील की जरूरत नहीं है। उनको वकील की जरूरत नहीं है आप विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनेंगे तब न, वो बोल रहे हैं न।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) क्या दिक्कत है ...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विघ्न नहीं डालें। आप विराजिये। विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है +++ शब्द पर। मुझे इस +++ शब्द पर आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, झूठ शब्द तो असंसदीय है हट जाएगा वह तो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): करवाने के लिए कहा है। करवाने के लिए कहा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका स्पष्टीकरण आ गया आपने नहीं कहा अब आप विराजिये न।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: क्या कहलवाऊं?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप क्या जिद कर रहे हो?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि आप विराजिये। आप कहेंगे वैसे प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। आप विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। विराजिये। आप विराज जाएं। आपसे अनुरोध है शंकर सिंहजी रावत, विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंहजी रावत, आप विराजिये। विराजिये। आपसे विनम्र अनुरोध है, ससम्मान विराजिये। आपका दस दफा लिख गया यहां आपका आब्जेक्शन।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो नियमों के ज्ञाता हैं आपने अपना आब्जेक्शन लिखा दिया विराजिये आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंहजी, आप कृपया विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: तो आपने लिखा दिया न कितनी बार लिखवाओगे आप। पचास बार लिखाओगे क्या? आप विराजिये। आपने अपना आब्जेक्शन लिखा दिया अब विराजें। आप विराजिये। मेरा अनुरोध है आप विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये न। आप विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): प्रकरण संख्या 134/12 थाना मानसरोवर।

श्री उपाध्यक्ष: इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती, शंकर सिंहजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): प्रकरण संख्या 134/12 थाना मानसरोवर।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस स्तर पर क्या हुआ यह सूचना के अधिकार के तहत हर माननीय सदस्य को प्राप्त करने का अधिकार है। माननीय सदस्य ने जिस विषय को रखा उस विषय के बारे में क्योंकि इस विषय के प्रति ये बार-बार सदन को गुमराह करते हैं ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने लिख कर दरख्वास्त दे दी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) व्यक्तिगत तौर पर यह जो मामला है इन्होंने चाहा ...(व्यवधान) कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान) यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य संसदीय सचिव महोदय ने एक प्रकरण विशेष के बारे में अपनी वेदना प्रकट करते हुए अपनी बात को रखा। उनके उन शब्दों के दर्द को महसूस इस बात से किया जा सकता है क्योंकि वे

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

एक ऐसे बाहुबली के विषय में अपनी बात को कहना चाह रहे थे जो कि एक राजनीतिक हस्ती के रूप में भी जाने जाते हैं और इनके द्वारा एक प्रकरण विशेष पर न्याय मिले इस क्रम में इन्होंने इस बात को रखते हुए प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्य जो उनको प्रेरित करने का प्रयास कर रहे थे, उद्वेलित करने का प्रयास कर रहे थे। उन बाहुबली की पृष्ठभूमि कुछ ऐसे ही राजनीतिक संगठन से जुड़ती है। उस प्रकरण को दर्ज किये जाने के क्रम में एक हेबियस कारपस दायर की गई। याचिका संख्या 192/2012 इसको दर्ज कराने वाले मानसिंह अपने भाई कालू के लापता होने को लेकर चिंतित थे और उन्होंने उसके सम्बन्ध में उसकी तलाश किये जाने के क्रम में प्रकरण दर्ज किये जाने के क्रम में वर्षों से अपने प्रयास रखे। उसके उपरांत उन्होंने हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट के डाइरेक्शन के साथ में वह प्रकरण दर्ज हुआ जिस प्रकरण की संख्या 447/2012 है। यह प्रकरण जो कि निहालगंज थाने में दर्ज है, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी हैं, इनके द्वारा जांच की जा रही है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक अधिकारियों की टीम भी गठित कर दी गई है। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि शीघ्र ही उनकी भावना के अनुरूप, पीड़ित पक्षकार की भावना के अनुरूप न्याय होगा। यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सभापति तो कोई है ही नहीं यहां पर।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आप ही की पार्टी के हैं। आप ही के पक्ष के मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय सचिव महोदय, आप भी सरकार के संसदीय सचिव हैं कृपया विराजिये। आप सरकार के संसदीय सचिव हैं, ये गृह राज्य मंत्री हैं।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। कृपा करके विराजिये।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में श्री दशरथ सिंह, वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर, ...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): श्री दीपक खंडेलवाल, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना कोतवाली, श्री जयप्रकाश, हैड कांस्टेबल, श्री राजकुमार, कांस्टेबल, श्री भूरसिंह, कांस्टेबल, इन सबकी एक टीम बना करके इसकी जांच कराने के लिए किया गया और शीघ्र ही इसकी ...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पुलिस आर्मरर की कार्यशैली को लेकर और उनके पदों को लेकर भी चिन्ता व्यक्त की थी। मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो कुल स्वीकृत पद हैं उसमें उप अधीक्षक का 1 है, पुलिस निरीक्षक के 2 हैं, उप निरीक्षक के 20 हैं, हैड कांस्टेबल के 32 और कांस्टेबल के 34 पद हैं। इनमें से वर्तमान में उप निरीक्षक के 4 पद रिक्त हैं, हैड कांस्टेबल के 2 रिक्त हैं और कांस्टेबल के 2 पद रिक्त हैं। बाकी पदों पर कार्य कर रहे हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई थी कि हथियारों की साज सम्भाल सही नहीं की जाती, ऐसा ठीक नहीं है, हथियारों की साज सम्भाल सही की जाती है।

एक विषय रखा था क्षेत्रफल के अनुसार पुलिस कर्मियों की संख्या को लेकर के। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया, मुंह में कुछ रख कर नहीं बोलना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): प्रति लाख जनसंख्या पर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पुलिस कर्मियों की संख्या को लेकर भी एक विषय रखा गया और माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया था जिसमें 111 प्रति लाख की जनसंख्या पर आते हैं जो देश में नवें स्थान पर है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): एक माननीय सदस्य ने अपने प्रकरण संख्या 78/2010 के विषय में जानकारी चाही थी। उन्होंने विशेष रूप से इसके बारे में अपनी बात रखते हुए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी, आप विराजिए, आप विराजिए। केवल मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं इसमें जानकारी देना चाहता हूं कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त संदीप कुमार के विरुद्ध 28.12.2010 को न्यायालय में चालान पेश किया गया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अभी आप विराजिए, मंत्रीजी का स्टेटमेंट पूरा होने दीजिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) शेष आरोपयान के विरुद्ध धारा 173 (8) दंड प्रक्रिया संहिता में पेंडिंग रखा गया है। वर्तमान में अनुसंधान सीआईडी/सीबी द्वारा किया जा रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) श्री भगवाना राम गुर्जर सरपंच की हत्या मुकदमा संख्या 122/11 के बारे में रखा था।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) मुलजिम मदन उर्फ मनोज पुत्र भोमाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर):

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान) मिल गई है, एक महीने में आपको इसके बारे में प्रगति से अवगत कराया जाएगा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपसे बातचीत बाहर कर लेंगे, पहले मंत्रीजी का स्टेटमेंट सुनिए।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) 30 दिवस में इसका निस्तारण किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सगीर साहब, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) अलवर जिले में ...(व्यवधान) के द्वारा गौ तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बोहरा साहब, आपके दिल का आपरेशन हो चुका है, शांत रहिए। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) पुलिस प्रशासन द्वारा गौ तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी आप पढ़िए, आपका अंकित हो रहा है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) सूचना मिलते ही त्वरित रूप से नाकाबंदी कर कार्यवाही की जाती है एवं त्वरित रूप से प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते हैं। प्रदेश में वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में 55.45 प्रतिशत मुक़दमे अधिक दर्ज किये गये हैं। इसी प्रकार वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में चालानी प्रतिशत 52.76 प्रतिशत अधिक रहा है। गौ हत्या, गौ तस्करी के अभियोगों को तत्परता से निस्तारण एवं अभियोगों में निगरानी एवं नियंत्रण हेतु केस आफिसर में लिया जाता है। साथ ही साथ राजस्थान गौ वंशीय पशु अधिनियम 1995 की कड़ाई से पालना भी सुनिश्चित कराई जाती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दिगम्बर सिंहजी, ऐसे बैठे-बैठे अच्छा नहीं लगता। आप तो बहुत गम्भीर प्रकृति वाले सदस्य हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय मोहनलालजी गुप्ता, विधायक द्वारा जयपुर के पुलिस थानों में नफरी कम है व कई थानों में काफी पद रिक्त हैं, यह विषय उठाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिले में वर्तमान में 31 उप निरीक्षक, 34 सहायक उप निरीक्षक, 11 हैड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल के 129 पद रिक्त हैं तथा लगभग 300 कांस्टेबल प्रशिक्षु हैं जिनको अभी थानों पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस जिले में कांस्टेबल भर्ती 2012 के अन्तर्गत 113 पदों पर भर्ती प्रक्रियारत है। इसके साथ ही, मैं ऐसा मानता हूं कि शीघ्र ही इन पदों की भर्ती हो जाएगी। साथ ही साथ, साइबर थाने का प्रभावशाली नहीं होने का विषय भी आपके द्वारा उठाया गया। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसमें एसईआरबी जयपुर में दिनांक 30.7.2012 को साइबर थाना सृजित किया गया और इसमें एसपी स्तर के अधिकारी को भी लगाया गया है, साथ में अन्य अधिकारियों को भी पद स्थापित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इसके तहत प्रकरणों को दर्ज किया जाता है और उन प्रकरणों को दर्ज करने से पहले उस प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और वर्तमान में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

ने इस विषय को रखा, बढ़ते हुए साइबर क्राइम को देखते हुए मैं ऐसा विचार रखता हूं कि शीघ्र ही न सिर्फ यह थाना प्रभावशील रूप से कार्य करेगा बल्कि ऐसे प्रकरणों पर भी अंकुश पाया जाएगा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप विराजिए, पहले बात सुनिए। .(व्यवधान) भूमिका रखने वाले रामकिशन वकील व अन्य आरोपियों के सम्बन्ध में श्री रूपाराम डूडी द्वारा ...(व्यवधान) साथ ही साथ ...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) कोर्ट से दिनांक 15.12.2011 को न्यायालय किशनगढ में जारी करवाया गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) आरोपी रामकिशन निवासी कटुपुरा थाना नरेना, जिला जयपुर का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी हेतु थाना नरेना से लगातार सहयोग लिया जा रहा है। श्री जसवंत यादव द्वारा कठुर में सिपाही अवकाश पर होते हुए भी डकैतों से भिड़ गया और शहीद हो गया लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उसे शहीद का दर्जा देकर पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए, यह विषय उनके द्वारा रखा गया। शायद कार्य विशेष से वह जल्दी पधार गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनो तो सही आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य अपने द्वारा उठाये गये विषयों को सुनना नहीं चाहते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपकी इजाजत चाहूंगा कि मैं ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा, केवल मंत्रीजी का। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप तो शांत रहो।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो सभापति पैनल में आते हो, पता है क्या व्यवस्था है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जिला अलवर में थाना क्षेत्र में पदस्थापित कान्स्टेबल निहालसिंह नम्बर 185, आकस्मिक अवकाश पर अपने गांव बडौदाकान थाना कठूमर पर गया था, अवकाश के दौरान वाहन चोर महेन्द्र मीणा व उसके साथियों को बडौदाकान चौराहे पर उक्त कान्स्टेबल द्वारा देखने पर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने कान्स्टेबल निहालसिंह पर देशी कट्टे से फायर किया जिससे वह घायल हो गया। कान्स्टेबल द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के फलस्वरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा कान्स्टेबल से हैड कान्स्टेबल की पदोन्नति पांच दिवस के अन्दर दी गई। कान्स्टेबल के दौरान इलाज, मृत्यु हो जाने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा कान्स्टेबल के परिवारजन को निम्न विशेष परिलाभ दिए गए। 20 लाख रुपये अनुग्रह का अनुदान। कार्मिक कल्याण न्यास द्वारा 25 हजार रुपये। पुलिस वेलफेयर फण्ड से 43 हजार रुपये। जिला अलवर पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों का एक दिवस का वेतनमान। मृतक कान्स्टेबल की पत्नी को विशेष पेंशन अवार्ड।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मृतक के परिजनों को आवासन मण्डल का एमआईजी श्रेणी का एक आवास। मृतक की पत्नी को कृषि कार्य हेतु बिजली कनेक्शन। मृतक कान्स्टेबल के आश्रितों को रोडवेज का नि:शुल्क पास। मृतक कान्स्टेबल के बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन हेतु विशेष छात्रवृति दिया जाना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाकसू से आने वाली माननीय सदस्या ने तालाब में दो लड़कों के डूब कर हत्या का मामला, आपने विषय रखा था प्रकरण संख्या 402/2012 धारा 302 भारतीय दंड संहिता व एससी, एसटी एक्ट प्रकरण संख्या 397/2012 धारा 302 पुलिस थाना चाकसू दक्षिण। दोनों प्रकरणों की घटना प्रथम दृष्टया अब तक अनुसंधान से दुर्घटना होना प्रतीत होती है। प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से नतीजा आना शेष है। उक्त घटना के सम्बन्ध में दो अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध है जिसमें अनुसंधान जारी है। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही इसमें और जानकारी आएगी उस जानकारी के साथ माननीय सदस्या को अवगत कराया जाएगा। साथ ही आपने कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था के खराब होने का जिक्र भी फरमाया था। कस्बा शिवदासपुरा में यातायात पुलिस द्वारा एक हैड कान्स्टेबल व दो कान्स्टेबल प्रतिदिन लगाए जाते हैं। कस्बे के पास नेशनल हाइवे नम्बर 12 का सड़क कार्य होने के कारण ट्रैफिक की समस्या रहती है एवं कस्बे के नजदीक रेलवे फाटक होने के कारण यातायात का ज्यादा दवाब रहता है। यातायात बाधित होने पर थाने से अतिरिक्त जाप्ता लगाया जाकर माकूल यातायात व्यवस्था की जाती है। कस्बा चाकसू में यातायात व्यवस्था हेतु एक पुलिस ट्रैफिक कर्मी लगाया हुआ है। ट्रैफिक की व्यवस्था थाना चाकसू द्वारा देखी जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त किए जाने हेतु, यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से चालू रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.3.2013 से लो फ्लोर बस की व्यवस्था चालू की गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): साथ ही आपने चोरी की बढ़ती वारदातों एवं जैन मंदिर में चोरी के विषय में आपने अपनी चिंता जाहिर की थी, इस विषय को भी रखा था। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जैन मंदिर में चोरी का प्रकरण आपने दिया था वर्ष 2011-12 और जनवरी से फरवरी से 2013, इसमें वर्ष 2012 में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जो अदमपता में इस प्रकरण को समाप्त किया गया है। नकबजनी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

के जो प्रकरण आपने दिए वो अलग-अलग क्षेत्र के अलग-अलग हैं। साथ ही वाहन चोरी और अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में आपने जिक्र फरमाया, इन प्रकरणों में यथोचित कार्यवाही की गई है और की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: इधर देखकर, नहीं तो कोई और उत्तेजित हो जाएगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): कैलाश चन्दजी भंसाली माननीय विधायक द्वारा जोधपुर में जैन समाज की रैली पर पुलिस लाठी चार्ज किया गया यह विषय उनके द्वारा उठाया गया था और उसकी जांच आज तक नहीं हुई, यह आपका कहना था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उक्त सम्बन्ध में पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर का प्रकरण संख्या 211 वर्ष 2012 पंजीबद्ध किया गया था जिसका अनुसंधान जारी है। श्री हनुमान बेनीवाल विधायक द्वारा एक विषय उठाया गया था जोधपुर में शिवराज विश्नोई की मृत्यु के सम्बन्ध में, जो कि बोलेरो गाड़ी में सवार थे और पिताजी की मृत्यु के सम्बन्ध में उठाया गया था। 14.2.2013 को पुलिस द्वारा की जा रही विभिन्न थाना क्षेत्रों की नाकाबन्दी को तोड़ते हुए तेज गति से अपने पिकअप में बैठी महिलाओं को गाड़ी को तेज गति से भगा कर ले गए जो बोहरा नाला था थाना क्षेत्र में, बालीबाई मंदिर के सामने निर्माणाधीन पुलिया पर उक्त वाहन अनियंत्रित होकर नीचे गिरने से अपराधी शिवराज घायल हो गए तथा अन्य महिलाओं का भी चोटें आई थीं। इसके बाद में, मृत्यु हुई थी, वह सब घटनाक्रम, आपने भी इस बात को जिक्र किया। उपाध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र सिंह बोहरा विधायक द्वारा स्कूल जाती नाबालिग कन्या के अपहरण के विषय में आपने अपनी ओर से पहले भी इस प्रकरण को रखा था। मैंने इसके बारे में तब भी इसकी जानकारी प्राप्त की थी और इसके बारे में विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाए इसके लिए न सिर्फ निर्देशित किया था बल्कि आपकी भावना के अनुरूप भी विभाग द्वारा इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसमें मुलजिम महेन्द्र और अपहर्ता कुमारी सोनी यह दोनों ही वर्तमान समय में भी लापता हैं और इनको तलाश किए जाने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। (व्यवधान) अन्य नामजद कालीचरण व महेन्द्र सिंह उर्फ संजू का पिता को दिनांक 9.1.2013 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिनका पीसी रिकार्ड के तहत गहन तफ्तीश की जा चुकी है जो जेसी में वर्तमान में चल रहे हैं। एक आपने एससी, एसटी एक्ट में सात प्रकरण असत्य पाये जाने पर एफआर लगा दी जाती है यह आपने विषय रखा था। इसमें एक यह बात भी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

आई थी कि ऐसे प्रकरण अगर असत्य माने जाकर उनमें एफआर लगा दी जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए, तो ऐसे असत्य प्रकरण दर्ज कराने वालों के विरुद्ध धारा 182 और 211 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, ऐसा नियमों में भी प्रावधान है। अब्दुल सगीर खां द्वारा जिला धौलपुर में नरेश कुशवाह हत्या प्रकरण के सम्बन्ध में, पहले भी इस विषय को उठाया गया था, आपने व्यक्तिश: भी इस बारे में बात फरमाई थी। मैं इसमें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रकरण का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में किया जा रहा है और मुलजिमान की तलाश जारी है, इस प्रकरण को आईजी स्तर पर भी स्थानान्तरण कराया गया था लेकिन इसमें विलम्ब न हो इसलिए आईजी स्तर पर भी इसके बारे में निर्देश देकर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उनका कहना है मुलजिम वहीं घूम रहे हैं, जल्दी पकड़वाएं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात सरकार के नोटिस में आ गई, कोई कार्यवाही की जाएगी। हां मंत्रीजी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ध्यान में आ गई। आश्वासन दे दिया जल्दी कार्यवाही की जाएगी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: दे दिया है, जल्दी ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अलग से बात कर लेना कौन है उससे तफ्तीश... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए पुलिस महकमे को चुस्त-दुरुस्त करने, किये जाने के क्रम में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जैसा कि नेता, प्रतिपक्ष द्वारा भी, चाहे वह ए.सी.बी. द्वारा की गई कार्यवाही हो, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ए.सी.बी. महकमे को चुस्त-दुरुस्त करते हुए इस प्रकार के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई जो पूर्ण निष्ठा के साथ में कार्य करें तो उन्होंने अपनी निष्ठा का इजहार करते हुए जो भी अधिकारी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया जिन गतिविधियों के चलते कानून एवं व्यवस्था और न्याय दिलाये जाने के क्रम में किसी प्रकार की परेशानी महसूस की गई तो उसमें कार्यवाही की गई। उस कार्यवाही को किये जाने को भी एक दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि इस स्तर के अधिकारियों को पकड़ा गया। यदि कोई व्यक्ति दोषी होगा, यदि कोई अपराधी होगा, वह किसी भी स्तर का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं इस सदन में अपनी ओर से इस बात की घोषणा की थी कि जो भी प्रकरण, जैसा कि माननीय संसदीय सचिव द्वारा भी इस बात को रखा गया, 1996 से मैं प्रयासरत हूं, कोई भी ऐसा प्रकरण जो दर्ज हो गया हो, जो रिकार्ड में कोई बात आ गई हो, उसमें न्याय पाये जाने के क्रम में भी कभी विलम्ब नहीं होने दिया जाएगा। प्रकरण चाहे कितना ही पुराना हो उस पर कार्यवाही की जाएगी। अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा हो, यदि अधिकारी दोषी पाया जाएगा, और अधिकारी ही नहीं, यदि अन्य क्षेत्र का भी कोई व्यक्ति, कहीं भी ऐसी अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो पारदर्शिता के साथ में उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जो अधिकारी पकड़े गये हैं, यह संदेश के रूप में अन्य अधिकारियों के लिये एक उदाहरण के रूप में है कि वह न्याय प्रदान किये जाने के क्रम में कार्य करें। अपनी महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़ते हुए अपने पद की जिम्मेदारी के अनुरूप में कार्य करें। यह संदेश के रूप में कार्य इस विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसकी प्रंशसा मैं इस सदन में भी करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वयं भी उनके द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ, मैं सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि गत वर्ष की बजट घोषणा में हमने 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 7 पुलिस वृत्त कार्यालय, 5 चौकियों को थानों में क्रमोन्नत, 27 नये पुलिस थाने, 36 नई पुलिस चौकियां एवं 12 जिलों में एस.सी./एस.टी. प्रकोष्ठ एवं सभी पुलिस रेंज मुख्यालयों पर बम

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

खोजी दस्तों के गठन की घोषणा 2 साल में क्रियान्वित करने की की थी। परन्तु हमने इन सभी को एक वित्तीय वर्ष में ही लागू कर दिया है। इनमें से 3 पुलिस थानों नागौरी गेट-जोधपुर, सेज-जयपुर, उद्योग नगर-सीकर हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष सभी कार्यालय घोषणा अनुसार खोल दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, अलवर में नया पुलिस प्रशिक्षण संस्थान तथा जोधपुर में नया पुलिस कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल के खोलने की घोषणा की गई थी। इनकी क्रियान्विति भी पूर्ण की जा चुकी है। पुलिस विभाग के समक्ष आ रही विभिन्न चुनौतियों एवं अपराधों पर तात्कालिक प्रभावी कार्यवाही करने एवं जनता में सुरक्षा की भावना बनाये रखने की दृष्टि से इस वर्ष भी बजट घोषणाओं में गत वर्ष से दुगने की संख्या में 7 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 15 वृत्त कार्यालय, 35 नवीन/क्रमोन्नत थाने, 45 नवीन पुलिस चौकियां, 20 पुलिस थानों को निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत तथा राज्य के शेष सभी 38 महिला पुलिस थानों को भी निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। इन घोषणाओं की क्रियान्विति भी गत वर्ष की भांति शीघ्र ही कर दी जायेगी।

पिछले वर्ष कुल 30,000 कांस्टेबल्स की भर्ती की घोषणा की गई थी जिसमें से 8,000 कांस्टेबल्स को भर्ती किया जा चुका है तथा 10,000 कांस्टेबल्स की भर्ती की कार्यवाही चल रही है जो शीघ्र ही आगामी कुछ दिनों में पूर्ण कर ली जायेगी तथा शेष 12,000 कांस्टेबल्स की भर्ती वर्ष 2013-14 के दौरान की जायेगी। इस प्रकार पुलिस विभाग में थानों में, जो एक सबकी चिंता का विषय रहा है, थानों में नफरी, ग्रामीण में 45 एवं शहरी में 60 कांस्टेबल उपलब्ध हो सकेंगे तथा थानों की नफरी की मांग को भी पूर्ण किया जा सकेगा। इससे कानून-व्यवस्था कायम करने तथा अपराधों पर कार्यवाही करने में सुविधा होगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उप निरीक्षक पुलिस की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर उप निरीक्षक ए.पी. के 615 एवं प्लाटून कमाण्डर, आर.ए.सी. के 38 पदों का चयन कर परिणाम घोषित किया जा चुका है। इन सभी सफल अभ्यार्थियों को नियुक्ति देने की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय में प्रक्रियाधीन है। पुलिस विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों का

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मनोबल एवं उत्साह बनाये रखने के लिये राजस्थान पुलिस सेवा की विभिन्न वेतन श्रृंखलाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्ष 1997-98 से वर्ष 2012-13 तक की रिव्यू और नियमित डी.पी.सी. आयोजित कर पदोन्नति दे दी गई है तथा आई.पी.एस. में पदोन्नत होने वाले 27 अधिकारियों के वांछित सेवा अभिलेख संघ लोक सेवा आयोग को पदोन्नति बोर्ड बैठक आयोजित करने हेतु भिजवा दिये गये हैं। इससे 27 आर.पी.एस. अधिकारियों को आई.पी.एस. संवर्ग में पदोन्नति मिलेगी।

राज्य में पुलिस एवं सुरक्षा सम्बन्धी विषयों में उच्च स्तरीय शिक्षण सुलभ कराने एवं इन विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय इस वर्ष स्थापित किया जा चुका है जिसमें वाइस चांसलर, प्रो-वाइस चांसलर से लेकर अन्य आवश्यक नियुक्तियां कर दी गई हैं। अन्य नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। रेंज मुख्यालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर में बम खोजी एवं निस्तारण दस्तों को प्रारम्भ किया जा चुका है।

यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु बजट घोषणा 2012-13 में 3,000 यातायात पुलिस कर्मियों की भर्ती करने की घोषणा की गई थी। इनमें से इस वर्ष राज्य में 1250 यातायात पुलिस कर्मियों की भर्ती की स्वीकृति जारी की जा चुकी है और भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जेल सुरक्षा हेतु आर.ए.सी. की एक बटालियन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं स्टेट डिजास्टर रेस्पांस टीम हेतु 800 पदों की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।

राज्य में की जा रही पुलिस कर्मियों की भर्ती को देखते हुए नये पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता महसूस की गई है। इस क्रम में अलवर में नये प्रशिक्षण केन्द्र एवं इस हेतु पदों की स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा इस वर्ष भरतपुर एवं बीकानेर में भी नये पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं। इस प्रकार राज्य में 10 पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाकर एक साथ 10000 पुलिस कर्मियों की प्रशिक्षण की सुविधा राज्य में उपलब्ध हो सकेगी। जिससे यह जो बात बार-बार आती है कि प्रशिक्षित कार्मिक हमारे यहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस दिशा में यह हमारा बहुत बड़ा कदम है। इसी प्रकार, इसी के साथ-साथ जोधपुर में पुलिस कमाण्डो स्कूल की स्थापना की जा चुकी है। इस क्रम में मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

राज्य के पुलिस कमाण्डो द्वारा अखिल भारतीय कमाण्डो प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस खुशी के मौके पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा उन्हें पांच लाख रुपये का पुरुस्कार भी दिया गया है। इस कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल में राष्ट्रीय स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक उपलब्ध हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में आठ नई जिला पुलिस चौकियों एवं तीन इंटेलीजेंस यूनिट्स का गठन कर दिया गया है। इससे भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करने में विशेष मदद मिली है। वर्तमान परिस्थितियों में आंतरिक सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए राज्य के इंटेलीजेंस संवर्ग को सुदृढ़ करने हेतु अलग से एक नई इंटेलीजेंस एकेडमी की स्थापना की स्वीकृति जारी कर दी गई है जो कि जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थापित की जा रही है। जयपुर एवं जोधपुर में संवेदनशील स्थानों पर कानून-व्यवस्था को सुचारु रूप से नियंत्रित करने हेतु 150 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है जिस हेतु कंसल्टेंट नियुक्त कर उच्च तकनीक के आधार पर लगाये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

माननीय सदस्यों को मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि निराश्रित एवं अपने परिवार द्वारा प्रताड़ित तथा महिला अपराधों के सम्बन्ध में महिलाओं की सुरक्षा हेतु त्वरित अनुसंधान हेतु राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में महिला पुलिस थाने खोले जा चुके हैं और इस वर्ष की बजट घोषणा में शेष सभी 38 महिला थानों को क्रमोन्नत कर निरीक्षक स्तर का कर दिया गया है। इस प्रकार इससे महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने एवं अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करने की व्यवस्था हो सकेगी। इसी प्रकार यह बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य के 36 पुलिस जिलों में एस.सी./एस.टी. प्रकोष्ठ स्थापित कर दिये गये हैं जिनका प्रभारी उप अधीक्षक, पुलिस स्तर के अधिकारी को बनाया गया। इससे एस.सी. एस.टी. पर किसी जिले में हो रहे अत्याचार व अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही की जा सकेगी।

वर्ष 2012 में राज्य में कानून-व्यवस्था उच्च स्तर की रही है एवं किसी प्रकार जातिगत विवाद नहीं हुआ है। अन्तरराज्यीय अपराधियों की सक्रियता के बावजूद संगठित अपराधियों के गिरोहों से राज्य की पुलिस तत्परता से निपटने में सफल रही है। आतंकवादी गतिविधियों पर राज्य पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

अपराधों में वृद्धि के मुख्य कारण बढ़ते अन्तरराज्यीय अपराध, बढ़ती

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जनसंख्या, बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश, शहरीकरण व औद्योगिकीकरण आदि हैं। फिर भी राज्य में हत्या के प्रयास व बलवा के अपराधों में क्रमश: 1.79 प्रतिशत व 23.20 प्रतिशत की कमी आई है।

वर्ष 2012 में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल 1,70,948 अपराध दर्ज हुए हैं, जिनमें से 78.44 प्रतिशत में चालान पेश किये गये हैं एवं सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों की बरामदगी 60.07 प्रतिशत रही है। स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों, जैसे आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट, इत्यादि अधिनियमों के तहत वर्ष 2012 में कार्यवाही कर कुल 71,604 अभियोग दर्ज कर 70,680 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। जिनमें से 26,059 अभियुक्तगण को विभिन्न न्यायालयों द्वारा सज़ा दी जा चुकी है। वर्ष 2012 में निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए धारा 107, 151, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता, अभ्यस्त अपराधी अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत कुल 2,40,191 प्रकरण तैयार कर कुल 4,35,097 असामाजिक तत्वों को पाबन्द किया गया है।

महिलाओं पर अत्याचारों के सम्बन्ध में राज्य सरकार अतिसंवेदनशील है और ऐसे सभी प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करने की व्यवस्था लागू की गई है तथा जिन अधिकारियों ने कार्यवाही करने में लापरवाही दर्शायी, उन पर भी कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में निम्न कदम उठाए गए हैं:-

राज्य में महिला अत्याचार सम्बन्धी कुल 21975 अपराध पंजीबद्ध हुए। वर्ष 2012 में महिला अत्याचार सम्बन्धी दर्ज अपराधों का प्रभावी निस्तारण करते हुए 98.08 प्रतिशत चालान किया गया है।

महिलाओं सम्बन्धी अत्याचार के निराकरण हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर 'महिला अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ' द्वारा अनुसंधान एवं सुपरवीजन किया जा रहा है।

दहेज हत्या सम्बन्धी अपराधों का अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। बलात्कार के प्रकरणों का चालान अतिशीघ्र कर न्यायालय में मुकदमे को सफल बनाने हेतु उप निरीक्षक पद के अधिकारी को केस आफिसर नियुक्त किया जाता है।

राज्य के सभी थानों पर महिला डेस्क स्थापित की जा चुकी है और इसकी कार्य प्रणाली सम्बन्धी प्रशिक्षण भी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया गया है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

महिलाओं के प्रति होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा, घरेलू प्रताड़ना अथवा शोषण सम्बन्धी समस्याओं के सफल समाधान हेतु 'महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र' (जोधपुर पश्चिम के अलावा) राज्य के सभी पुलिस जिलों में कार्यरत है।

राज्य के मुख्यालय स्तर पर विभिन्न स्तर के 11 पद एवं जिला स्तर पर विभिन्न स्तर के 210 पदों की महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जो खोला जाना प्रक्रियाधीन है।

भ्रूण हत्या की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु PCPNDT Bureau of investigation हेतु एक केन्द्रीकृत पुलिस थाना राज्य स्तर पर स्थापित करने की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार बहुत ही संवेदनशील रही है। इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों की जानकारी मैं सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं।

वर्ष 2012 में कुल 6910 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार सम्बन्धी दर्ज अभियोगों में चालानी प्रतिशत 99.67 रहा है, जो कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

मुख्यालय-स्तर पर सिविल राइट सैल कार्यरत है जो अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार सम्बन्धी अभियोगों के अनुसंधान का सुपरवीजन करता है। महानिदेशक पुलिस द्वारा राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की मीटिंग के उपरांत विस्तृत परिपत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।

राजस्थान में अनुसूचित जाति/जन जाति से सम्बन्धित अत्याचारों के दर्ज अभियोगों के अनुसंधान हेतु 36 पुलिस जिलों में 36 प्रकोष्ठ वर्तमान में स्थापित हैं जिनके प्रभारी अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक स्तर के हैं।

अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के व्यक्तियों को शीघ्र न्याय सुलभ करवाने हेतु 25 जिलों में विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है।

अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्य अपनी पीड़ा सीधे ही पुलिस के उच्चाधिकारियों तक नि:शुल्क पहुंचा सके, इसके लिए सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान पुलिस मुख्यालय, जयपुर पर एक टोल फ्री टेलीफोन हैल्प लाइन सेवा उपलब्ध है, जिसका नम्बर- 18001806025 है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मानव तस्करी को रोकने के सम्बन्ध में निम्न आवश्यक कदम उठाए गए हैं:-

ट्रैफिकिग केसेज पर निगरानी एवं कार्यवाही हेतु राज्य स्तर पर महानिरीक्षक पुलिस (मानवाधिकार एवं पीसीआर) अपराध शाखा राजस्थान, जयपुर को एंटी ट्रैफिकिग नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलों में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को जिला स्तर पर एंटी ट्रैफिकिग नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राज्य में अनैतिक देह व्यापार एवं महिलाओं तथा बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य में मानव तस्करी की रोकथाम हेतु कुल 19 मानव तस्करी विरोधी यूनिट खोलने का निर्णय लिया गया है जिसकी क्रियान्विति चरणबद्ध रूप से की जा रही है। इस हेतु मैन-पावर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

प्रथम चरण (वर्ष 2010-11) में राज्य में 6 जिलों क्रमशः जयपुर कमिश्नरेट, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर एवं झुन्झुनूं में दिनांक 15.03.2011 से मानव तस्करी विरोधी यूनिट खोली गई है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने तैयारी की है, आप सुनिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): द्वितीय चरण (वर्ष 2011-12) में राज्य के 6 जिलों क्रमशः जयपुर ग्रामीण, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर एवं जोधपुर कमिश्नरेट में दिनांक 20.03.2012 से मानव तस्करी विरोधी यूनिट खोली गई है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी की तैयारी की आप प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन वे डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): तृतीय चरण (वर्ष 2012-13) में राज्य में 7 मानव तस्करी विरोधी यूनिट्स खोली जानी प्रस्तावित हैं जो क्रमशः भीलवाड़ा, जयपुर (दक्षिण), जयपुर, पुलिस मुख्यालय, हनुमानगढ़, कोटा (शहर), चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ है।

राज्य में मानव तस्करी विरोधी यूनिटों की मानिटरिंग करने हेतु

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 'ए' के प्रावधानानुसार राजस्थान सरकार द्वारा मानव तस्करी से पीड़ित महिला एवं बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 लागू की गई है।

जाली नोटों के प्रकरणों की जांच हेतु प्रत्येक जिले में नोडल पुलिस थाने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

दिनांक 23.10.2012 को राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन द्वारा भारतीय जाली मुद्रा से सम्बन्धित प्रकरणों के पंजीयन एवं अनुसंधान के लिए 36 पुलिस जिलों में एक-एक पुलिस थाने को नोडल पुलिस थाना बनाया गया है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। विघ्न डालना भी ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): पुलिस विभाग द्वारा अभिनव कार्यक्रम-

राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'बड्डी पैट्रोलिंग' जयपुर में 20, जोधपुर-15 एवं अजमेर में 10 प्रमुख स्थानों पर विशेष पैट्रोलिंग प्रारम्भ की गई है।

आतंकवादी हमले से निपटने के लिए ए.टी.एस. की जयपुर/जोधपुर में स्थापना की जाकर रिटायर्ड आर्मी जनरल की देखरेख में प्रशिक्षित ई.आर.टी./कमांडों की 07 यूनिट सम्भागीय मुख्यालय पर तैनात की गई है।

सामुदायिक सम्पर्क समूहों (सी.एल.जी.) की पुन: संरचना की जाकर राज्य में 1,11,571 नए सदस्य बनाए गए हैं। अपराध नियंत्रण व सामूहिक पुलिस व्यवस्था में सी.एल.जी. सदस्यों को सक्रिय किया गया है।

सम्भागीय स्तर पर शांति समितियों का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि साम्प्रदायिक विवादों का समाधान गणमान्य नागरिकों के सहयोग से किया जा सके।

बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु भी विशेष विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें, बैठिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जयपुर एवं जोधपुर महानगर के एक-एक पुलिस वृत्त के थानों में पृथक-पृथक आपराधिक अन्वेषण एवं कानून-व्यवस्था यूनिट सृजित की गई है।

राज्य के बजट वर्ष 2013-14 में पुलिस कैडेट योजना की घोषणा की गई है। इसके अन्तर्गत एन.सी.सी. व स्काउट की तरह शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें छात्र पुलिस कार्य प्रणाली को नजदीक से देख पाएंगे व भीड़ नियंत्रण, मेले, खेलकूद गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, यातायात के संगम संचालन में पुलिस के लिए सहयोगी होंगे।

राज्य के बजट वर्ष 2013-14 में राज्य के विस्तृत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने हेतु पुलिस सम्पर्क व सहयोग तंत्र विकसित करने के लिए राज्य की 9177 ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षक की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस विषय को उठाया गया था। उनके द्वारा यह विषय रखा गया था।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): पुलिस विभाग की कई शाखाओं में कर्मचारियों को प्रोत्साहन हेतु विशेष वेतन एवं भत्ते।

राज्य सरकार ने विशेष प्रोत्साहन देने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज्य विशेष सुरक्षा शाखा एवं ए.टी.एस. में पदस्थापित अधिकारियों को क्रमश: 25-25 प्रतिशत विशेष भत्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। (व्यवधान)

यह आ गया न। टेबल क्या करना है? यह सारी जानकारी जो चाहते थे बिन्दुवार राज्य के हालात, राज्य में पुलिस महकमे को सुदृढ़ीकरण किए जाने के क्रम में उठाए गए कदम हैं, जिनके बारे में प्रतिपक्ष सुनना नहीं चाहता। प्रतिपक्ष का एक मात्र मकसद दोषारोपण करना है। मैंने सबसे पहले

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कि यह विभाग जहां सरकार के लिए एक मां की बेटी के समान है वहीं प्रतिपक्ष ने एक बहू के रूप में उसको देखा है कि बहू से अगर एक रोटी भी जल जाए तो उसको सास किस प्रकार से प्रताड़ना देती है। वैसी ही प्रताड़ना देकर यह बायकाट करके गए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं गृह विभाग की अनुदान की मांग संख्या-16 के सम्बन्ध में निम्नानुसार घोषणा करता हूं

क्र. सं.	विषय	पदनाम	वर्तमान दर (रुपए)	बढ़ाकर प्रस्तावित दर (रुपए)
1.	बिगुलर भत्ता	कांस्टेबल	10/- से बढ़ाकर	300/-
2.	आरमोरर भत्ता	पुलिस निरीक्षक	शून्य	400/-
		उप निरीक्षक पुलिस	30/-	300/-
		हैड कांस्टेबल	20-	250/-
		कांस्टेबल	15/-	200
3.	बैण्ड भत्ता	पुलिस निरीक्षक	250/-	500/-
		उप निरीक्षक पुलिस	200/-	400/-
		हैड कांस्टेबल	175/-	350/-
		कांस्टेबल	150/-	300/-
4.	घुड़सवार भत्ता	पुलिस निरीक्षक	400/-	500/-
		उप निरीक्षक पुलिस	300/-	400/-
		हैड कांस्टेबल	250/-	350/-
		कांस्टेबल	200/-	300/-
5.	ड्रिल भत्ता	उपनिरीक्षक पुलिस/पी.सी	30/-	600/-
		हैड कांस्टेबल	20/-	500/-
		कांस्टेबल	15/-	400/-
6.	एम.टी. भत्ता	उप निरीक्षक पुलिस	80/-	260/-
		हैड कांस्टेबल	150/-	260/-
		कांस्टेबल	150-	260/-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

क्र. सं.	विषय	पदनाम	वर्तमान दर (रुपए)	बढ़ाकर प्रस्तावित दर (रुपए)
7.	आर.ए.सी. में पदस्थापित वायरलेस कर्मचारी	पुलिस निरीक्षक	50/-	100/-
		उप निरीक्षक पुलिस	25/-	40/-
		सहायक उप निरीक्षक	20/-	40/-
		पुलिस कांस्टेबल	10/-	20/-

(23.00 बजे)

वर्दी धुलाई भत्ता स्थाई कर्मचारियों हेतु सहायक उप निरीक्षक 75 से बढ़ा कर 113 रुपये, हैड कांस्टेबल 75 से बढ़ा कर 113 रुपये, कांस्टेबल 75 से बढ़ा कर 113 रुपये। किट मेन्टीनेंस भत्ता आर पी एस अधिकारियों को 100 से बढ़ाकर 150 रुपये, पुलिस निरीक्षक 100 से बढ़ा कर 150 रुपये, उप निरीक्षक 100 से बढ़ा कर 150 रुपये। वर्दी सिलाई चार्ज सहायक उप निरीक्षक 200 से बढ़ाकर 300 रुपये, हैड कांस्टेबल 200 से बढ़ा कर 300 रुपये, कांस्टेबल 200 से बढ़ा कर 300 रुपये। यह स्थाई कर्मचारियों हेतु हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को सीक्रेट सर्विस फण्ड में राशि, जो पूर्व में 9 लाख रुपये प्रतिवर्ष थी, उसको बढ़ा कर 20 लाख रुपये। सी आई डी सीक्रेट इंटेलीजेंस फण्ड, जो पूर्व में 11 लाख 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष थी, उसको बढ़ा कर 30 लाख रुपये। सी आई डी सी.बी., जो पूर्व में 6 लाख 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष थी, उसको बढ़ा कर 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष। स्पोर्टस फण्ड में अनुदान 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष, उत्सव फण्ड में 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष, आर पी बी एफ में अनुदान 199 लाख रुपये प्रतिवर्ष, राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जिस विषय के प्रति सभी माननीय सदस्य चिन्तित थे और सबकी भावना थी, उसी भावना के क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में लांगरी के 1870 अस्थाई पद स्वीकृत हैं, जिन्हें बढ़ा कर 2500 पद किये जा रहे हैं तथा इन्हें अभी तक 3500 रुपये प्रति माह अंशकालीन राशि दी जा रही है, उसे बढ़ाई जाकर 4250 रुपये प्रति माह किया जा रहा है।

इसी प्रकार कांस्टेबल व ड्राइवर को पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाने

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

हेतु 225 नये हैड कांस्टेबल, ड्राइवर के पद सृजित किये गये हैं। उपरोक्त सभी बढ़ोतरी किये जाने के फलस्वरूप कुल 22 करोड़ 60 लाख रुपये को अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में निवेदन करना चाहता हूं कि गृह विभाग की अनुदान की मांग संख्या 16 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रामकिशोर सैनी, कारागार राज्य मंत्री।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 17 पर आज सुबह से ही बहस चल रही है। लगभग 36 लोगों ने इसमें भाग लिया है और 79 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका अविलम्ब ही उत्तर सम्माननीय सदस्यों के पास भिजवा दिया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज मांग संख्या 16 और 17 पर बहस हुई और मांग संख्या 16 पर ही सभी सदस्यों का फोकस रहा। मैं सुबह से आज इस सदन में हूं और मेरी कोशिश यह रही थी कि प्रत्येक सदस्य मांग संख्या 17 के बारे में भी अपनी चर्चा करेगा, तो निश्चित तौर पर कोई अच्छे सुझाव निकलकर आयेंगे। लेकिन महज 8 माननीय सदस्यों ने खाली दो-एक लाइन में ही अपनी बात पूरी की। उसमें जेल के बारे में जो सजेशंस दिये गये हैं, उसमें जनाधिक्य की बात कही गयी कि जेलों में बंदियों की संख्या ज्यादा है। प्रहरियों की कमी है। मोबाइल के बारे में चर्चा की गयी। जेमर लगाने की आवश्यकता बताई गई। मैस भत्तों को बढ़ाने की बात कही गयी और टेलीफोन बूथ स्थापित किये जायें, इसके बारे में भी चर्चा की गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गये व्यक्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखना और राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विधियों का पालन करते हुए बंदियों में विधि के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना तथा अभिरक्षा में ऐसी शिक्षा देना एवं कार्य सिखाना, जिससे वे रिहा होने के पश्चात् उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए, राष्ट्र के उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में पुनर्स्थापित हो सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में जो जेलों की स्थिति है, राजस्थान में लगभग 119 जेलें हैं, जिसमें 8 सेंट्रल जेल हैं, 3 हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल 'ए' क्लास हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट जेल 'बी' क्लास हैं, 60 उप कारागृह हैं और 23 खुला बंदी शिविर ओपन कैम्प्स हैं, 2 महिला बंदी सुधार

(श्री रामकिशोर सैनी)

गृह हैं, 1 किशोर बंदी सुधार गृह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यदि हम पिछले पांच साल की चर्चा करें तो बंदियों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, 2008 में 15520 बंदी हमारे पास थे, जो बढ़ कर 2012 में 19,351 बंदी हो गये। इस प्रकार 24.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और हमारे जेलों की जो क्षमता है, वह 16,605 की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बंदी हमारे पास जेल में रहता है, हमारी सोच यह रहती है और जेल का कानून भी यह है कि जब तक बंदी हमारे पास रहे, उसका आचरण ठीक रहे और सज़ा भुगतने के बाद वह अपने परिवार में जाकर शामिल हो जाये। इस प्रकार की गतिविधियों में हम उनको सम्मिलित रखते हैं कि वह जेल में रहते हुए कुछ काम सीखें। उसके लिये हमारी सभी, जो 8 सेंट्रल जेल हैं, उनमें दंडित बंदियों को हम दरी, निवार, कपड़ा बुनाई, सिलाई, कारपेन्टरी, होजरी, लुहारी आदि उद्यमों में प्रशिक्षित किया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेल के अन्दर डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाये जाते हैं। हमारे जयपुर और अजमेर की जो जेल है, उनके अन्दर आई टी आई की क्लासेज लगती हैं, जिनमें दो साल का डिप्लोमा भी है, जिसमें हाऊस वायरिंग पाठ्यक्रम और फिटर के कार्यक्रम चलते हैं। कारपेन्टरी, कटिंग और सीविंग का डिप्लोमा भी एक साल का है और डीजल मैकेनिक और फिटर का कार्य जो हमारी अजमेर जेल में चल रहा है, हमारे बंदियों को उसका कोर्स भी हम करवाते हैं।

इग्नू के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से हम हमारे बंदियों को ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बंदियों में सदाचरण की भावना विकसित किये जाने के लिये इन्हें समय-समय पर पैरोल की सुविधा दी जाती है। वर्ष 2012 में कुल 1509 बंदियों को पैरोल की सुविधा दी गयी। इनमें से 134 दंडित बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहा किया गया।

इसी प्रकार सजायाफ्ता बंदियों को सज़ा भुगतने के दौरान अच्छे आचरण में आये परिवर्तन एवं इन्हें समाज में पुनर्स्थापित होने का अवसर दिये जाने के दृष्टिगत बंदियों की शेष सज़ा माफ कर इन्हें समय पूर्व रिहा किया गया है।

(श्री रामकिशोर सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बंदियों में स्वशासन की भावना पैदा हो और इस प्रकार की भावना उनके अन्दर उत्पन्न हो और वह अपने परिवार के साथ रह सकें, इसलिये हमने ओपन कैम्प्स राजस्थान में 23 हमारे ओपन कैम्प्स हैं, उनमें बंदियों को हम रखते हैं। जिनकी क्षमता 634 है। 2012 में 144 दंडित बंदियों को खुले शिविर में रखा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां मोबाइल आज सुविधा का साधन बना हुआ है, वही मोबाइल जेलों के लिये समस्या बना हुआ है। राज्य में जो हमारी सेंट्रल जेल्स हैं या और जेलें हैं, उनके अन्दर यदा-कदा मोबाइल चले जाते हैं, उनके लिये हमने कोशिश की है कि हमारा बंदी है, उसका अपने परिवार से सम्पर्क बना रहे। परिवार में क्या घटना हुई है, किसी प्रकार की कोई विशेष घटना की भी जानकारी उसको रहनी चाहिये ताकि रिहा होने के बाद वह अपने परिवार को ऐसा नहीं लगे कि मैं किस जगह आ गया। इसलिये हमने एक कोशिश की है हमारे जयपुर, जोधपुर और अजमेर जेल में, जो सेंट्रल जेल्स हैं, इसमें टेलीफोन बूथ स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है ताकि वह अपने परिवार से सम्पर्क में रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोबाइल की जो बात कही गयी, उसमें जोधपुर जेल में 8 सेलुलर जेमर लगाये हैं, जिनका 3जी में अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है और उसका कार्य देखने के बाद सभी सेंट्रल जेलों में जेमर लगा दिये जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बंदियों पर निगरानी रखी जाये, जेल में किसी प्रकार की कोई अवांछनीय गतिविधि नहीं हो, उसके लिये सी सी टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के केन्द्रीय कारागार उदयपुर एवं अजमेर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग स्थापित करने की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रगति पर है। इस व्यवस्था में बंदियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेश करने में सुविधा रहेगी साथ ही बंदियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहेगी। वर्तमान में जयपुर और जोधपुर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार यहां सदन में चर्चा हुई कि जेलों में जनाधिक्य ज्यादा है, ओवर क्राउडिंग की स्थिति है। माननीय

(श्री रामकिशोर सैनी)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2011-12 की क्रियान्विति के क्रम में कोटा में दण्डित बंदियों के लिये 1000 क्षमता का कारागृह, कोटा में विचाराधीन बंदियों के लिये 1000 क्षमता का कारागृह, दौसा में जयपुर सम्भाग के दण्डित बंदियों के लिये 1000 क्षमता का कारागृह, जयपुर में विचाराधीन बंदियो के लिये 500 क्षमता का कारागृह और बीकानेर में विचाराधीन बंदियों के लिये 400 क्षमता का कारागृह, स्थापित करने हेतु स्वीकृत राशि 9349 लाख रुपये के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इससे जेलों में 3900 बंदियों के लिये अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो सकेगी ओर ओवर क्राउडिंग की स्थिति से निजात मिल सकेगी।

इसी प्रकार, राज्य की जेलों में निरुद्ध आदतन एवं खूंखार बंदियों के लिये अजमेर में 704 लाख रुपये की लागत से उच्च सुरक्षा कारागार के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 10 नये खुला बन्दी शिविर प्रारम्भ किये हैं जो झुन्झुनूं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर, प्रतापगढ़, धौलपुर, बाड़मेर, नागौर, टोंक एवं जैसलमेर में बन्दी खुला शिविर स्थापित कर प्रारम्भ किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में महिला बंदियों हेतु एवं अनूपगढ़ में विचाराधीन बंदियों हेतु नये कारागृह स्थापित कर प्रारम्भ किये गये हैं। जिला कारागृह झालावाड़ को शहर से बाहर निर्मित नये भवन में स्थानान्तरित कर प्रारम्भ किया गया है। इसी प्रकार, जिला करागृह, करौली को भी शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु नये भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज जिस प्रकार जेलों की स्थिति है और बंदियों की स्थिति के अनुपात में हमारे पास कर्मचारी नहीं हैं, स्टाफ की कमी है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 246 और 550 प्रहरियों की भर्ती के आदेश किये थे। हमने वह भर्ती कर लिये हैं। उनको नियुक्तियां दे दी गई हैं। एक हजार संख्या बल का आरएसी बटालियन का पुलिस विभाग को जिम्मा दिया है। वह शीघ्र ही भर्ती करके जेल विभाग के सुपुर्द करेंगे।

इसी प्रकार अभी 656 प्रहरियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसमें आवेदन प्राप्त हो गये हैं। अभी बजट 2013-14 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 600 नवीन पदों का सृजन किया गया है।

राज्य में चार पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत किये गये हैं टोंक, बारां, बूंदी और झालावाड़ के लिए।

(श्री रामकिशोर सैनी)

उपाध्यक्ष महोदय, जेल कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए अजमेर में हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट है। हमने अभी उसके सुदृढ़ीकरण के लिए राशि 1472 लाख रुपये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वीकृत किये हैं। इससे संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता 30 से बढ़ कर 300 की हो जायेगी। इस प्रकार प्रहरियों की ट्रेनिंग के लिए, उनके आत्मबल के लिए और उनको वापस ठीक से वह सर्विस दे सके, इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट हमने वहां पर स्थापित किया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी जेलों को कम्प्यूटराज करने के लिए स्कीम प्रारम्भ की गई है। सभी सेन्ट्रल जेल और जिला जेलों में यह कार्य प्रारम्भ हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में, यही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जेल व्यवस्थाओं में सुधार लाने एवं बंदियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण इच्छा शक्ति से कार्य किये हैं। माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों के जवाब उन्हें अतिशीघ्र भिजवा दिये जायेंगे।

अब मैं कारागार विभाग की अनुदान की मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में निम्नानुसार घोषणा करता हूंः-

मैस भत्ता- प्रहरी व मुख्य प्रहरी का जो वर्तमान में 1050 था, उसको बढ़ा कर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। महा मुख्य प्रहरी, सहायक कारापाल, उप कारापाल, कारापाल एवं प्रशिक्षक ग्रेड-II, इनके लिए अभी कोई मैस भत्ता नहीं दिया जा रहा है, अब उनको भी 1750 रुपये मैस भत्ता दिया जायेगा।

वर्दी भत्ता/वर्दी धुलाई भत्ता (स्थाई कर्मचारियों हेतु)- कारापाल, उप कारापाल, सहायक कारापाल, महा मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी, प्रहरी एवं प्रशिक्षक ग्रेड-II के लिए अभी तक 75 रुपये था उसे बढ़ा कर 113 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उप अधीक्षक, कारागार से महानिरीक्षक, कारागार स्तर तक के लिए अभी तक 60 रुपये था उसे बढ़ा कर 90 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

स्पोर्टस फण्ड में अनुदान- पांच लाख रुपये वार्षिक का प्रावधान किया गया है।

उत्सव फण्ड में अनुदान- पांच लाख रुपये वार्षिक का प्रावधान किया गया है।

(श्री रामकिशोर सैनी)

कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि- यह अभी 10 लाख रुपये वार्षिक था जिसको बढ़ा कर 20 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है।

बंदी कल्याण कोष- इसमें अभी तक 10 लाख रुपये वार्षिक था जिसको बढ़ा कर 125 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है।

इस प्रकार बढ़ोतरी किये जाने के फलस्वरूप लगभग 2 करोड़ 58 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मांग संख्या 17 को पारित किया जाए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों के द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, उनके जवाब उनको यथाशीघ्र भिजवा दिये जाएंगे।

मांग संख्या-16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,41,19,88,000 (तीस अरब इकतालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17, कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,54,08,000 (एक अरब तीन करोड़ चौवन लाख आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.15 बजे बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पंजीकृत संनिर्माण श्रमिकों की पुत्री विवाह सहायता हेतु प्राप्त आवेदन

348. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक संनिर्माण श्रमिक पंजीकरण जिलावार कितना-कितना हुआ?

(2) उक्त अवधि में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु किस-किस जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितनी स्वीकृतियां जारी की गयीं तथा अन्य क्या-क्या लाभ दिये गये एवं किस-किस जिले में विवाह सहायता के आवेदन एक माह से लम्बित हैं एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत संनिर्माण श्रमिकों की संख्या 190902 है जिसका जिलावार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु प्राप्त आवेदन एवं जारी स्वीकृतियों का जिलावार विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है। विवाह सहायता योजना में 51000/- के अतिरिक्त कोई लाभ देय नहीं है। एक माह से लम्बित विवाह सहायता के आवेदन का विवरण परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है। विवाह सहायता के आवेदन लम्बित होने के प्रमुख कारण आवेदन अपूर्ण होना, आक्षेपों की पूर्ति नहीं होना, वांछनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय योजनाओं का नीलामी प्रकरण

351. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में राजस्थान आवासन मण्डल अध्यक्ष द्वारा मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में आयोजित की गई नीलामी में न्यूनतम विक्रय मूल्य से अधिक दर प्राप्त सम्पत्तियों की नीलामी को भी निरस्त किया गया? यदि हां, तो ऐसी समस्त निरस्त नीलामियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निरस्त नीलामियां प्रत्येक प्रकरण के गुण अवगुण के आधार पर की गई हैं अथवा एक निर्णय से समस्त नीलामियां निरस्त की गई हैं? नीलामी निरस्तीकरण के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त समस्त प्रकरणों में नीलामी समितियों एवं वित्तीय सलाहकार तथा आवासन आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों का विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त निरस्त नीलामियों में से कुछ प्रकरणों पर नीलामी पुनः स्वीकृत करने बाबत निर्णय लिए गये हैं अथवा पुनः स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रक्रिया में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) निरस्त नीलामी को पुन: स्वीकृत करने के बाबत नियमों एवं प्राधिकारिता सम्बन्धी दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निरस्त नीलामियों के प्रकरण में गुण अवगुण, न्यूनतम विक्रय मूल्य और पूर्व में अनुमोदित दरों की तुलना एवं लोकेशन के आधार पर निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) वित्तीय सलाहकार तथा आवासन आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में नोटशीटों की छाया प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

(4) जी नहीं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(5) निरस्त नीलामी को पुन: स्वीकृत करने का प्रचलित नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले के सूखाग्रस्त/अकालग्रस्त क्षेत्रों हेतु विशेष पैकेज

352. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जोधपुर जिले को सूखाग्रस्त/अकालग्रस्त जिला घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब? घोषित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2012-13 में खरीफ फसल में समय पर वर्षा नहीं होने एवं किसानों द्वारा बुवाई नहीं करने या बुवाई करने के बाद भी वर्षा नहीं होने के कारण फसलों के जल जाने पर सरकार द्वारा इस अकालग्रस्त जिले के किसानों के लिए राहत के कोई पैकेज देने की कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो पैकेज में क्या-क्या राहत देने एवं कब तक देने की कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2012-13 के खरीफ में 5 अगस्त, 2012 के बाद बरसात होने पर बुवाई की गई लेकिन दलहन, तिलहन, बाजरा, ग्वार, ज्वार की फसल नहीं हो पाई? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में खरीफ फसल बीमा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचना दिनांक 04.01.2013 एवं 11.03.2013 की प्रति परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त बिन्दु संख्या 01 में वर्णित अधिसूचनाओं से अभावग्रस्त घोषित गांवों के प्रभावित पात्र कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.03.2013 को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) जोधपुर जिले में खरीफ 2012 मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत ज्वार, ग्वार, मोठ, मूंग, अरण्डी, तिल, मूंगफली एवं कपास

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री)

फसलें अधिसूचित की गई थीं। इन फसलों के लिये कम वर्षा, लगातार सूखा दिवस एवं अधिक वर्षा के जोखिम 01 जुलाई से 30 सितम्बर, 2012 तक के लिये अधिसूचित थे। जोधपुर जिले के 5.90 लाख कृषक बीमित किये गये थे, जिनमें से 5.68 लाख बीमित कृषकों को 26.10 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम दिया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभान्वित महिलाएं

353. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत किन-किन जिलों व क्षेत्रीय चिकित्सालयों में वर्ष 2008 से 2012 तक किस-किस वर्ष में कितने-कितने सफल प्रसव कराये गये एवं किन-किन जिलों में प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हुई तथा प्रसव के दौरान मृत्यु के क्या-क्या कारण रहे? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में किन-किन जिलों में कहां-कहां, कितनी-कितनी महिलाओं को प्रसव के दौरान दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं से लाभान्वित किया गया एवं प्रसव के दौरान दी जाने वाली नगद राशि में कितनी-कितनी राशि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 (जनवरी 2013) तक प्रसवों का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 (जनवरी 2013) तक जिलेवार मातृ मृत्यु की सूचना एवं मातृ मृत्यु के कारण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) प्रसव के दौरान दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं से लाभान्वित महिलाओं का जिलेवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वितरित की गई राशि का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (अलवर) में महिला महाविद्यालय की स्थापना

354. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने एवं राजगढ के अलवर से 50 किमी दूर स्थित होने से छात्राओं को होने वाली असुविधा की दृष्टि से विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय राजगढ़ (अलवर) में 'महिला महाविद्यालय' खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय खोला जाना अभी प्रस्तावित नहीं है।

कोटा में बायोलोजिकल पार्क की स्थापना

355. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा शहर के जन्तुआलय (चिड़ियाघर) में वर्तमान में कितने वन्यजीव हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कितने वन्य जीवों की मृत्यु हुई? वर्षवार, प्रजातिवार मृत्यु की दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त वन्यजीवों की मृत्यु के कारण का पता करने हेतु कोई जांच कराई गई थी? यदि हां, तो उक्त जांच प्रतिवेदन व पोस्टमार्टम की प्रतियों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कोटा में बायोलोजिकल पार्क की स्थापना प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो प्रस्तावित बायोलोजिकल पार्क के मास्टर प्लान डी.पी.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त बायोलोजिकल पार्क के लिए बजट व अधिसूचना जारी करके शीघ्र स्थापना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जन्तुआलय में दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार 315 वन्यजीव हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(वन मंत्री)

(2) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कोटा जन्तुआलय में 44 वन्यजीवों की मृत्यु हुई है, जिनकी वर्षवार एवं प्रजातिवार सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। जन्तुआलय में मरने वाले वन्य जीवों की मृत्यु होने पर मृत्यु के कारण जांचने हेतु प्रजाति/परिस्थिति अनुसार पशु चिकित्सक/पशु चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण उल्लिखित किया जाता है। जनवरी 2009 से जनवरी 2013 तक कोटा जन्तुआलय में मरे वन्यजीवों के मृत्यु का कारण सहित किये गये पोस्टमार्टम की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है। दिनांक 20.12.2012 को कोटा जन्तुआलय में 16 कृष्ण मृगों की मृत्यु होने पर मृत्यु के कारणों की जांच कर मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न है।

(4) जी हां। प्रस्तावित बायोलोजिकल पार्क के मास्टर प्लान के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) प्रस्तावित बायोलोजिकल पार्क में विकास कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पार्क के मास्टर प्लान एवं ले आउट प्लान का अनुमोदन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी.जेड.ए.) से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अनुमोदन प्राप्त होने पर ही बजट प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। बायोलोजिकल पार्क स्थापित करने की अनुमति सी.जेड.ए. द्वारा दी जाती है तथा अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

डेगाना के राजस्व कार्मिकों के रिक्त पद

356. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पटवारियों एवं आफिस कानूनगो के कई पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने पद, कितने समय से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं तथा सरकार कब तक रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। डेगाना विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों के 16 एवं आफिस कानूनगो के 4 पद रिक्त हैं। उक्त पटवारियों के रिक्त पदों में से 3 पद 6 माह से, 10 पद 1 वर्ष से, 3 पद 2 वर्ष से एवं आफिस कानूनगों के 4 पद 3 वर्ष से रिक्त चल रहे हैं।

(2) उक्त पदों के रिक्त रहने का कारण कार्मिकों का सेवानिवृत्त होना, अन्तर्जिला स्थानान्तरण होना एवं कार्मिकों का अन्य सेवाओं में चयन होना है। वर्तमान में पटवार प्रशिक्षण शाला नागौर में पटवारियों को पटवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें 61 पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मार्च, 2013 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर अनुपातिक रूप से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पटवारियों की नियुक्ति की जा सकेगी।

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा, 2011 आयोजित की जाकर दिनांक 18.6.2012 से 17.3.2013 तक प्रशिक्षण सत्र जारी है। जो पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षु पटवारियों का समस्त जिला कलक्टर्स द्वारा पटवार हल्कों में पदस्थापन किया जायेगा। मण्डल द्वारा पटवारी के 2271 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

भू-अभिलेख निरीक्षक पदों हेतु सेवारत पटवारियों में से सीधी भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन दिनांक 8.3.2013 तक चाहे गये हैं। अत: इसके पश्चात दिनांक 21.4.2013 को परीक्षा का आयोजन कर राज्य में कुल 155 गिरदावरों के पदों पर पदोन्नति दी जायेगी। संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पटवारी से भू.अ.नि. पद पर पदोन्नति की कार्यवाही वर्ष 2012-13 तक कर दी गई है।

नेशनल बियरिंग कम्पनी हसनपुरा जयपुर को आबंटित भूमि का भौतिक सत्यापन

357. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

नेशनल बियरिंग कम्पनी हसनपुरा जयपुर को आबंटित भूमि की माप का सत्यापन अंतिम बार कब किया गया? यदि नहीं, तो सरकार अब कब तक उक्त भूमि की माप किये जाने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1013/1994 नेशनल

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

इन्जिनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. बनाम स्टेट के क्रम में नेशनल इन्जिनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. जयपुर की भूमि की माप का मौके पर सत्यापन दिनांक 24.04.2009 को किया गया था।

भीम में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा

358. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम में गत वर्ष अतिवृष्टि हुई थी? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कृषकों को हुए नुकसान की गिरदावरी कराई थी एवं अब तक कितने प्रभावित किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा निर्धारित कर दिया गया?

(2) क्या किसानों को मुआवजा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विधान सभा क्षेत्र भीम के प्रभावित किसानों की ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संवत 2069 में खरीफ फसल की गिरदावरी यथा समय कराई गई थी। फसल खराबे से प्रभावित पात्र कृषकों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.03.2013 को निर्देश जारी कर दिये गये हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) फसल खराबे से प्रभावित पात्र कृषकों को कृषि आदान अनुदान के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्तानुसार दिनांक 15.03.2013 को निर्देश जारी कर दिए गये हैं। प्रभावित कृषकों की ग्राम पंचायतवार संख्या की सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गई)

प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा योजना की क्रियान्विति हेतु सृजित नवीन पद

359. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में प्रसूताओं को राहत देने के लिए जननी

(श्री भवानी सिंह राजावत)

शिशु सुरक्षा योजना लागू की गई है? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू की गई और इसमें प्रसूताओं को राहत देने के लिए क्या-क्या सुविधाएं देने का प्रावधान रखा गया है तथा कितनी प्रोत्साहन राशि रखी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में योजना लागू होने से अब तक विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में कितनी प्रसूताओं को भर्ती किया गया और कितनी प्रसूताओं को प्रोत्साहन राशि दी गई? चिकित्सालय क्षेणीवार/जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना की सफलता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर अन्य अपर चिकित्सालयों में यह सुविधा 24 घंटे सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ में बढ़ोतरी की गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रसूताओं को राहत देने के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू की है। ''जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" का शुभारम्भ 12 सितम्बर, 2011 से किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रसूताओं एवं 30 दिवस तक के बीमार नवजात शिशु को सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की सेवाएं निम्नानुसार नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।

(2) राज्य में जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू होने से जनवरी 2013 तक 14 लाख 53 हजार 651 प्रसूताओं को विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में भर्ती किया गया। चिकित्सालय श्रेणीवार/जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देय नहीं है। 14 लाख 09 हजार 705 प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी गई।

(3) जी हां। इस योजना व अन्य योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए 381 कनिष्ठ विशेषज्ञ, 713 चिकित्सा अधिकारी, 30,497 पैरामेडिकल स्टाफ के पदों में बढ़ोतरी की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले के महाविद्यालयों में स्वीकृत नवीन संकाय/छात्र संख्या

360. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में जिला पाली के किस-किस महाविद्यालय में कौन-कौन से नये विषय खोलने की स्वीकृति दी गई एवं किस-किस महाविद्यालय में किस-किस वर्ष किस-किस संकाय में कितनी-कितनी सीटों की वृद्धि की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अवधि में जिला पाली के किस-किस महाविद्यालय में किस-किस संकाय में प्रवेश हेतु कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? इनमें से प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कितने छात्रों को प्रवेश से वंचित रहना पड़ा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार आगामी सत्र में उक्त महाविद्यालयों में नये विषय खोलने एवं सीटों में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस महाविद्यालय में कौन-कौनसा विषय एवं कितनी-कितनी सीटें? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में जिला पाली के चार राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय खोलने एवं सीटों की वृद्धि दी गई स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी सत्र में उक्त महाविद्यालयों में नये विषय खोलने एवं सीटों में वृद्धि करना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घड़साना के राजकीय स्टेडियम के नामकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव

361. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि घड़साना में राजकीय खेल स्टेडियम स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त राजकीय खेल स्टेडियम का नाम देश के लिये बलिदान देने वाले युवा शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम पर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त खेल स्टेडियम का नाम स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा भी शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम का प्रस्ताव पास कर जिला कलक्टर के पास भेजा हुआ है? यदि हां, तो जिला कलक्टर द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय स्टेडियम घड़साना के नामांकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के द्वारा सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर को भिजवाये हुए हैं।

(2) राजकीय स्टेडियम घड़साना का नामकरण करने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार दुग्गल माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा, सरपंच ग्राम पंचायत 24 ए एस सी (पंचायत समिति घड़साना) एवं अध्यक्ष बार एसोसियेशन घड़साना द्वारा दिनांक 22.10.2012 द्वारा जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर उपखण्ड अधिकारी घड़साना से रिपोर्ट मय ब्ल्यू प्रिन्ट मंगवाकर मूल ही संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर को कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्रांक 16606 दिनांक 02.03.2013 को भिजवा दिया गया है।

पचपदरा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण हेतु कार्य-योजना

362. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र समय पर नहीं खुलते व नियमानुसार पोषाहार वितरण नहीं होता है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही अमल में लाई गई व नहीं तो निगरानी हेतु क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कुल 341 आंगनबाड़ी केन्द्र

महिला एवं बाल विकास मंत्री)

संचालित हैं। इन केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के आंगनबाड़ी केन्द्र समय पर नहीं खुलने एवं नियमानुसार पोषाहार वितरण नहीं होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय पर खुलने एवं पोषाहार वितरण की निगरानी हेतु उप निदेशक, बाड़मेर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पचपदरा एवं महिला पर्यवेक्षक के निरीक्षण नोर्म्स परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु आबंटित राशि

363. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या-क्या योजनाएं क्रियान्वित की गईं? उक्त योजनाओं पर उक्त अवधि में कितनी राशि आबंटित व कितनी व्यय की गई?

(2) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सिंचाई सुविधा के लिए गत चार वर्षों में महानरेगा योजना में 3 एनिकट राशि रुपये 92.86 लाख, माडा योजना में एक एनिकट राशि रुपये 24.17 लाख एवं जायका योजना में 4 लघु सिंचाई परियोजना के बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार के कार्य राशि रुपये 198.99 लाख के स्वीकृत हुए, जिन पर क्रमश: राशि रुपये 61.56 लाख, 13.56 लाख एवं 96.60 लाख का व्यय किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र में भू-जल बढ़ाने हेतु दो एनिकटों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा दो एनिकटों का कार्य प्रगतिरत है।

परिशिष्ट-अ

पंचायत समिति बामनवास व बौंली में सिंचाई सुविधा के लिए गत चार वर्षों में कराये गये कार्यों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
महानरेगा				
1	एनिकट निर्माण कार्य बांस की पुलिया	41.99	33.77	पूर्ण
2	एनिकट निर्माण कार्य बन्जारे का टीला चांदरोली	28.10	21.92	पूर्ण
3	एनिकट निर्माण कार्य खारली नाले पर	22.77	05.87	प्रगतिरत
	महानरेगा योजना का योग	**92.86**	**61.56**	
माडा योजना				
1	एनीकट निर्माण कार्य झाड़ोदा तलाई के पास	24.17	13.56	प्रगतिरत
	माडा योजना योजना का योग	**24.17**	**13.56**	
जायका योजना				
1	रिहेबिलिटेशन आफ डेम एण्ड कैनाल बांध सौभाग सागर	22.07	08.30	प्रगतिरत
2	रिहेबिलिटेशन आफ डेम एण्ड कैनाल बांध जयसागर	33.32	25.46	प्रगतिरत
3	रिहेबिलिटेशन आफ डेम एण्ड कैनाल बांध नागोलाव	42.78	37.70	प्रगतिरत
4	रिहेबिलिटेशन आफ डेम एण्ड कैनाल बांध नाग तलाई	100.82	25.14	प्रगतिरत
	जायका योजना का योग	**198.99**	**96.60**	
	महायोग	**316.02**	**171.72**	

बूंदी शहर का सीवर लाइन प्रकरण

364. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अशोक डोगरा)

(1) बूंदी शहर में आर.यू.आई.डी.पी. के द्वारा चलाये जा रहे सीवरेज का कार्य कब प्रारम्भ होना व कार्य कब तक पूर्ण होना था तथा कार्य की कुल लागत कितनी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीवरेज कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है तथा इस कार्य के कारण क्षेत्रों की सडकें खराब व क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं?

(3) क्या यह सही है कि सीवरेज कार्य हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की जगह निर्धारित हो चुकी है? यदि नहीं, तो बिना ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सीवरेज लाइन डालने के कार्य का क्या औचित्य है?

(4) क्या सरकार सीवरेज कार्य में विलम्ब के लिये जिम्मेदार ठेकेदार/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) द्वारा बूंदी शहर में चलाये जा रहे सीवरेज के कार्य की प्रारम्भ होने की दिनांक 18.08.2011 व कार्य पूर्ण होने की दिनांक 17.02.2014 है इस कार्य की कुल लागत राशि रु. 34.74 करोड़ है।

(2) जी नहीं। किन्तु कार्य की प्रगति कई कारणों से कुछ धीमी अवश्य है। कार्य पूर्ण होने की दिनांक 17.02.2014 है पाइप लाइन की खुदाई के कारण कुछ क्षेत्र में सड़कें खराब हुई हैं जिनको सुदृढ़ करवाया जा रहा है। कुल 1915 मीटर सीवर लाइन डालने के लिये 850 मीटर लम्बाई में सड़क काटने की आवश्यकता पड़ी, इसमें से करीब 550 मीटर लम्बाई की सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां। सीवरेज कार्य हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की जगह ग्राम देवपुरा रामगंज बालाजी के पास निर्धारित हो चुकी है।

(4) वर्तमान में कार्य की समीक्षा नियमित रूप से संवेदक एवं विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। कार्य पूर्ण होने की तिथि 17.02.2014 निर्धारित है। कार्य में विलम्ब होने पर गुण अवगुण के आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

जैसलमेर क्षेत्र की एस.बी.एस. नहर पर एस्केप चैनल निर्माण कार्य पर व्यय राशि

365. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जैसलमेर शहर की एस.बी.एस. नहर की 113 आर डी तथा बी आर एस बी नहर की 140 आर डी पर बने एस्केप चैनल का निर्माण कब हुआ एवं उस पर कितनी राशि व्यय की गई? उक्त कार्य किस एजेन्सी द्वारा करवाया गया एवं उसमें कितनी राशि का पक्का एवं कच्चा निर्माण कार्य किया गया? वर्तमान में उक्त चैनल का क्या उपयोग हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

नहर में क्षमता से अधिक पानी आने पर नहर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए एस्केप चैनल बनाये जाते हैं। शहीद बीरबल शाखा की बुर्जी 113 पर एस्केप चैनल का कार्य नहीं किया गया है। बाबा रामदेवजी उपशाखा बुर्जी 140 पर बने एस्केप चैनल का कार्य वर्ष 2008 में मैसर्स रघु कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा करवाया गया जिसकी लागत मिट्टी खुदाई कार्य की राशि 723948 रु. व लाइनिंग कार्य की 1863774 रु. आई थी। बाबा रामदेवजी उपशाखा नहर में जब भी आवश्यकता से अधिक पानी आता है तो नहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिक पानी को इस एस्केप चैनल द्वारा छोड़ा जाकर नहर की सुरक्षा की जाती है।

प्रदेश में दूषित पेयजल से प्रभावितों को सहायता

366. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत चार वर्षों में दूषित पेयजल के कारण जल जनित हादसों में कितने लोग बीमार हुए हैं तथा कितने चिकित्सालयों में भर्ती हुए और कितनों को इलाज के दौरान जान गंवानी पड़ी? जिलेवार नाम पता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पीड़ितों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2009 से 2012 तक दूषित पेयजल के कारण जलजनित हादसों में 7459 व्यक्ति बीमार हुए, 6069 रोगी चिकित्सालयों में भर्ती हुए तथा 29 की मृत्यु हुई। जिलेवार नाम पते सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त पीड़ितों को विभाग द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाली नगरपालिका मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

367. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की पंचायत समिति बाली, देसूरी, रानी, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन तथा नगरपालिका क्षेत्र बाली, फालना सादड़ी आदि में सैकडों की संख्या में सरकारी एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जहां से प्रति वर्ष हजारों छात्र-छात्राएं कक्षा बारह उत्तीर्ण कर सरकारी महाविद्यालय के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं?

(2) क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करने हेतु नगरपालिका मुख्यालय बाली जो कि उक्त सभी पंचायत समितियों एवं नगरपालिका क्षेत्रों का केन्द्र बिन्दु है, पर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला पाली की पंचायत समिति बाली, देसूरी, रानी, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन तथा नगरपालिका क्षेत्र बाली, फालना, सादड़ी में निजी क्षेत्र में 10 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका मुख्यालय बाली में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना फिलहाल प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा पाली की पंचायत समिति बाली में संचालित निजी महाविद्यालय की सूची-

1- रूपरजत संस्कार महिला महाविद्यालय, तोपखाने का बास बाली-सत्र 2005

2- क्षेत्र पाल महाविद्यालय श्री राजेश कुमार जैन का मकान, खटीकों का वास देसूरी, पाली-सत्र 2005 सह शिक्षा

3- लीला देवी पारसमल संचेती कन्या महाविद्यालय विद्या बाडी स्टेशन रानी-सत्र 1995

4- श्री धनराजजी श्रीचंदजी बदामियां कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज वरकाणा स्टेशन रानी जिला पाली-2007 सह शिक्षा

5- गुमानसिंह मेमोरियल महाविद्यालय बधारा जाव गणकेश्वर कालोनी सुमेरपुर सत्र 1998-सह शिक्षा

6- अरावली महाविद्यालय गोशाला रोड कोलीवाडा सुमेरपुर सत्र-2010 सह शिक्षा

7- हिलग्रोव कर्नल्स एकेडमी कालेज आफ हायर एजुकेशन कोलीवाडा सुमेरपुर-सत्र 2012 सह शिक्षा

8- गुरूकुल संस्कार कन्या महाविद्यालय गीता भवन, सुमेरपुर जिला पाली सत्र 2003 महिला शिक्षा

9- श्री परमहंस स्वामी माधवानन्द महाविद्यालय, श्री विश्वदीप गुरूकुल महेश्वरानन्द आश्रम जाडन, सोजत, मारवाड़ जक्शन, पाली-सत्र 2007 सह शिक्षा

10- एस पी यू पी जी महाविद्यालय, फालना पाली-सत्र 1958 सह शिक्षा

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शहीद सिपाहियों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु लम्बित प्रकरण

433. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1971 से 1999 की अवधि में शहीद हुए सैनिकों के उत्तराधिकारियों को राज्य सेवा में नियुक्ति देने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब एवं अब तक कितने व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के पास शहीद के उत्तराधिकारियों के नियुक्ति हेतु आवेदन लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने आवेदन कब-कब से लम्बित हैं तथा अब इनको कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक F5(3)DOP/A-II/94 दिनांक 10.6.2008 के द्वारा वर्ष 1971 से 1999 की अवधि में शहीद हुए सैनिकों के उत्तराधिकारियों को राज्य सेवा में नियुक्ति देने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त अवधि में शहीद हुए सैनिकों के 170 पात्र आश्रितों को दी गई नियुक्तियों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

2009 - 41

2010 - 35

2011 - 50

2012 - 44

(2) जी हां। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के स्तर पर 20 शहीद उत्तराधिकारियों के आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु निम्नांकित अवधि से प्रक्रियाधीन/लम्बित हैं :-

2009 - 1

2010 - 6

2011 - 6

(सैनिक कल्याण राज्य मंत्री)

2012 - 6

2013 - 1

विचाराधीन आवेदन पत्रों मे विभिन्न विभागो द्वारा पात्रता की जांच की जा रही है।

जोधपुर जिले में "मुख्य मंत्री रोजगार योजना" के तहत आबंटित कियोस्क

434. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में ''मुख्य मंत्री रोजगार योजना'' के तहत कियोस्क बनवाकर आबंटन करने का मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गरीब व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ''मुख्य मंत्री रोजगार योजना'' के तहत कियोस्क बनवाकर आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो जोधपुर शहर में कब-कब, कहां-कहां व किस-किसको आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर में ''मुख्य मंत्री रोजगार योजना'' में आबंटित कियोस्क में शराब की दुकान खोलने का प्रकरण प्रकाश में आया है? यदि हां, तो कब व कहां?

(4) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में उक्त योजना में आबंटित कियोस्क धारक द्वारा स्वयं का रोजगार न खोलकर किसी अन्य को किराये पर दे रखा है? यदि हां, तो किस-किस कियोस्क धारक द्वारा, कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त किराये पर दिये गये कियोस्क को निरस्त कर पुन: आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजना के तहत नगर निगम, जोधपुर द्वारा कोई आबंटन

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नहीं किया गया है। किन्तु जोधपुर विकास पाधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त योजना के तहत् कियोस्क बनवाकर वर्ष 2002 एवं 2008 में आबंटित किये गये हैं। उक्त आबंटन कब-कब, कहां-कहां व किस-किस को आबंटित किये गये की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। शराब की दुकान किशोर बाग जोधपुर में खोलने का प्रकरण दिनांक 31.01.2013 को प्रकाश में आया है।

(4) जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसकी जांच करवाई जा रही है। जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 4 के उत्तर में निहित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर के बाराहजी का चौक दीनानाथ की गली में आम रास्ते पर अतिक्रमण

435. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाराहजी का चौक व दीनानाथजी की गली जयपुर में आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे आम रास्ते में अतिक्रमण बढ़ गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यावसायिक गतिविधियों के कारण वहां पर स्थित दुकानदारों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण के साथ ही सामान लोडिंग, अनलोडिंग हेतु लोडिंग वाहन घण्टों रास्ता जाम कर खड़े रहते हैं जिससे आवागमन बाधित होता है?

(3) क्या सरकार उक्त स्थानों से अतिक्रमण हटाने एवं आवागमन सुगम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दीनानाथजी की गली व बाराहजी का चौक पर दुकानदारों द्वारा गोदाम बना रखे हैं जहां पर लोंडिग व अनलोडिंग हेतु टैम्पों, हाथ रिक्शा ट्रोली आते जाते हैं जब जाम की स्थिति होती है तो यातायात पुलिस द्वारा वहां

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जाकर खड़े वाहनों को हटवाया जाकर जाम को खुलवाया जाता है उक्त स्थान पर स्थाई तौर पर कोई वाहन खड़ा नहीं होता है मात्र सामान लाने व ले जाने वाले वाहन ही आते जाते हैं समय-समय पर यातायात पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

(3) नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा समय-समय पर अस्थाई अतिक्रमण हटाया जाता है ।

उप पंजीयक कार्यालय, आमेर में पंजीकृत बख्शीशनामा

436. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप पंजीयक आमेर के यहां एक बख्शीशनामा दिनांक 31 मई, 1955 को गोपी उर्फ गंगू का पंजीकरण हुआ था? यदि हां, तो उक्त बख्शीशनामा किसके द्वारा किस-किस सम्पत्ति का किस-किसके हक में किया गया एवं समय-समय पर उसमें कब-कब किस के द्वारा संशोधन/बदलाव किया गया?

(2) उक्त बख्शीशनामे में कौन-कौनसी सम्पत्ति कहां-कहां की कितनी-कितनी थी? सम्पत्ति के नाम, ग्राम, आकार, स्थान एवं सम्पत्ति के मानचित्र सहित विवरण एवं बख्शीशनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त बख्शीशनामे के सम्बन्ध में एक समझौता दिनांक 30 जनवरी, 1957 को हुआ? यदि हां, तो किस-किसके मध्य? जिसकी नकल फैसला मिशल नं. 157/59-60 उप पंजीयक आमेर के यहां दिनांक 14 सितम्बर, 1959 को पंजीकृत किया गया था? उक्त समझौते की नकल रजिस्ट्री दिनांक 16 जनवरी, 1959 की प्रति एवं दिनांक 30 जनवरी, 1957 को हुये समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। उप पंजीयक कार्यालय आमेर में एक बख्शीशनामा गोपी उर्फ़ गंगू पुत्र चमन दत्तक पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण गौड़ द्वारा दिनांक 31-5-1955 को पंजीबद्ध कराया गया था। उक्त बख्शीशनामा गोपी उर्फ़ गंगू द्वारा ग्राम-नींदड़ के आवासीय मकान, कृषि भूमि मय 17 आम के वृक्षों का बख्शीशनामा बहक गेरी बाई एवं दामोदर के पक्ष में पंजीबद्ध कराया गया है। सम्बन्धित बख्शीशनामे की प्रति संलग्न है। कब-कब किस के द्वारा संशोधन/बदलाव किया गया, इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) दिनांक 31-5-1955 को हुए बख्शीशनामा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है, जिसके अनुसार ग्राम-नींदड़ की आवासीय मकान, कृषि भूमि खसरा नं. 1716 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा , खसरा नं. 1715 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 1719 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा और खसरा नं. 1534 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा मय 17 आम के वृक्षों का बख्शीशनामा किया गया है। मानचित्र की प्रति रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

(3) उक्त बख्शीशनामा के सम्बन्ध में तथाकथित समझौता दिनांक 30-1-1957 को हुआ अथवा नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। मिशल नं. 157/59-60 जो उप पंजीयक कार्यालय आमेर के यहां दिनांक 14 सितम्बर, 1959 को पंजीकृत किया जाना बताया है, उप पंजीयक कार्यालय आमेर की बुक नं. 1 से सम्बन्धित जिल्द में पंजीबद्ध नहीं पाये जाने के कारण समझौते की नक़ल रजिस्ट्री 16-01-1959 की प्रति एवं दिनांक 30-01-1957 को हुए समझौते की प्रति उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर जिले के विद्यालय भवनों पर स्थापित मोबाइल टावर

437. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों/आदेशों की अनुपालना में जिला जयपुर के कितने विद्यालय भवनों पर लगे हुए मोबाइल टावर हटा दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण/जयपुर नगर निगम से ली गई है? यदि हां, तो कितने टावर स्वीकृत शुदा हैं एवं कितने बिना स्वीकृति लगे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हटाये गये मोबाइल टावरों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) मोबाइल टावर लगाने के लिये नगर निगम जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है।

परिशिष्ट–अ

डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 2774/12 जस्टिस आई.एस. ईसरानी (रिटायर्ड) बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में जयपुर जिले में विद्यालयों से विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल टावर के विद्युत कनेक्शन हटाये जाकर क्रियाशील उपकरणों यथा डीजी सेट, जनरेटर मशीन आदि को हटा दिया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**नाम कम्पनी**	**स्कूलों से हटाए गए टावरों की संख्या**
1.	रिलायन्स	05
2.	भारत संचार निगम लि.	12
3.	आइडिया	11
4.	एयरटेल	13
5.	एयरसेल	12
6.	एमटीएस	03
7.	वोडाफोन	13
8.	टाटा	03
	योग	**72**

जयपुर के माउण्ट रोड रामगढ़ मोड़ स्थित प्राचीन छतरियों की भूमि पर अतिक्रमण

438. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जगदीश कालोनी (माधोनगर गृह निर्माण सहकारी समिति) माउण्ट रोड रामगढ़ मोड़, आमेर रोड (वार्ड नं. 75) के मुख्य मार्ग पर भूमि एवं प्राचीन छतरियां स्थित हैं? यदि हां, तो मौके की वर्तमान स्थिति मय फोटो सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर पट्टियां एवं मलबा डाला जाकर अतिक्रमण किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजय बंसल)

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक धरोहर को बचाने तथा राजकीय भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाने एवं दोषियों पर जुर्माना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मौके पर श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल हमीद द्वारा उक्त भूमि पर पट्टियां व मलबा डालकर अतिक्रमण किया हुआ था। दिनांक 14.03.2013 को उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है। फोटो की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

(3) इस सम्बन्ध में नगर निगम कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

विद्याधर नगर, बियानी गर्ल्स कालेज के चौराहे पर अतिक्रमण

439. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बियानी गर्ल्स कालेज विद्याधर नगर जयपुर के समीप स्थित चौराहे से एल.एस. नगर नयाखेड़ा होकर राजस्थान पुलिस अकादमी व नेहरू नगर की ओर जाने वाली सड़क की वास्तविक/अनुमोदित चौड़ाई कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के बियानी गर्ल्स कालेज चौराहे की ओर खुलने वाले छोर पर दोनों तरफ अतिक्रमण हो रहा है? यदि हां, तो अतिक्रमियों को कब तक हटा दिया जावेगा? अतिक्रमियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बियानी गर्ल्स कालेज (विद्याधर नगर) जयपुर के

(श्री वासुदेव देवनानी)

समीप स्थित चौराहे की व्यस्तता व अतिक्रमण से दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर इस चौराहे पर सर्किल अथवा चौपड़ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बियानी गर्ल्स कालेज विद्याधर नगर जयपुर के समीप स्थित चौराहे से एल.एस. नगर (नया खेड़ा) होकर राजस्थान पुलिस अकादमी व नेहरू नगर की ओर जाने वाली सड़क की वास्तविक (अनुमोदित) चौड़ाई का विवरण निम्न प्रकार है :-

बियानी गर्ल्स कालेज विद्याधर नगर जयपुर के समीप प्रस्तावित चौराहे से एल.एस. नगर के अन्तिम छोर पृथ्वी नगर योजना तक वास्तविक सड़क लगभग 40 फीट मौके पर उपलब्ध है। यह सड़क अनुमोदित योजना मानचित्र में 60 फीट दर्शायी गयी है। इसके आगे पृथ्वी नगर योजना में वास्तविक सड़क लगभग 50 फीट मौके पर उपलब्ध है तथा योजना मानचित्र में 60 फीट दर्शायी गयी है। इसके आगे पृथ्वी नगर के सामने जे.पी. कालोनी में वास्तविक सड़क लगभग 120 फीट मौके पर उपलब्ध है तथा अनुमोदित भी 120 फीट है। इसके आगे जे.पी. कालोनी से आरपीए तक वास्तविक सड़क लगभग 80 से 100 फीट मौके पर उपलब्ध है। मास्टर विकास योजना 2025 में यह सड़क 100 फीट दर्शायी गई है। इस स्थान पर खुला नाला भी निर्मित है। जहां चौड़ाई 100 फीट से अधिक उपलब्ध है। आरपीए के सामने संजय नगर व स्वर्णकार कालोनी में वास्तविक सड़क 50 फीट से 60 फीट मौके पर उपलब्ध है। संजय नगर व स्वर्णकार कालोनी में वास्तविक सड़क 50 फीट से 60 फीट मौके पर उपलब्ध है। संजय नगर व स्वर्णकार कालोनी के अनुमोदित मानचित्र में सड़क 60 फीट दर्शायी गयी है, लेकिन मास्टर विकास योजना 2025 में सड़क 100 फीट दर्शित है। संजय नगर व स्वर्ण कालोनी योजनाएं मास्टर प्लान 2025 लागू होने से पूर्व अनुमोदित की हुई है। इसके आगे आरपीए के सामने प्रेम नगर योजना अनुमोदित नहीं है। यहां पर वास्तविक सड़क 50 फीट से 60 फीट उपलब्ध है तथा मास्टर विकास योजना 2025 में 100 फीट दर्शित है।

(2) जी हां। बियानी गर्ल्स कालेज चौराहे की ओर खुलने वाले छोर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पर दोनों तरफ सड़क सीमा में आने वाले निर्माणों का पीटी सर्वे करवाया जा रहा है। पीटी सर्वे रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात् सड़क सीमा में काबिज व्यक्तियों के निर्माण का स्वामित्व परीक्षण कर अनाधिकृत निर्माण की सूची तैयार की जा सकेगी। अनाधिकृत निर्माण की सूची तैयार होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं। मौके की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में सर्किल अथवा चौपड़ का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

जयपुर के धावास ग्राम में बहुमंजिला इमारत निर्माण हेतु स्वीकृति

440. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा सचिवालय कर्मचारी समूह आवास योजना, धावास अजमेर रोड, जयपुर में विधान सभा कार्मिकों को किस-किस समय लाटरी द्वारा भू-खण्ड आबंटित किये गये? चरणबद्ध आबंटित भू-खण्डों की संख्या साइजवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2003 के पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकारण द्वारा उक्त आवासीय योजना में क्या-क्या सुविधाएं/विकास कार्य करवाये गये? विकास कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई व किये गये चरणबद्ध (प्रथम व विस्तार सहित) विकास कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय योजना में अब तक पेयजल की व्यवस्था हेतु ना तो टंकी का निर्माण कार्य करवाया गया है और ना ही सीवर लाइन डाली गई है तथा पार्क एवं सामुदायिक केन्द्र आदि की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं करवायी गई है? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार इस सम्बन्ध में कब तक किन-किन कार्यों को किन-किन योजनान्तर्गत करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय योजना में बनाई गई सड़कें अभी तक अपूर्ण व घटिया स्तर की हैं क्या उक्त सड़कों की गुणवत्ता की जांच किसी सक्षम अधिकारी द्वारा करवायी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कालोनी अब तक 60, 40 व 30 फीट माप की कितनी सड़कें निर्मित हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अनिल जैन)

(5) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय योजना में कई भवन निर्माताओं द्वारा 60 फीट मुख्य सड़क पर तीन से चार मंजिलें आवासीय फ्लैट बनवाये जा रहे हैं तथा विधान सभा विस्तार में 120 मीटर के भू-खण्डों पर बहुमंजिले आवासीय फ्लैट बनाकर विक्रय कर दिये गये हैं? क्या सरकार द्वारा उक्त निर्माण हेतु नक्शा अनुमोदित कर अनुमति दे दी गई है? यदि हां, तो कब एवं क्यों? चरणबद्ध (प्रथम व विस्तार सहित) बहुमंजिला इमारतें निर्माण हेतु अनुमोदन/स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 18.08.2003 को, 19.03.2007 को व 20.06.2012 को लाटरी द्वारा आबंटित किये गये एवं चरणबद्ध आबंटित भूखण्डों की संख्या साइजवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2003 के पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधान सभा सचिवालय कर्मचारी समूह आवास योजना (प्रथम व विस्तार) धावास, अजमेर रोड, जयपुर में कराये गये सड़क निर्माण कार्यों व चारदीवारी निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इस योजना में वृक्षारोपण, विद्युतीकरण एवं व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां। धावास योजना में अभी तक कम आबादी होने के कारण पेयजल की व्यवस्था के लिये टंकी का निर्माण नहीं करवाया गया है। कम आबादी को ध्यान में रखते हुये पेयजल व्यवस्था के लिये योजना में एक नलकूप तथा पीने के पानी की लाइन डाली गयी है, जिससे जलापूर्ति हो रही है।

भविष्य में आबादी के अनुरूप योजना में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर टंकी, सामुदायिक केन्द्र का निर्माण सम्भव होगा।

धावास आवासीय योजना के आस-पास के क्षेत्र में मुख्य सीवर लाइन नहीं होने के कारण योजना में आंतरिक सीवर लाइन नहीं डाली गयी है। क्षेत्र में मुख्य सीवर लाइन डालने के पश्चात् इस योजना में आंतरिक सीवर लाइन डालना सम्भव होगा। पार्क का विकास एवं अन्य विकास कार्य सतत प्रक्रिया के तहत योजना में आवश्यकता, बसावट एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाया जाना प्रस्तावित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) उक्त योजना में बनाई गई समस्त सड़कें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बनाई गई है। गुणवत्ता की जांच समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है। आवासीय योजना धावास (प्रथम व विस्तार) में अनुमोदित नक्शे के अनुसार 60, 40 व 30 फीट में अतिक्रमण मार्ग को छोड़कर समस्त सड़कों का निर्माण करवा दिया गया है, जिसमें राशि रुपये 82.07 लाख व्यय की गई है।

(5) उक्त आवासीय योजना में भवन निर्माताओं को 60 फीट मुख्य सड़क पर तीन से चार मंजिलें आवासीय फ्लैट्स की निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

उक्त आवासीय योजना में 60 फीट मुख्य सड़क पर भू. सं. 130 के मालिक द्वारा तहखाना, ग्राउण्ड, प्रथम, द्वितीय मंजिल के ऊपर दो कमरे का अवैध निर्माण किया गया था। उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 32, 33 के तहत नोटिस जारी कर न्यायालय में अभियोजन पेश करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विधान सभा विस्तार में 120 मीटर के भूखण्डों पर बहुमंजिले आवासीय फ्लैट्स नहीं बनाये गये हैं। विक्रय करने की जानकारी संधारित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिला क्रीड़ा परिषद में रिक्त पद

441. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के कितने एवं कौन-कौन से जिलो में क्रीड़ा परिषदें संचालित हैं? उक्त क्रीड़ा परिषदों को किन नियमों एवं मानदण्डों के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिला क्रीड़ा परिषदों को बजट आबंटन किस आधार पर एवं किस प्रकार किया जाता है? इन क्रीड़ा परिषदों के आय के स्रोत क्या-क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अलवर जिले की क्रीड़ा परिषद में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी पद स्थापित हैं तथा किस-किस श्रेणी के कितने एवं कौन-कौन से पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सभी जिला स्तर पर जिला क्रीड़ा परिषद विद्यमान है जो कि युवा मामले एवं खेल विभाग के अधीन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान संस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत एक पंजीकृत राजकीय संस्था है।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद की आय का मुख्य स्रोत राजकीय अनुदान, ब्याज, दानदाताओं द्वारा दी गई राशि, मैदानों/दुकानों/जमीन से किराया, साइकिल स्टैंड, तरणताल, स्मारिका प्रकाशन आदि होते हैं।

(3) अलवर जिला क्रीड़ा परिषद में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सवैतनिक कार्यरत नहीं है। जिला क्रीड़ा परिषद में पदाधिकारी/सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। जिला क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष जिला कलक्टर एवं सदस्य सचिव खेल अधिकारी होता है। अलवर जिला क्रीड़ा परिषद के अन्य पदाधिकारी/सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

जिला क्रीड़ा परिषद, अलवर

1. जिला कलक्टर, अध्यक्ष	श्री आशुतोष एटी पेडणेकर	भक्ति निकेतन अलवर
2. उपाध्यक्ष	श्री उत्तम सैनी कराटा	इन्दिरा कालोनी अलवर
3. कोषाध्यक्ष	श्री पुष्पेन्द्र चौधरी	158 आदर्शनगर दाउदपुर अलवर
4. जिला प्रमुख-एक	श्रीमती सफियाखान	जिला प्रमुख अलवर
5. विधायक-दो	1. श्री मेजर ओ. पी. यादव विधायक	मोती डूंगरी अलवर
	2. श्री टीकाराम जूली विधायक	मोती डूंगरी अलवर
6. प्रधान-दो	1. श्री नसरू खां	प्रधान पंचायत समिति रामगढ़
	2. श्री जयराम पायलेट	पं.स. कठूमर
7. महिला सदस्य-दो	1. श्रीमती कुसुम यादव बैडमिंटन कौच	इन्दिरा गांधी स्टेडियम अलवर
	2. श्रीमती साधना टोगडा	इन्दिरा गांधी स्टेडियम अलवर

8. अनुसूचित जाति वर्ग का एक प्रतिनिधि	1. श्री श्यामलाल गांधी	इन्दिरा गांधी स्टेडियम
9. अनुसूचित जन जाति वर्ग का एक प्रतिनिधि	1. श्री लोकेश मीणा सचिव हाकी संघ	इन्दिरा गांधी स्टेडियम
10. अन्य पिछड़ा वर्ग का एक प्रतिनिधि	1. श्री प्रमोद यादव क्रिकेट	इन्दिरा गांधी स्टेडियम
11. ओलम्पिक संघ का प्रतिनिधि-एक	1. श्री प्रेमसिंह नरूका फूटबाल	डी 14 हीरा बाग अलवर
12. खेलों में सक्रिय भाग लेने वाले प्रतिनिधि अधिकतम ग्यारह	1. श्री शिवओम सोनी बास्केट बाल	इन्दिरा गांधी स्टेडियम अलवर
	2. मेजर राजेन्द्र सिंह टेनिस	सी 159 हसनखां मेवात नगर अलवर
	3. श्री प्रकाश तंवर एथलेटिक	इन्दिरा गांधी स्टेडियम अलवर
	4. श्री अनिल चुघ भारोतोलन	इन्दिरा गांधी स्टेडियम अलवर
	5. श्री अजय गौड़ हैण्डबाल	इन्दिरा गांधी स्टेडियम अलवर
	6. श्री पंकज मिश्रा बास्केटबाल	ए 36, बुध विहार अलवर
	7. श्री मलखान चौधरी कुश्ती	संजय नगर, अलवर
	8. श्री लवकुश नरूका शूटिंग लान टेनिस	इन्दिरा गांधी स्टेडियम अलवर
	9. श्री पवन गोयल क्रिकेट	इन्दिरा गांधी स्टेडियम अलवर
	10. श्री पुष्पेन्द्र चौधरी बास्केट बाल	158 आदर्श नगर दाउदपुर अलवर
	11. सुश्री अनीता मीणा हैण्ड बाल	इन्दिरा गांधी स्टेडियम अलवर
13. जिला खेल संघों का प्रतिनिधि-एक	श्री पन्ना लाल सैनी बास्केट बाल	100ए पंचवटी अलवर

14. खेलों में विशेष योग्यता रखने वाले खिलाड़ी-दो	1. श्री विशन कालरा	इन्दिरा गांधी स्टेडियम, अलवर
	2. श्रीमती जीतकौर सांगवान	पार्षद नगर परिषद, अलवर

जिला कलक्टर, अलवर

बस्सी में भूमिहीन व्यक्तियों को आबंटित भूमि

442. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सरकार द्वारा जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक किस-किस गांव में कितने भूमिहीन लोगों को कृषि योग्य भूमि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आबंटित भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो नियम विरुद्ध बेचान की गई भूमि के प्रकरणों का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकार से आबंटित की गई भूमि के आबंटियों में से कितनों को अभी तक कब्जा नहीं मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सरकार द्वारा जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक भूमिहीन लोगों को कोई कृषि योग्य भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(2) वर्ष 2009 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी में आबंटन नहीं होने के कारण नियमों के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। नियम का उल्लंघन कर बेचान करने सम्बन्धी कोई मामला प्रकाश में नही आया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सरकार द्वारा जनवरी 2009 से अब तक भूमिहीन लोगों को कोई कृषि योग्य भूमि आबंटित नहीं की गई है। फलस्वरूप कब्जा नहीं मिलने सम्बन्धी मामला प्रकाश में नहीं आया है।

ग्राम पंचायत धोद (सीकर) में कार्यरत/पदस्थापित हल्का पटवारी

443. श्री पेमाराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पेमाराम)

(1) क्या यह सही है कि हल्का पटवारी को ग्राम पंचायत की बैठक में नामान्तरण आदि कार्यों के लिए बैठकों में जाना होता है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले की तहसील धोद की ग्राम पंचायत धोद में वर्तमान में पटवारी कौन है तथा कब से पदस्थापित है? उन्होंने ग्राम पंचायत धोद की कुल कितनी बैठकों में भाग लिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पटवारी द्वारा पंचायत की बैठकों में भाग नहीं लिया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि हल्का पटवारी को ग्राम पंचायत की बैठक में नामान्तरकरण आदि कार्यों के लिये निर्धारित बैठकों में जाना होता है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम/भू.अ./जी-3/प-170/98/5411-42 दिनांक 22.6.1999 द्वारा आदेश जारी किया हुआ है। जिसकी छायाप्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सीकर जिले की तहसील धोद की ग्राम पंचायत धोद में श्री सुखवीर सिंह, पटवारी दिनांक 20.6.2012 से पदस्थापित है। ग्राम पंचायत धोद में उक्त पटवारी ने दिनांक 21/8/12, 20/10/12, 20/11/12 एवं 20/2/13 की बैठकों में भाग लिया। जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) पटवारी ने ग्राम पंचायत धोद की समस्त बैठकों में भाग नहीं लिया है। लेकिन अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण ग्राम पंचायत बोसाना की 15 बैठकों, ग्राम पंचायत सरवडी की 7 बैठकों, ग्राम पंचायत पूर्णपुरा की 3 बैठकों में उपस्थित रहा है।

ग्राम पंचायत धोद द्वारा ग्राम पंचायतों की बैठकों में उपस्थित नहीं होने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत धोद द्वारा कोई सूचना/शिकायत नहीं होने के कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

रतनगढ़ (चूरू) का जिला मुख्यालय में क्रमोन्नयन

444. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जिला बनाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) क्या यह सही है कि रतनगढ़ को जिला बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव तैयार करवाया गया था? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जनहित में रतनगढ़ को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बनाने के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(2) रतनगढ़ को जिला बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं करवाये गये हैं।

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.5.2012 द्वारा राज्य में नवीन जिलों के सृजन/पुर्नगठन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य में जिला बनाये जाने सम्बन्धी सभी प्रस्ताव उच्च स्तरीय समिति के समक्ष विचाराधीन हैं। समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त सक्षम स्तर पर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

जिला कार्यालयों में पदस्थापित निजी सहायकों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु जारी निर्देश

445. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्व मण्डल एवं इसके अधीनस्थ किस-किस जिला कार्यालय में कितने निजी सहायक के पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में इन पर कौन-कौन कर्मचारी किस-किस दिनांक से राजस्व मण्डल के पदोन्नति आदेशों से पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्व मण्डल द्वारा निजी सहायकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है? यदि हां, तो किस-किस वर्ष की? यदि नहीं, तो क्यों? अंतिम जारी वरिष्ठता सूची की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निजी सहायक या कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी करने के

(श्री मेवाराम जैन)

सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या नियम बनाये हुए हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला कलक्टर कार्यालय में कार्यरत निजी सहायक की सहमति लिये बिना उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन अन्य जिले में किया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व मण्डल में निजी सहायक के 13 पद स्वीकृत हैं। मण्डल के अधीनस्थ जिला कलक्टर कार्यालयों में निजी सहायक के एक-एक पद स्वीकृत हैं। कार्यरत निजी सहायकों के पदस्थापन दिनांक सहित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला कलक्टर कार्यालयों में निजी सहायक का एक-एक पद स्वीकृत होने से वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई है।

राजस्व मण्डल के निजी सहायकों की दिनांक 01.04.2012 तक की स्थिति की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। रिव्यू डीपीसी उपरान्त संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की जानी है। गत वरिष्ठता सूची दिनांक 1.4.2012 की स्थिति जारी की गई है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 37 के अनुसार लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां जारी किये जाने का प्रावधान है। सम्बन्धित नियमों की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम-37 (v) में सेवा की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए किसी कर्मचारी का एक जिले से अन्य जिले में अस्थाई स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान है। इसमें कार्मिक की सहमति लिये जाने का उल्लेख नहीं है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फागी (जयपुर) के जल स्रोतों के मार्ग पर अतिक्रमण

446. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शंकर सिंह)

(1) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य के बांधों/तालाबों/जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में किये गये अतिक्रमणों को हटाने हेतु सरकार द्वारा आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो जारी किये गये आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जयपुर की तहसील फागी के किन-किन बांधों एवं तालाबों के पानी के आने के मार्गों पर अतिक्रमण है और किन-किन बांधों एवं तालाबों से अतिक्रमण हटा दिया गया है? बांध एवं तालाबवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तहसील फागी के ग्राम खेड़ा श्री हनुमानजी के तालाब में पानी आने के लिए सड़क के सहारे जो नहर बनी हुई है, को अवरुद्ध कर तालाब में पानी आने के मार्ग को रोक दिया है? यदि हां, तो क्यों तथा किन लोगों द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार तालाब में पानी आने के रास्ते को रोकने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर पानी के मार्ग की बाधाओं को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जारी किये गये आदेश की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जिला जयपुर की तहसील फागी में जल संसाधन विभाग के अधीन हिंगोनिया एवं पीपला बांध है। शेष बांध एवं तालाब पंचायती राज विभाग के अधीन है। इनके जल ग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हिकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। रिकार्ड के अनुसार सड़क के सहारे नहर निर्मित नहीं है। यह सड़क निर्माण के समय हटाई गई मिट्टी की नाली है।

(4) जी हां। बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हिकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंच की ढाणी आगरा रोड जयपुर की वन भूमि पर सड़क निर्माण

447. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कालीचरण सराफ)

(1) क्या यह सही है कि सरपंच की ढाणी, आगरा रोड, जयपुर में वन भूमि पर सड़क बना दी गई है? यदि हां, तो कब, किसके द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वन भूमि पर बिना अनुमति के सड़क नहीं बनाई जा सकती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच की ढाणी आगरा रोड जयपुर की पूर्वी सीमा से लगती हुई एक सड़क विद्यमान है। उक्त ग्रेवल रोड पर वर्ष 2008 में जे.डी.ए. ने डामरीकरण किया था तथा इसे राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक प.2(27) 1/2008 जयपुर दिनांक 1.12.2009 द्वारा रक्षित वन घोषित किया गया।

(2) जी हां। वर्णित सड़क इस भूमि के वन भूमि घोषित होने के पूर्व भी विद्यमान थी। इसलिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जमवारामगढ़ अभयारण्य ब्लाक डिगोता-61 का रेंज परियोजना परिवर्तन प्रकरण

448. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित जमवारामगढ़ अभयारण्य ब्लाक डिगोता-61 व रेंज रायसर को सरिस्का बाघ परियोजना बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में स्थित सभी गांवों के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा उक्त क्षेत्र को सरिस्का बाघ परियोजना में सम्मिलित करने का पुरजोर विरोध किया जा रहा है तथा इसके विरुद्ध सरकार को ज्ञापन भी दिए गए हैं? यदि हां, तो उक्त ज्ञापनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ब्लाक डिगोता-61 को सरिस्का बाघ परियोजना से हटाकर पुन: रेंज जमवारामगढ़ अभयारण्य में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के ब्लाक डिगोता-61 को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। किन्तु रेंज रायसर को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 38V(4)(ii) के अन्तर्गत एक्सपर्ट कमेटी एवं सम्बन्धित ग्राम सभा से परामर्श उपरान्त वन्यजीव प्रबन्धन के हितार्थ राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 6.7.2012 द्वारा सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र की जारी की गई विज्ञप्ति में इस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है।

(2) जी हां। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा ज्ञापन दिये गये हैं। प्राप्त ज्ञापन का परीक्षण करने पर स्थानीय लोगों की आशंकायें आधारहीन पायी गई हैं।

(3) जी नहीं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा बाघ परियोजना के बफर व कोर क्षेत्र को क्षेत्र निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में ही रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट की स्थापना

449. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2012-13 में कुपोषण से बचाने के लिए कितने बच्चों की डीवर्मिंग कराने का व फोलिक एसिड उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया था। इस हेतु कितनी राशि का प्रावधान था? उक्त में से कितनी राशि व्यय की गई? लक्ष्य के कितने प्रतिशत बच्चों की डीवर्मिंग अब तक करायी जा चुकी है व फोलिक एसिड उपलब्ध कराया जा चुका है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में अप्रैल 2012 से पूर्व 100 शैयाओं वाले कितने चिकित्सा संस्थानों में न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट स्थापित नहीं थी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के 100 शैयाओं वाले सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट की स्थापना की घोषणा

(श्री ओम बिरला)

की गई है? यदि हां, तो घोषणानुसार उक्त चिकित्सालयों में कितनी क्षमता की न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट स्थापित किये जाने थे तथा क्या उनके साथ शिशु रोग चिकित्सक व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी किया जाना प्रस्तावित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) घोषणा की अनुपालना में कितने चिकित्सा संस्थानों में उक्त यूनिट स्थापित कर दी गई व कितनों में अब तक नहीं की जा सकी? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2012-13 में बच्चों में डीवोर्मिग करान हेतु 1 करोड़ 36 लाख 95 हजार 946 बच्चों का लक्ष्य रखा गया जिसके विरुद्ध 1 करोड़ 14 लाख 89 हजार 373 उपलब्धि 83.9 प्रतिशत रही। (परिशिष्ट अ पर संलग्न है) एवं आबंटित राशि 2 करोड़ 65 लाख 10 हजार के विरुद्ध 2 करोड़ 39 लाख 80 हजार 905 की राशि व्यय की गई।

नियमित रूप से आयरन फोलिक एसिड की गोलियां व सिरप एनिमिया से बचाव व उपचार के लिये वितरित की जा रही है इस वर्ष फरवरी, 2013 तक कुल 94 लाख 61 हजार 177 लक्ष्य के विरुद्ध 80 लाख 81 हजार 665 बच्चों को आयरन फोलिक एसिड की खुराकें दी गयीं जो लक्ष्य का 85.4 प्रतिशत है। (जिलेवार सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है)। इस हेतु अलग से बजट जिलों को आबंटित नहीं किया गया है।

(2) राज्य मे अप्रैल 2012 से पूर्व 100 शैयाओं वाले सात चिकित्सा संस्थानों में न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट स्थापित नहीं थी। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त चिकित्सालयों में चार बैड की क्षमता की न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट स्थापित की गई है। इन न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स में एक चिकित्सक व चार पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(4) घोषणा की अनुपालना में सातों चिकित्सा संस्थानों में उक्त यूनिट स्थापित कर दी गई है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत व्यय राशि

450. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जिला उदयपुर को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मिशन के तहत जिला उदयपुर में अब तक कितने चिकित्सक व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई? विधान सभा क्षेत्रवार शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किये गये कर्मचारी/अधिकारियों का नाम व पदस्थापित स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार से उपलब्ध राशि में से वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक जिला उदयपुर को निम्नलिखित राशि उपलब्ध करवाई गई है :-

वित्तीय वर्ष	**उपलब्ध राशि (राशि रुपये लाखों में)**
2008-09	3196.32
2009-10	3278.86
2010-11	4095.11
2011-12	4758.83

(2) उक्त राशि में से जिला उदयपुर द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	**व्यय (राशि रुपये लाखों में)**
2008-09	2913.00
2009-10	3813.72
2010-11	4475.08
2011-12	4151.66

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) एनआरएचएम के तहत जिला उदयपुर में वर्ष 2009 से फरवरी 2012 तक 10 विशेषज्ञ चिकित्सक (समस्त ग्रामीण क्षेत्र में) 8 एलौपेथी चिकित्सा अधिकारी (समस्त ग्रामीण क्षेत्र में) एवं 439 आयुष चिकित्सक/कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदस्थापन स्थान तथा नियुक्ति स्थान का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन के चिकित्सालयों में रिक्त पद

451. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के चिकित्सालयों में चिकित्सक, कम्पाउण्डर, ए.एन.एम. व जी.एन.एम. के कितने पद कब से रिक्त हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, नर्स श्रेणी प्रथम/द्वितीय (कम्पाउण्डर), महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं जीएनएम के रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा उपरान्त उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है जिसकी वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त सूची में से

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदो को भरने हेतु दिनांक 19.02.2013 को विज्ञप्ति का प्रकाशन कर दिनांक 01.03.2013 से आनलाइन आवेदन चाहे गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नेत्र सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

452. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में बजट 2012 में नेत्र सहायक के 210 रिक्त पदों पर नई नियुक्ति करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही कर दी गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कर दी जायेगी?

(2) उक्त 210 रिक्त पद कहां-कहां सृजित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नेत्र सहायकों के रिक्त पदों को भरने हेतु नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके क्रम में दिनांक 19.02.2013 को विज्ञप्ति का प्रकाशन कर दिनांक 01.03.2013 से आनलाइन आवेदन चाहे गये हैं।

(2) चिकित्सा संस्थान जिनमें 210 नेत्र सहायक के पद सृजित किये गये हैं उनकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गई)

चाकसू (जयपुर) के चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

453. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार चाकसू कस्बे में संचालित चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कस्बा चाकसू में 30 शैयाओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के आधार पर चिकित्सालय को क्रमोन्नत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

बारां व पाली जिलों के चिकित्सा अधिकारियों के लम्बित ए.सी.पी. प्रकरण

454. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) व **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (अन्ता–बारां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पदस्थापित चिकित्सा अधिकारियों की दस, बीस एवं तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बारां व पाली में वर्ष जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2011 तक के किन-किन चिकित्सा अधिकारियों के ए.सी.पी. प्रकरण अभी तक भी लम्बित चल रहे हैं तथा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब जिला-बारां व पाली के चिकित्सा अधिकारियों के लम्बित ए.सी.पी. प्रकरणों का निपटारा कर आगामी वेतन वृद्धि की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.2008 एवं दिनांक 06.10.2008 तथा दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में दस, बीस एवं तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एसीपी स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला बारां व पाली में जनवरी, 2009 से दिसम्बर 2011 तक की अवधि में चिकित्सकों के बकाया ए.सी.पी. प्रकरण का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रकरणों का परीक्षण कर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों का रोजगार प्रकरण

455. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, शहरी निर्धन परिवार रोजगार योजना एवं रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 31 जनवरी, 2012 तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया? प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया एवं प्रशिक्षणार्थियों को कितना शुल्क देना पड़ा तथा किस माह में कितना नियोजन दिया गया?

(2) कितने प्रशिक्षणार्थियों को नियोजन मिल गया है एवं कितने प्रतीक्षारत हैं व नियोजित प्रशिक्षणार्थियों को न्यूनतम एवं अधिकतम कितना वेतन दिया गया?

(3) नियोजित प्रशिक्षणार्थियों को अल्पकालीन नियोजन के बाद सेवा से पृथक नहीं किया जाये, इसका अन्वेक्षण करने की क्या व्यवस्था की गई है?

(4) नियोजित प्रशिक्षणार्थियों में से 6 माह बाद भी उस फर्म में कितने प्रशिक्षणार्थी सेवारत हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह तीनों योजनाऐं वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में घोषित की गई हैं। प्रक्रियाधीन रहते हुये राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से माह फरवरी 2013 तक 7056 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु 9.94 करोड रुपये स्वीकृत किये गये हैं, जिनमे से रुपये 4.77 करोड़ का व्यय किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रुपये 30.34 लाख रुपये की राशि की शुल्क देना पड़ा है।

इन प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन का माह वार विवरण परिशिष्ट-क पर सलंग्न है।

(2) यह तीनों योजनाएं वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में घोषित की गई है। अत: 31 जनवरी 2012 तक अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर था।

बजट घोषणा के पश्चात योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया। माह फरवरी, 2013 तक की सूचना के अनुसार 3714 प्रशिक्षणार्थियों को नियोजन मिल गया है। 3342 प्रशिक्षणार्थी प्रतीक्षारत हैं। नियोजित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की वेतन रेन्ज परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(3) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 36 एजेन्सियों के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण के उपरान्त 3 माह के भीतर प्रशिक्षणार्थियों को 4 माह अथवा अधिक समय तक समुचित रोजगार दिलवाने पर प्रशिक्षण प्रदाताओं को रुपये 1000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से तथा शहरी बी.पी.एल. एवं ग्रामीण गरीब वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को 8 माह अथवा अधिक समय तक समुचित रोजगार दिलवाने पर रुपये 2000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा गया है। यदि उपरोक्तानुसार नियोजन नहीं दिलवाया जाता है तो प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी। निगम की यह मान्यता है कि प्रशिक्षण तथा रोजगार की उपरोकत अवधि के उपरान्त प्रशिक्षणार्थी में नियोजन के प्रति समुचित समझ विकसित हो सकेगी एवं वह स्वयं ही अपने रोजगार की निरन्तरता को सुनिश्चित रखने में सक्षम हो जावेगा। इस अवधि के उपरान्त अन्वेक्षण हेतु सहमति पत्र में पृथक से कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(4) चूंकि प्रशिक्षणार्थियों की नियोजन प्रक्रिया माह नवम्बर 2012 से प्रारम्भ हुई है। अत: नियोजित किये गये प्रशिक्षणार्थियों को नियोजन के बाद 6 माह का समय व्यतीत होना शेष है।

परिशिष्ट 'क'

नियोजित प्रशिक्षणार्थियों की माहवार सूचना

माह	**नियोजित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या**
नवम्बर, 2012	24
दिसम्बर, 2012	664
जनवरी, 2013	1428
फरवरी, 2013	1598
कुल योग	**3714**

परिशिष्ट 'ख'

नियोजित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की वेतन रेन्ज

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	**वेतन रेन्ज (रुपये)**
68	3500/- से कम
158	3501/- से 4000/-
1033	4001/- से 5000/-

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	वेतन रेन्ज (रुपये)
1352	5001/- से 6000/-
436	6001/- से 7000/-
412	7001/- से 8000/-
255	8001/- से अधिक
कुल 3714	

सलूम्बर की प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाएं

456. श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कौन-कौनसी सिंचाई परियोजनाएं कब-कब से संचालित हैं? उक्त परियोजनाएं कितने-कितने क्षेत्र को लाभान्वित कर रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र के लिए कोई नई सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कौनसी एवं कितनी लागत की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में स्थित सिंचाई परियोजनाएं, उनके निर्माण वर्ष एवं सिंचित क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस विधान सभा क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई हेतु देवेन्द्र एनीकट कम पिक-अप-वियर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत 43.00 करोड़ रुपये है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण दिनांक 06.03.2013 में उक्त एनिकट का वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की घोषणा की है।

परिशिष्ट–अ

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में स्थित सिंचाई परियोजनाएं, उनके निर्माण वर्ष एवं सिंचित क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	सिंचाई परियोजना का नाम	निर्माण वर्ष	पूर्ण भराव क्षमता (एम.सी.एफ.टी. में)	सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	जयसमन्द	1711	14654.27	16000.00

क्र. सं.	सिंचाई परियोजना का नाम	निर्माण वर्ष	पूर्ण भराव क्षमता (एम.सी.एफ.टी. में)	सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
2	दाया	1980	437.26	1894.00
3	केजर	1955	223.93	688.00
4	हरचन्द	1956	271.96	966.00
5	चावण्ड	1955	104.90	359.00
6	अडवास	1972	83.00	466.00
7	सेमारी	1967	99.96	678.00
8	सलूम्बर	Old Jagir Tank	30.02	पेयजल हेतु आरक्षित
9	मालपुर	1963	43.09	210.00
10	सरवरिया	1980	14.48	75.00
11	केसर सागर	1983	60.04	348.00
12	बन्डोरा	1967	169.18	979.00
13	केरपुरा	1984-85	6.88	34.42
14	पीलादर	1959-60	24.30	60.71
15	बडगारी	1961-62	20.00	79.73
16	लालर	1961-62	19.50	80.94
17	सुरखण्डखेडा	Old Jagir Tank	19.50	56.66
18	बलुआ	1961-62	33.15	78.92
19	भौराव	1983-84	2.05	8.09
20	कातनवाडा	2005-06	11.84	66.37
21	नथारा	2005-06	20.15	69.00
22	डेलवास	1972-73	35.93	162.28
23	श्यामपुरा	2005-06	36.67	149.00
24	गुडेल	1965	41.74	249.65
25	मुडली	1967	60.00	279.65

कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के निर्माण हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

457. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2008 तक कुल कितनी राशि आबंटित हुई तथा कितनी राशि व्यय हुई? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(2) दिसम्बर, 2008 से 31 जनवरी, 2013 तक कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के निर्माण के लिए कुल कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल सहित राज्य में कुल कितना सिंचित क्षेत्र प्रस्तावित था तथा वर्तमान में कुल कितना क्षेत्र कितने वाटर एलाउन्स से सिंचित हो रहा है?

(4) क्या यह सही है कि तारानगर में कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के एक खण्ड को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है? यदि हां, तो क्यों व कब?

उत्तर

(1) बजट का आबंटन वित्तीय वर्ष के अनुसार किया जाता है। कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के निर्माण के लिए (स्टाफ वेतन राशि सहित) वर्ष 2003-04 से वर्ष 2008-09 तक आबंटित राशि एवं व्यय राशि निम्न प्रकार है-

वर्ष	**आबंटित राशि (लाखों में)**	**व्यय राशि (लाखों में)**
2003-04 से 2008-09	16817.99	16625.17

(2) कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के निर्माण के लिए वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 तक कुल 6930.81 लाख रुपये की राशि आबंटित हुई तथा इस अवधि में (माह फरवरी 2013 तक) 6396.56 लाख रुपये की राशि व्यय हुई। वर्षवार सूची निम्न प्रकार है-

वर्ष	**आबंटित राशि (लाखों में)**	**व्यय राशि (लाखों में)**
2009-10	2465.43	2503.92
2010-11	1120.11	1118.73
2011-12	1594.83	1567.71
2012-13	1750.44	1206.20 (माह फरवरी 2013 तक)
कुल योग	**6930.81**	**6396.56**

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

(3) इस सम्भाग के अधीन कार्य क्षेत्र में कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल सहित प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र तथा वर्तमान सिंचित क्षेत्र एवं वाटर एलाउन्स निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	खोला गया सिंचित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	वास्तविक सिंचाई आंकड़े (वर्ष 2011-12) (लाख हैक्टेयर में)	वाटर एलाउन्स (क्यूसेक/ 1000 एकड़)
1	प्रथम चरण (फ्लो क्षेत्र)	4.840	4.840	6.888	5.23
2	प्रथम चरण (लिफ्ट क्षेत्र)	0.620	0.620	0.460	3.00
3	द्वितीय चरण (फ्लो क्षेत्र)	7.235	7.235	2.883	3.00
4	द्वितीय चरण (लिफ्ट क्षेत्र)	3.475	3.284	0.198	2.00

(4) जी नहीं । यह सही नहीं है कि तारानगर में कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के एक खण्ड को स्थानान्तरित किया गया। लेकिन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(45)इंगानम/2009 दिनांक 23-03-2010 के द्वारा तारानगर से एक उपखण्ड को रेगुलेशन कार्य के लिए जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानान्तरित किया गया।

इन्दिरा गांधी नहर की रावतसर ब्रांच से तारानगर एवं चूरू को जलापूर्ति

458. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर की रावतसर ब्रांच से तारानगर एवं चूरू के काश्तकारों को कृषि एवं पीने के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है? यदि हां, तो उसकी कितनी लम्बाई है?

(2) क्या वर्तमान में उक्त ब्रांच की सफाई (घास उगना) नहीं होने से

(श्री आदराम मेघवाल)

एवं नहर की मरम्मत नहीं होने की स्थिति में काश्तकारों को खेती के उपयोगार्थ पर्याप्त पानी नहीं मिलता है?

(3) क्या सरकार अब साहवा लिफ्ट से तारानगर एवं चूरू को पीने का पानी सप्लाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार उक्त समस्या का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि रावतसर ब्रांच की रावतसर वितरिका के तारानगर व चूरू के वासियों को पेयजल हेतु 54 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन कृषि के लिए आपूर्ति रावतसर वितरिका से नहीं की जाती है। रावतसर वितरिका की 97 बुर्जी पर गन्धेली हैड से बिरकाली माइनर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। अत: रावतसर वितरिका की बिरकाली नहर के माध्यम से इसे पेयजल की आपूर्ति होती है।

(2) यह सही है कि रावतसर ब्रांच वितरिका की सफाई व घास, जाला व बीड आदि की सफाई नहीं होने से व सिल्ट व बर्म क्लीयेरेन्स नहीं होने से इस प्रणाली के टेल पर पड़ने वाली काश्तकारों को अधिकृत मात्रा में सिंचाई पानी नहीं मिल पाता है।

(3) जी नहीं। रावतसर ब्रांच से तारानगर एवं चूरू के काश्तकारों को आपूर्ति किए जा रहे पीने के पानी को साहवा लिफ्ट से पीने का पानी सप्लाई करने की कोई कार्य योजना इस विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(4) वर्ष 2013-14 में उक्त ब्रांच की सफाई एवं मरम्मत का निराकरण किया जाना प्रस्तावित है।

श्रीगंगानगर जिले के अग्निकाण्ड पीड़ितों को सहायता राशि

459. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अग्निकाण्ड सहायता के लिए मानदण्ड/नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्ड/नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला श्रीगंगानगर में गत तीन वर्षों में कितने अग्निकाण्ड कहां-

(श्री दौलतराज समेजा)

कहां हुए और उनमें कितनी सहायता किस-किस व्यक्ति को दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के अग्निकाण्ड में सहायता देने के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो किस-किस अग्निकाण्ड में सहायता देने के प्रकरण लम्बित हैं और अब कब तक पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अग्निकाण्ड में स्वीकृत राशि वास्तविक नुकसान की अपेक्षा काफी कम होती है? क्या सरकार अग्निकाण्ड में देय सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) गत तीन वित वर्षो में हुए अग्निकाण्डों एवं उनमें एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ मानदण्डानुसार दी गई सहायता का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) श्रीगंगानगर में उक्त तीन वित वर्षो में अग्निकाण्ड हेतु सहायता दिये जाने का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(4) सहायता राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ मानदण्डानुसार दी जाती है, जिसे बढ़ाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कार्य-योजना

460. सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में राज्य में कितने-कितने देशी-विदेशी पर्यटक आये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है? यदि हां, तो क्यों?

(सुश्री सिद्धिकुमारी)

(3) गत तीन वर्षों में बीकानेर जिले में कितने-कितने देशी-विदेशी पर्यटक आये? सरकार की बीकानेर में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में राज्य में आये देशी और विदेशी पर्यटक का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	देशी	विदेशी	योग
2010	25543877	1278523	26822400
2011	27137323	1351974	28489297
2012	28611831	1451370	30063201

(2) जी नहीं।

(3) गत तीन वर्षो में बीकानेर में आये देशी और विदेशी पर्यटक का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	देशी	विदेशी	योग
2010	275191	74508	349699
2011	277546	74820	352366
2012	324988	76497	401485

राज्य में पर्यटक आवास सुविधा में वृद्धि, रोजगार के सृजन एवं विनियोजन के महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पर्यटन इकाई नीति-2007 के तहत पर्यटन इकाई बनाने हेतु भूमि सम्परिवर्तन एवं विकास शुल्क में सौ प्रतिशत छूट का प्रावधान है। उद्योग विभाग की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2010 के तहत औद्योगिक इकाइयों को दी जा रही रियायतें पर्यटन इकाइयों को उपलब्ध हैं, इसमें लग्जरी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, मनोरंजन कर, विद्युत कर, ऋण ब्याज पर अनुदान आदि छूटें उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त बीकानेर में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट घोषणा अन्तर्गत बीकानेर में हैरिटेज वाक विकसित

(पर्यटन मंत्री)

करने हेतु राशि रु. 50 लाख एवं ग्रामीण पर्यटन योजनान्तर्गत बीकानेर में लाडेरा में राशि रु. 50.00 लाख के पर्यटन विकास कार्य करवाये जा रहे हैं तथा बीकानेर में प्रतिवर्ष ऊट उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

जयपुर जिले में अल्पाहार/पोषाहार वितरण पर व्यय राशि

461. डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाल विकास परियोजना अधिकारी जयपुर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ द्वारा एक जनवरी 2011 से दिसम्बर 2012 तक कब-कब कौन-कौन सा पोषाहार तथा अल्पाहार कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन फर्मों से प्राप्त किया? फर्म की बिल्टी बिल आदि की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्बन्धित फर्मों को पोषाहार व अल्पाहार का कब-कब कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 01 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2012 तक कब-कब कौन-कौनसा पोषाहार व अल्पाहार कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करवाया गया? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) एक जनवरी, 2011 से 15 दिसम्बर, 2012 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करवाये गये पोषाहार तथा अल्पाहार कितने-कितने बालक, बालिकाओं, किशोरी, बालिकाओं तथा गर्भवती महिला व धात्री माता को कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया? माह तथा केन्द्र वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीयकृत पोषाहार व्यवस्था के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी जयपुर द्वितीय, तृतीय एंव चतुर्थ को एक जनवरी 2011 से दिसम्बर 2012 तक आपूर्ति किये गये पोषाहार की मात्रा एवं बिल परिशिष्ट 'अ' पर एवं परियोजनावार विकेन्द्रीकृत वितरित पोषाहार की मात्रा एवं एफ वी सी बिल परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है ।

(2) केन्द्रीयकृत पोषाहार वितरण के तहत फर्मों को किये गये भुगतान

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं विकेन्द्रीकृत पोषाहार वितरण के तहत किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'ब' मे ही समाहित है।

(3) एक जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2012 तक परियोजनावार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित पोषाहार का केन्द्र वार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है ।

(4) एक जनवरी, 2011 से 15 दिसम्बर, 2012 तक परियोजनावार आंगनबाड़ी केन्द्रो को उपलब्ध करवाये गये पोषाहार तथा अल्पाहार के लाभान्वितों का आंगनबाड़ी केन्द्र वार एवं माह वार विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर के बन्द छात्रावास का पुनःसंचालन

462. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर में संचालित राजकीय छात्रावास बंद कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त छात्रावास भवन की मरम्मत कराकर पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर में संचालित राजकीय छात्रावास को अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा असुरक्षित घोषित किये जाने के कारण बन्द कर दिया गया है।

(2) इस बाबत प्राचार्य को सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्पर्क कर विवरण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। अगर भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार मरम्मत योग्य हुआ, तो इस बाबत बजट प्राप्त करने एवं मरम्मत कराने की कार्यवाही की जावेगी।

निजी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय की स्थापना हेतु आबंटित निःशुल्क भूमि

463. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) निजी जन सहभागिता योजना के तहत अब तक महाविद्यालय खोलने हेतु किन-किन समूहों को विगत पांच वर्षों में नि:शुल्क भूमि आबंटित की गयी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समूहों को जमीन किन-किन शर्तों पर कितने समय के लिए आबंटित की गयी है? समूहों के साथ किये गये एमओयू की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समूहों द्वारा कहां-कहां पर महाविद्यालयों का संचालन प्रारम्भ कर दिया तथा कितने समूहों ने अभी तक इसको प्रारम्भ नहीं किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त समूहों को कालेज प्रारम्भ करने के लिए कितनी-कितनी राशि सरकार द्वारा आबंटित की गयी? जिलेवार समूह का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निजी जन सहभागिता योजना के तहत अब तक महाविद्यालय खोलने हेतु विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में किसी भी समूह को नि:शुल्क भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर निजी सहभागिता से महिला महाविद्यालय संचालित करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रारम्भ हो चुका है। 13 समूहों का और चयन कर लिया गया है व एमओयू की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) राज्य सरकार द्वारा अभी तक किसी भी समूह को कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

भीम के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्वीकृति

464. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार भीम विधान सभा क्षेत्र के स्नातक स्तर के विद्यार्थियों हेतु राजकीय महाविद्यालय, भीम में कला संकाय के साथ-साथ विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे ।

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय महाविद्यालय, भीम में कला संकाय के साथ-साथ विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोला जाना अभी प्रस्तावित नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2013)

प्रदेश में गिरते लिंगानुपात की रोक हेतु कार्य-योजना

193. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में लिंगानुपात की दृष्टि से वर्ष 2011 में महिलाओं की संख्या 954 के मुकाबले 883 हो गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में विशेषकर शहरों में लिंग परीक्षण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्याओं में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जनगणना 2011 के प्राप्त परिणामों के आधार पर राज्य में लिंगानुपात वर्ष 2011 में 926 (महिलाएं प्रति हजार पुरुष) हैं जिसमें जनगणना 2001 के 921 की तुलना में 5 अंक की बढ़ोतरी हुई है। जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल लिंगानुपात में वृद्धि एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, राज्य में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों की वस्तुस्थिति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 346 की सूची)

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के अधीन आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटकासिम में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत/ पदस्थापित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	-	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	-	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	1	-	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	-	1
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ)	1	-	1
चिकित्सा अधिकारी	2	2	-
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	-	1
नर्स श्रेणी – प्रथम	1	1	-
नर्स श्रेणी – द्वितीय	4	4	-
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	-
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	2	-
लैब टैक्नीशियन	2	2	-
सहायक रेडियोग्राफर	1	1	-
फार्मासिस्ट	1	1	-
वरिष्ठ लिपिक	1	-	1
कनिष्ठ लिपिक	1	1	-
वार्डबाय	1	1	-
सफाई कर्मचारी	1	-	1
कुल योग	**25**	**16**	**9**

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये

बूंदी बिजोलिया-नैनवां-लाखेरी रोड पर बाइपास निर्माण कराने बाबत

मेरे विधान सभा क्षेत्र बून्दी में बूंदी-बिजोलिया-नैनवां-लाखेरी रोड जो राजकीय राजमार्ग 29 है बून्दी शहर से होकर निकलता है जहां पर काफी भीड़-भाड़ तथा शहरी ट्रैफिक का दबाव है तथा स्कूल कोलेज के छात्रों का आवागमन रहता है जिससे इस रूट के साधनों के कारण आये दिन शहर में दुर्घटनाओं का अंदेशा रहता है तथा जाम के हालात रहते हैं। इस रूट पर लाखेरी में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के बड़े वाहन निकलते हैं जिनके कारण जाम के हालात बनते हैं। बूंदी शहर में इस रूट पर कोई बाइपास नहीं होने के कारण बड़ी परेशानियां रहती हैं।

यदि इस रूट पर बूंदी में एक बाइपास इस तरह से निकाला जाता है जो कि नई कृषि मण्डी जो कि दोलाड़ा में निर्माणाधीन है, को जोड़ता हुआ हो, तो शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जावेगा तथा दुर्घटनाओं तथा जाम के हालात से बचा जा सकेगा। यह इस क्षेत्र की अति गम्भीर समस्या है।

अशोक डागरा

(बूंदी)

जोधपुर हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय दर्जा देने व वायु सेना हवाई अड्डा अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक के दौरान जोधपुर सांसद एवं केन्द्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्रीमती चन्द्रेश कुमारी से आग्रह किया कि वर्तमान एयरपोर्ट का ही विस्तार कर इसे अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जावे। चूंकि यह आमजन के लिए सुविधाजनक एवं नजदीक क्षेत्र में स्थित है और इस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी पोइन्ट आफ व्यू को मध्य–नजर रखने के साथ अन्य समस्त सुविधाओं से सुसज्जित, जिसमें वीवीआईपी लांज एवं वीआईपी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए आधुनिक सुविधाओं

इत्यादि का खर्चा जो केन्द्रीय एवं राज्य सरकार ने किया है, उससे कहीं अधिक खर्चा पुन: नए सिविल एयरपोर्ट को बनाने की कवायद में किया जावेगा जो केन्द्रीय सरकार पर वित्तीय भार है। वायु सेना के हवाई अड्डे में इतना कुछ इंजामात करने की आवश्यकता नहीं है उसमें हर्जा खर्चा भी कम लगेगा। लिहाजा वायु सेना हवाई अड्डे को किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करना उचित होगा।

मेरा मानना है कि सिविल एयरपोर्ट को अन्यत्र किसी दूरस्थ इलाके में स्थापित किया जाता है तो आमजन को यातायात की असुविधा के साथ ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। साथ ही वीवीआईपी विजिट्स के दौरान जिला एवं पुलिस प्रशासन को काफी मांगों को उनकी सुरक्षा के लिए बन्द किया जावेगा जिससे आमजन के साथ जिला प्रशासन को भी भारी दुविधा रहेगी।

वायुसेना में भारवाहक विमान, लड़ाकू विमान, एवं वायुसैनिकों को ट्रेनिंग के लिए उपयोग में लिये जाने वाले विमानों का दिनभर आवागमन रहता है इससे इस एरिया में रहने वाली बस्तियों को ध्वनि प्रदूषण के साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा होता है। कई बार सैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। इस एरिया के आस-पास सटी अनेकों बस्तियों में यह खतरा हमेशा मंडराता रहता है। ऐसी स्थिति में उक्त समस्याओं को मध्य-नजर रखते हुए भी वायु सेना एयरपोर्ट को ही अन्य जगह स्थानान्तरित करना उचित होगा। ऐसा करने से अन्य कई कम्पनियों तथा अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों की विमान सेवा जोधपुर में और आ सकेगी जिससे दूरस्थ इलाकों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए और अधिक सुविधा मिल सकेगी।

पूर्व में उक्त एयरपोर्ट सिविल एयरपोर्ट ही था परन्तु उस वक्त किसी अन्य जगह एयरपोर्ट स्थापित नहीं होने के कारण देश की सुरक्षा को मध्य-नजर रखते हुए उक्त सिविल एयरपोर्ट को भारतीय रक्षा विभाग को हस्तानान्तरण कर दिया था। उस समय जोधपुर हवाई यात्रा से जुडा हुआ हीं नहीं था। एयरलाइन्स की कोई उड़ान यहां से नहीं जाती थी। उस वक्त वहां पर कोई बस्तियां नहीं बसी थी परन्तु आज की स्थिति को देखते हुए यहां पर वायु सेना एयरपोर्ट स्थापित करना किसी खतरे से खाली नहीं है।

कैलाश चन्द भंसाली

(जोधपुर)

झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कालेज के अराजपत्रित कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया नियम 295 विशेष उल्लेख के जरिये में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2008 में स्थापित झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कालेज की स्थापना के समय कालेज को संचालित करने हेतु राजकीय सोसायटी बनाकर लगभग 550 अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी तभी से ये कर्मचारी मेडिकल कालेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उक्त मेडिकल कालेज का एमसीआई द्वारा 5 निरीक्षण पूर्ण कर लिये हैं तथा कालेज लगातार सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। कालेज के उक्त कर्मचारियों को नियुक्ति के समय पी.एच.एस. द्वारा आश्वत किया था कि उन्हें नियमित कर दिया जावेगा। उक्त कर्मचारियों को पांच वर्षों के उपरान्त भी सरकार द्वारा नियमित नहीं किया गया है। उक्त कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उक्त कर्मचारियों में से अधिकांश अब राज्य कर्मचारी हेतु निर्धारित आयु पारकर चुके हैं। उनको अपना भविष्य अंधकारमय महसूस हो रहा है। उक्त मेडिकल कालेज के उक्त कर्मचारियों को अन्य मेडिकल कालेज के कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा उन्हें नियमित कि जाने की मांग की जा रही है, ज्ञापन दिये जा रहे हैं किन्तु अभी तक सरकार द्वारा किसी भी प्रकार भी कोई आश्वासन नहीं दिया, ना ही कोई कार्यवाही की है।

अत: सैकड़ों परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों को नियमित कर दो वर्षों को परीवीक्षा में सम्मिलित करते हुए राज्य कर्मचारियों का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिये।

मैं उक्त विषय पर प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर रहा हूं।

अनिल जैन

(खानपुर)

सोजत विधान सभा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार कराने बाबत

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है। यहां

पर 70-80 प्रतिशत लोगों का जीवनयापन कृषि पर निर्भर है। हिन्दुस्तान में किसानों को अपनी फसल का उचित मुआवजा मिले, कम ब्याज पर सहकारी समिति, कार्पोरेटिव बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि में किसानों को अपनी फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिये उचित मुआवजा मिले। इसके लिये सरकार द्वारा मौसम आधारित बीमा व प्राकृतिक आपदा प्रबंधन बनाया गया है।

सोजत विधान सभा क्षेत्र मेहन्दी के लिये विश्वविख्यात है। यहां का प्रमुख व्यवसाय मेहन्दी और खेती पर निर्भर है। मेरे क्षेत्र के आर.आई. सर्कल, चाड़वास, शिवपुरा, बगड़ी, सोजत, कुशालपुरा, अटबडा, पीपलिया, रायपुर, बिराटियाकलां व पचास पंचायतों वव सोजत शहर में काश्तकारों द्वारा रबी की फसलें जैसे- गेहूं, सरसों, राई, जीरा, तारामीरा, चना, ईसबगोल, जौ, मैथी व मेहन्दी की फसलों की बुवाई की गई, जो हमारे किसानों के चेहरों की मुस्कान थी। विडम्बना यह है कि विगत दिनों हुए ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं शीतलहर से उक्त फसलों का 60 से 70 प्रतिशत नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद भी प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर जाकर यथास्थिति नहीं जानी। पिछले महीनों पाली जिले व सोजत विधान सभा क्षेत्र में किसानों की खरीफ की फसलों का काफी नुकसान हुआ था। सदन में बार-बार अवगत कराने के बावजूद भी, उक्त जिले को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे वे आहत हुए।

मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि हाल ही में हुए प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को रबी की फसलों के हुए नुकसान का मौके पर जाकर पटवारी, तहसीलदार, बी.डी.ओ. को भेजकर अतिशीघ्र मौका स्थिति की रिपोर्ट बनाने हेतु पाबन्द करें। इसके लिये, जिला पाली व सोजत विधान सभा क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित करावें, ताकि छोटे-बड़े सभी काश्तकारों को फसल नुकसान का उचित मुआवजा मिले, कोई भी लघु काश्तकार इससे वंचित नहीं रहे, इसके लिये मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि काश्तकारों को नुकसान के आंकलन के आधार पर मुआवजा का भुगतान किया जावे, ना कि किसी निश्चित प्रतिशत के आधार पर।

संजना आगरी

(सोजत)

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 में वर्ष 2008 में किये गये संशोधनों के सम्बन्ध में

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं इस प्रस्ताव के जरिये पशुपालन विभाग राजस्थान द्वारा राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 में वर्ष 2008 में संशोधन करते हुए विशिष्ट शाखा में पदोन्नत करने हेतु इन संशोधनों को दिनांक 01/04/2001 से लागू माना है। जो कि सामान्य शाखा के अधिकारी के पदोन्नति के अवसर को छीनते हुए इन अधिकारियों को लगभग 07 वर्ष का Retrospective Loss हुआ है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

उपरोक्त संशोधनों में विशिष्ट शाखा में मात्र दो स्नातकोत्तर विषय माइक्रोबायोलोजी एवं पैथोलोजी को ही सम्मिलित किया गया, जबकि विभाग को अन्य विषयों में भी स्नातकोत्तर विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जिससे कि पशुपालकों को विशिष्ट सेवा का सीधा लाभ मिल सके।

उपरोक्त संशोधन मात्र कुछ कृपा पात्र अधिकारियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से किये गये हैं जिनका लाभ भी उनको Retrospective दिया गया है।

विभाग द्वारा विशिष्ट शाखा में पशु चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 12/02/2013 को की गई विभागीय पदोन्नत अधिकारी विशिष्ट शाखा अन्तर्गत पदों पर न तो पूर्व से कार्यरत थे और न ही उनको पदोन्नति पश्चात विशिष्ट शाखा अन्तर्गत पदों पर पदस्थापित किया गया, जिससे कि यह स्पष्ट है कि विभाग को शायद विशिष्ट शाखा के पदों पर इन अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। जिन पदों के लिए विशिष्ट शाखा अन्तर्गत पदोन्नति की गई है, उन पदों पर आज भी सामान्य शाखा के अधिकारी विगत कई वर्षों से कार्यरत हैं एवं पूर्णतया काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं। अत: विशिष्ट शाखा में पदोन्नति का कोई अर्थ नहीं है।

यहां यह अति आवश्यकता है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर विभागीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के अवसरों को समान रूप से प्रदान करने हेतु राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 एवं संशोधन

2008 को पुन: परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है, एवं कर्मचारी हित में नये संशोधन किये जाने अपेक्षित हैं। जो कि संशोधन पश्चात ही प्रभावी माने जावे, तब तक प्रचलित नियमों के आधार पर कोई भी पदोन्नति नहीं दिये जावे। क्योंकि उपरोक्त संशोधित नियमों के अन्तर्गत किये गये पदोन्नति से विभाग में कार्यरत मात्र 5 प्रतिशत से कम अधिकारियों को ही इसका लाभ मिल रहा है जबकि 95 प्रतिशत से अधिक कार्यरत अधिकारियों को इन नियमों से नुकसान हो रहा है।

बनवारी लाल सिंघल

(अलवर शहर)

जयपुर की स्टेशन रोड पर विशेष ध्यान दिये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

माननीय मुख्य मंत्रीजी जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यह बड़ी खुशी की बात है, महोदय स्टेशन रोड, जयपुर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, हार्टलिंक है। रोजाना हजारों की तादाद में लोगों को सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड से रेलवे स्टेशन तक आवागमन करना पड़ता है। आवागमन करने वालों में सभी प्रदेशों के लोग एवं विदेशी पर्यटक शामिल हैं। परन्तु ज्यों ही रेलवे स्टेशन अथवा बस स्टैण्ड से बाहर मुख्य सड़क पर आते हैं तो वहां की टूटी हुई सड़कों, उफान खा रही सीवरेज लाइनों, प्राइवेट बसों की मनमानी पार्किंग से जाम की स्थिति से रूबरू होना पड़ता है। जिसके कारण वर्ल्ड क्लास सिटी गुलाबी नगरी की किस प्रकार की छवि उनके दिमाग में उभरती होगी? यह सोचनीय विषय है।

अत: महोदय जी निवेदन है कि स्टेशन रोड, जयपुर पर विशेष ध्यान दिया जाकर सुधार किया जाना चाहिए ताकि अन्य प्रदेशों एवं विदेशी पर्यटकों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके।

राजकुमार रिणवां

(रतनगढ़)

जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 को चार लाइन बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में

भारत सरकार के नई दिल्ली में स्थित कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग व यातायात विभाग के अनुभाग अधिकारी (पी-2) के पत्र दिनांक 06 जुलाई, 2010 द्वारा विभागीय वार्षिक प्लान 2010-11 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 जोधपुर-पोकरण सड़क नवीनीकरण वर्ष 2008 के लिये किमी 45 व सड़क नवीनीकरण वर्ष 2004 किमी 46 से किमी 53 तक (ग्राम आगोलाई) एवं सड़क नवीनीकरण वर्ष 2008 में किसी 59 व वर्ष 2004 में सड़क नवीनीकरण किमी 60 से किमी 69 तक सड़क का पुन: नवीनीकरण हेतु राशि 16 करोड़ एवं किमी 69 से किमी 75 तक चार लाइन सड़क निर्माण कार्य हेतु राशि 14 करोड़ स्वीकृत किया गया, परन्तु विभागीय अधिकारियों की अनदेखी एवं लापरवाही के कारण उक्त सड़क मार्ग नवीनीकरण कार्य नहीं हो पाया, जबकि इसी वार्षिक प्लान में सम्मिलित सड़क किमी 129 से 140 व किमी 153 से 176.5 तक सड़क का नवीनीकरण कार्य आदेश कर दिया गया।

जोधपुर-बालेसर राष्ट्रीय राजमार्ग-114 पर स्थित ग्राम बम्बोर से फलौदी फांटा तक राष्ट्रीय राजमार्ग का रख-रखाव करने वाले अधिकारियों की अनदेखी एवं लापरवाही के कारण मुख्य सड़क पर जगह-जगह गड्ढो के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने से उपखण्ड शेरगढ़ के इतिहास में पहली बार 50 से अधिक दुर्घटना हुई हैं जिसमें करीबन 30 व्यक्तियों की मृत्यु व 200 से अधिक व्यक्ति घायल हुए हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में बालेसर थानाधिकारियों द्वारा सड़क हादसों में कमी लाने हेतु उपखण्ड न्यायालय शेरगढ़ में जनहित में अपील भी दायर की गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 सड़क जो कि जोधपुर से बालेसर-पोकरण-रामदेवरा होते हुए जैसलमेर को जाती है, इन सड़क पर अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यटकों का अधिक आवागमन रहता है और वर्तमान में विश्व के मानचित्र पर भी जैसलमेर अपना स्थान बना चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण आर्मी (मिलट्री) व बी.एस.एफ. के भारी वाहनों की गतिविधिया भी निरन्तर इसी मार्ग पर रहती हैं। विभागीय वार्षिक प्लान 2010-11 में स्वीकृति अनुसार नवीनीकरण कार्य नहीं करवाये जाने के कारण जगह-जगह खड्डों के कारण 70 प्रतिशत सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण उक्त मार्ग पर घटिया पेच वर्क करने के 15 दिन पश्चात सडक पुन: क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है।

अत: उक्त वर्णित तथ्यों पर गौर फरमाते हुए राष्टीय राजमार्ग सं. 114 जोधपुर-पोकरण सड़क नवीनीकरण वर्ष 2010 में किमी 45 व सड़क

नवीनीकरण वर्ष 2004 में किमी 46 से किमी 53, सड़क नवीनीकरण वर्ष 2008 में किमी 59 किमी सड़क नवीनीकरण वर्ष 2004 में 60 से 69 किमी को पुन: नवीनीकरण एवं सड़क किमी 69 से किमी. 75 तक दो लाइन चार लाइन में सड़क निर्माण कार्य करवाने एवं जोधपुर-जैसलमेर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 पर बालेसर कस्बे में मुख्य मार्ग की सड़क जो करीबन 1.50 किमी के लगभग है, मार्ग को दो लेन से चार लेन में निर्माण का व मीठीबेरी से बालेसर के मध्य मार्ग पर पूर्व में बने रपटों को भी चौड़ा करने, डिवाइडर व नाली का निर्माण करवाने, नवीनीकरण से पूर्व गुणवत्तायुक्त पेचवर्क करवाने व यातायात अधिक होने के कारण उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 को चार लाइन में सड़क बनवाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

बाबूसिंह राठौड़

(शेरगढ़)

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में गेता से माखीदा के बीच चम्बल नदी पर पुल बनाने बाबत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गेता से माखीदा के बीच बनने वाला चम्बल नदी पर पुल वर्षों से विचाराधीन है।

महोदय, यह मिसिंग लिंक गेंता, जिला कोटा से माखीदा, जिला बूंदी के मध्य स्टेट हाइवे पर उच्च स्तरीय पुल एवं एप्रोच सड़क के सम्बन्ध में मेरा आपसे आग्रह है कि गेंता-माखीदा के मध्य चम्बल नदी झालावाड़ बोर्डर से मथुरा वाया ईटावा-गेंता-इन्द्रगढ़-सवाई माधोपुर-गंगापुर से क्रोस करती हैं। गेंता-माखीदा रोड पर जहां चम्बल नदी स्थित है, घड़ियाल वन्य जीव क्षेत्र होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय से उक्त पुल के निर्माण की अनुमति लेना आवश्यक था। महोदय, वन संरक्षक कोटा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 5328 दिनांक 29.6.2007 द्वारा प्रकरण फोरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ क्लिरियन्स हेतु प्रस्ताव मुख्य वन्य जीव संरक्षण जयपुर को भिजवायें। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन्य जीव खण्ड नई दिल्ली द्वारा एन.बी.डब्ल्यू.एल. की दिनांक 22.5.2008 को बैठक आयेजित किये जाने की सहमति प्रदान की एवं सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. जयपुर को सर्व सम्मलित से शर्तों पर विचार करने हेतु प्रस्ताव भिजवायें।

महोदय, उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 18.04.2011 को अधिनिर्णय सुनाया जिसमें सी.ई.सी. की शर्तों के अधीन कार्यवाही संपादित होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति थी। सी.ई.सी. की 12 शर्तों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 21.01.2011 द्वारा भूमि अवाप्त हेतु मद 4406 वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय 01 वानिकी मांग संख्या 9, 800-अन्य, 02 फोरेस्ट/कैम्पा/17 वृहत निर्माण (आयोजना) में राशि रु. 11.92 करोड़ की स्वीकृति जारी की।

महोदय, जिला कलक्टर कोटा द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गयीं एवं जिला कलक्टर बूंदी द्वारा भी औपचारिकतायें पूरी कर दी गयीं।

महोदय, सी.ई.सी. द्वारा लगाये गये सभी आक्षेपों की पूर्ति दिनांक 3.2.2012 को कर पुन: नोडल आफिसर वन विभाग को प्रस्तुत की गयीं।

महोदय, इस मामले में वन विभाग को उक्त कार्य की पत्रावली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु वित्त विभाग के निर्देशानुसार प्रस्तुत की जा चुकी है जो कि वन विभाग के पास विचाराधीन है किन्तु लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इस मामले में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वन विभाग द्वारा जारी नहीं की गयी जिसके कारण अनावश्यक रूप से कार्य संपादित कराने में विलम्ब हो रहा है।

अत: मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त पत्रावली पर माननीय मंत्री महोदय शीघ्र ही कार्यवाही करें ताकि कार्य यथासमय पूर्ण कराया जा सके एवं जनता से किये गये वायदे पूर्ण हो सकें।

प्रेमचन्द नागर

(पीपल्दा)

राजस्थान राज्य में कीर जाति को अन्य विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित कराने बाबत

महोदय,

राजस्थान राज्य के लगभग 20 जिलों में निवास करने वाली कीर जाति की जनसंख्या लगभग 11 लाख है। इस जाति को राज्य के अलग-अलग भागों में कीर, केवट, हरिवंशी कीर, बनवासिया कीर, बनास्या कीर आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। वर्तमान में इस कीर जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग ओ.बी.सी. वर्ग की सूची में रखा हुआ है। इस जाति का पुश्तैनी धंधा नदी, बांध व तालाबों की पेटाकाश्त भूमि पर अस्थायी काश्त करना रहा है। कालान्तर

में लगातार अकाल पड़ने से इनका पुश्तैनी धंधा चौपट हो गया। जिससे इनके आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो गई। आजादी के पूर्व से ही पेटाकाश्त भूमि पर निर्भर रहने एवं घुमक्कड़ व वनवासी प्रकृति होने से कीर जाति के लोगों के पास स्थायी जमीन नगण्य हैं। वर्तमान में पेटाकाश्त जमीन इन्हें नहीं मिलने से जमीदारों के यहां बंटाई के आधार पर तथा ठेके पर जमीन लेकर गुजारा करना पड़ रहा है। जिससे इस समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है। इस समाज में जागरुकता व शिक्षा की कमी से इस जाति को कभी भी राजनैतिक या राजकीय संरक्षण नहीं मिला है। अत: सर्वे करवाकर इस जाति को भी अन्य विशेष पिछड़ा वर्ग एस.बी.सी. में सम्मिलित करावें तथा राजकीय संरक्षण दिलावें।

अर्जुन लाल गर्ग
(बिलाड़ा)

महिला पर्यवेक्षक (ग्राम सेविका) को 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देने बाबत

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान में कार्यरत 163 महिला पर्यवेक्षक (ग्राम सेविका) को निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर के द्वारा 9 वर्ष पूर्ण होने पर आगे के पद का चयनित वेतनमान प्रदान कर दिया गया है किन्तु 18 वर्षीय एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है जबकि राज्य सरकार द्वारा 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर आगे के पद का चयनित वेतनमान प्रदान करने का नियम है। विभाग द्वारा इन महिला पर्यवेक्षकों (ग्राम सेविका) के साथ दोहरी नीति अपनाकर पद विशेष के साथ अन्याय किया जा रहा है।

विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम के तहत विशेष उल्लेख है कि 163 महिला पर्यवेक्षकों को 18 वर्षीय एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान राज्य सरकार के किस नियम एवं परिपत्र के अन्तर्गत प्रदान नहीं किया जा रहा है? क्या ऐसा सेवा नियमों में प्रावधान है? साथ ही, इनकी वरिष्ठता सूची किस प्रकार होगी एवं किन नियमों के अन्तर्गत होगी उसकी भी जानकारी प्रदान कराते हुए इन्हें 18 वर्षीय एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान प्रदान करवाने की कृपा करें।

बंसती देवी मीणा
(सलूम्बर)

हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम एवं ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के क्रम में

महोदय,

निवेदन है कि हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भुखरावली में से जगनत्था का पुरा एवं जाटव बस्ती चन्दनिया का पुरा एवं ग्राम फुलवाडा में से निसूरीयान का पुरा एवं लोगट पुरीयान का पुरा तथा कंजोलियान का पुरा एवं मंडावरा ग्राम में से बन्डपुरा एवं ग्राम वाजना कला में से महमदपुरीयान का पुरा तथा करई ग्राम में से कल्यानपुरा एवं सूरोठ ग्राम में से बंजारों का पुरा एवं नांगलदुर्गसी में से बैभलपूर को नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने की कृपा करें।

भरोसी लाल जाटव

(हिण्डौन)

खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने बाबत

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छतरगढ़ जाने वाली मुख्य सड़क जो कि नूरसर फाटा से सत्तासर तक करीब 40 किमी की सड़क काफी क्षतिग्रस्त है। इसी तरह छतरगढ़ से महादेव वाली ग्राम पंचायत को जाने वाली सड़क जो कि 20 किमी. है, भी काफी क्षतिग्रस्त है।

बीकानेर से छतरगढ़ जाने वाली सड़क मुख्य मार्ग है जो रावला घड़साना होते हुए गंगानगर को भी जाती है। यह सड़क इतनी क्षतिग्रस्त है कि 40 किमी. की दूरी तय करने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। बीकानेर में छतरगढ़ जाने के लिये 1 घंटे की जगह 3 घंटे लगते हैं। किसी गम्भीर मरीज को बीकानेर जाने में भी देरी होती है। सडक में काफी गड्ढे हो गये हैं और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका भी रहती है। अत: आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र की जनता की असुविधा को देखते हुए उपरोक्त सड़क मार्गों को पुन: सुदृढ़ीकरण किया जावे, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

डा. विश्वनाथ मेघवाल

(खाजूवाला)

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पुलिस थाना बालेसर में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत चामूं, 54 मील जवाहरनगर में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

3. अलवर जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध, पुलिस कर्मियों की पिटाई व कानून व्यवस्था बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

4. दो वर्ष पूर्व नवसृजित स्वीकृत उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोविन्दगढ़ (चौमूं) के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. पुलिस थाना चौमूं में कानिस्टेबल, हैड कानिस्टेबल की नफरी बढ़ाने एवं रिक्त पदों पर पदस्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्रामीण थाने सामोद, गोविन्दगढ़ व कालाडेरा की नफरी बढ़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. चौमूं कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था हेतु एक सब इन्सपेक्टर, दो हैड कानिस्टेबल व 8 कानिस्टेबल के पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के चौमूं कस्बा, जाटावाली एवं खेजरोली के नवसृजित पुलिस चौकी के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

9. जिला सीकर में गत तीन वर्षों में दर्ज हत्या के प्रकरणों में पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार कर चालान प्रस्तुत नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. सीकर शहर में सट्टा बाजारियों की कारगुजारियों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. रैवासा (सीकर) स्थित जैन मंदिर से भगवान की मूर्तियों की चोरी की एफ.आई.आर. संख्या 376/11 में पुलिस थाना राणौली द्वारा एफ.आर. लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. पुलिस थाना राणौली जिला सीकर में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 66/12 में पुलिस द्वारा कारगर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

13. विधान सभा क्षेत्र बायतू के ग्रामीण थानों में स्वीकृत नफरी के आधार पर नफरी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. प्रदेश के उपखण्ड मुख्यालयों, तहसीलों, उप तहसीलों के साथ बड़े कस्बों में निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र बायतू के बायतू मुख्यालय पर कस्बा चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. थाना बायतू मुख्यालय पर यातायात सुविधा सुचारू रखने के लिए कानिस्टेबल उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र बायतू में विभाग के विभिन्न पदों पर पदोन्नति कर रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

18. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सीमावर्ती थाना बारतासर व सेंड़वा में निरीक्षक एवं अन्य रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

19. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में नव स्वीकृत पुलिस चौकी चवा को पुलिस थाना सदर बाड़मेर में रखते हुए ग्राम पंचायत चवा, आदर्श चवा,

सरजू, सांजट बेरीवाला तला, रावतसर को पुलिस चौकी चवा में रखने एवं ग्राम पंचायत इदाबेरी को पुलिस थाना रामसर से निकालकर पुलिस थाना सदर बाड़मेर में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बाड़मेर ग्रामीण के नाम से नया पुलिस थाना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

21. जिला राजसमन्द में पशुधन की चोरियां आये दिन होने के बाद भी आज तक चोरों को नहीं पकड़े जाने से पशुपालकों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

22. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की सीमा हरियाणा प्रान्त से लगी होने के कारण शराब एवं डीजल तस्करी का हब बनने से पुलिस थानों में स्टाफ व आधुनिक संसाधनों के अभाव में होने वाली चोरी लूट की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

23. जिला श्रीगंगानगर में महिला पुलिस द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज छेड़छाड़/यौनाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना रावला के किसान आन्दोलन (2004-05) में दर्ज मुकदमों को वापिस लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास गृह बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना-रावला में एस.एच.ओ. के आवास बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

28. नीमकाथाना क्षेत्र के पुलिस थानों में पर्याप्त स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

29. विधान सभा क्षेत्र सोजत के सोजत उपखण्ड पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

30. प्रदेश में तकनीकी कर्मचारी आरमोहर को दिये जाने वाले भत्तों की विसंगति दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

31. विधान सभा क्षेत्र नगर के थानों में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए गाड़ी व हथियारों के पुराने व कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र नगर के थानों द्वारा पकड़े गये वाहनों के नाकारा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र नगर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से नजदीक होने से बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए थानों में नफरी की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

34. पुलिस थाना कोतवाली, दौसा में एफ.आई.आर. संख्या 653/09 (आई.पी.सी. अधिनियम की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी) में न्यायालय द्वारा नमूना हस्ताक्षर के सम्बन्ध में एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त भी मुलजिमान को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

35. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में चोरी की वारदातें निरन्तर बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

36. धौलपुर में मचकुंड रोड पर पी.जी. कालेज में पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

37. खेडली थाने के ग्राम (कठूमर) से गौकसी के लिए ले जा रही गायों को पुलिस द्वारा नहीं रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. खेडली नगरपालिका क्षेत्र (कठूमर) में शराब की दुकानें रात 12 बजे तक पुलिस द्वारा बन्द नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

39. स्टेट एवं नेशनल हाइवे पर स्थित थानों पर वी.आई.पी. ड्यूटी ज्यादा होने से मुकदमों के निस्तारण समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में चोरी के मामले थानों में दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. प्रदेश में पुलिस पीटने के प्रकरणों में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के बडनगर-पाछूडाला-नवरंगपुरा में पुलिस चौकी स्थापित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. विराट नगर थाने को उप अधीक्षक कार्यालय शाहपुरा से न जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी. एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

44. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के ग्राम घाट का बराना में पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

45. प्रदेश में पुलिस विभाग में प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में भर्ती नहीं करने से सुरक्षा व्यवस्थाओं में आ रही गिरावट को नहीं रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. प्रदेश में जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर उल्टा भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. प्रदेश के सभी पुलिस थानों व आफिसों में महिला पुलिस कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, मारपीट, हत्या व आत्महत्या के लिए मजबूर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा हेलमेट व वाहन चैकिंग के नाम पर अवैध चौथ वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के खैराबाद पंचायत में पुलिस कर्मियों द्वारा कब्जा करने व क्षेत्र की जनता को लगातार परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

50. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पुलिस थाना बिलाड़ा के अन्तर्गत खारियां मीठापुर, कापरड़ा, डांगियावास थानान्तर्गत पालासनी लूनी थानान्तर्गत भटिण्डा में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा अन्तर्गत पुलिस थानों में पुलिस नफरी बजट घोषणानुसार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. पुलिस थाना बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, बोरूंदा एवं डांगियावास आदि के क्षेत्राधिकार में बढ़ती चोरियों की रोकथाम हेतु रात्रि गश्त हेतु 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में पुलिस गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. जोधपुर/जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना से आज दिन तक हो रहे अपराधों में वृद्धि नहीं रूकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. राज्य में पुलिस विभाग द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र सत्यापन एवं पारपत्र (पासपोर्ट) आवेदन पत्रों के सत्यापन में समयावधि से अधिक देरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

55. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के ग्राम बामणोर में पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

56. बहरोड़ में एडिशनल एस.पी. का पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. पुलिस थाना बहरोड़ एवं मांढ़ण पुलिस स्टेशनों पर नई गाड़ियां देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. प्रदेश में पुलिस कर्मियों के आचरण को सुधारने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. अलवर जिले में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल बढ़ाने एवं आधुनिक हथियार मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम नागालिया बर्डोद, कायसा, प्रतापुरा एवं सातों में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) :

61. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में हत्या की बढ़ती घटनाओं की वजह से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

62. गोविन्दगढ़ (जिला जयपुर) थाने में दर्ज एफ.आई.आर. सं. 110/2011 में दोषी व्यक्तियों के ,खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. सीकर जिले के दैवासा स्थित जैन मंदिर से चोरी गई भगवान की प्रतिमाओं की बरामदगी नहीं करने एवं प्रकरण में एफ.आर. लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

64. प्रदेश में पुलिस विभाग को केन्द्र के समान वेतन एवं अन्य भत्ते देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. पुलिस कार्यवाही में शहीद हुए जवानों/अधिकारियों के परिजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. धौलपुर जिले में न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद भी पुलिस रिकार्ड से नाम नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. बसेड़ी उपखण्ड पर उप अधीक्षक कार्यालय खोलकर उप अधीक्षक अधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. धौलपुर जिले में लम्बे समय से लम्बित पड़े शस्त्र अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण आवेदनों का निस्तारण एवं जन प्रतिनिधियों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

69. नांवां क्षेत्र में महिला पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. प्रदेश में जनता एवं पुलिस के मध्य अच्छा सद्‌भाव बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लैस करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

72. राजसमन्द जिले के थानों में रिक्त पदों को तुरन्त भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. राज्य में महिला प्रताड़ना के परिवादों पर अनुसंधान में तीव्र गति एवं शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. राज्य के सभी महिला थानों में महिला अधिकारी को अनिवार्य रूप से पदस्थापित करने एवं महिला उत्पीड़न के मामलों में एफ.आई.आर. आनलाइन दर्ज करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं महिला उत्पीड़न को रोकने में सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. पुलिस द्वारा जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्य में बाधा डालने के झूठे प्रकरण बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

77. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के उपखण्ड मुख्यालय राजाखेड़ा से 21 दिसम्बर, 2012 को अगवा हुई नाबालिग कन्या के आज तक बरामद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के अनेक ट्रैक्टर-ट्रोली मालिक किसानों को रेत खनन की वजह से चल रहे मुकदमे उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के राजाखेड़ा थाने की पुरानी बिल्डिंग को पुन: निर्मित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

80. भोपालगढ़ पुलिस थाने में वृताधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पुलिस विभाग के समस्त रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

82. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में पुलिस नफरी बढ़ाने, मुरलीधर कालोनी बीकानेर को रणशहर थाने के बजाय नया शहर थाना बीकानेर में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

83. जयपुर शहर में कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिये।
84. पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
85. आदर्श नगर स्थित खड्डा बस्ती में हो रही अवैध वारदातों पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर चर्चा के लिये।
86. पुलिस थाना कानोता क्षेत्र में आये दिन होने वाली चोरियों एवं उन पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

87. प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या सहित महिला अत्याचार सम्बन्धी समस्त अपराधों के प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
88. प्रदेश में पुलिस सुधार उपायों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
89. पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर अन्तर्गत दुघर्टना पुलिस थानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
90. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में देव नगर में नया पुलिस थाना एवं भूण्टियां में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
91. प्रदेश में पुलिस विभाग के समस्त रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

92. कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम मोहकमपुरा में व चोराबड़ा में पुलिस चौकियां खोलने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
93. प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा भ्रष्टाचार रोकने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
94. प्रदेश में पुलिस कर्मियों की भर्ती करने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

95. राज्य में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आये हिन्दू शरणार्थियों को स्थाई वास के आधार पर भारतीय नागरिकता दिलाने हेतु राज्य स्तर पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. राज्य में साईबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हेतु रेंज स्तर पर आधुनिक संसाधनों से युक्त सैल स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के 360 पदों में से 196 रिक्त पदों को भरे जाने व 13000 से अधिक अन्वेषणाधीन प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. राज्य में सांप्रदायिक व सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में हो रही बढ़ोत्तरी को रोकने एवं वर्ष 2008 की तुलना में महिला अत्याचारों विशेषकर दुष्कर्म की घटनाओं में बढोतरी होने पर, महिला सुरक्षा व सांप्रदायिक सद्‌भाव हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. राज्य में हजारों की तादाद में लापता नाबालिग लड़के-लड़कियों तथा महिलाओं की तलाश हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

100. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में थाना चिकसाना की पुलिस चौकी, ऊंचा नगला को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में अस्थायी रूप से स्थित पुलिस चौकी, पीपला को स्थायी चौकी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में दिनोंदिन हो रही चौपहिया व मोटरसाइकिल वाहनों की चोरी की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के अन्तर्गत निरीक्षक स्तर के पुलिस थानों में उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थापित हैं, इनके स्थान पर

निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों को पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

104. विधान सभा क्षेत्र वैर के बल्लभगढ़ क्षेत्र में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. हलैना थाना को अपग्रेड कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

106. राज्य में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी एवं महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

108. पचपदरा क्षेत्र के थाना मण्डली को यथावत् रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. बालोतरा में ग्रामीण पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. पचपदरा के गांव दुधवा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. पुलिस थाना बालोतरा में आवासीय क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. बालोतरा शहर में अस्थाई ट्राफिक पुलिस निरीक्षक को स्थाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर) :

113. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पुलिस की भर्ती में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

114. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

115. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के ग्राम घाट का बराणा में पुलिस चौकी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

116. सीकर जिले के थाना दादिया के ग्राम जेरठी के मृतक की एस.पी. सीकर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार तत्काल जांच करवा कर एफ.एस.एल. रिपोर्ट मंगवाकर कानूनी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

117. सीकर जिले में सेना की कार्बाइन चुराने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. सीकर जिले के ग्राम मूण्डवाड़ा में जीप चोरी की थाना सदर-सीकर में दर्ज एफ.आई.आर. पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. सीकर जिले के थाना लोसल की नाजायज कब्जे की चौकी सिगरावट को हटाकर स्वयं के भवन में स्थानान्तरित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. सीकर जिले में बढ़ती हुई चोरी व अपराधों की रोकथाम एवं भूमाफिया तथा शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

121. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम खूण्डा, कोटा छाबर एवं धांधुपुरा नदी पर स्थाई पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) :

122. विधान सभा क्षेत्र बारां के खेड़ली में पुराने थाने को पुलिस चौकी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

123. प्रदेश में चोरी, डकैती, चैन स्नेचिंग, महिला के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस की 24 घण्टे प्रभावी गश्त हो एवं इसके लिए पुलिस को पर्याप्त गश्ती वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, पीसीआर वैन इत्यादि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में बढ़ती पुलिस बल संख्या एवं महिला पुलिस की संख्या के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं आवास, पेयजल, बिजली, शौचालय, स्नानगर आदि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. प्रत्येक पुलिसकर्मी की 8 घण्टे ड्यूटी निर्धारित करने एवं रोटेशन के आधार पर थानों मे ड्यूटी लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

126. फोगावट हत्याकांड जिला सीकर, जीवनराम गोदारा हत्याकांड जिला नागौर के ईनामी अपराधियों द्वारा राज्य में खोले गये बैंक खातों, बैंक खाते खुलाने में सहायकों जमानतियों, फर्जी आई.डी. जारी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर जांच कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. फोगावट हत्याकांड जिला सीकर, जीवनराम गोदारा हत्याकाण्ड जिला नागौर आदि के ईनामी अपराधियों को ए.के. 47, कार्बाइन, 12 बोर बन्दूकें, बुलेट प्रुफ जाकेट, जर्मन गन व अन्य प्रतिबन्धित सामान उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों/एजेन्सियों पर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

128. प्रदेश की ट्राफिक व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

129. प्रदेश में पुलिस की मनमानी को रोककर उनके खिलाफ कार्यवाही की वैधानिक जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. पुलिस विभाग के असीमित अधिकार कानूनी तरीके से कम करके किये गये गलत कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

131. नागौर जिले के थानों में दर्ज गुमशुदा एवं अपहरण किये गये लोगों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. नागौर जिले के थानों में दर्ज एफ.आई.आर. प्रकरणों में जांच अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जॉच नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लम्बित प्रकरणों का निपटारा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. उप तहसील मुख्यालय सांजू में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. पुलिस चौकी हरसौर को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

136. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के लखनपुर गांव में पुलिस थाने खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के ब्लाक सेवर में स्थित गांव महुआ सिनपिनी के चौराहे पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की डहरा पुलिस चौकी को पुलिस थाने में अपग्रेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

139. प्रदेश में पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

140. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पुलिस चौकी दांतराई के अपूर्ण भवन को पूर्ण करवाकर स्थापित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में गिखट पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

142. तारानगर तहसील में यातायात पुलिस के कर्मियों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

143. तारानगर तहसील में पुलिस की मिलीभगत से भू-माफियों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. चूरू जिले में पुलिस की मिलीभगत से हरियाणा से शराब की तस्करी होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. चूरू जिले के भगोड़े कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार नहीं करने व सरेआम अपराधियों द्वारा आम नागरिक से चौथ वसूली किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) :

146. अलवर जिले के कारणा में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. अलवर जिले सहित राजस्थान में पुलिस की मिलीभगत से हरियाणा की अवैध शराब की तस्करी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

148. अलवर जिले में गौ तस्करी व गौकशी को रोकने एवं जिले कि बिगड़ी कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

149. पुलिस के सिपाहियों के बच्चों की शिक्षा का भत्ता बढाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. राजस्थान में जनसंख्या व क्षेत्रफल के हिसाब से पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. होमगार्ड के सिपाहियों के मानदेय (प्रतिदिन वेतन) को बढ़ाने एवं एक वर्ष में 200 दिन लगाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) :

152. पुलिस थाना-समदड़ी सिवाना व सिन्धरी में भ्रमणशील पुलिस गश्त हेतु गश्तीदल व वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. अस्थाई पुलिस चौकी-अजीत व सावरड़ा को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. पुलिस थाना समदड़ी, सिवाना व सिन्धरी में कानिस्टेबल की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

155. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर-ग्रामीण में कानून व्यवस्था को देखते हुए नई पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

156. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के गांव अरनोद, कनोरा, धरियावद, पाल, संगेसरा, आरामपुरा, मुंजवा में पुलिस चौकी खुलवाने एवं प्रतापगढ़ में सदरथाना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हुए राज्य के जिले प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों के थानों में विशेष पुलिस जाप्ते व संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. बड़ी सादड़ी मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

159. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नई पुलिस चौकियां एवं थाने खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर एवं किशनगढ़ थाने में चारदीवारी का कार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल के थाने को सी.आई. स्तर में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा, रेनवाल, जोबनेर एवं सांभर में रिक्त पदों को भरने एवं पुलिस की नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) :

163. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम कैखावाल में पुलिस चौकी व अकबरपुर में थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

164. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के ग्राम मोहनगढ़, नाचना में पुलिस निरीक्षक के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के नहरी क्षेत्र में टावरीवाला 155 आर.डी. पर पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. जैसलमेर जिले में पुलिस के विभिन्न रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा में पुलिस थाना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

168. प्रदेश में लगातार हो रही हत्याओं, चोरी, चैन स्नैचिंग को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. राज्य में पुलिस नफरी बढ़ाकर पुलिस व्यवस्था ठीक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

170. अजमेर शहर व जिले में अलग-अलग पुलिस अधीक्षक के पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. अजमेर में नागफ्रशी क्षेत्र में चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

172. जैसलमेर में पुलिस अधिकारी व सिपाहियों की नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. विधान सभा जैसलमेर में नहरी क्षेत्र के मेन आबादी में पुलिस चौकियों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. जैसलमेर जिले में चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. सीमा क्षेत्र से हटाई गई सी.आई.डी. की चौकियों को पुन: स्थापित करके सीमा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. जैसलमेर की नई आवासीय कलोनी में नई चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

177. पुलिस थाना मकराना के पुराने एवं खटारा वाहनों को बदलने एवं नये वाहनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम बोरावड़ में पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. पुलिस थाना मकराना में नफरी की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. डी.जी. के आदेश अनुसार आर.ए.सी. कम्पनी का मुख्यालय डीडवाना सेक्टर में देने के बजाय मकराना सेक्टर को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

181. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर व्यास नगर एवं करमीसर गांव को नया शहर थाने के अन्तर्गत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में निरन्तर बढ़ रही चोरियां, डकैती एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर व्यास नगर में पुलिस चौकी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

184. प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार के मामलों में वृद्धि की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. महिला अत्याचार के बढ़ते मामलों में प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. भीलवाड़ा जिले के पुलिस थाना कोटड़ी में दर्ज मुकदमा नं 225/12 में निष्पक्ष जांच के लिये अनुसंधान अधिकारी बदलने अथवा सी.आई.डी. (सीबी) से जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत कोठाज एवं कांटी के सभी गांव तथा छापडेल पंचायत के ग्राम मोडियाखेडा एवं बेलवा को पुलिस थाना काछोला से हटाकर कोटड़ी में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

188. जयपुर में बांग्लादेशियों के अवैध रूप से रहने एवं इनके द्वारा आपराधिक कार्य किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. जयपुर कमिश्नरेट के अन्तर्गत आने वाले थानों में दर्ज प्रकरणों के मुकाबले चालान की प्रतिशतता कम होने एवं थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करने में आनाकानी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

190. जयपुर शहर में चोरियों की संख्या में बढ़ोतरी होने एवं पकड़े गये मुल्जिमों से चोरी का माल बरामदगी की प्रतिशतता में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

191. जयपुर शहर के पुलिस थानों में नफरी बढ़ाने, थानों में अच्छी किस्म के वाहन उपलब्ध कराने एवं थानों के वाहनों के लिये पैट्रोल/डीजल की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

192. जिन उद्देश्यों को लेकर जयपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी उन पर विफल रहने से यह प्रणाली लागू होने के बाद अपराधों में बढ़ातरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

193. झुंझुनूं जिले में अधिकांश नौजवान बच्चे-बच्चियां अपने मुंह ढक कर एवं चश्मा लगाकर सड़कों पर इधर-उधर घूमने वालों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के नजदीक हरियाणा राज्य की सीमा होने से सभी थानों में स्वीकृत नफरी के अनुरूप पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र पिलानी हरियाणा राज्य की सीमा के नजदीक होने के कारण समस्त थानों में नये वाहन (बोलेरो) उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

196. वृताधिकारी पुलिस (ग्रामीण) भरतपुर का मुख्यालय कुम्हेर में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

197. भरतपुर जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने व पुलिस केसों का शीघ्र निपटारा करने के लिये पुलिसकर्मी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. भरतपुर जिले में पुलिस प्रशासन को नई गाड़ियां आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़)

199. ग्राम तोलियासर पो. खेड़ी (सुजानगढ़) चूरू में दिनांक 8 अप्रैल, 2012 को श्री श्रवण कुमार पुत्र मेवाराम की मृत्यु के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

200. प्रदेश में पुलिस व्यवस्था का सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

201. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में बढ़ रही विद्युत सामान की चोरियां, वाहन चोरियां, लूट व हत्याएं नहीं रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

202. अलवर जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये रिक्त पड़े समस्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ बास में जोडिया मोठका व बीबीरानी में स्थाई पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) :

205. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के प्रमुख चौराहों पर ट्राफिक लाइट सिस्टम लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. बीकानेर में चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट आदि की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. बीकानेर में ट्राफिक पुलिस की भर्ती एवं शहर की ट्राफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

208. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में बड़लियास में नया पुलिस स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास) :

209. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के निवाई रोड पर नवीन थाना परिसर हेतु आबंटित जमीन पर नवीन भवन बनाने हेतु बजट आबंटन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के थाना बामनवास में पेयजल, भवन मरम्मत हेतु बजट एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

1. विधान सभा क्षेत्र भीम के उप कारागार हेतु नयी आबंटित जमीन पर निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

2. श्रीगंगानगर जिले के कारागारों में खेल-कूद के सामान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. श्रीगंगानगर जिले के कारागारों में पेयजल, शौचालय, बिजली आदि की सुविधाएं बढ़ाने एवं साफ-सफाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. श्रीगंगानगर जिले की कारागारों में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. श्रीगंगानगर जिले के कारागारों में कैदियों की भोजन व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

6. नीमकाथाना सब जेल की अमानवीय हालात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

7. विधान सभा क्षेत्र नगर के डीग जेल में पेयजल उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

8. धौलपुर जिला कारागार में स्टाफ की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

9. प्रदेश के कारागारों में बजट कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
10. प्रदेश के कारागारों में रिक्त पदों को न भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
11. प्रदेश के कारागारों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. प्रदेश के कारागारों में हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. प्रदेश के कारागारों में अवैध वस्तुएं- जैसे मोबाइल आदि पाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

14. प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों के साथ होने वाली मारपीट एवं अत्याचार को नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. प्रदेश की सभी जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने से सुरक्षा व्यवस्थाओं में आ रही गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश की सभी कारागारों में सुरक्षा व्यवस्थाओं में सेंध लगाकर कैदियों द्वारा जेल तोड़कर भागने की प्रवृति पर रोक लगाने की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये।

17. प्रदेश की सभी कारागारों में कैदियों को पैरोल पर छोड़ने व कैदियों को न्यायालय में पेशी पर लाने ले जाने के समय उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से पुलिस कर्मचारी के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को नहीं रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

18. राज्य में निर्मित केन्द्रीय जिला कारागार एवं उप कारागृह की सुरक्षा की दृष्टि से संधारण एवं संचालन हेतु मरम्मत एवं आवश्यक अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों से निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. बिलाड़ा स्थित उप कारागार पिचियाक में गत 5 वर्षों से बन्द रहने से पुलिस थाना बिलाड़ा/पीपाड़शहर/बोरूदा/डांगियावास के विचाराधीन/गैर जमानती कैदियों को जोधपुर केन्द्रीय कारागार में भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. बिलाड़ा उप कारागृह गत 5 वर्षों से बन्द पड़ा है, को पुन: चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. बिलाड़ा स्थित उप कारागृह पिचियाक में स्वीकृत उप कारापाल, गार्ड एवं अन्य पदों पर नियुक्ति/पदस्थापन कर शीघ्र उप कारागृह प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. राज्य में स्थित केन्द्रीय कारागार जिला कारागार एवं उप कारागार में

कैदियों के पास आपत्तिजनक सामग्री जैसे- सिम, हथियार इत्यादि निरीक्षण के दौरान पाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

23. अलवर एवं बहरोड़ कारागार के आजीवन सज़ायाफ्ता कैदियों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
24. प्रदेश की जेलों में कम्बलों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
25. प्रदेश की जेलों में संतुलित एवं उच्च दर्जे का भोजन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
26. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की जेल का आधुनिकीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
27. प्रदेश की जेलों में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

28. कारागारों में बन्द कैदियों के हृदय परिवर्तन करने की प्रक्रिया में सहायक धार्मिक कार्यक्रम, योगा एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
29. प्रदेश में कारागार कर्मियों की नई भर्तियां करने तथा नये वेतनमान एवं भत्ते स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
30. प्रदेश में सभी कारागारों में मोबाइल जैमर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
31. प्रदेश के सभी कारागारों में कैदियों के अनुपात में आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
32. प्रदेश के सभी कारागारों की सुरक्षा करने एवं सुरक्षा उपकरणों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

33. कैदियों की मानसिकता में परिवर्तन करने के लिये कारागार में संतों के धार्मिक प्रवचन दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
34. राज्य की जेलों में बंद कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने एवं रोजगार हेतु प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
35. राज्य की जेलों में आधुनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

36. राजसमन्द मुख्यालय की जेल में प्रहरियों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. राजसमन्द मुख्यालय कारागार में पानी, शौचालय एवं बिजली आदि की पर्याप्त व्यवस्था तथा कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

38. धौलपुर जिले में राजाखेड़ा, बाड़ी एवं बसेड़ी में छोटे कारागार बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

39. प्रदेश में कारागार सुधार उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. प्रदेश के कारागारों में समस्त रिक्त पदों को भरने और नव पद सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. प्रदेश में बंदियों के कारागार से पेशियों पर ले जाने के दौरान भागने के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. केन्द्रीय कारागार जोधपुर में जेलर भारत भूषण भट्ट की कैदी द्वारा हत्या प्रकरण की जांच के सुझावों को प्रदेश के समस्त कारागारों पर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. प्रदेश में कारागारों में बंदियों के पास प्रतिबन्धित सुविधाओं की उपलब्धता के बढ़ते प्रकरणों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

44. प्रदेश के कारागारों में मुल्जिमों की हत्या रोकने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के कुशलगढ़ कारागार का भवन निर्माण कराने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

46. केन्द्रीय कारागृह कोटा में डेजर्ट कूलर निर्मित करने जैसे उद्योग के प्रशिक्षण हेतु आई.टी.आई. आदि की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. केन्द्रीय कारागार कोटा को नये परिसर में स्थानान्तरण हेतु भवन निर्माण समयबद्ध रूप से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. राज्य की जेलों से अपराध संचालन, मोबाइल से धमकाने, फेसबुक आदि माध्यमों से गिरोह संचालन की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. कोटा में महिला बंदी सुधार गृह एवं बाल बंदी सुधार गृह स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश में विभिन्न जेलों से अदालत तक पेशी के समय धन एवं मानवश्रम को बचाने व बंदियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेशी कराने की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

51. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर स्थित केन्द्रीय कारागार सेवर में कैदियों की बैरक व सम्पूर्ण कारागार के जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

52. बालोतरा में उप कारागार के भवन की मरम्मत और सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

53. प्रदेश के सभी कारागारों में कैदियों को रोजगारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

54. सीकर जिले में बंदियों के साथ की जा रही मारपीट से दो बंदियों की मौत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. सीकर जिले की जेलों में बंदियों से मुलाकात करवाने के लिये परिजनों से नाजायज धन वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. राज्य भर में जेलों में बंदियों के पास मोबाइल व अन्य सामग्री पहुंचने की वजह से अपराध घटित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

57. जिला कारागृह में विचाराधीन बंदियों एवं सजायाफ्ता कैदियों हेतु अलग-अलग बैरक, जेलगृह की व्यवस्था करने एवं सजायाफ्ता बंदियों के कार्य विभाजन की निश्चित रूपरेखा निर्धारित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

58. राज्य के कारागारों में अपराधियों को नियम विरुद्ध मुहैया कराई जा रही सुख-सुविधाओं की जांच एवं कोर्ट सुनवाई के नाम पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा अपराधियों को दी जा रही बेहिसाब छूट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

59. सैंट्रल जेल सेवर, भरतपुर की कृषि भूमि को ठेके पर नहीं उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. सैंट्रल जेल सेवर, भरतपुर में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

61. प्रदेश में जेल कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

62. कारागारों में मोबाइल फोन को बन्द करने हेतु कारागारों में जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

63. बडी सादड़ी एवं डूंगला दोनों तहसील क्षेत्रों के उप कारागृह बडी सादड़ी में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. बाल कारागृहों में सभी तरह की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. राज्य की जेलों (कारागारों) में जाप्ता बढाये जाने व मोबाइल सुविधा को रोकने के लिये जैमर व सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

66. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा स्थित कारागार की चारदीवारी का कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा स्थित कारागार में वाहन एवं पानी की सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

68. बीकानेर जेल सेवा के अधिकारियों को वर्दी स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. बीकानेर कारागार में प्रहरी से अधीक्षक तक के पदों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

70. जहाजपुर उप कारागृह को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

71. कारागार प्रहरियों का वेतन पुलिसकर्मियों के समान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. राज्य के कारागारों से कैदियों के भागने की घटनाओं में हो रही वृद्धि एवं जेल में बंद अपराधियों द्वारा धमकियां देने की घटनाओं में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. जयपुर के केन्द्रीय कारागार के आस-पास के भवनों से बंदियो को सामग्री फेंके जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी एवं भवनों की ऊंचाई कारागार से ऊपर होने के कारण कारागार की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहे दुष्प्रभाव पर चर्चा के लिये।

74. जयपुर केन्द्रीय कारागार के शहर के मध्य आ जाने के कारण इसे शहर से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. राज्य की जेलों में मोबाइल फोन पर रोक लगाने हेतु जैमर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

76. प्रदेश के कारागृहों में बढ़ रहे कैदियों के अनुपात में जेल स्टाफ की बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) :

77. बीकानेर के केन्द्रीय कारागार को सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

78. माण्डलगढ़ उप कारागार में बैरक छोटी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) :

79. जेल की व्यवस्थाओं में सुधार व जेल में जैमर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।